योदश माला, खंड 17, अंक 8

बुधवार, 1 अगस्त, 2001
10 श्रावण, 1923 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

सातवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

FOR REFERENCE ONLY

सत्यमेव जयते

(खंड 17 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी.सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

सतेन्द्र सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 17, सातवां सत्र, 2001/1923 (शक)]

अंक 8, बुधवार, 1 अगस्त, 2001/10 श्रावण, 1923 (शक)

विषय	कॉलम
प्रधान मंत्री द्वारा त्याग-पत्र देने की कथित पेशकश के बारे में	7–12
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 142 से 144	13–63
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 141 और 145 से 160	63–152
अतारांकित प्रश्न संख्या 1465 से 1626	152–407
सभा पटल पर रखे गए पत्र	407–409
कार्य-मंत्रणा समिति	
बाईसवां प्रतिवेदन	409
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	
अध्ययन दौरा संबंधी प्रतिवेदन	409
श्रम और कल्याण संबंधी समिति	
की-गई-कार्यवाही संबंधी विवरण	410
उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की कथित हत्या के बारे में	411–422
कुमारी मायावती	411
श्री मुलायम सिंह यादव	413
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल	415
डा. विजय कुमार मल्होत्रा	417
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	419
इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड के आधुनिकीकरण और पुनरुज्जीवन के बारे में	427–429
श्री बसुदेव आचार्य	427
श्री सोमनाथ चटर्जी	428
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	428

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
श्रीमती फूलन देवी की हत्या के बारे में गृह मंत्री द्वारा 31 जुलाई, 2001 को दिए गए वक्तव्य के बारे में स्पष्टीकरण	435–486
श्री मुलायम सिंह यादव	435
श्री शिवराज वी. पाटील	446
डा. गिरिजा व्यास	449
श्री चन्द्रशेखर	452
कुमारी मायावती	453
श्री सोमनाथ चटर्जी	455
श्री चिन्मयानन्द स्वामी	458
श्रीमती कान्ति सिंह	462
श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा	464
श्री प्रभुनाथ सिंह	466
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	468
श्रीमती जसकौर मीणा	471
श्रीमती कैलाशो देवी	472
श्री पी.एच. पांडियन	472
कुंवर अखिलेश सिंह	475
श्री छत्रपाल सिंह	477
श्री रामदास आठवले	478
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	479
नियम 377 के अधीन मामले	486–494
(एक) झारखण्ड में जल छाजन परियोजना की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता	
प्रो. दुखा भगत	486
(दो) नेपाल से भारत में आने वाले वाहनों पर कर लगाए जाने की आवश्यकता	
डा. मदन प्रसाद जायसवाल	487
(तीन) उत्तरी गुजरात में फसल बीमा योजना को कारगर ढंग से लागू किए जाने की आवश्यकता	
श्री हरिभाई चौधरी	487
(चार) गुजरात के मांडवी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बोराखेड़ी में नवोदय विद्यालय में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री मान सिंह पटेल	487

विषय	कॉलम
(पांच) बिहार के औरंगाबाद जिले में नवीनगर ताप विद्युत गृह का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	488
(छह) केरल में परम्परागत मत्स्यन के लिए मछुआरों को शुल्क मुक्त मिट्टी का तेल उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री रमेश चैन्नितला	488
(सात) कर्नाटक में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री इकबाल अहमद सरडगी	489
(आठ) संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ के झुमरू गांव के बीच से गुजरने वाली चण्डीगढ़-लुधियाना रेल लाइन के प्रस्तावित परिक्रमीय संयोजन (सर्क्यूइटस अलाइनमेंट) की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता	
श्री पवन कुमार बंसल	490
(नौ) इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड के शीघ्र पुनरुज्जीवन की आवश्यकता	
श्री सुनील खां	490
(दस) विशाखापत्तनम शहर में 'नेचर पार्क' की स्थापना के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता	
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति	491
(ग्यारह) उत्तर प्रदेश में इटावा में बलराय रेलवे स्टेशन के रेलवे फाटक को स्थानान्तरित किए जाने की आवश्यकता	
श्री रघुराज सिंह शाक्य	491
(बारह) असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लाभ के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं और पेंशन सुधार लागू किए जाने की आवश्यकता	
श्री सी. कुप्पुसामी	492
(तेरह) बिहार के जहानाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कुछ स्थानों पर मिट्टी के तेल के डिपो खोले जाने की आवश्यकता	
श्री अरुण कुमार	492
(चौदह) तमिलनाडु में नामक्कल तथा अन्य निकटवर्ती जिलों के औद्योगिक क्षेत्रों में आधुनिक बहिःस्राव उपचार संयंत्र स्थापित करने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
डा. वी. सरोजा	493
(पन्द्रह) महाराष्ट्र के शोलापुर जिले में पंढरपुर में विट्ठल रुक्मणी मंदिर को केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित किए जाने की आवश्यकता	
श्री रामदास आठवले	493

विषय	कॉलम
नियम 193 के अधीन चर्चा	
आगरा में भारत और पाकिस्तान के बीच हाल में हुई शिखर वार्ता	495-596
श्री सोमनाथ चटर्जी	495
श्री चन्द्रशेखर	504
श्री के. येरननायडू	511
श्री पूर्णो ए. संगमा	513
श्री मणि शंकर अय्यर	519
श्री उमर अब्दुल्ला	532
कुमारी मायावती	542
श्री वैको	544
श्री पी.एच. पांडियन	552
श्री प्रकाशमणि त्रिपाठी	559
श्रीमती कान्ति सिंह	566
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	569
श्री जी.एम. बनातवाला	572
श्रीमती कृष्णा बोस	576
श्री प्रबोध पण्डा	580
श्री आदिशंकर	582
श्री रामदास आठवले	587
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	590

लोक सभा

बुधवार, 1 अगस्त, 2001/10 श्रावण, 1923 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए**]**

[हिन्दी]

...(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): अध्यक्ष महोदय, कल गृह मंत्री जी ने फूलन देवी जी की हत्या पर जो वक्तव्य सदन के पटल पर रखा, उससे सदन को गुमराह करने की कोशिश की है। *...(व्यवधान)* आपने व्यवस्था दी थी कि वह सदन में इससे संबंधित एक वक्तव्य दें लेकिन उन्होंने उसमें सच्चाई को छुपाने की कोशिश की है।*...(व्यवधान)* हमने इस सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है। *...(व्यवधान)* इसे मंजूर किया जाए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री माधवराव सिंधिया (गुना): अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मामले पर बोलना चाहता हूं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: क्वश्चन ऑवर के बाद इस मामले को उठाया जाए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: क्वश्चन ऑवर के बाद सब को सुना जाएगा। क्वश्चर ऑवर में ऐसा नहीं करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए।

*...(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: रघुवंश जी आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण कीजिए। जो मुद्दा आप उठाना चाहते हैं उसे शून्य काल में उठा सकते हैं।

[हिन्दी]

जीरो आवर में सबको मौका देंगे।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपसे अपील कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं। कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कुंवर अखिलेश सिंह जी, मैं बोल रहा हूं। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री राशिद अलवी, आप इसे शून्य काल में उठा सकते हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आप सभी वरिष्ठ सदस्य हैं।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप क्या कर रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए, जीरो ऑवर में सबको मौका मिलेगा। यह ठीक नहीं है। कुंवर अखिलेश सिंह जी, मैं बोल रहा हूं। यह क्या हो रहा है?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: टी वी कैमरा बंद कर दें।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कुंवर अखिलेश सिंह जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। श्री अलवी, आप भी अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.06 बजे

(इस समय श्री राशिद अलवी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: यह जीरो ऑवर नहीं है, क्वश्चन ऑवर है। प्लीज, आप अपनी सीट्स पर जायें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपको जीरो ऑवर में मौका मिलेगा। आप इसे शून्य काल में उठा सकते हैं, अब नहीं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री अलवी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आप इसे शून्य काल में उठा सकते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप अपनी सीट पर जायें, क्वश्चन ऑवर के बाद आपको जीरो ऑवर में मौका देंगे।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप अपने स्थान पर वापस जाइए। प्रश्न काल के तुरन्त पश्चात मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। आप इसे शून्य काल में उठा सकते हैं, अब नहीं। यह प्रश्न काल है?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मैंने एडजर्नमेंट मोशन को डिसअलाऊ किया है। आप जीरो ऑवर में उठा सकते हैं। हाउस को इस तरह रोकना ठीक नहीं है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप कृपया सदस्यों की व्यग्रता देखें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: सदस्यों की व्यग्रता देखिए। कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाइए। यह प्रश्न काल है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाइए। आपको जीरो ऑवर में मौका मिलेगा।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.09 बजे

(इस समय कुमारी मायावती आईं और सभा पटल के निकट खड़ी हो गईं।)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैडम, आपको जीरो ऑवर में मौका मिलेगा।

पूर्वाह्न 11.09 बजे

(इस समय कुमारी मायावती और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 141

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री माधवराव सिंधिया जी, आपको क्या कहना है?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: अखिलेश जी, आप क्या कर रहे हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने श्री माधवराव सिंधिया को पुकारा है।

अध्यक्ष महोदय: कुंवर अखिलेश सिंह, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको यहां सदस्यों की व्यग्रता का ध्यान रखना चाहिए।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, आपने फूलन देवी की हत्या पर संसदीय कार्य मंत्री, माननीय चंद्रशेखर जी और उसके बाद...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर): सर, पार्लियामैन्ट का काम बंद मत होने दीजिए।...*(व्यवधान)* आप इन्हें बाहर निकालिये। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको भी जीरो ऑवर में बोलने का मौका मिलेगा, आप अभी मत बोलिये।

कुंवर अखिलेश सिंह: सर, मेरा यह आरोप है कि सरकार विपक्षी दलों को उकसा कर फूलन देवी की हत्या के सवाल पर सदन में चर्चा नहीं होने देना चाहती...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: सर, आपके चैम्बर में जो बात हुई, आपने रूलिंग दे दी, फूलन देवी की हत्या पर संसदीय कार्य मंत्री ने भी स्वीकार किया कि माननीय गृह मंत्री जी वक्तव्य देंगे। दो घंटे में आप सवाल कीजिए, चर्चा कीजिए, आप इतना बता दीजिए कि उसका क्या हुआ, वह कब कर रहे हैं। आप बताइये, कब कर रहे हैं। आप यह व्यवस्था दें, उसी व्यवस्था की हमारी मांग है। आप सभी व्यवस्था दीजिए, संसदीय कार्य मंत्री व्यवस्था दें या प्रधान मंत्री जी व्यवस्था दें दे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने माननीय गृह मंत्री को भी बता दिया है। इसे प्रश्न काल के तुरन्त पश्चात किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री माधव राव सिंधिया, आपको क्या कहना है?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री माधवराव सिंधिया: अध्यक्ष महोदय, कल हमें जो जानकारी मिली...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: सर, हाउस किसी नियम, किसी प्रक्रिया के तहत चलता है, यह क्या हो रहा है, कोई भी खड़ा होकर बोल रहा है। ...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना: सर, ये हाउस में क्या हो रहा है, ये रोजाना इस तरह से कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री माधवराव सिंधिया: अध्यक्ष महोदय, कल हमें जो जानकारी ...*(व्यवधान)*

श्री विनय कटियार (फैजाबाद): हम इतना जानना चाहते हैं कि क्या बिना नोटिस दिये हाउस में किसी को बोलने का अधिकार है, यदि है तो सबको बोलने का मौका दीजिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इन्होंने नोटिस दिया है। मि. कटियार आपको भी बोलने का मौका मिलेगा, पहले आप बैठिये, प्रभुनाथ सिंह जी आप भी बैठिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप बैठेंगे तो हम करेंगे।

श्री माधवराव सिंधिया: सर, मैंने यह बात क्वश्चन ऑवर में इसलिए उठाई है, क्योंकि यह बात बहुत बुनियादी है। कल हमें जो जानकारी मिली थी।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दास मुंशी (रायगंज): महोदय, क्या सत्ता पक्ष के सदस्यों का विपक्ष के साथ व्यवहार करने का यही तरीका है?*...(व्यवधान)* यह क्या है*...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर): सर, हम आपकी अनुमति के बिना नहीं बोल रहे हैं। फिर भी ये बोलने नहीं दे रहे हैं*...(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया: सर, हमने आपकी अनुमति ली है, आपकी अनुमति के बिना हम नहीं बोल रहे हैं।

श्री विनय कटियार: ये किसी नियम को नहीं मानते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, आपने 15 मिनट पहले ही बर्बाद कर दिए हैं।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.14 **बजे**

प्रधानमंत्री द्वारा त्यागपत्र देने की कथित पेशकश के बारे में

[हिन्दी]

श्री माधवराव सिंधिया (गुना): अध्यक्ष जी, मैं जीरो ऑवर में यह बात उठाता, क्योंकि यह इतनी बुनियादी बात है, इसीलिए मैंने आपसे यह स्पष्टीकरण मांगा है, पार्लियामैन्ट आरम्भ होने पर ही यह स्पष्टीकरण होना अनिवार्य है। कल हमें जो जानकारी मिली है, उससे पूरी सरकार के अस्तित्व पर शंका के बादल मंडरा रहे हैं। *...(व्यवधान)* हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया, यह जानकारी हमें प्रैस से मिली कि अब हम व्यवस्थित या सुचारू रूप से यह सरकार चलाने में अक्षम हैं। *...(व्यवधान)* यह क्लेरिफिकेशन है।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने श्री सिंधिया को अनुमति दी है।

[हिन्दी]

श्री माधवराव सिंधिया: यह घोषणा सदन के बाहर हुई और जो रिपोर्ट्स आई हैं, फिर चार मंत्रियों ने जाकर पूरी तरह से प्रयास किया कि प्रधान मंत्री इस बात पर अटल न रहें। उसके बाद हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर प्रैस में जाकर स्पष्टीकरण देते हैं। मैं माननीय प्रधान मंत्री को आपके माध्यम से सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि आप हमारे सदन के नेता हैं, हमें विश्वास में लें। अगर ऐसी कुछ घोषणा करनी हो तो पहले सदन में हो क्योंकि यह पूरी सरकार के अस्तित्व की ओर संकेत करता है। इसलिए हम माननीय प्रधान मंत्री से आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहते हैं कि आप घोषणा यहां किया करें। अगर कोई स्पष्टीकरण करना हो तो वह स्पष्टीकरण भी सदन में हो और जो आपके कहने पर दिखाई दिया, जब आप आए तो ऐसा लगा कि रातों-रात फिर से वह सक्षमता लौट गई है, इस पर हम स्पष्टीकरण चाहते हैं कि उस त्यागपत्र की घोषणा पर क्या हुआ? आप उस पर अटल हैं या उसको वापस लिया गया है और यह सरकार सुचारू रूप से चल रही है या नहीं? जो आपने कल वक्तव्य दिया, इस पर स्पष्टीकरण दें।*...(व्यवधान)*

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर): इनको कोई अधिकार नहीं है ऐसा बोलने का। वे पार्टी की मीटिंग में बोल रहे थे।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): महोदय, मैं सिर्फ एक मिनट लूंगा।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: क्या वही विषय है?

श्री सोमनाथ चटर्जी: हां, महोदय ...*(व्यवधान)* ऐसा लगता है कि सत्ताधारी दल सभा का सुचारू संचालन नहीं चाहता....*(व्यवधान)*

महोदय, आज भी पहली सीट पर प्रधान मंत्री को बैठे देखकर अच्छा लगता है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम कुछ बातें सभा के बाहर सुन रहे हैं। सभा के भीतर अपना वक्तव्य देने के बजाय संसद भवन की सीढ़ियों पर संसदीय कार्य मंत्री द्वारा वक्तव्य दिए जाने की उनकी प्रवृत्ति से हम अवगत हैं। हमें यह जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री को अपने त्यागपत्र का प्रस्ताव वापस लेने के लिए मानाया गया। ऐसे मौके पर प्रधान मंत्री को सभा और देश को विश्वास में लेने की आवश्यकता है कि उनके निकट विदेश मंत्री की उपस्थिति के बावजूद ऐसा निर्णय लेने पर उन्हें क्यों बाध्य होना पड़ा।

निश्चय ही, मैं उनके गुस्से को समझ सकता हूं, कोई भी देख सकता है कि उनकी उपस्थिति में क्या हो रहा है और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के माननीय सदस्य किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। कोई इतना भी नहीं जानता है कि किस समय राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का सदस्य कौन है क्योंकि सदस्यों का आना-जाना लगा हुआ है और अचानक लोग मंत्री बन रहे हैं। प्रधान मंत्री जिस तरह की बहुरंगी मंडली का नेतृत्व कर रहे हैं, उसे हम समझ सकते हैं। सभी श्री अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तिगत रूप में आदर करते हैं। मुझे दुख है कि उन्हें इस तरह की मंडली का नेतृत्व करना पड़ रहा है। लेकिन, जब उन्होंने इसकी घोषणा केवल अपने दल के सदस्यों के बीच ही की है—यहां तक कि श्री येरननायडू को भी विश्वास में नहीं लिया गया...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): अध्यक्ष महोदय, यदि आप इस पर चर्चा कराना चाहते हैं, तो मैं भी इसमें भाग लूंगा...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: मैं माननीय प्रधानमंत्री से इस विषय पर पूरे सदन को विश्वास में लेने का ईमानदारीपूर्वक निवेदन करूंगा...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन (तिरुनेलवेली): प्रधानमंत्री को ऐसा निर्णय क्यों लेना पड़ा?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री पी.एच. पांडियन, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, इस देश में कई मुख्य मंत्री और प्रधान मंत्री हुए हैं, लेकिन प्रधान मंत्री अपने साथियों से नाराज होकर, अपमानित होकर, इस्तीफा दें, यह अच्छी बात नहीं है। उनकी पार्टी का कोई व्यक्ति कहता है कि बूढ़े हो गए, कोई कुछ कहता है और कोई कुछ, लेकिन वे सदन के नेता हैं, उनको कोई अपमानित नहीं कर सकता है, हम भी अपमानित नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज सारा विश्व उनकी ओर देख रहा है, विदेश मंत्री जी भी बैठे हैं, उन्हें मालूम होगा कि आज विदेश नीति बदल रही है। प्रधान मंत्री जी पाकिस्तान जा रहे हैं, पाकिस्तान में क्या होगा...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री मुलायम सिंह यादव, कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मुलायम सिंह जी, आज का एजेंडा क्या है और आप क्या बात कह रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रधान मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आपने अपना इस्तीफा दिया है, यह आपकी तरफ से स्पष्ट होना चाहिए? एक पर्ची विदेश मंत्री ने भी दी है, उससे आप बहुत भावुक हो गए हैं। उसके बाद पता नहीं है कि आपने इस्तीफा वापस ले लिया है या नहीं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुलायम सिंह जी, वह पार्टी का मैटर है। उसको यहां पर डिसकस नहीं करना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, आज पूरे देश में हलचल मची हुई है कि प्रधान मंत्री जी हट रहे हैं, क्या कोई और प्रधान मंत्री बन रहा है या आप देश में चुनाव की घोषणा कर रहे हैं?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री पी.एच. पांडियन, मैंने आपको बोलने के लिए नहीं कहा है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैंने कुमारी मायावती को बोलने के लिए कहा है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुमारी मायावती: माननीय सभापति जी, उत्तर प्रदेश में...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, इसमें असली बात छूट गई। यू.टी.आई. का बड़ा घोटाला हुआ, उसके बारे में कुछ नहीं हो रहा है। यहां प्रधान मंत्री जी बैठे हैं, वित्त मंत्री जी बैठे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: रघुवंश प्रसाद सिंह जी, आप बैठिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

कुमारी मायावती: अध्यक्ष महोदय, आए दिन उत्तर प्रदेश में दलितों की हत्याएं हो रही हैं।...*(व्यवधान)* यह बहुत गंभीर मामला है। बहुजन समाजवादी पार्टी को अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया जाता है।...*(व्यवधान)* जहां तक प्रधान मंत्री जी के इस्तीफे का सवाल है, वे यहां मौजूद हैं, वे स्थिति स्पष्ट करें कि उन्होंने यह घोषणा किन हालात में की है ताकि पूरा सदन जान सके। ...*(व्यवधान)* आप क्यों चिल्ला रहे हैं। रोजाना शेड्यूल्ड कास्ट्स और पिछड़े वर्ग के लोग मारे जा रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं अब किसी को बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

अब माननीय प्रधान मंत्री बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): अध्यक्ष महोदय...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री पी.एच. पांडियन, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री पी.एच. पांडियन, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि कल मैंने पार्टी की संसदीय दल की बैठक में त्यागपत्र देने की इच्छा प्रकट की थी लेकिन पार्टी ने उसे स्वीकार नहीं किया। आज सुबह एन.डी.ए. की भी बैठक हुई थी। एन.डी.ए. नें भी मुझसे कहा है कि मैं काम करता रहूं। उनका पूरा विश्वास मुझे प्राप्त है। मुझे खेद है कि मेरी वजह से आपको असुविधा हुई, सदन को असुविधा हुई। लेकिन सदन की उपेक्षा करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। लेकिन सदन भी इस बात को स्वीकार करेगा कि इच्छा का प्रकटीकरण मात्र ऐसा विषय नहीं है जिसे सदन के सामने तत्काल प्रस्तुत किया जाए। बरसात का मौसम है, बादल तो घिरेंगे। लेकिन बादल छटेंगे भी, यह भी पक्का है। ...*(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: यू.टी.आई. घोटाले का क्या हुआ?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 141, श्री के.ई. कृष्णमूर्ति-अनुपस्थित। प्रश्न संख्या 142, श्री के. येरननायडू।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पूर्वाह्न 11.26 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

जापानी मस्तिष्क-ज्वर

***142. श्री के. येरननायडु:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितने राज्यों में जापानी मस्तिष्क-ज्वर फैला हुआ है;

(ख) क्या राज्य सरकारों, विशेषकर आन्ध्र प्रदेश से इस रोग की रोकथाम करने के लिए टीकों की आपूर्ति करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो टीकों के लिए प्राप्त मांग का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) से (घ) एक विवरण लोक सभा के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

जापानी ऐन्सेफेलाइटिस की सूचना देने वाले 14 राज्यों की एक सूची अनुबंध-I में दी गई है।

1996-97 से जापानी ऐन्सेफेलाइटिस वैक्सीन की राज्यवार मांग और केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली द्वारा इसकी की गई आपूर्ति को दर्शाने वाला एक विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

देश में जापानी ऐन्सेफेलाइटिस वैक्सीन को केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली द्वारा निर्मित किया जाता है और राज्यों की मांगें प्राप्त होने पर राज्य सरकारों को इसकी आपूर्ति की जाती है। 2000-01 के दौरान आन्ध्र प्रदेश सरकार ने पहले के वर्षों की 14000 खुराकों से 1.50 लाख खुराकों की सामान्य मांग के मुकाबले राज्य को प्रारंभिक तौर पर आपूर्ति के लिए 2 लाख खुराकों तथा फरवरी, 2001 में 10 लाख खुराकों (कुल 12 लाख खुराकें) की मांग भेजी। इस मांग में से केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली इस राज्य को 1,27,000 खुराकों की आपूर्ति कर सका। चालू वर्ष के दौरान आगे और 40,000 खुराकों की आपूर्ति की गई। चूंकि इस वैक्सीन के उत्पादन की प्रक्रिया में समय लगता है और इस संस्थान के पास निर्माण की एक सीमित क्षमता है, इसलिए राज्य सरकार को विश्व स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से अधिकृत निर्माताओं से वैक्सीन की शेष मात्रा खरीदने का परामर्श दिया गया। आन्ध्र प्रदेश सरकार यूनिसेफ के माध्यम से यह वैक्सीन खरीद रही है और केन्द्र सरकार ने संबंधित प्राधिकारियों को यूनिसेफ के माध्यम से आयातित जापानी एन्सेफेलाइटिस वैक्सीन के केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली द्वारा शीघ्र परीक्षण करने और इसके लिए अनुमति (क्लीएरेंस) देने के लिए आवश्यक अनुदेश जारी कर दिए हैं।

अनुबंध-I

जापानी ऐन्सेफेलाइटिस की सूचना देने वाले राज्यों/ संघ क्षेत्रों के नाम दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम
1.	असम
2.	आन्ध्र प्रदेश
3.	गोवा
4.	हरियाणा
5.	कर्नाटक
6.	केरल
7.	मणिपुर
8.	तमिलनाडु
9.	उत्तर प्रदेश
10.	पश्चिम बंगाल
11.	महाराष्ट्र
12.	गुजरात
13.	पंजाब
14.	बिहार

अनुबंध-II

पिछले 5 वर्षों के दौरान जापानी ऐन्सेफेलाइटिस वैक्सीन की राज्य-वार मांग/आपूर्ति (खुराकों में) को दर्शाने वाला विवरण (29.7.2001 तक)

राज्य	1996-97		1997-98		1998-99		1999-2000		2000-2001		2001-2002	
	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति
उत्तर प्रदेश	5000	5000	600	600	100	100	-	-	-	-	-	-
गोवा	7500	7500	52500	2500	-	-	-	-	-	-	10000	-
महाराष्ट्र	1100	1100	200	-	325	325	4000	2500	-	-	-	-
असम	1000	1000	75000	10000	-	-	-	-	-	-	-	-
आन्ध्र प्रदेश	-	-	15375	8625	14000	14000	155535	94335	200000 + 1000000 फरवरी 2001 में	127000	-	40000
तमिलनाडु	150725	15075	30000	30000	25	25	50010	50010	**	65000	**	25000
दिल्ली	30	30	-	-	500	500	100	100	100	100	-	-
कर्नाटक	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-
पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-
विविध	15	15	-	-	-	-	-	-	177010	65010	-	-
योग	29820	29820	173675	51725	15100	15100	209645	146945	1377110	257110	10000	65000

**जब भी भंडार उपलब्ध हो। जापानी ऐन्सेफेलाइटिस वैक्सीन की समतुल्य आपूर्ति के लिए तमिलनाडु सरकार से प्राप्त किए गए अग्रिम 67 लाख रुपए।

श्री के. येरननायडू: अध्यक्ष महोदय, गत वर्ष जापानी मस्तिष्क ज्वर से आन्ध्र प्रदेश के ग्यारह जिले प्रभावित हुए थे; इस रोग से सौ बच्चे प्रभावित हुए और उनमें से 19 मर गए। यह बीमारी सामान्यतया नवम्बर-दिसम्बर में फैलती है। इसे रोकने हेतु जो टीका है उसका बहुत सीमित मात्रा में उत्पादन होता है।

आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से शुरू में इस टीके की दो लाख खुराकों की मांग की और बाद में इस वर्ष फरवरी के महीने में दस लाख और खुराकों की मांग की। लेकिन इस टीके की कमी के कारण भारत सरकार ने पर्याप्त मात्रा में इस टीके की आपूर्ति नहीं की है। क्या यह सच है? यदि यह सच है तो भारत सरकार राज्य की मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठा रही है? भारत सरकार इस टीके की आपूर्ति किस तरह कर रही है?

डा. सी.पी. ठाकुर: वास्तव में जापानी मस्तिष्क ज्वर-14 राज्यों में फैला है और आंध्र प्रदेश उनमें से एक है। गत वर्ष भी इस टीके की आपूर्ति की गई थी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से इसकी दो लाख खुराकों की और बाद में दस लाख और खुराकों की, कुल मिलाकर 12 लाख खुराकों की मांग की गई थी। हम कसौली में इस टीके का उत्पादन करते हैं। कसौली संस्थान की क्षमता सीमित है।

हमने यह किया है कि हमने राज्य सरकारों को विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से इस टीके के आयात की अनुमति दे दी है। लेकिन प्रश्न यह है कि जो टीका हम भारत में प्रयोग में ला रहे हैं वह 'माउस ब्रेन वैक्सीन' है। जैव संसाधित टीकों को इस देश में अभी तक प्रयोग नहीं किया गया है। यूनिसेफ ने आश्वासन दिया है कि वे आंध्र प्रदेश को 10 लाख टीकों की आपूर्ति करेंगे। इसी बीच, हम कून्नूर पास्चर इंस्टीट्यूट से भी इस टीके का उत्पादन बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। इस प्रकार, हम इसकी मांग को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। बशर्ते यह टीका जैव संसाधिक टीका न हो। यदि जैव संसाधित टीका हो तो फिर कठिनाइयां होंगी। यदि यह 'माउस ब्रेन वैक्सीन' हो तो हम इसके

आयात की अनुमति देंगे। हम इस टीके पर से सीमा शुल्क और अन्य चीजों को भी हटा सकते हैं।

श्री के. येरननायडु: क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने इस रोग के सम्बंध में कोई अनुसंधान कराया है? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? दूसरे यदि सरकार आयात को अनुमति देती है तो यह टीका जापान और चीन में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। सरकार इस सम्बंध में क्या कर रही है? यदि इसकी कमी है तो भारत सरकार को इस टीके का आयात करना चाहिए और मांग पर राज्यों को इसकी आपूर्ति करनी चाहिए।

डा. सी.पी. ठाकुर: सौभाग्य से इस वर्ष इस रोग की घटनाओं में यहां तक कि आंध्र प्रदेश में भी कमी आई है। सरकार जापानी मस्तिष्क ज्वर के सम्बंध में अनुसंधान कर रही है। यह एक विषाणु जनित रोग है। ज्यादातर यह रोग उन राज्यों में फैलता है जहां चावल की खेती की जाती है। इसकी एक साइकिल भी है। बगुला, वक आर्डोइस जैसे खास किस्मों के पक्षियों और क्यूलेक्स की तरह के मच्छरों से यह रोग फैलता है।

पशुओं से भी यह रोग फैलता है, इस रोग की रोकथाम के लिए विभिन्न पहलुओं पर विचार करने की आवश्यकता है। इसके कुछ पहलू हैं, सूअर पालन केन्द्रों की साफ-सफाई; महामारी के दौरान प्रभावित क्षेत्रों में कीटनाशकों का छिड़काव आदि। यह टीका जब महामारी न फैल रही हो, ऐसे समय में दिया जाना चाहिए। पहले, हमारा संस्थान इस टीके को 10 से 14 लाख खुराकें तैयार कर रहा था। चूंकि मांग नहीं थी इसलिए संस्थान ने उत्पादन स्तर को घटा दिया था। इस वर्ष आन्ध्र प्रदेश से इस टीके की अत्यधिक मांग की गई है। जैसाकि मैंने पहले भी आवश्वासन दिया है, यदि माउस ब्रेन टीके का विश्व में कहीं से भी आयात किया जाता है तो हम सारी सहायता दे रहे हैं लेकिन यदि यह जैव संसाधित है तो इस पर फिर से प्रयोग करना चाहिए और फिर इसका देश में आयात किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश, खासकर गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी में मस्तिष्क ज्वर के सर्वाधिक रोगी आते हैं। वर्ष 1999 में वहां इस रोग से 275 मौतें हुई थीं और वर्ष 2000 में लगभग 250 से अधिक मौतें इस रोग से हुई थीं। आज से लगभग 10 वर्ष पहले भारत सरकार की मदद से गोरखपुर में गोरखपुर मेडीकल कालेज की मदद से एक संस्थान मस्तिष्क ज्वर पर कार्य करने के लिए खोला गया था, लेकिन तीन वर्ष पहले भारत सरकार ने उसे पुणे के लिए स्थानान्तरित कर दिया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जो कि पिछले 25 वर्षों से मस्तिष्क ज्वर से सर्वाधिक प्रभावित है और इस समय भी गोरखपुर मेडीकल कालेज और डिस्ट्रिक्ट हास्पीटल में सर्वाधिक मरीज मस्तिष्क ज्वर से पड़े हुए हैं, इसकी प्रभावी रोकथाम के लिए भारत सरकार क्या कदम उठाने जा रही है? दूसरे, जिस संस्थान को गोरखपुर से पुणे स्थानान्तरित कर दिया गया है, क्या वहां से उसे भारत सरकार पुनः गोरखपुर लाने पर विचार करेगी?

डा. सी.पी. ठाकुर: अध्यक्ष महोदय, गोरखपुर एरिया में जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, वहां इन्सिफ्लाइटिस होता है, पिछले कई सालों से हो रहा है। पिछले साल भी इसके मरीजों की संख्या 1170 थी। जहां तक वैक्सीन देने का सवाल है, स्टेट जब डिमांड करता है, तभी सैण्ट्रल गवर्नमेंट उसको वैक्सीन की सप्लाई करती है। अभी उत्तर प्रदेश से डिमांड नहीं आई है। जहां तक रिसर्च इंस्टीट्यूट का सवाल है, पुणे में बैटर इंस्टीट्यूट है, इसलिए कोआर्डीनेशन के लिए उसको वहां भेजा गया है। कोई खास कारण या उत्तर प्रदेश के प्रति रवैया खराब होने के कारण उसे नहीं हटाया गया है।

[अनुवाद]

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: मस्तिष्क ज्वर के साथ-साथ देश के कई भाग, विशेषकर केरल राज्य लेक्टो स्पाइरोसिस और डेंगू बुखार से ग्रस्त हैं जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा, प्रायः किसान और खेतिहर मजदूर इस रोग का शिकार होते हैं। मानसून के आरंभ होने पर ऐसा देखने में आता है। गत माह हमने राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान से संपर्क किया था क्योंकि लेप्टो स्पाइरोसिस के कारण कई लोग मर गये थे लेकिन संस्थान के पास द्रुत निदान किट उपलब्ध नहीं थी। हमारे स्वास्थ्य विभाग ने इस द्रुत निदान किट को विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों में बांटने का अनुरोध किया था लेकिन संस्थान के पास ये थीं नहीं। हमें जिस चीज की जरूरत है वह है इसके प्रति जागरूकता अभियान क्योंकि आम आदमी इस रोग की भयावता से परिचित नहीं है। यह हल्के बुखार से शुरू होता है और तत्पश्चात् मस्तिष्क, हृदय और गुर्दा जैसे अति महत्वपूर्ण अंगों को प्रभावित करता है। आज समय की मांग एक जागरूकता अभियान की है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुख्य प्रश्न से इसका क्या संबंध है?

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: यह भी उसी प्रकार का रोग है। स्वास्थ्य मंत्री जी इसके बारे में अवश्य जानते होंगे।

अध्यक्ष महोदय: आपको इसके लिए अलग से सूचना देनी होगी।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: यह एक बहुत गंभीर मामला है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या मंत्रालय जागरूकता अभियान को शुरू करेगा और क्या कम-से-कम ऐसे क्षणों में द्रुत निदान किट की आपूर्ति के लिए भी उपाय करेगा जहां यह रोग ज्यादा फैलता है।

डा. सी.पी. ठाकुर: महोदय, इसका संबंध मुख्य प्रश्न से नहीं है। लेकिन हमें केरल, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ भागों में लेप्टो स्पाइरोसिस की घटना की जानकारी है और हम वहां की स्थिति से भली-भांति परिचित हैं। हम स्वास्थ्य केन्द्रों को निदान किट भेजने का प्रयास करेंगे। हम केरल में सुविधाओं का उन्नयन करने का प्रयास करेंगे।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी: अध्यक्ष महोदय यह भली-भांति जानते हैं कि गत वर्ष अक्टूबर में यही प्रश्न पूछा गया था और सौभाग्य से इन्हीं मंत्री जी ने उसका उत्तर दिया था।

उस समय, आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री चीन में थे। उन्होंने इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहा था कि इस रोग का टीका चीन में उपलब्ध है। राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से इस टीके का आयात करने की अनुमति मांगी थी। माननीय मंत्री जी ने यह जवाब दिया था कि वे उसकी जांच कर रहे हैं और यह कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे उस समय तक मंजूरी नहीं दी थी। क्या अब भी वैसी ही स्थिति है? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या चीन से इस टीके का आयात किया जा सकता है और क्या राज्य सरकार को इसकी सूचना दे दी गयी है अथवा नहीं।

डा. सी.पी. ठाकुर: वास्तव में, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस जैव संसाधित टीके के उपयोग को अभी भी मंजूरी नहीं दी है। वे 'माउस ब्रेन' टीके का समर्थन करते हैं। अत: विश्व में कहीं भी यदि 'माउस ब्रेन' टीका उपलब्ध होगा तो हम उसका आयात कर लेंगे और राज्य सरकार को उसकी आपूर्ति करेंगे। लेकिन जैव संसाधित टीके के मामले में समस्या उपस्थित होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कल आप यह प्रश्न उठायेंगे कि भारत विदेश में विकसित किसी भी चीज के प्रथम परीक्षण और खपत का स्थान बनता जा रहा है। यही तो समस्या है।

आयुर्वेद में रक्त कैंसर का उपचार

*143. +श्री हरीभाऊ शंकर महाले:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्त कैंसर की एक घातक किस्म 'एक्यूट प्रोमिलोसाइटिक ल्युकेमिया' (ए.पी.एल.) का एक स्वदेशी, प्रभावी और सस्ता उपचार आयुर्वेद में पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस अध्ययन के नैदानिक परिणामों को स्वीकार कर लिया है;

(घ) क्या इस औषधि के विकास हेतु किसी समिति का गठन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समिति के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) से (ङ) एक विवरण लोक सभा के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (ङ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन आयुर्वेद और सिद्ध में अनुसंधान करने में संलग्न स्वायत्त निकाय केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद ने "तीव्र प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकीमिया पर धातु आधारित आयुर्वेदिक फार्मूलेशनों के प्रभाव" का मूल्यांकन करने के लिए अक्टूबर, 1997 में मैसर्स चन्द्र प्रकाश कैंसर रिसर्च फाउंडेशन, देहरादून को एक सहायता अनुदान अनुसंधान परियोजना स्वीकृत की थी। तीव्र प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकीमिया के 15 रोगियों पर किए गए क्लीनिकल अध्यन से 4 रोगी मर गए। यह सूचित किया गया है कि 11 रोगियों, जिन्होंने 90 दिनों का उपचार पूरा कर लिया था, में से सभी को बोन मैरो की दृष्टि से किए गए मूल्यांकन के आधार पर ल्यूकीमिया मुक्त पाया गया और 11 रोगियों में से 10 रोगी आज तक जीवित हैं। तथापि, अभी तक प्रमुख अन्वेषक से पूरी परियोजना रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है और इस औषध पर अभी भी क्लीनिकल परीक्षण चल रहा है।

तीव्र प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकीमिया के रोगियों के उपचार में प्रयोग होने वाली इस औषध के विकास का निरीक्षण करने के लिए आयुर्वेदिक और आधुनिक भेषजगुण विज्ञानियों (फार्माकोलोजिस्टों) को शामिल करते हुए मई, 2001 में एक औषध विकास समिति का गठन किया गया। समिति ने पाया है कि इस औषध, जिसमें विभिन्न धातुओं और खनिजों के अवयवों का प्रयोग होता है, के मानकीकरण के उद्देश्य से विभिन्न अपेक्षाओं को अभी पूरा किया जाना बाकी है।

[हिन्दी]

श्री हरीभाऊ शंकर महाले: अध्यक्ष महोदय, प्रकाश कैंसर रिसर्च फाउंडेशन, देहरादून को अनुसंधान परियोजना के लिए अनुदान सहायता पांच वर्ष पहले स्वीकृत की गई थी। मैं मंत्री जी से

जानना चाहता हूं कि इसमें इतनी देर क्यों हुई और कब तक रिपोर्ट आ जाएगी?

डा. सी.पी. ठाकुर: माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, वह यह है कि एंटी कैंसर ड्रग देहरादून की एक संस्था इस्तेमाल कर रही है, उसको विभाग ने कुछ पैसा अनुदान के रूप में दिया है। विभाग चाहता है कि उसका विकास हो, लेकिन संस्थान वाले पूर्ण रूप से उसकी जानकारी नहीं देना चाहते। हमने अनुदान भी दिया है और भी अनुदान देने के लिए सरकार तैयार है। जो रिसर्च का प्रोसेस है, उसके तहत सरकार अनुदान देना चाहती है। हम उसके सम्पर्क में हैं और मदद करने के लिए तैयार हैं।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले: सन् 2000 में एक विकास समिति गठित की गई थी, जबकि यह मामला 1997 से चल रहा है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि कमेटी गठित करने के लिए देरी क्यों हुई और प्रमुख अणवेषक कौन है तथा कमेटी में कितने सदस्य हैं और उनके नाम क्या हैं? कमेटी ने कहा है कि जो दवा मालूम की गई है, उसके उपयोग से पहले बहुत कुछ करना है। इस सिलसिले में कार्यवाही हो रही है और दवा कब तक तैयार हो जाएगी? इसी के साथ मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि स्व-मूत्र के बारे में स्वर्गीय मोरारजी देसाई ने जो कुछ लिखा है, उसके बारे में सरकार क्या सोचती है?

डा. सी.पी. ठाकुर: जो समिति बनाई है, उसने अनुशंसा की है कि इस दवा में दम है। हमने यहां तक कहा है कि इसको पेटेंट कराना है तो आपका हक रहेगा और हम लोग आपकी मदद करेंगे। लेकिन एक विधि है मेडिकल रिसर्च करने की, चाहे आयुर्वेद में हो या अन्य में हो, उसके अनुसार उसमें पूर्ण रूप से बताना भी नहीं चाहते और हम भी नहीं चाहते कि पेटेंट हम कराएं, वह कराएं। लेकिन वे प्रोसेस दे दें, एम्स में होने वाला था, लेकिन उनके डाक्टर ने कहा कि हमें मालूम नहीं है कि इसमें क्या दवाएं हैं, उसके कम्प्लीकेशंस होंगे तो कैसे डील करेंगे। ये सारी बातें जब आ जाएंगी, तब कुछ पता लगेगा। हम उनके सम्पर्क में हैं और हम उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। कमेटी में ये सदस्य हैं – डा. नित्यानंद, एक्स-डायरेक्टर, सी.डी.आर.आई. लखनऊ, ये अपनी फील्ड में काफी नामी आदमी रहे हैं, डा. एस.ए. धनुकर, प्रो. एंड हैड एस.एस.एम. कालेज, मुम्बई, प्रो. रणजीत राय चौधरी, एमीरीट्स साइंटिस्ट, एन.आई.ई. नई दिल्ली, ये भी काफी नामी आदमी रहे हैं, प्रो.वी. राजामणि, स्कूल आफ एनवायरमेंटल साइंसेज, जे.एन. यू. नई दिल्ली, डा. आई. संजीवा राय, एम.डी. वरूण हर्बल प्रा.लि., हैदराबाद, डा. (मिस) ए. सरस्वती, ए.डी. इंचार्ज, सी.एस.एम.डी.आर.आई.ए. अरूमबक्कम, चेन्नई और डा. जी. वेलूचैमी, डायरेक्टर, सी.सी.आर.ए.एस., नई दिल्ली। दोनों क्षेत्रों के डाक्टरों को उसमें रखा गया है। अगर माननीय सदस्य उनसे परिचित हों, तो उनको एडवाइज करें। फार्मूले का एक साइंटिफिक तरीका होता है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुरन्त इस दिशा में कुछ काम हो।

[अनुवाद]

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: अध्यक्ष महोदय, यह पाया गया है कि यह रक्त कैंसर के लिए एक चमत्कारी औषधि है जो प्रतियोगितात्मक रूप से सस्ती लागत पर उपलब्ध है और यह दावा किया गया है कि एक रोगी का उपचार करने के लिए इसकी लागत 30 हजार या 32000 रुपए से अधिक नहीं होगी। यह अनुसंधान वर्ष 1982 से ही चल रहा है। आपके उत्तर के अनुसार भी यह पाया गया है कि वर्ष 1997 से यह बहुत लाभदायक रही है और उपचार किए गए लगभग 80 प्रतिशत रोगी ठीक हो गए हैं? यदि ऐसी स्थिति है तो सरकार प्रक्रिया को तेज करने के लिए सक्रिय कदम क्यों नहीं उठा रही है और साथ ही उन्हें पेटेन्ट अधिकारों की गारंटी क्यों नहीं दे रही है? आप उन्हें पेटेन्ट अधिकार दे सकते हैं और सरकार क्रियाविधि तेज करने के लिए उनकी सहायता कर सकती है ताकि यह व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य हो सके और उपचार कराने के लिए गरीब रोगियों को सारे देश में उपलब्ध हो। मैं सकारात्मक उत्तर चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी क्रियाविधि को तेज करने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाएं और उन्हें उनके पेटेन्ट अधिकारों के लिए आवश्यक सुरक्षा दें।

डा. सी.पी. ठाकुर: हमने उन्हें विश्वास दिलाया है कि हम पूरी सुरक्षा और पूरी धनराशि देंगे। लेकिन उन्हें कुछ खुलेपन के साथ आगे आना चाहिए। वह आगे आना नहीं चाहते हैं।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: आप उन्हें इसके लिए सहमत कर सकते हैं। और अपेक्षित पेटेन्ट अधिकारों के बारे में बता सकते हैं।

डा. सी.पी. ठाकुर: मैंने आश्वासन दिया है कि पेटेन्ट अधिकार हमारे न होकर उनके होंगे। लेकिन चिकित्सा संकाय प्रक्रिया और सुनिश्चित वैज्ञानिक दिशानिर्देश आदि जानना चाहती है। उन्हें उनका अनुसरण करना चाहिए। उस मामले में हम उनकी सहायता करने के लिए तैयार हैं।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वह इस संबंध में विशेष रुचि लें।

डा. सी.पी. ठाकुर: जी हां, मैं विशेष रुचि लूंगा।

अध्यक्ष महोदय: वह पहले से ही रुचि ले रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर: अध्यक्ष महोदय, उन वैद्य महोदय को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। उन्होंने कम से कम 15-20 वर्ष इस पर शोध कार्य किया है। कठिनाई वहीं है, जैसा कि मंत्री महोदय कह रहे हैं। आयुर्वेद की रिसर्च को हमारे वैज्ञानिक रिसर्च नहीं मानते हैं। जब तक इस बाधा को दूर नहीं करेंगे, आप चाहे कितने ही प्रख्यात लोगों की कमेटी बना दें, दोनों की सहमति नहीं हो सकती है। वैद्य महोदय के सामने कठिनाई यह है कि जो बातें वे बतायेंगे, अगर दुनिया को मालूम हो जाएंगी, तो दुनिया के लोग उसको लेकर आगे बढ़ जायेंगे और उनको सुविधायें नहीं मिलेगी। शायद मंत्री महोदय को मालूम हो, हमारे राष्ट्रपति महोदय ने उनके लिए केरल में कुछ सुविधायें प्रदान की हैं, लेकिन दुःख इस बात का है कि राष्ट्रपति महोदय के कहने के बावजूद भी भारत सरकार कुछ वैज्ञानिकों की राय से संचालित हो रही है और उनको सुविधायें नहीं दी जाती हैं, जिनकी कि उनको जरूरत है। वैज्ञानिकों की हम बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा में भी हजारों वर्षों का अनुभव है। उसको देखते हुए, विशेष रूप से सुविधायें देने की जरूरत पड़े तो नियमों में परिवर्तन करना चाहिए।

डा. सी.पी. ठाकुर: अध्यक्ष महोदय, आदरणीय पूर्व प्रधान मंत्री जी ने जो बातें कही हैं, यह सही है कि आयर्वेद के लोग अपनी बात बताना नहीं चाहते हैं और आयुर्वेद के ह्रास यानि डिटिरियोरेशन का एक मुख्य कारण यह भी है। हम लोग उनको कह रहे हैं कि पेटेंट आपको ही देंगे, लेकिन आप दवाई कैसे बनाते हैं, उसकी एक प्रक्रिया लिख कर दे दीजिए। इस काम के लिए चार सैन्टर्स हैं - आल इंडिया मैडिकल इन्स्टीचूट, टाटा कैन्सर रिसर्च इन्स्टीचूट, गंगा राम हास्पिटल और कैन्सर रिसर्च इन्स्टीचूट, केरल। हम लोगों की तरफ से कोई कोताही नहीं है, लेकिन वे डरते हैं कि अगर यह किसी दूसरे को मालूम हो गया, तो नोबल प्राइस मिल जाएगा। नोबल प्राइस आपको ही मिलेगा, डिपार्टमेंट को नहीं मिलेगा। डिपार्टमेंट की तरफ से कोई कोताही नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य का प्रश्न यह है कि क्या सरकार दिशानिर्देशों में परिवर्तन करने जा रही है अथवा नहीं।

डा. सी.पी. ठाकुर: जहां तक दिशा-निर्देशों का संबंध है, यह समूचे विश्व में किसी अनुसंधान के लिए एक जैसे हैं। भारतीय सरकार ने भी अनुसंधान हेतु उन्हीं दिशानिर्देशों को अपना लिया है। मैं समझता हूं कि उन दिशानिर्देशों को मानने में कोई हानि नहीं है। इसमें कोई बाधा नहीं है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर: अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी को मालूम है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ने 13 मरीजों की उनके नेतृत्व में दवा दी और उससे उन सब को लाभ हुआ। उसकी रिपोर्ट भी है। उस समय के स्वास्थ्य मंत्री जी ने उनकी इस बात की सिफारिश की, लेकिन नहीं मानी गई। प्रोसेस पेटेंट महत्वपूर्ण बात है, अगर प्रोसेस को बता दें तो उससे दुनिया के लोग दूसरी बातों को भी जान सकते हैं, इतनी बुद्धि हम में भी है, जो वैज्ञानिक नहीं हैं। इसलिए अगर आप वैज्ञानिकों की राय पर चलेंगे, दुनिया में कहीं भी आयुर्वेद पर रिसर्च नहीं हुआ है। दुनिया में क्या कहा जाता है उसे देख कर भारत भी चलेगा तो भारत का अपना अस्तित्व नगण्य हो जाएगा।

डा. सी.पी. ठाकुर: अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को जानकारी दे दूं कि दुनिया में अभी अमेरिका और इंग्लैंड में जितना आयुर्वेद पर रिसर्च हो रहा है, हम समझते हैं कि उसका अंश मात्र भी हम लोग नहीं कर रहे हैं। आयुर्वेद की और नई-नई दवा अमेरिका से निकली है जर्मनी और इंग्लैंड कर रहा है।

[अनुवाद]

आयुर्वेदिक औषधियों का हमारा निर्यात 400 करोड़ रुपए का ही है, जबकि अमरीकी बाजार में अकेले यह 13 मिलियन डालर है। इसलिए भारत ही नहीं सारी दुनिया में अनुसंधान चल रहा है।

[हिन्दी]

दुनिया में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि आयुर्वेद के हरेक डाक्टर अपने बेटे को बताएंगे, बेटा उन्हें बताएगा, किसी दूसरे को बताते नहीं है।

[अनुवाद]

हमने उन्हें बता दिया है कि सब कुछ सरकार का न होकर उनका होगा और इसकी पूरी रक्षा की जाएगी। यदि वह इन औषधों को तैयार करने की प्रक्रिया और इसकी टाक्सिकॉलाजी आदि को बताने के लिए आगे आएंगे तो हम उनकी हर तरह से सहायता करने के लिए तैयार हैं।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: हल्दी को भी पेटेंट कर दिया गया।

श्री संतोष मोहन देव: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी यह जान सकते हैं कि दुर्भाग्यवश सर्वाधिक कैंसर रोगी मेरे निर्वाचन

क्षेत्र सिल्चर में हैं।...*(व्यवधान)* स्वाभाविक है कि आपको हंसी आएगी क्योंकि आपको इसके बारे में संभवतः खुशी होगी। लेकिन यह स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। जब मैं मंत्री था तो मैंने कैंसर संस्थान शुरू किया था और तीन करोड़ रुपए जुटाए थे। सरकारी कर्मचारियों, डाक्टरों और अन्य लोगों ने इसमें अंशदान किया था। मैं उसमें सुधार की कोशिस करता रहा हूं। मैं अपने संस्थान के लिए कोबाल्ट चिकित्सा संयंत्र लेने के लिए स्वास्थ्य मंत्रियों से मिला हूं। हमें इस आधार पर इससे इन्कार कर दिया गया है कि मेडिकल कालेज को पहले ही एक कोबाल्ट संयंत्र मिल चुका है। एक दिन पहले मैंने आपसे बात की थी। एक रोगी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गया था। उससे डेढ़ लाख रुपए लाने के लिए कहा गया और उसे बताया गया कि कैंसर के कारण उसकी टांग काटनी पड़ेगी। हमारी आशा केवल प्रधान मंत्री कार्यालय है। मैं उनका कृतज्ञ हूं क्योंकि जब भी मैं अनुरोध करता हूं वे 35 अथवा 40 हजार रुपए देते हैं। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय हमें कुछ नहीं देता। जैसाकि आप जानते हैं, ये आयुर्वेदिक किटें पूर्वोत्तर राज्यों के गरीब लोगों की पहुंच से बाहर हैं। क्या आप उन्हें इन किटों की आपूर्ति करेंगे? दूसरे क्या आप मेरे संस्थान में एक दल भेजेंगे जिसका रख-रखाव ठीक ढंग से किया जा रहा है। डाक्टर वहां निःशुल्क सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अतः कृपया एक थेरेपी प्लान्ट मेरे संस्थान के रोगियों के लिए दे दीजिए। मेरा यह आपसे विनम्र अनुरोध है।

डा. सी.पी. ठाकुर: महोदय, जहां तक औषधों का संबंध है, यह रक्त कैंसर के सीमित प्रकार में ही सफल है। अतः हम उन रोगियों की ही सहायता कर रहे हैं।

माननीय सदस्य के कैंसर संस्थान के बारे में हम संस्थान के कार्यकरण के संबंध में जांच करने के लिए निश्चित रूप से एक दल भेजेंगे।

श्री संतोष मोहन देव: हम सहायता चाहते हैं।

डा. सी.पी. ठाकुर जी हां, निश्चित रूप से हम अधिकतर कैंसर संस्थानों की सहायता करते हैं।

श्री ई. अहमद: अध्यक्ष महोदय, आयुर्वेदिक औषधियां और उपचार भारत ही नहीं विदेशों में भी बहुत लोकप्रिय हो गया है।

आयुर्वेद उपचार का केन्द्र मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है। कोट्टाकल आयुर्वेद वैधशाला मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है। आयुर्वेद विश्वविद्यालय बनाने का प्रस्ताव है। क्या सरकार केरल अथवा देश के किसी अन्य भाग में केन्द्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना करने पर विचार करेगी? सरकार ने आयुर्वेद के उपचार और औषधियों को बढ़ावा और प्रोत्साहन देने पर ध्यान नहीं दिया है।

श्री ए.सी. जोस: महोदय, माननीय प्रधान मंत्री भी आयुर्वेद उपचार के लाभभोगी हैं। मैं समझता हूं कि वह भी इससे सहमत होंगे।...*(व्यवधान)*

डा. सी.पी. ठाकुर: वास्तव में, मैंने व्यक्तिगत रूप से कोट्टाकल का दौरा किया है। यह संस्थान आयुर्वेद में अच्छा काम कर रहा है। हमारे यहां आयुर्वेद विश्वविद्यालय भी हैं। हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि केरल में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जा सकती है।...*(व्यवधान)*

श्री ई. अहमद: कोई केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं है।

डा. सी.पी. ठाकुर: बिल्कुल ठीक, हम इस बारे में जागरूक हैं।

श्री रूपचन्द पाल: जो कहा गया है उसे ध्यान में रखते हुए मैं इसमें यह और जोड़ना चाहूंगा कि दुनिया भर में मानव जातीय प्रतिपादनों और मानव जातीय स्वास्थ्य प्रणालियों के साथ आधुनिक-चिकित्सा के एकीकरण के लिए अनेक देशों में गम्भीर प्रयास चल रहे हैं। विशेषकर चीन और कुछ अन्य देशों का एक्यूपंक्चर और अन्य उपचार जैसे चीनी चिकित्सा पद्धति के साथ आधुनिक चिकित्सा को जोड़कर महान सफलता मिली है। लेकिन दुर्भाग्यवश भारत में आज तक एलोपैथिक चिकित्सक इसे छोड़ रहे हैं अथवा उन आयुर्वेदिक औषधियों जिन्होंने अनुभव के माध्यम से अपनी प्रभावकारिता सिद्ध कर दी है, को लिखना छोड़ रहे हैं। प्रतिमाह, आधुनिक चिकित्सा के बारे में पत्रिकाएं निकल रही हैं और उसमें वे लिखते हैं कि इन आयुर्वेदिक औषधियां लिखने वालों को देश के कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार आयुर्वेद, सिद्ध और अन्य चिकित्सा पद्धतियों जैसी भारतीय पद्धतियों को आधुनिक पद्धतियों के साथ एकीकृत करने पर विचार कर रही है। भारतीय भेषज संग्रह के संबंध में प्रगति बहुत धीमी है। लेकिन गम्भीर समस्या यह है कि जिन औषधियों ने अपनी प्रभावकारिता सिद्ध कर दी है, उन्हें एलोपैथिक डाक्टर नहीं लिख रहे हैं। सरकार का इस संबंध में क्या करने का विचार है?

डा. सी.पी. ठाकुर: सरकार इस मामले के बारे में बहुत गम्भीर है। इस देश की एक अत्यधिक प्रतिष्ठित पत्रिका, फ्रंटलाइन ने मेरा साक्षात्कार लिया। उस साक्षात्कार में लिखा है कि मानव संसाधन विकास मंत्री के बाद सी.पी. ठाकुर एक अन्य मंत्री है जो एलोपैथिक-चिकित्सा में हिन्दुत्व को लाना चाहते हैं। लेकिन मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि समूचे विश्व में अब एलोपैथिक चिकित्सा को आयुर्वेदिक चिकित्सा से जोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। वे आयुर्वेदिक चिकित्सा के विभिन्न प्रकारों में आयुर्वेदिक

पद्धति के अच्छे पहलुओं को उठा रहे हैं। हमारी सरकार भी इस पर विचार कर रही है।

दूसरे, लंदन में हाउस आफ लार्ड्स ने आयुर्वेदिक औषधियों का एक सम्पूर्ण वर्गीकरण प्रकाशित किया है। हमने इस देश से एक दल भेजा था। एक अन्य तथ्य यह है कि आयुर्वेद का दर्जा कम किया गया। अत: हमने हाउस आफ लार्ड्स में एक दल भेजा था। उन्होंने वहां सुनवाई की। उन्होंने लार्ड वाल्टन के समक्ष अपना पक्ष रखा। इसलिए हम इस क्षेत्र में बहुत सक्रिय हैं।

श्री रूपचन्द पाल: आप सक्रिय हैं। किन्तु मैं पिछले दस वर्ष से यह बात सरकार को लिखता रहा हूं। उत्तर नहीं है।

डा. सी.पी. ठाकुर: जी हां, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री सलीम आई. शेरवानी: अध्यक्ष जी, मेरी खुशकिस्मती है कि मैं भी इस विभाग का मंत्री रह चुका हूं। मुझे जाति तजुर्बा है कि आयुर्वेद के जरिये से और विशेषकर कैंसर के इलाज में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को फायदा पहुंचता है। मैंने वैद्य शैलेन्द्र प्रकाश जी को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से एक समझौते के तहत जोड़ा था। उस समय 18-19 पेशेंट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के लिए रैफर हुए थे और 15-16 का इलाज हुआ था और वे 100 प्रतिशत ठीक हुए थे। उस समय इस डिपार्टमेंट का बजट 50-60 करोड़ रुपये था, अब क्या है यह मुझे पता नहीं है, लेकिन जितना सहयोग आयुर्वेद को मिलना चाहिए वह इसको नहीं मिलता है। आयुर्वेद प्रणाली से बहुत सस्ते में गरीबों का इलाज हो जाता है लेकिन इसके रिसर्च वर्क के लिए पैसा नहीं मिलता है। इसलिए मैं प्रधान मंत्री जी से आपके द्वारा अपील करूंगा कि हमें दूसरे नजरिये से इसके इलाज को देखना चाहिए जिससे हिंदुस्तान की गरीब जनता को इससे लाभ मिल सके।

डा. सी.पी. ठाकुर: अध्यक्ष जी, जहां तक बजट का सवाल है, बजट हमने बढ़ाया है और रिसर्च के लिए भी पैसे की कोई कमी नहीं है और आयुर्वेदिक ड्रग्स को भी हमने आर.सी.एच. प्रोग्राम में जोड़ दिया है। उसमें भी पैसा दिया जाएगा और ब्लॉक स्तर पर भी मिलेगा।

मैं समझता हूं कि पैसे की कमी नहीं है लेकिन हरेक राज्य को पैसे खर्च करने की कैपेसिटी भी बढ़ानी चाहिए तभी पैसा खर्च होगा। हम नहीं चाहते कि पैसा इतना बढ़ा दें कि वह रिटर्न हो जाए।

विदेश दौरे

*144. + **श्री अजय सिंह चौटाला:**
श्री रामजी लाल सुमन:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन्होंने और उनके मंत्रालय के अन्य मंत्रियों ने वर्ष 2000 के दौरान तथा 31 जुलाई, 2001 तक कितने विदेशी दौरे किए और ये दौरे किन-किन कारणों से किए गए;

(ख) इन दौरों के दौरान हुई बातचीत का ब्यौरा क्या है और इन दौरों के दौरान किन-किन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए; और

(ग) इन दौरों और समझौतों से देश को किन-किन क्षेत्रों में लाभ पहुंचा है?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (ग) विदेश मंत्री द्वारा की गई यात्राओं का ब्यौरा विवरण-I पर, विदेश राज्य मंत्री, श्री अजीत पांजा का विवरण-II पर और विदेश राज्य मंत्री, श्री कृष्णम राजू का विवरण-III पर दिया गया है।

विवरण-I

विदेश मंत्री श्री जसवंत सिंह द्वारा की गई विदेश यात्राएं

क्र.सं.	वर्ष 2000 से 31 जुलाई 2001 तक जिन देशों की यात्राएं की गई	यात्रा करने के कारण	हुई वार्ताओं के ब्यौरे तथा इन वार्ताओं के दौरान सम्पन्न करार	इन यात्राओं तथा करारों से देश को किस क्षेत्र में लाभ मिला
1	2	3	4	5
1.	इटली (11-12 जनवरी 2000)	द्विपक्षीय यात्रा	विदेश मंत्री ने द्विपक्षीय सहयोग संवर्धित करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर विचारों के व्यापक आदान-प्रदान के संबंध में अपने समकक्ष	इस यात्रा से दोनों देशों के बीच बेहतर समझ-बूझ, मित्रता और सहयोग संवर्धित करने में सहायता मिली।

1	2	3	4	5
			से परामर्श किया। भारत और इटली ने आतंकवाद के खतरे का मुकाबला करने के लिए अपना-अपना सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया।	
2.	यू.के. 12-14 जनवरी 2000 24-27 मई, 2000 13-17 नवम्बर, 2000	विदेश मंत्री की यू.के. की यह यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय मसलों पर चल रही व्यापक तथा विभिन्न प्रकार की वार्ता का एक अंग है।	इन यात्राओं के दौरान कई मामलों पर चर्चा हुई जिनमें सार्वभौम तथा क्षेत्रीय मसले, संयुक्त राष्ट्र शान्ति स्थापना कार्रवाइयां और सुरक्षा परिषद का सुधार, आतंकवाद का प्रतिकार करने तथा कोंसली मामलों में सहयोग, शिक्षा एवं रक्षा के क्षेत्रों में सहयोग शामिल हैं।	इन चर्चाओं के अनुसरण में दोनों देशों की सरकारों ने भारत-यू.के. संबंधों को और आगे बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें गैर-सरकारी समूह की स्थापना, द्विपक्षीय वार्ता को और व्यापक बनाने के लिए भारत-यू.के. गोलमेज तथा संबंधों को मजबूत बनाने के लिए नए तरीकों का सुझाव देना शामिल है। अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद और मादक द्रव्यों की रोकथाम में सहयोग करने के लिए एक सांस्थानिक तंत्र मुहैया करने हेतु भारत-यू.के. संयुक्त कार्य दल की स्थापना की गई है। द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए रक्षा परामर्शी समूह की बैठक हुई और निरस्त्रीकरण तथा अप्रसार से संबंधित मसलों पर आपसी समझबूझ बढ़ाने के लिए आधिकारिक स्तर की वार्ता शुरू हो गई है।
3.	ओमान (20-23 जनवरी 2000)	आई ओ आर ए आर सी बैठक में भाग लेने गए।	आई ओ आर में सहयोग से सम्बद्ध वार्ता हुई।	बहुपक्षीय संबंध
4.	नाइजीरिया (27-29 मार्च, 2000)	आबूजा, नाइजीरिया में सम्पन्न भारत-नाइजीरिया संयुक्त आयोग के तीसरे सत्र में भाग लेने के लिए भारतीय शिष्टमंडल की अगुवाई करना।	भारत-नाइजीरिया संयुक्त आयोग के तीसरे सत्र की बैठक के सहमत कार्यवृत्त से भारत-नाइजीरिया द्विपक्षीय संबंधों के आर्थिक आयाम में निश्चित गति मिली। विदेश मंत्री ने अपने समकक्ष से मुलाकात की और नाइजीरिया के राष्ट्रपति ओबासानजो से भेंट की जिससे भारत-नाइजीरिया संबंधों में गति को बढ़ावा मिला।	आधिकारिक बिक्री मूल्य पर भारत को नाइजीरिया से कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए नाइजीरिया नेशनल पेट्रोलियम कारपोरेशन तथा इण्डियन आयल कारपोरेशन के बीच एक करार पर सहमति हुई।

1	2	3	4	5
5.	पुर्तगाल ३० मार्च - 1 अप्रैल, 2000	जून, 2000 के अन्त में प्रथम भारत-ई.यू. शिखर सम्मेलन की तैयारी के सिलसिले में	विदेश मंत्री ने पुर्तगात के अपने समकक्ष के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर गहन परामर्श किया। उन्होंने 31 मार्च, 2001 को भारत और पुर्तगाल के बीच आर्थिक एवं औद्योगिक सहयोग से सम्बद्ध करार पर हस्ताक्षर किए **सम्पन्न करार**	इस यात्रा से यूरोपीय संघ के अध्यक्ष के रूप में पुर्तगाल को द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर भारत के विचारों की समझबूझ मिली तथा जून, 2000 के अन्त में आगामी प्रथम भारत-यूरोपीय शिखर-सम्मेलन की तैयारी में सुविधा मिली।
	27-29 जून, 2000	प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत-ई.यू. शिखर सम्मेलन तथा भारत-पुर्तगाल द्विपक्षीय शिखर-सम्मेलन के सरकारी शिष्टमंडल के सदस्य के रूप में	वित्तीय तथा नागर विमानन के क्षेत्र में	विदेश मंत्री ने द्विपक्षीय तथा यूरोपीय संघ ट्राओका बैठकों में प्रधानमंत्री के साथ भाग लिया। भारत और यूरोपीय संघ के साथ-साथ पुर्तगाल के साथ संबंधों को और सुदृढ़ करने में मदद मिली। इस यात्रा से कमियों को दूर करने में तथा भारत-यूरोपीय संघ व्यापार एवं आर्थिक सहयोग संवर्धित करने में सहायता मिली।
6.	कोलम्बिया (8-9 अप्रैल, 2000)	मंत्रीस्तरीय बैठक में भाग लेने के सिलसिले में	कार्टेजेना में तेरहवीं नाम मंत्रिस्तरीय बैठक सम्पन्न हुई जो विशेष महत्व रखती है क्योंकि यह मिलेनियम शिखर-सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र महासभा की मिलेनियम सभा से पहले हुई और इसकी भूमिका आन्दोलन के विभिन्न मसलों पर नाम की स्थिति का निर्धारण करना था। कार्टेजेना मंत्रिस्तरीय बैठक में जारी अन्तिम दस्तावेज में उन अधिकांश खण्डों स्थितियों को दोहराया गया जिनका उल्लेख डर्बन में सम्पन्न शिखर-सम्मेलन के दौरान किया गया था। पहली बार नाम की विज्ञप्ति में तालिबान की निन्दा की गई जो पाकिस्तान को अपनी आपत्तियां व्यक्त करने के लिए दबाव डाल रहा है। भारतीय शिष्टमंडल नाम	पड़ोसी देश अफगानिस्तान में तालिबान शासन में घट रही घटनाओं के संबंध में विशेष रूप से अफगानिस्तान में रह रहे भारतीय राष्ट्रिकों की सुरक्षा के संबंध में भारत की चिन्ता को नाम विज्ञप्ति के जरिए अभिव्यक्ति मिली। मानवीय हस्तक्षेप का विषय जिससे किसी देश के आन्तरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप मिलेगा, को भी रद्द किया गया। अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद से सम्बद्ध व्यापक अभिसमय पारित करने के भारत के प्रस्ताव को भी इस विज्ञप्ति के माध्यम से समर्थन मिला। कृषि से संबंधित बहुपक्षीय वार्त्ताओं में कृषि संबंधी श्रेष्ठ अर्थ-व्यवस्थाओं की चिन्ताओं

1	2.	3	4	5
			की स्थिति को बनाए रखने में भी सफल हुआ जिसमें ''मानवीय हस्तक्षेप'' की संकल्पना को स्पष्ट रूप में रद्द किया गया।	संबंधी भारत की पहलकदमी पर ध्यान दिया गया।
7.	तेहरान, ईरान (19-23 मई, 2000)	आधिकारिक द्विपक्षीय यात्रा	पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस; व्यापार; परिवहन और संचार; उद्योग; कृषि तथा ग्रामीण विकास; तथा संस्कृति; कोंसली, सूचना और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी से सम्बद्ध छह समितियों की बैठकों में हुई चर्चाओं एवं हुई सहमति के सभी मुद्दों को शामिल करते हुए एक समझौता-ज्ञापन सम्पन्न हुआ। भारत को ईरान के गैस की आपूर्ति के संबंध में एक संयुक्त समिति का गठन करने के संबंध में भी एक करार सम्पन्न हुआ। समिति का प्रादेश ईरान से भारत को गैस पाइपलाईन से संबंधित सभी पहलुओं का अध्ययन करना और उनकी जांच करना है।	(i) ईरान के साथ बहुआयामी संबंधों के विकास पर नये सिरे से ध्यान देना। (i) ऊर्जा, कृषि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परिवहन, संचार, व्यापार, वाणिज्य, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों में गहन बनाना।
8.	सिंगापुर (1-3 जून, 2000)	द्विपक्षीय यात्रा	द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर सिंगापुर के प्रधानमंत्री, विदेशमंत्री और वरिष्ठ मंत्री ली क्यान येव के साथ विस्तृत चर्चा हुई। दोनों पक्ष आतंकवाद, जल-दस्युता आदि जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग संवर्धित करने की दिशा में मिलकर कार्य करने के लिए सहमत हुए। आसियान के साथ भारत की अन्योन्यक्रिया पर भी चर्चा हुई।	इस यात्रा से भारत-सिंगापुर संबंधों को संवर्धित करने में सहायता मिली। इस यात्रा के दौरान कोई करार सम्पन्न नहीं हुआ फिर भी विदेश मंत्री ने विभिन्न मसलों पर सिंगापुर के नेताओं के साथ विस्तृत चर्चा की।
9.	श्रीलंका (11-12 जून, 2000)	यह यात्रा भारत और श्रीलंका के बीच चल रही उच्चस्तरीय अन्योन्यक्रिया का भाग थी।	विदेश मंत्री ने 11-12 जून, 2000 को श्रीलंका की यात्रा की और उन्होंने श्रीलंका की राष्ट्रपति, विदेशमंत्री, विपक्ष के नेता और अन्य कई राजनीतिक नेताओं से चर्चा की। इस यात्रा के दौरान	इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के विकास में योगदान मिला।

1	2	3	4	5
			भारत ने श्रीलंका को 100 मिलियन डालर के ऋण की पेशकश की। भारत से प्रति-व्यापार आधार पर श्रीलंका द्वारा गेंहू, चावल और चीनी की खरीद की सम्भावना पर भी चर्चा हुई।	
10.	रूस (22-24 जून, 2000)	द्विपक्षीय यात्रा	विदेश मंत्री ने रूसी परिसंघ के विदेशमंत्री श्री इगोर इवानोव के साथ द्विपक्षीय मसलों तथा आपसी हित के क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर विस्तृत चर्चा की। विदेशमंत्री ने रूसी परिसंघ के राष्ट्रपति व्लादिमिरि पुतिन से भेंट की। उन्होंने सुरक्षा परिषद के सचिव श्री सेरगई तथा उप प्रधानमंत्री एवं भारत-रूस अन्तर-सरकारी आयोग के तत्कालीन सह-अध्यक्ष डा. विक्टर क्रिस्तेनकों से मुलाकात की। विदेश मंत्री सेंट पीटर्सबर्ग भी गए जहां उन्होंने सेंट पीटर्स-बर्ग के गवर्नर श्री व्लादिमिरि वाकोवलेव से भेंट की और नयी सहस्त्राब्दि में भारत की विदेश नीति के आयाम विषय पर सेंट पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय के अन्तर्राष्ट्रीय संबंध स्कूल को संबोधित किया।	इस यात्रा से भारत-रूस द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ बनाने तथा अक्तूबर, 2000 में रूस के राष्ट्रपति श्री पुतिन की भारत यात्रा की तैयारी करने में मदद मिली। विदेशमंत्री के साथ संयुक्त प्रेस सम्मेलन के दौरान रूस के विदेश मंत्री ने एक बार फिर सार्वजनिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी का रूस ने समर्थन व्यक्त किया।
11.	पौलैण्ड 25-27 जून, 2000)	वारसा में "टुवाड्र्स ए कम्युनिटी आफ डेमोक्रेसीज" सम्मेलन में भाग	यात्रा के दौरान, विदेश मंत्री ने पौलैण्ड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर क्वासनीवस्की, प्रधानमंत्री जर्जी बुजेक, संसद के दोनों सदनों के अध्यक्षों और विदेशमंत्री ने ब्रोनिसला जेरेमेक के साथ बातचीत की। विदेश मंत्री ने यूएस सेक्रेटरी आफ स्टेट मेडेलीन अलब्राइट और संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान से भी मुलाकात की।	वारसा में, भारत "टुवाड्र्स कम्यूनिटी आफ डेमोक्रेसीज" सम्मेलन का एक सह-संयोजक था। अन्य संयोजक थे, पौलैण्ड, चिली, चेक गणराज्य, दक्षिण कोरिया, माले और अमरीका।

1		3	4	5
		लेने के लिए प्रजातंत्रों के समुदाय संबंधी मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए	भारत ने बैठक के परामर्श घोषणा और अन्तिम विज्ञप्ति को आयोजक समिति के आठ सदस्यों में से एक सदस्य की हैसियत से अन्तिम रूप देने में प्रमुख भूमिका निभाई। विदेश मंत्री ने सर्वोत्तम प्रथाओं की साझीदारी से संबद्ध मंत्रिस्तरीय पैनल-II की अध्यक्षता की।	भारत ने विज्ञप्ति के जरिए अपनी प्राथमिक हित-चिन्ताओं, जैसे सदस्यों के बीच बाहरी द्विपक्षीय मसलों पर परिहार, राज्य प्रायोजित सीमा पार और आतंकवाद के अन्य रूप तथा संवैधानिक रूप से चुनी सरकारों को सत्ताच्यूत करने के द्वारा प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं को खतरा।
12.	फिलीस्तीन (30 जून, 2000)	द्विपक्षीय यात्रा	राष्ट्रपति से मुलाकत के अलावा, विदेश मंत्री ने योजना तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री तथा प्रेसीडेंसी के महा-सचिव के साथ चर्चा की थी।	फिलीस्तीनी लोगों के प्रति एकजुटता संप्रेषित करने तथा फिलीस्तीनी प्रदेश में दो भारत वित्त पोषित पुस्तकालयों का उद्घाटन करने के लिए।
13.	इजराइल (30 जून - 3 जुलाई 2000)	द्विपक्षीय यात्रा	राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात के अतिरिक्त, विदेशमंत्री ने विदेश मंत्री, क्षेत्रीय विकास मंत्री और प्रतिपक्ष के नेता के साथ चर्चा की थी। दोनों पक्ष सहयोग की एक दीर्घावधिक रूपरेखा विकसित करने तथा चल रहे क्रिया-कलाप को मानीटर करने के मद्देनजर एक मंत्रिस्तरीय संयुक्त आयोग के गठन के लिए सहमत हुए। इस यात्रा के दौरान कोई करार सम्पन्न नहीं हुआ।	मौजूदा बहुआयामी सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केन्द्रित थी - कृषि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, रक्षा और व्यापार के क्षेत्रों में।
14.	बैंकाक (26-29 जुलाई, 2000)	आसियान पश्च मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (पीएम सी) 10+10 तथा आसियान 10+ बैठकें और 7वीं ए आर एफ बैठक	इस यात्रा के दौरान कोई करार सम्पन्न नहीं हुए थे। आसियान के साथ भारत के सहयोगी कार्यक्रम पर पश्च मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (पी एम सी) 10+1 बैठक में चर्चा हुई थी। पी एम सी 10+10 बैठक में सार्वभौमिक आर्थिक स्थिति पर चर्चा हुई थी।	आसियान के साथ भारत की संबद्धता से दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ हमारे संबंध प्रगाढ़ होते हैं - हमारे लिए वाणिज्यिक, राजनैतिक और सामरिक हित का एक क्षेत्र है।
			विदेश मंत्री ने सातवीं ए आर एफ मंत्रिस्तरीय बैठक, और आसियान पश्च मंत्रिस्तरीय 10+1	ए आर एफ के साथ भारत का संबंध हमारी "पूर्वो-मुख नीति" और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों

1	2	3	4	5
			सम्मेलनों में भाग लिया। इस यात्रा के दौरान मीकोंग-गंगा सहयोग की उद्घाटन बैठक भी संपन्न हुई थी। विदेश मंत्री ने एक आर एफ सदस्य देशों के कई अन्य विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय परामर्श भी संपन्न किए थे।	के साथ हमारे अपेक्षाकृत मजबूत संबंधों के प्रयास के अनुरूप है। आसियान हमारे विस्तारित पड़ोस का एक भाग है और भारत इस क्षेत्र में शान्ति, सुरक्षा और स्थायित्व में योगदान लेता और योगदान करता है। आसियान पश्च मंत्रिस्तरीय सम्मेलन उपयोगी हैं चूंकि वे व्यापार, निवेश और आर्थिक मसलों पर केन्द्रित हैं। मीकोंग-गंगा सहयोग छह देशों की एक पहल है जिसका उद्देश्य पर्यटन, संस्कृति, मानव संसाधन विकास और संचार क्षेत्रों में सहयोग प्रगाढ़ करना है।
15.	स्वीटजरलैण्ड (4 सितम्बर, 2000)	द्विपक्षीय यात्रा	व्यापक मसलों पर विचारों का आदान-प्रदान अर्थात् द्विपक्षीय भारतीय क्षेत्र में राजनैतिक और व्यापारिक घटनाक्रम, ईयू निरस्त्रीकरण और अप्रसार, विकास वित्तपोषण गतिविधियां इत्यादि।	1981 से यह प्रथम मंत्रिस्तरीय आदान-प्रदान था और द्विपक्षीय व्यापार विशेष रूप से भारत में आधारभूत क्षेत्र में, वित्तीय सेवाओं, बीमा क्षेत्र और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र स्विस निवेश में वृद्धि होने की संभावना, सहित संबंधों में पर्याप्त उन्नयन के लिए पहचाना गया। .
16.	अमरीका (7-19 सितम्बर, 2000)	प्रधानमंत्री की वाशिंगटन, डी सी की सरकारी यात्रा के दौरान उनके साथ	राष्ट्रपति क्लिंटन और उनके प्रशासन के साथ बातचीत की। कांग्रेस के संयुक्त सत्र, सीनेट की विदेश संबंध समिति, सदन की अन्तर्राष्ट्रीय संबंध समिति इन्डिया कोकस, व्यवसाय मण्डल और थिंक टैंक के साथ अलग-अलग बैठकें की।	यात्रा के परिणामस्वरूप भारत और अमरीका के बीच मैत्री के नए चरण को सुदृढ़ और गहन करने में सहायता मिली। राष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवारों के साथ क्रियाकलाप के फलस्वरूप भारत के साथ अमरीका के निकट संबंधों के लिए वर्तमान द्विपक्षीय समर्थन की पुष्टि हुई। भारत का अन्तर्राष्ट्रीय राजनैतिक और राजनयिक कद बढ़ने में सहायता मिली।
			संयुक्त वक्तव्य, ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग से संबद्ध समझौता ज्ञापन, और व्यापार मण्डलों के	तीन विद्युत परियोजनाओं के लिए लगभग 4 बिलियन अमरीकी डालर और अनुमानतः

1	2	3	4	5
			स्तर पर वाणिज्यिक परियोजना करारों पर हस्ताक्षर हुए।	1 बिलियन अमरीकी एक्जिम बैंक की ऋण खेप सहित लगभग 6 बिलियन अमरीकी डालर के निजी निवेश की घोषणा की।
			संयुक्त राष्ट्र महासभा के संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दि शिखर सम्मेलन जिसमें 150 से अधिक राज्याध्यक्षों और सरकार प्रमुखों ने भाग लिया राज्याध्यक्षों और सरकार प्रमुखों का इकलौता सबसे बड़ा सम्मेलन था। प्रधान मंत्री ने सितम्बर, 2000 को शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। अधिकांश विकासशील देशों ने सार्वभौमिकीकरण के अपनी अर्थव्यवस्थाओं और समाजों पर प्रभावों के बारे में कुछ चिन्ता व्यक्त की। शिखर सम्मेलन की समाप्ति पर जयघोष के साथ एक घोषणा पाारित की गई। 19 सितम्बर, 2000 को, विदेश मंत्री ने भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र महासभा के 55वें सत्र की आम चर्चा में एक वक्तव्य दिया। भारत की ओर से, प्रधानमंत्री ने आतंकवाद वित्त पोषण दमन से संबद्ध अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय पर हस्ताक्षर किए।	सहस्त्राब्दि घोषणा के माध्यम से एक परमाणु मुक्त विश्व बनाने और आतंकवाद, नशीली दवा तथा अवैध हथियार व्यापार और सुरक्षा परिषद सुधार संबंधी आवश्यकता से उत्पन्न चुनौतियों जैसे मसलों के संबंध में भारत की हित-चिन्ता परिलक्षित हुई थी। सहस्त्राब्दि सभा की आम चर्चा में भारत की ओर से विदेश मंत्री के माध्यम से दिए गए वक्तव्य में एक बार पुनः सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्या के दयित्व संभालने की भारत की इच्छा भी दोहराई गई।
17.	अल्जीरिया (23-25 अक्तूबर, 2000)	द्विपक्षीय यात्रा	विदेश मंत्री का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने स्वागत किया। उन्होंने अपने अल्जीरियाई समकक्ष के साथ सार्वभौमिक और द्विपक्षीय मसलों पर विचारों का व्यापक आदान-प्रदान किया था। दोनों देशों के बीच मौजूदा श्रेष्ठ संबंधों की विविधता के उद्देश्य से प्रयास किए थे। विदेश कार्यालय परामर्श से संबद्ध समझौता ज्ञापन संपन्न हुआ था।	परस्पर सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाया गया और द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए एक संस्थागत रूपरेखा बनाने का फैसला किया था।

1	2	3	4	5
18.	वियतनाम (नवम्बर, 6-8, 2000)	दसवीं भारत-वियतनाम जे सी एम की सह-अध्यक्षता करने के लिए	संयुक्त आयोग बैठक में भाग लेने के अलावा और अपने समकक्ष के साथ अलग बैठक की, विदेश मंत्री ने वियतनाम के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इन सभी बैठकों/मुलाकातों में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर चर्चा हुई।	इन चर्चाओं के फलस्वरूप वियतनाम के साथ पहले से ही मौजूद उत्तम संबंधों को और आगे प्रगाढ़ करने में सहायता मिली।
19.	लाओ पी डी आर नवम्बर, 8-10, 2000	भारत-लाओ जे सी एम की सह-अध्यक्षता करने तथा मीकांग-गंगा सहयोग बैठक में भाग लेने के लिए	संयुक्त आयोग सत्र की समाप्ति के पश्चात, विदेश मंत्री ने मीकांग-गंगा सहयोग बैठक में भाग लिया जिसके दौरान "वियतनाम घोषणा" पारित की थी। इन दो बैठकों के अन्त में, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री के अलावा, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिले। इन मुलाकातों के दौरान द्विपक्षीय और परस्पर हित के मसलों पर चर्चा हुई थी। तीन द्विपक्षीय करार संपन्न हुए थे। (i) दोनों देशों के निवेशों के लिए उपयुक्त परिस्थितियों को बढ़ावा देने और उनका निर्माण करने के लिए निवेश के संवर्द्धन और संरक्षण से संबद्ध करार। (ii) दीर्घावधिक और स्थायी आधार पर दोनों देशों के बीच व्यापार, वाणिज्यिक और आर्थिक सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए व्यापार और आर्थिक सहयोग से संबद्ध करार। (iii) कृषि के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों में कार्य योजना।	इन चर्चाओं के दौरान इन बैठकों के परिणामस्वरूप लाओ पी डी आर के साथ पहले ही विद्यमान उत्तम संबंधों को और प्रगाढ़ करने में सहायता मिली। कार्य योजना के तहत विशेषज्ञों की यात्राओं का आदान-प्रदान, अध्ययन यात्राएं, प्रशिक्षण कार्यक्रम, मवेशी के संवर्धन, सिंचाई परियोजना इत्यादि शामिल होंगी।

1	2	3	4	5
20.	जर्मनी (17-18 जनवरी, 2001)	नये चांसरी भवन के उद्घाटन और द्विपक्षीय बैठकों के लिए	उन्होंने विदेश मंत्री जोशका फिशर और जर्मनी सरकार के अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों से मुलाकात की तथा आपसी हित के महत्वपूर्ण नीतिगत मामलों पर बातचीत की।	आपसी हित के मामलों के संबंध में सद्भावना और समझबूझ बढ़ी।
21.	सऊदी अरब (20-21 जनवरी, 2001)	द्विपक्षीय संबंधों में और मजबूती आयी	विदेश कार्यालय परामर्श और अपराध का मुकाबला करने में सहयोग।	कूटनीतिक और राजनैतिक
22.	सीरिया (30 जनवरी-1 फरवरी, 2001)	द्विपक्षीय यात्रा	विदेश मंत्री ने सीरिया के राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय हित के मसलों पर विचार-विनिमय किया। इन वार्ताओं का उद्देश्य सहयोग बढ़ाना था, विशेषकर आर्थिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में।	विदेश मंत्री ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और विश्वजनीन मसलों पर विचार-विनिमय किया। यह निर्णय लिया गया कि द्विपक्षीय संबंधों में आर्थिक पक्ष पर बल दिया जाएगा।
23.	मिस्र (3-4 फरवरी, 2001)	भारत-मिस्र संयुक्त आयोग की बैठक	भारत-मिस्र संयुक्त आयोग का चौथा अधिवेशन कहिरा में हुआ। मिस्र पक्ष का नेतृत्व विदेश मंत्री अमरे मूसा ने किया। चर्चा में द्विपक्षीय संबंध को संवर्धित करने के तौर-तरीकों और आपसी हित के महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मसलों को शामिल किया गया। दोनों पक्षों ने निम्नलिखित पर हस्ताक्षर किये: (i) भारत के विदेश सेवा संस्थान और अरब गणराज्य मिस्र के राजनयिक अध्ययन केन्द्र के बीच एक प्रोतोकोल। (i) संयुक्त आयोग और उन उप-समितियों की बैठकों का कार्यवृत्त जिसने निम्नलिखित क्षेत्रों में जांच पड़ताल की: (क) व्यापार और आर्थिक सहयोग;	चर्चाओं में द्विपक्षीय सहयोग सुदृढ़ करने के तौर-तरीकों की जांच की गयी और आपसी हित के महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और विश्वजनीन मसलों पर व्यापक चर्चा की गयी।

1	2	3	4	5
			(ख) वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक सहयोग; (ग) सांस्कृतिक सहयोग; (घ) सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रानिक्स।	
24.	म्यामां (13-15 फरवरी, 2001)	यह यात्रा भारत और म्यामां के बीच जारी उच्च स्तरीय क्रियाकलाप का एक भाग थी।	इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को प्रोत्साहन मिला। विदेश मंत्री ने द्विपक्षीय हित के विभिन्न मसलों पर म्यामां के नेताओं के साथ चर्चा की। दोनों पक्षों ने प्रस्तावित सीमा-पार परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। यात्रा के दौरान विदेश मंत्री ने तामू-कालेम्यों-कलेवा सड़क का उद्घाटन किया जिसे भारतीय सहायता से उन्नयित किया गया था। विदेश मंत्री ने यांगोन में दूर-संवेदन और डाटा प्रसंस्करण से संबद्ध भारत-म्यामां मैत्री केन्द्र का उद्घाटन किया।	इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के विकास में सहायता मिली।
25.	डेनमार्क (2-3 अप्रैल, 2001)	डेनमार्क के विदेश मंत्री के आमंत्रण पर कार्य दौरा	विदेश मंत्री ने डेनमार्क के प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री से मुलाकात की।	विदेश मंत्री की यात्रा के दौरान डेनमार्क के विदेश मंत्री ने भारत द्वारा संयुक्त. राष्ट्र महासभा में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबद्ध व्यापक अभिसमय के लिए डेनमार्क का समर्थन व्यक्त किया। डेनमार्क ने भारत में डेनमार्क की कंपनियों द्वारा द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संवर्द्धित करने पर सहमति व्यक्त की।
26.	स्वीडन (3-4 अप्रैल, 2001)	तेरहवीं भारत-यूरोपीय संघ त्रोयका मंत्रिस्तरीय बैठक	भारत-यूरोपीय संघ त्रोयका मंत्रिस्तरीय बैठक।	यह बैठक मंत्री स्तर पर यूरोपीय संघ त्रोयका के साथ वार्षिक परामर्शों का एक भाग थी और इससे इन संबंधों के बढ़ते हुए महत्व का पता चलता है।

1	2	3	4	5
27.	संयुक्त राज्य अमरीका (5-7 अप्रैल, 2001)	सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के आमंत्रण पर वाशिंगटन डी सी की सरकारी यात्रा	भारत-अमरीकी संबंधों को और गतिशील बनाने की दोनों पक्षों की वचनबद्धता पर राष्ट्रपति बुश, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ डीफेंस और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ चर्चा।	नये अमरीकी प्रशासन के कार्यभार ग्रहण करने के 6 माह के भीतर यह यात्रा हुई जो दोनों पक्षों द्वारा घनिष्ठ संबंध बनाये रखने के लिए उद्देश्य की गंभीरता का द्योतक है और जो वार्ता संरचना में शामिल है। दोनों पक्षों के बीच रक्षा सहयोग बहाल करने पर सिद्धांत रूप में सहमति हुई है।
28.	तेहरान, ईरान (9-13 अप्रैल, 2001)	प्रधानमंत्री के सरकारी शिष्टमंडल के सदस्य के रूप में	प्रधान मंत्री की यात्रा के दौरान तेहरान घोषणा और छह करारों/समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये गये। ये करार निम्नलिखित से संबंधित थे: (i) व्यापार और आर्थिक सहयोग, तथा (i) सीमा-शुल्क सहयोग। समझौता ज्ञापन निम्नलिखित पर संपन्न किये गये: (i) सूचना प्रौद्योगिकी, (ii) ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग, (iiii) बिजली के क्षेत्र में सहयोग (पारंपरिक एवं गैर-पारंपरिक स्रोत) (iv) तकनीकी सहयोग।	प्रधान मंत्री की यात्रा से: (i) दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में एक नये अध्याय की शुरूआत हुई। (ii) भारत और ईरान के बीच चहुंमुखी और बहुफलकीय सहयोग को सुदृढ़ और विविधतापूर्ण बनाने के लिए दीर्घावधिक संरचना की स्थापना होगी। (iii) व्यापार, उद्योग, ऊर्जा प्रौद्योगिकी, परिवहन और कृषि सहित राजनैतिक, सामरिक, आर्थिक, प्रौद्योगिकीय और सांस्कृतिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की विशाल क्षमताओं का उपयोग करने के लिए दिशा मिलेगी।
29.	आस्ट्रेलिया	प्रथम भारत-आस्ट्रेलिया मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेने और दोनों देशों के बीच विद्यमान संबंधों को और संवर्धित करने के लिए	यात्रा के दौरान विदेश मंत्री ने आस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री होवार्ड, व्यापार मंत्री और रक्षा मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्री श्री डावनर के साथ उन्होंने प्रथम भारत-आस्ट्रेलिया मंत्रिस्तरीय बैठक की। प्रधान मंत्री	आस्ट्रेलिया नेताओं के साथ विदेश मंत्री के क्रियाकलाप से दोनों देशों के बीच संबंधों को और संवर्धित करने में सहायता मिली। सहयोग के नये क्षेत्रों की पहचान की गयी। भारत-आस्ट्रेलिया मंत्रिस्तरीय संरचना

1	2	3	4	5
			होवार्ड के साथ बैठक में आस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री ने कहा कि भारत के साथ संबंधों को वह महत्वपूर्ण मानते हैं तथा वे इस बात के प्रति काफी उत्साहित हैं कि ये संबंध और संवर्धित होने चाहिए। आस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री ने भारत और आस्ट्रेलिया के बीच विद्यमान रक्षा संबंधों में संरचनागत तत्व बढ़ाये जाने पर बल दिया। विशेषकर उन्होंने नौसेना के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर बल दिया। विदेश मंत्री ने विपक्ष के नेता और लेबर पार्टी के अध्यक्ष किम बीजले से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री डावनर के साथ भारत-आस्ट्रेलिया मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान एक सुरक्षा वार्ता प्रक्रिया स्थापित करने का निर्णय लिया गया। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि भारत और आस्ट्रेलिया क्षेत्रीय स्थायित्व के कारक हैं। भारत में आर्थिक सुधारों की गति को देखते हुए आस्ट्रेलिया को ऐसा लगा कि भारत के साथ संबंधों में व्यापार और निवेश की अपार संभावनाएं हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग की भी पहचान की गयी। बैठक में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अन्य मसलों पर भी चर्चा की गयी।	बैठक के आरंभ होने के साथ ही दोनों देशों के संबंधों में एक नये अध्याय की शुरूआत हुई है।
30.	न्यूजीलैंड (24-26 जून, 2001)	दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और संवर्द्धित करने के लिए।	यात्रा के दौरान विदेश मंत्री ने प्रधान मंत्री क्लार्क से मुलाकात की तथा विदेश मंत्री फिल गोफ और रक्षा मंत्री मार्क बर्टन से मुलाकात की। बैठक के दौरान न्यूजीलैंड के प्रधान मंत्री ने अगस्त में फिजी में होने वाले चुनाव के लिए दी जाने वाली सहायता का जिक्र किया। प्रधान मंत्री गोफ इस बात के प्रति भी आश्वस्त थे कि फिजी में चुनाव स्वच्छ और निष्पक्ष होंगे, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर भी चर्चा हुई।	विदेश मंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा से दोनों देशों के बीच बेहतर समझबूझ विकसित हुई है। न्यूजीलैंड के नेताओं के साथ विदेश मंत्री की बैठकें अत्यन्त सफल रहीं, विशेषकर फिजी तथा आपसी हित के अन्य क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर।

विवरण-II

विदेश राज्य मंत्री, श्री अजीत कुमार पांजा द्वारा की गई विदेश यात्राएं।

क्र.सं.	वर्ष 2000 से 31 जुलाई 2001 तक यात्रा किये गये देश	यात्रा का कारण	इन यात्राओं के दौरान की गई वार्ताओं और संपन्न किये गए करारों का ब्यौरा	वह क्षेत्र जिनसे देश को इन यात्राओं और करारों से लाभ मिला
1	2	3	4	5
1.	बंगलादेश (20-22 जनवरी, 2000)	यह यात्रा भारत और बंगलादेश के बीच चल रहे उच्च स्तर के परस्पर कार्य-कलापों का हिस्सा थी	विदेश राज्य मंत्री ने प्रधान मंत्री शेख हसीना से मुलाकात की और विदेश मंत्री, वित्त मंत्री और कृषि मंत्री तथा विदेश राज्य मंत्री के साथ विचार-विमर्श किया। विचार-विमर्शों में द्विपक्षीय सम्बंधों पर व्यापक चर्चा हुई। इस बात पर सहमति हुई कि अगरतला और ढाका के बीच एक बस सेवा आरंभ की जाएगी। जिसके लिए दोनों देशों द्वारा तौर-तरीके तैयार किए जायेंगे। इस यात्रा के दौरान कृषि के क्षेत्र में सहयोग से सम्बद्ध एक समझौता ज्ञापन सम्पन्न किया गया	यह यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सम्बन्धों के विकास में सहयोगी रही
2.	मारीशस (10-13 मार्च, 2000)	प्रधान मंत्री के शिष्टमंडल के सदस्य के रूप में	इस यात्रा के दौरान व्यापार, बैकिंग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में तीन करार और दोनों देशों के बीच समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन सम्पन्न किया गया	उच्च राजनीतिक स्तरीय यात्राओं के आदान-प्रदान के नवीकरण से भारत और मारीशस के बीच ऐतिहासिक सम्बन्ध और सुदृढ़ हुए
3.	ट्यूनीसिया (4-5 अप्रैल, 2000)	भारत-ट्यूनिसिया संयुक्त आयोग की बैठक	भारत-ट्यूनीसियाई संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक ट्यूनीसिया में हुई। विदेश राज्य मंत्री ने दोनों देशों के बीच मौजूदा उत्कृष्ट संबंधों को सुदृढ़ करने की दृष्टि से ट्यूनीसिया के प्रधान मंत्री, विदेश मंत्री और कई वरिष्ठ मंत्रियों के साथ विचार-विमर्श किया। निम्नलिखित करार संपन्न किये गये: 1. प्रत्यर्पण संधि	दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग बढ़ा।

1	2	3	4	5
			2. कृषि में सहयोग से सम्बद्ध समझौता ज्ञापन 3. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सहयोग का कार्यक्रम 4. सी आई आई और यूटी आई सी ए के बीच समझौता ज्ञापन 5. सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम	
4.	सूडान (8-9 अप्रैल, 2000)	भारत-सूडान संयुक्त आयोग बैठक	भारत-सूडान मंत्री स्तरीय संयुक्त आयोग की बैठक का दूसरा सत्र खार्तुम में हुआ। विदेश राज्य मंत्री ने सूडान के राष्ट्रपति और उद्योग, निवेश विदेश व्यापार, विदेश से सम्बद्ध मामलों, संस्कृति तथा सूचना मंत्रियों से विचारों का आदान-प्रदान किया। निम्नलिखित करार सम्पन्न किए गए: 1. व्यापार के क्षेत्र में सहयोग से सम्बद्ध करार 2. वार्षिक विदेश कार्यालय विचार-विमर्श पर समझौता ज्ञापन 3. लघु उद्योग के क्षेत्र में सहयोग के लिए करार 4. विदेश सेवा संस्थान, विदेश मंत्रालय और नेशनल सेंटर फार डिप्लोमैटिक स्टडीज, विदेश मंत्रालय, सूडान के बीच करार 5. 2000 से 2002 के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम 6. प्रैस ट्रस्ट आफ इंडिया और सूडान न्यूज एजेंसी के बीच करार	दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग बढ़ा। सूडान के साथ व्यापार सम्बन्ध बढ़ने की उम्मीद है। राजनयिक एवं राजनीतिक

1	2	3	4	5
			7. प्रसार भारती और सूडान के रेडियो एवं टेलीविजन के बीच सहयोग से सम्बद्ध प्रोतोकोल 8. 'फिक्की' और एसोचाम तथा सूडान के विजनेसमैन जनरल फेडरेशन के बीच संयुक्त व्यापार परिषद की स्थापना के लिए करार।	
5.	कुवैत (8-11 जुलाई, 2000)	द्विपक्षीय सम्बन्धों को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए	उच्च स्तरीय द्विपक्षीय विचार-विमर्श हुए। विदेश कार्यालय विचार-विमर्शों से सम्बद्ध समझौता ज्ञापन सम्पन्न हुआ।	
6.	जर्मनी (14-17 अगस्त 2000)	हैनोबर एक्सपो-2000 में भारतीय स्टाल पर भारत के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि।		हैनोबर एक्सपो-2000 में भारतीय स्टाल में श्री पांजा की उपस्थिति भारत का जर्मनी के साथ व्यापार बढ़ाने की महत्ता को दर्शाता है। उन्होंने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण अधिकारियों और व्यापारियों से चर्चा की। उन्होंने जर्मनी में सूचना प्रौद्योगिकी व्यावसायिकों की आवाजाही को सरल बनाने के लिए ग्रीन कार्ड प्रणाली की महत्ता पर प्रकाश डाला।
7.	अर्जेन्टीना और त्रिनिडाड और टोबागो (28- 30 अगस्त, 2000)	राजनीतिक परामर्श	राजनीतिक नेताओं के साथ विस्तृत विचार-विमर्श हुआ और दोनों देशों के विदेश सेवा संस्थानों के बीच करार संपन्न हुआ।	दोनों देशों के राजनयिक और अन्य अधिकारी सम्बद्ध संस्थानों द्वारा उनको दिए गए प्रशिक्षण द्वारा लाभान्वित होंगे।
8.	इराक (23-25 सितंबर, 2000)	द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करना	द्विपक्षीय बातचीत। विदेश कार्यालय परामर्शों पर समझौता ज्ञापन संपन्न।	राजनयिक और राजनीतिक
9.	हंगरी (5-6 फरवरी, 2001)	द्विपक्षीय यात्रा	इस यात्रा के दौरान विदेश राज्य मंत्री ने हंगरी गणराज्य के विदेश कार्य मंत्री डा. जानोस मार्तोनी,	इस यात्रा से भारत-हंगरी के द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने में सहायता मिली।

1	2	3	4	5
			हंगरी गणराज्य की संसद के उपाध्यक्ष श्री फेरेनक वेकलर और हंगरी गणराज्य की संसद की विदेश कार्य समिति के सभापति डा. इस्तवान जेंट इवानयी से भेंट की। विदेश राज्य मंत्री ने हंगरी गणराज्य के विदेश कार्य मंत्रालय में पालीटिकल स्टेट सेक्रेटरी श्री सोल्ट नेमेत के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर विस्तृत बातचीत की।	

विवरण-III

विदेश राज्य मंत्री, श्री यू.वी. कृष्णम राजू द्वारा विदेशों में की गई यात्राएं

क्र.सं.	वर्ष 2000 से 31 जुलाई 2001 तक यात्रा किए गए देश	इन यात्राओं को करने के कारण	इन यात्राओं के दौरान की गई वार्ताओं और संपन्न करारों का ब्यौरा	वे क्षेत्र जिनमें देश को इन यात्राओं और करारों से लाभ हुआ
1	2	3	4	5
1.	सिंगापुर (1-3 नवंबर, 2000)	भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करने और अप्रवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए।	विदेश राज्य मंत्री की सिंगापुर के विदेश मंत्री तथा विदेश राज्य मंत्री के साथ बैठक हुई। उन्होंने सिंगापुर भारत वाणिज्य एवं उद्योग चैम्बर के साथ तथा भारतीय समुदाय के साथ मुलाकात की।	राज्य मंत्री ने सिंगापुर के नेताओं के साथ व्यापार संबर्द्धन मामलों पर विशेष रूप से लाभप्रद चर्चा की। उन्होंने सिंगापुर में भारतीय मूल के लोगों की समस्या की जानकारी भी हासिल की।
2.	मलेशिया (6-8 नवंबर, 2000)	भारत और मलेशिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करने और अप्रवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए।	मलेशिया में राज्य मंत्री ने मलेशिया के विदेश कार्य और घरेलू व्यापार और उपभोक्ता कार्य के उप मंत्रियों से मुलाकात की तथा परस्पर हित के मसलों पर चर्चा की। उन्होंने भारतीय समुदाय के साथ परस्पर बातचीत की।	राज्य मंत्री ने मलेशियाई नेताओं के साथ व्यापार संवर्द्धन मामलों पर लाभप्रद चर्चा की। उन्होंने भारतीय मूल के लोगों की समस्या की जानकारी भी हासिल की।
3.	मैक्सिको (29 नवंबर-6 दिसंबर, 2000)	मैक्सिकन प्रेसीडेंसी का उद्घाटन	शून्य	लागू नहीं।

1	2	3	4	5
4.	संयुक्त अरब अमीरात (3-5 अप्रैल, 2001)	इस यात्रा का केन्द्र बिन्दु संयुक्त अरब अमीरात का शारजाह और फ्यूजिरा था जिस पर इससे पहले उचित ध्यान नहीं दिया गया।	शून्य	राजनीतिक, राजनयिक और आर्थिक
5.	ओमान (6-9 अप्रैल, 2001)	आई ओ आर-ए आर सी बैठक में भाग लेने के लिए।	भारतीय महासागर क्षेत्र में सहयोग पर बातचीत सम्पन्न हुई।	बहुपक्षीय संबंध
6.	सेंट लूसिया, गयाना और पनामा (7-17, जून, 2001)	राजनीतिक परामर्श	सम्बद्ध देशों के राजनीतिक नेताओं के साथ व्यापक विचार-विमर्श किए।	पनामा की यात्रा पहली उच्च स्तरीय यात्रा थी और इसमें केन्द्रीय विद्यालय की शाखा खोलने का निर्णय लिया गया। गयाना की यात्रा में राजनीतिक नेताओं और भारतीय मूल के व्यक्तियों के साथ आपस में बातचीत हुई।

श्री अजय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया कि पिछले डेढ़ वर्षों में माननीय विदेश मंत्री और विदेश राज्य मंत्रियों ने 44 विदेश यात्राएं की हैं। इन 44 यात्राओं के दौरान ट्यूनीशिया को छोड़ कर किसी दूसरे देश के साथ प्रत्यर्पण संधि के बारे में शायद ही बातचीत हुई। क्या किसी दूसरे देश के साथ इस बारे में कोई बातचीत हुई है? यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले?

श्री जसवन्त सिंह: माननीय सदस्य ने जिस संधि का नाम लिया, मैं उसे स्पष्ट रूप से सुन नहीं पाया। वह उसे कृपया पुनः कह दें जिससे मैं उसका उत्तर दे सकूं।

श्री अजय सिंह चौटाला: मैंने प्रत्यर्पण संधि का उल्लेख किया है।

श्री जसवन्त सिंह: जहां तक प्रत्यर्पण संधि का प्रश्न है अभी हाल ही में ऐसी संधि कुछ देशों के साथ हुई है और कुछ अन्य देशों के साथ भी ऐसी संधि होने के प्रयत्न चल रहे हैं। यह संधि अपने आप में एक पेचीदा पहलू है। जिन देशों के बीच आपस में ऐसी संधि होती है, उनकी अपनी न्यायिक व्यवस्थाएं हैं। उसके अन्तर्गत व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। यदि न्यायिक व्यवस्था भिन्न है तो प्रत्यर्पण संधि करने में व्यावहारिक कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। किन-किन देशों के साथ ऐसी न्यायिक व्यवस्था या न्यायिक विचारों में समानता है, ये सब देखा जाता है, इसलिए प्रत्यर्पण संधि करने में वक्त लगता है।

श्री अजय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब मुझे नहीं मिल पाया। मैंने पूछा था कि ट्यूनीशिया को छोड़ कर और किसी दूसरे देश के साथ इन 44 विदेश यात्राओं के दौरान कोई बातचीत इस बारे में हुई? यदि हां, तो उनके क्या परिणाम निकले?

श्री जसवन्त सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैंने यही प्रत्यन्न किया कि ऐसी बातचीत कई देशों के साथ हो। यात्राओं के दौरान इस बारे में बातचीत हुई। जिन देशों में यात्राएं सम्भव नहीं हुई, उनके साथ भी बातचीत चल रही है। जैसा मैंने समझाया कि हम इस बातचीत को संधि के रूप में एक विशेष स्थान पर लेकर आए। यह बात अपने आप में सर्वविदित है कि इसमें समय लगता है। ...*(व्यवधान)*

श्री अजय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैंने दूसरा सप्लीमैंटरी पूछा नहीं है। मुझे वह पूछने का मौका दिया जाए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: समय नहीं है। आप जल्दी से प्रश्न पूछें।

श्री अजय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, नाइजीरिया के साथ कच्चे तेल की आपूर्ति के सम्बन्ध में करार हुआ और मंत्री जी ने अपने उत्तर में इसका जिक्र किया। इसके तहत कच्चे तेल

की आपूर्ति भारत में कब आरम्भ होगी और उसकी मात्रा और लागत क्या होगी?

श्री जसवंत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरी नाइजीरिया की यात्रा के दौरान जो समझौता हुआ, उसमें क्रूड ऑयल का आयात करना था। आप जानते हैं कि नाइजीरिया विश्व का एक बड़ा तेल उत्पादक देश है। नाइजीरिया ने स्वीकार किया है कि वह सरकारी भाव पर भारत में इस तेल का व्यापार करने के लिए तैयार है और यही करार उनसे हो चुका है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

सूचना प्रौद्योगिकी के संबंध में निर्यात-आयात प्रक्रिया को सरल बनाना

***141. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति: क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार सूचना प्रौद्योगिकी के संबंध में निर्यात-आयात प्रक्रिया को सरल बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को सूचना प्रौद्योगिकी के आयातकर्ताओं से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है;

(ङ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) और (ख) लेन-देन की लागत एवं समय में कमी करने की दृष्टि से आयात-निर्यात संबंधी प्रक्रियाओं को सरल बनाने का प्रयास किया गया है। सरलीकरण की दिशा में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) लाइसेंस प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रानिक रूप से आवेदन प्रस्तुत करने की सुविधा,

(ii) अग्रिम लाइसेंस प्रदान करने और निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु (ईपीसीजी) योजना, जिसमें अंतर्बन्धित मानदंड विद्यमान नहीं हैं, के लिए स्वप्रमाणन सुविधा,

(iii) निर्धारित समयावधि आदि के अंदर लाइसेंस जारी करना,

(iv) इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ईएचटीपी)/ साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपी) योजनाओं में आवश्यक अनुमोदन/अनुमति प्रदान करने की शक्तियां पदनामित अधिकारियों को प्रदान की गई हैं और एसटीपीआई में निदेशक के रूप में तैनात किया गया है,

(v) सॉफ्टवेयर इकाइयों को आंकड़ा संचार सम्पर्कों के इस्तेमाल से या वास्तविक निर्यात के रूप में निर्यात करने की अनुमति दी गई है जिनमें व्यावसायिक सेवाओं का निर्यात भी शामिल है।

(ग) जी, हां।

(घ) इलेक्ट्रानिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी संघों ने निम्नलिखित के लिए सरकार को अभ्यावेदन दिया है:-

(i) एसटीपी/ईएचटीपी इकाइयों के लिए वास्तविक बन्धक को हटाना,

(ii) घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) में सॉफ्टवेयर की बिक्री की खुली अनुमति,

(iii) सॉफ्टवेयर निर्यात पर विशेष आयात लाइसेंस (एसआईएल) के समान प्रोत्साहन,

(iv) शत प्रतिशत प्रतिभूति तथा बैंक गारंटी हटाना,

(v) सीमा शुल्क बंध-पत्रों में छूट,

(vi) 31.3.2001 की स्थिति में शेष अनुप्रयुक्त विशिष्ट आयात लाइसेंसों का इस्तेमाल,

(vii) एसटीपीआई इकाइयों द्वारा कम्प्यूटरों के दान की कार्यविधि का सरलीकरण,

(viii) न्यूनतम निर्यात बाध्यता की शर्तों का सरलीकरण,

(ix) एसटीपीआई के पदनामित अधिकारी द्वारा आयातक-निर्यातक कोड जारी करना,

(x) संशोधित ईएचटीपी योजना जिसमें लागू शुल्कों के लिए असीमित निर्यात बाध्यता आदि नहीं हैं।

(ङ) उद्योग तथा निर्यातकों से प्राप्त जानकारी के आधार पर सरकार द्वारा आयात-निर्यात नीति तथा कार्यविधियों की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। व्यापार के हित में आवश्यकतानुसार

यथासंभव सरलीकरण किए जाते हैं और यह एक सतत् प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

हिंदी को बढ़ावा देना

*145. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूतावास अपने सरकारी कार्यों में न तो हिंदी का प्रयोग करते हैं और न ही इन्होंने इस कार्य हेतु किसी कर्मचारी या अधिकारी की नियुक्ति की है और इस कार्य हेतु उनके यहां कोई सुविधा भी नहीं है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय दूतावास भारतीय मूल के लोगों से भी राजभाषा में पत्र व्यवहार नहीं करते और राजभाषा समिति के प्रकाशनों में भी कोई सहयोग नहीं देते;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या मंत्रालय राजभाषा हिंदी के प्रचार और उसके प्रयोग की अपनी जिम्मेदारी से अवगत नहीं है; और

(च) यदि हां, तो दूतावासों मे हिंदी का प्रयोग सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) विदेश स्थित भारतीय मिशन/केन्द्र मुख्यतया आपना क्रियाकलाप विदेशी सरकारों और अधिकारियों के साथ करते हैं। मिशन/केन्द्र अपना सरकारी कामकाज हिन्दी में करने के लिए निरन्तर सभी प्रयास कर रहे हैं। निम्नलिखित छह मिशनों में हिन्दी के पद हैं:-

(1) भारत का उच्चायोग-पोर्ट लुई, भारत का उच्चायोग-सूवा तथा भारत का उच्चायोग-पोर्ट ऑफ स्पेन में द्वितीय सचिव (हिन्दी) का एक-एक पद।

(2) भारत का राजदूतावास-काठमांडू, भारत का उच्चायोग-लंदन तथा भारत का उच्चायोग-पारामारिबो में अताशे (हिन्दी एवं संस्कृति) का एक-एक पद।

(3) भारत का राजदूतावास-काठमांडू में हिन्दी अनुवादक का एक पद।

(ग) और (घ) विदेश स्थित भारतीय दूतावास, राष्ट्रीय दिवस समारोहों तथा सद्भावना दिवस सहित अन्य अवसरों पर भारतीय समुदाय से क्रियाकलाप हिन्दी में करते हैं। भारतीय मूल के व्यक्तियों सहित सभी से प्राप्त होने वाले हिन्दी पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही दिया जाता है। विदेश स्थित भारतीय मिशन/केन्द्र हिन्दी के प्रचार-प्रसार से जुड़ी स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओं को अपना पूरा समर्थन एवं सहयोग प्रदान करते हैं।

(ङ) और (च) मंत्रालय को विदेश स्थित भारतीय मिशनों/केन्द्रों में राजभाषा हिन्दी के क्रियान्वयन से संबंधित अपने उत्तरादायित्वों की जानकारी है। विदेशों में हिन्दी के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से मंत्रालय ने एक सुविचारित योजना तैयार की है जिसमें भारतीय संस्कृति, कला, साहित्य, भाषा, इतिहास, दर्शन जैसे विभिन्न विषयों पर हिन्दी में लिखी पुस्तकों को भारतीय मिशनों के पुस्तकालयों तथा हिन्दी शिक्षण संस्थाओं एवं हिन्दी के प्रचार-प्रचार से जुड़ी स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओं को दान स्वरूप देने के लिए भेजना शामिल है। भारतीय मिशनों को पाठ्य पुस्तकें, शब्द कोष, दृश्य-श्रृव्य कैसेट, कम्प्यूटर हिन्दी साफ्टवेयर, सी डी रॉम इत्यादि सहित अन्य हिन्दी शिक्षण सामग्री भी भिजवाई जाती है। मिशन स्वयं अपनी ओर से स्थानीय भारतीय समुदाय तथा स्वैच्छिक हिन्दी संगठनों के साथ सम्पर्क बनाए रखते हैं तथा हिन्दी से जुड़ी उनकी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ भारतीय मिशन वहां पर कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों को हिन्दी सिखाने के लिए हिन्दी कक्षाएं भी चलाते हैं। वे केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा में हिन्दी का अध्ययन करने वाले विदेशी छात्रों के चयन का कार्य भी करते हैं। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के माध्यम से विदेशों में हिन्दी प्राध्यपकों एवं प्रवक्ताओं को भी तैनात किया जाता है। विदेश स्थित कुछ भारतीय मिशन अपने प्रत्यापन के देशों में हिन्दी के प्रचार के लिए हिन्दी सम्मेलन, हिन्दी प्रतियोगिताएं, हिन्दी निबंध प्रतियोगिताएं भी आयोजित करते हैं। हिन्दी के प्रचार-प्रसार से जुड़ी स्वैच्छिक संस्थाओं को उदार वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। विदेश स्थित भारतीय मिशन/केन्द्र अपने-अपने प्रत्यायन के देशों में इलैक्ट्रानिक मीडिया से भी सम्पर्क बनाए रखते हैं। वे उन्हें भारतीय डाक्यूमेंटरी फिल्में, फीचर फिल्में तथा टी वी पर प्रसारित होने वाले धारावाहिक इत्यादि देकर उनकी पूरा सहायता करते हैं। मंत्रालय तथा विदेश स्थित भारतीय मिशन हिन्दी के प्रचार-प्रसार की दिशा में हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) विधेयक

*146. **श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भ्रष्ट अधिकारियों पर अर्थदंड लगाने की केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) की सलाह को क्रियान्वित करने में असाधारण विलंब हो रहा है; और

(ख) सरकार द्वारा (सी.वी.सी.) की सलाह के बिना किसी विलंब के क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाए किए जाने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, *कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और* पेंशनभोगी कल्याण विभाग *में राज्य मंत्री तथा* परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) किसी मामला विशेष में केन्द्रीय सतर्कता-आयोग द्वारा की गई सलाह पर विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में, संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारियों द्वारा, विचार, उस मामले में, संगत नियमों के प्रावधानों के अनुसार निर्णय लेते समय किया जाता है। अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा, जहां कहीं अनिवार्य हो, दण्ड की मात्रा के बारे में संघ लोक सेवा आयोग से भी परामर्श किया जाना अपेक्षित होता है। संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने और उसके पश्चात् केन्द्रीय सतर्कता-आयोग/संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की गई सलाह के मद्देनजर मामले की जांच-पड़ताल करने की प्रक्रिया में अतिरिक्त समय लग जाता है। इसके अलावा, मामले में तब भी समय लग जाता है जबकि अनुशासनिक प्राधिकारी के पास केन्द्रीय सतर्कता-आयोग/संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दी गई सलाह से असहमत होने का कोई कारण हो। फिर भी अनुशासनिक कार्यवाही, एक निश्चित समय-सीमा में ही पूरी कर लिए जाने के अनुदेश हैं। संबंधित विभागों के सचिवों द्वारा, लंबित चल रहे अनुशासनिक मामलों की मासिक समीक्षा किए जाने और ऐसी समीक्षा का परिणाम कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग को सूचित किए जाने के भी अनुदेश हैं। ऐसा किसी मामला-विशेष में असाधारण विलम्ब नहीं होने देने की दृष्टि से किया गया है। इसके अतिरिक्त, ऐसे मामलों का निबटारा शीघ्रता से किया जाना सुनिश्चित करने की दृष्टि से, केन्द्रीय सतर्कता-आयोग विभिन्न मंत्रालयों में ऐसे मामलों में निबटारे की स्थिति पर लगातार कड़ी नजर भी रखता है।

हज यात्रियों के लिए प्रबन्ध

***147. श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष केन्द्रीय हज समिति द्वारा किए गए प्रबन्धों से हज यात्री संतुष्ट नहीं थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सरकार और केन्द्रीय हज समिति प्रति वर्ष भारतीय हज यात्रियों के लिए सुविधाओं में सुधार लाने तथा उनमें वृद्धि करने के लिए लगातार प्रयास करती है।

वृद्धाश्रम

***148. श्री पी.डी. एलानगोवन:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में वृद्ध व्यक्तियों के लाभार्थ और अधिक संख्या में वृद्धाश्रम और चिकित्सीय देखभाल केन्द्र स्थापित करने हेतु कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा स्वयंसेवी संगठनों को ऐसे आश्रम और केन्द्र चलाने हेतु स्वसंसेवी संगठन-वार कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) और (ख) भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ''वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम'' नामक योजना के अंतर्गत वृद्धावस्था गृहों, दिवा देखभाल केन्द्रों, मोबाइल चिकित्सा ईकाइयों और गैर-संस्थागत सेवा केन्द्रों की स्थापना और रख-रखाब के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान/वित्तीय सहायता देता है। इसी तरह ''वृद्ध व्यक्तियों के लिए वृद्धावस्था गृहों/बहु सेवा केन्द्रों के निर्माण के लिए पंचायती राज संस्थाओं/स्वैच्छिक संगठनों/स्व-सहायता समूहों की सहायता योजना'' नामक योजना के अंतर्गत वृद्ध व्यक्तियों के लिए वृद्धावस्था गृह और बहु सेवा केन्द्रों के निर्माण हेतु पात्र संगठनों को सहायता अनुदान दी जाती है।

वृद्धावस्था गृहों का निर्माण और दिवा देखभाल केन्द्रों और मोबाइल चिकित्सा ईकाइयों की स्थापना इस प्रयोजन के लिए सहायता अनुदान हेतु सरकार से सम्पर्क करने वाले गैर-सरकारी संगठनों की संख्या पर निर्भर करती है। तथापि, इन संस्थाओं की संख्या में हर वर्ष वृद्धि हो रही है।

प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर अतिरिक्त केन्द्र शुरू किए जाते हैं। वृद्धावस्था गृहों, दिवा देखभाल केन्द्रों, मोबाइल चिकित्सा इकाइयों और गैर-संस्थागत सेवा केन्द्रों की राज्यवार संख्या विवरण-I (संलग्न में दी गई है।

(ग) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1998-99, 1999-2000, 2000-2001 और वर्तमान वर्ष 2001-2002 (30.7.2001 तक) के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वृद्धावस्था गृहों, दिवा देखभाल केन्द्रों, मोबाइल चिकित्सा इकाइयों और गैर-संस्थागत सेवा केन्द्रों को चलाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को दी गई वित्तीय सहायता का गैर-सरकारी संगठन-वार और राज्यवार ब्यौरा विवरण-II (संलग्न) में दिया गया है।

विवरण-I

(30.7.2001 की स्थिति के अनुसार)

क्रम/सं.	राज्य का नाम	गैर सरकारी संगठनों की सं.	वृद्धावस्था गृह	दिवा देखभाल केन्द्र	मोबाइल चिकित्सा ईकाइयां	गैर संस्थागत सेवा केन्द्र	कुल मामले
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	*आंध्र प्रदेश	133	98	58	16	1	173
2.	*असम	9	3	14	1	0	18
3.	*बिहार	2	1	2	0	0	3
4.	*गुजरात	6	3	3	11	0	17
5.	*हरियाणा	18	4	21	1	0	26
6.	*हिमाचल प्रदेश	2	0	7	1	0	8
7.	*जम्मू एवं कश्मीर	7	3	2	4	0	9
8.	*कर्नाटक	25	24	2	1	0	27
9.	*केरल	4	2	7	2	0	11
10.	*मध्य प्रदेश	8	6	8	0	0	14
11.	*महाराष्ट्र	20	6	15	7	0	28
12.	*मणिपुर	34	22	33	2	1	58
13.	नागालैंड	3	1	2	0	0	3
14.	*उड़ीसा	53	40	91	6	0	137
15.	*पंजाब	14	5	11	0	0	16
16.	*राजस्थान	2	0	6	1	0	7
17.	*तमिलनाडु	54	41	31	6	0	78
18.	*त्रिपुरा	3	2	7	0	0	9

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	*उत्तर प्रदेश	63	34	56	2	0	92
20.	*पश्चिम बंगाल	55	33	55	8	0	96
21.	दिल्ली	7	0	3	4	0	7
22.	*पांडिचेरी	4	3	2	0	0	5
23.	चंडीगढ़	1	0	0	1	0	1
	कुल	527	331	436	74	2	843

*नोट: इस विवरण में नेहरू युवा केन्द्र संगठन भी शामिल है जो कि युवा कार्य एवं खेल विभाग, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के नियंत्रणाधीन एक स्वायत्त संगठन है।

विवरण-II

वर्ष 1998-99, 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 (30.7.2001 तक) के लिए वृद्धावस्था गृहों, दिवा देखभाल केन्द्रों, मोबाइल चिकित्सा देखभाल इकाईयों और गैर-संस्थागत सेवा केन्द्रों को चलाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता के राज्य-वार/जिला-वार/गैर-सरकारी संगठन-वार ब्यौरे

संक्षेप:
ओएएच-वृद्धावस्था गृह
डीसीसी-दिवा देखभाल केन्द्र
एमएमयू-मोबाइल चिकित्सा इकाइयां
एनआईएस-गैर-संस्थागत सेवाएं

(रुपए लाख में)

							निर्मुक्त राशि	
	ओ ए एच	डी सी सी	एम एम यू	एन आई एस	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02
	1	2	3	4	5	6	7	8
I. आन्ध्र प्रदेश								
(1) अनन्तपुर जिला								
1. आदर्श महिला मंडली	0	0	1	0	0.31	1.806	0.77	
2. रूपा एजुकेशन समिति	1	0	0	0	0	1.205	2.65	
3. क्रिस्ट ग्रामीण विकास और शिक्षा समिति	1	0	0	0	1.25	2.619	1.34	
4. कल्चरल एक्शन इन रूरल डेवलपमेंट	1	0	0	0	1.94	2.522	0	

		1	2	3	4	5	6	7	8
5.	मरसी अल्पसंख्यक शिक्षा समिति	0	3	0	0	1.78	5.771	2.94	
6.	मदर इंडिया	1	0	0	0	2.15	2.152	1.37	
7.	नवभारत सोशल इकोनोमिक एजुकेशन डवलपमेंट सोसायटी	1	0	0	0	1.11	2.402	1.33	
8.	पीपल्स रूरल एजूकेशन डेव. सोसायटी	1	0	0	0	2	2.472	0	
9.	सिरडी सांई युवाजन संगम	0	0	1	0	0.31	0	0	
10.	सामाजिक-आर्थिक शिक्षा विकास समिति	1	1	0	0	0.48	1.701	0	
11.	श्री राकेश शैक्षिक और कल्याण समिति	0	1	0	0	1.62	4.386	4.39	2.29
12.	श्री वेंकटेश्वर कान्वेंट एजुकेशनल सर्विस सोसायटी	1	0	0	0	2.1	2.341	4.18	
13.	संगमेश्वर एजूकेशन सोसायटी	1	0	0	0	0	0.989	0	
14.	सोसायटी फार वेलफेयर एवेकिंग इन रूरल एनविरानमेंटल	0	2	0	0	0	0.664	3.59	1.96
15.	रूरल पूअर पीपल्स वेलफेयर सोसायटी	1	0	0	0	0	0.848	0	
(2)	कुड्डापाह जिला								
1.	चेतन्य शिक्षा व ग्रामीण विकास समिति	1	0	0	0	0	1.026	4.14	
2.	डेपरेस्ड पीपल्स डेव सोसायटी	1	0	0	0	1.02	3.064	1.24	1.24
3.	डा. अम्बेडकर दलित वर्ग अध संगम	1	0	0	0	1.94	3.462	2.69	1.38
4.	जगजीवन बलहीनवर्ग अभ संगम		0	1	0	1.27	2.417	1.93	0.98
		1	0	0	0	1.08	0	0	
5.	रूरल एजु. एंड अवेयरनेस डेव. सोसायटी	1	0	0	0	1.02	3.063	1.24	1.24
6.	श्रीनिवास शिक्षा और ग्रामीण विकास सो.	1	0	0	0	0.89	2.734	2.76	1.38

		1	2	3	4	5	6	7	8
7.	श्री पदमावती महिला मंडली	1	0	0	0	1.11	0.538	3.97	
8.	श्री वेंकटेश्वर सामाजिक आर्थिक विकास समिति	0	1	0	0	0.66	2.871	0.94	
9.	विजया सामाजिक आर्थिक विकास समिति	1	0	0	0	0	0.853	2.27	1.18
(3) चितूर जिला									
1.	इंदिरा महिला मंडली	0	0	1	0	0.16	0	3.33	
2.	ज्योति यूथ एसो.	0	1	0	0	0.35	1.285	1.96	
3.	मदर इंडिया कम्यूनिटी डेव. एसो.	2	1	1	0	8.42	10.004	10.51	5.29
4.	मुथुवाणि कम्यूनिटी वेल. एसो.	1	0	0	0	1.07	0	0	
5.	पेडा प्राजला समिति	2	0	0	0	4.3	5.528	2.764	
6.	पीपल्स एक्शन फार सोशल सर्विस	2	0	1	0	6.07	7.876	7.88	3.94
7.	पीपल्स आर. फार वेलफेयर एंड एजु. रिहैबिलिटेशन	0	1	0	0	0.46	1.957	1.96	
8.	प्रजा अमुदया सेवा समिति	0	0	1	0	1.88	0.939	0	
9.	राष्ट्रीय सेवा समिति	2	9	0	0	15.08	14.646	27.59	
10.	सर्वोदय महिला कल्याण समिति	1	1	0	0	3.29	4.397	4.39	
11.	सेवा भारती	0	2	0	0	2.65	2.646	3.59	
12.	श्री वेंकटेश्वर महिला मंडली	1	1	1	0	9.12	7.5	6.44	
13.	तेलुगु भारतीय महिला मंडली	1	0	0	0	2.89	2.151	2.76	1.38
(4) पूर्वी गोदावरी जिला									
1.	एसो. फार दि केयर आफ ऐजड	1	0	0	0	0.36	1.314	1.05	2.02
2.	हेल्प दी वूमेन	1	1	0	0	3.72	4.722	4.72	
3.	पुशकरमथा कानवेंट शिक्षा समिति	0	1	0	0	1.57	1.566	1.96	

		1	2	3	4	5	6	7	8
4.	संजय गांधी मेमोरियल ओरफनेज एंड बोर्डिंग होम	1	0	0	0	2.15	2.152	2.76	1.38
5.	श्रद्धा शिक्षा समिति	1	0	0	0	0	0.989	2.59	
6.	सुनीता महिला मंडली	0	0	1	0	0	0	0.55	0.55
(5) गुंटूर जिला									
1.	इन्दिरा मेमोरियल वीकर सैक्शन डेव. सोसा.	1	0	0	0	2.15	2.151	0	
2.	कोथापेटा महिला मंडली	1	0	0	0	2.15	2.764	2.76	
3.	नरसरपेट ताल्लुक एसटी/ यूथ क्लब	1	0	0	0	3.22	2.15	2.64	1.38
4.	नवीन आदर्श महिला मंडली	1	0	0	0	2	2.756	2.76	
5.	प्रकाशम नगर महिला मंडली	0	1	0	0	0.77	1.748	0	
6.	एसईआरडी, एससी/एसटी और क्रिश्चियन वेलफेयर सोसायटी	1	0	0	0	0.83	1.814	3.65	
7.	सोशल एक्शन रूरल रिहैबलीटेशन क्रिएटीव एमोलीरेशन एंड रिलीफ	1	0	0	0	3.08	1.382	0	
8.	सोनिया गांधी हरिजन गिरीजन बलहीन वर्गमूला महिला मंडली	0	0	0	0	1.08	7.706	2.31	
9.	श्री सारदा महिला विगनाना समिति	0	1	0	0	1.81	1.747	1.81	
10.	उदय श्री महिला समाजम	1	0	0	0	2.15	2.764	0	
11.	वेलामना वीकर सेक्शन एसो.	0	1	0	0	1.35	1.35	0	
12.	केन्द्रिका महिला मंडली	1	0	0	0	0	0.738	2.59	
(6) हिन्दुपुर जिला									
1.	श्री वेंकटेश्वर कांवेट एजु. सोसायटी	1	0	0	0	0	2.341	0	
(7) हैदराबाद जिला									
1.	अन्नापूर्णा मानव समकसम समिति	0	1	0	0	1.23	1.262	1.86	
2.	अनुराग सिकन्द्राबाद	0	0	1	1	0.41	1.796	1.82	
3.	अनुराग हयूमन सर्विस	1	0	0	0	2.1	2.496	2.62	

		1	2	3	4	5	6	7	8
4.	डा. पी.एन. हनुमंता राव चेरिटेबल ट्रस्ट	1	0	0	0	2.15	2.712	2.76	
5.	हेमपाल सोसायटी	1	0	0	0	1.29	2.152	1.33	
6.	महिला दक्षता समिति	0	1	1	0	2.8	3.232	3.63	
7.	ओल्ड ऐज वेलफेयर सेंटर	1	0	1	0	3.82	5.34	5.21	
8.	ग्रामीण एकीकृत विकास समिति	1	0	0	0	1.06	0	2.33	2.34
9.	साइ सेवा संघ	1	0	0	0	1.72	2.224	1.11	
10.	सोशल एन्टीग्रेशन फार रूरल इम्प्रूवमेंट	1	0	0	0	0	0.332	3.14	
11.	एस आफ नोन गवर्नमेंट ओरगनाइजेशन	1	0	0	0	0	0.697	0	
12.	ज्योति वेलफेयर एसोसिएशन	1	0	0	0	0	2.197	4.1	
(8) करीमनगर जिला									
1.	माधुरी महिला मंडली	1	0	0	0	0	0	0	
2.	संतोष एजूकेशन सोसायटी	1	0	0	0	0	0.823	0	2.17
(9) खम्माम जिला									
1.	जय श्री महिला संगम	0	1	0	0	0.49	1.96	1.96	0.98
(10) कृष्णा जिला									
1.	ए.पी. गिरीजन सेवक संघ	1	1	0	0	3.5	4.597	4.72	2.36
2.	अनाम व्यावरूधा सेवा सदनाम	1	0	0	0	0	1.284	2.55	
3.	कन्टरी वूमेन एसो. आफ इंडिया	1	0	0	0	2.74	2.278	2.28	
4.	एकीकृत विकास एजेंसी	1	0	1	0	0	1.69	4.01	2.11
5.	महिला संघम	1	0	0	0	1.74	0	1.72	
6.	मदर टेरेसा महिला मंडली	0	1	0	0	1.39	1.858	1.84	
7.	सीनियर सीटीजन फोरम	1	0	0	0	1.48	2.414	2.36	
8.	वैश्वया महिला मंडली	0	1	0	0	2.02	1.596	1.79	
9.	बापूजी एकीकृत ग्रामीण विकास सो.	1	0	0	0	0	0.871	2.76	1.38

		1	2	3	4	5	6	7	8
10.	श्री त्रिवेणी शैक्षिक एकेडमी	0	1	0	0	0	0	2.15	
(11) कुरनूल जिला									
1.	नव भारत एजुकेशन सोसायटी	1	0	0	0	0.86	0.859	2.55	
(12) महबूब नगर जिला									
1.	वीथल एजूकेशनल सोसायटी	1	0	0	0	2.15	2.764	2.76	
2.	सोशल एक्शन फार सोसल डेवलपमेंट	1	1	1	0	3.5	6.511	7.31	3.66
3.	नवोदय सेवा संस्थान	1	0	0	0	0	0.992	2.72	
4.	ग्रामोयुदमा सेवा संस्थान	1	0	0	0	0	0.757	2.22	
5.	स्वराज्य लक्ष्मी ओरम फार वूमेन	1	0	0	0	0	0.833	2.17	
6.	संध्या रूरल वेलफेयर सोसायटी	1	0	0	0	0	0.833	2.31	
7.	एस ए वी गुप्ता एजूकेशनल सोसायटी	1	0	0	0	0	0.827	1.37	
8.	रूरल सोशल वेलफेयर एसो.	1	0	0	0	0	0.833	1.36	
(13) नालगोंडा जिले									
1.	सोसायटी आफ अमानुमल एवानगलिगम फार रूरल डेवलपमेंट	1	0	0	0	0.9	2.312	2.71	
2.	महालक्ष्मी महिला मंडली	1	0	0	0	2.82	0	2.35	2.62
(14) नेल्लोर जिला									
1.	आर्य दयानन्द महिला मंडली	1	0	0	0	2.15	2.764	2.22	1.38
2.	अस्थान ए चिस्ती महिला मंडली	1	0	0	0	0	3.471	4.08	1.38
3.	भारती महिला स्वैच्छिक सेवा संस्थान	1	0	0	0	1.2	3.025	1.25	
4.	डिवाइन (इंडिया)	1	0	0	0	1.2	0	4.04	
5.	हेल्थ दी नीड	0	1	0	0	1.35	1.35	1.96	
6.	इन्दिनामा महिला मंडली	0	0	1	0	1.69	0.888	1.4	0.53
7.	नेहरू भारती एजूकेशन संस्था	1	0	0	0	0	2.151	2.57	1.27
8.	पालीमरस एजूकेशनल सोसायटी	1	1	0	0	2.15	2.945	4.56	1.38

		1	2	3	4	5	6	7	8
9.	श्री विगनेश्वर महिला मंडली	0	1	1	0	1.26	1.378	2.89	
10.	हरिजन क्रिश्चयन समाज कल्याण सोसायटी	1	0	0	0	0	0.877	2.53	1.38
11.	शारदा महिला मंडली	0	1	0	0	1.35	0		
12.	लक्ष्मी महिला मंडली	0	1	0	0	0	0.332	1.79	
(15) प्रकाशम जिला									
1.	थ्रीमैन एकाडमिकस	1	1	0	0	0.93	1.741	4.15	
2.	आदर्श महिला मंडली	1	0	0	0	2.13	04.06	1.38	
3.	आन्ध्र केसरी मेमोरियल छात्रावास समिति	1	0	0	0	2.08	0	0	
4.	अरूणोदय महिला मंडली	0	1	0	0	0.65	1.627	1.96	
5.	इन्दिरा प्रियदर्शनी महिला मंडली	0	1	0	0	1.9	1.769	0.98	0.98
6.	कारताजीबुला जातीय सेवा संगम	1	0	0	0	2.08	2.505	0	
7.	लक्ष्मी महिला मंडली	1	0	0	0	2.09	2.764	2.75	2.32
8.	महिला मंडली	1	0	0	0	2.15	2.152	2.76	1.38
9.	प्रकाशम जिला बालाहीना वर्गमला कालोनी बरला सेवा संगम	1	1	0	0	3.26	4.722	4.72	2.36
10.	प्रियदर्शनी महिला मंडली	0	1	0	0	1.22	1.769	1.85	
11.	शवरी गिरीजन महिला मंडली	0	1	0	0	0.65	2.309	1.64	
12.	सामथा महिला बेदिका	1	1	0	0	1.34	3.912	4.44	2.36
13.	श्री कत्ती जी वाले जातीय सेवा संगम	1	0	0	0	0	2.514	2.66	
14.	श्रीमहालक्ष्मी महिला मंडली	1	0	0	0	0	4.078	2.66	
15.	बालमीकि सेवा संगम	1	0	0	0	0.97	3.662	1.38	
16.	वाकवी शैक्षिक सोसायटी	1	0	0	0	1	2.188	2.76	1.38
17.	गुट्टूकोरी वेंकटासब्बामा वेलफेयर सोसायटी	0	1	0	0	0	1.876	1.96	0.98

	1	2	3	4	5	6	7	8
(16) आर आर जिला								
1. हैदराबाद जिला महिला मंडुलका सामाख्या	1	0	0	0	0	2.044	0	
2. वेंकटेश्वर सोशिल सर्विस एसो.	0	1	0	0	1.33	1.957	1.96	
3. शहरी और ग्रामीण विकास सोसा.	0	1	0	0	0	0.595	0	
(17) विशाखापत्तनम जिला								
1. कस्तूरबा गांधी महिला मंडली	1	0	0	0	1.77	2.152	1.08	
2. प्रियदर्शनी सेवा संगठन	1	0	0	0	2.13	2.581	1.26	1.26
3. श्री वेंकटेश्वर युवा जन संगम	1	0	0	0	2.15	0.971	3.51	
(18) विजयानाग्राम जिला								
1. प्रेमा समाजम	1	0	0	0	1.65	2.189	2.15	
(19) बारांगल जिला								
1. आल इंडिया वूमेन कांफ्रेस	0	1	0	0	0.32	0	0	
2. कस्तूरीवाइ महिला मंडली	1	0	0	0	1.98	0	2.55	2.76
(20) पश्चिम गोदावरी जिला								
1. सेंट मेरी रिहैब्लीटेशन सेंटर फार अर्पण, विडोज एंड लेपर	1	0	0	0	2.15	2.68	2.76	
(21) नेहरू युवा सेवा संगठन (करीम नगर, महबूब नगर, नैलोर और विशाखापत्तनम जिले के लिए)	0	4	0	0	0	1.06	0	
II. असम								
(1) हैलाकांडी जिला								
1. वुड विची	1	0	0	0	0.87	0.872	2.76	
(2) नागोन जिला								
1. बहुमुखी कृषि एवं समाज कल्याण समिति	1	1	0	0	2.15	3.654	4.2	
2. ग्राम विकास परिषद	0	1	1	0	0.63	1.876	2.09	
3. साधु असोम ग्राम उथीभारल संस्था	1	0	0	0	0	0	0	

	1	2	3	4	5	6	7	8
(3) जोरहट जिला								
1. असम चाय मजदूर मल्टीपरपस एजूकेशन एसो.	0	2	0	0	0.69	0.57	7.83	
(4) लखीमपुर जिला								
1. खोरापटर सम्मिलित युवक समाज	0	1	0	0	0	0.45	1.45	
2. लखीमपुर सेवा सदन	0	1	0	0	0	0	0	
(5) कामरूप जिला								
1. डा. अम्बेडकर मिशन	0	1	0	0	0	0.33	1.96	
(6) नेहरू युवा सेवा संगठन								
(धुवरी, करीमगंज, उत्तरी लखीमपुर, कचार, त्रिचर, नागौन और डिबरूगढ़ के लिए)	0	7	0	0	0	1.9	0	
III. बिहार								
(1) पटना जिला								
1. महिला मुक्ति वाहिनी	1	0	0	0	1.08	0	0	
(1) नेहरू युवा केन्द्र संगठन (पूर्णिमा और बकारो जिला के लिए)	0	2	0	0	0	0.54	0	
IV. गुजरात								
1. अहमदाबाद जिला								
1. गुजरात कलवानी ट्रस्ट	1	0	0	0	2.15	2.233	2.76	1.38
2. रचनात्मक अभिगम ट्रस्ट	0	1	0	0	0	3.356	1.96	0.98
3. हल्पेज इंडिया	0	0	11	0	0	0.547	109.03	0
4. एज वेल फाउंडेशन	0	0	0	0	0	0	7.6	
5. भारतीय आदिम जाति सेवक संघ	2	0	0	0	0	0	4.6	0
(2) नेहरू युवा संगठन (जिला राजकोट पंचमल के लिए)						125.95		
V. हरियाणा								
(1) बहादुरगढ़ जिला								
1. अखिल भारतीय संत हरिदास समाज सेवा संघ	1	0	0	0	0.756	0		

		1	2	3	4	5	6	7	8
(2) फरीदाबाद जिला									
1.	भारतीय नवचार कन्या विकास समिति	0	1	0	0	1.42	0.859	0	
1.	हेल्प एज इंडिया	0	0	1	0	0	0.547	1.67	
(3) हिसार जिला									
1.	ग्राम स्वराज्य संस्थान	0	1	0	0	0	0.486	1.96	
(4) जिंद जिला									
1.	अमर ज्योति शिक्षा संस्थान	1	1	0	0	1.94	3.045	4.72	
(5) कुरूक्षेत्र जिला									
1.	कर्मभूमि संस्थान	0	1	0	0	0	0.045	0	
2.	जनजागृति संस्थान	0	2	0	0	0	0.66	0	
(6) महेन्द्रगढ़ जिला									
1.	माधव सिंह मेमोरियल ट्रस्ट	1	0	0	0	0	0	0	1.68
(7) पंचकुला जिला									
1.	सीनियर सिटीजन काउंसिल	0	1	0	0	0.81	0.861	0.44	
(8) पानीपत जिला									
1.	हरियाणा लोक कल्याण शिक्षा समिति	0	1	0	0	0	0.128	0.98	1.96
(9) रिवाड़ी जिला									
1.	जनता कल्याण समिति	0	1	0	0	0.38	0.999	0	
(10) रोहतक जिला									
1.	चौबीस विकास संघ	1	1	0	0	3.5	4.722	4.72	2.36
2.	हरियाणा नव युवक कला संगम	0	2	0	0	2.7	3.915	3.92	1.96
(11) सोनीपत जिला									
1.	आदर्श सरस्वती शिक्षा समिति	0	1	0	0	1.24	1.958	0	
2.	हरियाणा लोक कल्याण समिति	0	1	0	0	0.68	1.654	0.98	
3.	समाज कल्याण शिक्षा समिति	1	0	0	0	1.02	1.022	2.68	

	1	2	3	4	5	6	7	8
(12) यमुना नगर जिला								
1. उत्थान	0	1	0	0	0.68	1.905	0	
(13) नेहरू युवा केन्द्र संगठन (जिला यमुनानगर, भवानी, सोनीपत, रोहतक और करनाल के लिए)	0	5	0	0	0	1.35	0 20.4	
VI. हिमाचल प्रदेश								
(1) सिरमौर जिला								
1. इन्दिरा लेडी क्लब	0	1	1	0	1.74	5.449	4.82	
(2) नेहरू युवा केन्द्र संगठन (जिला बिलासपुर, कांगड़ा, सोलन, कुल्लू, शिमला और नाहन के लिए)	0	6	0	0	0	1.62	0	
VII. जम्मू और कश्मीर								
(1) लेह जिला								
1. महाबौद्ध इंटरनेशन मेडीटेशन सेंटर	1	0	0	0	1.11	0	0	
(2) राजोरी जिला								
1. सोशिल वेलफेयर इंडिया आरगनाइजेशन	0	0	2	0	0	4.957	8.26	2.75
(2) राष्ट्रीय विकास संस्थान	0	0	1	0	0	0	0	0.81
(3) जम्मू जिला								
1. हैल्पेज इंडिया	0	0	1	0	0	1.368	1.67	0
(4) बारामूला जिला								
1. (मजली-सन-निसा, सोपोर, बारामूला)	1	0	0	0	0	0	1.34	
(5) श्रीनगर जिला								
1. सोसायटी फार अरबन डेवलपमेंट	1	0	0	0	0	0	0	1.8
(6) नेहरू युवा सेवा संगठन (कठुआ और जम्मू जिले के लिए)	0	2	0	0	0	0.54	0	
VIII. कर्नाटक								
(1) बंगलौर (शहरी) जिला								
1. आशाक्ता पोशाक्ता सभा	1	0	0	0	2	0	8.36	
2. डा. जचानी राष्ट्रीय रोवा पथ	1	0	0	0	1.13	0.645	8.17	

		1	2	3	4	5	6	7	8
3.	माटरादाहल्ली जापाजीवनराम सर्वोदय संघ	1	0	0	0	1.01	3.033	2.55	
4.	श्री अमीगाढ़ा चावदार साह शैक्षिक सोसायटी	1	0	0	0	0	0.877	0	2.76
5.	हेल्पेज सोसायटी इंडिया	0	0	1	0	0	1.368	1.67	
6.	श्री सतश्रृंगा विद्या समस्ते	1	0	0	0	4	2.114	3.49	2.24
7.	ईश्वर शैक्षिक एवं कल्याण सोसायटी	1	0	0	0	0	0	0	1.6
(2)	बेलगांव जिला								
1.	रामलिंगेश्वर्र ग्राम भिरूडी संघ	1	0	0	0	0	0.489	2.65	1.27
(3)	बीदर जिला								
1.	संग्राम एजुकेशनल सोसायटी	1	0	0	0	0	0.648	2.44	1.27
2.	नित्तुर एजुकेशनल सोसायटी	1	0	0	0	0	0.669	2.76	1.38
(4)	बेल्लारी जिला								
1.	प्रजा सेवा समिति	1	0	0	0	0	1.185	0	
2.	आदर्श एजूकेशनल सोसायटी	1	0	0	0	0	0.787	1.34	0.9
(5)	बीजापुर जिला								
1.	श्री शरणा ज्योति विद्या संस्था	1	0	0	0	0	1.382	2.76	2.76
(6)	चित्रदुर्ग जिला								
1.	श्री सदगुरू कबीरनन्दा स्वामी विद्यापीठ	1	0	0	0	0	0.633	2.09	
(7)	देवेनगिरी जिला								
1.	श्री मैत्री महिला मंडली	1	0	0	0	2.12	2.764	2.76	
2.	श्री शक्ति महिला मंडली	1	0	0	0	2.15	2.764	2.76	1.38
(8)	गुलबर्गा जिला								
1.	महादेवा ताई महिला विद्या वर्धक संघ	1	0	0	0	1.94	2.044	2.76	1.38
2.	श्री संगमेश्वरर्ण एजुकेशन सोसायटी	1	0	0	0	0	0.83	2.76	1.38

		1	2	3	4	5	6	7	8
3.	हैदराबाद कर्नाटक पालिथा वीमेन्स एजु. समिति गुलबर्गा	1	0	0	0	0	0	0.88	0
4.	शारणारा नाड़ एजुकेशन सोसायटी	1	0	0	0	0	0	0	1.8
5.	श्री जगदगुरू गुरूसिद्धेश्वर विधावर्धक एवं सांस्कृतिक संस्था	1	0	0	0	0	0	0	1.15
(9)	कोलार जिला								
1.	श्री रमन महर्षि ट्रस्ट फार डिसेबल्ड पर्सन्स	1	0	0	0	0	6.201	8.15	
2.	श्री स्वामी सर्व धर्म शरणालय	1	0	0	0	0	0.143	2.49	1.33
(10)	मांडया जिला								
1.	पूर्णिमा विद्या संस्था अरकीरा	1	0	0	0	0	0.83	0.48	2.76
(11)	तुमकुर जिला								
1.	श्री स्वामी सर्व धर्म शरणालय ट्रस्ट	1	0	0	0	0	0.674	2.82	1.34
(12)	नेहरू युवा केन्द्र संगठन (जिला बीदर और बेलगांव के लिए)	0	2	0	0	0	0.54	0	
IX.	**केरल**								
(1)	कालीकट जिला								
1.	एसोसिएशन फार दि वेलफेयर आफ हैंडीकैप्ड	0	1	1	0	2.93	5.05	2.59	
(2)	कोची जिला								
1.	वेलफेयर सर्विसेज एर्नाकूलम	1	0	1	0	0	4.28	4.77	
(3)	कोल्लम जिला								
1.	इन्टरनेशनल सेंटर फार स्टडी एंड डेवलपमेंट	1	0	0	0	0	2.708	2.36	
(4)	नेहरू युवा केन्द्र संगठन (जिला कन्नूर, कोजीकोड, वायानाड, पालधार, मालाप्रम, कसरगोड के लिए)	0	6	0	0	0	1.62	0	
								9.72	

	1	2	3	4	5	6	7	8
X. मध्य प्रदेश								
(1) इन्दौरा जिला								
1. कल्याण मित्र समिति	1	0	0	0	1.72	2.148	1.14	1.13
(2) जबलपुर जिला								
1. गायत्री शक्ति शिक्षा कल्याण समिति	0	1	0	0	0	3.004	0	
(3) खरगांव जिला								
1. आशा ग्राम ट्रस्ट	1	0	0	0	0	1.72	2.15	
(4) रायपुर जिला								
1. छत्तीसगढ़ बाल एवं वद्ध कल्याण परिषद	1	0	0	0	0	3.126	3.98	
(5) श्यौरे जिला								
1. ज्ञानी वेंधजाव सेवा केन्द्र	1	0	0	0	0	1.003	0	
(6) सतना जिला								
1. प्रमोद वन आनन्द धाम	1	0	0	0	0	2.832	2.25	
(7) उज्जैन जिला								
1. उज्जैन सीनियर सिटीजन्स फोरम	1	0	0	0	0	0	1.61	
(8) नेहरू युवा केन्द्र संगठन (जिला कंकेर, शिहोरे, होशंगाबाद, रायपुर बिलासपुर, दुर्ग, तथा छत्रपुर के लिए)	0	7	0	0	0	1.89	0	
XI. महाराष्ट्र								
(1) भंडारा जिला								
1. भारतीय औषधि अनुसंधान संस्था	0	0	1	0	0.48	1.832	1.95	
(2) वुल्दाना जिला								
1. अस्मिता महिला सुधार मंडल	0	1	0	0	0.29	0	0	
(3) चन्द्रपुर जिला								
1. सांकृताथन शिक्षण प्रकाशक मंडल	0	1	0	0	0	0	0	0.98
(4) धुले जिला								
1. जानकी बाई ट्रस्ट	0	1	0	0	3.54	0.754	0	
2. वेस्ट खानदेश भागिनी सेवा मंडल	0	2	0	0	0	1.319	5.33	

	1	2	3	4	5	6	7	8
(5) जालौन जिला								
1. प्रसार शिक्षण संस्थान	1	0	0	0	0	0.877	0	
(6) जलगांव जिला								
1. मुक्त द्वारा उन्नति मंडल	0	1	0	0	0	1.35	0	
(7) लातूर जिला								
1. साईनाथ शिक्षण प्रसारक मंडल	0	1	0	0	0.42	1.37	1.96	
2. बाल विकास महिला मंडल	1	0	0	0	0	0.308	1.71	0.86
(8) नागपुर जिला								
1. सेंटर फार हेल्थ ओरियेन्टेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट	0	0	1	0	0.21	0	0	
2. राष्ट्रसंत तुकदोजी महाराज टेक्नीकल एंड एजू. सोसायटी	0	0	0	2.01	0.67	0	0	
3. स्नेह बहुद्देशीय एजुकेशनल सोसायटी	0	0	1	0	0.31	1.853	0.77	0.77
4. वीर अरूणा युवक विकास मंडल	0	1	0	0	0.52	2.48	2.98	
5. एकता बहुद्देश्यीय एजुकेशनल सोसायटी	0	1	0	0	0	0	0.61	
(11) नान्देड़ जिला								
1. डा. बाबा साहेब अम्बेडकर शिक्षण प्रसारक संस्थान	1	0	0	0	0	1.257	0	
2. जन क्रांति शिक्षा प्रसारक मंडल	0	1	0	0	0	0.481	1.1	
(12) यवतमल जिला								
1. स्व. संजय राठौर शिक्षण संस्था	1	0	0	0	0	1.028	1.87	
2. स्व. रमेश जाधव शिक्षण एवं कृपा प्रसारक मंडल	1	0	0	0	0	1.028	1.87	1.38
(13) नेहरू युवा केन्द्र संस्थान (उस्मानाबाद, सतारा, बीड, सोलापुर, बूल्दाना जिला के लिए)	0	5	0	0	0	1.35	0	
(14) हेल्पेज इंडिया (पागपुर, मुम्बई तथा पुणे जिले के लिए)	0	0	4	0	0	4.651	6.67	0

		1	2	3	4	5	6	7	8
XII. मणिपुर									
(1) चन्देड जिला									
1.	दि इन्टीग्रेटेड ट्राइबल्स डेव. आर्गेनाइजेशन	0	1	0	0	0	0.429	0.88	
2.	सोशल एग्रीकलचरल एंड रूरल डवलपमेंट एजेंसी	1	0	0	0	0	1.305	2.76	1.328
(2) चूरचंदपुर जिला									
1.	ट्राइबल अपलिफ्टमेंट एसोसिएशन	3	0	0	0	0	1.748	0	0
(3) इम्फाल (पूर्वी) जिला									
1.	एसोसिएशन आफ प्रोफेशनल सोसल वर्कस	0	9	0	0	3.94	8.635	0	0
2.	आइदीपाक यूथ डेव. एसोसिएशन	0	1	0	0	1.51	1.748	0	
3.	कीराव वीमेन वेलफेयर एसोसिएशन	0	1	0	0	0.58	0.675	0.675	0
4.	सेंटर फार अपलीफ्टमेंट आफ रूरल वीमेन एसोसिएशन	1	0	0	0	0.99	1.808	1.382	
5.	ईमा लीमरेल वीमेन वेलफेयर एसो.	1	0	0	0	0	0.805	2.5	
6.	रूरल डाउनट्रोडेन पीपुल्स अपलीफ्टमेंट एसो.	1	0	0	0	0	0.874	0	
(4) इम्फाल (पश्चिमी जिला)									
1.	वशीखोंग चुनरा शीलोन लैप	1	0	0	0	0	1.206	0	0
2.	मानव संसाधन एवं अवसंरचना विकास संगठन	0	1	0	0	0.67	0.54	3.807	0.952
3.	मणिपुर डेफ एंड म्यूर एसो.	1	0	0	0	0	2.764		
4.	मणिपुर एससी वेलफेयर एसो.	1	0	0	0	3.07	2.764	2.69	
5.	रूरल सर्विस एजेंसी	1	0	0	0	1.07	1.07	3.96	
(5) थौबल जिला									
1.	सेंटर फार रूरल अपलीफ्टमेंट सर्विसेज	0	1	0	0	0.27	1.85	1.849	0.925

		1	2	3	4	5	6	7	8
2.	जामिया एजुकेशनल सोसायटी	1	0	0	0	0.93	1.119	2.474	1.356
3.	इन्टीग्रेटिड रूरल डेव एंड एजु. एसो.	1	0	0	0	2.15	2.764	2.764	1.382
4.	न्यू इन्टीग्रेटेड रूरल मैनेजमेंट एजेंसी	2	0	0	0	6.46	2.764	8.290	
5.	रूरल डेवलपमेंट सोसायटी	0	0	1	0	0.49	0.975	1.770	
6.	रूरल इन्डस्ट्रीज डेव, एसो.	0	2	0	0	3.18	3.915	3.915	
7.	रूरल मेडिसीन इन्स्टीच्यूट	0	0	1	0	0.41	0.353	1.895	
8.	सोसल डेवलपमेंट एंड रिहैब्लीटेशन काउंसिल	0	1	0	0	0.36	0.216	3.915	
9.	सोसल एनवायरनमेंट एंड रूरल टेक्नो. काउंसिल	0	1	0	0	1.3	1.215	1.957	0.978
10.	सोसायटी फार वूमेन एजुकेशन एक्शन फंड रिफैक्शन	0	1	0	0	0.42	0.29	2.910	0.978
11.	साउथ ईस्टर्न रावल डेव. आरगनाइजेशन	1	0	0	0	4.28	1.382	2.710	1.327
12.	दि एजुकेटड अनइम्पलाइड यूथ डेव. एसो.	1	0	0	0	1.06	0	0.000	
13.	दि रूरल पीपुल्स डेव. आरगनाइजेशन	1	1	0	0	0.68	4.067	1.960	
14.	यूनाईटिड रूरल डेव. सर्विस	1	0	0	0	0.75	2.611	1.382	
15.	वालंट्री फार रूरल हैल्थ एंड एक्शन	0	1	0	0	0.58	1.382	1.840	
16.	वार्गिंग वूमेन एंड गर्ल सोसायटी	0	7	0	0	2.99	2.187	18.940	
17.	यूथ प्रोग्रेसिल आरगनाइजेशन	1	0	0	1	1.15	3.803	3.270	
18.	यूनाइटिड हिल्स पीपुल्स डेवपलमेंट सोसायटी	1	0	0	0	0	1.063	1.70	
(6) विष्णुपुर जिला									
1.	मुम्बई, खुल्लाकपान लेकाई वूमेन	1	0	0	0	1.47	0.447	4.132	

	1	2	3	4	5	6	7	8
(7) नेहरू युवा केन्द्र संस्थान (थ्रांवाल, सेनापती, इम्फाल (पूर्व) और तंमगलांग (2)	0	5	0	0	0	1.35	0	
के लिए)	22	33	2	1			86.331	
XIII. नागालैंड								
(1) दीमापुर जिला								
1. ओल्ड एज होम, दिमापुर	1	0	0	0	0	0	0.87	0
2. सनराइस वूमेन वेलफेयर सोसायटी	0	1	0	0	0	0	0.33	0
3. नेपाली बोसती वूमेन वेलफेयर सोसायटी	0	1	0	0	0	0	0	0.96
XIV. उड़ीसा								
(1) अंगुल जिला								
1. ग्राम सेवा मंडल	1	6	0	0	11.15	19.49	7.22	
(2) बोलंगिर जिला								
1. ग्राम मंगल पाद्यागर	1	0	0	0	4.1	2.15	3.88	
(3) भुवनेश्वर जिला								
1. उड़ीसा बहुद्देशीय विकास केन्द्र	1	3	0	0	0.74	3.57	0.98	
2. उड़ीसा समाज ग्रामीण प्रौद्योगिकी संस्थान	0	2	0	0	0	0.621	3.35	
3. काउंसिल फार आल राउंड डबलपमेंट आफ सोसायटी	0	2	0	0	1.58	3.775	0	
4. जन कल्याण समिति	2	5	1	0	13.72	12.97	0	
5. कालिंगा आश्रम गृह	1	1	0	0	2.96	5.36	0	
6. आर्गनाइजेशन फार सोशल चेंज एंड रूरल डबलपमेंट	1	2	1	0	6.41	5.49	0	
(4) कटक जिला								
1. आशा नायक्कम	0	5	0	0	2.84	4.25	0	
2. एसो. फार सोशल रिकन्स्ट्रक्टिव एक्टीविजीज	1	0	0	0	2.15	2.76	0	
3. सिंगानात क्लब	0	1	0	0	0.67	0	0	
4. शहरी ग्रामीण विकास	1	0	0	0	2.08	0	0	

		1	2	3	4	5	6	7	8
5.	बांकी अचालिका आदिवासी हरिजन कल्याण परिषद	0	3	0	0	0	1	5.78	2.93
6.	वासुदेव पाथागढ़	1	0	0	0	0	0.87	2.54	
7.	कटक जिला हरिजन आदिवासी संस्कार योजना	0	2	0	0	0	0.62	3.35	
(5)	धनकनाल जिला								
1.	आदर्श सेवा संगठन	1	0	0	0	0	0.88	2.47	1.38
2.	अरुण ग्रामीण कार्य संस्थान (एआईआरए)	0	5	0	0	2.52	9.829	12.5	1.38
3.	समुदाय विधि कार्रवाई एवं अनुसंधान केन्द्र	1	4	0	0	2.77	12.33	5.25	
4.	महर्षि दयानन्द सेवा मिशन	1	4	0	0	3.34	10	10.58	5.29
5.	मानव सेवा सदन	0	1	0	0	0.64	0	0	0
6.	सोसायटी फार रूरल एडवासमेंट एंड डेमोक्रेटिक हयूमैंनिटेरियन एक्शन	1	0	0	0	0	0.89	2.47	1.34
7.	महिला उन्नयन पाथागढ़	0	0	1	0	0	0.16	1.38	
(6)	गंजम जिला								
1.	महिला कल्याण संस्थान	1	0	0	0	0	1.67	0	
(7)	कालाहांडी जिला								
1.	श्री रामकृष्ण आश्रम	1	0	0	0	2.92	2.76	1.39	
(8)	केन्द्रपाडा जिला								
1.	जन सेवा परिषद	0	1	0	0	1.06	2.13	2.14	
2.	लूथेरण महिला समिति	1	1	0	0	1.48	4.16	2.13	
3.	जन कल्याण सेवा संस्था	1	0	0	0	0	0.88	2.53	1.38
(9)	क्योंझर जिला								
1.	विष्णुप्रिया बलाश्रम	1	0	0	0	0	1.11	0	
(10)	खुर्दा जिला								
1.	एसो. फार सोशल वर्क एंड सोशल रिसर्च इन उड़ीसा	1	0	0	0	1.72	0	0	

		1	2	3	4	5	6	7	8
2.	भैरवी क्लब	1	1	0	0	3.5	4.65	2.33	
3.	युवा ज्योति क्लब	1	0	0	0	2.04	2.58	0	
4.	उड़ीसा एसो. फार दि डीफ	1	1	1	0	1.95	0	0	
5.	स्टूडैंट्स वेलफेयर इन्स्टीच्यूट	0	1	0	0	1.35	0	0	
6.	ट्राइबल डवलपमेंट एसो. आफ इंडियन इन्स्टीज्यूट	1	2	0	0	2.46	0	0	
7.	यूनियन फार लर्निंग ट्रेनिंग एंड रिफार्मेटिव एक्टीविटी	1	1	1	0	2.21	5.87	0	
8.	विश्व जीवन सेवा संघ	2	5	0	0	3.03	14.78	15.32	
(11) नयागढ़ जिला									
1.	नेशनल इंस्टीच्यूट आफ ट्राइबल वेलफेयर एंड सोशल एक्शन	0	2	0	0	0	0.7	0	
2.	अनीय परितयेखा वलाश्रम	1	0	0	0		0.88	2.53	
3.	जनवृक्ष	1	1	0	0	1.19	1.84	7.48	
(12) नवरंगपुर जिला								0.877	
1.	शहीद बोजा पुजारी सेवा सदन	0	1	0	0	0	0.46	0	
(13) फुलबनी जिला									
1.	वनवासी सेवा समिति	1	0	0	0	4.89	4.89	2.37	
2.	सुभद्रा मेहताव सेवा सदन	1	1	0	0	6.39	4.82	0	
(14) पुरी जिला									
1.	एसोसिएशन फार बालंटरी एक्शन	1	5	1	0	3.56	5.92	7.34	9.37
2.	वनकेंशवरी युवक संघ	1	1	0	0	1.21	4.72	4.58	
3.	विद्युत क्लब	0	5	0	0	6.75	6.75	9.79	
4.	जय जगन्नाथ क्लब	0	1	0	0	2.01	1.5	0	
5.	नीलाचल सेवा प्रतिष्ठान	2	5	0	0	8.2	7.2	14.24	
6.	रतनागिरी	1	0	0	0	3.23	2.76	2.76	1.38
7.	सुखया	1	0	0	0	1.29	3.47	0	

	1	2	3	4	5	6	7	8
8. जयकृष्ण यूथ क्लब	1	0	0	0	0	0	0	1.51
9. आदल वादल महिला समिति	1	0	0	0	0	0	0	1.52
(15) मयूरंभज जिला								
1. रूरल डबलपमेंट एक्शन सेल	1	0	0	0	0	1.24	0	
(16) जाजपुर जिला								
1. जयती पर्थागढ़	0	1	0	0	0	0.33	0	
(17) नेहरू युवा केन्द्र संस्थान (सम्बलपुर, खुर्दा, कटक, धनकनाल, कालाहांडी, पुरी, मयूरभंज, सुंदरगढ़, एवं बालासोर जिलों के लिए)	0	9	0	0	0	2.43	0	
XIV. पंजाब								
(1) अमृतसर जिला								
1. भाई वीर सिंह वृद्ध घर	1	0	0	0	1.11	2.9	2.24	
(2) भटिंडा जिला								
1. ग्यानदीप शिक्षा समिति	0	1	0	0	0	0.3	1.71	0.86
2. अखिल भारतीय गुरु नानक मिशन	1	0	0	0	0	0	1.6	
(3) फरीदकोट जिला								
1. इंडियन रेडक्रास सोसायटी	1	0	0	0	0.46	4.32	3.8	
(4) फिरोजपुर जिला								
1. लोक सेवा संस्थान	0	1	0	0	0	0.3	1.66	0.84
(5) होशियारपुर जिला								
1. भाई छाणीय चेरिटेबल ट्रस्ट	1	0	0	0	1.04	1.5	1.11	
(6) जालन्धर जिला								
1. महिला मंडल	0	1	0	0	0.46	2.32	1.83	
(7) लुधियाना जिला								
1. गुरुनानक चेरिटेबल ट्रस्ट	0	1	0	0	1.18	1.63	1.71	0.80
2. निष्काम सेवा आश्रम	0	1	0	0	0	0.28	1.68	

	1	2	3	4	5	6	7	8
(8) मनसा जिला								
1. महिला कल्याण समिति	1	0	0	0	0	0.88	0	2.56
(9) मुक्तसर जिला								
1. वृद्ध आश्रम	0	1	0	0	0	1.69	4.3	1.14
(10) पटियाला जिला								
1. नवजीवनी	0	1	0	0	0.33	1.64	0.84	
(11) रोपड़ जिला								
1. समाज कार्य और ग्रामीण विकास केन्द्र	0	1	0	0	0	0.46	1.65	
(12) नेहरू युवा केन्द्र संगठन (गुरदासपुर, होशियारपुर और फतेहगढ़ साहिब जिले के लिए)	0	3	0	0	0	0.81	0	
XV. राजस्थान								
(1) जयपुर जिला								
1. वरिष्ठ नागरिक परिषद	0	1	1	0	0.6	0		
(2) नेहरू युवा केन्द्र संगठन (जैसलमेर, अलवर, नागौर, टोंक और चुरू के लिए)	0	5	0	0	0	1.35		
XVI. तमिलनाडु								
(1) चेन्नई जिला								
1. अन्नाई ईलम	1	0	0	0	0	1.72	0	
2. इंडियन रेड क्रास सोसायटी	0	2	0	0	1.18	0	0	
3. इंडियन इंस्टीटयूट सस्टेनेबल डेवलपमेंट	1	0	0	0	0	0.82	2.59	1.3
4. कल्लाई सेल्वी करूणालय समाज कल्याण सोसायटी	1	4	1	0	14.37	12.05	5.99	
5. मैक्लेंवी इंस्टीट्यूट आफ डेवलपमेंट सर्विस	0	1	0	0	2.58	1.29	0	

		1	2	3	4	5	6	7	8
6.	स्त्री सेवा मंदिर	1	0	0	0	2.72	0	0	
7.	सैंट पाल एजुकेशनल एंड मेडिकल ट्रस्ट	0	0	1	0	1.32	1.231	0.77	
8.	ट्राइबल वेलफेयर एजेंसी	0	1	0	0	1.74	1.22	1.18	
9.	विश्रांति चैरिटेबल ट्रस्ट	1	0	0	0	3.02	0	0	
10.	गिल्ड आफ सर्विस मील्स ऑन वील्स एग्मेर	0	1	0	0	0	1.03	0	
11.	हैल्प एज इंडिया	0	0	1	0	0	1.37	1.67	0
(2)	वयदालोर जिला								
1.	मधीर नाला थांडू	1	0	1	0	1.88	4.78	2.15	
2.	सोसायटी फार दि इम्प्रूवमेंट आफ वीकर सेक्शन्स	2	3	0	0	4.69	5.44	2.76	
(3)	डिंदीगुल जिला								
1.	डिंदीगुल बहुउद्देशीय सोशल सर्विस सोसायटी	1	0	0	0	0	0.91	0	
(4)	इरोड़ जिला								
1.	सेंटर फार एक्शन एंड रूरल एजुकेशन	0	0	1	0	1.36	1.474	1.47	0.74
2.	सैंट जोजफ होम फार दि एज्ड	1	0	0	0	0	1	0	
(5)	कांचापुरम जिला							0.999	
1.	ब्यूरो फार इंटीग्रेटिड रूरल डवलपमेंट	1	0	0	0	1.1	2.46	2.57	
2.	दुराईसामी जनरस सोशल एजुकेशन सोसायटी	1	0	0	3.18	0	0	8.47	
3.	लाइफ इम्प्रूमेंट ट्रस्ट	1	0	0	0	2.1	2.6	1.3	
4.	अन्नाई करूणालय सोशल वेलफेयर एसोसिएशन	1	0	0	0	0	0	0.88	
(6)	कन्याकुमारी जिला								
1.	होम फार दि एज्ड	1	0	0	0	0.85	0.85	0	

		1	2	3	4	5	6	7	8
(7)	मदरान्तकम जिला								
1.	वृंदावन एजुकेशन सोशल ट्रस्ट	0	0	1	0	0	1.55	0	
(8)	नामाक्कल जिला								
1.	वूमेन आर्गनाइजेशन फार रूरल डवलपमेंट	1	0	0	0	0	1.277	0	
(9)	नागापट्टीनम जिला								
1.	अवाई विलेज वेलफेयर सोसायटी	1	0	0	0	0	1.18	3.3	
2.	भारती वूमेन डवलपमेंट सेंटर	1	0	0	0	2.15	2.69	1.34	
3.	ग्रामीण सोशल वेलफेयर सोसायटी	1	2	0	0	1.32	5.39	1.69	
4.	नेहरू सोशल एजुकेशन सेंटर	1	0	0	0	2.01	2.01	2.76	
5.	सोसायटी फार रूरल डवलपमेंट	1	0	0	0	0	0	0	1.8
(10)	पुददूकोट्टाई जिला								
1.	ग्राम स्वराज	1	2	0	0	4.52	5.56	3.3	6.56
2.	सामी सब्बाई मीर जी सलाई	0	1	0	0	0.56	0	0	
3.	वायाथिरी महर्षि सोशल वेलफेयर ट्रस्ट	1	0	0	0	0	1.27	0	
4.	ओएजोन	1	0	0	0	0	1	0	
5.	डवलपमेंट एजुकेशन फार रूरल मास	1	0	0	0	0	0	0	1.54
(11)	शिवागंगाई जिला								
1.	अन्नाई इंदिरा साथीय समुगा नाला मलाहिर	0	1	0	0	1.17	1.24	0	
2.	सिंग्मपट्टी ग्राम मुनेत्र संगम	1	0	0	0	0	0	0	1.53
(12)	थंजावूर जिला								
1.	मार्गरेट सोशल डवलपमेंट सोसायटी	0	1	0	0	1.32	1.47	2.76	0.98
2.	मर्सी मृरूणा ओल्ड एज होम	1	0	0	0	1.29	2.15	1.38	

		1	2	3	4	5	6	7	8
(13) तिरूवरूर जिला									
1.	भारतमाता फैमिली वेलफेयर फाउंडेशन	1	0	0	0	0	0.96	0	3.16
2.	नेशनल मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर आरग	1	0	0	0	0	0.727	0	
(14) तिरूचिरापल्ली जिला									
1.	तमिलनाडु पोंगल नाला संगम	1	0	0	0	0	3.51	0.93	
(15) तेनी जिला									
1.	युवक विकास केन्द्र	1	0	0	0	0	0.99	1.88	1.38
2.	श्री ग्राम्यम संघ	1	0	0	0	0	1.11	0	
3.	वीवीवेती ग्रामीण विकास सोसायटी	1	0	0	0	0	0	0	1.75
(16) तिरूनेलवेली जिला									
1.	मकलनलावेश्वर	1	0	0	0	4.84	1.96	0	0
2.	सैकर्डहर्ट केयर सेंटर	0	1	0	0	1.76	0	0	
(17) त्रिची जिला									
1.	जया बलवाडी शैक्षिक सोसायटी	2	1	0	0	5.21	3.475	4.72	4
2.	कृष्णा होम	1	0	0	0	1.08	2.15	3.84	1.38
3.	पेरियार कुडिल	1	0	0	0	0.87	2.76	1.8	
4.	संट जान संगम ट्रस्ट	0	1	0	0	1.9	1.32	1.79	
5.	दि सोसायटी आरगनाइज्ड फार प्रमोशन आफ रूरल ट्राइव एंड डाउन प्राउडन	1	0	0	0	0	1.04	2.41	
6.	तिरूचिरापल्ली रूरल एंड अरबन वेलफेयर डेवलपमेंट एजूकेशन सोसायटी	1	0	0	0	0	0	0.87	0
(18) बिलूपुरम जिला									
1.	पिपुल्स मल्टीपरपज विकास सोसायटी	0	3	0	0	3.58	4.05	0	

		1	2	3	4	5	6	7	8
(19)	नेहरू युवा केन्द्र संगठन (कन्याकुमारी, तंजौर, धर्मपुरी, बीरुधुनगर तथा मदुरै जिला के लिए)	0	5	0	0	0	1.35	0	
XVII. त्रिपुरा									
(1) पश्चिम त्रिपुरा जिला									
1.	अबलम्बन	1	0	0	0	1.53	2.36	3.97	
2.	अखिल त्रिपुरा अ.जा. तथा अ.ज.जा. तथा अल्पसंख्यक उत्थान परिषद	1	5	0	0	13.59	5.73	5.78	
(2)	नेहरू युवा केन्द्र संगठन (पश्चिम त्रिपुरा तथा उत्तरी त्रिपुरा जिला के लिए)	0	2	0	0	0	0.54	0	
XVIII. उत्तर प्रदेश									
(1) आगरा जिला									
1.	रसपैक्ट एज इन्टरनेशनल	0	1	0	0	1.32	0	0	
(2) इलाहाबाद जिला									
1.	आदर्श जनता शिक्षा समिति	1	0	0	0	0	4.61	2.76	
2.	आर्यकन्या विद्यालय समिति	1	0	0	0	4.8	4.8	0	
3.	दलित मानव उत्थान समिति	1	0	0	0	2.06	2.38	0	
4.	गायत्री देवी शिक्षा समिति	1	0	0	0	4.13	2.41	2.76	
5.	ग्राम विकास शिक्षा संस्था	0	1	0	0	0	2.54	1.96	0.98
6.	ग्रामोत्थान जन सेवा संस्थान	0	2	0	0	2.11	4.95	1.94	
7.	ग्राम्य विकास संस्थान	0	1	0	0	3.13	0	1.96	
8.	ग्राम विकास सेवा संस्थान	0	1	0	0	0	1.76	0	
9.	इंडियन रेड क्रास सोसायटी	1	0	0	0	2.13	2.45	2.76	1.38
10.	जन सेवा संस्थान	0	1	0	0	0	2.33	1.96	0.98
11.	कमला लोक संगठन शिक्षण तथा समाज संस्था	1	0	0	0	1.11	0	0	
12.	लोक सेवा मंडल	0	1	0	0	0	2.54	1.96	0.98

		1	2	3	4	5	6	7	8
13.	महिला उद्योग प्रशिक्षण	1	1	0	0	3.48	6.39	2.36	
14.	मानव शिक्षा प्रसास समिति	1	1	0	0	2.89	2.91	0	
15.	प्रकाश ग्रामीण विकास संस्थान	1	0	0	0	3.23	0	0	
16.	तिलक शैक्षिक समिति	1	1	0	0	0	5.07	2.36	
17.	गौरव जन कल्याण समिति	1	0	0	0	0	3.53	2.76	
(3) बदांयू जिला									
1.	श्रीराम शरण स्मारक संस्थान	0	1	0	0	0.36	1.343	0	
(4) बागेश्वर जिला									
1.	पर्वतीय नव जागरण समिति	1	0	0	0	0	0.86	2.4	
(5) बस्ती जिला									
1.	मुरली जाट विकास संस्थान	1	0	0	0	0	2.02	0	
2.	समाज कल्याण सोसायटी	1	0	0	0	0	0.87	2.7	
(6) बाराबंकी जिला									
1.	निर्बल समाज कल्याण संस्था	1	0	0	0	0	0.88	0	
(7) बहराइच जिला									
1.	आदर्श कल्याण सेवा समिति	0	1	0	0	1.57	2.74	0.98	
(8) बुलन्दशहर जिला									
1.	सर्वज ने कल्याण समिति	0	1	0	0	1.31	0.92	0	
(9) देहरादून जिला									
1.	उत्तराखंड शोषित महिला उत्थान समिति	1	3	0	0	1.2	7.11	12.82	1.36
(10) फैजाबाद जिला									
1.	जन कल्याण एवं नारी उत्थान समिति	1	0	0	0	2.15	3.84	1.38	
2.	रत्न ग्रामोद्यान सेवा संस्थान	0	1	0	0	1.32	0.98	0	
(11) गाजियाबाद जिला									
1.	एज केयर	1	0	0	0	0.67	1.57	0	
2.	गुरूकुल विद्यापीठ पुष्पवटी	1	0	0	0	0	2.3	0	

		1	2	3	4	5	6	7	8
(12)	गोंडा जिला								
1.	नन्दनी बाल विकास एवं ग्रामीण ग्रामोद्योग सेवा समिति	0	1	0	0	2.03	ब्लैकलिस्ट	0	
2.	संगम विकास सेवा संस्थान	1	0	0	0	0	0	0	
(13)	गोरखपुर जिला								
1.	अक्षय विकास परिषद	1	0	0	0	0	0	0.86	
(13)	हमीरपुर जिला								
1.	श्री कचन लाल शबुन सेवा संस्थान	1	0	0	0	4.15	4.564	2.72	1.38
(14)	जालौन जिला								
1.	जय गायत्री मां बाल विद्या मंदिर समिति	0	1	0	0	1.35	2.63	0.98	
(15)	जौनपुर जिला								
1.	ग्रामोउत्थान सेवा समिति	0	1	0	0	0	0	0	0.98
(16)	कुशीनगर जिला								
1.	महिला एवं बाल विकास समिति	1	0	0	0	0	0.87	0	
(17)	लखनऊ जिला								
1.	अखिल भारतीय आजाद सेवा संस्थान	0	2	0	0	3.43	4.293	3.91	1.96
2.	अवध सामाजिक उत्थान समिति	0	1	0	0	1.38	2.63	0.98	
3.	ग्रामीण विकास संस्थान	0	1	0	0	0.49	0	0	
4.	न्यू पब्लिक स्कूल समिति	1	2	0	0	0	10.29	8.06	3.34
5.	निरवाण समाज सेवा समिति	0	2	0	0	4.7	3.7	0	
6.	समाज सेवा संस्थान	0	1	0	0	1.16	1.96	0.98	
7.	शहीद स्मारक सोसायटी	3	1	0	0	8.06	11.33	10.24	5.12
8.	सुधार प्रशिक्षण संस्थान	0	1	0	0	2.31	1.96	0.98	

		1	2	3	4	5	6	7	8
9.	महिला कल्याण तथा सांस्कृति संस्था	0	1	0	0	1.35	0	1.35	
10.	महिला विकास एवं बाल विकास शिक्षा समिति	0	1	0	0	0	2.8	0	
11.	सार्वजनिक शिक्षा समिति	1	0	0	0	0	0.88	0	
(18) मथुरा जिला									
1.	अखिल भारत महिला सम्मेलन नई दिल्ली	1	0	0	0	0	4.215	2.43	
(19) पदरौना जिला									
1.	जन कल्याण शिक्षा समिति	0	1	0	0	0.66	0	0	
2.	समाज कल्याण शिक्षा संस्थान	0	1	0	0	0.67	0	0	
(20) प्रतापगढ़ जिला									
1.	प्रतापगढ़ महिला कल्याण एवं शिक्षा समिति	1	1	0	0	3.5	4.72	2.36	
2.	रंगा प्रसाद स्मारक महिला कल्याण समिति	1	1	0	0	0	1.6	0	7.07
3.	ऊजाखर ग्रामोद्योग विकास संस्थान	0	1	0	0	0	0.281	0	
(21) रामपुर जिला									
1.	जवाहर ज्योति शिक्षा एवं विकास समिति	1	0	0	0				
(22) सुलतानपुर जिला									
1.	जन विकास संस्थान	0	1	0	0	3.13	1.63	2.94	0.98
2.	माध्यमिक विद्यालय पूर्वगांव सरथान संस्थान	0	1	0	0	0.68		0	
3.	अमेठी महिला एवं बाल विकास समिति	0	1	0	0	0	0.612	0	
(23) टिहरी जिला									
1.	कैलाश ग्राम्य विकास संस्थान	0	1	0	0	0	1.27	0	

	1	2	3	4	5	6	7	8
(24) उन्नाव जिला								
1. आदर्श सांस्कृतिक सतसंग कला केन्द्र	1	0	0	0	0	1.1	0	
(25) नोडल एजेंसी डा. सुरेन्द्र सिंह प्रो. एण्ड हैड आफ डिर्पाटमेंट आफ सोशल वर्क						0.51	0	
(26) नेहरू युवा केन्द्र संगठन (वाराणसी, देवरिया, गाजीपुर, आजमगढ़ बरेली, नैनीताल, पिथोरागढ़, मुज्जफरनगर, बिजनौर, मेरठ, मथुरा जिला के लिए)	0	12	0	0	0	3.24	0	
(27) हैलपेज इंडिया (भदोई और लखनऊ जिला के लिए)	0	0	2	0	0	1.09	3.33	
(28) सिद्धार्थ जिला								
1. ग्राम विकास संस्थान	1	0	0	0	0	0.87	2.46	
XIX. पश्चिम बंगाल								
(1) बांकुडा जिला								
1. विवेकानन्द आदिवासी कल्याण समिति	0	0	1	0	0.31	0	0	
(2) बीरभूम जिला								
1. एलम्हीस्ट इन्स्टीट्यूट आफ कम्युनिटी स्टडीज	0	1	0	0	1.27	1.617	1.96	
(3) बर्द्धवान जिला								
1. भागरा डाइमंड क्लब	0	1	0	0	1.96	1.31	0	
2. केन्द्रीय अ.जा. तथा अ.ज.जा. कल्याण संघ	1	0	0	0	0	0.86	1.25	
(4) कलकत्ता जिला								
1. अखिल बंगाल महिला संघ	1	0	0	0	2.21	0	1.96	
2. कलकत्ता महानगर जेरोडो क्लोजी संस्थान	0	2	1	0	2.8	3.38	3.38	0.87
3. चन्द्रनाथ बसु सेवा संघ	1	0	0	0	1.08	2.29	2.42	

		1	2	3	4	5	6	7	8
4.	जन शिक्षा प्रचार केन्द्र	1	0	0	0	1.13	0	1.12	1.63
5.	जयप्रकाश सामाजिक परिवर्तन संस्थान	0	2	0	0	4.77	1.082	2.46	
6.	नव दिगंता	1	1	0	0	3.97	3.2	3.63	
7.	श्रीकृष्ण प्रतिष्ठान	0	1	0	0	1.57	1.57	1.86	
8.	महिला समन्वय परिषद	1	0	0	0	1.81	0.89	1.98	
9.	हल्पेज इंडिया	0	0	2	0	0	2.74	3.33	
(5) हावड़ा जिला									
1.	बगनान चैम्बर आफ कार्मस एंड इंडस्ट्रीज	0	2	0	0	1.26	0	0	
2.	चिरनाविन	0	1	0	0	0.61	0	1.27	
3.	ग्रामीण तथा दलित व्यक्ति उत्थान परिषद	1	1	0	0	2.1	0	0	
4.	ग्राम कल्याण परिषद	0	1	0	0	1.79	1.1	1.96	
(6) हुगली जिला									
1.	कल्याण भारती	1	1	0	0	0	0	5.59	1.43
(7) मालदा जिला									
1.	विकलबी ग्रामीण विकास सो.	0	3	0	0	1.98	5.95	1.94	
2.	ग्रामीण स्वास्थ्य विकास केन्द्र	1	0	0	0	1.7	3.12	0	
(8) मिदनापुर जिला									
1.	अमर सेवा संघ	1	1	1	0	4.54	5.79	5.99	
2.	बाराबरी नेताजी सेवा संघ	1	0	1	0	2.15	4.3	2.15	
3.	विक्रम नगर उद्यान संघ	2	0	0	0	2.15	3.73	6.6	1.38
4.	बाल तथा समाज कल्याण सो.	1	1	0	0	2.34	3.79	1.32	
5.	गंगाधर चक तथा दीवान चक विवेकानन्द क्लब	0	1	0	0	0.68	2.03	1.9	

		1	2	3	4	5	6	7	8
6.	हीतल जोरी किशोरी बाला दातव्य चिकित्सालय	1	0	0	0	0.87	1.06	2.15	
7.	जीलुआ स्वामी जी सबोज संघ	0	1	0	0	0.68	2.14	0	
8.	मिदसापुर विकास परिषद	0	1	0	0	0.65	0	0	
9.	मिरजानगर तरूण संघ	0	1	0	0	0.73	0	0	
10.	नेताजी पथ चक्र	1	0	0	0	2.15	1.08	3.73	
11.	निम्वारक मठ सेवा समिति विन्यास	1	0	0	0	1.72	1.72	2.22	
12.	प्रबुद्धभारती शिशु तीर्थ	1	0	0	0	0.65	0.653	2.94	
13.	राज लक्ष्मी पाली उन्नयन संघ	0	0	1	0	0.46	0	0	
14.	राय चक मार्निंग स्टार क्लब	1	0	0	0	1.47	2.57	0	
15.	सैन पुकार मैत्री कविका समिति	2	0	0	0	1.99	4.41	4.97	
16.	शिवरामपुरा मिलन तीर्थ	1	0	0	0	2.1	2.45	2.76	1.38
17.	भारत के ग्रामीण तथा आदिवासी निवासियों के लिए सामाजिक कार्यवाही	0	1	0	0	0.68	1.35	0	
18.	समाज कल्याण तथा ग्रामीण विकास सोसायटी	1	1	0	0	2.74	3.982	2.36	
19.	तरूण संघ	0	4	0	0	0	2.07	7.74	
20.	उत्तर ब्रह सुकान्त स्मृति पथागार	0	1	0	0	1.4	1.404	0.9	
21.	विवेकानन्द लोक शिक्षा निकेतन	1	1	0	0	1.95	6.401	4.66	
22.	पश्चिम बंगाल अ.जा., अ.ज.जा. तथा अल्पसंख्यक कल्याण संघ	2	7	0	0	14.6	19.68	9.24	9.29
23.	सतदूबी महिला संघ	0	2	0	0	0	0.84	3.5	1.64

		1	2	3	4	5	6	7	8
24.	सयूलिपुर उद्यान क्लब	1	2	1	0	0	0	6.87	0
25.	निपुरा ग्रामीण विकास सोसायटी	1	0	0	0	0	0	0	1.59
26.	बसगेरिया प्रतिभा क्लब	0	2	0	0	0	0	5.02	1.64
(9) मुर्शीदाबाद जिला									
1.	प्रवीण सभा	0	1	0	0	0.35	1.67	1.95	
2.	मिर्जापुर नव भारत मिशन	0	1	0	0	0	0.21	0	
3.	केन्द्रीय अ.जा./अ.ज.जा. कल्याण संघ	1	0	0	0	0	0	0.87	
(10) नादिया जिला									
1.	करीमपुर समाज कल्याण सोसायटी	1	0	0	0	1.06	1.05	0	
(11) उत्तर 24 परगना जिला									
1.	श्री रामकृष्ण सत्यानन्द आश्रम	1	0	0	0	1.64	3.749	2.22	
2.	जीपकपुर सिस्टर निवेदिता सेवा मिशन					0	1.289	0	
(12) दक्षिण 24 परगना जिला									
1.	बागोदेव केन्द्र	1	0	0	0	0.93	0	0	
2.	गणेश नगर लक्ष्मीनारायण क्लब तथा पथागार					1.27	0	0	
3.	विवेकानन्द बाल कल्याण गृह	1	0	0	0	0	0	2.15	1.36
(14)	नेहरू युवा केन्द्र संस्थान (हावड़ा, कुच बिहार, बांकूडा जलपाईगुडी, मिदनापुर, मुर्शिदाबाद जिला के लिए)	0	9	0	0	0	2.43	0	
XX. दिल्ली									
1.	एजवेल प्रतिष्ठान	0	0	0	0	0	9.59	28.55	15.62
2.	आशीर्वाद वरिष्ठ नागरिक परिपद	0	1	0	0	1.57	1.56	1.96	0.98

		1	2	3	4	5	6	7	8
3.	समाज कार्य के लिए राष्ट्रीय भाईचारा संघ	0	0	1	0	1.39	2.716	1.38	
4.	हेल्पेज इंडिया	0	0	2	0	1.32	2.45	1.67	0
5.	हिन्द कुष्ठ निवारण संघ	0	0	1	0	0.41	0	1.71	
6.	सोसायटी फार फ्रेंडशिप शिक्षा तथा विकास	0	1	0	0	0.31	0	0	
7.	पर्यावरण तथा विकास सोसायटी	0	1	0	0	0	0	0	0.96
XXI.	**पांडिचेरी**								
1.	सेंट जोसेफ आफ क्लेंसी होसपिक कान्वेंट	1	0	0	0	3.08	3.113	2.69	
2.	सेंट जोसेफ कान्वेंट (होसपिक)	1	0	0	0	2	6.28	1.93	
3.	इम्मुकुलेट हार्ट आफ मेरी होम फार एजड	1	0	0	0	0	0.18	2.22	1.08
4.	नेहरू युवा केन्द्र संगठन (पांडिचेरी तथा माहे जिला के लिए)	0	2	0	0	0	0.54	0	
XXII.	**चंडीगढ़**								
1.	हेल्पेज इंडिया	0	0	1	0	0	1.37	1.67	

विदेशों में भारतीयों पर हमले

***149. श्री सुबोध मोहिते:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विदेशों में रहने वाले भारतीयों पर बार-बार हमले होने की शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और 31 मार्च, 2001 तक, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन देशों में हमलों की ये घटनाएं हुई हैं; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) विदेशों में रह रहे भारतीयों पर ''बार-बार हमले'' होने की कोई शिकायत नहीं मिली है। कुछ देशों में विदेशियों पर ऐसे हमले की छुटपुट घटनाएं होती रही हैं जिनमें भारतीय भी शामिल हैं।

(ग) विदेशों में रह रहे भारतीयों के विरुद्ध संगठित हिंसा की कोई पद्धति नहीं है। तथापि, ऐसे प्रत्येक मामले में भारतीय राजनयिक मिशन हमले से प्रभावित व्यक्ति से उसके हित-कल्याण का पता लगाने के लिए सम्पर्क साधता है। घटना के कारण के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए स्थानीय सरकार के अधिकारियों से भी सम्पर्क स्थापित किया जाता है। स्थानीय अधिकारी ऐसी हिंसा के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध निरन्तर सख्त कार्रवाई करते हैं ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृति को रोका जाए।

प्रतिबंध

***150. श्री सुशील कुमार शिंदे:**
श्रीमती रेणुका चौधरी:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका ने शेष प्रतिबंधों को भी हटाने का कोई संकेत दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समय प्रतिबन्धों के कारण आ रही बाधाओं सहित प्रतिबन्धों के निश्चित स्वरूप और उनकी सीमा का वस्तु-वार और मद-वार ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी हां।

(ख) जनवरी 2001 में कार्यकाल आरंभ करने के बाद से ही नये अमरीकी प्रशासन ने अनेक अवसरों पर द्विपक्षीय बैठकों में और सार्वजनिक तौर पर यह सूचित किया कि उसने भारत के विरुद्ध लगाये गये शेष प्रतिबंधों को हटाने के लिए समीक्षा प्रक्रिया आरंभ की है जिसमें अमरीकी कांग्रेस के साथ विचार-विर्मश करना भी शामिल है।

(ग) अमरीकी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा भारत को गैर-बुनियादी मानवीय ऋण; सैन्य विक्रय और वित्त-पोषण; रक्षा सामानों, सेवाओं और प्रौद्योगिकी के निर्यात तथा अमरीकी निर्यात नियम (ई ए आर), जिसे सामान्यत: "दोहरे उपयोग" के सामान और प्रौद्योगिकी के रूप में जाना चाहता है, की माल नियंत्रण सूची में शामिल कतिपय वस्तुएं और प्रौद्योगिकी के निर्यात प्रतिबंध जारी रखा है।

अमरीकी सरकार भारत को "दोहरे उपयोग" की कतिपय ऐसी वस्तुओं और प्रौद्योगिकी, जिसे अमरीका नाभिकीय प्रसार और प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी के लिए नियंत्रित रखता है, के निर्यात के लिए लाइसेंस नहीं देने की नीति का पालन करता है। इसके अतिरिक्त भारतीय सरकारी संगठनों, रक्षा संस्थाओं, शोध संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और निजी कंपनियों तथा उनकी सहायक कंपनियों, जिनके बारे में अमरीका का मानना है कि ये भारतीय नाभिकीय और प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रमों में शामिल हैं, के एक विशेष समूह के लिए भी अमरीकी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से नियंत्रित सामानों के निर्यात के लिए लाइसेंस नहीं देने की नीति का पालन करती है। अभी तथाकथित अमरीकी एन्टिटी लिस्ट में 150 से ऊपर ऐसी ईकाइयां हैं।

नारियल जटा पर छूट की योजना

***151. श्री रमेश चेन्नितला:**
श्री वी.एस. शिवकुमार:

क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नारियल जटा पर छूट की योजना को समाप्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या छूट योजना बाजार विकास सहायता से बेहतर है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को केरल सरकार से राज्य में नारियल जटा श्रमिकों के लिए छूट योजना को जारी रखने संबंधी कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (च) सरकार ने 2000-2001 से छूट स्कीम के स्थान पर बेहतर मार्किट विकास सहायता स्कीम रखने की दृष्टि से कॉयर के लिए छूट स्कीम को बन्द कर दिया है। केरल सरकार से छूट स्कीम को जारी रखने के संबंध में अनुरोध प्राप्त हुआ है। तथापि, विचार-विमर्श करने पर यह पाया गया है कि राज्य सरकार के इस अनुरोध को मानना सम्भव नहीं है। इस निर्णय के संबंध में केरल राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया है।

इंटरनेट को बढ़ावा देना

***152. श्री ए. नरेन्द्र:**
श्री जय प्रकाश:

क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में इंटरनेट का उपयोग इच्छित स्तर तक नहीं पहुंचा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने प्रतिवर्ष देश में विशेषकर ग्रामीण और दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में इंटरनेट और कम्प्यूटर से संबंधित अन्य सुविधाओं को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) इस संबंध में विकसित देशों की तुलना में भारत में कितने प्रतिशत का विकास हुआ है और इस संबंध में विकासशील देशों में भारत का स्थान कौन सा है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) और (ख) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की "सूचना अर्थव्यवस्था में कार्य की शैली" शीर्षक पर हाल ही की एक रिपोर्ट में गैर-औद्योगिक देशों में इंटरनेट के उपयोग के काफी निम्न स्तर पर चिन्ता व्यक्त की गई है। मार्च 31, 2001 की स्थिति के अनुसार भारत में ग्राहकों की संख्या 29.69 लाख है और इंटरनेट के उपयोग में तेजी से वृद्धि करने की योजना है जिससे सभी को इसके लाभ मिल सकें।

(ग) 1998 में इंटरनेट सेवा प्रदानकर्ता (आईएसपी) नीति, 1999 में नयी दूरसंचार नीति की घोषणा, सूचना प्रौद्योगिकी विधेयक 2000 के अधिनियम के साथ ही साथ आईएसपी को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट गेटवे स्थापित करने की अनुमति देने से इंटरनेट उपयोग को बढ़ावा मिला है। सरकार द्वारा किए गए उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) भारत में इंटरनेट के प्रयोग में लगातार वृद्धि हो रही है जो अगस्त, 1995 में 0.02 मिलियन था और अब 31 मार्च, 2001 को यह बढ़कर 2.96 मिलियन हो गया है। ग्राहकों की संख्या की तुलना में इंटरनेट प्रयोगकर्ताओं की अनुमानित संख्या तीन गुना अधिक है। इंटरनेट के प्रयोग की दृष्टि से विकासशील देशों में भारत का स्थान काफी ऊपर है। भारत में इंटरनेट के प्रयोगकर्ताओं की वृद्धि की दर विश्व में सर्वोच्च है।

विवरण

1. इंटरनेट सेवा प्रदानकर्ता लाइसेंस भारतीय कम्पनियों को गैर-अनन्य रूप में दिए जाते हैं। आवेदनकर्ता कम्पनी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अथवा दूरसंचार सेवाओं में किसी पूर्व अनुभव की आवश्यकता नहीं है।

2. 31.10.2003 तक लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया है और उसके बाद प्रतिवर्ष पर 1/- रुपए का नाममात्र लाइसेंस शुल्क देना होगा।

3. इंटरनेट सेवा प्रदानकर्ता को उपग्रह तथा समुद्र तलीय केबल के माध्यम से इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए सुरक्षा संबंधी अनुमति प्राप्त करने के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय गेटवे स्थापित करने की अनुमति दी गई है। इंटरनेट के लिए अंतर्राष्ट्रीय गेटवे स्थापित करने वाले इंटरनेट सेवा प्रदानकर्ताओं को बैंडविड्थ की बिक्री अन्य इंटरनेट सेवा प्रदानकर्ताओं को करने की अनुमति दी गई है।

4. मांग पर बैंडविड्थ की उपलब्धता का सुनिश्चय करने के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में दूरसंचार विभाग को सलाह देने के उद्देश्य से एक बैंडविड्थ सलाहकार समिति का गठन किया गया है जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी तथा दूरसंचार उद्योग के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को शामिल किया गया है।

5. इंटरनेट ट्रैफिक के संचालन के लिए बीएसएनएल द्वारा राष्ट्रीय इंटरनेट बैकबोन की स्थापना।

6. प्रमुख शहरों में बड़ी मात्रा में बैंडविड्थ उपलब्ध कराने के लिए बीएसएनएल द्वारा संचार सागर परियोजना चालू किया जाना।

7. राष्ट्रीय लम्बी दूरी नीति के अन्तर्गत मूल संरचनात्मक सुविधा प्रदानकर्ताओं (आईपी) की दो श्रेणियां हैं अर्थात् आईपी-1 जो डार्क फाइब जैसी परिसम्पतियां, मार्गधिकार डक्ट स्पेस आदि उपलब्ध करा सकते हैं और आईपी-II जो एक छोर से दूसरे छोर तक बैंडविड्थ उपलब्ध करा सकते हैं

8. बीएसएनएल ने राष्ट्रीय इंटरनेट बैकबोन नेटवर्क स्थापित किया है जिसके 45 नोड हैं जो अन्य इंटरनेट नोडों में व्याप्त हैं तथा बीएसएनएल, दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्ने, बंगलौर तथा पुणे स्थित गेटवे से जुड़े हैं।

9. शिलंग, इम्फाल, कोहिमा, अल्मोड़ा, सोलन आदि जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में इंटरनेट नोड् स्थाति किए गए हैं।

10. ग्राहकों को स्थानीय काल प्रभार के आधार पर निकटतम नोड से इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

11. 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार देश के 5417 ब्लाक मुख्यालयों को इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

12. 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार देश में 1019 इंटरनेट ढाबे स्थापित किए गए हैं।

13. ग्रामीण ब्लाक मुख्यालयों में इंटरनेट ढाबों को बढ़ावा देने के लिए पीएसटीएन अधिगम प्रभार पर 25 प्रतिशत की छूट से असीमित संख्या में निशुल्क इंटरनेट सुविधा की अनुमति दी गई है। शहरी/ब्लाक मुख्यालयों में एसटीडी/आईएसडी पीसीओ को दिए जाने वाले पीएसटीएन प्रभार में छूट के बराबर की छूट के साथ प्रतिवर्ष 1500 घंटे प्रति वर्ष के इंटरनेट अभिगम की अनुमति दी गई है।

14. पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम में जनसाधारण को इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 486 ब्लाकों में सामुदायिक सूचना केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं। सम्पर्क देने के अलावा, ये केन्द्र कम्प्यूटर तथा सूचना कियास्क से सुसज्जित हैं।

15. पिछले तीन वर्षों के दौरान इंटरनेट नोडों तथा लाइसेंस प्रदान किए गए इंटरनेट सेवा प्रदानकर्ताओं की संख्या में वृद्धि हुई है जिसके फलस्वरूप इंटरनेट ग्राहकों की संख्या में वृद्धि हुई है।

वर्ष	इंटरनेट दूरसंचार विभाग/ बीएसएनएल के इंटरनेट नोड	लाइसेंसीकृत आईएसपी	ग्राहकों की संख्या
31.3.99	44	85	2.30 लाख
31.3.00	89	270	9.43 लाख
31.3.01	373	456	29.69 लाख

अशक्तता अधिनियम, 1995

***153. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:**
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संसद ने पांच साल पहले अशक्तता अधिनियम, 1995 पारित किया था;

(ख) यदि हां, तो इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या यह सूचना मिली है कि विकलांगों की अत्यधिक मूल आवश्यकताओं यथा शिक्षा और रोजगार तक उनकी पहुंच की बड़े पैमाने पर उपेक्षा की जाती है;

(घ) यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने इस अधिनियम के मूल प्रावधानों को लागू नहीं किया है;

(ङ) क्या सरकार ने इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के संबंध में सभी राज्यों को कोई निदेश जारी किए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम, 1995 संसद के दोनों सदनों में दिसम्बर, 1995 में पारित किया गया।

(ख) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम एक ऐसा व्यापक विधान है जिसके अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ पुनर्वास के निवारक तथा संवर्द्धनात्मक दोनों पहलुओं जैसे शिक्षा, रोजगार तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण, नौकरी में आरक्षण, अनुसंधान तथा जनशक्ति विकास, अवरोधमुक्त वातावरण का विकास निःशक्त व्यक्तियों का पुनर्वास, निःशक्त व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता, निःशक्त कर्मचारियों के लिए विशेष बीमा योजना तथा अति निःशक्त व्यक्तियों के लिए गृहों की स्थापना आदि का प्रावधान किया गया है। अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नीतिगत ढांचा, संस्थागत तंत्र तथा उपयुक्त योजनाएं उपलब्ध कराना उपयुक्त सरकारों का दायित्व है। इस अधिनियम के अंतर्गत निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के हनन तथा संबंधित कानूनों, नियमों, विनियमों, कार्यपालक आदेशों, दिशानिर्देशों आदि का कार्यान्वयन होने के संबंध में शिकायत निवारण तंत्र का भी प्रावधान है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन इस अधिनियम से पूर्व भी निःशक्त व्यक्तियों के लिए कार्यक्रम कार्यान्वित करते रहे हैं और उन्होंने पहुंच, शिक्षा तथा रोजगार संबंधी उपबंधों सहित इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के कार्यान्वयन संबंधी कार्रवाही शुरू की है।

(ङ) और (च) यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में लागू है और उपयुक्त सरकारों के लिए

इसे कार्यान्वित करना अनिवार्य है। नोडल मंत्रालय के रूप में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा अन्य संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों ने भी इस मामले को समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ उठाया है ताकि उनसे संबंधित क्षेत्रों में कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

पर्वतीय क्षेत्रों का विकास

***154. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा पर्वतीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्रों के विकास हेतु क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं;

(ख) क्या सरकार को पर्वतीय क्षेत्र विकास योजना के लिए जारी किए गए दिशानिर्देशों में संशोधन करने के लिए कोई प्रस्ताव मिला है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पर्वतीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत महाराष्ट्र राज्य को आबंटित धनराशि पर्याप्त नहीं है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस कार्य हेतु आबंटित धनराशि में वृद्धि करने और दिशानिर्देशों में संशोधन करने का है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं तथा अथवा उठाए जाने का विचार है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम/पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत यह विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए) सामान्य राज्य योजना निधियों के लिए योगात्मक है और निर्दिष्ट पर्वतीय क्षेत्रों की पारिस्थितिकी दृष्टि से अनुकूल समाजार्थिक विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के प्रयासों को पूरा करने के लिए आबंटित की जाती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए) पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले निर्दिष्ट पर्वतीय क्षेत्रों तथा पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले निर्दिष्ट तालुकों के बीच 84:16 के अनुपात में विभाजित की जाती है। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध आबंटन को निर्दिष्ट पर्वतीय क्षेत्रों के बीच उनके क्षेत्र एवं जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया जाता है जिसमें दोनों मानदण्डों को बराबर का महत्व दिया जाता है। पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध आबंटन को तालुकों के मध्य 75 प्रतिशत महत्व क्षेत्र को तथा 25 प्रतिशत जनसंख्या को देते हुए, विभाजित किया जाता है (गोवा को छोड़कर जहां कुल विशेष केन्द्रीय सहायता के 5 प्रतिशत का तदर्थ आबंटन किया जाता है, क्योंकि उपर्युक्त मानदण्डों और क्षेत्र व जनसंख्या के महत्व के मानदण्ड को अपनाकर गोवा का अंश नगण्य ही बैठता है)।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) किसी विशेष निर्दिष्ट पर्वतीय क्षेत्र/पश्चिमी घाट तालुका को आबंटन पूरे कार्यक्रम के लिए किए गए आबंटन पर निर्भर करता है। नौवीं योजनावधि के दौरान, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम/पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के लिए आबंटन 1997-98 के 352.00 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2000-01 में 400 करोड़ रुपये कर दिया गया था; महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्दिष्ट तालुकों के लिए आबंटन उसी अवधि के लिए 15.67 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 21.08 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

भारत-अमरीकी सैन्य सम्बन्धों को पुनरुज्जीवित करना

***155. श्री साहिब सिंह:**
श्री जी.एस. बसवराज:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने भारत-अमरीकी सैन्य संबंधों को पुनरुज्जीवित करने का समर्थन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत द्वारा अमरीका की राष्ट्रीय प्रेक्षपास्त्र रक्षा प्रणाली को समर्थन देने से दोनों देशों के बीच सैन्य संबंधों को सुधारने में मदद मिली है;

(ग) यदि हां, तो भारत और अमरीका के सैन्य संबंधों में किस सीमा तक सुधार हुआ है;

(घ) क्या अमरीका द्वारा सभी सैन्य प्रतिबंधों को समाप्त किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या हाल ही में इस संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) सरकार परस्पर लाभप्रद रक्षा सहयोग को भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच विस्तृत आधार वाले, मजबूत और अधिक लाभकारी संबंध बनाने के साझे लक्ष्य की प्राप्ति में एक महत्वपूर्ण तत्व मानती है।

(ख) भारत और अमरीका की रक्षा और सैन्य स्थापनाओं के बीच सम्पर्क 1999 में पुनः शुरू हुए। ये आपसी हितों पर आधारित हैं और दोनों देशों के बीच के सारे क्रिया-कलापों को विस्तार देने की साझा इच्छा के प्रत्युत्तर में हैं।

(ग) दोनों पक्षों ने उच्च स्तर पर सैन्य सम्पर्क करना शुरू किया है। अमरीकी की पैसिफिक कमाण्ड के कमाण्डर-इन-चीफ ने जनवरी और सितम्बर, 2000 में भारत की यात्रा की थी। अमरीका की सेना के संयुक्त प्रमुखों के अध्यक्ष ने इस वर्ष जुलाई में भारत की यात्रा और स्टाफ कमेटी के प्रमुखों के अध्यक्ष और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को परस्पर सहमत तरीखों पर अमरीका आने का आमन्त्रण दिया। इसके अतिरिक्त, दोनों पत्र एक-दूसरे के सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और सेमिनारों में भाग लेते हैं।

(घ) जनवरी, 2001 में कार्यभार ग्रहण करने के बाद से अब तक अमरीका के नए प्रशासन ने अनेक अवसरों पर, द्विपक्षीय बैठकों तथा सार्वजनिक तौर पर कहा है कि उसने भारत के विरुद्ध शेष प्रतिबन्धों को हटा लेने के लिए समीक्षा प्रक्रिया आरंभ की है जिसमें अमरीकी कांग्रेस के साथ परामर्श शामिल है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विकलांगों के लिए रोजगार

***156. श्री पुन्नूलाल मोहले:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विकलांग व्यक्तियों को रोजगार और सहायता देने, उन्हें प्रशिक्षण देने तथा भविष्य में विभिन्न कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने की संभावनाओं का पता लगाएगी;

(ख) सरकार द्वारा विकलांगों को स्वरोजगार हेतु क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं; और

(ग) मध्य प्रदेश के विकलांग व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराकर व उनके प्रशिक्षण के व्यय की राशि राज्य सरकार को देकर, उनके पुनर्वास कार्यों को गति प्रदान करने हेतु वित्तीय और गैर-वित्तीय प्रोत्साहन योजनाओं को क्रियान्वित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) से (ग) 1. सरकार द्वारा निःशक्त व्यक्तियों को रोजगार, सहायता तथा प्रशिक्षण प्रदान करने और विभिन्न कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। वे इस प्रकार हैं:-

(1) निःशक्त व्यक्तियों को सरकारी प्रतिष्ठानों में आरक्षण उपलब्ध कराया गया है ताकि उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके।

(2) विकलांगों के रोजगार संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(3) रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम मंत्रालय के अधीन व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र भी निःशक्त व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा स्थापन उपलब्ध कराते हैं।

(4) राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम निःशक्त व्यक्तियों को उनकी शिक्षा तथा उद्यमीय कार्यकलाप शुरू करने के लिए आसान ऋण उपलब्ध करा रहा है।

(5) स्वैच्छिक संगठनों को अन्य बातों के साथ-साथ निःशक्त व्यक्तियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान की जा रही है।

(6) बड़ी संख्या में निःशक्त व्यक्तियों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए एकीकृत, विशेष स्कूलों तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों के दायरे (कवरेज) का विस्तार किया गया है।

2. मध्य प्रदेश में निःशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास की गति को तेज करने के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन में कोई विलम्ब नहीं हुआ। केन्द्रीय तथा मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा राज्य में निःशक्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(1) चुनौती कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनवाड़ियों में 16,780 बच्चों को प्रवेश दिया गया।

(2) निजी क्षेत्र में नि:शक्त व्यक्तियों के लिए रोजगार के संबंध में राज्य स्तरीय सेमिनार आयोजित किया गया।

(3) सरकारी नौकरियों में 6 प्रतिशत आरक्षण 14152 नि:शक्त व्यक्ति लाभान्वित हुए।

(4) नि:शक्त व्यक्तियों के लिए नौकरी की पहचान करने हेतु मुख्य सचिव के अधीन समिति गठित की गई।

(5) गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे विकलांग व्यक्तियों को प्रतिमाह 200/- रु. उपलब्ध कराया जाता है।

(6) उन परिवारों के नि:शक्त छात्रों को छात्रवृत्ति जिनकी आय प्रतिमाह 2000/- रु. से कम है।

(7) ब्रेल प्रेस शुरू करने के लिए 2 संस्थानों को अनुदान दिए गए हैं।

(8) व्यापार शुरू करने के लिए भूमि स्वीकृत करने हेतु नि:शक्त व्यक्तियों को वरीयता दी जाती है।

(9) शापिंग परिसरों में नि:शक्त व्यक्तियों के लिए 2 प्रतिशत आरक्षित किया जाता है।

(10) नि:शक्त व्यक्तियों के लिए आवास के संबंध में 3 प्रतिशत आरक्षित किए जाते हैं।

(11) नि:शक्त व्यक्तियों के लिए सम्पत्ति कर में 50 प्रतिशत की छूट।

(12) नि:शक्त व्यक्तियों के लिए रियायती दर पर भूमि का आबंटन।

(13) शिक्षण संस्थाओं में 3 प्रतिशत आरक्षण।

(14) नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 में कार्यान्वयन के संबंध में सम्मेलन संचालित किए गए हैं।

(15) भोपाल में एक संयुक्त पुनर्वास केन्द्र स्थापित किया गया है।

(16) मेरूदंड क्षतिग्रस्त व्यक्तियों के लिए जबलपुर में एक क्षेत्रीय पुनर्वास केन्द्र की स्थापना की गई है।

(17) जिला नि:शक्तता पुनर्वास केन्द्र (जिला केन्द्र) की स्थापना करने के लिए 10 जिलों की पहचान की गई हैं। ग्वालियर, झाबुआ, इन्दौर तथा राजगढ़ स्थित जिला केन्द्रों ने कार्य करना शुरू कर दिया है।

(18) सहायक यंत्रों एवं उपकरणों को तैयार करने के लिए जबलपुर में कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) के एक क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना की जा रही है।

शहीदों के परिवारों को सुविधाएं

***157. श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी:**
श्री शीश राम ओला:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जम्मू और कश्मीर व अन्य सीमा क्षेत्रों में अपनी तैनाती के दौरान मारे गए सैनिकों के परिवारों और पेंशनभोगियों को वे सभी सुविधाएं देने पर विचार कर रही है, जो कारगिल युद्ध में मारे गए सैनिकों के परिवारों को दी गई थीं;

(ख) यदि हां, तो इसकी रूपरेखा क्या है और इसके लिए क्या समय-सूची बनाई गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (ग) कारगिल सैन्य कार्रवाई जान-बूझकर किया गया एक आक्रमण था जिसमें नियंत्रण-रेखा से हमारी ओर घुसपैठ की गई थी और भारतीय भू-भाग पर कब्जा कर लिया गया। जम्मू-कश्मीर और सीमावर्ती क्षेत्रों में अन्य सैन्य कार्रवाइयां सीमा पार से फैलाए जाने वाले आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई, उग्रवादियों, आतंकवादियों, चरमपंथियों आदि के विरुद्ध कार्रवाई के रूप में होती हैं। इसीलिए कारगिल सैन्य कार्रवाई को अलग रूप में लिया गया है। अन्य सैन्य कार्रवाइयों में मारे जाने वाले सैनिकों के परिवारों को अनुग्रह-अनुदान मुआवजे के रूप में 7.5 लाख रुपये का भुगतान किया जाता है। हालांकि, शोक संतप्त परिवारों को दी जाने वाली उदारीकृत परिवार पेंशन और मृत्यु-उपदान की दर में कोई अंतर नहीं है।

सरकार द्वारा सभी संगत पहलुओं पर विचार करके अनुग्रह-अनुदान की राशि निर्धारित की गई है।

छावनी बोर्ड

***158. श्री रामदास आठवले:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार का विचार छावनी बोर्डों का चुनाव प्रणाली के दायरे से बाहर रखने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को विभिन्न सामाजिक संगठनों से इसके विरुद्ध अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

रक्षा विभाग की उपयोग में नहीं लाई जा रही भूमि

***159. श्री दानवे रावसाहेब पाटील:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के विभिन्न भागों विशेषकर महाराष्ट्र में रक्षा विभाग की भूमि का एक बड़ा क्षेत्र खाली और बिना उपयोग के पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस भूमि को उपयोग में लाने हेतु कोई योजना बनाई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या उपयोग में नहीं लाई जा रही भूमि को व्यावसायिक कार्यों हेतु विभिन्न संगठनों को देने की पेशकश की जा रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (छ) रक्षा भूमि सशस्त्र सेनाओं की वर्तमान और भावी जरूरतों को पूरा करने के लिए है। अत: हमारी रक्षा आवश्यकताओं से कोई रक्षा भूमि फालतू नहीं है। रक्षा मंत्रालय के संबंधित भूमि के बड़े क्षेत्रों को परेड ग्राउंड, प्रशिक्षण ग्राउंड जैसे विभिन्न प्रयोजनों के लिए और छोटे शस्त्रास्त्र चांदमारी क्षेत्रों के रूप में भी खाली रखा जाता है। खाली या अनुपयोगी पड़ी दिखाई देने वाली सारी अन्य भूमि वास्तव में आवास व कार्यालयों के निर्माण तथा अन्य रक्षा उपयोगों के लिए निर्धारित है।

तथापि, रक्षा प्रयोजनों के लिए उपयुक्त होने पर इनमें से कुछ भूमि को राज्य सरकारों के साथ समतुल्य मूल्य की आबाधित और कब्जा योग्य भूमि के साथ आदान-प्रदान करने का प्रस्ताव है। ऐसी किसी भी भूमि को किसी निजी संगठन को वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए आबंटित किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

रक्षा सौदों में बिचौलिए

***160. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने हेतु कोई नीति बनाई है कि रक्षा सौदों में बिचौलियों की कोई भूमिका न हो;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (ग) 17 अप्रैल, 1989 को जारी किए गए मौजूदा सरकारी अनुदेश 'शस्त्रों' या 'शस्त्र प्रणालियों की खरीद में एजेंटों को शामिल करने पर रोक लगाते हैं। इसके अलावा, मंत्रालय द्वारा की गई संविदाओं में एजेंटों को शामिल न करने की शर्त रखी जाती है और उनमें इस बात का विशेष उल्लेख होता है कि यदि बाद की किसी तारीख में संविदा में एजेंटों के शामिल होने का पता चलता है तो संविदा समाप्त कर दी जाएगी और विक्रेता को इस संविदा के तहत किया गया भुगतान ब्याज सहित वापस करना पड़ेगा। ऐसी कंपनी को सरकारी संविदा में भाग लेने हेतु कम-से-कम 5 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। कमीशन के रूप में एजेंट को दी गई धनराशि भी लौटानी पड़ेगी।

प्रोन्नति के माध्यम

1465. श्रीमती रेनु कुमारी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के अनुसार पृथक पद ग्रहण करने वाले व्यक्ति को प्रोन्नति का कोई माध्यम दिया जाना चाहिए;

(ख) क्या कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के ये नियम सभी पृथक पदों पर लागू होते हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) किसी भी अलग-थलग पड़े पद पर व्याप्त पदोन्नति-गतिरोध की समस्याओं से निबटने की दृष्टि से, कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग ने सभी मंत्रालयों/विभागों पर जोर देते हुए उन्हें मार्च 11, 1986 और मई 23, 1990 को ये अनुदेश जारी किए हैं कि वे उन अलग-थलग पड़े मदों को मौजूदा संवर्गों में शामिल करने की काराई आरंभ करें जिन अलग-थलग पड़े पदों के उत्तरदायित्व और कर्तव्य, उन पदों से संबद्ध उत्तरदायित्वों और कर्तव्यों के सदृश हों जो किसी भी मौजूदा संवर्ग का हिस्सा हों। मंत्रालयों/विभागों से, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और उनके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में एक जैसे कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों वाले अलग-थलग पड़े पदों को मिलाकर एक नया संवर्ग बनाए जाने की व्यवर्हायता का पता लगाने का आग्रह भी किया गया है। यह भी सुझाया गया है कि एस कार्रवाई के बाद भी यदि कुछ ऐसे अलग-थलग पड़े पद बचे रहे जिन्हें किसी भी संगठित संवर्ग में शामिल नहीं किया जा सका हो तो जहां तक संभव हो, ऐसे पदों पर सीधी भर्ती नहीं की जाए और इसके बारे में संगत भर्ती-नियमों में उपयुक्त प्रावधान करके, ऐसे पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर/अल्पकालिक संविदा के आधार पर भरे जाएं। इस बारे में, मंत्रालयों/विभागों से अलग-थलग पड़े पदों के भर्ती-नियमों की समीक्षा करने को कहा गया था। फिर, भी अलग-थलग पड़े उन पदों के संबंध में, 09.08.1999 को अधिसूचित सुनिश्चित कॅरिअर-प्रोन्नयन की योजना में, अन्य बातों के साथ-साथ, केन्द्रीय सरकार के अलग-थलग पड़े सभी सिविल पदों के धारकों को उनके सेवाकाल में 12 वर्ष और 24 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर लेने पर, वित्तीय उन्नयन दे दिए जाने का प्रावधान कर दिया गया है जो मौजूदा संवर्गों में से किसी भी संवर्ग में नहीं मिलाए जा सके हों अथवा जो नए संवर्ग/नई सेवा में शामिल नहीं किए जा सके हों और जो सीधी भर्ती द्वारा/स्थानांतरण के आधार पर भरे गए हों।

[हिन्दी]

सरकारी सहायता का औचित्यपूर्ण न होना

1466. श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के औद्योगिक उत्पादन में लघु उद्योगों, अतिलघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों का हिस्सा कितना है;

(ख) क्या देश के कुछ औद्योगिक उत्पादन का दो तिहाई हिस्सा लघु उद्योगों अतिलघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों द्वारा उत्पादित किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन उद्योगों को सरकारी वित्तीय सहायता का एक तिहाई हिस्सा भी नहीं मिलता;

(ङ) यदि हां, तो सरकारी सहायता उपलब्ध करवाने के मामले में उक्त उद्योगों की अनदेखी किए जाने के क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा लघु उद्योगों के विकास के लिए क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) देश के कुल उत्पादन में ग्राम एवं लघु उद्योगों (वी.एस.आई. क्षेत्र) तथा लघु उद्योगों (लघु उद्योग क्षेत्र) का भाग मार्च, 2000 के अन्त में अनुमानित तौर पर क्रमश: 46.71 प्रतिशत और 39.53 प्रतिशत है। अति लघु उद्योगों तथा कुटीर उद्योगों के लिए अनुमान अलग से नहीं रखे जाते हैं।

(घ) और (ङ) सरकार उद्योगों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करती है। तथापि, यह उपयुक्त नीतिगत उपायों के माध्यम से क्रेडिट की उपलब्धता को सरल को बनाती है।

(च) सरकार ने लघु उद्योगों के विकास के लिए कई कदम उठाए हैं। लघु उद्योगों का संवर्धन एवं विकास करने तथा घरेलू एवं विश्वव्यापी रूप से दोनों स्तरों पर इसकी प्रतियोगितात्मकता में वृद्धि करने के लिए प्रधानमंत्री ने 30 अगस्त, 2000 को एक व्यापक नीतिगत पैकेज की घोषणा की। नीतिगत पैकेज में बढ़ा हुआ राजकोषीय एवं क्रैडिट समर्थन, बेहतर आधारभूत संरचना और विपणन सुविधाएं तथा प्रौद्योगिकी उन्नयनीकरण के लिए प्रोत्साहन शामिल है।

[अनुवाद]

डी.आर.डी.ओ. की ओर से विलंब के कारण आयात में वृद्धि

1467. श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डी.आर.डी.ओ. आयुध प्रणालियों के विकास करने के संबंध में निर्धारित समय-सीमा का पालन करने में विफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या डी.आर.डी.ओ. की ओर से होने वाले विलंब से रक्षा मदों के आयात में भारी वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) डी.आर.डी.ओ. के आधुनिकीकरण के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन उच्च प्रौद्योगिकी शस्त्र प्रणालियों के विकास का कार्य प्रयोक्ताओं द्वारा नियत की गई समयावधि में करने के लिए हाथ में लेता है। रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन ने सामान्यत: प्रणालियों की सुपुर्दगी समय की है। तथापि, सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, कुछ मामलों में, प्रौद्योगिकी जटिलता और उन्नत देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों जैसे कई कारणों से कुछ देरी हुई है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। तथापि, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, सेनाओं की अत्यावश्यक जरूरतों हेतु देश के भीतर अथवा विदेश से खरीद किए जाने में आड़े नहीं आया है।

(घ) रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन का आधुनिकीकरण एक चलते रहने वाला कार्य-कलाप है। सरकार ने इस प्रयोजनार्थ पर्याप्त निधि आबंटित की है।

डाबर शहद पर उत्पादन लैबल

1468. डा. बलिराम: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाबर शहद में सिंथेटिक पदार्थ होने की सूचना मिली है;

(ख) यदि हां, तो क्या आयुर्वेदिक भेषज विज्ञान में इस सिंथेटिक पदार्थ को मिलाये जाने को अनुमति प्राप्त है और ये मानवीय स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं;

(ग) क्या उत्पादों पर लैबल और सिंथेटिक घटकों के नामों का उल्लेख करने की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) डाबर शहद को खाद्य सामग्री के रूप में लाइसेंस प्रदान किया गया है न कि आयुर्वेद दवा के रूप में। फर्म ने सिन्थेटिक पदार्थ के प्रयोग करने से इंकार किया है।

(ख) सिन्थेटिक पदार्थ आयुर्वेदिक भेषज विज्ञान में शामिल नहीं है। वैसे भी इसमें शहद के लिए मानक निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(ग) और (घ) यदि प्राकृतिक शहद के मानक संघटक के अलावा कोई पदार्थ शहद में मिलाए जाते हैं तो निर्माता को अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 और उसके अन्तर्गत बने नियमों की अपेक्षा के अनुसार लैबल पर घटकों के नाम एवं उनकी मात्रा को दर्शाना होता है।

खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अनुसार शहद में किसी भी सिन्थेटिक पदार्थ को मिलाने की अनुमति नहीं है।

तमु कलेमयो-कलेवा मार्ग

1469. श्री अबुल हसनत खां: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने 160 कि.मी. लम्बे तमु कलेमयो-कलेवा मार्ग के अनुरक्षणार्थ म्यांमार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) समझौता ज्ञापन के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) जी हां।

(ख) 25 मई, 2001 को यांगोन में म्यांमा की संघीय सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच तमु-कलेमयो-कलेवा मार्ग के रख-रखाव से सम्बद्ध एक समझौता ज्ञापन सम्पन्न किया गया। समझौता ज्ञापन के तहत, प्रथम छह वर्ष तक भारतीय सड़क अनुरक्षण दल की सेवाओं सहित आवश्यक सामग्री और श्रमिक प्रदान करके तमु-कलेमयो-कलेवा मार्ग का रख-रखाव करना भारत की जिम्मेदारी है। छह वर्ष के पश्चात् सड़क को म्यांमा की सरकार को सौंप दिया जाएगा, जो इसके पश्चात सड़क के रख-रखाव और देख-रेख के लिए जिम्मेदार होगी।

(ग) समझौता ज्ञापन इसके हस्ताक्षर होने की तारीख अर्थात 25 मई, 2001 से प्रवृत्त हो गया।

पूर्ण विजय

1470. **श्री विलास मुत्तेमवार:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत ने मई 2001 में राजस्थान के रेगिस्तानों में 'पूर्ण विजय' अभ्यास किया था;

(ख) क्या उक्त अभ्यासों के दौरान वायु सेना के कुछ विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे;

(ग) यदि हां, तो कितने विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए;

(घ) इन अभ्यासों ने किस हद तक वांछित उद्देश्य प्राप्त किया और सीमा पार से किसी खतरे का सामना करने के लिए हमारी सेनाओं में विश्वास पैदा किया है;

(ङ) क्या अपनी सेनाओं को किसी संभाव्य घटना के लिए तत्पर रखने के लिए समय-समय पर ऐसे अभ्यास करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) जी, हां। यह अभ्यास पश्चिम सेक्टर में किया गया था।

(ख) और (ग) जी, हां। एक मिग-21 विमान अभ्यास के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।

(घ) इस अभ्यास से वांछित उद्देश्य की पूर्ति हुई है और इससे हमारी सेनाओं के आत्म-विश्वास में और वृद्धि हुई है।

(ङ) और (च) इस प्रकार के अभ्यास समय-समय पर लगातार किए जाते हैं।

[हिन्दी]

औषधियों की बिक्री

1471. **श्री रवि प्रकाश वर्मा:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** 18.4.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4674 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद से अब यह सूचना प्राप्त हो चुकी है। तथापि भारतीय वैकल्पिक औषधों और औषधों के मानकों के संबंध में किए जा रहे अनुसंधान के बारे में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद से सूचना की अभी भी प्रतीक्षा है।

[अनुवाद]

डी.आर.डी.ओ. प्रयोगशालाएं

1472. **श्री राजैया मलयाला:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, देहरादून में कथित भ्रष्टाचार की जानकारी है जैसाकि 30 मई, 2001 के 'दि इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रक्षा अनुसंधान परियोजनाओं में भ्रष्टाचार के आरोपों की कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले और उन पर क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) समाचार पत्र की खबर में कथित भ्रष्टाचार के किन्हीं विशिष्ट मामलों की सूचना नहीं दी गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) समाचार-पत्र की खबर में उठाए गए मुद्दों की मुख्यालय की एक तथ्य खोजी समिति द्वारा जांच की गई है।

(घ) इस तथ्य खोजी समिति की नजर में कोई प्रतिकूल बात नहीं आई है।

[हिन्दी]

अनुसंधान और विकास केन्द्र

1473. **डा. जसवंत सिंह यादव:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय अंतरीक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का प्रस्ताव राजस्थान में अनुसंधान और विकास केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए/उठाए गए रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) अन्तरिक्ष विभाग के अन्तर्गत, माउंट आबू में एक अवरक्त वेधशाला, उदयपुर में एक सौर वेधशाला और जोधपुर में एक प्रादेशिक सुदूर संवेदन सेवा केन्द्र राजस्थान में पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं।

[अनुवाद]

परियोजना आकलन संबंधी टिप्पण जारी करना

1474. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय के परियोजना आकलन और प्रबंधन प्रभाग द्वारा प्रबंधन संबंधी सलाह देने हेतु *समय सीमा सितम्बर, 1997 से चार सप्ताह तक निर्धारित की गई है;*

(ख) यदि हां, तो उस समय से प्रस्ताव टिप्पणों वाले कुल कितने प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि हाल ही में कुछ प्रस्तावों में आकलन टिप्पणों में चार सप्ताह की निर्धारित अवधि से अधिक विलम्ब हुआ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विलम्ब के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ङ) उनके मंत्रालय द्वारा यह सुनिश्चित करने कि मंत्रालयों/विभागों द्वारा भेजे गए विभिन्न प्रस्तावों के लिए आकलन/टिप्पण समय-सीमा के भीतर जारी किए जाएं, के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) जी, हां।

(ख) 1.10.1997 से 30.06.2001 तक, कुल जारी किए गए मूल्यांकन टिप्पणों की संख्या 696 है।

(ग) जी, हां। परन्तु इसके कारण ईएफसी/पीआईबी मामलों में प्रक्रमण के लिए अनुमोदन प्राप्त करने में विलम्ब नहीं हुआ है। विषय संबंधी वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, मंत्रालय, 4 सप्ताह की अवधि समाप्त होने के तुरंत बाद ईएफसी/पीआईबी की बैठकें करने के लिए स्वतंत्र है तथा पीएएमडी ऐसे मामलों में प्रबंधकीय सलाह/मूल्यांकन टिप्पण ईएफसी/पीआईबी की बैठकों में ही दे देगा।

(घ) मूल्यांकन के लिए प्राप्त प्रस्तावों के लंबित होने संबंधी स्थिति की समीक्षा प्रत्येक सप्ताह की जाती है और महीने के अंत में, गत मास की अंतिम तिथि से 4 सप्ताह से अधिक लंबित पड़े प्रस्तावों की एक रिपोर्ट तैयार की जाती है तथा प्रभाग की मासिक प्रगति रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत की जाती है।

1.10.97 से 30.6.2001 तक की अवधि के दौरान मूल्यांकित किए गए 696 प्रस्तावों में से 51 प्रस्ताव (7 प्रतिशत) 4 सप्ताह से अधिक समय पर लंबित थे। इस विलम्ब के मुख्य कारण निम्नलिखित थे:-

- मंत्रालयों/विभागों द्वारा बड़े पैमाने पर भेजे गए प्रस्तावों को इकट्ठा होना।
- प्रभाग में कर्मचारियों की कमी
- योजना आयोग में विषय वस्तु संबंधी प्रभागों की तात्कालिक प्रकार के अन्य कार्यों में पूर्वव्यस्तता।
- कुछ परियोजनाओं का जटिल प्रकार विशेषकर जहां लिंक परियोजनाएं संबद्ध हों, और
- अन्य यूनिटों/उपक्रमों को शामिल करते हुए एकीकृत अभियान।

(ङ) मंत्रालयों/विभागों को मई, 2001 में पुन: सलाह दी गई है कि वे अपने प्रस्ताव इकट्ठे भेजने के बजाय जैसे ही तैयार हो जाएं परियोजना मूल्यांकन एवं प्रबंधन प्रभाग (पीएएमडी) को भेज दें तथा ईएफसी/पीआईबी/ईबीआर ज्ञापन की प्राप्ति की तिथि से एक या दो दिन के अंदर ही मूल्यांकन टिप्पण जारी करने हेतु

दबाव न डालें क्योंकि इससे पूर्वचालित परियोजनाओं के मूल्यांकन में विलम्ब होता है।

योजना आयोग में सभी प्रधान सलाहकारों/सलाहकारों/प्रभागाध्यक्षों से मई, 2001 में अनुरोध किया गया है कि वे मूल्यांकन टिप्पण जारी करने के लिए प्रस्तावों/परियोजनाओं का प्रक्रमण करते समय निर्धारित समय सीमा का कड़ाई से अनुपालन करें।

जून, 2001 के बाद से 4 सप्ताह से अधिक लंबित पड़े मामलों को शून्य तक नीचे लाया गया है। योजना आयोग, अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर, मूल्यांकन टिप्पणों को जारी करने के लिए 4 सप्ताह की निर्धारित अवधि का ही अनुपालन करेगा।

कुपोषण और उच्च मृत्यु दर

1475. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय बच्चों और गर्भवती माताओं में शिशु जन्म और शिशु/मातृ मृत्यु दर और कुपोषण का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कुपोषण और मातृ/बाल मृत्यु दर पर नियंत्रण करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं और प्रत्येक राज्य द्वारा कितनी उपलब्धि हासिल की गई है;

(ग) क्या सरकार ने चालू पंचवर्षीय योजना के विशेषकर उन राज्यों, जहां कुपोषण और मातृ/बाल मृत्यु दर अधिक है, के लिए कोई प्रभावी कार्यक्रम तैयार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) भारत के महारजिस्ट्रार की नमूना पंजीयन स्कीम से स्कीम उपलब्ध नवीनतम आंकड़ा वर्ष 1999 के लिए शिशु मृत्यु दर और वर्ष 1998 के लिए मातृ मृत्यु दर से संबंधित है। राष्ट्रीय स्तर पर और बड़े राज्यों से संबंधित इनका ब्यौरा विवरण I और II पर है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-II द्वारा सूचित राज्यों के बच्चों की पोषणिक स्थिति का ब्यौरा विवरण-III पर है।

(ख) से (घ) मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवा प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का भाग है जो वर्ष 1997 से देश के सभी राज्यों और संघ क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाना और शिशु बाल एवं मातृ मृत्यु और रुग्णता को कम करना है।

कार्यक्रम के अंतर्गत मातृ एवं बाल स्वास्थ्य में सुधार लाने संबंधी कार्यकलाप देश के सभी जिलों में चलाए जा रहे हैं। बच्चे के लिए कार्यकलापों में वैक्सीन से रोके जा सकने वाले 6 रोगों के लिए प्रतिरक्षण, अतिसार एवं तीव्र श्वसनीय संक्रमण से होने वाली मौतों पर नियंत्रण, विटामिन-ए आयरन और रक्त की कमी के लिए रोगनिरोध तथा अनिवार्य नवजात शिशु परिचर्या शमिल है। माताओं के लिए कार्यकलापों में अनिवार्य प्रसूति परिचर्या, आपाती प्रसूति परिचर्या, पंचायतों के जरिए रेफरल परिवहन की व्यवस्था और प्रथम रेफरल एककों में औषधों और उपकरण की व्यवस्था शामिल है।

दूर-दराज एवं निम्न जनांकिकीय सूचकों वाले जिलों में इन सेवाओं की प्रदानगी में सुधार लाने के लिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत अतिरिक्त सहायक नर्सधात्रियों, स्टाफ नर्सो एवं प्रयोगशाला तकनीशियनों के रूप में संविदात्मक स्टाफ के लिए धन उपलब्ध कराया जा रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चौबीसों घंटे प्रसव सेवाएं प्रदान करने, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर अनिवार्य प्रसूति परिचर्या और चिकित्सीय गर्भसमापन सेवाएं प्रदान करने हेतु डाक्टर किराए पर लेने और मातृ संबंधी जटिलताओं वाली महिलाओं के आपाती आपरेशनों में सहायता करने के लिए संवेदनाहारकों को किराए पर लेने के लिए भी निधियां प्रदान की जा रही हैं।

सुरक्षित प्रसव में सुधार लाने के लिए दाई प्रशिक्षण कार्यक्रम इस समय 15 राज्यों के 142 जिलों में चलाया जा रहा है जहां सुरक्षित प्रसव दर 30 प्रतिशत से कम पाया गया है। प्रतिरक्षण और प्रसव पूर्व सेवाओं की पहुंच को बढ़ाने के लिए एक स्कीम 8 कमजोर राज्यों के 50 जिलों में कार्यान्वित की जा रही है। दूरस्थ, दुर्गम एवं कम उपयोग वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कैम्प के आयोजन के लिए एक स्कीम 17 राज्यों के 102 जिलों में कार्यान्वित की जा रही है।

गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों की पोषणिक स्थिति में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय पोषणिक नीति वर्ष 1993 में बनाई गई और पोषण पर राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की गई और इसे अन्य के साथ-साथ महिला एवं बाल विकास विभाग के समन्वित बाल विकास सेवा कार्यक्रम और परिवार कल्याण विभाग के प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम सहित भारत सरकार के कई विभागों के जरिए कार्यान्वित की जा रही है। देश भर में कार्यान्वित प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत रक्ताल्पता के रोगनिरोध एवं उपचार के लिए गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों (1-5 वर्ष) को लौह एवं फौलिकअम्ल की गोलियां प्रदान की जा रही हैं।

पिछले 3 वर्षों में शिशु मृत्यु दर का राज्यवार ब्यौरा विवरण-I पर है। मातृ मृत्यु दर केवल 1997 एवं 1998 के लिए उपलब्ध हैं और विवरण-II पर दिए गए हैं जबकि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-I (1992-93) और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-II (1998-99) से उपलब्ध पौषणिक स्थिति और प्रसवपूर्व परिचर्या एवं सुरक्षित प्रसवों की तुलना विवरण-IV पर है।

विवरण-I

बड़े राज्य में शिशु मृत्यु दर

स्रोत-नमूना पंजीकरण सर्वेक्षण (भारत के महारजिस्ट्रार)

क्र.सं.	राज्य	1997	1998	1999
1.	आंध्र प्रदेश	63	66	66
2.	असम	76	76	76
3.	बिहार	71	67	66
4.	गुजरात	62	64	63
5.	हरियाणा	68	70	68
6.	कर्नाटक	53	58	58
7.	केरल	12	16	14
8.	मध्य प्रदेश	94	98	90
9.	महाराष्ट्र	47	49	48
10.	उड़ीसा	96	98	97
11.	पंजाब	51	54	53
12.	राजस्थान	85	83	81
13.	तमिलनाडु	53	53	52
14.	उत्तर प्रदेश	85	85	84
15.	पं. बंगाल	55	53	52
16.	हिमाचल प्रदेश	63	68	62
17.	जम्मू और कश्मीर	अनुपलब्ध	45	अनुपलब्ध
	अखिल भारत	71	72	70

विवरण-II

मातृ मृत्यु दर

भारत और बड़े राज्य

बड़े राज्य	मातृ मृत्यु दर 1997	मातृ मृत्यु दर 1998
भारत	408	407
आंध्र प्रदेश	154	159
असम	401	409
बिहार	451	452
गुजरात	29	28
हरियाणा	105	103
कर्नाटक	195	195
केरल	195	198
मध्य प्रदेश	498	498
महाराष्ट्र	135	135
उड़ीसा	361	367
पंजाब	196	199
राजस्थान	677	670
तमिलनाडु	76	79
उत्तर प्रदेश	707	707
प. बंगाल	264	266

स्रोत: भारत के महारजिस्ट्रार नमूना पंजीकरण स्कीम 1997, 1998।

विवरण-III

अल्पपोषित वर्ग में रखे गए 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों का प्रतिशत (आयु के लिए भार)

भारत/राज्य	रा.प.स्व. सर्वे.-I (1992-93)	रा.प.स्व. सर्वे.-II (1998-99)
1	2	3
भारत	20.1	18
दिल्ली	12.8	10.1
हरियाणा	7.9	10.1

1	2	3
हिमाचल प्रदेश	12.6	12.1
जम्मू व कश्मीर	13.5	8.3
पंजाब	14.5	8.8
राजस्थान	20.9	20.8
मध्य प्रदेश	22.1	24.3
उत्तर प्रदेश	23.5	21.9
बिहार	31.6	25.5
उड़ीसा	22.4	20.7
प. बंगाल	18.4	16.3
अरुणाचल प्रदेश	15.2	7.8
असम	17.6	13.3
मणिपुर	6	5.3
मेघालय	17.8	11.3
मिजोरम	6.8	5
नागालैंड	6.7	7.4
सिक्किम	–	4.2
गोवा	8.4	4.7
गुजरात	17.1	16.2
महाराष्ट्र	20.7	17.6
आंध्र प्रदेश	13.5	10.3
कर्नाटक	18.5	16.5
केरल	6.1	4.7
तमिलनाडु	12.9	10.6

रा. = राष्ट्रीय

प. = परिवार

स्वा. = स्वास्थ्य

सर्वे. = सर्वेक्षण

विवरण-IV

प्रसवपूर्व परिचर्या एवं सुरक्षित प्रसव—राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-I एवं II

क्र.सं.	भारत एवं राज्य	प्रसवपूर्व परिचर्या		सुरक्षित प्रसव	
		I	II	I	II
भारत		44.0	65.3	34.2	42.3
1.	आंध्र प्रदेश	86.8	92.7	79.6	65.0
2.	असम	48.9	59.8	17.8	21.5
3.	बिहार	36.3	36.0	18.9	23.5
4.	दिल्ली	81.8	82.0	53.0	66.7
5.	गुजरात	75.4	86.3	42.7	53.5
6.	गोवा	95	99.0	88.4	91.1
7.	हरियाणा	72.2	58.1	30.3	42.0
8.	हिमाचल प्रदेश	75.4	86.8	25.6	40.4
9.	जम्मू व कश्मीर	78.6	83.2	31.2	43.1
10.	कर्नाटक	83.4	86.3	50.9	59.2
11.	केरल	97.3	98.9	89.7	94.0
12.	मध्य प्रदेश	52.3	61.1	30.0	30.1
13.	महाराष्ट्र	82.3	90	53.1	59.7
14.	उड़ीसा	61.0	79.2	20.5	33.7
15.	पंजाब	87.6	74.1	48.4	62.7
16.	राजस्थान	32.8	47.2	22.0	36.2
17.	सिक्किम	–	70.0	–	35.1
18.	तमिलनाडु	94.2	98.6	71.2	84.1
19.	उत्तर प्रदेश	44.4	34.6	17.2	23.0
20.	प. बंगाल	75.4	89.5	44.4	44.5
21.	अरुणाचल प्रदेश	48.9	60.9	21.3	32.0
22.	मेघालय	51.1	53.1	37.0	20.7
23.	नागालैंड	38.5	59.4	12.2	32.7
24.	मणिपुर	63.5	80.1	50.5	53.9
25.	मिजोरम	86.3	90.3	61.5	60.9

आर्थिक विकास दर

1476. श्रीमती मिनाती सेन: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आर्थिक सुधार प्रक्रिया शुरू होने के बाद से पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में आर्थिक विकास दर में प्रबल रूप से गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार उन राज्यों को विशेष दर्जा देने की घोषणा करने का है जिन्हें उदारीकरण से नुकसान पहुंचा है; और

(ग) उपर्युक्त राज्यों की अस्सी के दशक के तुलना में नब्बे के दशक के दौरान विकास दर का ब्यौरा क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों की वार्षिक आर्थिक विकास दरें (1993-94 के स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद द्वारा मापित) विवरण-I में दी गई हैं। ये आंकड़े संकेत नहीं करते कि आर्थिक सुधार प्रक्रिया शुरू होने के बाद से पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में आर्थिक विकास दर में प्रबल गिरावट आई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों की अस्सी के दशक की तुलना में नब्बे के दशक के दौरान विकास की दरें विवरण-II में दी गई हैं।

विवरण-I

नब्बे के दशक के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) की वार्षिक विकास दरें

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98 (पी)	1998-99 (क्यू)	1999-2000 (ए)
1.	अरुणाचल प्रदेश	1.3	14.2	-5.0	3.4	0.3	11.8
2.	असम	2.8	2.9	2.9	1.0	-2.3	7.8
3.	मणिपुर	0.7	[illegible]	10.5	10.9	5.0	3.9
4.	मेघालय	3.6	9.2	4.5	6.3	6.9	5.8
5.	मिजोरम						
6.	नागालैण्ड	7.6	6.9	6.6	7.8	-4.0	एन.ए.
7.	उड़ीसा	4.7	5.2	-4.5	13.2	1.7	4.3
8.	सिक्किम						
9.	त्रिपुरा	-0.4	8.4	10.6	10.3	4.9	4.9
10.	पश्चिम बंगाल	1.2	13.4	7.0	8.3	7.0	7.4

टिप्पणी: एन.ए. उपलब्ध नहीं, पी-अनन्तिम, क्यू-त्वरित अनुमान, ए-अग्रिम

मिजोरम राज्य ये अनुमान केवल प्रचलित मूल्यों पर तैयार करता है।

स्रोत: संबंधित राज्य सरकारों के आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय।

विवरण-II

अस्सी और नब्बे के दशक के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) विकास दरें

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विकास दरें 1980	1990
1.	अरुणाचल प्रदेश	8.90	4.12
2.	असम	4.12	2.49
3.	मणिपुर	5.03	एन.ए.
4.	मेघालय	5.94	6.01
5.	मिजोरम	एन.ए.	एन.ए.
6.	नागालैण्ड	8.00	एन.ए.
7.	उड़ीसा	2.79	3.97
8.	सिक्किम	10.95	एन.ए.
9.	त्रिपुरा	5.66	6.38
10.	पश्चिम बंगाल	4.35	7.32

टिप्पणी: अस्सी के दशक के आंकड़े स्थिर 1980-81 के मूल्यों पर है जबकि नब्बे के दशक के आंकड़े 1993-94 के मूल्यों पर हैं।

अस्सी के दशक के लिए समयावधि 1980-81 के मूल्यों में 1980-81 से 1990-91 तक।

नब्बे के दशक के लिए समयावधि 1993-94 के मूल्यों में 1993-94 से 1999-2000 तक।

[हिन्दी]

अशक्त लोगों हेतु पुनर्वास कार्यक्रम

1477. **श्रीमती सुशीला सरोज:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार और बिहार सरकार ने उत्तर प्रदेश और बिहार के विभिन्न जिलों में अशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु इन राज्यों में कितने जिलों का चयन किया गया है;

(ग) सरकार द्वारा वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान इस कार्यक्रम के तहत कितनी धनराशि जारी की गई; और

(घ) वर्ष 2001-2002 के दौरान इस कार्यक्रम में किन-किन जिलों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, हां।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में चुने गए जिलें हैं:- लखनऊ, कानपुर, पीलीभीत, सीतापुर, सुलतानपुर और वाराणसी।

इस योजना के अन्तर्गत बिहार में चुने गए जिले:- भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और पश्चिमी चम्पारण हैं।

(ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को निर्मुक्त राशि 446.15 लाख लाख रुपये है और वर्ष 2001-2002 के लिए निधियों की निर्मुक्ति नहीं की गई है। बिहार के लिए वर्ष 2000-2001 के दौरान 322.25 लाख रुपये की निर्मुक्ति की गई है और वर्ष 2001-2002 के लिए निधियों की निर्मुक्ति नहीं की गई है।

(घ) वर्ष 2001-2002 में उन्हीं जिलों को ही शामिल करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

कृषि और ग्रामीण उद्योगों को खतरा

1478. **श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल:** क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कोटा प्रतिबंध हटाने से भारतीय कृषि और ग्रामीण उद्योगों पर मंडरा रहे खतरे के प्रति सचेत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कृषि उद्योगों की रक्षा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस स्थिति के चलते अब तक कितने उद्योग बंद हो गये हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) सरकार देश में कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों सहित अर्थव्यवस्था पर मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाए जाने तथा डब्ल्यू टी ओ करारों के प्रभाव की लगातार निगरानी कर रही है। मात्रात्मक प्रतिबन्धों को हटाए जाने से हालांकि लघु उद्योगों, कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों को अपेक्षाकृत

कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा है परन्तु इस कदम को उठाए जाने के परिणामस्वरूप आयातों में कोई उछाल नहीं आया है। मात्रात्मक प्रतिबन्धों को हटाए जाने के बाद भी उद्योगों को सीमित स्तरों तक सीमा शुल्क बढ़ाए जाने, पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने, आयातों आदि में उछाल के मामले में संरक्षण उपायों के रूप में सुरक्षा उपलब्ध है।

(ग) सरकार ने कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों को विश्वव्यापी तौर पर प्रतियोगी बनने में सहायता देने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें प्रौद्योगिकी उन्नयनीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाना, कलस्टर अप्रोच के माध्यम से आधारभूत संरचना सहायता दिया जाना, क्रेडिट की समय पर उपलब्धता होना, व्यापार उदारीकरण की उभरती हुई चुनौतियों का सामना करने के लिए इलैक्ट्रानिक आधारभूत संरचना एवं अन्य सूचना प्रौद्योगिकी एप्लीकेशन्ज का प्रयोग करना शामिल है। इस क्षेत्र को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए 14.05.2001 को खादी एवं ग्रामोद्योगों के लिए नीतिगत पैकेज की घोषणा की गई है। इस पैकेज का उद्देश्य वित्तीय प्रोत्साहनों, क्रेडिट, विपणन, गुणवत्ता सुधार, कलेस्टर विकास, आदि जैसे अपेक्षित निवेशों के प्रावधान के माध्यम से उनकी प्रतियोगितात्मकता में वृद्धि करना है।

(घ) मात्रात्मक प्रतिबन्धों को हटाए जाने के कारण कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों सहित खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र में किसी भी इकाई/परियोजना को बन्द किए जाने की सूचना नहीं है।

मेडिकल विश्वविद्यालयों हेतु निधियां

1479. **श्री प्रकाश वी. पाटील:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में सूचना प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग के विकास और मेडिकल विश्वविद्यालयों के कम्प्यूटरीकरण हेतु निधियां आबंटित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी आफ हैल्थ साइंसिज, नासिक की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें इस परियोजना के तहत वित्तीय सहायता मांगी गई है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) से (घ) सूचना प्रौद्योगिकी तक अभिगम्यता में सुधार लाकर स्वास्थ्य हेतु मानव संसाधन विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है। नौवीं योजना में इसकी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में पहचान की गई है। योजना आयोग ने सूचना-प्रौद्योगिकी उन्नयन की दिशा में प्रगति को तेज करने तथा चिकित्सा एवं पराचिकित्सा से जुड़े कार्मिकों के लिए सेवा से पूर्व तथा सेवा के दौरान प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं के बीच नेटवर्किंग के लिए राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, बैंगलोर को 1996-97 में एमजीआर चिकित्सा विश्वविद्यालय, चैन्नई को 1998-99 में बाबा फरीद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, फरीदकोट, पंजाब को 1998-99 में, एनटीआर स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, विजयवाड़ा, आन्ध्र प्रदेश को 1998-99 में तथा नासिक स्थित महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र को 2000-2001 में प्रत्येक को एक-एक करोड़ रु. की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान की।

[हिन्दी]

अनाक्रमण संधि

1480. **श्री सुबोध राय:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने अनाक्रमण संधि का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) पाकिस्तान के नेता समय-समय पर केवल प्रचार के लिए 'अनाक्रमण संधि' की मांग करते रहे हैं, पाकिस्तान ने हमारे समक्ष फिलहाल 'अनाक्रमण संधि' संबंधी कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं किया है।

पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर और भारत के अन्य भागों में सीमा-पार आतंकवाद के जरिए भारत के विरुद्ध प्रच्छन्न युद्ध में लगा हुआ है।

औषधि मानकों का पर्यवेक्षण

1481. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में प्रयुक्त हो रही औषधियों के मानकों को बनाए रखने, निगरानी रखने, पर्यवेक्षण करने और नियंत्रण रखने के लिए सरकार द्वारा चार क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन प्रयोगशालाओं का उन्नयन अपेक्षित है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) चेन्नई, गाजियाबाद, कोलकाता और मुम्बई में केन्द्र सरकार की औषध प्रयोगशालाएं कार्य कर रही हैं। ये प्रयोगशालाएं राज्य और केन्द्र सरकार के औषध अधिकारियों द्वारा भेजी गई औषधों और पोत पत्तन अधिकारियों द्वारा भेजी गई औषधों के नमूनों की गुणवत्ता का परीक्षण करती हैं। कोलकाता में स्थित केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला औषधों के लिए एक अपीलीय प्रयोगशाला के रूप में अधिसूचित की गई है जबकि केन्द्रीय भारतीय भेषज संहिता प्रयोगशाला गाजियाबाद और केन्द्रीय औषध परीक्षण प्रयोगशाला, मुम्बई को क्रमश: कन्डोमों और अन्तर गर्भाश्य युक्तियों के लिए अपीलीय प्रयोगशालाओं के रूप में अधिसूचित किया गया है। केन्द्रीय भारतीय भेषज संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद भारतीय भेषज संहिता के मॉनोग्राफों को तैयार करने का भी कार्य करती है।

सरकार चंडीगढ़, हैदराबाद और गुवाहाटी में क्रमश: तीन क्षेत्रीय औषध परीक्षण प्रयोगशालाएं भी स्थापित कर रही है।

1997-2000 के दौरान इन केन्द्रीय प्रयोगशालाओं को 1.25 करोड़ रुपए के परिष्कृत औषध परीक्षण उपकरण प्रदान कर दिए गए हैं। चालू वित्त वर्ष में लगभग 4 करोड़ रुपए के अतिरिक्त परीक्षण उपकरण खरीदे जा रहे हैं।

विशेष सहायता परियोजनाएं

1482. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता के उपयोग हेतु परियोजनाएं शुरू करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी विशेष सहायता प्राप्त परियोजनाओं हेतु दिशा-निर्देश क्या हैं;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश से वर्ष 2000-2001 में इस प्रकार की किसी परियोजना को शुरू करने के लिए सामाजिक कार्यकत्ताओं की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्यमंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) और (ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जातियों के परिवारों की एकीकृत रूप में सहायता करने और अपेक्षित अग्रवर्ती और पश्चगामी संयोजनों के कार्यकलापों और प्रावधान के समर्थन हेतु अपेक्षित आधारभूत ढांचे की स्थापना करने के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता में से सब्सिडी के रूप में 10,000 रु. प्रति लाभग्राही की सीमा में 50 प्रतिशत तक की परियोजना लागत से सामंजस्य स्थापित करते हुए और शेष राशि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम से ऋण के रूप में लेकर विशेष केन्द्रीय सहायता (एस सी ए) के उपयोग के लिए परियोजना प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा गया है।

(ग) और (घ) डा. पी.डी. पुएल्ला राव, पश्चिम गोदावरी जिला ने पश्चिम गोदावरी जिले में अत्यन्त निर्धन वर्ग से संबद्ध अनुसूचित जाति के परिवारों की सहयता करने के लिए अनुरोध किया था। यह मामला, दिशानिर्देशों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई के लिए राज्य सचिव, समाज कल्याण विभाग को भेज दिया गया है।

भारत-चीन के बीच सैन्य आदान-प्रदान पर वार्ता

1483. श्री कालवा श्रीनिवासुलु: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-चीन के बीच उच्च स्तरीय सैन्य स्तर आदान-प्रदान शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है; और

(ग) निपटान किए जाने वाले बकाया मुद्दों के समाधान हेतु किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) से (ग) मई, 1998 में पोखरण में हमारे परमाणु परीक्षणों के उपरान्त चीन द्वारा भारत के साथ सैन्य स्तर के आदान-प्रदान निलम्बित किए जाने के पश्चात् इस तरह के आदान-प्रदान मई, 2000 से पुन: आरम्भ हो गए हैं। यह आदान-प्रदान विश्वास बढ़ाने संबंधी मौजूदा उपायों के अंग हैं तथा इनसे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने में सहायता मिली है।

2. सैन्य स्तरीय ये आदान-प्रदान सद्भावना यात्राओं के रूप में होते हैं तथा इन यात्राओं के दौरान दोनों देशों के बीच अनसुलझे मसलों के समाधान के लिए सामान्यत: कोई औपचारिक बातचीत नहीं की जाती है। दोनों देशों के संयुक्त कार्यकारी दल/विशेषज्ञ दल अनसुलझे मसलों को सुलझाने के लिए कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से नियमित वार्ताएं करते रहते हैं।

पुनर्वास केन्द्र

1484. **श्री रघुनाथ झा:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पुनर्वास केन्द्रों की संख्या विकलांग व्यक्तियों की संख्या के अनुरूप नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इस अनुपात को तर्कसंगत बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) देश में विकलांगों के पुनर्वास हेतु राज्य-वार कितने व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) और (ख) विकलांग व्यक्तियों को पुनर्वास सेवाओं की कवरेज का अनुकूलतम स्तर प्रदान करने के उद्देश्य से देश में राज्य क्षेत्र की योजना के रूप में विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.पी.आर.पी.डी.) शुरू किया गया है। पुनर्वास सेवाओं के न्यायसंगत भौगोलिक वितरण को ध्यान में रखते हुए देश के विभिन्न भागों में 100 से अधिक जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना की जा रही है। यह व्यवस्था विकलांगता के विशेष क्षेत्रों की देखरेख करने वाले शीर्ष स्तर की संस्थाओं, मेरूदण्ड क्षति के लिए क्षेत्रीय पुनर्वास केन्द्रों (आर.आर.सी.) और संयुक्त पुनर्वास केन्द्रों (सी.आर.सी.) के अतिरिक्त है।

(ग) श्रम मंत्रालय के अन्तर्गत व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला विवरण विवरण-I में दिया गया है। व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजनाओं को चलाने के लिए इस मंत्रालय द्वारा सहायता प्राप्त गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) की राज्यवार सूची विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

श्रम मंत्रालय के अंतर्गत व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों की राज्य-वार संख्या

राज्य	व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों की संख्या
1	2
महाराष्ट्र	1
आन्ध्र प्रदेश	1
मध्य प्रदेश	1
दिल्ली	1
पंजाब	1
उत्तर प्रदेश	1
पश्चिम बंगाल	1
तमिलनाडु	1
गुजरात	2
केरल	1
कर्नाटक	1
असम	1
उड़ीसा	1
राजस्थान	1
बिहार	1
त्रिपुरा	1

विवरण-II

व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजनाओं को चलाने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सहायता प्राप्त गैर-सरकारी राज्य-वार सूची

आन्ध्र प्रदेश	–	23
अरुणाचल प्रदेश	–	0
असम	–	2
बिहार	–	5
चंडीगढ़	–	1
छत्तीसगढ़/मध्य प्रदेश	–	8
दिल्ली	–	11
गोवा	–	0
गुजरात	–	6
हरियाणा	–	0
हिमाचल प्रदेश	–	1

जम्मू और कश्मीर	–	0
कर्नाटक	–	7
केरल	–	21
महाराष्ट्र	–	3
मणिपुर	–	4
मेघालय	–	2
मिजोरम	–	0
नागालैंड	–	0
उड़ीसा	–	9
पांडिचेरी	–	0
पंजाब	–	1
राजस्थान	–	4
तमिलनाडु	–	14
उत्तर प्रदेश	–	21
उत्तरांचल	–	2
पश्चिम बंगाल	–	4

[हिन्दी]

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों हेतु रणनीति

1485. **श्री ब्रह्मानन्द मंडल:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों हेतु एक नई रणनीति बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) सरकार ने गरीबी को कम करने के लिए त्रिपक्षीय कार्यनीत अपनाई है। इसमें शामिल हैं। (i) रोजगार सघन क्षेत्रकों पर विशेष ध्यान देते हुए त्वरित आर्थिक विकास; (ii) न्यूनतम बुनियादी सेवाओं के माध्यम से मानव और सामाजिक विकास; और (iii) लक्षित गरीबी रोधी कार्यक्रम। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार, दोनों, के सृजन के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए गरीबी रोधी कार्यक्रमों को गरीबों पर उनकी प्रभावोत्पादकता/प्रभाव बढ़ाने के उद्देश्य से 1999-2000 में पुन: डिजाइन और पुन: संरचित किया गया है। रोजगार आश्वासन स्कीम (ईएएस) को एकल मजदूरी रोजगार के रूप में पुन: संरचित किया गया था और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जेजीएसवाई) और स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) क्रमश: ग्राम आधारिक संरचना के सृजन और स्वरोजगार अवसरों के प्रावधान के लिए शुरू की गई थीं। इसके अतिरिक्त कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम को हाल ही में फरवरी, 2001 में सूखा प्रभावित जिलों में शुरू किया गया है। शहरी बेरोजगारों अथवा अल्परोजगार प्राप्त गरीबों को लाभप्रद रोजगार उपलब्ध कराने के लिए शहरी क्षेत्रों में दिसम्बर, 1997 में तर्कसंगत शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई) के रूप में एक नई पहल 2000-01 में शुरू की गई थी जिसमें चुनिंदा न्यूनतम बुनियादी सेवाओं अर्थात प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आवास, ग्रामीण पेयजल और पोषाहार के लिए राज्यों और संघ राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के प्रावधान की परिकल्पना की गई है। केन्द्रीय वित्त मंत्री के वर्ष 2001-2002 के बजट भाषण के अनुसरण में एक नया घटक ग्रामीण विद्युतीकरण को भी 2001-2002 से जोड़ा गया है।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य कार्यक्रमों में गैर-सरकारी संगठन

1486. **श्री एस. अजय कुमार:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लगे गैर-सरकारी संगठनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक संगठन को प्रत्येक वर्ष राज्य-वार प्रदान की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन संगठनों ने संबंधित प्राधिकारियों को अपना लेखा-जोखा सौंप दिया है;

(घ) क्या इनमें से कुछ गैर-सरकारी संगठनों द्वारा निधियों के दुरूपयोग की शिकायतें मिली हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

माध्यस्थम् निर्णय

1487. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौडा:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार के पास लंबे समय से कार्यान्वयन हेतु लंबित पड़े माध्यस्थम् निर्णयों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनके लंबित रहने के लिए क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) इस बारे में संगत जानकारी एकत्र की जा रही है और उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

परिपत्र

1488. **श्री नरेश पुगलिया:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेश सचिव ने विदेश स्थित भारतीय मिशनों को तहलका प्रकरण के संबंध में कोई परिपत्र भेजा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त परिपत्र की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) जी, हां।

(ख) मंत्रालय में सामान्य प्रथा के अनुसार मिशन/केन्द्र प्रमुखों को संगत मुद्दों पर देश तथा विदेश में हो रही घटनाओं की निरन्तर जानकारी दी जाती है ताकि वे अपने प्रत्यायन वाले देशों में अपने वार्ताकारों को नियुक्त कर सकें। इस प्रथा के अनुसार इस मुद्दे पर 23 मार्च, 2001 का एक परिपत्र विदेश स्थित सभी भारतीय मिशनों/केन्द्रों के प्रमुखों को भेजा गया था।

(ग) 23 मार्च, 2001 के परिपत्र की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्रैश फैक्स

विदेश मंत्रालय

(विदेश सचिव का कार्यालय)

से : फारेन, नई दिल्ली
को : विदेश स्थित भारतीय मिशन/केन्द्र।

विदेश सचिव की ओर से मिशन प्रमुख/केन्द्र प्रमुख

संदर्भ : इण्टरनेट वेबसाइट तहलका.काम प्रकटन।

2. प्रकटनों के संबंध में प्रैस समाचारों को आप अवश्य देख रहे होंगे।

3. 16 मार्च, 2001 को प्रधान मंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों को स्पष्ट करते हुए राष्ट्र को संबोधित किया जिनका स्वरूप वेबसाइट तहलका.काम द्वारा किए गए प्रकटन के इर्द-गिर्द मतभेद में अस्पष्ट बने रहने का होता है। प्रधान मंत्री ने कहा था कि राष्ट्र-हित सर्वोपरि हो, देश की सुरक्षा अलंघ्यनीय रहनी चाहिए और हमारी सरकार तथा राजनीतिक पद्धति साफ-सुथरी की जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा था कि लगाए गये प्रत्येक आरोप के बारे में सरकार पूरा सच सामने लाने के लिए कटिबद्ध है और यह कि देश की सुरक्षा और आर्थिक स्थिति दोनों को कम आंकने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

4. तहलका प्रकटन के बाद सरकार ने जांच और जांच के पश्चात् निकले परिणामों पर अनुवर्ती कार्यवाही करने के लिए अनेक उपाय शुरू किए हैं। तदनुसार, रक्षा मंत्रालय ने निम्नलिखित कार्य किए हैं:-

(क) रक्षा मंत्रालय ने सम्बद्ध आधिकारियों, सशस्त्र बलों के और असैन्य अधिकारियों को बुलाया और उनके बयान दर्ज किए।

(ख) 14 मार्च, 2001 को आरंभिक जांच के बाद रक्षा मंत्रालय ने निम्नलिखित अधिकारियों को निलम्बित कर दिया:

(i) मेजर जनरल पी एस के चौधरी, अपर डी जी डब्ल्यू ई

(ii) श्री एच. सी. पन्त, आर्डनेन्स फैक्टरी बोर्ड का स्टाफ अधिकारी

(iii) श्री नरेन्द्र सिंह, सहायक वित्त सलाहकार, रक्षा मंत्रालय

(iv) श्री एम. पासी, सेना मुख्यालय में सहायक।

रक्षा मंत्रालय ने यह भी घोषणा की है कि ऐसे किसी भी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी यदि उसके आचार में चूक पाई जाती है।

(ग) 14 मार्च, 2001 को सेना मुख्यालय ने ले. जनरल की अध्यक्षता में जांच अदालत बिठाने का निर्णय किया।

(घ) दोषों और आरोपों के सभी मामलों को देखने के लिए अपर सचिव श्री ए. प्रसाद के अधीन रक्षा मंत्रालय में एक प्रकोष्ठ बनाया गया है जो यह देखेगा कि क्या सही आचार और निर्धारित प्रक्रियाओं से किसी प्रकार भी हटा गया है।

(ङ) रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव (स्थापना) के अधीन असैनिक कार्मिकों के आचार में जांच-पड़ताल करने के लिए सच का पता लगाने के लिए जांच आरंभ की गई है।

5. अपने प्रत्यापन के देश में मीडिया अथवा कर्मचारियों के साथ अपने क्रिया-कलापों में निम्नलिखित पैरामीटरों और मार्ग-निर्देशों का कृपया पालन करें:-

(क) अपनी ओर से इस मामले पर कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है।

(ख) आवश्यकता पड़ने पर अपनी टिप्पणियों को उपरोक्त उन तथ्यों तक सीमित रखना आवश्यक है जिन्हें रक्षा मंत्रालय द्वारा समय-समय पर सार्वजनिक किया जाए।

(ग) यदि आपके साथ बात करने वाला पूछे तो आप इस तथ्य को भी महत्व दें कि हमारी प्रापण प्रणाली समय पर खरी उतरने वाली है और इस संबंध में कोई सन्देह नहीं होना चाहिए।

(घ) इस बात को कहने की आवश्यकता नहीं कि इस प्रकटन से भारत के अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों का महत्व कम नहीं होता है और न ही अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में यथार्थपूर्ण भूमिका निभाते रहने की हमारी दृढ़ता में कमी आती है।

6. प्रधान मंत्री के राष्ट्र को किए गए संबोधन की प्रति संलग्न है।

ह./-
(चोकिला अय्यर)
विदेश सचिव
23.03.2001

प्रधान मंत्री का राष्ट्र को सम्बोधन

नई दिल्ली, 25 फाल्गुन, 1922
16 मार्च, 2001

मेरे प्रिय देशवासियों,

देश में उत्पन्न विवाद और शोर-शराबे के इस क्षण में मैं आपसे बात कर रहा हूं।

जैसा कि आप जानते हैं, मेरे कुछ सहयोगियों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिससे कई मुद्दे उभर कर सामने आए हैं।

पिछले बावन वर्षों से आप सभी ने मुझे देखा है। कभी भी मेरे सहयोगियों पर इस प्रकार के आरोप नहीं लगाए गए। यह अपने आप में मेरे लिए गंभीर चिंता का विषय है।

ये मुद्दे ऐसे समय में सामने आए हैं जब वर्षों से अस्थिरता के बाद देश में स्थिरता का माहौल बना है, जब हम दूरगामी सुधार कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करने जा रहे हैं, जब हमारी अर्थव्यवस्था अन्यत्र घट रही घटनाओं के बावजूद तेजी से आगे बढ़ रही है, और जब विश्व में हमारे देश को सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है।

इसलिए मुझे दु:ख भी होता है और आश्चर्य भी।

संसद का सत्र चल रहा है। संसद ही वो मंच है जिसमें इन आरोपों का विश्लेषण किया जाना चाहिए। दुर्भाग्य से, संसद में इस प्रकरण पर चर्चा नहीं होने दी जा रही है।

इसलिए मैं यहां आपसे सीधे बातचीत करने आया हूं क्योंकि ये आप ही हैं जिनके प्रति संसद और हम सभी उत्तरदायी हैं।

विवाद से पैदा हुए शोर-गुल और आरोपों तथा स्पष्टीकरणों की झड़ी से हमें देश के हितों को दरकिनार नहीं करना चाहिए।

हम सबके लिए तीन बातें महत्वपूर्ण हैं:

* राष्ट्र का हित,

* राष्ट्र की सुरक्षा,

* सरकार और राजनीति की स्वच्छता।

मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन सभी के प्रति हमारी सरकार पूरी तरह से सजग है।

इसीलिए सरकार ने दृढ़तापूर्वक और तेजी से कार्रवाई की है।

* कुछ अधिकारियों को निलम्बित कर दिया गया है। उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।

* देश की उच्च परम्पराओं को निभाते हुए तथा हमारी सेनाओं के मनोबल को ऊंचा करते हुए और देश की सुरक्षा के मद्देनजर मेरे एक प्रिय सहयोगी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के एक प्रमुख सदस्य श्री जार्ज फर्नांडीस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।

* वीडियो टेपों में जिन दो राजनेताओं के नाम आए हैं उन्होंने भी अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है।

हमारे यह कदम पूर्व में इसी तरह की स्थिति पैदा होने पर अन्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों से अलग है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्रवाई तुरंत की गई है- क्योंकि देश के हित, देश की सुरक्षा और अच्छे शासन के मानदण्डों को बनाए रखने के लिए इन कदमों को उठाया जाना जरूरी था।

यद्यपि हम वीडियो टेपों से जुड़े हुए हर पहलू की तह तक जाएंगे, तथापि, हमें हमेशा सावधान रहना होगा कि देश की सुरक्षा किसी भी तरह से खतरे में न पड़े।

हम खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। हम एक संकटपूर्ण माहौल में रह रहे हैं। इस कारण से हमारी बहादुर सेनाओं के मनोबल और उनकी लड़ने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

रक्षा मंत्रालय में लिए जाने वाले निर्णयों को आरोपों और स्पष्टीकरणों के बीच नहीं घसीटा जाना चाहिए।

सरकार का यह कर्तव्य है कि वह लगाए गए प्रत्येक आरोप की पूरी सच्चाई को सामने लाए। सरकार ऐसा करने के लिए दृढ़ संकल्प है। लेकिन नागरिक के रूप में हम सभी का भी यह कर्तव्य बनता है कि हम तथ्यों को जाने बगैर लगाए गए हरेक आरोप को सच न मान बैठें। वास्तव में, पूरी रिकार्डिंग में कोई सौदा तय नहीं हुआ है। इसमें कोई मंत्री शामिल नहीं है। बढ़-चढ़कर लगाए गए आरोप पूरी तरह से झूठे हैं। यदि थोड़ा सा भी प्रयास किया जाए तो उन्हें यह पता लग जाएगा कि वे तथ्यों के बिल्कुल विपरीत हैं।

ऐसे आरोप लगाना अनुचित है। उन पर ध्यान देना भी उतना भी नुकसानदेह है।

यह उचित नहीं है कि इस तरह हमारी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाया जाए। हमारी अर्थव्यवस्था भी लड़खड़ा सकती है यदि विश्वास डिग गया - तो शेयर बाजार से लेकर रुपए तक सभी में अस्थिरता आ सकती है। ऐसी आंधी से अनेक देशों को अस्थिरता का सामना करना पड़ा है।

लेकिन चूंकि आरोप लगाए गए हैं और उनका बढ़-चढ़कर प्रचार किया गया है, इसलिए गंभीर चिंता की बात है। इनके बारे में तथ्यों और वास्तविकता को सामने लाना होगा। यदि किसी ने गलत काम किया है तो उसे तुरंत और कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए।

जैसा कि मैंने कहा है, संसद एक ऐसा मंच है जहां इस मामले पर चर्चा होनी चाहिए और मुद्दों और आरोपों का विश्लेषण और छानबीन होनी चाहिए—यहां प्रत्येक तथ्य और आरोप के हर पहलू पर विचार-विमर्श होना चाहिए।

सरकार शुरू से ही इस बात के लिए न केवल इच्छुक है बल्कि आतुर है कि इस मामले पर दोनों सदनों में चर्चा हो। मैं सभी पार्टियों से अपील करता हूं कि वे संसद की कार्रवाई को चलने दें और मुद्दों पर बारीकी से बहस होने दें।

लेकिन इस तरह एक अहम मुद्दे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और न ही इसे राजनैतिक मुद्दा बनने दिया जा सकता है। चूंकि सच्चाई को सामने लाना जरूरी है, इसलिए सरकार ने इस पूरे प्रकरण की सर्वोच्च न्यायालय के एक वर्तमान अथवा सेवा-निवृत्त न्यायाधीश से न्यायिक जांच कराने का निर्णय लिया है। सरकार इस संबंध में भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार-विमर्श कर रही है।

क्योंकि इस विवाद का शीघ्र हल निकाला जाना जरूरी है इसलिए हम अनुरोध कर रहे हैं कि यह जांच चार माह के भीतर पूरी कर ली जाए। सरकार इस जांच के कार्य में अपना पूरा सहयोग देगी।

सरकार हर दोषी को चाहे वह बड़े पद पर आसीन हो या छोटे पद पर, सजा दिलाने के लिए सभी आवश्यक प्रयास करेगी।

सरकार को केवल यह चिंता है कि:

* देश की सुरक्षा व्यवस्था सदा की भांति सुदढ़ बनी रहे,
* इसमें हमारे सैनिकों का पूरा विश्वास बना रहे,
* शासन संस्थाओं और हमारी राजनीतिक प्रणाली में फिर से स्वस्थ परम्पराएं कायम हों,
* उनमें हमारी जनता का पूरा विश्वास और आस्था बनी रहे।

सोचने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह बात है कि जो कुछ सामने आया है, उसका सूत्र सुरक्षा मामलों से कहीं आगे जाता है। मामला यह है कि कुछ व्यक्ति शस्त्रों के छद्म व्यापारी बन कर हमारे रक्षा अधिकारियों तथा राजनीतिज्ञों तक कितनी आसानी से पहुंच गये। इससे यह जाहिर होता है कि इस बुराई की जड़ें किस हद तक फैल चुकी हैं। इस तरह से जो बातें हमारे सामने आई हैं उनसे हम सभी की आंखे खुल जानी चाहिए। सभी दलों के नेताओं को एक साथ बैठकर हमारे राजनीतिक तथा प्रशासनिक जीवन-हमारी चुनाव प्रणाली, राजनीतिक दलों को धन देने की प्रणाली, तथा जिस तरह से अधिकारियों और सार्वजनिक जीवन से जुड़े हुए लोगों के विरुद्ध मामलों की जांच की जाती है तथा उन पर कार्रवाई की जाती है, उसमें सुधार लाने के लिए प्रयास करने चाहिए।

मेरे देशवासियों, संक्षेप में मैं कहना चाहता हूं कि आइए, हम अपने दिन-प्रतिदिन के पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर सोंचे। आइए, हम सब मिलकर इस चुनौती को एक अवसर के रूप में लें ताकि-हमारे देश की सुरक्षा-व्यवस्था और सुदृढ़ बने, हमारा राजनीतिक जीवन साफ-सुथरा बने तथा हमारी शासन प्रणाली स्वच्छ बने।

मैं इस संबंध में अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं आपको वचन देता हूं कि:

* मैं इन व्यापक सुधारों को सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास करूंगा। हम, लगाए गए सब आरोपों का उनकी तह तक जाकर पता लगाएंगे,
* हम, सामने आई इस बुराई को दूर करने के लिए काम करेंगे,
* हम, यह सुनिश्चित करेंगे कि यह सब कुछ इस प्रकार किया जाए कि देश की सुरक्षा और अधिक मजबूत बने।

आइए, हम जांच शुरू कराएं।

आइए, हम संसद में व्यापक बहस होने दें।

आइए, हम सब फिर से अपना कामकाज शुरू करें।

जय हिन्द।

राष्ट्रीय पेंशन नीति

1489. श्री पवन कुमार बंसल: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए राष्ट्रीय पेंशन नीति तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या-क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का इस संबंध में एक पेंशन प्राधिकरण गठित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इसका गठन कब तक किए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

चीन द्वारा रेलमार्ग का निर्माण

1490. श्री अखिलेश यादव: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन सरकार ल्हासा तक दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई वाले रेलमार्ग का निर्माण कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इससे देश की सुरक्षा और अन्य पहलुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में चीन सरकार के पास कोई आपत्तियां दर्ज कराई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन पर चीन की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) जी, हां। चीन किंघाई प्रान्त में गोलमुड से ल्हासा तक एक रेलमार्ग का निर्माण कर रहा है।

(ख) से (घ) सरकार ने इस बात पर गौर किया है। सरकार सतर्क रहती है और भारत की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखण्डता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक और उपयुक्त कदम उठाती है।

अधिकारियों का सेवा विस्तार

1491. श्री थावरचन्द गेहलोत:
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष, 1998 से 2000 के दौरान लोक-उद्यम-चयन-बोर्ड ने सरकारी उपक्रमों के कितने अधिकारियों की सेवा अवधि में विस्तार किया;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान कितने अधिकारियों की सेवा अवधि में विस्तार नहीं किया गया और इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष, 1998 से अप्रैल, 2001 तक मुख्य अधिकारियों के कुल कितने पद रिक्त पड़े रहे;

(घ) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने के क्या कारण हैं और इन रिक्त पदों के कब तक भरे जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार को लोक-उद्यम-चयन-बोर्ड द्वारा खाली पदों को भरे जाने के संबंध में खुले रूप से भ्रष्टाचार/अनियमितताओं संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(च) यदि हां, तो इन शिकायतों पर किस प्रकार और कब तक कार्यवाही किए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) वर्ष, 1998 से वर्ष, 2000 तक की अवधि के दौरान, लोक-उद्यम-चयन-बोर्ड ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के 119 कार्यपालकों का कार्यकाल बढ़ाए जाने और 9 कार्यपालकों का कार्यकाल नहीं बढ़ाए जाने की सिफारिश की। कार्यपालकों के कार्यकाल का बढ़ाया जाना, लोक-उद्यम-चयन-बोर्ड और संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा किए जाने वाले उनके कार्य-निष्पादन के संयुक्त मूल्यांकन पर निर्भर करता है।

(ग) और (घ) वर्ष, 1998 से अप्रैल, 2001 तक की अवधि के दौरान, मुख्य कार्यपालकों के 118 पद रिक्त हुए। फिर, 30.04.2001 को मौजूद स्थिति के अनुसार, केवल 30 पद ही रिक्त थे। उपर्युक्त रिक्त पदों में से कुछ पद, मुख्यतः, सतर्कता-अनापत्ति नहीं मिल पाने अथवा संस्तुत उम्मीदवारों द्वारा अपने पद का कार्यभार ग्रहण नहीं किए जाने अथवा पदों के अप्रत्याशित रूप से रिक्त हो जाने के कारण नहीं भरे जा सके।

(ङ) और (च) लोक-उद्यम-चयन-बोर्ड के खिलाफ व्यापक भ्रष्टाचार के आरोप की ऐसी कोई भी शिकायत सरकार की जानकारी में नहीं है। फिर भी, इस क्रम में ऐसे दृष्टांत रहे हैं जिनमें, चुने नहीं गए उम्मीदवारों से उन पदों पर नियुक्ति के लिए संस्तुत उम्मीदवारों के चयन में, लोक-उद्यम-चयन-बोर्ड द्वारा अनियमितताएं किए जाने का आरोप लगाते हुए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिन पदों के लिए वे भी आवेदक रहे हैं और जिन्हें चुना जा सकना संभावित था। ऐसे अभ्यावेदनों पर समुचित कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से, उनकी वास्तविक स्थिति का पता लगाया जाता है।

[अनुवाद]

इलैक्ट्रानिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया

1492. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इलैक्ट्रानिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया को वर्ष 1998-99 के दौरान भारी घाटा हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इलैक्ट्रानिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया ने वर्ष 1995 के दौरान कुछ परीक्षण उपस्करों पर सीमा शुल्क का भुगतान नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य

मंत्री, कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) जी, हां. यह सही है कि इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को वित्त 1998-99 के दौरान 59.12 करोड़ रुपए की हानि हुई थी। इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ई.सी.आई.एल.), जोकि इस विभाग का सरकारी क्षेत्र का एक उपक्रम है, ने कम्प्यूटरों, नियंत्रण प्रणालियों और संचार के क्षेत्रों में अग्रणी विकास-कार्य किया है। व्यावसायिक ग्रेड की इलैक्ट्रानिक मदें निर्मित करने के लिए एक स्वदेशीय आधार तैयार करने और आयात की जाने वाली मदों को देश में ही तैयार करने की क्षमताएं विकसित करने के मूल उद्देश्यों को काफी हद तक कम्पनी पूरा करती रही है। तथापि, कम्पनी को वर्ष 1998-1999 में, जोकि अपवादस्वरूप काफी कठिन वर्ष था, ऐसे कारणों की वजह से हानि हुई जो उसके नियंत्रण से बाहर थे। इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को उस वर्ष विदेशी स्त्रोतों से ग्राहक की मांग अनुरूपी कुछ संघटकों को प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिससे कि 60 करोड़ रुपए (करीबन) मूल्य के उन कुछ प्रत्याशित क्रयादेशों जिन्हें वर्ष 1998-99 के उत्पादन कार्यक्रम में शामिल किया गया था, के प्राप्त होने में विलम्ब होने/प्राप्त न होने के अलावा, लगभग 116 करोड़ रुपए (करीबन) मूल्य के क्रयादेशों को पूरा करने पर प्रभाव पड़ा। इसके परिणामस्वरूप, इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने केवल 237.86 करोड़ रुपए का ही उत्पादन किया, जबकि इसकी तुलना में वर्ष 1997-98 में 310.53 करोड़ रुपए का उत्पादन किया गया था। वर्ष 1997-98 में हुई 347.85 करोड़ रुपए की आय की तुलना में 256.94 करोड़ रुपए (सकल) की ही आय बैठी। इस भारी कमी के परिणामस्वरूप 59.12 करोड़ रुपए की अदृष्ट-पूर्व निवल हानि हुई।

(ग) से (ङ) जी, हां। यह सही है कि कम्पनी ने रक्षा मंत्रालय के लिए प्रदर्शन/परीक्षण हेतु कुछ ऐसे संचार उपस्करों का आयात किया था, जिन्हें यह वचनबद्धता देने के बाद कि इनका पुनर्निर्यात किया जाएगा, शुल्क-मुक्त मदें करार कर दिया गया था। तथापि, इनमें से कुछ मदों को व्यापक परीक्षणों के बाद पुनर्निर्यात की दृष्टि से अनुपयुक्त घोषित कर दिया गया था। इन मदों का उपयोग किए जाने के संबंध में रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र सीमा-शुल्क प्राधिकारियों को प्रस्तुत कर दिया गया था। उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं में परिवर्तन होने की वजह से रक्षा मंत्रालय ने शेष सामग्री नहीं ली थी। इसके परिणामस्वरूप, इस उपस्कर का उपयोग इन-हाउस अनुसंधान और विकास-कार्य के लिए कर लिया गया। अनुसंधान और विकास संबंधी इन प्रयासों के बाद, इस उपस्कर को रक्षा मंत्रालय को दे दिए जाने का विचार है।

[हिन्दी]

लघु उद्योगों में मंदी

1493. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले: क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय लघु उद्योग आर्थिक मंदी की ओर बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो लघु उद्योग के कौन से क्षेत्र इस समय आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि हां, तो आर्थिक मंदी को रोकने और लघु उद्योगों को आर्थिक मंदी से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) जी, नहीं। देश में लघु उद्योग क्षेत्र में 1998-99 के दौरान 7.7 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि दर की तुलना में 2000-2001 के दौरान 8.09 प्रतिशत की उच्चर दर पर वृद्धि हुई है। तथापि, लघु उद्योग क्षेत्र को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा घरेलू एवं विश्वव्यापी रूप से दोनों स्तरों पर इसकी प्रतियोगितात्मकता में वृद्धि करने के लिए सरकार ने 30 अगस्त, 2000 को एक व्यापक नीतिगत पैकेज की घोषणा की। नीतिगत पैकेज में बढ़ा हुआ राजकोषीय एवं क्रेडिट समर्थन बेहतर आधारभूत संरचना और विपणन सुविधाएं तथा प्रौद्योगिकी उन्नयनीकरण के लिए प्रोत्साहन शामिल हैं।

समेकित औद्योगिक विकास योजना

1494. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
श्री टी.टी.वी. दिनाकरन:

क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को केन्द्र द्वारा शुरू की गई समेकित औद्योगिक विकास योजना के अन्तर्गत शामिल किया गया है, जिसके अधीन लघु उद्योग क्षेत्रों का विकास सरकार के

अनुदेशों के अनुसार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा दिए गए ऋणों की सहायता से किया जाता है।

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सिवनी जिले में मंडोल औद्योगिक क्षेत्रों की योजना को भारत सरकार द्वारा मंजूरी दिये जाने के बावजूद भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने इस क्षेत्र की विकास योजना के लिए ऋण मंजूर करने से इंकार कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) ऐसी स्थिति में इस योजना को किस प्रकार कार्यान्वित किया जाएगा?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) जी हां, एकीकृत आधारभूत संरचना विकास योजना 1994 में ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों में बुनियादी आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने हेतु स्थापित की गई थी। योजना के अन्तर्गत प्रत्येक केन्द्र के लिए 2.00 करोड़ रुपए का केन्द्रीय अनुदान और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) से 3.00 करोड़ रु. का ऋण उपलब्ध है। राज्य सरकारों के लिए यह आवश्यक है कि एक उपयुक्त स्थल का चयन करें, प्रस्तावों का निश्चय करें, तकनीकि आर्थिक जीवनक्षमता हेतु सिडबी से इनका मूल्यांकन करें और एक कार्यान्वयन एजेंसी भी नियुक्त करें। सिडबी आवधिक ऋण के समान केन्द्रीय अनुदान जारी करने हेतु प्राधिकृत है। कार्यान्वियन एजेंसी स्वयं के संसाधनों से बराबर भाग विशेष रूप से परियोजना के नाम पर जारी किए गए केन्द्रीय अनुदान को बैंक में जमा करके केन्द्रीय अनुदान के लिए अग्रिम प्राप्त कर सकता है अथवा उसके द्वारा किए गए व्यय के प्रति प्रतिपूर्ति के आधार पर केन्द्रीय अनुदान जारी किया जाता है। मध्य प्रदेश राज्य में पांच आई आई केन्द्रों, एक सतना जिले के नदनतोला में, दूसरा सिओनी जिले के बंडाले में, तीसरा मंदसोर जिले में जग्गाखेड़ी, चौथा खरगोने जिले में निभरानी गांव और पांचवां कटनी जिले में गांव लमतारा में, को स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। सतना जिले के नदनतोला में आई आई डी केन्द्र हेतु 89.00 लाख रु. का केन्द्रीय अनुदान पहले से ही जारी किया जा चुका है। राज्य सरकार ने मंदसौर जिले के जग्गाखेड़ी में, खरगोने जिले के निभरानी में और कटनी जिले के लमतारा गांव में हाल ही में स्वीकृत परियोजनाओं हेतु केन्द्रीय अनुदान की मांग नहीं की है। मध्य प्रदेश ने सिओनी जिले के बंडाल हेतु संस्वीकृत परियोजना छोड़ दी है।

(ग) से (ङ) इस योजना के अंतर्गत, राज्य सरकार के लिए अच्छे ट्रैक रिकार्ड और सुदृढ़ वित्तीय आधार वाली कार्यान्वयन एजेंसी की नियुक्ति करना आवश्यक है। बंडाल के आई आई डी केन्द्र के संबंध में प्रस्तावित कार्यान्वयन एजेंसी मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, जबलपुर की वित्तीय स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई। यह एजेंसी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई डी बी आई) की बाकीदार है और हानि प्राप्त कर रही है। अत: सिडबी ऋण संस्वीकृत करने की इच्छुक नहीं था। राज्य सरकार को सिडबी से ऋण के बदले में स्वयं का फंड निवेश करने अथवा कार्यान्वयन एजेंसी को बदलने का विकल्प दिया गया था। राज्य सरकार ने स्वयं का फंड निवेश करने में असमर्थता जताई और यह सूचित किया कि उन्होंने सिओनी जिले के बंडोल में आई आई डी केन्द्र का कार्यान्वयन छोड़ दिया है।

[अनुवाद]

खिलौना उद्योग

1495. डा. वी.बी. रमैया: क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खिलौना उद्योग के लिए ग्रेटर नोएडा में प्रक्रिया और उत्पाद विकास केन्द्र स्थापित किया जा रहा है;

(ख) क्या उक्त केन्द्र यू.एन.आई.डी.ओ./यू.एन.डी.पी. की सहायता से स्थापित किया जा रहा है;

(ग) क्या मेरठ में खेल के सामान और मनोरंजन उद्योग हेतु इस तरह का पी.पी.डी.सी. पहले से ही स्थापित है;

(घ) इतने नजदीक में पहले से विद्यमान पी.पी.डी.सी. के होते हुए इस केन्द्र की स्थापना करने का क्या औचित्य था;

(ङ) क्या सरकार ने इस केन्द्र की स्थापना के लिए यू.एन.आई.डी.ओ./यू.एन.डी.पी. की सहायता प्रदान करने के लिए किसी अन्य राज्य सरकार से परामर्श किया था; और

(च) क्या सरकार ने यू.एन.आई.डी.ओ./यू.एन.डी.पी. की सहायता वितरित करने के लिए कोई प्रणाली/प्रक्रिया निर्धारित की है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) मेरठ में प्रक्रिया एवं उत्पाद विकास केन्द्र (पी.पी.डी.सी.) खेल के सामान तथा लेईअर टाईम इक्विपमेंट के लिए है और वह खिलौनी उद्योग के लिए नहीं है।

(घ) और (ङ) भारत में खिलौना उद्योग के अध्ययन पर आधारित तथा खिलौना उद्योग के सुझाव पर भारतीय खिलौना उद्योग के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत दी टाय डिजाइन एंड डिवलपमेंट इंस्टीट्यूट (टी डी डी आई) की टॉय सिटी के भीतर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में स्थापना की जा रही है।

(च) यूनिडों/यू.एन.डी.पी. सहायता बहुधा परियोजना विशिष्ट और उसमें परिकल्पित जुड़े हुए क्रियाकलाप के लिए होती है।

सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना

1496. मोहम्मद शहाबुद्दीन:
श्रीमती कान्ति सिंह:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पारस्परिक आधार पर सांस्कृतिक केन्द्रों को खोले जाने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान अब तक चीन की सरकार के साथ किसी समझौते/समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान भारत द्वारा अन्य देशों के साथ हस्ताक्षर किए गए समझौतों/समझौता-ज्ञापनों और इन देशों द्वारा भारत में स्थापित किए गए सांस्कृतिक केन्द्रों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान भारत द्वारा बंद किए गए सांस्कृतिक केन्द्रों का ब्यौरा क्या है और इन्हें बंद किए जाने के क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत ने पिछले तीन वर्षों से आज की तारीख तक भारत में सांस्कृतिक केन्द्रों को स्थापित करने के लिए संबंध में अन्य देशों के साथ कोई करार/समझौता-ज्ञापन सम्पन्न नहीं किया है।

(घ) उक्त अवधि के दौरान भारत ने किसी सांस्कृतिक केन्द्र को बन्द नहीं किया।

[हिन्दी]

जी.एस.एल.वी. मार्क-3 उपग्रह का प्रक्षेपण

1497. श्री शंकर सिंह वाघेला: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अमरीका और रूस की भांति मनुष्यों को अन्तरिक्ष में भेजने के लिए जी.एस.एल.वी. मार्क-3 तैयार कराया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना व्यय होने की संभावा है; और

(ग) इस उपग्रह के कब तक तैयार हो जाने की संभावना है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, नहीं। जी.एस.एल.वी. मार्क-3 को भू-तुल्यकाली अन्तरण कक्षा में लगभग 4 टन भार की श्रेणी के नीतभार को भेजने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य किसी मानव को अन्तरिक्ष में भेजना नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[अनुवाद]

रडार और पनडुब्बी संबंधी भारत-फ्रांस समझौता

1498. श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी:
श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री रामजीवन सिंह:
श्री दिनेश चन्द्र यादव:
डा. जसवंत सिंह यादव:
श्री सुरेश रामराव जाधव:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और फ्रांस ने रडार और पनडुब्बियों के उत्पादन और अन्य रक्षा संबंधी क्षेत्रों के बारे में कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रक्षा उत्पादों के उत्पादन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए कोई उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रकार की संयुक्त परियोजनाओं से हमारी सैन्य आवश्यकताओं को किस प्रकार बेहतर ढंग से पूरा किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) से (ङ) भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग संबंधी एक उच्च समिति विद्यमान है। इस समिति को 1998 में मुख्यतः द्विपक्षीय रक्षा संबंध बढ़ाने पर जोर देने और सशस्त्र सेनाओं तथा उत्पादन और अनुसंधान संगठनों के बीच सहयोग के विशिष्ट क्षेत्रों का पता लगाने के लिए स्थापित किया गया था। नई दिल्ली में 27-28, जून, 2001 को आयोजित इसकी चौथी बैठक में पनडुब्बियों के निर्माण, रडारों पर सहयोगी अनुसंधान और अन्य रक्षा क्षेत्रों के संबंध में विचार-विमर्श किया गया था। तथापि, किसी करार या संविदा पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।

रक्षित विद्युत उत्पादन प्रणाली की स्थापना

1499. श्री विनय कुमार सोराके: क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमेरिकी विशेषज्ञों ने यह चेतावनी दी है कि विश्वसनीय विद्युत व्यवस्था के अभाव में भारत के सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्वप्नों का साकार होना संभव नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस संबंध में कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग द्वारा अपनी निजी रक्षित विद्युत उत्पादन प्रणाली की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) से (ग) जनरल इलेक्ट्रिक यूएस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री जैक वैल्च ने बंगलौर में जीई अनुसंधान एवं विकास केन्द्र के उद्घाटन के समय सूचना प्रौद्योगिकी की वृद्धि को देखते हुए एक विश्वसनीय विद्युत प्रणाली की आवश्यकता तथा सूचना प्रौद्योगिकी के विकास की दृष्टि से इसके महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया।

* जबकि विद्युत की गुणवत्ता, विश्वसनीयता की आवश्यकता पर विभिन्न मंचों पर ध्यान दिया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी के बड़े केन्द्रों में विद्युत न होने की स्थिति में बैकअप सहायक प्रणालियां जैसे कि अबाधित विद्युत आपूर्ति, डीजल जनरेटिंग सेट की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं।

* अब तक अधिकांश सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयों ने विद्युत चले जाने पर ट्रान्जिशन (लघु अवधि) के दौरान यूपीएस प्रणालियां लगाई हैं तथा दीर्घावधि के लिए विद्युत चले जाने पर देखभाल के लिए डीजल सेट लगाए हैं।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग अन्य औद्योगिक क्षेत्रों की तुलना में एक विद्युत गहन उद्योग नहीं है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में मुख्य रूप से निम्नलिखित को महत्व दिया गया है:

गुणवत्ता पूर्ण विद्युत, तथा

अबाधित विद्युत

ऊपर उल्लिखित समाधान अर्थात् यूपीएस तथा डीजल सेट की सहायक प्रणालियां तकनीकी रूप से तथा आर्थिक रूप से संतोषजनक पाई गई हैं।

अतः निजी रक्षित विद्युत उत्पादन प्रणाली की आवश्यकता महसूस नहीं की गई है।

सीमुलेटरों की खरीद

1500. श्री एन. जनार्दन रेड्डी:
श्रीमती श्यामा सिंह:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वायुसेना ने विमान दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाने के उद्देश्य से लड़ाकू विमानों और हैलीकाप्टरों के लिए सीमुलेटरों की खरीद करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन सीमुलेटरों की व्यवहार्यता की जांच कर ली गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस जांच के क्या परिणाम रहे और ये सीमुलेटर विमान दुर्घटनाओं को कम करने में किस सीमा तक सहायक होंगे?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सिमुलेटरों की व्यवहार्यता का परीक्षण कर लिया गया है तथा कुछ विमानों में सिमुलेटरों का इस्तेमाल पहले से ही किया जा रहा है। सिमुलेटरों से कौशल स्तर बढ़ाने तथा सुरक्षित परिवेश में आपातकालीन स्थितियों में कार्य करने और प्रक्रियाओं का अभ्यास करने में मदद मिलती है।

[हिन्दी]

भा.प्र.से. के अधिकारियों की तैनाती

1501. श्री भीम दाहाल: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1975 से अब तक सिक्किम में भा.प्र.से. के कितने अधिकारियों को तैनात किया गया है;

(ख) इनमें से प्रत्येक अधिकारी कितने समय तक वहां तैनात रहे और ये अधिकारी कितने समय तक राज्य से बाहर अर्थात् दिल्ली और दूसरे राज्यों में प्रतिनियुक्ति पर तैनात रहे;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को प्रतिनियुक्ति प्रणाली के कारण राज्य-सरकार के सम्मुख उत्पन्न होने वाली प्रशासनिक कठिनाई की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो इन अधिकारियों को लंबे समय तक प्रतिनियुक्ति पर बने रहने की अनुमति दिए जाने के कारण राज्य प्रशासन के लिए समस्या उत्पन्न किए जाने के क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग मे राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) भारतीय प्रशासनिक सेवा का सिक्किम राज्य-संवर्ग, कुल 41 प्राधिकृत पद-संख्या सहित, दिनांक 16.06.1976 को गठित किया गया था। नियमों के अनुसार, उपर्युक्त संवर्ग की प्राधिकृत पद-संख्या की समय-समय पर समीक्षा की गई है। 19.05.1999 को अधिसूचित की गई, उपर्युक्त संवर्ग की मौजूदा प्राधिकृत पद-संख्या 50 है। 01.01.2001 को मौजूद स्थिति के अनुसार, उपर्युक्त कुल प्राधिकृत 50 पदों में से 40 पदों पर अधिकारी कार्यरत थे। उपर्युक्त राज्य की सरकार ही अधिकारियों की राज्य में तैनाती करने हेतु सक्षम है।

(ख) से (घ) भारतीय प्रशासनिक सेवा से संबंधित संवर्ग-नियमावली में यह प्रावधान है कि किसी भी राज्य-संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, संबंधित राज्य-सरकार तथा केन्द्र सरकार की सहमति से, केन्द्र-सरकार अथवा किसी और राज्य-सरकार में प्रतिनियुक्त किए जा सकते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रत्येक राज्य-संवर्ग की प्राधिकृत पद-संख्या में, केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व हेतु अभिप्रेत अधिकारियों के पदों की संख्या भी शामिल होती है, जो किसी राज्य की अधिकारियों के बारे में अपेक्षित अधिकारियों के पदों की संख्या के अतिरिक्त होती है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के सिक्किम-राज्य संवर्ग के मामले में, केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व हेतु अभिप्रेत 11 अधिकारियों में से इस समय, केवल 7 अधिकारी ही केन्द्रीय सरकार में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं, जबकि एक अधिकारी एक और राज्य-सरकार में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है। अत: यह नहीं कहा जा सकता कि इन प्रतिनियुक्तियों से राज्य-सरकार को प्रशासनिक कठिनाइयां हो सकती हैं, क्योंकि प्रतिनियुक्ति पर चल रहे अधिकारियों की संख्या, प्रतिनियुक्ति रिजर्व हेतु अभिप्रेत अधिकारियों को प्राधिकृत संख्या के अन्तर्गत ही है।

[अनुवाद]

अल्ट्रासांउड/सी.टी. स्कैन मशीनें

1502. श्री अरूण कुमार: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि दिल्ली में एल.एन.जे.पी., आर.एम.एल., सफदरजंग, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जी.टी.बी. और दूसरे सरकारी अस्पतालों में अल्ट्रासांउड और सी.टी.स्कैन मशीनें खराब पड़ी हैं और वहां के डाक्टर और कर्मचारी रोगियों को विशिष्ट निजी जांच केन्द्रों में जाने की सलाह देते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जहां तक केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों नामत:

सफदरजंग अस्पताल, डा. राममनोहर लोहिया अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध अस्पतालों का संबंध है, कोई भी शिकायत ध्यान में नहीं आई है। ज्योंही उपस्कर खराब हो जाते हैं या मरम्मत में होते हैं, रोगियों को बाद में बुलाया जाता है या रोगियों की स्थिति के अनुसार उनको उन संस्थानों में से किसी एक में रेफर किया जाता है जहां उपकरण काम कर रहे होते हैं।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने सूचित किया है कि सभी अल्ट्रासाउण्ड और सी.टी.स्कैन मशीनें काम करने की स्थिति में हैं और किसी भी रोगी की जांच हेतु किसी प्राइवेट केन्द्र में रेफर नहीं किया जाता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि इस संबंध में उनके नियंत्रणाधीन अस्पतालों के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि चरक पालिका अस्पताल में अल्ट्रासाउण्ड मशीन सही ढंग से काम कर रही है और उस अस्पताल से किसी भी रोगी को रेफर नहीं किया जाता है। पालिका प्रसूति अस्पताल, लोदी रोड में वर्ष 1990 में खरीदी गई यू.एस.जी. मशीन को खराब घोषित किया गया है और एक नई मशीन खरीदी जा रही है।

दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि अल्ट्रासाउण्ड की सुविधा हिन्दू राव अस्पताल, कस्तूरबा अस्पताल, स्वामी दयानन्द अस्पताल एवं श्रीमती जी.एल.एम. अस्पताल में उपलब्ध हैं और सभी मशीनें काम करने की स्थिति में हैं। हिन्दू राव अस्पताल का सी.टी.स्कैन काम नहीं कर रहा है। नई मशीनें लगाने का काम चल रहा है क्योंकि पुरानी मशीन अप्रयुक्त हैं। स्वामी दयानन्द अस्पताल की सी.टी.स्कैन मशीन की भी मरम्मत हो रही है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

भारत-पाक समझौता

1503. श्री पदमसेन चौधरी: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और पाकिस्तान ने यह समझौता किया है कि जब तक सीमा के दोनों ओर के किसान पूरी फसल की कटाई न कर लें तब तक संबंधित देश के सुरक्षा बल गोलीबारी नहीं करेंगे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) इस प्रकार का कोई औपचारिक करार संपन्न नहीं हुआ है। अन्तर्राष्ट्रीय सीमा (आई बी) और नियंत्रण रेखा (एल ओ सी) पर तैनात भारतीय सुरक्षा बल सदैव पाकिस्तानी ओर से गंभीर छेडखानी के बावजूद अपने कर्तव्य निर्वहन करने में अत्यधिक सावधानी और संयम बरतते हैं।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम का सामाजिक-आर्थिक विकास

1504. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 22 जनवरी, 2000 को प्रधान मंत्री द्वारा शिलांग में पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए घोषित एजेन्डा में शामिल 28 मदों में से प्रत्येक मद के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

प्रधान मंत्री द्वारा 22 जनवरी, 2000 को शिलांग में पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कार्यसूची के अंतर्गत कवर की गई मदों के संबंध में (21.6.2001 की स्थिति के अनुसार) प्रगति विवरण

क्र.सं.	मद	स्थिति
1	2	3
1.	पूर्वोत्तर और सिक्किम के लिए ग्रामीण आधारिक संरचना विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान	31.3.2001 तक 877.13 करोड़ रुपये की स्कीमों को मंजूरी दी गई थी। विशेष सचिव (बैंकिंग) ने आरआईडीएफ के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों पर विचार-विमर्श और मंजूरी/संवितरण में तेजी लाने के लिए सभी राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी।

1	2	3
2.	सभी सीमा व्यापार प्वाइन्टों पर एक वर्ष के भीतर बैंकिंग सुविधाओं का प्रावधान	27 सीमा व्यापार प्वाइन्टों पर बैंकों की 35 शाखाएं कार्य कर रही हैं। 10 सीमा व्यापार प्वाइन्टों पर बैंकिंग की कोई सुविधा नहीं है। इन 10 केन्द्रों में से, स्टेट बैंक आफ इन्डिया और अन्य बैंकों की 4 केन्द्रों पर शाखाएं हैं। दूसरे केन्द्रों को नई शाखाएं खोलने के लिए व्यावहार्य नहीं समझा गया है। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, मणिपुर और त्रिपुरा के लिए राज्य स्तरीय बैंकर समिति के लिए संयोजक बैंक ने सूचित किया है कि मोरेह (मणिपुर) जहां यूनाइटेड बैंक की पहले ही एक शाखा है, को छोड़ कर कोई भी स्थान नई शाखा खोलने के लिए उपयुक्त नहीं है। प्रमुख बैंकों सहित त्रिपुरा में कार्य कर रही एक उप समिति ने राज्य में मौजूदा शाखा नैटवर्क के अध्ययन के माध्यम के पश्चात् स्पष्ट किया कि त्रिपुरा के सीमा क्षेत्रों में बैंक की शाखाओं का मौजूदा नेटवर्क पर्याप्त है और त्रिपुरा में चालू आर्थिक और नियम कानून की स्थिति में बैंक शाखाएं खोलने के लिए नये केन्द्रों की पहचान की गुंजाइश को व्यवहार्य नहीं समझा जाता। असम और मेघालय के संबंध में, असम में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्षेत्रीय कार्यालय शीघ्र ही एसएलबीसी के साथ निर्धारित करने के लिए एक और बैठक आयोजित कर रहा है कि क्या कोई अन्य बैंक ऐसे केन्द्रों पर अपनी शाखाएं खोलने का इच्छुक है जहां स्टेट बैंक आफ इंडिया की अपनी शाखाएं नहीं हैं।
3.	पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम (एनईडीएफआई) द्वारा प्रतिवर्ष कम से कम 50 करोड़ रुपये का संवितरण	पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम (एनईडीएफआई) ने 50.00 करोड़ रुपये के लक्ष्य की तुलना में 2000-01 में 50.46 करोड़ रुपये संवितरित किए हैं।
4.	5 करोड़ रुपये की प्रारम्भिक लागत सहित निर्यात विकास निधि (ईडीएफ) स्थापित करना और प्रचालन की पद्धतियां तैयार करना।	निर्यात विकास स्कीम के प्रारंभिक संग्रह के रूप में 5 करोड़ रुपये की राशि गैर-व्यपगत केन्द्रीय संसाधन पूल से जारी की गई है। 31.3.2001 तक पूर्वोत्तर क्षेत्र में निर्यात संवर्धन कार्यकलापों के लिए विभिन्न एजेंसियों को निधि से कुल 24.90 लाख रुपये स्वीकृत किए गए थे।
5.	20 करोड़ रुपये की लागत पर दो वर्षों में मोरेह (मणिपुर) सोरखावथेर (मिजोरम), डाक्की (मेघालय) और सुतेरखण्डी (असम) के चार सीमा नगरों का विकास।	36.32 करोड़ रुपये की कुल लागत पर दो वर्षों की अवधि में चार सीमा शहरों (मणिपुर में मोरेह, मिजोरम में सोखावथेर, मेघालय में डाक्वी और असम में सुतेरखण्डी के विकास के लिए कार्य योजना तैयार कर ली गई है। वाणिज्य विभाग ने पहले ही इन चार नगरों और दूसरे नगरों में अनेक विकास स्कीमों को मंजूरी दी है।
6.	सीमा व्यापार संबंधी अन्तःमंत्रालयी कार्य दल की सिफारिशों पर कार्रवाई करने के लिए एक अधिकारिता प्राप्त समिति स्थापित करना।	कार्यदल की सिफारिशों की जांच और उन पर कार्रवाई करने के लिए वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में 28.3.2000 को एक अधिकारिता प्राप्त समिति का गठन किया गया है। समिति की

1	2	3
		पहली बैठक 14.6.2000, दूसरी बैठक 7.7.2000 और तीसरी बैठक 25.9.2000 को गुवाहाटी में आयोजित की गई थी जहां पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्य सचिवों को भी आमंत्रित किया गया था।
7.	422.60 करोड़ रुपये की लागत पर शिलांग में पूर्वोत्तर इन्दिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान संस्थान का उन्नयन	सरकार ने 7.2.2001 को 422.60 करोड़ रुपये की लागत पर शिलांग में पूर्वोत्तर इन्दिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान संस्थान (एनईआईजीआरआईएचएमएस) स्थापित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। संस्थान का संस्थापना कार्य शुरू हो गया है।
8.	मिजोरम में केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करना। लोक सभा द्वारा बिल पारित करना और विश्वविद्यालय के लिए 25 करोड़ रुपये की लागत पर आधारिक संरचना का विकास।	मिजोरम विश्वविद्यालय स्थापित करने संबंधी बिल संसद ने पारित कर दिया है और 25.4.2000 को राष्ट्रपति ने उसे मंजूरी दे दी है। 978 एकड़ भूमि की पहचान कर ली गई है, शुरू किए जाने वाले पाठ्यक्रमों की पहचान कर ली गई है।
9.	100 करोड़ रुपये के परिव्यय सहित अगले 3 वर्षों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और नये व्यापारों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षुओं की संख्या दुगुनी करना।	श्रम मंत्रालय ने पूर्वोत्तर में आई टी आईज की क्षमता बढ़ाने और नई आई टी आईज खोलने के लिए कार्य योजना तैयार की है। व्यय वित्त समिति ने अपनी 11.1.2001 को हुई बैठक में परियोजना की सिफारिश कर दी है। 20.3.2001 को स्कीम का मंत्रिमंडल समिति द्वारा अनुमोदन किए जाने के पश्चात राज्य सरकारों को स्कीम कार्यान्वित करने का कहा गया है।
10.	प्रतिपूर्ति के लिए पात्र पुलिस द्वारा किए गए व्यय के लिए व्यय की मदों की सूची जिसमें पीओएल लागत का 50 प्रतिशत, ग्राम रक्षक, ग्राम सुरक्षा समितियां और होम गार्ड शामिल होंगे, का विस्तार।	सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने प्रतिपूर्ति के लिए पात्र पुलिस द्वारा किए गए व्यय के लिए व्यय की मदों की सूची के विस्तार के प्रस्ताव का 3.11.2000 को अनुमोदन कर दिया है जिसमें पीओएल लागत का 50 प्रतिशत ग्राम गार्ड, ग्राम सुरक्षा समितियों और होम गार्ड शामिल होंगे। 2000-01 के दौरान पूर्वोत्तर में एसआरई के अन्तर्गत सभी राज्यों में 111.69 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
11.	पुलिस फोर्स स्कीम का आधुनिकीकरण और इसका सिक्किम तक विस्तार और पुलिस आधुनिकीकरण के लिए उपकरणों की खरीद हेतु 40 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की अतिरिक्त प्रतिपूर्ति।	सिक्किम तक पुलिस फोर्स स्कीम के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव 2000-01 में अनुमोदित कर दिया गया था और 2000-01 के दौरान पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को 69.42 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी।
12.	त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर के लिए तीन भारतीय रिजर्व बटालियन (आईआरबी) की मंजूरी (तीन वर्षों के लिए तीन आईआरबीज हेतु अनुमानित व्यय 45 करोड़ रुपये होगा)	त्रिपुरा (7.4.2000 को) मणिपुर (24.6.2000 को) और मिजोरम (24.6.2000) के लिए तीन भारतीय रिजर्व बटालियनों को भारत सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है। 2000-2001 के दौरान इस प्रयोजन के लिए मिजोरम और मणिपुर राज्य सरकारों को 3.75 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
13.	(क) मिजोरम को अपनी वित्तीय समस्याओं पर काबू पाने के लिए 180 करोड़ रुपये का शान्ति बोनस।	182.45 करोड़ रुपये की सहायता (शान्ति बोनस) को मंजूरी दी गई थी, और (प्रधान मंत्री द्वारा मिजोरम के लिए घोषित 180

1	2	3
	(ख) मिजोरम की विशिष्ट आधारिक संरचना विकास परियोजनाओं के लिए 5 वर्ष के लिए गैर-व्यपगत केन्द्रीय संसाधन पूल से प्रत्येक वर्ष 50 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान।	करोड़ रुपये की तुलना में) 2000-2001 के दौरान अनुदान के रूप में दी गई थी। राज्य सरकार के अनुरोध पर योजना आयोग ने मिजोरम में विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी दी थी और 1999-2000 के दौरान गैर-व्यपगत केन्द्रीय संसाधन पूल से 62.15 करोड़ रुपये की राशि जारी की थी। 2000-2001 के दौरान 52.16 करोड़ रुपये की राशि को केन्द्रीय पूल से जारी किए जाने की सिफारिश की गई थी।
14.	इंडो बंग्लादेश बार्डर के बचे हुए भाग पर बाड़ लगाना और 1335 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय सहित सड़कों का निर्माण और अप्रैल, 2000 में कार्य शुरू होना।	23.5.2000 को सरकार ने 1335 करोड़ रुपये की लागत पर इंडो बंग्लादेश बार्डर सीमा के बचे हुए भाग पर बाढ़ लगाने और सड़कों के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। बाढ़ लगाने और सड़कों का कार्य शुरू किया जा चुका है और 87.50 करोड़ रुपये 2000-2001 के दौरान उपलब्ध कराए गए थे।
15.	पूर्वोत्तर के लिए गैर-व्यपगत केन्द्रीय संसाधन पूल के अंतर्गत परियोजनाओं के चुनाव की कार्यवधि को सुकर बनाना और 500 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी देना और आधारिक संरचना बनाना और आर्थिक विकास परियोजनाएं शुरू करना।	गैर-व्यपगत केन्द्रीय संसाधन पूल के संबंध में प्राप्तियों के लिए क्रिया विधि को सरल बनाने के लिए उद्देश्य से अधिकांश मंत्रालयों/विभागों की अनुदान मांगों में एक बजट "शीर्ष" यह खोला गया है। यह पूर्वोत्तर और सिक्किम में परियोजनाओं/स्कीमों/कार्यक्रमों के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा किए गए व्यय की पहचान करने को सुविधाजनक बनाएगा। 2000-2001 के दौरान पूर्वोत्तर और सिक्किम में विभिन्न परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय पूल से 313.04 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। 2001-2002 के दौरान आज तक पूल से 86.16 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी।
16.	578 करोड़ रुपये की लागत पर मणिपुर में लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोपावर परियोजना (90 मेगावाट) का कार्यान्वयन।	578 करोड़ रुपये की लागत पर मणिपुर में लोकतक डाउन स्ट्रीम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है।
17.	2,198.04 करोड़ रुपये की लागत पर सिक्किम में टीस्टा V हाइड्रो पावर परियोजना (510 एम डब्ल्यू) का कार्यान्वयन।	जनवरी, 2000 में सिक्किम में 2198.04 करोड़ रुपये की लागत पर टीस्टा V स्टेज हाइड्रो पावर परियोजना (510 मेगावाट) की मंजूरी दी गई है। परियोजना के 7 वर्ष में पूरा होने की संभावना है। विद्युत मंत्रालय ने सूचित किया है कि परियोजना समय अनुसूची के अनुसार चल रही है।
18.	यह सुनिश्चित करने की कार्रवाई शुरू करना कि अरूणाचल प्रदेश में सुबनसिरी लोअर साइड (600 मेगावाट) पावर परियोजना का कार्य, दिसम्बर, 2001 तक शुरू हो जाये (परियोजना लागत 3,000 करोड़ रुपये के लगभग है)	सुबनसिरी लोअर साइड हाइडिल परियोजना (600 मेगावाट) 3000 करोड़ रुपये की परियोजना स्थान एनएचपीसी को स्थानांतरित कर दिया गया था। परियोजना की जांच शुरू कर दी गई है और यह सितम्बर, 2001 तक मंजूर हो जाएगी। अब यह अनुमान लगाया गया है कि परियोजना की संशोधित क्षमता 1200 मेगावाट होगी और इसकी लागत 5000 करोड़ रुपये के लगभग है।

1	2	3
19.	लगभग 30 करोड़ रुपये की लागत पर पूर्वोत्तर में 500 जनजातीय गांवों के ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए एक स्कीम तैयार करना और उसका कार्यान्वयन करना।	7.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर रियायती ऋण पर जनजातीय गांवों और हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण के लिए मंत्रीमंडल ने 23.3.2000 को एक स्कीम का अनुमोदन किया था। शुरूआती रूप से पूर्वोत्तर में 165 जनजातीय गांव चुने गए हैं। 2000-2001 के दौरान पूर्वोत्तर में 165 जनजातीय गांवों के लिए गैर-व्यपगत केन्द्रीय संसाधन पूल से 12.96 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।
20.	239.92 करोड़ रुपये की लागत पर चालू महत्वपूर्ण उप महत्वपूर्ण पारेषण, सिस्टम के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त सहायता।	पूर्वोत्तर में पारेषण और उपपारेषण, सिस्टमस को सुदृढ़ करने के लिए विद्युत मंत्रालय ने पूर्वोत्तर में राज्यों और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के परामर्श सहित महत्वपूर्ण पारेषण लाइनों और सबस्टेशनों की पहचान की है। इन स्कीमों की अनुमानित लागत 239.92 करोड़ रुपये है। 5.9.2000 को हुई समति की बैठक में (गैर-व्यपगत केन्द्रीय संसाधन पूल के संचालन के लिए गठित पूर्वोत्तर और सिक्किम में उप पारेषण और वितरण कार्यों के सम्बन्ध में चालू स्कीमों की सिफारिश करने पर सहमति हुई थी। 2000-2001 के दौरान इन कार्यों के लिए गैर-व्यपगत केन्द्रीय संसाधन पूल से 52 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।
21.	नागर विमानन: (क) अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर छोटे एयरक्राफ्टों के लिए विमानन टर्बाइन फ्यूल का प्रावधान। (ख) 4 प्रतिशत के बिक्री कर के स्तर को घटाने के लिए सही घोषित किए गए छोटे एयरक्राफटों के लिए विमानन टर्बाइन फ्यूल का उपचार। (ग) पूर्वोत्तर राज्यों में प्रचालित मार्गों के लिए कोई आईएटीटी नहीं।	मंत्रिमंडल ने जनवरी, 2000 में प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया था। पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और नागर विमानन मंत्रालय के बीच पारस्परिक विचार-विमर्श के पश्चात अन्तर्राष्ट्रीय कीमत पर एटीएफ उपलब्ध कराने के लिए मैकेन्जिम तैयार किया गया है। 19.4.2000 को सचिवों की समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में नागर विमानैन मंत्रालय के सचिव ने केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 के अंतर्गत एटीएफ को "डिक्लेयर्ड गुड" के रूप में टर्बो प्रोप आपरेशन के लिए प्रस्ताव पर उनकी सहमति प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों के साथ 27.4.2000 को एक बैठक की थी। 2.5.2000 से पूर्वोत्तर राज्यों के सभी मार्गों की आईएटीटी से छूट दे दी गई है।
22.	258.24 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय सहित एनईसी के अंतर्गत आठ सड़क/पुल परियोजनाओं को मंजूरी।	10.2.2000 को 258.24 करोड़ रुपये के परिव्यय सहित एनईसी योजना के अंतर्गत आठ सड़क/पूल परियोजनाओं को मंजूरीर दी गई है। 117.24 करोड़ रुपये की लागत वाली तीन और सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। 2000-2001 में 58.58 करोड़ रुपये जारी किए गए थे।
23.	12 नए राष्ट्रीय राजमार्गों/1,962 किलोमीटर की कुल लम्बाई को कवर करने वाले मौजूदा राजमार्गों के विस्तार के लिए कम से कम 100 करोड़ रुपये का प्रावधान।	12 नए राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन के लिए/1962 किलोमीटर की कुल लम्बाई को कवर करने वाले मौजूदा राजमार्गों के विस्तार के लिए 31.3.2001 तक 44.79 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे।

1	2	3
24.	सात पूर्वोत्तर राज्यों के सभी 446 ब्लॉकों और सिक्किम में 40 ब्लॉकों में कम्प्यूटर सूचना केन्द्र स्थापित करने का कार्यक्रम और 100 करोड़ रुपये की न्यूनतम लागत पर परियोजना को पूरा करना।	2000-2001 के दौरान 15 करोड़ रुपये की लागत पर अभी तक पूर्वोत्तर में 30 ब्लाकों में कम्प्यूटर सूचना केन्द्र उपलब्ध कराये गए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शेष सभी 457 ब्लाकों को जोड़ने के लिए 220 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है। दो चरणों के अंतर्गत दो वर्षों में सभी ब्लाकों में सीआईसीएस उपलब्ध करा दिए जाएंगे। परियोजना के लिए वर्ष 2001-2002 हेतु योजना आयोग द्वारा 67 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
25.	असम में नुमालीगढ़ रिफायनरी के संबंध में नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत उत्पाद रियायत का विस्तार।	9.2.2000 को वित्त मंत्रालय व राजस्व विभाग ने नुमालीगढ़ रिफायनरी से पास की गई वस्तुओं के संबंध में पूरा उत्पाद लाभ देने के संबंध में अधिसूचना जारी की है जो रिफायनरी को 2000 करोड़ रुपये के वार्षिक लाभ प्रदान करेगी।
26.	ब्रह्मपुत्र बोर्ड में सुधार करना, इसके कार्य को प्रभावी बनाना और बाढ़ नियंत्रण स्कीमों का कार्यान्वयन।	एसीसी ने अध्यक्ष ब्रह्मपुत्र बोर्ड के पद को भरे जाने का अनुमोदन कर दिया है। बोर्ड के अध्यक्ष ने 16.2.2001 को कार्यभार ग्रहण कर लिया है। बोर्ड निम्नलिखित के सम्बन्ध में कार्यवाही कर रहा है: (क) मास्टर प्लान तैयार करना (ख) पहचान की गई ड्रेनिज स्कीमों की डीपीआर की जांच और उनको तैयार करना। (ग) बहुउद्देशीय बांध परियोजना हेतु डीपीआर की जांच और उसे तैयार करना। (घ) ड्रेनेज स्कीमों को पूरा करना। (ङ) पगलादिया परियोजना (548 करोड़ रुपये) का कार्यान्वयन। पगलादिया बांध परियोजना के लिए कुछ शर्तों के अध्यधीन पीआईबी स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है। परियोजना के प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास एवं पुर्नस्थापना हेतु ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा पहले ही 15 हजार बीघा भूमि उपलब्ध कराई जा चुकी है।
27.	बागवानी हेतु प्रौद्योगिकी मिशन को वर्तमान वित्तीय वर्ष में अगले तीन वर्षों में 262.50 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ स्वीकृति।	कृषि मंत्रालय ने पूर्वोत्तर हेतु बागवानी के लिए प्रौद्योगिकीय मिशन के सम्बन्ध में एक परियोजना तैयार की है। योजना आयोग ने इस स्कीम को केन्द्र प्रायोजित स्कीम के रूप में लेने का निर्णय लिया है जिसके लिए पूर्ण योजना आयोग के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। पूर्ण योजना आयोग ने प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। मंत्रीमंडल ने परियोजना प्रस्ताव को 7.2.2001 को अनुमोदित कर दिया है।

1	2	3
28.	बोडो स्वायत्त परिषद (बीएसी) क्षेत्रों में आधारिक संरचना एवं अन्य सुविधाओं के विकास हेतु तीन वर्ष के लिए 30 करोड़ रु. प्रतिवर्ष के कुल परिव्यय के साथ विशेष कार्यक्रम को स्वीकृति।	संसाधनों के गैर-व्यपगत केन्द्रीय पूल से सहायता हेतु बोडो स्वायत्त परिषद (बीएसी) और साथ ही असम सरकार से कई प्रस्ताव (परियोजनाएं/स्कीमें) प्राप्त हुए हैं। बीएसी/असम सरकार की ओर से प्राप्त डीपीआर को समिति (संसाधनों के गैर-व्यपगत केन्द्रीय पूल को प्रशासित करने के लिए गठित की गई) की 5.9.2000 को हुई बैठक में विचार-विमर्श हेतु रखा गया। सचिव, योजना आयोग ने संबंधित केन्द्रीय मंत्रियों की उपस्थिति में 23.1.2001 को प्रगति को समीक्षा की। 4.23 करोड़ रुपये की राशि 2000-01 के दौरान संसाधनों के गैर-व्यपगत केन्द्रीय पूल से जारी की जा चुकी है।

संभार-तंत्र संगठन

1505. श्री बी. वेंकटेस्वरलु: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उच्च तकनीकी उपकरणों को देखते हुए सेना में एक पृथक संभार-तंत्र संगठन का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह किस प्रकार आर्टिलरी कोर और वर्तमान सिग्नल कोर के साथ सामंजस्य स्थापित करेगा?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) इस समय सेना में एक अलग संभारिकी संगठन बनाए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है। विद्यमान संगठन सेना की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए सामान्य रूप से पर्याप्त है। उच्च प्रौद्योगिकी उपस्करों से संबंधित कार्य करने के लिए विद्यमान संगठन को अपेक्षित संशोधनों के साथ उपयोग में लाया जा रहा है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

परमाणु ऊर्जा उत्पादन

1506. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान परमाणु ईंधन से विद्युत का कुल कितनी मात्रा में स्थान-वार उत्पादन किया गया;

(ख) क्या परमाणु ईंधन से विद्युत उत्पादन के कई लाभ हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस स्त्रोत से विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग मे राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान परमाणु बिजलीघरों से स्थलवार उत्पादित कुल विद्युत का ब्यौरा निम्न तालिका में दिया गया है:

स्थल/बिजलीघर	यूनिट	क्षमता (मेगावाट)	मिलियन यूनिट में उत्पादन		
			1998-99	1999-2000	2000-01
1	2	3	4	5	6
महाराष्ट्र-तारापुर	टीएपीएस-1	160	1298	941	1289
तारापुर परमाणु बिजलीघर	टीएपीएस-2	160	996	1214	1119
राजस्थान-रावतभाटा	आरएपीएस-1	100	827	934	517

1	2	3	4	5	6
राजस्थान परमाणु बिजलीघर	आरएपीएस-2	200	990	1405	1600
	आरएपीएस-3	220	*	15	1462
	आरएपीएस-4	220	*	*	273
तमिलनाडु-कलपाक्कम	एमएपीएस-1	170	1123	1042	1128
मद्रास परमाणु बिजलीघर	एमएपीएस-2	170	1065	1189	1387
उत्तर प्रदेश-नरोरा	एनएपीएस-1	220	1316	1602	1556
नरोरा परमाणु बिजलीघर	एनएपीएस-2	220	1492	1529	1488
गुजरात -ककरापार	केएपीएस-1	220	1388	1645	1831
ककरापार परमाणु बिजलीघर	केएपीएस-2	220	1506	1750	1663
कर्नाटक-कैगा	केजीएस-1	220	*	*	578
कैगा परमाणु बिजलीघर	केजीएस-2	220	*	128	1322
कुल		2720	12001	13394	17213

* केजीएस-2, आरएपीएस-3, केजीएस-1 और आरएपीएस-4 ने क्रमशः 16.03.2000, 01.06.2000, 16.11.2000 और 23.12.2000 से वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन करना शुरू किया।

(ख) और (ग) जी, हां। परमाणु विद्युत स्वच्छ, सुसंहत और सकेंद्रित है। परमाणु ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन करने से कोई ग्रीन हाऊस गैसें नहीं निकलती हैं। परमाणु विद्युत के लाभों को ध्यान में रखते हुए, परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई.) ने निम्नलिखित क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किए हैं:

* तारापुर, महाराष्ट्र में 2×500 मेगावाट (टीएपीपी-3 तथा 4) और कैगा, कर्नाटक में 2×200 मेगावाट (कैगा-3 तथा 4) वाले दाबित भारी पानी रिएक्टरों (पीएचडब्ल्यू आर्ज) का निर्माण कार्य चल रहा है।

* रूसी परिसंघ के सहकार से कुडनकुलम, तमिलनाडु में 1000 मेगावाट क्षमता वाले हलके पानी रिएक्टरों (एल डब्ल्यू आर्ज) के 2 यूनिट स्थापित करने के लिए ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा रही है।

* दसवीं योजनावधि के दौरान वित्तीय संसाधनों के उपलब्ध होने पर नई परियोजनाओं को भी शुरू करने की योजना है।

उपर्युक्त प्रयासों से देश में परमाणु विद्युत की वर्तमान 2720 मेगावाट क्षमता के दसवीं और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि के अंत तक क्रमशः 3940 मेगावाट और 9100 मेगावाट तक पुहंच जाने की परिकल्पना की गई है।

पाक जेलों में सड़ रहे भारतीय मछुआरे

1507. श्रीमती श्यामा सिंह:
डा. रमेश चंद तोमर:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान की जेलों में बहुत से भारतीय मछुआरे कैद हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उन्हें रिहा कराने के लिए कोई प्रयास किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, इस समय 196 भारतीय मछुआरे पाकिस्तान के जेलों में बंद हैं। उन्हें मार्च-अप्रैल, 2001 में पाकिस्तानी समुद्री सीमा सुरक्षा एजेंसी द्वारा पकड़ा गया था।

(ग) और (घ) सरकार के निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप, पाकिस्तान की सरकार 26.6.2001 को इन 196 मछुआरों को उनकी नौकाओं सहित रिहा करने के लिए सहमत हुई है। गुजरात सरकार, मत्स्य विभाग ने ऐसे सरकारी अधिकारियों/नौका मालिकों का शिष्टमंडल गठन करने की सलाह दी है जो पाकिस्तान में जाकर यह जांच कर सके कि क्या नौकाएं यात्रा योग्य हैं और यदि आवश्यक हो तो मछुआरों के शीघ्र प्रत्यावर्तन को सुसाध्य बनाने के लिए इन नौकाओं की मरम्मत करा सकें।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों की जनसंख्या संबंधी आंकड़े

1508. **श्री प्रवीण राष्ट्रपाल:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों की जनसंख्या संबंधी आंकड़ों का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): हाल की जनगणना अर्थात भारत की जनगणना, 2001 के अंतर्गत केवल अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए गए और पूर्व की जनगणनाओं की भांति अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की जनगणना के आंकड़े नीचे दिए गए हैं:-

	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित जनजातियां
व्यक्ति	138,223,277	67,758,380
पुरूप	71,928,960	34,363,271
महिलाएं	66,294,317	33,395,109

आपातकालीन सेवाओं के लिए भुगतान

1509. **श्री राधा मोहन सिंह:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने निजी अस्पताओं को इस आशय का कोई प्रस्ताव भेजा है कि वे आपातकाल में उसके कर्मचारियों का इलाज करें जिसका भुगतान स्वयं सरकार करेगी;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इन अस्पतालों से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थी द्वारा आपात स्थिति में प्राइवेट मान्यता प्राप्त अस्पताल से कराए गए इलाज के लिए संबंधित विभाग/केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा सीधे भुगतान किए जाने संबंधी विषय पर इस समय माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के विचाराधीन है।

भारतीय शिष्टमंडल का तुर्की दौरा

1510. **श्री माणिकराव होडल्या गावित:** क्या **विदेश मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जून 2001 में जिस भारतीय शिष्टमंडल ने तुर्की का दौरा किया उसकी संरचना क्या थी; और

(ख) इस शिष्टमंडल के साथ की गयी वार्ताओं का ब्यौरा क्या है और इस अवसर पर कौन-कौन से समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) जी, हां। गृह मंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने 28.6.2001 से 30.6.2001 तक तुर्की की यात्रा की। गृह मंत्री के अलावा आसूचना ब्यूरो के अपर निदेशक श्री ए.के. डोभाल, गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री आर के सिंह और गृह मंत्री के निजी सचिव श्री दीपक चोपड़ा इसमें शामिल थे।

(ख) शिष्टमंडल स्तर की बातचीत के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खतरों के संबंध में विचारों में पूरी तरह से समानता थी। भारत गणराज्य की ओर से गृह मंत्री ने 29.6.2001 को भारत गणराज्य तथा तुर्की गणराज्य के बीच एक प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए। तुर्की के आंतरिक मंत्री के साथ बातचीत के बाद सहमत कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर किए गए जिसमें दोनों देश इस बात पर सहमत हुए कि आतंकवाद के किसी स्वरूप का कोई औचित्य नहीं है और उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद की सभी अभिव्यक्तियों का मुकाबला करने का अपना-अपना निश्चय दोहराया। दोनों देशों

के सुरक्षा अभिकरणों के बीच सहयोग करने के लिए कतिपय व्यवहारिक उपायों को करने के संबंध में सहमति हुई।

लघु उद्योगों की संख्या

1511. **श्री राम प्रसाद सिंहः** क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बिहार में इस समय क्षेत्र-वार कुल कितने लघु उद्योग हैं;

(ख) क्या सरकार ने बिहार के पिछड़े और जन-जातीय क्षेत्रों में स्थापित लघु उद्योग इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए नये कदम उठाये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को यह जानकारी है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और जनजातीय बहुल क्षेत्रों में कुटीर उद्योग कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो निकट भविष्य में कुटीर उद्योगों के संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) बिहार सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, 31 दिसम्बर, 2000 की स्थिति के अनुसार राज्य में पंजीकृत लघु उद्योगों की संख्या 92,815 है। इनमें से 51,648 इकाइयां मध्य बिहार क्षेत्र में हैं और शेष 41,167 इकाइयां पूर्वी बिहार क्षेत्र में हैं।

(ख) से (घ) जी, हां। यद्यपि राज्य में लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों का विकास संबंधित राज्य सरकार का प्राथमिक उत्तरदायित्व है, तथापि केन्द्रीय सरकार, प्रधानमंत्री की रोजगार योजना, एकीकृत आधारभूत संरचना विकास प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए परामर्श सुविधाएं और सेवा सुविधाएं, उद्यमिता विकास आदि जैसी विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन द्वारा इन उद्योगों के विकास में उनके प्रयासों को बिहार सहित राज्यों को सहायता प्रदान करती है। बिहार सरकार राज्य के पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों में फल प्रसंस्करण, सुगंधित पौधों एवं जड़ी बूटी के प्रसंस्करण एवं अन्य कृषि आधारित उद्योगों आदि में लघु उद्योग/अति लघु/कारीगर इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए विशिष्ट पहल भी कर रही है। इसके अतिरिक्त बिहार सरकार ने पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों में कलॅस्टर्स इकाइयों की उनके पुनर्वास को ध्यान में रखकर पहचान भी की है।

(ङ) जैसा कि पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों में कलस्टर आधारित कुटीर उद्योगों में वृद्धि हुई है, बिहार सरकार ने इन कलस्टरों को प्रौद्योगिकीय सहायता एवं विपणन सहायता प्रदान करने के लिए कदम उठाए हैं।

[हिन्दी]

निर्यात को बढ़ावा

1512. **डा. सुशील कुमार इंदौराः**
श्री नवल किशोर रायः

क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग सतत् रूप से निर्यात को बढ़ावा देता आ रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान राज्य-वार कितने मूल्य का निर्यात हुआ;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों द्वारा किये गये वार्षिक निर्यात के मूल्यों में काफी अंतर है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस क्षेत्र में पिछड़ रहे राज्यों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार की भावी योजना क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) से (ङ) सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान किए गए निर्यात का राज्यवार मूल्य विवरण में संलग्न है।

केन्द्र सरकार सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए सभी राज्यों को एक समान प्रोत्साहन दे रही है। किन्तु, सूचना प्रौद्योगिकी के निर्यात में विभिन्न राज्यों के अंश में अंतर देखा गया है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार उच्च गति के आंकड़ा संचार सुविधा युक्त नए सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना के लिए राज्यों को 50 लाख रूपए की सहायता अनुदान देती है।

विवरण

वर्ष 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर सेवाओं का निर्यात

राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र	वर्ष 1998-1999 में निर्यात		वर्ष 1999-2000 में निर्यात		वर्ष 2000-2001 में निर्यात	
	करोड़ रुपए	मिलियन यू.एस. डॉलर	करोड़ रुपए	मिलियन यू.एस. डॉलर	करोड़ रुपए	मिलियन यू.एस. डॉलर
पश्चिम बंगाल	200.00	48.19	367.31	85.42	400.00	86.96
उड़ीसा	80.00	19.28	109.54	25.47	0.00	0.00
दिल्ली	2500.00	602.41	3927.47	913.36	4500.00	978.26
उत्तर प्रदेश	1000.00	240.96	1245.75	289.71	3500.00	760.87
हरियाणा	1100.00	265.06	972.93	226.26	1500.00	326.09
राजस्थान	9.00	2.17	20.64	4.80	9.00	1.96
पंजाब	30.00	7.23	16.33	3.80	11.00	2.39
मध्य प्रदेश	1.00	0.24	1.74	0.41	0.45	0.10
कर्नाटक	3450.00	831.33	4267.94	992.55	7475.00	1625.00
तमिलनाडु	1300.00	313.25	1987.44	462.20	3500.00	760.87
आन्ध्र प्रदेश	650.00	156.63	1223.33	284.49	1990.00	432.61
केरल	70.00	16.87	24.11	5.61	110.00	23.91
पांडिचेरी	5.00	1.20	1.11	0.26	2.39	0.52
महाराष्ट्र	2000.00	481.93	2688.38	625.21	4350.00	945.65
गुजरात	105.00	25.30	445.97	103.71	152.16	33.08

[अनुवाद]

एम.आई.-35 का उन्नयन

1513. **श्री गुनीपाटी रामैया:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 'नाइट विजन' के साथ एम.आई.-35 हेलीकाप्टर गनशिप का उन्नयन करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चौबीस घंटे उड़ान क्षमताओं के लिए आधुनिकीकरण का यह कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) से (ग) इस सूचना को प्रकट करना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

कुडानकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना

1514. **श्री एम. चिन्नासामी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कुडानकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या रूस की सरकार ने इस परियोजना के लिए कोई धनराशि जारी की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) अब तक उक्त धन का कितना प्रतिशत उपयोग किया गया है; और

(ङ) उक्त परियोजना कब तक चालू हो जाएगी?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) तमिलनाडु में कुडनकुलम नामक स्थान पर 2×1000 मेगावाट क्षमता वाले वीवीईआर किस्म के परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए, वर्ष 1988 में भारत और रूसी परिसंघ के बीच एक अन्तर्सरकारी करार (आईजीए) पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस परियोजना को "तैयार करके चलाने हेतु सौंपने" के आधार के स्थान पर तकनीकी सहकार आधार पर क्रियान्वित करने के लिए वर्ष 1998 में इस अन्तर्सरकारी करार के एक अनुपूरक पर हस्ताक्षर किए गए थे। करार की शर्तों के अनुसार, ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)/प्रारंभिक सुरक्षा विश्लेषण रिपोर्ट (पीएसएआर) पर विचार-विमर्श, और उनसे प्राप्त तकनीकी-वाणिज्यिक पेशकश के संबंध में बातचीत अभी भी की जा रही है। स्थल पर प्रारंभिक आधारभूत सुविधाओं संबंधी कार्य भी हाथ में लिया गया है।

(ख) से (घ) रूसी सरकार ने, आपूर्तियों तथा सेवाओं के मामले में रूसी कार्यक्षेत्र की 85 प्रतिशत लागत की पूर्ति के लिए आसान शर्तों पर राजकीय ऋण दिया है। अब तक, ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट के विस्तार के संबंध में, कुल 57 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के केवल एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार इस अनुबंध के संबंध में 45.42 मिलियन अमरीकी डालर ऋण का उपयोग किया गया है।

(ङ) इस परियोजना को पूरा किए जाने की लक्ष्य तारीख यूनिट-1 के मामले में दिसम्बर, 2007 और यूनिट-2 के मामले में दिसम्बर, 2008 है।

[हिन्दी]

निराश्रित बच्चों का कल्याण

1515. श्री मानसिंह पटेल: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गुजरात राज्य के निराश्रित बच्चों के कल्याण के लिए कोई योजना कार्यान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा क्या सहायता प्रदान की जा रही है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) और (ख) हालांकि गुजरात राज्य के निराश्रित बच्चों के कल्याण के लिए विशेष रूप से कोई पृथक योजना नहीं है, तथापि, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय चार (4) योजनाओं अर्थात् (1) किशोर न्याय के लिए कार्यक्रम (2) बेसहारा बच्चों के लिए एकीकृत कार्यक्रम (3) समाज रक्षा के क्षेत्र में सहायता के लिए सामान्य सहायतानुदान और (4) शिशु गृह योजना का कार्यान्वयन कर रहा है जिसके अंतर्गत गुजरात राज्य के निराश्रित बच्चों सहित निराश्रित बच्चों के कल्याण के लिए राज्य सरकारों/गैर-सरकारी संगठनों (एन जी ओ) को अनुदानों की निर्मुक्ति की जा रही है। इसके अलावा, गुजरात में भूकंप द्वारा प्रभावित निराश्रित बच्चों और महिलाओं को राहत प्रदान करने हेतु केन्द्रों की स्थापना करने के लिए, वर्ष 2000-2001 के दौरान चाइल्ड रिलीफ एंड यू (क्राई), चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन, एक्शन एंड इंडिया और इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर को 167.44 लाख रु. कुल अनुदान निर्मुक्त किया गया।

(ग) इस मंत्रालय की योजना "किशोर न्याय के लिए कार्यक्रम" के अंतर्गत किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत गृहों को चलाने में होने वाला व्यय केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा 50:50 के आधार पर वहन किया जाता है। वर्ष 2000-2001 के दौरान, इस मंत्रालय ने 50 प्रतिशत केन्द्रीय अंश के रूप में गुजरात सरकार को 35.98 लाख रु. निर्मुक्त किए जबकि शेष राशि की पूर्ति, राज्य सरकार द्वारा की गई।

[अनुवाद]

योजना का मूल्यांकन

1516. श्री चन्द्रभूषण सिंह:
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों से उनके द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के संबंध में सूचना मांगी है और इस बात का भी आग्रह किया है कि राज्य समस्त योजनाओं के मूल्यांकन को उनके संबंधित योजना-प्रलेखों में क्रमवेशित करें;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में राज्य सरकारों से क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है;

(ग) क्या इस आशय का कोई प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन है कि मूल्यांकन को राज्य-स्तर पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा किए जाने वाले लेखा-परीक्षण की प्रक्रिया के समानांतर ही कराया जाये; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय

1517. डा. मदन प्रसाद जायसवाल:
श्री राजो सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कितने औषधालय हैं;

(ख) क्या सरकार के पास बिहार में और अधिक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय/होमियोपैथिक व आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन स्थानों पर ऐसा किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) पटना (बिहार) में पांच एलोपैथी औषधालय, एक आयुर्वेद और एक होमियोपैथी औषधालय हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

कचातिवु द्वीप के संबंध में भारत-श्रीलंका समझौता

1518. श्री पी. कुमारासामी: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) श्रीलंका को कचातिवु द्वीप देने संबंधी समझौते पर किस तिथि को हस्ताक्षर किए गए;

(ख) कचातिवु द्वीप को किन शर्तों पर दिया गया;

(ग) क्या श्रीलंका इस समझौते की शर्तों और निबंधनों का पालन करता रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस विषय में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) भारत और श्रीलंका दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक जल सीमा और सम्बद्ध मसलों से संबंधित करार जून, 1974 में सम्पन्न हुआ। इस करार में स्पष्ट किया गया है कि अब भारतीय मछुआरे और तीर्थयात्री कच्चातिवु यात्रा का आनन्द उठा सकेंगे और श्रीलंका से इन उद्देश्यों के लिए यात्रा दस्तावेज या वीजा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(ग) और (घ) इन परम्परागत अधिकारों को पूरा किया जाना पाल्क स्ट्रेट में सुरक्षा स्थिति के कारण 1983 में स्थगित कर दिया गया। यह मामला दोनों सरकारों के बीच विचार-विमर्श के लिए लम्बित हैं।

[हिन्दी]

मलेरिया रोकथाम के लिए ''लिंडेन'' का इस्तेमाल

1519. श्री मनोज सिन्हा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का मलेरिया की रोकथाम के लिए ''लिंडेन'' के उपयोग की अनुमति देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) मलेरिया पर तकनीकी परामर्शदात्री

समिति की संस्तुति पर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा किए जा रहे बहुकेन्द्रिक अध्ययन की रिपोर्ट मिलने के पश्चात् ही मलेरिया नियंत्रण के लिए लिंडेन के उपयोग पर विचार किया जा सकता है।

भ्रष्टाचार पर अंकुश

1520. राजकुमारी रत्ना सिंहः
श्री पी.डी. एलानगोवनः
श्री प्रभुनाथ सिंहः

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.बी.आई. ने उन कार्मिकों को जो सी.बी.आई. द्वारा अन्वेषित मामलों में संलिप्त पाए गए हैं, निलंबित अथवा स्थानांतरित करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को कोई पत्र भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में प्रत्येक मंत्रालय/विभाग द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि सी.बी.आई. द्वारा अन्वेषित मामलों में संलिप्त अधिकांश कार्मिकों को स्थानांतरित तक नहीं किया गया है और कुछ उदाहरणों में तो ऐसे कार्मिकों को, सी.बी.आई. के अनुदेशों की परवाह किए बगैर, उच्चतर पदों पर पदोन्नत भी कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सी.बी.आई. द्वारा ऐसे कार्मिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा, विभिन्न अनुशासनिक और अपील नियमों के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों को निलंबित किए जाने के बारे में मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए हैं। केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो, सतर्कता-मैन्युअल में समाविष्ट मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय को, अपने द्वारा (केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो द्वारा) अन्वेषित किए जा रहे मामलों में लिप्त कर्मचारियों के विरुद्ध उन्हें निलंबनाधीन रखे जाने की सलाह ही देता है। इस बारे में अंतिम निर्णय संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा लिया जाता है। इस बारे में ब्यौरा, केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखा जाता/मॉनीटर नहीं किया जाता।

(ग) और (घ) स्थानान्तरण, अत्यावश्यक होने पर, प्रशासनिक अधिकारी द्वारा लोक-हित में लिया जाने वाला प्रशासनिक निर्णय होता है। जहां तक कर्मचारियों की पदोन्नति का संबंध है, जानकीरमण के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के आधार पर, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, ऐसे मामले संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग तय करता है। विभिन्न श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती।

[अनुवाद]

रोगों का उन्मूलन

1521. श्री जी.जे. जावीयाः क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों के संबंध में ब्यौरा क्या है, जिनमें काला-आजार, फाइलेरिया, डेंगू, छोटी चेचक, बड़ी चेचक, कैंसर, मलेरिया, मस्तिष्क शोथ जैसे रोग तेजी से फैल रहे हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान, इन रोगों की वजह से जो मौतें हुई, उनके बारे राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने, पिछले एक वर्ष के दौरान और आज तक, विभिन्न राज्यों में स्थिति के आकलन हेतु, मौके पर ही अध्ययन करने के लिये विशेषज्ञों का कोई दल भेजा;

(घ) क्या सरकार को उक्त दल से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान आवंटित कुल धनराशि में से प्रत्येक राज्य द्वारा, प्रत्येक कार्यक्रम पर, राज्यवार कुल कितनी राशि व्यय की गई; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान मलेरिया, काला-आजार, डेंगू और जापानी एन्सेफेलाइटिस के मामले और इन रोगों के कारण हुई मौतों की संख्या का ब्यौरा विवरण-I पर है।

चेचक को पूरे विश्व से खत्म कर दिया गया है।

कैंसर का राज्य-वार विवरण और कैंसर से होने वाली मौतों की संख्या का ब्यौरा केन्द्र नहीं रखता है।

(ग) से (ङ) वेक्टर जनित रोगों की स्थिति की लगातार मानीटरिंग नियमित रिपोर्टों/विवरणों द्वारा की जाती है। तथापि, स्थिति की मांग के अनुसार केन्द्रीय विशेषज्ञ दलों को भी क्षेत्र में भेजा जाता है ताकि मौके पर आकलन किया जा सके तथा उपयुक्त नियंत्रण उपायों का सुझाव दिया जा सके।

(च) डेंगू और जापानी एन्सेफेलाइटिस के लिए अलग से कोई निधियां निर्धारित नहीं की गई है। इन रोगों के नियंत्रण हेतु व्यय राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटित बजट से पूरा किया जाता है। राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता कीटनाशकों, औषधों, लार्वानाशकों आदि प्रदान करने के रूप में होती है। विश्व बैंक की सहायता से नकद सहायता भी पूर्वोत्तर राज्यों और व्यापक मलेरिया नियंत्रण परियोजना के अंतर्गत कवर किए गए 8 राज्यों के जिला मलेरिया नियंत्रण सोसाटियों को प्रदान की जाती है। नकद सहायता स्प्रे मजदूरी और आकस्मिक व्यय सहित प्रचालन लागत को पूरा करने के लिए होती है। समुपयोजन प्रमाण-पत्र राज्यों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं।

पिछले तीन वर्षों के लिए राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम और काला-आजार नियंत्रण कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रदान की गई राज्य-वार केन्द्रीय सहायता को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को धन आबंटित नहीं किया जाता है।

(छ) मलेरिया और अन्य वेक्टरजन्य रोगों के नियंत्रण के लिए अपनाई गई कार्यनीतियां इस प्रकार हैं।

- शुरू में ही रोगी का पता लगाना और शीघ्र उपचार
- चयनात्मक वेक्टर नियंत्रण
- व्यक्तिगत बचाव विधियों को बढ़ावा देना
- महामारियों का शुरू में ही पता लगाना और उनका नियंत्रण
- व्यक्तिगत निवारण और सामुदायिक सहभागिता के लिए सूचना, शिक्षा व सम्प्रेषण
- संस्थागत और प्रबन्ध क्षमता निर्माण, प्रशिक्षित जनशक्ति विकास और सक्षम प्रबन्ध सूचना प्रणाली
- सभी निवारणात्मक और नियंत्रण संबंधी उपायों को सुझाते हुए राज्यों/संघ क्षेत्रों को अग्रिम चेतावनी जारी करना।
- राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत रोग का पता लगाने, उसके निवारण और जागरूकता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं:

1. विभिन्न राज्यों, संघ क्षेत्रों में क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों का उन्नयन।
2. राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों अस्पतालों में अर्बुद विज्ञान फंड का विकास।
3. राजकीय/धमार्थ संस्थाओं में कोबाल्ट चिकित्सा सुविधाओं की संस्थापना।
4. जिला कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम: इसके पांच तत्व हैं: (क) स्वास्थ्य शिक्षा, (ख) शुरू में ही पता लगाना, (ग) चिकित्सीय और अर्ध-चिकित्सीय कार्मिकों का प्रशिक्षण, (घ) प्रशासक उपचार और दर्द राहत, तथा (ङ) समन्वय और मानीटरिंग
5. स्वास्थ्य शिक्षा के लिए गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता और कैंसर का शुरू में ही पता लगाने संबंधी कार्यकलाप।

विवरण-I

वर्ष 1998 से 2000 तक मलेरिया के मामले और उससे हुई मौतों का विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	वर्ष	पाजिटिव मामले	पी.एफ. मामले	पी.एफ. प्रतिशत	पाजिटिव मामले	पी.एफ. मामले	मलेरिया के कारण मृत्यु
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	1996	127814	80402	47.26	–	–	15
		1997	129577	57939	44.71	1.38	–4.08	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1998	118800	51511	51.86	-8.32	6.34	12
		1999	129020	78039	80.49	8.50	26.66	11
		2000	80657	46655	57.95	-37.56	-40.18	0
2.	अरूणाचल प्रदेश	1996	48667	5686	11.68	-	-	0
		1997	53196	6730	12.65	9.31	18.36	0
		1998	49654	8935	13.99	-6.85	3.05	2
		1999	58243	10263	17.62	17.53	47.99	1
		2000	45165	5966	15.09	-20.74	-32.13	0
3.	असम	1996	176622	107742	61.00	-	-	58
		1997	123650	76548	51.91	-29.99	-28.95	27
		1998	94645	54769	57.87	-23.46	-28.45	34
		1999	131048	83064	63.38	38.46	51.66	111
		2000	94793	54887	57.90	-27.67	-33.92	43
4.	बिहार	1996	104680	64859	61.96	-	-	100
		1997	74576	49470	56.25	-28.86	-23.73	37
		1998	114958	75825	65.98	53.94	53.27	34
		1999	131898	79881	50.56	14.74	5.35	131
		2000	9390	2046	21.79	-	-	1
5.	छत्तीसगढ़	1996	-	-	-	-	-	-
		1997	-	-	-	-	-	-
		1998	-	-	-	-	-	-
		1999	-	-	-	-	-	-
		2000	311601	224253	71.97	-	-	63
6.	गोवा	1996	11632	1539	13.23	-	-	10
		1997	21025	5768	27.43	80.75	274.79	57
		1998	25975	8694	33.47	23.54	50.73	19
		1999	15380	5548	36.07	-40.79	-36.19	17
		2000	9164	2698	28.35	-40.42	-63.17	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	गुजरात	1996	143817	32091	22.31	–	–	5
		1997	159662	37849	23.71	11.01	17.94	37
		1998	106826	18531	17.35	-33.08	-61.04	3
		1999	64130	10617	15.56	-39.97	-42.71	7
		2000	35685	6571	18.47	-44.61	-38.11	2
8.	हरियाणा	1996	128232	27868	21.73	–	–	26
		1997	69710	2218	3.18	-45.64	-92.04	0
		1998	12116	306	2.53	-82.62	-66.20	0
		1999	2604	211	8.10	-78.51	-31.05	0
		2000	1050	157	14.95	-59.58	-26.59	0
9.	हिमाचल प्रदेश	1996	8349	12	0.14	–	–	0
		1997	5320	4	0.08	-36.28	-66.67	0
		1998	1433	1	0.07	-73.06	-76.00	0
		1999	700	6	0.86	-51.15	500.00	0
		2000	491	0	0.00	-29.86	-100.00	0
10.	जम्मू व कश्मीर	1996	14289	69	0.48	–	–	0
		1997	9412	34	0.32	-34.13	-50.72	0
		1998	5451	18	0.33	-42.08	-47.06	0
		1999	3574	37	1.04	-34.43	105.56	0
		2000	3045	23	0.76	-14.80	-37.84	0
11.	झारखंड	1996	–	–	–	–	–	–
		1997	–	–	–	–	–	–
		1998	–	–	–	–	–	–
		1999	–	–	–	–	–	–
		2000	100031	52462	52.45	–	–	16
12.	कर्नाटक	1996	219198	32416	14.79	–	–	13
		1997	181450	43546	24.65	-17.22	34.33	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1998	118712	26333	22.18	-34.58	-39.53	3
		1999	97274	21416	22.02	-18.06	-18.67	11
		2000	109118	28303	25.94	12.18	32.16	14
13.	केरल	1996	11653	657	5.64	-	-	12
		1997	8265	659	7.97	-29.07	0.30	10
		1998	7439	1064	14.30	-9.99	61.46	7
		1999	5141	568	11.05	-30.89	-40.62	7
		2000	2940	373	12.69	-42.81	-34.33	9
14.	मध्य प्रदेश	1996	500574	221080	44.17	-	-	55
		1997	451552	211537	46.85	-9.79	-4.32	58
		1998	475098	247196	52.03	5.21	16.86	26
		1999	527510	289187	54.82	11.03	16.99	50
		2000	194689	62850	32.28	-	-	92
15.	महाराष्ट्र	1996	317416	83669	26.36	-	-	111
		1997	204909	55230	20.95	-35.43	-33.99	98
		1998	165985	48004	28.92	-19.02	-13.08	32
		1999	137712	33898	24.62	-17.03	-29.39	46
		2000	81406	25694	31.56	-40.89	-24.20	40
16.	मणिपुर	1996	2151	927	43.10	-	-	3
		1997	1742	801	45.98	-19.01	-13.59	1
		1998	1306	631	48.32	-25.03	-21.22	1
		1999	2662	1399	52.55	103.83	121.71	8
		2000	1064	380	35.71	-60.03	-72.84	0
17.	मेघालय	1996	26968	14230	52.77	-	-	45
		1997	22237	10910	49.06	-17.54	-23.33	11
		1998	17618	8510	48.30	-20.77	-22.00	2
		1999	14798	9153	61.85	-16.01	7.56	5
		2000	13699	9238	67.44	-7.43	0.93	66

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.	मिजोरम	1996	10840	6248	57.64	-	-	20
		1997	11021	6990	62.70	1.67	11.88	41
		1998	10137	6422	63.35	-8.02	-8.13	56
		1999	14437	9575	66.32	42.42	49.10	73
		2000	9059	5358	59.15	-37.25	-44.04	20
19.	नागालैंड	1996	3091	563	21.45	-	-	0
		1997	2826	806	28.53	-8.61	21.57	0
		1998	1989	423	21.27	-29.59	-47.52	0
		1999	4396	202	4.60	121.02	-52.25	12
		2000	3443	264	7.67	-21.68	30.69	0
20.	उड़ीसा	1996	458554	395896	86.34	-	-	362
		1997	421928	364723	86.44	-7.99	-7.87	377
		1998	478066	408509	85.45	13.30	12.01	349
		1999	483095	407942	84.44	1.05	-0.14	399
		2000	496350	417970	84.21	2.74	2.46	442
21.	पंजाब	1996	35742	1232	3.45	-	-	5
		1997	27632	150	0.54	-22.69	-87.82	0
		1998	5316	52	0.98	-80.76	-65.33	0
		1999	1113	36	3.23	-79.06	-30.77	0
		2000	493	25	5.07	-55.71	-30.56	1
22.	राजस्थान	1996	300547	72329	24.07	-	-	90
		1997	272670	19554	7.17	-9.28	-72.97	4
		1998	76438	10030	13.12	-71.97	-48.71	0
		1999	63154	5875	11.05	-30.46	-41.43	0
		2000	36973	3425	9.52	-32.32	-41.70	10
23.	सिक्किम	1996	49	2	4.08	-	-	0
		1997	38	3	7.89	-22.45	50.00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1998	15	2	13.33	-60.53	-33.33	0
		1999	14	2	14.29	-6.67	0.00	0
		2000	16	1	6.25	14.29	-50.00	0
24.	तमिलनाडु	1996	80586	4011	4.98	-	-	7
		1997	72426	3049	4.05	-10.13	-23.98	2
		1998	83916	2303	3.60	-11.75	-24.47	2
		1999	56366	2281	4.05	-11.81	-0.96	2
		2000	43063	1738	4.04	-23.62	-23.01	1
25.	त्रिपुरा	1996	9843	7112	72.25	-	-	16
		1997	18122	15491	85.48	84.11	117.81	10
		1998	12595	10507	83.42	-30.50	-32.17	5
		1999	14408	11889	82.52	14.39	13.15	11
		2000	12245	9623	78.59	-15.01	-19.06	6
26.	उत्तरांचल	1996	-	-	-	-	-	-
		1997	-	-	-	-	-	-
		1998	-	-	-	-	-	-
		1999	-	-	-	-	-	-
		2000	1854	342	18.45	-	-	0
27.	उत्तर प्रदेश	1996	169364	20974	12.38	-	-	0
		1997	134362	11023	8.20	-20.67	-47.44	11
		1998	112291	5407	4.82	-16.43	-50.95	0
		1999	99362	6434	5.48	-11.51	18.99	0
		2000	102306	6912	6.76	-	-	0
28.	पश्चिम बंगाल	1996	87886	14725	16.79	-	-	56
		1997	155209	23545	14.70	77.01	69.90	74
		1998	132088	25156	19.04	-14.90	6.84	77
		1999	227480	72755	31.98	72.22	189.22	144
		2000	145322	32455	22.34	-36.12	-55.38	103

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.	अ. एवं नि. द्वीप समूह	1996	1165	215	18.45	–	–	0
		1997	972	168	17.28	-16.57	-21.86	0
		1998	1247	183	14.68	28.29	8.93	0
		1999	937	182	19.42	-24.86	-0.56	2
		2000	1002	236	23.55	6.94	29.67	1
30.	चन्डीगढ़	1996	11196	84	0.75	–	–	0
		1997	4944	17	0.34	-56.84	-79.76	0
		1998	1675	6	0.36	-66.12	-64.71	0
		1999	456	18	3.95	-72.78	200.00	0
		2000	256	6	2.34	-43.86	-68.67	0
31.	दादर एवं नगर हवेली	1996	11968	2092	17.48	–	–	0
		1997	12007	2467	20.55	0.33	17.93	0
		1998	6225	2694	43.28	-48.16	9.20	0
		1999	3303	648	19.62	-46.94	-75.95	0
		2000	2415	282	11.68	-26.88	-66.48	0
32.	दमण एवं दीव	1996	2052	47	2.29	–	–	0
		1997	1062	15	1.41	-48.25	-68.09	0
		1998	525	19	3.04	-41.15	26.67	0
		1999	352	35	9.94	-43.68	84.21	0
		2000	132	5	3.79	-62.50	-85.71	0
33.	दिल्ली	1996	10562	682	6.46	–	–	0
		1997	8194	122	1.49	-22.42	-82.11	0
		1998	4050	16	0.40	-60.57	-86.89	0
		1999	3996	196	4.90	-1.33	1125.00	0
		2000	1916	31	1.62	-52.05	-84.10	0
34.	लक्षद्वीप	1996	0	0	–	–	–	0
		1997	2	0	0.00	–	–	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1998	4	0	0.00	100.00	–	0
		1999	1	0	0.00	–75.00	–	0
		2000	5	0	0.00	400.00	–	0
35.	पांडिचेरी	1996	281	2	0.71	–	–	0
		1997	210	0	0.00	–25.27	100.00	0
		1998	168	2	1.19	–20.00	–	0
		1999	149	2	1.34	–11.31	0.00	0
		2000	137	2	1.46	–8.05	0.00	0
	योग	1996	3035608	1170501	38.86	–	–	1010
		1997	2660057	1007365	37.87	–12.37	–14.50	879
		1998	2222748	1030159	46.35	–16.44	2.26	664
		1999	2284713	1141359	49.96	2.79	10.79	1048
		2000	1950765	1002171	51.37	–14.62	–12.19	940

*छत्तीसगढ़, झारखण्ड और उत्तरांचल राज्य के वर्ष 2000 में क्रमशः मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य से काट कर बनाए गए।

28/6/2001 पी: अनन्तिम

उपबंध-I

जापानी इन्सेफ्लाइटिस

क्र.सं.	राज्य	1998		1999		2000	
		मामले	मृत्यु	मामले	मृत्यु	मामले	मृत्यु
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	524	192	1036	203	343	72
2.	असम	26	6	11	2	158	69
3.	बिहार	0	0	0	0	77	19
4.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0
5.	गोवा	0	0	10	2	15	3
6.	गुजरात	0	0	0	0	0	0
7.	हरियाणा	19	16	121	56	74	43

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	कर्नाटक	306	50	679	98	438	45
9.	केरल	103	24	46	4	0	0
10.	महाराष्ट्र	2	0	0	0	164	2
11.	मणिपुर	28	1	42	2	0	0
12.	पंजाब	0	0	7	6	0	0
13.	तमिलनाडु	25	14	14	5	4	0
14.	उत्तर प्रदेश	1051	195	1371	275	1170	253
15.	पश्चिम बंगाल	36	9	91	27	148	50
	कुल	2120	507	3428	680	2593	556

वर्ष 1998 से भारत में काला-अजार की स्थिति

क्र.सं.	राज्य	1998		1999		2000	
		मामले	मृत्यु	मामले	मृत्यु	मामले	मृत्यु
1.	बिहार	12411	215	11627	277	12964	130
2.	दिल्ली	*35	*5	*84	*9	*84	*9
3.	सिक्किम	0	0	2	0	0	0
4.	तमिलनाडु	0	0	*1	0	0	0
5.	उत्तर प्रदेश	68	0	81	5	47	0
6.	पश्चिम बंगाल	113	6	1091	6	1244	11
	कुल	13627	226	12886	297	14339	150

*आयातित

डेंगू

राज्य	1998		1999		2000	
	मामले	मृत्यु	मामले	मृत्यु	मामले	मृत्यु
1	2	3	4	5	6	7
दिल्ली	333	05	168	02	180	02

1	2	3	4	5	6	7
हरियाणा	14	0	03	0	2	0
पंजाब	0	0	419	01	91	01
कर्नाटक	115	03	39	0	168	0
महाराष्ट्र	193	05	59	12	66	03
तमिलनाडु	33	05	135	02	81	1
उत्तर प्रदेश	0	0	028	0	0	0
गुजरात	0	0	92	0	29	0
राजस्थान	2	0	1	0	0	0
उड़ीसा	11	0	0	0	0	0
केरल	6	0	0	0	0	0
आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	5	0
गोवा	0	0	0	0	0	0
कुल	707	18	944	17	622	07

विवरण-II

राष्ट्रीय मलेरियारोधी कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1998-99, 1999-2000, और 2000-2001 के दौरान प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार विवरण

(रुपए लाख में)

राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	1998-99	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	482.93	322.86	644.11
अरूणाचल प्रदेश	186.61	303.27	293.79
असम	2170.42	2267.01	2657.87
बिहार	403.05	481.35	87.20
गोवा	7.72	10.93	0.97
गुजरात	611.11	489.04	211.23
हरियाणा	260.39	259.03	78.34
हिमाचल प्रदेश	51.47	46.11	89.06

1	2	3	4
जम्मू व कश्मीर	72.57	52.73	84.29
कर्नाटक	264.47	662.66	233.38
केरल	102.73	117.72	75.93
मध्य प्रदेश	454.49	893.40	711.54
महाराष्ट्र	260.26	282.97	286.74
मणिपुर	377.34	403.05	235.70
मेघालय	231.55	306.70	303.58
मिजोरम	172.53	309.56	235.26
नागालैंड	183.34	240.83	278.91
उड़ीसा	385.14	329.67	547.63
पंजाब	290.67	288.96	148.32
राजस्थान	1994.15	1146.16	286.86
सिक्किम	8.47	11.65	0.12
तमिलनाडु	240.72	392.31	133.91
त्रिपुरा	356.97	375.89	480.94
उत्तर प्रदेश	1121.92	622.18	544.11
पश्चिम बंगाल	330.90	296.36	454.47
दिल्ली	37.21	75.40	100.46
पांडिचेरी	6.15	10.32	13.55
अ. एवं नि. द्वीप.	155.68	116.46	231.76
चंडीगढ़	44.30	47.25	44.79
दा. एवं न. हवेली	24.90	25.94	18.12
दमण व दीव	10.08	16.42	9.90
लक्षद्वीप	5.24	5.81	5.57
कुल	11305.48	11210.00	9518.41
काला-अज़ार	1000.00	1000.00	1000.00
ई ए सी	3517.39	6064.95	7389.73
राज्य प्रचार रिसर्च	571.10	541.35	1271.41
कुल योग	16393.97	18816.30	19179.55

नवीन पेंशन योजना

1522. श्री प्रबोध पण्डा:
डॉ. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी:
श्री कालवा श्रीनिवासुलु:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का, सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन के संबंध में सभी पहलुओं की जांच करने के उद्देश्य से एक समिति गठित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान पेंशन-योजना में परिवर्तन करने के पीछे क्या कारण हैं;

(ग) क्या उन कर्मचारियों के लिए जो अक्तूबर, 2001 के बाद केन्द्र-सरकार की सेवाओं में आएंगे, पेंशन की एक नवीन प्रणाली को तैयार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (घ) वर्ष 2001-2002 के बजट-भाषण में वित्त मंत्री ने यह बताया था कि केन्द्रीय सरकार की पेंशन संबंधी देयता, वहन नहीं किए जा सकने की सीमा तक पहुंच गई है। अत: उन्होंने पेंशन की मौजूदा प्रणाली की समीक्षा करने और परिभाषित अंशदानों के आधार पर, एक नए पेंशन-कार्यक्रम के संबंध में, सरकार द्वारा उठाए जाने वाले अगले कदमों का एक खाका मुहैया करवाने की दृष्टि से, पेंशन के बारे में, एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ-दल गठित करना प्रस्तावित किया। पेंशन की नई प्रणाली, अक्तूबर 01, 2001 के बाद केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में आने वाली कर्मचारियों के संबंध में संकल्पित की गई है। पेंशन की नई प्रणाली का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इसे अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

भारत और खाड़ी देशों के संबंध

1523. श्री के.पी. सिंह देव: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाड़ी देशों के साथ संबंधों में और सुधार लाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) जी, हां। पहले से मौजूद अच्छे संबंधों को और अधिक विकसित करने की दृष्टि से खाड़ी के देशों की कई उच्च स्तरीय यात्राएं की गई हैं। हाल ही में, भारत के कई मंत्रियों जैसे कि विदेश मंत्री, विदेश राज्य मंत्री, लघु उद्योग राज्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री और वाणिज्य राज्य मंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए खाड़ी के देशों की यात्राएं की। इराक के उप राष्ट्रपति नवम्बर-दिसम्बर, 2000 में भारत की यात्रा पर आए और जुलाई, 2001 में इराक के परिवहन एवं संचार मंत्री भारत आए। इन यात्राओं के दौरान कई करार तथा समझौता ज्ञापन सम्पन्न किए गए।

भारत और खाड़ी देशों के बीच व्यापार एवं निवेश से सम्बद्ध कई व्यापार शिष्टमंडलों का आदान-प्रदान हुआ। इस वर्ष के अंत में और अगले वर्ष के प्रारम्भ में कई उच्च स्तर की यात्राओं के आदान-प्रदान का प्रस्ताव है।

(ग) लागू नहीं है।

हज यात्री

1524. श्री सुरेश कुरूप: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान, केरल के लिए हज यात्रियों का कोटा कितना रहा;

(ख) क्या यह राज्य की मुस्लिम आबादी के अनुपात के अनुसार ही था;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस राज्य से हज यात्रियों का कोटा बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान, केरल के लिए हज यात्रियों का कोटा इस प्रकार रहा:-

वर्ष	आबंटित कोटा
1	2
1997	3,481
1998	3,481

1	2
1999	4,092
2000	4,092
2001	4,476

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

'सुपर कम्प्यूटर' का विकास

1525. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सुपर कम्प्यूटरों के विकास के विषय में ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने 'सुपर कम्प्यूटर' के विकास हेतु विशेष निधि आबंटित की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (तत्कालीन इलेक्ट्रानिकी विभाग), भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक स्वायत्त वैज्ञानिक संस्था के रूप में उन्नत अभिकलन विकास केन्द्र की स्थापना मंत्रिमण्डल के अनुमोदन से मार्च, 1998 में की गई थी और 1000 मेगाफ्लॉप की चरम क्षमता की कम्प्यूटर प्रणाली के निर्माण के उद्देश्य के साथ इसका पहला मिशन शुरू हुआ था। सुपर कम्प्यूटर के क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) सुपर कम्प्यूटर का विकास करने के लिए सी-डैक को आबंटित की गई राशि का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

पर्यावरण मॉडलिंग, मौसम पूर्वानुमान, भूकम्पीय आंकड़ों का संसाधन, दावाग्नि विश्लेषण, संरचनात्मक तंत्र, अंतरिक्ष यान/वायुयान डिजाइन, आणविक मॉडलिंग तथा जैव सूचना विज्ञान जैसे विज्ञान और इंजीनियरी की गहन अभिकलन वाली प्रमुख समस्याओं का समाधान करने के लिए सुपर कम्प्यूटरों की आवश्यकता होती है। उच्च निष्पादन अभिकलन प्रौद्योगिकियों एवं अनुप्रयोगों के क्षेत्र में समस्याओं को आमतौर पर बड़ी चुनौती के रूप में देखा जाता है। तदनुरूप इसके अनुप्रयोग रक्षा एवं सिविल दोनों ही क्षेत्रों में सुपर कम्प्यूटिंग प्रणालियों तथा प्रौद्योगिकियों के प्रयोग की दोहरी प्रकृति के कारण कई देशों, मुख्यत: संयुक्त राज्य अमेरिका, द्वारा इनके निर्यात को नियंत्रित किया जाता है।

मौसम पूर्वानुमान तथा इसी प्रकार के अन्य अनुप्रयोगों में इनकी आवश्यकता के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पहले इन प्रणालियों को भारत को न देने के संदर्भ में, भारत सरकार ने इस क्षेत्र में स्वदेशी क्षमता का निर्माण करने तथा विभिन्न अनिवार्यताओं को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भरता विकसित करने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर एक पहल शुरू करने का निर्णय किया।

तदनुसार, तत्कालीन इलेक्ट्रानिकी विभाग, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में मंत्रिमंडल के अनुमोदन से मार्च, 1998 में उन्नत अभिकलन विकास केन्द्र (सी-डैक) की स्थापना की गई।

सी-डैक ने अपने कार्यकलाप मिशन मोड के रूप में शुरू किए थे और हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर की आधारभूत प्रौद्योगिकियों के समानान्तर संसाधक प्रौद्योगिकियों का विकास करते हुए तीन वर्ष की समयावधि में 1000 मेगाफ्लाप की उच्चतम अभिकलन क्षमता का निर्माण करने के साथ इसका प्रथम मिशन शुरू हुआ। पहला मिशन तथा निर्धारित अवधि में वर्ष 1991 में परम - 8000 समानान्तर संसाधक प्रौद्योगिकी पर आधारित भारत के पहले सुपर कम्प्यूटर की डिलीवरी के साथ समाप्त हुआ। इसमें संसाधक बोर्ड, स्विच एवं प्रणाली सॉफ्टवेयरों एवं साधनों का विकास करना शामिल था।

पहले मिशन की सफलता के पश्चात सरकार ने पहले मिशन में विकसित प्रणाली से 100 गुनी अधिक क्षमता की प्रणाली का विकास करने के लिए, सी-डैक में वर्ष 1993 में 5 वर्ष की अवधि का दूसरा मिशन शुरू किया था। सी-डैक ने पुन: वर्ष 1998 में 100 गीगाफ्लॉप उच्चतम क्षमता की परम 10000 प्रणाली की डिलीवरी की। इसे जापान के पश्चात् सम्पूर्ण एशिया में सर्वाधिक शक्तिशाली प्रणाली माना गया है।

चूंकि इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी बहुत तेजी से बदल रही है अत: हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकियों के साथ गति बनाए रखने तथा देश में पर्याप्त विशेषज्ञताओं का निर्माण करने के लिए इस क्षेत्र में विकास कार्यों को जारी रखने की आवश्यकता महसूस की गई। परिणामस्वरूप वर्ष 1999 के आरम्भ में अगली पीढ़ी की उच्च अभिकलन क्षमता तथा संचार प्रौद्योगिकियों एवं अनुप्रयोगों पर कार्य करने के लिए सी-डैक का तीसरा मिशन शुरू किया गया है जिसकी अवधि साढ़े तीन वर्ष है। यह आशा की

जाती है कि हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर के क्षेत्र में विकसित की जा रही कुछ नई तथा समकालीन प्रौद्योगिकियों के आधार पर टेरा फ्लॉप स्तर की अभिकलन क्षमता वाली एक नई प्रणाली का विकास किया जाएगा। इस मिशन के अंतर्गत विज्ञान एवं इंजीनियरी के क्षेत्रों के साथ-साथ व्यवसाय के क्षेत्र में विभिन्न अनुप्रयोगों का विकास कार्य भी किया जा रहा है।

समानान्तर संसाधक प्रौद्योगिकी एवं इसके अनुप्रयोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, इस क्षेत्र में कुशल जनशक्ति का विकास करने और इसके अनुसरण में अनुसंधान को सहायता देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत के 12 अग्रणी शैक्षिक संस्थानों के लिए परम 10000 के एक निश्चित विन्यास की आपूर्ति करने के लिए एक परियोजना प्रायोजित की है। सी-डैक ने इस परियोजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है एवं 11 प्रतिष्ठापनों को पहले ही कर दिया गया हैं तथा 100 से अधिक विभिन्न परियोजनाओं की पहचान कर ली गई है जिनमें 200 से अधिक वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं।

इन विकास कार्यों ने अखिल विश्व का ध्यान आकर्षित किया है और भारत विश्व के उन चुनिंदा देशों में से एक हो गया है जिन्होंने इस क्षमता को विकसित कर लिया है।

इन विकास कार्यों के परिणामस्वरूप सी-डैक ने आज तक भारत एवं विश्व में परम सुधार कम्प्यूटर की 52 अलग-अलग श्रेणियां की आपूर्ति की है। ये प्रणालियां रूप, जर्मनी, कनाडा तथा सिंगापुर को निर्यात की गई हैं।

चूंकि ऐसी प्रणालियां विभिन्न प्रकार के प्रयोक्ताओं के लिए अपेक्षित होती हैं, अतः इस क्षेत्र में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, परमाणु ऊर्जा विभाग (बार्क) तथा सीएसआईआर (राष्ट्रीय वातरिक्ष प्रयोगशालाएं) में भी कार्य शुरू किए गए। इन स्थानों पर किए जा रहे कार्य मुख्यतः उनकी स्वयं की आवश्यकताओं के लिए हैं।

विवरण-II

सुपर कम्प्यूटर के विकास के लिए सी-डैक को आबंटित निधियों के ब्यौरे

मिशन	अवधि	कुल परिव्यय (करोड़ रुपए में)
प्रथम मिशन	1988-91	31.00
द्वितीय मिशन	1993-98	48.00 (सी-डैक के 8 करोड़ रुपए शामिल हैं।)
तृतीय मिशन	1999-2002	49.50 (सी-डैक के 10 करोड़ रुपए शामिल हैं।)

[हिन्दी]

पर्वतीय क्षेत्र-भत्ते में अंतर

1526. श्री पी.आर खूंटे: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सशस्त्र बलों के कर्मियों और वायुसेना कर्मियों को दिए जाने वाले पर्वतीय क्षेत्र-भत्ते की राशि में अंतर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का वायुसेना कर्मियों को भी सशस्त्र बलों के अन्य स्कंधों के समान पर्वतीय क्षेत्र-भत्ता देने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) सशस्त्र सेना कार्मिकों पर पर्वतीय क्षेत्र-भत्ता नामक कोई भत्ता लागू नहीं है। तथापि, इस संबंध में शर्तों को पूरा करने पर तीनों सेनाओं के लिए समान दर से संयुक्त पर्वतीय प्रतिपूरक भत्ता स्वीकार्य है।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

शैक्षिक संस्थाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण

1527. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग ने केन्द्र सरकार से सेवाओं और शैक्षिक संस्थाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने पर विचार करने का अनुरोध किया है; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, हां।

(ख) मामला सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

भारत-विदेश सांस्कृतिक संबंध के बारे में प्रकाशन

1528. श्री रामशकल: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत-विदेश सांस्कृतिक संबंध विषय पर प्रकाशित की जा रही पत्र-पत्रिकाओं की कुल संख्या कितनी है;

(ख) गत चार वर्षों के दौरान इस उद्देश्य के लिये कितना बजटीय प्रावधान किया गया है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितनी पत्र-पत्रिकायें प्रकाशित की गई?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने और भारत तथा अन्य देशों के बीच सांस्कृतिक समझबूझ संवर्द्धित करने के उद्देश्य से भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आई सी सी आर) सात त्रैमासिक पत्रिकाएं और अनेक पुस्तकें प्रकाशित करती हैं।

(ख) पिछले चार वर्षों के दौरान बजट प्रावधान:-

1. 1997-1998	42.00 लाख रुपए
2. 1998-1999	45.00 लाख रुपए
3. 1999-2000	38.00 लाख रुपए
4. 2000-2001	39.50 लाख रुपए

(ग) पिछले चार वर्षों के दौरान आई सी सी आर ने विभिन्न भाषाओं में प्रति वर्ष सात त्रैमासिक पत्रिकाएं प्रकाशित की यथा:

अंग्रेजी भाषा	दो
अरबी	एक
स्पेनिश	एक
फ्रेंच	एक
जर्मन	एक
हिन्दी	एक

पिछले चार वर्षों के दौरान प्रकाशित पुस्तकों की कुल संख्या छह है।

नई बटालियनों की स्थापना

1529. श्री महेश्वर सिंह:
श्री सुरेश चन्देल:
श्री सुबोध राय:
श्री स्वदेश चक्रवर्ती:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की योजना पूर्वोत्तर पर्वतीय राज्यों के लोगों की सहायता के लिए 25,000 सैनिकों की टुकड़ी वाले राष्ट्रीय राइफल्स की कुछ नई बटालियन और जाट/गोरखा रेजीमेंट की तर्ज पर हिमालयन रेजीमेंट की स्थापना का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस नई स्थापना पर संभावित आवर्ती और अनावर्ती व्यय कितना है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस टाले जाने वाले व्यय को भुखमरी और गरीबी से लड़ने के लिए विकास परियोजनाओं में खर्च करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) से (ङ) सरकार ने 2000-2001 से शुरू करके 2004-2005 तक प्रतिवर्ष छह बटालियनों की दर से पांच वर्ष की अवधि में, राष्ट्रीय राइफल्स की तीस नई बटालियनें खड़ी करने के एक प्रस्ताव को, जो बटालियनें वास्तविक रूप से खड़ी करने से पहले हर वर्ष वार्षिक समीक्षा किए जाने के अध्यधीन हैं, सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित कर दिया है। ये नई बटालियनें उन नियमित सेना यूनिटों को भारमुक्त करने के लिए खड़ी की जा रही हैं, जिन्हें जम्मू-कश्मीर राज्य में अर्द्ध-सैन्य बलों के साथ प्रति-विद्रोही ड्यूटी के लिए तैनात किया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए हिमालयी रेजिमेंट खड़ी करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इन बटालियनों को आयोजनानुसार खड़ी करने का प्रारंभिक प्रत्याशित व्यय 575 करोड़ रुपए है और वार्षिक रख-रखाव का व्यय 545 करोड़ रुपए है। यह व्यय राष्ट्र की सुरक्षा के संदर्भ में अनिवार्य होने के कारण इससे बचा नहीं जा सकता। तथापि, इस व्यय से उन विकास परियोजनाओं को नुकसान नहीं पहुंचेगा, जिन्हें उनके महत्व और प्राथमिकता को देखते हुए धन मुहैया किया जा रहा है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में कृषि उत्पाद उद्योग

1530. **भर्तृहरि महताब:** क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का उड़ीसा राज्य में कृषि उत्पादों पर आधारित ग्रामीण उद्योगों के विकास का कोई कार्यक्रम/प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) औद्योगिकीकरण संबंधित राज्य सरकारों का विशिष्ट उत्तरदायित्व है और केन्द्र सरकार इस प्रयास में राज्य सरकारों की पूरक है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, खादी और ग्रामोद्योगों के संवर्धन और विकास हेतु अनुदान, ब्याज सब्सिडी, छूट, प्रशिक्षण, विपणन आदि के रूप में सहायता प्रदान करता है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग देश में उड़ीसा राज्य सहित ग्रामीण उद्योगों, जिसमें कृषि उद्योग भी शामिल है, स्थापित करने हेतु मार्जिन मनी योजना का भी क्रियान्वयन कर रहा है। यह योजना राष्ट्रीयकृत बैंकों, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्डों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आदि के माध्यम से क्रियान्वित की जाती हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग 10 लाख रुपये तक की परियोजना लागत पर 25% की दर से मार्जिन मनी सहायता प्रदान करता है, और 10 लाख रु. से अधिक तथा 25 लाख रु. तक की परियोजना लागत पर 10% की दर से परियोजना की शेष लागत पर अतिरिक्त मार्जिन मनी प्रदान करता हैं।

क्रस्नोपोल गोलों की क्षमता

1531. **श्री कमलनाथ:**
श्री जे.एस. बराड़:
श्री रामजीवन सिंह:
श्री दिनेश चन्द्र यादव:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मूल्य निर्धारण समिति द्वारा 1000 राउंड के गोलों की कीमत 140 करोड़ रुपए निर्धारित करने की सिफारिश के बावजूद कारगिल संघर्ष के फलस्वरूप भारत द्वारा खरीदे गए क्रस्नोपोल लेजर गाइडेड 155 एम.एम. गोलों की कीमत 10 करोड़ रुपए बढ़ा दी गई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि पोखरण में परीक्षण टेस्ट के समय क्रस्नोपोल गोलों का निष्पादन ठीक था लेकिन जम्मू-कश्मीर में अत्यधिक ऊंचाई वाले स्थानों में असफल हो गया;

(घ) क्या यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि इस लेजर गाइडेड गोले की क्षमता पर्वतीय क्षेत्रों में बेहतर होगी;

(ङ) क्या उसके बाद से इन गोलों का परीक्षण किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम क्या निकला?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) क्रस्नोपोल गोलाबारूद के चरण-I के परीक्षण पोखरण फील्ड फायरिंग रेंजों में 22 से 23 फरवरी, 1999 तक किए गए थे तथा ये परीक्षण सफल रहे थे। चूंकि 3000 मीटर से अधिक ऊंचाइयों के लिए रूसियों के पास रेंज सारणी उपलब्ध नहीं थे, अत: चरण-II के परीक्षण फरवरी-मार्च, 1999 में कारगिल के निकट कुरबाथांग फील्ड फायरिंग रेंजों में आयोजित किए गए थे। ये परीक्षण असफल रहे थे। रूसियों द्वारा 3000 मीटर से अधिक की ऊंचाइयों के लिए रेंज सारणी का संकलन किए जाने के पश्चात् अक्तूबर, 1999 में वैधीकरण फायरिंग की गई थी। नवंबर, 1999 में लेह के निकट माहे रेंजों में किए गए क्रस्नोपोल गोलाबारूद के चरण-IV के परीक्षण सफल रहे थे।

(घ) क्रस्नोपोल गोलाबारूद के उच्च तुंगता क्षेत्रों में सफलतापूर्वक परीक्षण मूल्यांकन किए जाने के पश्चात् ही इन्हें अधिप्राप्ति के लिए स्वीकार किया गया था। सेना द्वारा इसे सेना में शामिल किए जाने के लिए इसकी सिफारिश की गई थी।

(ङ) और (च) उच्च तुंगता क्षेत्रों में उसके बाद कोई परीक्षण किए जाने की आवश्यकता नहीं रही है। तथापि, मैदानी क्षेत्रों में इस गोलाबारूद की बाद की फायरिंग सफल रही है।

विजाग विमानपत्तन की धावनपट्टी का निर्माण

1532. **डा. मन्दा जगन्नाथ:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रक्षा विभाग द्वारा विजाग विमानपत्तन पर 10,000 फुट की धावनपट्टी के निर्माण को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कराए गए तकनीकी आर्थिक अध्ययन के क्या निष्कर्ष थे;

(ग) अंतिम फैसला कब तक लिए जाने की संभावना है और कार्य कब तक शुरू हो जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रौद्योगिकी-आर्थिक अध्ययन करने वाली एजेंसी ने हस्तांतरित की जाने वाली भूमि का सीमांकन पूरा कर लिया है तथा अपेक्षित एप्रोच फनल चार्ट प्रस्तुत कर दिया है।

(ग) और (घ) इस समय जिन विभिन्न मुद्दों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है उन पर नौवहन एवं परिवहन मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, विशाखापट्टनम पत्तन न्यास तथा आंध्र प्रदेश सरकार के साथ परामर्श करके उनके निबटारे के बाद, अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

[हिन्दी]

आयुर्वेदिक दवाओं का संरक्षण/उत्पादन

1533. श्रीमती जसकौर मीणा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा आयुर्वेदिक दवाओं के संरक्षण और उनका उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं;

(ख) क्या हमारे देश में कई जड़ी-बूटियों संबंधी औषधियों की प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) भारतीय चिकित्सा पद्धति की आयुर्वेदिक और अन्य औषधियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए शुरू किए गए उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- सरकारी औषधालयों और अस्पतालों के लिए अनिवार्य औषध सूची के अनुरूप औषधें प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करके भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की औषधों (आयुर्वेदिक औषधों सहित) के उपयोग की नीति स्तर का समर्थन देना।
- राज्य फार्मेसियों की उनके बुनियादी ढांचे के नवीकरण और उन्नयन के लिए सहायता करना जिसका अन्य बातों के साथ-साथ गुणवत्ता वाली औषधों के उत्पादन पर लाभदायक प्रभाव होगा।
- औषधीय पादप बोर्ड स्थापित करना जो अच्छी गुणवत्ता की कच्ची सामग्री की आपूर्ति बढ़ाने की आवश्यकता पर ध्यान देगा ताकि औषधों के मानक और प्रभावकारिता में सुधार हो सके जिसके बदले में अन्तिम उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देते समय जंगल में पाए जाने वाले पादपों के परिरक्षण को बढ़ाने की आशा है।

(ख) और (ग) भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण ने एक रेड डाटा बुक तैयार की है जिसमें औषधीय पादपों सहित पादपों की संकटापत्र प्रजातियों को सूचीबद्ध किया गया है। संकटापत्र 29 औषधीय पादपों की एक सूची निर्यात की नकारात्मक सूची में शामिल कर ली गई है। जंगल से प्राप्त किए गए पदार्थों, पादप-भागों और इन पादपों में से तैयार किए गए संजातों (डिरिवेटिव्ज) और अर्कों का निर्यात किए जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। इन संकटापत्र औषधीय पादप प्रजातियों को लुप्त होने से बचाने के लिए ऐसी प्रजातियों को जंगल से निकाले जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। औषधीय पादप उद्यान स्थापित और कृषि-तकनीकों का विकास करके ऐसी औषधीय पादपों की बाह्य स्थाने खेती-बाड़ी करने और विकास करने के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

धर्म प्रमुख का चीन दौरा

1534. प्रो. आर.आर. प्रमाणिक: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन ने एक भारतीय धार्मिक ग्रुप के प्रमुख को आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का चीन के इस दृष्टिकोण के आदान-प्रदान का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) सरकार को इस बात की जानकारी है कि काशी के शंकराचार्य को चीन के एक गैर-सरकारी संगठन-द-चाइनीज एसोसिएशन फॉर इंटरनेशनल फ्रेंडली कान्टेक्ट (सी ए आई एफ सी) द्वारा अक्तूबर, 2001 में चीन की यात्रा करने का निमंत्रण दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अवर सचिवों के पैनल को अंतिम रूप दिया जाना

1535. श्री जे.एस. बराड़: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1987 और 1988 के आधार पर ही केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अवर सचिवों के 1989 और 1990 के पैनल को अंतिम रूप दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पैनल को अधिसूचित कर दिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं; और

(ङ) इनकी अधिसूचना कब तक किए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ङ) संघ-लोक-सेवा-आयोग के परामर्श से, अंतिम रूप से तैयार किए गए, केन्द्रीय सचिवालय-सेवा के अवर सचिवों के वर्ष, 1989 और वर्ष, 1990 के पैनल अधिसूचित कर दिए गए हैं।

[हिन्दी]

उच्च शिक्षा के लिए सहायता

1536. श्री रामटहल चौधरी: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पिछड़े वर्गों को उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) लाभार्थियों की संख्या कितनी है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उनको राज्यवार उपलब्ध करायी गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के चयन हेतु क्या मानदंड अपनाया गया है; और

(ङ) गत वर्ष के दौरान इस संबंध में राज्यवार कितने आवेदन प्राप्त हुए और मंजूर किये गये?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, हां। भारत सरकार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एन.बी.सी.एफ.डी.सी.) के माध्यम से शिक्षा ऋण की योजना कार्यान्वित कर रही है।

(ख) से (घ) विवरण संलग्न है।

(ङ) दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र छात्र अपने-अपने राज्य के माध्यम एजेंसियों (एस.सी.ए.) को ऋण आवेदन प्रस्तुत करते हैं तथा राज्य के माध्यम एजैंसियों (एस.सी.ए.) द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम से निधियों के आहरण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं। पिछले वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत दो राज्य माध्यम एजेंसियों ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम को ऋण प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जो कि केरल द्वारा 483.70 लाख रु. तथा उत्तर प्रदेश द्वारा 100.00 लाख रुपए का ऋण आहरण के लिए अनुमोदित किए गए थे।

विवरण

शिक्षा ऋण योजना

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम ने सामान्य/व्यावसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रमों या स्नातक तथा उच्चतर स्तर पर प्रशिक्षण के लिए गरीबी की रेखा के दोगुने से नीचे रहने वाले पिछड़े वर्गों के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु शैक्षिक ऋण योजना शुरू किया है।

पात्रता

1. छात्रों को केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित पिछड़े वर्गों का होना चाहिए।
2. आवेदक छात्र की पारिवारिक आय 42,412/-रु. (गरीबी की रेखा का दोगुना) से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3. छात्र का चालू सत्र के दौरान किसी संस्थान के पाठ्यक्रम में दाखिला होना चाहिए तथा उस संस्थान को ए.आई.सी.टी.ई., भारतीय चिकित्सा परिषद् आदि, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।

ऋण की सीमा

अधिकतम ऋण सीमा प्रति छात्र प्रतिवर्ष 75000/- रु. है, जो कि समस्त पाठ्यक्रम के लिए अधिकतम 3.00 लाख अथवा वास्तविक व्यय, जो भी कम हो, के अधीन होगी।

ब्याज दर

समय पर अदायगी पर 0.5% की छूट के साथ 4.5% प्रतिवर्ष।

अदायगी का तरीका

वसूली पाठ्यक्रम पूरा होने के 6 महीने के बाद या रोजगार/स्वरोजगार पाने पर, जो भी पहले हो, शुरू होगी।

कुल वसूली अवधि 5 वर्षों की मासिक किस्तों में होगी।

इस योजना के अंतर्गत ऋण पाने के इच्छुक पात्र छात्र अपने राज्य माध्यम एजेंसियों से सम्पर्क कर सकते हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्मुक्त राशि के ब्यौरे तथा सहायता प्रदत्त छात्रों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	1998-99		1999-2000		2000-2001	
		राशि (रुपए)	छात्रों की सं.	राशि (रुपए)	छात्रों की सं.	राशि (रुपए)	छात्रों की सं.
1.	बिहार	शून्य	शून्य	54,864.00	1	शून्य	शून्य
2.	मध्य प्रदेश	59,130.00	2	33,210.00	2	15,390.00	2
3.	पांडिचेरी	11,009.00	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	तमिलनाडु	2,45,345.00	8	72,280.00	8	47,764.00	8

[अनुवाद]

स्वास्थ्य देख-रेख प्रणाली/एच.आई.वी. कार्यक्रम

1537. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र आम सभा के विशेष सत्र ने स्वास्थ्य देख-रेख प्रणाली को सुदृढ़ बनाने और एच.आई.वी. संबंधित दवाओं के विकास के लिए वर्ष 2003 को लक्ष्य वर्ष निर्धारित करने वाली प्रतिबद्धताओं के घोषणा पत्र के मसौदे को मंजूर किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) जी, हां। ब्यौरा इस प्रकार है:-

2003 तक स्वास्थ्य परिचर्या पद्धति को सुदृढ़ करने के लिए सरकारों और संगत अन्तर्राजकीय संगठनों एवं सिविल समाज तथा व्यापार क्षेत्र सहित क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा समर्थित राष्ट्रीय कार्यनीतियां सुनिश्चित करना और एंटि-रेट्रोवायरल औषधों के साथ-साथ एच.आई.वी. से संबद्ध औषधों के साथ-साथ वहनीयता और मूल्य निर्धारण जिसमें विशिष्ट मूल्य निर्धारण शामिल है, की व्यवस्था और तकनीकी तथा स्वास्थ्य परिचर्या पद्धतियों की क्षमता को प्रभावित करने वाले पहलुओं पर ध्यान देना।

(ग) 25-27 जून, 2001 को एच.आई.वी. एड्स पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र में पारित की गई वैश्विक एच.आई.वी. एड्स और स्वास्थ्य विधि के बारे में संयुक्त राष्ट्र घोषणा पर भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है।

कर्नाटक में अनुमोदित और मान्यताप्राप्त दंत चिकित्सा महाविद्यालय

1538. श्री कोलूर बसवनागौड: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् द्वारा केन्द्र सरकार के पास वर्ष 2001 से 2002 तक विभिन्न बैचों के लिए अनुमति के

नवीनीकरण हेतु कर्नाटक में कितने दंत चिकित्सा महाविद्यालयों की अनुशंसा की गई है;

(ख) भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् द्वारा अब तक कर्नाटक में कितने दंत चिकित्सा महाविद्यालय को मान्यता दी गई है और अनुमोदित किया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा कितने दंत चिकित्सा महाविद्यालयों को मंजूरी नहीं मिली है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) वर्तमान वर्ष के दौरान अभी तक भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् द्वारा 2001-2002 के लिए बी.डी.सी. पाठ्यक्रम हेतु अनुमति के नवीकरण की सिफारिश 4 डेंटल कालेजों के लिए की गई है।

(ख) भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार कर्नाटक में मान्यता प्राप्त/अनुमोदित डेंटल कालेजों की संख्या इस प्रकार है:-

- मान्यता प्राप्त डेंटल कालेजों की संख्या - 27
- अनुमोदित डेंटल कालेजों की संख्या - 13

(ग) भारतीय दंत चिकित्सा से नवीकरण की अनुमति न मिलने या उसकी प्रतिकूल सिफारिश अथवा कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्देशों के कारण 2001-2002 के लिए 5 कालेजों की अनुमति नहीं दी गई।

केरल में नारियल जटा उद्योग में संकट

1539. **श्री वरकला राधाकृष्णन:** क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल में नारियल जटा उद्योग संकट का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा उस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार के सामने रबरीकृत नारियल जटा उद्योग के विकास के लिए कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण-विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) क्योंकि रबराइज्ड कॉयर उद्योग पहले ही देश में अपनी जड़े जमा चुका है, अत: इस संबंध में कोई नया प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

कुडानकुलम विद्युत परियोजना

1540. **श्री टी.एम. सेल्वागनपति:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड को तमिलनाडु के कुडानकुलम में प्रस्तावित नाभिकीय ऊर्जा परियोजना पर एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो ए.ई.आर.बी. की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, हां।

(ख) परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड को ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमें कुडानकुलम परियोजना का प्रारम्भिक सुरक्षा विश्लेषण भी शामिल है। बोर्ड इस समय इस परियोजना के सुरक्षा संबंधी पहलुओं की पुनरीक्षा कर रहा है।

[हिन्दी]

इंटरनेट का प्रचार प्रसार

1541. **श्री भेरूलाल मीणा:** क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेट सेवाओं को प्रोत्साहित करने का है;

(ख) यदि हां, तो राजस्थान के वे बड़े शहर कौन-कौन से हैं जिनकों अन्तर्राष्ट्रीय गेट्वे हब द्वारा जोड़े जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस संबंध में कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत संचार निगम लि. ने सभी गौण स्विचन क्षेत्रों तथा जिला मुख्यालयों में इंटरनेट नोड स्थापित किए हैं तथा इन्हें राजस्थान में राष्ट्रीय इंटरनेट बैकबोन (एन.आई.बी.) से जोड़ा है। राष्ट्रीय इंटरनेट बैकबोन (एन.आई.बी.) को दिल्ली, बंगलौर, मुंबई, कोलकाता, चेन्नै तथा पुणे स्थित बी.एस.एन.एल. अन्तर्राष्ट्रीय गेटवे के जरिए अंतर्राष्ट्रीय सम्पर्क प्राप्त हैं। राजस्थान में किसी अन्तर्राष्ट्रीय गेटवे योजना नहीं है।

इसके अतिरिक्त, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा तथा अलवर में इंटरनेट के लिए अंतर्राष्ट्रीय गेटवे स्थापित करने के लिए इन्टरनेट सेवा प्रदाताओं को सिद्धांततः अनुमति दी गई है।

[अनुवाद]

नाभिकीय परियोजनाओं की पक्वनावधि

1542. डा. वी. सरोजा: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नाभिकीय, विद्युत परियोजनाओं की पक्वनावधि को घटाए जाने के कोई प्रयास किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) जी, हां। परमाणु विद्युत परियोजनाओं के पूरा बनकर तैयार होने में लगने वाली समयावधि को कम करने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं:

- मानकीकृत डिजायनों का प्रयोग करना।
- परियोजना के निर्माण कार्य को शुरू करने से पहले उसके डिजायन और अभियांत्रिकी को पूरा करना।
- उद्योग द्वारा प्राप्त किए गए महत्वपूर्ण अनुभव के संदर्भ में उपस्करों/संघटकों को समय से निर्मित करना। जिन उपस्करों की सुपुर्दगी में लम्बा समय लगता है, उनका प्रापण अग्रिम रूप से करना।
- उपयुक्त आपूर्ति एवं स्थापन/बड़े आकार वाले इंजीनियरी प्रापण निर्माण (ई.पी.सी.) पैकेज अपनाना।
- यंत्रीकृत निर्माण पद्धतियों का प्रयोग करना।
- प्रभावी मानीटरन और नियंत्रण तथा समय पर सुधारक कार्रवाई करने के लिए परियोजना प्रबन्धन तकनीकों को सुदृढ़ करना।

(ग) लागू नहीं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए योजनाएं

1543. श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के आर्थिक विकास हेतु कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान विभिन्न राज्यों में विशेष संघटक योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को राज्य-वार कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, हां।

(ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए कार्यान्वित योजनाओं/कार्यक्रमों की सूची विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ग) जनजातीय उप-योजना की कार्यनीति अनुसूचित जनजातियों का तीव्र आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई थी। इसी प्रकार, विशेष संघटक योजना की कार्यनीति अनुसूचित जातियों का तीव्र आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई थी।

जनजातीय उप-योजना तथा विशेष संघटक योजना निधियों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास उपलब्ध योजना निधि में से राज्यों/

संघ राज्य क्षेत्रों में क्रमशः अनसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति जनसंख्या के प्रतिशत के अनुपात में निर्धारित किया जाता है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विशेष केन्द्रीय सहायता उनकी जनजातीय उप-योजना तथा विशेष संघटक योजना के एक योजना के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जनजातीय उप-योजना तथा विशेष संघटक योजना के योगज के रूप में निर्मुक्त विशेष केन्द्रीय सहायता के ब्यौरे को दर्शाने वाला ब्यौरा क्रमशः विवरण-II तथा III में दिए गए हैं।

विवरण-I

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए तैयार की गई/कार्यान्वित योजनाओं की सूची

अनुसूचित जातियों के लिए योजनाएं

1. अनुसूचित जातियों की विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता
2. अनुसूचित जातियों के लिए विशेष शिक्षा विकास कार्यक्रम
3. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
4. सिविल अधिकार संरक्षण तथा अत्याचार
5. अनुसूचित जाति के लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास
6. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम
7. राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम
8. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम
9. पुस्तक बैंक
10. सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुनर्वास
11. मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति
12. कोचिंग और सम्बद्ध
13. अनुसूचित जातियों की अखिल भारतीय स्वरूप का परियोजना को समर्थन (अनुसंधान और प्रशिक्षण)
14. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की योग्यता का उन्नयन
15. अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक बहुल जिलों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता।
16. राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति।

अनुसूचित जनजाति के लिए योजनाएं

1. आदिवासी उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता
2. संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के प्रथम परन्तुक के अंतर्गत अनुदान
3. आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण
4. राज्य आदिवासी विकास सहकारी निगम को लघु वन उत्पाद के लिए सहायतानुदान
5. आदिम जनजाति समूहों का विकास
6. अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
7. अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए कार्य कर रही स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान
8. अनुसूचित जनजाति के छात्रों की योग्यता का उन्नयन
9. आदिवासी क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के विकास के लिए कम साक्षरता वाले पाकेटों में शैक्षिक परिसर
10. अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए छात्रावास
11. अनुसूचित जनजाति के लड़कों के लिए छात्रावास
12. आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों की स्थापना
13. आदिवासी अनुसंधान संस्थाओं को अनुदान
14. अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पुस्तक बैंक योजना
15. अनुसूचित जनजाति के लिए कोचिंग और सम्बद्ध योजनाएं
16. ग्रामीण अन्न बैंक योजना
17. राज्य आदिवासी विकास वित्त निगम
18. अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना

विवरण-II

वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 के दौरान अनुसूचित जनजातियों से संबंधित जनजातीय उप-योजना को निर्मुक्त विशेष केन्द्रीय सहायता

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999-2000 निर्मुक्त	2000-2001 निर्मुक्त	2001-2002 निर्मुक्त
1.	आन्ध्र प्रदेश	2182.90	2182.94	910.93
2.	असम	2443.50	2443.50	1019.66
3.	बिहार	4779.10	1711.06	185.52
4.	गुजरात	3140.00	3139.98	1310.30
5.	हिमाचल प्रदेश	514.10	514.05	514.82
6.	जम्मू और कश्मीर	776.40	776.38	777.55
7.	कर्नाटक	616.10	616.13	257.11
8.	केरल	218.60	218.63	91.23
9.	मध्य प्रदेश	9797.20	6257.12	2611.07
10.	महाराष्ट्र	2974.60	2974.57	1241.28
11.	मणिपुर	608.70	608.65	253.99
12.	उड़ीसा	5698.30	5188.40	2165.1
13.	राजस्थान	2915.20	2915.24	*1216.52
14.	सिक्किम	86.30	86.28	36.01
15.	तमिलनाडु	258.30	258.27	107.77
16.	त्रिपुरा	831.60	831.57	347.01
17.	उत्तर प्रदेश	99.90	41.83	10.70
18.	पश्चिम बंगाल	1759.40	1759.40	734.19
19.	झारखंड	0.00	3422.62	1956.75
20.	छत्तीसगढ़	0.00	3695.36	1542.06
21.	उत्तरांचल	0.00	58.02	74.33
22.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	255.40	233.90	66.95
23.	दमन और दीव	44.60	66.10	33.05
	कुल	40000.00	40000.00	17463.90

*केवल पहली किस्त

विवरण-III

वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 के दौरान अनुसूचित जातियों को विशेष संघटक योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता की निर्मुक्ति

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999-2000 निर्मुक्त	2000-2001 निर्मुक्त	2001-2002 निर्मुक्त
1.	आन्ध्र प्रदेश	4134.94	3720.00	1599.50
2.	असम	695.31	1810.69	-
3.	बिहार	3471.49	0.00	-
4.	छत्तीसगढ़	-	500.00	-
5.	गुजरात	682.27	1521.88	-
6.	गोवा	5.49	8.00	-
7.	हरियाणा	840.36	930.63	-
8.	हिमाचल प्रदेश	298.18	440.00	189.76
9.	जम्मू और कश्मीर	183.44	218.00	-
10.	झारखंड	-	500.00	-
11.	कर्नाटक	2097.36	2643.64	1062.68
12.	केरल	813.24	1251.07	424.91
13.	मध्य प्रदेश	3303.27	1720.00	-
14.	महाराष्ट्र	2067.30	2722.00	1179.86
15.	मणिपुर	12.54	38.96	-
16.	उड़ीसा	1907.72	1884.00	-
17.	पंजाब	1280.29	1784.00	-
18.	राजस्थान	2792.68	3738.96	1158.78
19.	सिक्किम	22.37	23.87	-
20.	तमिलनाडु	4036.92	3558.00	-
21.	त्रिपुरा	159.14	476.48	-
22.	उत्तर प्रदेश	9728.65	9398.00	-
23.	उत्तरांचल	-	500.00	-
24.	पश्चिम बंगाल	4962.00	5450.83	-
25.	चंडीगढ़	25.00	25.00	-
26.	दिल्ली	149.91	149.91	-
27.	पांडिचेरी	30.13	25.18	-
	कुल	43700.00	45038.90	5615.49

*केवल प्रथम किश्त। अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विचाराधीन।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत कर्नाटक को आवंटित धन

1544. **श्री ए. वेंकटेश नायक:**
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों, विशेषकर कर्नाटक और महाराष्ट्र को आवंटित धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार ने उपरोक्त योजना हेतु केन्द्रीय सहायता में वृद्धि किए जाने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ग) क्या उपरोक्ता अवधि के दौरान उपरोक्त योजना के अन्तर्गत संस्वीकृत धनराशि लक्षित धनराशि से कम है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा विसंगति को दूर करने और राज्यों को लक्षित धनराशि का आवंटन करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रधान मंत्री की रोजगार योजना, (पी.एम.आर.वाई.) के तहत कर्नाटक तथा महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्य/संघ शासित क्षेत्रों को आवंटित फण्ड्स संबंधी ब्यौरा विवरण-I पर प्रस्तुत है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण-I

(क) विगत तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान प्रधान मंत्री की रोजगार योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रशिक्षण तथा आकस्मिकता व्यय इत्यादि के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार प्रदान किए गए फण्ड्स

(हजार रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	के दौरान प्रदान किए गए फण्ड्स			कुल
		1998-99	1999-2000	2000-2001	
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	16050.50	15297.95	17623.20	48971.65
2.	असम	13872.27	5387.60	2068.70	21328.57
3.	अरुणाचल प्रदेश	478.85	303.00	192.20	974.05
4.	बिहार	1726.00	1374.25	4452.25	7552.50
5.	छत्तीसगढ़	-	-	3098.54	3098.54
6.	दिल्ली	126.00	0.00	0.00	126.00
7.	गोवा	175.77	199.55	209.75	585.07
8.	गुजरात	6750.75	1434.50	4699.55	12884.80
9.	हरियाणा	3059.05	0.00	2488.61	5547.66
10.	हिमाचल प्रदेश	653.00	1030.30	268.00	1951.30

1	2	3	4	5	6
11.	जम्मू एंड कश्मीर	71.65	763.55	1644.97	2480.17
12.	झारखंड	–	–	2452.10	2452.10
13.	कर्नाटक	10239.62	13860.25	13419.12	37518.99
14.	केरल	11059.60	10247.35	11139.65	32446.60
15.	मध्य प्रदेश	13255.38	14233.95	14973.75	42468.08
16.	महाराष्ट्र	12105.85	27268.60	17382.75	56757.20
17.	मणिपुर	598.70	101.75	333.60	1034.05
18.	मेघालय	320.50	461.12	479.45	1261.07
19.	मिजोरम	254.70	261.10	145.45	661.25
20.	नागालैंड	407.05	146.90	294.10	848.05
21.	उड़ीसा	6211.35	6772.05	10138.40	23121.80
22.	पंजाब	6237.75	5869.25	4216.15	16323.15
23.	राजस्थान	9644.50	9413.80	11038.45	30096.75
24.	तमिलनाडु	6597.75	9428.90	15606.58	31633.23
25.	त्रिपुरा	210.75	578.60	257.25	1046.60
26.	उत्तर प्रदेश	36788.85	33040.70	35289.95	105119.50
27.	उत्तरांचल	–	–	1766.87	1766.87
28.	पश्चिम बंगाल	727.50	436.00	372.25	1535.75
29.	अंडमान एंड निकोबार	226.50	113.70	55.30	395.50
30.	चंडीगढ़	179.50	83.40	44.05	306.95
31.	दमन एंड दीव	31.00	21.25	17.45	60.70
32.	दादर एंड नागर हवेली	22.50	37.60	33.60	93.70
33.	लक्षद्वीप	24.00	24.25	15.40	63.65
34.	पांडिचेरी	355.30	203.55	369.55	928.40
35.	सिक्किम	107.50	105.20	14.02	226.72
	कुल	158569.99	158499.97	176608.00	493675.96

कम्प्यूटर सूचना केन्द्र

1545. **श्री रामशेठ ठाकुर:** क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अब तक प्रत्येक राज्य में विशेषकर महाराष्ट्र में सरकार द्वारा स्थापित कम्प्यूटर सूचना केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन पर कितना व्यय हुआ है; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक केन्द्र को कितना धन आबंटित किया गया है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) सामुदायिक सूचना केन्द्र (सीआईसी) प्रायोगिक परियोजना के रूप में सात पूर्वोत्तर राज्यों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर तथा सिक्किम में भी स्थापित किए गए हैं। इस प्रायोगिक परियोजना के तहत राज्य सरकार द्वारा चुने गए 30 स्थलों पर ये केन्द्र स्थापित किए गए हैं। अब तक ऐसा कोई केन्द्र महाराष्ट्र या किसी अन्य राज्य में स्थापित नहीं किया गया है।

(ख) अगस्त/सितम्बर, 2000 में 30 सीआईसी की स्थापना तथा 5 वर्षों की अवधि के लिए इनके रख-रखाव पर होने वाला व्यय 15 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है।

(ग) सरकार का कार्यान्वयन एजेंसी अर्थात् नेशनल एन्फोरमेटिक्स सेंटर सर्विसिज इन्कॉर्पोरेटिड (एनआईसीएसआई) को दी गई राशि इन सीआईसी के कार्य करने की आरम्भिक पांच वर्ष की अवधि में उनके द्वारा इस्तेमाल की जानी है। इस कारण, वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान प्रत्येक केन्द्र के लिए अलग से कोई राशि आबंटित नहीं की गई है।

परमाणु विद्युत संयंत्रों का विस्तार

1546. **श्री प्रभात सामन्तराय:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ विद्यमान परमाणु विद्युत संयंत्रों का विस्तार किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) जी, हां। न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एन.पी.सी.आई.एल.) ने उपलब्ध स्थलों पर मौजूदा आधारभूत सुविधाओं का उपयोग करने की दृष्टि से, मौजूदा परमाणु विद्युत संयंत्र स्थलों पर नई परियोजनाएं लगाने की योजना तैयार की है। निम्नलिखित नई परियोजनाएं विचाराधीन हैं:-

1. तारापुर, महाराष्ट्र में जहां 160 मेगावाट क्षमता के दो यूनिट (तारापुर परमाणु बिजलीघर-1 तथा 2) काम कर रहे हैं, वहीं पर तारापुर परमाणु विद्युत परियोजना (टी.ए.पी.पी.-3 तथा 4), 500 मेगावाट क्षमता वाले दो यूनिट।

2. कैगा, कर्नाटक में जहां 220 मेगावाट क्षमता के दो यूनिट (कैगा-1 तथा 2) काम कर रहे हैं, वहां पर कैगा परमाणु विद्युत परियोजना (कैगा-3 तथा 4) 220 मेगावाट क्षमता वाले दो यूनिट।

इसके अतिरिक्त, दसवीं तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान, राजस्थान में रावतभाटा नामक स्थान पर (जहां आर.ए.पी.एस.-1 से 4 तक चार यूनिट काम कर रहे हैं) और कर्नाटक में कैगा नामक स्थान पर क्रमिक रूप से नए यूनिट हाथ में लेने का भी प्रस्ताव है।

(घ) लागू नहीं।

[हिन्दी]

प्रति व्यक्ति आय और व्यय

1547. **श्री चन्द्रनाथ सिंह:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000 और 2001 के दौरान राज्यवार प्रति व्यक्ति आय और व्यय कितना है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय और व्यय राष्ट्रीय औसत से कम है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त को बढ़ाए जाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, राज्यवार प्रति व्यक्ति आय (प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद के रूप में मापित) और व्यय (मासिक प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय के रूप में मापित) को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) वर्ष 1999-2000 में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 16047 रु. को अखिल भारत औसत के मुकाबले 9765 रु. थी। वर्ष 1999-2000 में उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति मासिक व्यय 466 रु. था और शहरी क्षेत्रों में 690 रु. था जबकि अखिल भारत औसत क्रमशः 486 रु. और 855 रु. की थी।

(ग) और (घ) देश के कुछ क्षेत्र देश की सम्पूर्ण विकास प्रक्रिया के साथ नहीं चल पा रहे हैं। इसके प्राथमिक कारण प्रशासन की गुणवत्ता से जुड़े हुए हैं और इसी के परिणामस्वरूप वे उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने में असमर्थ रहे। संतुलित क्षेत्रीय विकास सदैव ही भारतीय विकास कार्यनीति का एक अनिवार्य घटक रहा है। चूंकि देश के सभी भाग विकास अवसरों का लाभ उठाने के लिए समान रूप से सुसम्पन्न नहीं है और चूंकि ऐतिहासिक असमानताओं को दूर नहीं किया गया है, नियोजित हस्तक्षेप अपेक्षित है। नौवीं पंचवर्षीय योजना में कमजोर राज्यों के पक्ष में उपयुक्त नीतिगत उपायों के माध्यम से सार्वजनिक एवं निजी निवेश हेतु सुधरे हुए अवसर सुनिश्चित करने की परिकल्पना की गई है और सामाजिक एवं भौतिक आधारिक संरचना, कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी एवं जल नीति के विशिष्ट पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित किया गया है जिसके लिए समयबद्ध लक्ष्यों, काम में आने योग्य कार्यनीतियों तथा उपयुक्त संसाधनों के साथ विशेष कार्य योजनाएं विकसित की गई हैं।

विवरण

प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी) (राज्य आय) एवं उपभोग व्यय 1999-2000

(प्रचालित मूल्यों पर रु.)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एनएसडीपी (ए)	मासिक प्रति व्यक्ति व्यय	
			ग्रामीण	शहरी
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	14715	453	773
2.	अरुणाचल प्रदेश	14338	648	762
3.	असम	9612	426	814
4.	बिहार	6328	384	602
5.	गोवा	एन.ए.	869	1155
6.	गुजरात	एन.ए.	551	892
7.	हरियाणा	21114	714	912
8.	हिमाचल प्रदेश	एन.ए.	684	1243
9.	जम्मू व कश्मीर	एन.ए.	677	953
10.	कर्नाटक	16343	500	911
11.	केरल	एन.ए.	766	932

1	2	3	4	5
12.	मध्य प्रदेश	एन.ए.	401	693
13.	महाराष्ट्र	23398	497	973
14.	मणिपुर	10614	537	707
15.	मेघालय	11678	563	972
16.	मिजोरम	एन.ए.	722	1056
17.	नागालैण्ड	एन.ए.	941	1242
18.	उड़ीसा	9162	373	618
19.	पंजाब	23040	742	899
20.	राजस्थान	11030	549	796
21.	सिक्किम	एन.ए.	531	905
22.	तमिलनाडु	18786	514	971
23.	त्रिपुरा	9768	528	876
24.	उत्तर प्रदेश	9765	528	876
25.	पश्चिम बंगाल	15569	454	866
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	एन.ए.	780	1114
27.	चंडीगढ़	एन.ए.	989	1435
28.	दिल्ली	30768	597	784
29.	पांडिचेरी	30768	597	784
	अखिल भारत प्रति व्यक्ति एनएनपी	16047	486	855

टिप्पणी 1. एनएसडीपी निवल राज्य घरेलू उत्पाद

2. एनेनपी- कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद

3. उपभोग व्यय- मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय

ए: अग्रिम अनुमान 24.7.2001 की स्थिति के अनुसार

एन.ए. उपलब्ध नहीं

स्रोत: प्रति व्यक्ति एनएसडीपी-संबंधित राज्य सरकार का आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय और अखिल भारत का - केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन

2. एनएसएस रिपोर्ट सं. 457, 55वां दौर (जुलाई, 1999 - जून, 2000) एनएसएसओ - उपभोग व्यय हेतु

[अनुवाद]

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों के लिए धन

1548. **श्री पी.आर. किन्डिया:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम को क्षेत्रवार कितना धन आवंटित किया गया है; और

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के पिछले चार वर्षों के दौरान हुए व्यय का तथा वार्षिक योजना के चालू वर्ष के दौरान आवंटित धन का राज्यवार और क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना हेतु पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के लिए क्षेत्रवार राज्यवार अनुमोदित योजना परिव्यय तथा नौवीं पंचवर्षीय योजना में प्रथम चार वर्षों के दौरान राज्यवार एवं क्षेत्रवार अनुमोदित योजना परिव्यय के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। चालू वर्ष 2001-2002 के क्षेत्रवार योजना परिव्यय को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण

नौवीं योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान परिव्यय/वास्तविक व्यय

राज्य : अरुणाचल प्रदेश (रुपये करोड़)

क्रम सं	क्षेत्र	नौवीं योजना (1997-2002) परिव्यय	वार्षिक योजना-1997-98 अनुमोदित परिव्यय	वार्षिक योजना-1997-98 वास्तविक व्यय	वार्षिक योजना-1998-99 अनुमोदित परिव्यय	वार्षिक योजना-1998-99 वास्तविक व्यय	वार्षिक योजना-1999-2000 अनुमोदित परिव्यय	वार्षिक योजना-1999-2000 वास्तविक व्यय	वार्षिक योजना-2000-01 अनुमोदित परिव्यय	वार्षिक योजना-2000-01 वास्तविक व्यय
1.	कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप	341.7	60.81	49.05	146.11	41.25	52.77	42.05	45.62	46.37
2.	ग्रामीण विकास	114.76	23.93	19.11	29.24	19.84	25.16	13.04	24.21	24.14
3.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	20	4	3.99	4	11	13	13	13	13
4.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	279.95	33.36	21.83	27.71	18.85	27.63	21.82	49.33	50.92
5.	ऊर्जा	460.41	97.7	85.06	74.99	72.5	73.44	80.63	83.26	86.71
6.	उद्योग एवं खनिज	46.1	10.06	7.44	8.68	7.34	6.33	5.77	6.08	6.23
7.	परिवहन	929.51	155.62	132.45	135.45	125.98	122.39	117.04	118.62	127.61
8.	संचार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	1.55	0.35	0.27	0.26	0.25	0.29	0.31	2.32	2.32
10.	सामान्य आर्थिक सेवाएं	116.5	17.64	15.16	14.93	12.81	17.54	16.82	24.67	27.91
11.	विशेष सेवाएं	1177.61	182	143.24	161.75	142	156.05	146.14	172.75	184.03
12.	सामान्य सेवाएं	81.8	14.53	11.78	21.88	11.2	170.4	11.98	100.14	30.17
	कुल योग	3569.89	600	489.38	625	463.02	665	468.4	640	599.41

नौवीं योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान परिव्यय/वास्तविक व्यय

राज्य : असम (रुपये करोड़)

क्रम सं.	क्षेत्र	नौवीं योजना (1997-2000) परिव्यय	वार्षिक योजना-1997-98 अनुमोदित परिव्यय	वार्षिक योजना-1997-98 वास्तविक व्यय	वार्षिक योजना-1998-99 अनुमोदित परिव्यय	वार्षिक योजना-1998-99 वास्तविक व्यय	वार्षिक योजना-1999-2000 अनुमोदित परिव्यय	वार्षिक योजना-1999-2000 वास्तविक व्यय	वार्षिक योजना-2000-01 अनुमोदित परिव्यय	वार्षिक योजना-2000-01 वास्तविक व्यय
1.	कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप	1094.86	162.88	134.13	167.81	123.27	202.63	153.2	169.33	197.33
2.	ग्रामीण विकास	807.71	131.28	76.61	154.18	90.62	173.16	105.45	210.95	215.25
3.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	40.12	9.51	7.83	10.84	8.5	13.1	11.16	11.81	11.81
4.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	710.42	127.69	139.47	146.05	124.27	142.45	145.4	150.62	157.62
5.	ऊर्जा	852.72	162.49	113.4	162.49	83.86	176	64.72	92.99	122.6
6.	उद्योग एवं खनिज	380.04	70.02	56.32	70.69	59.4	58.92	36.92	38.58	45.33
7.	परिवहन	996.99	134.64	93.59	149.39	113.85	178.37	160	136.02	182.64
8.	संचार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	18	2.5	0.43	2.8	0.64	2.77	0.63	0.6	0.75
10.	सामान्य आर्थिक सेवाएं	252.37	41.32	38.88	44.77	40.29	46.94	46.11	43.61	47.65
11.	विशेष सेवाएं	3658.03	633.67	601.63	702.36	613.78	719.05	645.47	645.09	748.17
12.	समान्य सेवाएं	172.67	34.28	20.89	38.62	35.19	36.61	35.94	20.4	20.85
	कुल योग	8983.93	1510.28	1283.18	1650	1293.67	1750	1405	1520	1750

नौवीं योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान परिव्यय/वास्तविक व्यय

राज्य : मणिपुर (रुपये करोड़)

क्रम सं.	क्षेत्र	नौवीं योजना (1997-2000) परिव्यय	वार्षिक योजना-1997-98 अनुमोदित परिव्यय	वार्षिक योजना-1997-98 वास्तविक व्यय	वार्षिक योजना-1998-99 अनुमोदित परिव्यय	वार्षिक योजना-1998-99 वास्तविक व्यय	वार्षिक योजना-1999-2000 अनुमोदित परिव्यय	वार्षिक योजना-1999-2000 वास्तविक व्यय	वार्षिक योजना-2000-01 अनुमोदित परिव्यय	वार्षिक योजना-2000-01 वास्तविक व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप	183.17	26.58	21.24	28.61	25.12	29.88	153.2	19.65	32.41
2.	ग्रामीण विकास	61.2	11.73	7.24	9.28	6.8	10.05	5.65	51.4	14.26
3.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0	0	0	4	4	4	0	4	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	320.6	65.7	49.35	81.89	43.6	94.9	63.14	83.4	98.74
5.	ऊर्जा	335.34	43.42	50.37	29.2	36.2	30.3	53.35	33.8	56.55
6.	उद्योग एवं खनिज	126.51	19.77	11.88	32.48	13.24	44.84	28.92	48.4	61.96
7.	परिवहन	399.68	77.36	73.46	67.61	59.24	78.75	66.98	29.78	89.08
8.	संचार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	9	1.16	0.85	1.24	1.07	1.5	1.63	1.75	1.2
10.	सामान्य आर्थिक सेवाएं	133.67	6.25	14.41	14.99	15.93	17.87	23.57	8.23	19.58
11.	विशेष सेवाएं	570.19	119.13	109.56	140.4	124.41	149.61	137.98	157.51	172.86
12.	सामान्य सेवाएं	287.33	38.9	6.92	15.3	58.94	13.3	17.06	13.08	8.15
	कुल योग	2426.69	410	345.28	425	388.55	475	452.61	451	554.79

नौवीं योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान परिव्यय/वास्तविक व्यय

राज्य : मेघालय (रुपये करोड़)

क्रम सं.	क्षेत्र	नौवीं योजना (1997-2000) परिव्यय	वार्षिक योजना-1997-98 अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक व्यय	वार्षिक योजना-1998-99 अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक व्यय	वार्षिक योजना-1999-2000 अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक व्यय	वार्षिक योजना-2000-01 अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक व्यय
1.	कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप	391.7	40.37	28.76	44.1	31.96	46	153.2	53.26	54.86
2.	ग्रामीण विकास	139.5	21.57	15.54	22.53	20.32	23.57	23.18	44.05	43.05
3.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	12	2.28	3.01	3.28	5.27	5.48	7.97	8	9.5
4.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	98	12.2	9.31	18.5	12.21	21	10.76	17	23
5.	ऊर्जा	318	92.16	8	57.11	21.42	78.11	13.91	19.2	20.2
6.	उद्योग एवं खनिज	102	13.34	7	15	10.34	15	13.08	22.95	22.95
7.	परिवहन	481	70.16	66.85	77.16	73.54	87.31	87.7	106.78	109.78
8.	संचार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	7.3	1.2	0.91	1.2	1.05	1.43	1.95	1.43	1.43
10.	सामान्य आर्थिक सेवाएं	50.92	9.02	6.89	10.05	8.12	11.45	8.33	16.93	16.93
11.	विशेष सेवाएं	846.2	111.4	96.97	139.67	108.91	161	129.07	173.75	196.65
12.	सामान्य सेवाएं	54	8.3	5.59	11.4	6.24	14.65	10.97	16.65	18.54
	कुल योग	2500.62	382	248.83	400	299.38	465	343.28	480	516.89

नौवीं योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान परिव्यय/वास्तविक व्यय

राज्य : मिजोरम (रुपये करोड़)

क्रम सं.	क्षेत्र	नौवीं योजना (1997-2000) परिव्यय	वार्षिक योजना-1997-98 अनुमोदित परिव्यय	वार्षिक योजना-1997-98 वास्तविक व्यय	वार्षिक योजना-1998-99 अनुमोदित परिव्यय	वार्षिक योजना-1998-99 वास्तविक व्यय	वार्षिक योजना-1999-2000 अनुमोदित परिव्यय	वार्षिक योजना-1999-2000 वास्तविक व्यय	वार्षिक योजना-2000-01 अनुमोदित परिव्यय	वार्षिक योजना-2000-01 वास्तविक व्यय
1.	कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप	153.25	28.48	23.39	43.7	21.53	38.49	153.2	31.86	31.86
2.	ग्रामीण विकास	235.4	38.45	27.46	51.81	29.71	41.56	40.12	42	49.89
3.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.14	0.1	0.1	0.4	7.06	0.5	0.56	8.55	0.55
4.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	18.11	2.9	2.04	6.38	4.94	7.05	10.07	3.37	3.37
5.	ऊर्जा	224.21	36	28.73	40.6	25.9	48.76	48.05	45.76	45.87
6.	उद्योग एवं खनिज	68.92	10.87	8.3	11.94	8.68	14.31	14.75	12.38	12.38
7.	परिवहन	272.27	59.88	96.76	32.99	31.17	49.29	46.64	26.85	24.35
8.	संचार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	3.23	0.77	0.64	0.84	0.48	0.94	0.94	0.94	0.94
10.	सामान्य आर्थिक सेवाएं	84.67	18.27	17.95	20.67	19.85	21.43	22.91	31.67	23.2
11.	विशेष सेवाएं	529.03	79.67	82.66	113.21	115.5	126.06	147.58	190.32	155.74
12.	सामान्य सेवाएं	29.28	14.61	7.22	10.46	7.24	11.61	11.62	7.56	53.11
	कुल योग	1618.51	290	295.25	333	272.06	360	378.01	401.26	401.26

नौवीं योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान परिव्यय/वास्तविक व्यय

राज्य : नागालैंड (रुपये करोड़)

क्रम सं.	क्षेत्र	नौवीं योजना (1997-2000) परिव्यय	वार्षिक योजना-1997-98 अनुमोदित परिव्यय	वार्षिक योजना-1997-98 वास्तविक व्यय	वार्षिक योजना-1998-99 अनुमोदित परिव्यय	वार्षिक योजना-1998-99 वास्तविक व्यय	वार्षिक योजना-1999-2000 अनुमोदित परिव्यय	वार्षिक योजना-1999-2000 वास्तविक व्यय	वार्षिक योजना-2000-01 अनुमोदित परिव्यय	वार्षिक योजना-2000-01 वास्तविक व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप	260	22.63	14.86	23.17	17.67	26.87	153.2	28.91	26.58
2.	ग्रामीण विकास	291.45	41.12	37.17	44.05	39.51	52.55	49.92	35.76	36.62
3.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	27	5.11	4.94	8.72	8.97	8.72	5.72	8.22	8.22
4.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	57	3.93	3.68	4.5	2.23	4.5	6.44	8.5	8.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	ऊर्जा	117	21.46	15.54	15.2	15.09	9	15.1	15.7	16.1
6.	उद्योग एवं खनिज	121	11.72	9.51	10.05	9.9	10.05	16.18	10.68	10.68
7.	परिवहन	305.4	31.46	18.67	27.38	16.4	33.88	37.51	38.66	35.16
8.	संचार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	5	0.34	0.18	0.3	0.2	2.3	0.15	0.22	0.22
10.	सामान्य आर्थिक सेवाएं	224	38.86	35.02	38.69	36.35	38.19	36.62	40.85	40.85
11.	विशेष सेवाएं	514.79	99.98	84.93	108.29	78.62	106	100.92	109.37	113.94
12.	सामान्य सेवाएं	83.79	14.39	7.83	19.65	21.03	22.94	22.77	29.13	29.13
	कुल योग	2006.43	291	232.33	300	245.97	315	306.17	326	326

नौवीं योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान परिव्यय/वास्तविक व्यय

राज्य : सिक्किम (रुपये करोड़)

क्रम सं.	क्षेत्र	नौवीं योजना (1997-2000) परिव्यय	वार्षिक योजना-1997-98 अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक व्यय	वार्षिक योजना-1998-99 अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक व्यय	वार्षिक योजना-1999-2000 अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक व्यय	वार्षिक योजना-2000-01 अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक व्यय
1.	कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप	205.4	37.8	20.01	19.7	18.26	20.09	153.2	23.16	23.16
2.	ग्रामीण विकास	54.5	10.04	8.17	9.47	7.75	8.12	8.12	10.6	10.6
3.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0	0	0	0	0	0	0	9.18	9.18
4.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	41	2.96	3.25	2.66	3.71	20.52	20.52	4.94	4.94
5.	ऊर्जा	343	31.37	32.1	38.89	32.89	42.44	42.44	32.1	32.1
6.	उद्योग एवं खनिज	70	9.26	5.16	6.63	5.37	5.37	5.37	7.58	7.58
7.	परिवहन	160	23.27	23.8	25.16	21.09	20.49	20.49	49.03	49.03
8.	संचार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	11	0.8	0.76	1.1	0.82	1.17	1.17	0.96	0.96
10.	सामान्य आर्थिक सेवाएं	53.75	3.85	3.09	4.79	4.11	4.74	4.74	6.52	6.52
11.	विशेष सेवाएं	616.35	95.76	89.35	121.17	120.84	122.69	122.69	98.9	98.9
12.	सामान्य सेवाएं	45	4.89	4.43	7.43	9.46	4.37	4.37	7.03	7.03
	कुल योग	1600	220	190.12	237	224.3	250	250	250	250

नौवीं योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान परिव्यय/वास्तविक व्यय

राज्य : त्रिपुरा (रुपये करोड़)

क्रम सं	क्षेत्र	नौवीं योजना (1997-2000) परिव्यय	वार्षिक योजना-1997-98		वार्षिक योजना-1998-99		वार्षिक योजना-1999-2000		वार्षिक योजना-2000-01	
			अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक व्यय	अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक व्यय	अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक व्यय	अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक व्यय
1.	कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप	195.68	33.29	33.37	33.42	30.39	32.82	153.2	41.8	41.8
2.	ग्रामीण विकास	357.46	72.79	73.72	32.64	52.59	26.62	52.49	34.72	34.71
3.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	140.19	23.34	23.34	23.34	23.34	15	26.74	21.92	21.92
4.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	194.01	34.96	16.83	53.27	20.29	78.92	31.69	52.83	52.83
5.	ऊर्जा	174.54	29.16	26.44	33.91	24.95	30.27	18.67	16.15	16.16
6.	उद्योग एवं खनिज	79.34	13.12	13.12	11.12	11.93	7.12	15.9	10.98	10.98
7.	परिवहन	367.37	59.84	46.01	64.31	33.62	50.69	42.2	44.41	44.41
8.	संचार	0.95	0.59	0.1	0.2	0	0.2	0.16	0.03	0.03
9.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	3.22	0.55	0.6	0.37	0.38	0.43	0.44	0.28	0.28
10.	सामान्य आर्थिक सेवाएं	12.17	1.93	1.87	1.46	1.42	1.63	1.43	1.4	1.4
11.	विशेष सेवाएं	1028.39	166.37	173.15	183.19	190.67	228.99	219.84	239.08	239.08
12.	सामान्य सेवाएं	24.07	3.97	4.04	2.77	2.67	2.31	5.23	21.4	21.4
	कुल योग	2577.39	439.91	412.59	440	392.25	475	452.51	485	485

[हिन्दी]

कालाजार अनुसंधान केन्द्र

1549. श्री कीर्ति झा आजाद: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के कालाजार अनुसंधान केन्द्र और दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में कैंसर रोगियों के उपचार हेतु एक नया विभाग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार का क्या निर्णय है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) दरभंगा मेडिकल कालेज अस्पताल में काला-आजार अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, बिहार सरकार को 1990-91 के दौरान राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत दरभंगा मेडिकल कालेज में ऑन्कोलॉजी विंग के विकास के लिए 50 लाख रुपए की राशि विमुक्त की गई थी। इस धनराशि का समुपयोजन प्रमाणपत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

पारपत्र जारी किए जाने की प्रक्रिया का नवीकरण

1550. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक में पारपत्र कार्यालयों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का पारपत्र जारी करने के कार्य में तेजी लाने और इसमें लगने वाले समय में कमी करने के उद्देश्य से इसकी प्रक्रिया को शिथिल करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त मामले में राज्यों में स्थित पारपत्र कार्यालयों को क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) कर्नाटक राज्य में बंगलौर स्थित केवल एक पासपोर्ट कार्यालय है।

(ख) से (घ) पासपोर्ट जारी करने की क्रिया-विधि का सरलीकरण और उसे कारगर बनाया जाना एक सतत प्रक्रिया है। किए गए उपायों में शामिल हैं:- (क) कार्रवाई का कम्प्यूटरीकरण, (ख) पासपोर्ट आवेदन पत्र का सरलीकरण (ग) पासपोर्ट का विकेन्द्रीकरण ताकि पूर्ण आवेदन को निर्धारित स्पीड पोस्ट केन्द्रों और जिला स्तर पर प्रस्तुत किया जा सके (घ) तात्कालिक मामलों में बिना बारी के अल्प वैधता पासपोर्ट जारी करने के लिए "तत्काल स्कीम" का शुभारम्भ (ङ) पुलिस सत्यापन क्रिया-विधियों को तर्कसंगत बनाना जिनमें नाबालिगों (15 वर्ष से कम) और वरिष्ठ नागरिकों (75 वर्ष और इससे ऊपर) के मामलों में पूर्व पुलिस सत्यापन की आवश्यकता में छूट शामिल है। सरकार ने हाल ही में पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से पासपोर्ट जारी करने की व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए एक समिति का भी गठन किया है।

भूकंप के कारण हुई हानि

1551. **श्री दिन्शा पटेल:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस वर्ष जनवरी में आए विनाशकारी भूकंप के कारण गुजरात के अस्पतालों, स्वास्थ्य केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को हुई क्षति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गुजरात राज्य सरकार को अनुमानतः कितनी क्षति हुई;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने इन भवनों की मरम्मत हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो अब तक राज्य सरकार को कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है/उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है और कितनी धनराशि जारी की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, हां।

(ख) गुजरात सरकार ने जनवरी, 2001 के भूकंप के परिणामस्वरूप राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यकलापों के लिए 13136.02 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मांगी थी। यह सहायता स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए मांगी गई थी।

(ग) जी, हां।

(घ) भारत सरकार ने स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय आकस्मिकता आपदा निधि से 1467.37 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की थी। यह रकम गुजरात राज्य के आपदा राहत निधि के केन्द्रीय हिस्से के अतिरिक्त है।

नाभिकीय रिएक्टरों को स्थापित किया जाना

1552. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:**
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कैगा परमाणु विद्युत केन्द्र में 220 मेगावाट की क्षमता वाले चार और नाभिकीय रिएक्टरों की स्थापना किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक रिएक्टर की लागत क्या है; और

(घ) इनको कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) कर्नाटक में कैगा नामक स्थान पर कार्यरत दो यूनिटों (कैगा-1 तथा 2) जिनकी प्रत्येक की क्षमता 220 मेगावाट है, के अलावा 2×220 मेगावाट क्षमता वाले यूनिटों (कैगा-3 तथा 4) का निर्माण-कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है। दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान, यदि निधि और संसाधन उपलब्ध होते हैं, तो 2×220 मेगावाट क्षमता वाले यूनिटों (कैगा-5 तथा 6) का निर्माण-कार्य शुरू करने का प्रस्ताव है।

(ग) कैगा-3 तथा 4 की अनुमानित लागत (मार्च, 1999 के रुपए मूल्य पर) 2856 करोड़ रुपए है। कैगा-5 तथा 6 की अनुमानित लागत इस प्रस्ताव को सरकार के विचारार्थ भेजने हेतु अंतिम रूप देते समय निकाली जाएगी।

(घ) मूल योजनानुसार कैगा-3 तथा 4 को वर्ष 2008-2009 में कमीशन किया जाना है।

अमरीकी दल का दौरा

1553. श्री जी.एस. बसवराज:
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमेरिकी कांग्रेस स्टाफर्स दल ने दिनांक 12 अप्रैल, 2001 को बंगलौर का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसका उद्देश्य क्या है; और

(घ) इस दौरे से भारत को क्या लाभ होगा?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) जी, हां। अमरीकी कांग्रेस के स्टाफ के 10 सदस्यीय शिष्टमंडल ने 12 अप्रैल, 2001 को बंगलौर की यात्रा की। स्टाफ के सदस्यों ने प्रतिनिधिक समूह से परस्पर बातचीत की जिनमें राज्य सरकार के अधिकारी, विचारक और वैज्ञानिक तथा व्यापारिक समुदाय के व्यक्ति शामिल थे।

(ग) यह यात्रा भारतीय उद्योग परिसंघ के आमंत्रण पर महत्वपूर्ण सीनेटरों और कांग्रेस मैन द्वारा भारत के विभिन्न भागों में की गई दीर्घावधि सुविज्ञता दौरे का एक भाग है। विदेश मंत्रालय ने सरकारी अधिकारियों के साथ बैठकें कराने में मदद की।

(घ) कांग्रेस के स्टाफ के कांग्रेस में विवादित मसलों पर उनके सिद्धांतों के लिए निर्णायक जानकारी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसीलिए, स्टाफ के लिए भारत के बारे में प्रथम अनुभव प्राप्त करना लाभदायक होगा ताकि उन्हें देश और इसकी आवश्यक हित-चिंताओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी जा सके।

[हिन्दी]

बम विस्फोट में प्रशिक्षण

1554. श्री रामदास आठवले: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान बम विस्फोट में जवानों को प्रशिक्षण देने के लिए स्थापित केन्द्रों में चोरी की घटनाओं से करोड़ों रुपए का घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि विस्फोट किये गए बम के अवशेष इन केन्द्रों से चोरी हो जाते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे मामले में कितने व्यक्तियों की जानें गई हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा चोरी की ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) और (ख) जी, नहीं। यह माना जाता है कि यह प्रश्न फील्ड फायरिंग रेंजों में कवचित कोर यूनिटों की आर्टिलरी तोपों और टैंकों द्वारा दागे गए गोलों से संबंधित है। उठाईगीरी तथा चोरी की संभावना को विनियमों द्वारा पूरी तरह से रोका गया है। अत: सेना में बम विस्फोट में प्रशिक्षण देने में सरकार को हानि होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारतीय सेना में बम विस्फोट में प्रशिक्षण सैन्य इंजीनियरी कालेज में दिया जाता है तथा सैन्य इंजीनियरी कालेज की माल-सूची में दर्ज बम के विस्फुटित संघटक गणनीय तथा नियंत्रित सामान होते हैं। अत: चोरी आदि द्वारा हानि तथा जनहानि का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ङ) लागू नहीं।

[अनुवाद]

अंतरिक्ष उपग्रह प्रक्षेपण संबंधी व्यावसायिक सेवाएं

1555. श्री आनंदराव विठोबा अडसुल: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने अंतरिक्ष उपग्रह प्रक्षेपण क्षेत्र में व्यावसायिक सेवाओं को आरंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) अब तक कितने देशों ने इसके लिए संपर्क किया है; और

(ङ) इस समय कौन-कौन सी अन्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, हां। फिलहाल, ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पी.एस.एल.वी.) के प्रचालनीकरण के बाद, भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का प्राथमिक तथा सहायक नीतभारों (उपग्रहों) के लिए पी.एस.एल.वी. को उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

(ख) भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने 1999 में पी.एस.एल.वी.-सी. 2 मिशन पर वाणिज्यिक आधार पर दो लघु उपग्रहों (कोरिया के किटसैड उपग्रह तथा जर्मनी के टबसैट उपग्रह) का पहले ही प्रमोचन किया है। अन्य दो उपग्रहों के लिए पी.एस.एल.वी. के आगामी मिशन पर दो लघु उपग्रहों (बेल्जियम का प्रोबा और जर्मनी का बर्ड) के प्रमोचन के लिए ठेके निष्पादित किए जा रहे हैं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) इसरो/एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन यूरोप, कोरिया, जापान इत्यादि अनेक देशों से प्राप्त प्रस्तावों का प्रत्युत्तर दे रहा है।

(ङ) वाणिज्यिक आधार पर, अन्तरिक्ष विभाग के वाणिज्यिक अंग एन्ट्रिक्स कापोरेशन जांच, उपग्रह अनुवर्तन और दूरमिति, परामर्श, भारत के बाहर सुदूर संवेदन उपग्रह आंकड़ों के अभिगम जैसी सेवाएं प्रदान कर रही है।

कार्यपालक अभियंता को पुन: पदस्थापित करना

1556. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक कार्यपालक अभियंता जिसे अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया था, के उच्च न्यायालय के पुन: पदस्थापित किए जाने संबंधी आदेश के विरुद्ध गुजरात सरकार द्वारा दायर की गई अपील को उच्चतम न्यायालय ने यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि लोक सेवकों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जा सकता है यदि वह सामान्य प्रशासन के लिए उपयोगी नहीं रह गये हों; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किए गए ऐसे लोक सेवकों की संख्या कितनी है जो सामान्य प्रशासन के लिए उपयोगी नहीं रहे हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) माननीय उच्चतम न्यायालय ने गुजरात-राज्य बनाम उमेदभाई एम. पटेल के मामले में राज्य-सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के एक आदेश के विरुद्ध दायर एक अपील को खारिज करते हुए, अनिवार्यत: सेवा-निवृत्त कर दिए गए, एक कार्यपालक इंजीनियर की बहाली का निदेश देते हुए, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नानुसार टिप्पणी की:

> ''पैरा 11 (iii) बेहतर प्रशासन की दृष्टि से, अनुपयोगी हो चुके कार्मिक को सेवा से निकाल दिया जाना आवश्यक है, लेकिन अनिवार्य सेवा-निवृत्ति का आदेश, अधिकारी द्वारा की गई सेवा के सम्पूर्ण रेकार्ड पर सम्यक् विचार करने के पश्चात् ही जारी किया जा सकता है।''

(ख) मूल नियम 56 (जे) और केन्द्रीय सिविल सेवाएं (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48 के अनुसार, केन्द्र-सरकार को अपने किसी भी कर्मचारी द्वारा 30 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर लिए जाने की तारीख को अथवा उसकी आयु 50/55 वर्ष की हो जाने की तारीख को अथवा नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाने वाली, उसके बाद की किसी भी तारीख को उसे लोक-हित में सेवा से निवृत्त कर देने का अधिकार है। इन नियमों के अनुसार, यह तय करने के लिए ऐसे सरकारी कर्मचारी के बारे में समीक्षा की जाती है कि वह सरकारी सेवा में बने रहने देने के लिए उपयुक्त है या अनुपयुक्त। चूंकि उपर्युक्त नियमों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार के किसी भी कर्मचारी को सेवा-निवृत्त करने का अधिकार, उन्हीं प्राधिकारियों को है जिन्हें उसे उस पद पर मूल रूप से नियुक्त करने का अधिकार हो जिससे कि उसे (सरकारी कर्मचारी को) सेवा-निवृत्त किया जाना अपेक्षित हो, अत: ऐसी जानकारी से जुड़े आंकड़े, केन्द्रीकृत रूप से उपलब्ध नहीं हैं।

[हिन्दी]

एम.पी.एल.ए.डी.एस.

1557. **श्री रामदास आठवले:**
श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री रामशेठ नायक:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 मई, 2001 के 'राष्ट्रीय सहारा' में सांसद विकास योजना भी भ्रष्टाचार से अछूती नहीं ''शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस उद्देश्य हेतु आवंटित धनराशि का एक बड़ा भाग बैंकों में अनुप्रयुक्त पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और बैंकवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या खर्च की गई धनराशि के विवरण में से अनियमितताएं उजागर हुई हैं: और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/की जा रही हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) 10 मई, 2001 के 'राष्ट्रीय सहारा' में प्रकाशित ''सांसद विकास योजना भी भ्रष्टाचार से अछूती नहीं'' शीर्षांकित समाचार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) द्वारा उनकी 2001 की रिपोर्ट सं. 3 ए तथा 1998 की रिपोर्ट सं. 3 में की गई कुछ टिप्पणियों को दर्शाता है।

(ग) से (ङ) 30.6.2001 तक भारत सरकार ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत 7792.0 करोड़ रुपए अवमोचित किए थे। जिला कलेक्टरों से प्राप्त सूचना के अनुसार अवमोचित राशि में से 5112.06 करोड़ रुपए (65.6 प्रतिशत) व्यय किए जा चुके हैं। राज्यवार उपयोग का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। बैंक-वार व्यय के आंकड़े संबद्ध जिलाध्यक्षों के पास उपलब्ध हैं।

सामान्य तौर पर, जिलाध्यक्ष सरकार से निधियां प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्यों को स्वीकृति प्रदान करते हैं। उसके बाद व्यय होता है। इसलिए, निधियों के अवमोचन तथा संगत वास्तविक व्यय के बीच एक अंतराल होता है। सांसदों द्वारा प्रस्तावित कार्यों का सिविल प्रकृति का होना, कुछ राज्यों में सीमित कार्य-मौसम होना, निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता का लागू होना, सांसदों द्वारा योजना के अंतर्गत अनुशंसित ऐसे अधिक कार्यों का दबाव होना, जिसमें प्रत्येक पर लघु परिव्यय शामिल होते हैं, जैसे कुछ कारक उपयोग के इस स्तर के लिए उत्तरदायी है। यह मंत्रालय योजना के अंतर्गत समय-समय पर कार्यों के शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वयन के लिए जिलों को निर्देश जारी करता रहता है।

(च) कैग से 2001 की रिपोर्ट सं. 3 ए की प्रति प्राप्त होने पर रिपोर्ट की प्रति सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को अग्रेषित कर दी गई थी तथा उनसे निम्नलिखित को सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया था।

(1) सांसदों की ही अनुशंसा पर कार्यों की स्वीकृति दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए प्रदान की जाए।

(2) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के संबंध में लेखों का उचित रख-रखाव राज्य सरकार द्वारा स्थापित लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के अनुसार अथवा जहां पर डी.आर.डी.ए. द्वारा कार्यों का कार्यान्वयन किया जा रहा हो वहां डी.आर.डी.ए. की कार्यविधि के अनुसार किया जाए।

(3) सांसद द्वारा अनुशंसित कार्यों को योजना एवं प्राक्कलन को अंतिम रूप देने के पश्चात् शीघ्रातिशीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाए। कार्य की स्वीकृति की तिथि से उसके पूरा होने की तिथि तक कार्य की प्रगति का प्रबोधन संबद्ध अधिकारियों द्वारा किया जाए।

(4) दिशा निर्देशों में दिए गए प्रावधानों के अनुसार, कार्यों के न्यूनतम 10 प्रतिशत का निरीक्षण जिलाध्यक्ष द्वारा किया जाए। इसी तरह जैसाकि दिशा निर्देशों में उल्लिखित है, कार्यकारी अभिकरणों के वरिष्ठ अधिकारियों को भी कार्यों का निरीक्षण करना चाहिए।

(5) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन करने हेतु वर्ष में कम से कम एक बार मुख्य सचिवों/प्रशासकों को स्वयं जिलाध्यक्षों तथा सांसदों की बैठक का संचालन करना चाहिए।

विवरण

लोक सभा एवं राज्य सभा के सांसदों को जारी/व्यय का संक्षिप्त विवरण (30.6.2001 तक)

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	1993-2002				
		भारत सरकार द्वारा जारी की गई राशि (लाख रुपये में)	स्वीकृत राशि (लाख रु. में)	जारी नीधि से स्वीकृत (राशि का %)	किया गया व्यय लाख रु. में	जारी निधि के उपयोग का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1.	नामित	9120	7142.0	78.3	5370.1	58.9
2.	आन्ध्र प्रदेश	65385	59916.0	91.6	44185.0	67.6
3.	अरूणाचल प्रदेश	3015	2764.5	91.7	2389.6	79.3
4.	असम	19935	17647.0	88.5	14422.6	72.3
5.	बिहार	56910	49797.0	87.5	36868.8	64.8
6.	गोवा	2415	2108.1	87.3	1645.2	68.1
7.	गुजरात	36125	31367.0	86.8	22900.6	63.4
8.	हरियाणा	14915	13574.0	91.0	11074.7	74.3
9.	हिमाचल प्रदेश	6935	6037.5	87.1	5035.5	72.6
10.	जम्मू एवं कश्मीर	6050	4891.5	80.9	2669.3	44.1
11.	कर्नाटक	39790	35377.0	88.9	26790.6	67.3
12.	केरल	28275	25086.0	88.7	15654.1	55.4
13.	मध्य प्रदेश	41840	37160.0	88.8	29157.8	69.7
14.	महाराष्ट्र	66365	59562.0	89.7	37844.7	57.0
15.	मणिपुर	3115	2749.1	88.3	2220.4	71.3
16.	मेघालय	2415	2028.5	84.0	1991.1	82.4
17.	मिजोरम	2310	2120.7	91.8	2012.2	87.1
18.	नागालैंड	2210	1910.0	86.4	1217.0	55.1
19.	उड़ीसा	31670	27847.0	87.9	17646.4	55.7
20.	पंजाब	18195	15818.0	86.9	9346.4	51.4
21.	राजस्थान	36495	32913.0	90.2	25053.5	68.6

1	2	3	4	5	6	7
22.	सिक्किम	2000	1810.0	90.5	1654.1	82.7
23.	तमिलनाडु	61535	56236.0	91.4	50683.2	82.4
24.	त्रिपुरा	2915	2617.4	89.8	1149.3	39.4
25.	उत्तर प्रदेश	113940	102155.0	89.7	79194.5	69.5
26.	पश्चिम बंगाल	52705	45905.0	87.1	28175.3	53.5
27.	अण्डमान एवं निकोबार	505	470.4	93.1	480.4	95.1
28.	चण्डीगढ़	705	651.2	92.4	440.1	62.4
29.	दादर व नागर हवेली	1005	914.2	91.0	536.9	53.4
30.	दमन एवं द्वीव	805	667.5	82.9	471.4	58.6
31.	दिल्ली	9695	8251.5	85.1	6154.3	63.5
32.	लक्षद्वीप	805	716.4	89.0	716.4	89.0
33.	पांडिचेरी	2410	2993.9	124.2	1321.7	54.8
34.	छत्तीसगढ़	15245	13791.0	90.5	11287.7	74.0
35.	उत्तरांचल	6825	5951.3	87.2	4534.1	66.4
36.	झारखंड	14280	11767.0	82.4	8910.7	62.4
	कुल योग	778860	692709.4	88.9	511205.7	65.6
	उड़ीसा राहत	340	340.0			

अनुभाग अधिकारियों और अवर सचिवों की प्रोन्नति

1558. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय के अनुभाग अधिकारियों और अवर सचिवों को वर्ष, 1999 में पारी के आधार पर अगली प्रोन्नति का लाभ अर्थात् चौथी और तीसरी प्रोन्नति दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं के पदोन्नत किए गए सहायकों को मात्र दो प्रोन्नति मिलती हैं और वे सुनिश्चित प्रोन्नति योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं;

(ग) क्या संसदीय स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि पदोन्नत किए गए सहायकों को भी अनुभाग अधिकारियों और अवर सचिवों की तरह स्वपारी के आधार पर प्रोन्नति मिलनी चाहिए;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सरकार द्वारा गठित वरिष्ठ अधिकारियों की समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बिना स्व पारी के आधार पर सहायकों की प्रोन्नति करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) केन्द्रीय सचिवालय-सेवा के अनुभाग अधिकारियों और अवर सचिवों को स्वस्थाने उन्नयन दिया गया था, क्योंकि सीधे भर्ती हुए और पदोन्नत किए गए अनुभाग अधिकारियों की आपसी वरिष्ठता के बारे में चली लंबी मुकदमेबाजी

के कारण क्रमश: 1986 और 1993 के बाद उनमें से किसी की कोई भी पदोन्नति नहीं हुई थी।

(ख) वर्ष 1999 में जारी की गई सुनिश्चित कॅरिअर-प्रोन्नयन-योजना में संपूर्ण सेवाकाल के दौरान दो वित्तीय उन्नयनों का प्रावधान है और अपने सेवाकाल के दौरान दो पदोन्नति अर्जित कर चुके पदोन्नत सहायक, इस योजना के अनुसार, वित्तीय उन्नयनों के लाभ के पात्र नहीं हैं।

(ग) जी, हां। फिर भी, उपर्युक्त सिफारिश स्वीकार नहीं की जा सकी क्योंकि नियमित पदोन्नति का माध्यम कार्यान्वित करने की दृष्टि से, अनुभाग अधिकारी-ग्रेड में पदोन्नति के पात्र सहायकों की प्रवर सूचियां नियमित अंतराल पर जारी की गई थीं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

खादी और ग्रामोद्योग आयोग

1559. **श्री विलास मुत्तेमवार:** क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग का विचार खादी उत्पादों के अलावा अन्य वस्तुओं की बिक्री करके विविधता लाने का है;

(ख) क्या केन्द्रीय खादी ग्रामोद्योग आयोग के कार्यकरण की जांच के लिए योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित समिति ने इसकी वित्तीय स्थिति में सुधार और व्यवसाय में बेहतर संभावनाएं तलाशने के लिए नये उपायों को अपनाने की सिफारिश की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस मामले में विशेषकर केन्द्रीय खादी ग्रामोद्योग आयोग की वित्तीय स्थिति के संबंध में निर्णय क्या लिए हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, ग्रामोद्योग कार्यक्रम के अन्तर्गत पहले से ही खादी उत्पादों के अतिरिक्त अन्य विभिन्न उत्पादों का संवर्धन कर रहा है।

(ख) और (ग) खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए उपयुक्त उपाय सुझाने के लिए श्री के.सी. पंत, उपाध्यक्ष, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित की गई थी। सरकार ने 14.5.2001 को समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र के लिए एक पैकेज की घोषणा की थी। पैकेज की मुख्य विशेषताओं में पांच वर्षों के लिए छूट नीति, छूट का विकल्प एवं विपणन विकास सहायता (एमडीए), खादी कारीगरों हेतु बीमा कवच, खादी उत्पादों के सुधार पर बल, पैकेजिंग और डिजाइन सुविधाओं का सृजन विपणन के संवर्धन हेतु उपाय, ब्रांड बिल्डिंग, कलस्टर का विकास, कोर क्षेत्रों पर ध्यान और अतिरिक्त कार्यशील पूंजी का प्रावधान शामिल है।

(घ) पैकेज में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) की वित्तीय हालत सुधारने के लिए उपायों की संभावना पर विचार किया गया है। खादी संस्थानों को, कंसोर्टियम बैंक क्रेडिट योजना के अन्तर्गत दिए जाने वाले 300 करोड़ रु. के आवधिक ऋण को कार्यशील पूंजी में परिवर्तित करने की अनुमति दी जाएगी। छूट योजना से विपणन विकास सहायता में परिवर्तन के इच्छुक संस्थानों को 250 करोड़ रु. की अतिरिक्त राशि प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है।

लघु उद्योगों का विकास

1560. **श्रीमती रेणूका चौधरी:**
श्री माधवराव सिंधिया:
श्री सुशील कुमार शिंदे:

क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु उद्योग के विकास के संबंध में गठित योजना आयोग के अध्ययन दल ने इस क्षेत्र के संवर्धन और विकास के लिए कोई एकल एकीकृत अधिनियम का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो लघु उद्योग क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए मौजूदा कानूनों के प्रवर्तन में इस अध्ययन दल ने क्या-क्या खामियां पाई और नए कानून के माध्यम से किस प्रकार के प्रमुख सुधार की अपेक्षा की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) जी, हां। अध्ययन दल के अनुसार लघु उद्योगों को प्रभावित करने वाले वर्तमान कानूनों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। (क) उद्योगों को स्थापित करने संबंधी कानून (ख) उद्योगों के कार्य को शासित करने वाले कानून (ग) श्रम तथा उनके कल्याण संबंधी कानून। अध्ययन दल ने पाया है कि श्रम तथा उनके कल्याण संबंधी कानून अधिक निवारक तथा कठिनाई देने वाले हैं। लघु उद्यमी इस स्थिति में नहीं हैं कि वह बड़ी संख्या में जरूरत के अनुसार रजिस्टरों, फार्मों, रिटर्नों आदि का रख-रखाव रख सकें। इसके अतिरिक्त, लघु उद्यमों की श्रमशक्ति, आदेशों की उपलब्धता के आधार पर भिन्न होती है, जिससे श्रम कानूनों का पालन करने में लघु उद्यमों की कठिनाई बढ़ती है। एक एकल एकीकृत अधिनियम सभी पहलुओं को कवर करेगी जो लघु उद्यमों के विनियंत्रण तथा वृद्धि, कानूनों के आधिक्य को हटाना तथा इस क्षेत्र को शासित करने वाले नियम व कायदे से संबंधित है।

(ग) सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले कानूनों, नियमों, प्रक्रियाओं को सरलीकृत करने संबंधी अध्ययन हेतु एक स्वतंत्र अभिकरण को अध्ययन कार्य सौंपा है। उन्हें लघु उद्योगों के लिए एक एकल विस्तृत नियम सुझाने का कार्य भी सौंपा गया है।

[हिन्दी]

संघ-लोक-सेवा-आयोग में सुधार हेतु आयोग

1561. श्री शिवाजी विठ्ठलराव काम्बले: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 'संघ-लोक-सेवा-आयोग में सुधार हेतु समिति' का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो समिति के विचारार्थ विषयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) रिपोर्ट को कब तक सौंप दिए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ङ) संघ-लोक-सेवा-आयोग में सुधार सुझाने के लिए सरकार ने कोई भी समिति गठित नहीं की है। फिर भी, संघ-लोक-सेवा-आयोग ने सिविल सेवा-परीक्षा की मौजूदा योजना की समीक्षा करने की दृष्टि से एक समिति गठित की है। उपर्युक्त समिति के मुख्य विचारार्थ विषय, पिछले अनुभवों तथा वर्तमान अपेक्षाओं के मद्देनजर, सिविल सेवा-परीक्षा की मौजूदा योजना की जांच-पड़ताल करना तथा विभिन्न सेवाओं में नियुक्ति हेतु सर्वोत्तम और सबसे अधिक उपयुक्त व्यक्ति चुने जाने की दृष्टि से अपेक्षित नवाचार (नए तौर-तरीकों) की सिफारिश करना हैं। उपर्युक्त समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट शीघ्र ही संघ-लोक-सेवा-आयोग को प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है।

भ्रष्ट अधिकारी

1562. श्री सुबोध मोहिते: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 जून, 2001 के 'दी इंडियन एक्सप्रेस' में "4000 करप्ट ऑफिशियल्स येट टू बी पनिश्ड सी वी सी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन मामलों के शीघ्रतापूर्वक निपटान हेतु क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) केन्द्रीय सतर्कता-आयोग द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और बैंकों में, 07.06.2001 को मौजूद स्थिति के अनुसार, कुल 4347 मामले, उपर्युक्त आयोग की सलाह कार्यान्वित किए जाने हेतु लम्बित चल रहे थे।

(ग) केन्द्रीय सतर्कता-आयोग की सलाह निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्यान्वित किया जाना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग की ही होती है। मंत्रालय/विभाग में लंबित चल रहे सभी अनुशासनिक मामलों की संबंधित विभाग के सचिव द्वारा मासिक समीक्षा किए जाने और ऐसे अनुशासनिक मामलों की मॉनीटरिंग किए जाने की दृष्टि से प्रत्येक माह, कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग को ऐसी समीक्षा के निष्कर्षों से अवगत करवाए जाने के भी अनुदेश हैं। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सतर्कता-

आयोग भी, ऐसे मामलों का निबटारा शीघ्रता से किया जाना सुनिश्चित करने की दृष्टि से विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा की जा रही कार्रवाई पर लगातार कड़ी नजर रखे हुए है।

सी.जी.एच.एस. के औषधालयों में औचक निरीक्षण

1563. **श्री के.ई. कृष्णमूर्तिः**
प्रो. दुखा भगतः
श्री अब्दुल रशीद शाहीनः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में वरिष्ठ अधिकारियों ने राजधानी में केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सी.जी.एच.एस.) के कुछ औषधालयों का औचक निरीक्षण किया था;

(ख) यदि हां, तो दौरा करने वाली टीम द्वारा उन औषधालयों के कार्यकरण में पाई गई खामियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लाभार्थियों की राय भी ली गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

टाइडल और सॉफ्टवेयर पार्कों का विकास

1564. **श्री पी.डी. एलानगोवनः**
श्री वाई.जी. महाजनः
श्री ताराचन्द भगोराः
श्री कान्तिलाल भूरियाः
श्री भर्तृहरि महताबः

क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में अधिक संख्या में टाइडल और सॉफ्टवेयर पार्क स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में विशेषकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में राज्यवार किन-किन स्थानों पर ऐसे पार्कों का विकास किया जाना है;

(ग) इस पर अनुमानतः कितनी धनराशि के व्यय होने का अनुमान है;

(घ) प्रत्येक टाइडल और सॉफ्टवेयर पार्कों से अर्जित होने वाली आय का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष ऐसे पार्कों के विकास हेतु राज्यों को कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) और (ख) जी, हां। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अन्तर्गत भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआई) नामक स्वायत्त संस्था ने देश में विभिन्न स्थानों पर एसटीपीआई केन्द्र स्थापित किए हैं। भारत सरकार तथा संबंधित राज्य सरकारों की सहायता से स्थापित किए गए एसटीपीआई केन्द्रों की सूची विवरण-I में दी गई है। एसटीपीआई विवरण-II में दी गई विस्तृत सूची के अनुसार कुछ और स्थानों में एसटीपीआई केन्द्र स्थापित करने की योजना बना रही है।

(ग) उच्च गति की आंकड़ा संचार सुविधा सहित एसटीपीआई केन्द्र स्थापित करने पर परिव्यय 5 करोड़ रुपए है जिसमें भूमि तथा भवन शामिल नहीं हैं।

(घ) एसटीपीआई के जरिए वर्ष 2000-2001 के दौरान 20,051 करोड़ रु. के सॉफ्टवेयर का निर्यात किया गया था। एसटीपीआई केन्द्रों से किए गए 20,051 करोड़ रुपए का निर्यात राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर निर्यात के 70 प्रतिशत से ज्यादा है। वर्ष 2000-2001 के निर्यात के केन्द्रवार आंकड़े विवरण-III में दिए गए हैं।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान एसटीपीआई केन्द्र स्थापित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 750 लाख रुपए विकसित किए गए हैं। वितरित धनराशि के राज्यवार एवं वर्षवार ब्यौरे विवरण-4 में दिए गए है।

विवरण-I

क्रम सं.	एसटीपीआई केन्द्र	राज्य
1	2	3
1.	औरंगाबाद	महाराष्ट्र
2.	भुवनेश्वर	उड़ीसा
3.	बंगलौर	कर्नाटक
4.	कलकत्ता	पश्चिम बंगाल

1	2	3
5.	चेन्नै	तमिलनाडु
6.	कोयम्बटूर	तमिलनाडु
7.	गांधीनगर	गुजरात
8.	गुवाहाटी	असम
9.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
10.	इंदौर	मध्य प्रदेश
11.	जयपुर	राजस्थान
12.	मोहाली	पंजाब
13.	मैसूर	कर्नाटक
14.	मणिपाल	कर्नाटक
15.	नवी मुम्बई	महाराष्ट्र
16.	नोएडा	उत्तर प्रदेश
17.	पुणे	महाराष्ट्र
18.	श्रीनगर	जम्मू तथा कश्मीर
19.	शिमला	हिमाचल प्रदेश
20.	तिरूवनन्तपुरम	केरल
21.	वाइजैग	आंध्र प्रदेश

विवरण-II

प्रस्तावित नए एसटीपीआई केन्द्र

क्रम सं.	केन्द्र	राज्य
1	2	3
1.	नागपुर	महाराष्ट्र
2.	नासिक	महाराष्ट्र
3.	कोल्हापुर	महाराष्ट्र
4.	मंगलोर	कर्नाटक
5.	हुबली	कर्नाटक
6.	त्रिची	तमिलनाडु
7.	मदूरै	तमिलनाडु
8.	सलेम	तमिलनाडु
9.	तिरूनलवेली	तमिलनाडु
10.	राउरकेला	उड़ीसा
11.	कलकत्ता	पश्चिम बंगाल
12.	विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश
13.	वारंगल	आंध्र प्रदेश
14.	तिरूपति	आंध्र प्रदेश
15.	गंगटोक	सिक्किम
16.	पांडिचेरी	पांडिचेरी
17.	अगरतला	त्रिपुरा
18.	देहरादून	उत्तरांचल
19.	गुड़गांव	हरियाणा
20.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश
21.	कानपुर	उत्तर प्रदेश
22.	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश
23.	वाराणसी	उत्तर प्रदेश
24.	आगरा	उत्तर प्रदेश
25.	रांची	झारखण्ड
26.	जमशेदपुर	झारखण्ड
27.	पटना	बिहार
28.	भोपाल	मध्य प्रदेश
29.	रूड़की	उत्तरांचल
30.	रायपुर	छत्तीसगढ़

विवरण-III

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	केन्द्र का नाम	राज्य	निर्यात
1	2	3	4
1.	बंगलौर	कर्नाटक	7,475.00
2.	भुवनेश्वर	उड़ीसा	200.00
3.	कलकत्ता	पश्चिम बंगाल	250.00
4.	चेन्नै	तमिलनाडु	2,956.00
5.	गांधीनगर	गुजरात	102.00
6.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	1,990.00
7.	जयपुर	राजस्थान	30.00
8.	मोहाली	पंजाब	40.00
9.	नवी मुम्बई	नवी मुम्बई	1,610.00
10.	नोएडा	उ.प्र., म.प्र., हरियाणा, दिल्ली	4,350.00
11.	पुणे		960.00
12.	तिरूवनन्तपुरम		88.00
	योग		20,051.00

विवरण-IV

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा एसटीपीआई को वितरित राज्यवार तथा वर्षवार सहायता अनुदान के ब्यौरे

(लाख रु. में)

वर्ष	महाराष्ट्र	तमिलनाडु	कर्नाटक	उड़ीसा	आन्ध्र प्रदेश	जम्मू एवं कश्मीर	असम	मध्य प्रदेश	सिक्किम	कुल योग
1998-99	-	50.00	50.00	-	50.00	-	100.00	-	100.00	350.00
1999-2000	-	-	50.00	-	-	-	100.00	-	-	150.00
2000-2001	100.00	-	50.00	-	-	50.00	-	50.00	-	250.00
कुल योग	100.00	50.00	150.00	-	50.00	50.00	200.00	50.00	100.00	750.00

विदेश सचिव का अमेरिका का दौरा

1565. **श्री सुशील कुमार शिंदे:**
श्रीमती रेणूका चौधरी:
श्री माधवराव सिंधिया:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के विदेश सचिव ने विभिन्न द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर बातचीत के लिए इस वर्ष मई में अमेरिका का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो किन-किन विषयों पर चर्चा की गई; और

(ग) तत्संबंधी क्या निष्कर्ष निकले?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) जी, हां। विदेश सचिव ने विदेश कार्यालय परामर्श और अमरीका के राजनैतिक मामलों के अण्डर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ एशियाई सुरक्षा वार्ता के लिए 17-19 मई, 2001 तक अमरीका की यात्रा की थी। यह मार्च, 2000 में भारत और अमरीका के बीच स्थापित वार्ता रूपरेखा का हिस्सा हैं।

(ख) दोनों पक्षों ने आपसी हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय, मसलों पर चर्चा की जिनमें भारत और अमरीका के बीच मजबूत, अधिक विस्तृत आधार वाले और अधिक लाभकारी संबंधों का विकास एशिया की हाल की घटनाएं, एशियाई और

विस्तृत अन्तर्राष्ट्रीय संदर्भों में सुरक्षा और स्थायित्व और आतंकवाद रोधी तथा संयुक्त राष्ट्र शांति कार्यों सहित अनेक बहुपक्षीय मसले शामिल है।

(ग) इस बातचीत से सरकार को आपसी हित के मसलों पर अमरीका की नई सरकार के साथ समझबूझ को मजबूत करने का अवसर मिला। दोनों पक्षों ने वार्ता रूपरेखा और दोनों देशों के बीच सशस्त्र द्विपक्षीय संबंधों का अनुसरण करने के उपाय के रूप में इसे और विकसित करने के प्रति अपनी वचनबद्धता को भी दोहराया। विदेश सचिव की यात्रा के बाद आतंकवाद रोधी और संयुक्त राष्ट्र शांति कार्यों से सम्बद्ध संयुक्त कार्यकारी दलों की जून, 2001 के अंतिम सप्ताह में बैठकें हुई थीं।

परियाराम चिकित्सा महाविद्यालय

1566. श्री रमेश चेन्नितला: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने केरल सरकार से परियाराम चिकित्सा महाविद्यालय को मान्यता देने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त किये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इसे मान्यता प्रदान कर दी गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार गैर-आवश्यक निर्धारितियों में छूट देकर इसे मान्यता प्रदान करने के हेतु विचार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) सरकार ने एकेडमी आफ मेडिकल साइंसेज, पेरियारोम, कन्नुर द्वारा प्रदान की गई एम बी बी एस डिग्री को मान्यता प्रदान नहीं की है क्योंकि कालेज प्राधिकारी भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के विनियमों के अनुसार अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध कराने में समर्थ नहीं हुए हैं। कालेज ने इसे मार्च, 2001 तक उपलब्ध करा देने का वचन दिया है। तथापि, निरीक्षण रिपोर्टों में बताई गई कमियों को दूर करने के संबंध में कालेज की अनुपालन रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई थी। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् ने कालेज की अनुपालन रिपोर्ट के सत्यापन के लिए निरीक्षण पहले ही कर लिया है और निरीक्षकों की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान

1567. श्री पदमसेन चौधरी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में शीघ्र ही राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अन्तिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) दिल्ली में एक आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने का एक प्रस्ताव है जहां पंचकर्मा, रासायन (रेजुविनेशन) थिरेपी, क्षारसूत्र थिरेपी जैसे आयुर्वेदिक विशिष्ट उपचार और चिरकारी तथा जीवनशैली से संबंधित समस्याओं के लिए आयुर्वेदिक उपचार दिया जा सकता है।

(ग) अब तक कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है क्योंकि यह परियोजना अभी तक नियोजन की अवस्था में है।

[अनुवाद]

नशा मुक्ति

1568. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान नशा करने तथा इसकी लत पड़ जाने के मामलों में तीन गुना वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस बुराई से छुटकारा पाने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान चलाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) और (ख) चूंकि देश में नशीली दवाओं के दुरूपयोग के विस्तार के संबंध में कोई राष्ट्र व्यापी सर्वेक्षण या एक राष्ट्रीय आंकड़ा आधार नहीं है इसलिए देश में नशीली दवाओं के दुरूपयोगकर्त्ताओं/व्यसनियों की संख्या निर्धारित

करना कठिन है। तथापि, किये गये विभिन्न अध्ययनों तथा विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध सूचना देश में नशीली दवाओं के दुरूपयोग और व्यसन के बढ़ती प्रवृत्ति को विनिर्दिष्ट करती है। तथापि, कोई ठोस आंकड़ा नहीं है।

अभिजात समूह का दबाव, उत्सुकता, औद्योगकीकरण/शहरीकरण, पारंपरिक संयुक्त परिवार पद्धति का टूटना तथा नशीली दवाओं की उपलब्धता आदि कुछ ऐसे स्पष्ट कारण है जिसने व्यक्तियों का सामाजिक कुसमंजनों तथा विचलनों जैसे नशाखोरी और नशीली दवा दुरूपयोग के लिए संवेदनशील बना दिया है।

(ग) और (घ) नशीली दवा दुरूपयोग को मनो-सामाजिक-चिकित्सीय समस्या के रूप में मान्यता देते हुए जिसे समुदाय व्यवस्था में बेहतर तरीके से निपटाया जा सकता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नशाखोरी तथा पदार्थ (नशीली दवा) दुरूपयोग निवारण की योजना को कार्यान्वित करता रहा है। इस योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों को जागरूकता सृजन, निवारणात्मक शिक्षा, परामर्श और पहचान, नशामुक्तिकरण, व्यसनियों का पुनर्वास तथा उत्तरवर्ती देखभाल संबंधी समुदाय आधारित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए सहायता अनुदान दिया जाता है। फिलहाल यह मंत्रालय सम्पूर्ण देश में 436 केन्द्र (104 नशीली दवा जागरूकता परामर्श तथा सहायता केन्द्र और 332 उपचार व पुनर्वास केन्द्र) चलाने के लिए 350 स्वयंसेवी संगठनों को सहायता प्रदान कर रहा है। इसके अतिरिक्त, जन साधारण के बीच सूचना के प्रचार-प्रसार के लिए मीडिया चैनलों इलेक्ट्रानिक तथा मुद्रण का उपयोग करता रहा है।

संयुक्त उद्यम के लिए समझौता

1569. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:
श्री प्रकाश वी. पाटील:

क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जून, 2001 माह के दौरान भारत और अमेरिकी मैसचूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने संयुक्त उद्यम के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की प्रमुख बातें क्या हैं; और

(ग) इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने के प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) जी, हां। भारत में मीडिया लैब एशिया की स्थापना के लिए 24 जून, 2001 को एक समझोते पर हस्ताक्षर किए गए।

(ख) इस समझौते की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-

- स्वास्थ्य, अधिगम, उद्यम आदि की चुनौतियों को पूरा करने के लिए परिष्कृत सूचना प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने के लिए मीडिया लैब एशिया की स्थापना।
- मीडिया लैब एशिया के कार्यक्रम को दो चरणों में तैयार किए गया है- एक वर्षीय प्रायोगिक कार्यक्रम तथा एक परवर्ती 'पूर्ण-कार्यक्षेत्र कार्यक्रम' जो एक वर्षीय प्रयोगात्मक कार्यक्रम के संतोषजनक मूल्यांकन तथा आपसी समझौते के आधार पर शुरू किया जा सकता है।
- मेसाचेसट्स इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) का मीडिया लैब भारत में आम आदमी की दैनिक समस्याओं के समाधान के लिए अत्यधिक परिष्कृत उदीयमान सूचना प्रौद्योगिकियों के लाभों को लाने के उद्देश्य से मीडिया लैब एशिया कार्यक्रम के अनुसंधान में भारत सरकार की सहायता करेगा।
- मीडिया लैब एशिया को एक अलाभकारी भारतीय संगठन के रूप में स्थापित किया जाएगा।
- भारत सरकार प्रयोगात्मक कार्यक्रम के लिए 65 करोड़ रुपए की राशि का योगदान देगी।
- उपर्युक्त राशि में से, 1.7 मिलियन अमेरीकी डॉलर की राशि का भुगतान एमआईटी को विभिन्न कार्यक्रमों के व्यय के लिए (जैसाकि यात्रा, संचार, वेतन अप्रत्यक्ष लागत तथा अध्येतावृत्ति व्यय) मुआवजे के रूप में किया जाएगा।
- इस समझौते के अन्तर्गत मीडिया लैब एशिया संगठन और एमआईटी मीडिया लैब की भागीदारी से विकसित बौद्धिक सम्पदा का स्वामित्व लैब एशिया संगठन तथा एमआईटी की संबद्ध नीतियों के अनुसार निहित होगा। संयुक्त रूप से जो कुछ विकसित किया जाएगा। उसमें समान रूप से साझेदारी होगी और प्रत्येक पक्ष उसका इस्तेमाल कर सकेगा।
- एमआईटी मीडिया लैब, मीडिया लैब एशिया संगठन को मीडिया लैब एशिया की बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आईपीआर) नीति तैयार करने में अपनी व्यावसायिक तथा तकनीकी विशेषज्ञता के लाभ प्रदान करेगा।
- दोनों पार्टियों में यह सहमति है कि एमआईटी का मीडिया लैब ऐसे किसी अन्य संगठन की स्थापना नहीं करेगा जिसमें 'मीडिया लैब एशिया' के नाम का इस्तेमाल

किया जाए या इस नाम को शामिल किया जाए तथा भारत सरकार की सहमति के बिना एशिया में इसी उद्देश्य वाले किसी अन्य संगठन की स्थापना नहीं करेगा।

- मीडिया लैब एशिया के संबंध में जनता को साथ पारदर्शी तथा सटीक सम्पर्क बनाए रखने के लिए दोनों पार्टियों का एक समान लक्ष्य है।
- गतिरोध, विवाद या मदभेद की स्थिति में पार्टियों के अधिकार और दायित्व दिल्ली में माध्यस्थम द्वारा सुलझाए जा जाएंगे।
- यह समझौता भारतीय गणराज्य के कानून द्वारा विनियमित होगा।

(ग) मीडिया लैब एशिया को एक अलाभकारी संगठन द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। अलाभकारी संगठन की स्थापना की जा रही है तथा इसके अगस्त, 2001 तक पूरा होने की संभावना है?

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के लिए सलाहकार बोर्ड

1570 **श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी:** क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर सलाहकार बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) के.वी.आई.सी. नियम, 1957 के नियम 13 के साथ पठित के.वी.आई.सी. अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार ने 15.3.1999 को तीन वर्ष की अवधि के लिए पहले ही एक सलाहकार बोर्ड नामशः खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के लिए राज्य और जिला स्तरीय सलाहकार बोर्ड की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अमरनाथ यात्रा के रास्ते में सेना की तैनाती

1571. **श्रीमती श्यामा सिंह:**
श्री अधीर चौधरी:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 जून, 2001 के "स्टेट्समैन" में "आर्मी वायोलेटेड सेक्यूरिटी नार्म्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सोनमर्ग में तैनात सैन्य कर्मियों ने अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को दूसरा मार्ग दिखाकर सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसे उल्लंघनों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) जी, नहीं। इस समाचार पत्र के लेख की विषय-वस्तु झूठी और तथ्यरहित है।

जातीय हमले

1572. **श्री साहिब सिंह:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में इंग्लैण्ड में एशियाई लोगों पर हुए जातीय हमलों की रिपोर्टें आई थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन हमलों के दौरान भारतीय मूल के लोगों को अनुमानतः कितनी क्षति हुई है; और

(घ) सरकार द्वारा भारतीय मूल के लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) जी, हां। हाल ही में यूनाईटिड किंगडम के ओल्डहेम, लीड्स बर्नले और ब्राडफोर्स जैसे मुख्य शहरों में जातीय दंगे हुए हैं जिनमें एशियाई समुदाय के सदस्य प्रमुखतः पाकिस्तानी और बंगलादेशी मूल के व्यक्ति शामिल थे। इन दंगों में जनता और

पुलिस अधिकारियों दोनों के सदस्यों को आगजनी लूटपाट जान-माल की काफी क्षति की पहुंची हैं।

(ग) ब्राडफोर्स में दंगों के दौरान भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की दुकानों के आगे के हिस्से और उनकी कारों को नुकसान पहुंचाने की रिपोर्ट मिली हैं।

(घ) यूनाइटिड किंगडम की सरकार भारतीय मूल के नागरिकों समेत अपने सभी नागरिकों के हितों की सुरक्षा के प्रति वचनबद्ध है।

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान के लिए गैर-योजना व्यय

1573. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकन्दराबाद के गैर-योजना व्यय को बिल्कुल कम कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 में राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान के लिए स्वीकृत गैर-योजना व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2000-2001 में गैर-योजना व्यय पर कितनी निधियां व्यय की गई;

(घ) क्या इस कटौती से विशेषकर इसके परिसर से बाहर जाकर किए जाने वाले कार्यक्रमों तथा राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान के कार्यकलापों में कमी आएगी; और

(ङ) यदि हां, तो इस स्थिति की समीक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के लिए राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान का गैर योजना आवंटन और व्यय निम्नलिखित है:-

	आवंटन	व्यय
1999-2000	180.00 लाख रुपए	161.00 लाख रुपए
2000-2001	198.00 लाख रुपए	217.00 लाख रुपए

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

प्रधान मंत्री को निमंत्रण

1574. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:
श्री आर.एस. पाटिल:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंग्लादेश के प्रधान मंत्री ने हमारे प्रधान मंत्री को ढाका आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु भूमि

1575. डा. मदन प्रसाद जायसवाल:
श्री रामजी मांझी:

क्या **रक्षा मंत्री** 22.2.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 335 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपेक्षित सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या कुछ प्राइवेट लोगों ने आबंटित भूमि का दुरूपयोग किया है; और

(ङ) सरकार द्वारा इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) से (ग) जी, हां। अपेक्षित सूचना एकत्रित कर ली गई है। सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) सरकार को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण

क्र.सं.	उस स्टेशन का नाम जहां लाइसेंस के आधार पर भूमि आबंटित की गई	लाइसेंस के आधार पर आबंटित क्षेत्र	लाइसेंस की अवधि	प्राप्त धनराशि (रुपए में)
1	2	3	4	5
		पश्चिम कमान		
1.	जालंधर	0.75 एकड़	12.6.1998 से 30.6.1998	5,144/-
2.	जालंधर	2 एकड़	11.9.1998 से 10.11.1998	28,743/-
3.	फिल्लौर	23 एकड़	28.4.1998 से 8.5.1998	24,000/-
4.	फिल्लौर	15 एकड़	26.9.1998 से 30.10.1998	18,000/-
5.	फिल्लौर	15 एकड़	10.4.1999 से 15.5.1999	22,500/-
6.	फिल्लौर	15 एकड़	10.9.1999 से 31.10.1999	25,650/-
7.	फिल्लौर	15 एकड़	10.4.2000 से 9.5.2000	21,877/-
8.	फिल्लौर	20.75 एकड़	25.9.2000 से 31.10.2000	32,000/-
9.	खन्ना	8 एकड़	6.1.1998 से 8.1.1998	3,600/-
10.	खन्ना	8 एकड़	5.2.1998 से 7.2.1998	3,600/-
11.	नवां शहर	300'×300'	3.7.1998 से 2.8.1998	34,000/-
12.	नवां शहर	250'×100'	1.12.1998 से 20.12.1998	22,703/-
		दक्षिण कमान		
13.	कण्णानूर	100 वर्ग फुट	12.6.2000 से 11.6.2001	250/- प्रतिमाह
14.	कण्णानूर	100 वर्ग फुट	19.6.2000 से 18.6.2001	250/- प्रतिमाह
15.	सेंट थामस माउंट	40'×20'	28.7.1998 से 27.7.2000	12,000/- प्रतिवर्ष
16.	सेंट थामस माउंट	30'×20'	4.8.1998 से 3.8.2000	10,800/- प्रतिवर्ष
17.	सेंट थामस माउंट	40'×20'	4.8.1998 से 3.8.2000	14,400/- प्रतिवर्ष
18.	सेंट थामस माउंट	40'×20'	4.8.1998 से 3.8.2000	14,400/- प्रतिवर्ष
19.	सेंट थामस माउंट	30'×15'	4.8.1998 से 3.8.2000	5,400/- प्रतिवर्ष
20.	सेंट थामस माउंट	30'×15'	4.8.1998 से 3.8.2000	5,400/- प्रतिवर्ष
21.	सेंट थामस माउंट	40'×20'	4.8.1998 से 3.8.2000	24,000/- प्रतिवर्ष
21क.	सेंट थामस माउंट	40'×20'	4.8.1998 से 3.8.2000	24,000/- प्रतिवर्ष

1	2	3	4	5
22.	सेंट थामस माउंट	40'×20'	4.8.1998 से 3.8.2000	16,800/- प्रतिवर्ष
23.	सेंट थामस माउंट	30'×20'	4.8.1998 से 3.8.2000	7,200/- प्रतिवर्ष
24.	सेंट थामस माउंट	30'×20'	4.8.1998 से 3.8.2000	7,200/- प्रतिवर्ष
25.	सेंट थामस माउंट	20'×50'	7.8.1998 से 6.9.2000	40,000/- प्रतिवर्ष
26.	सेंट थामस माउंट	20'×20'	7.8.1998 से 6.9.2000	30,000/- प्रतिवर्ष
27.	सेंट थामस माउंट	20'×50'	7.8.1998 से 6.9.2000	55,000/- प्रतिवर्ष
28.	सेंट थामस माउंट	40'×20'	7.8.1998 से 6.9.2000	66,850/- प्रतिवर्ष
29.	सेंट थामस माउंट	1250 वर्ग फुट	23.9.1999 से 22.8.2000	35,298/- प्रतिवर्ष
30.	सेंट थामस माउंट	600 वर्ग फुट	15.12.1998 से 14.11.2000	17,029/- प्रतिवर्ष
31.	पुणे	96.12 वर्ग मीटर	23.5.2000 से 22.3.2001	10,614/- प्रतिवर्ष
32.	पुणे	576.69 वर्ग मीटर	8.11.2000 से 7.9.2001	11,247/- प्रतिवर्ष
33.	पुणे	120.00 वर्ग फुट	1998-99 में 30 दिनों के लिए	25,525/-
34.	पुणे	120.00 वर्ग फुट	1998-99 में 30 दिनों के लिए	24,100/-
35.	पुणे	120.00 वर्ग फुट	1998-99 में 30 दिनों के लिए	27,100/-
36.	पुणे	120.00 वर्ग फुट	1998-99 में 30 दिनों के लिए	34,000/-
37.	पुणे	120.00 वर्ग फुट	1998-99 में 30 दिनों के लिए	32,500/-
38.	पुणे	120.00 वर्ग फुट	1998-99 में 30 दिनों के लिए	35,100/-
39.	पुणे	120.00 वर्ग फुट	1998-99 में 30 दिनों के लिए	27,551/-
40.	पुणे	120.00 वर्ग फुट	1998-99 में 30 दिनों के लिए	28,100/-
41.	पुणे	120.00 वर्ग फुट	1998-99 में 30 दिनों के लिए	21,500/-
42.	पुणे	120.00 वर्ग फुट	1998-99 में 30 दिनों के लिए	16,500/-
43.	पुणे	120.00 वर्ग फुट	1998-99 में 30 दिनों के लिए	13,500/-
44.	पुणे	120.00 वर्ग फुट	1998-99 में 30 दिनों के लिए	14,500/-
45.	पुणे	120.00 वर्ग फुट	1998-99 में 30 दिनों के लिए	12,200/-
46.	पुणे	120.00 वर्ग फुट	1999-2000 में 30 दिनों के लिए	25,625/-
47.	पुणे	120.00 वर्ग फुट	1999-2000 में 30 दिनों के लिए	24,200/-

1	2	3	4	5
48.	पुणे	120.00 वर्ग फुट	1999-2000 में 30 दिनों के लिए	27,200/-
49.	पुणे	120.00 वर्ग फुट	1999-2000 में 30 दिनों के लिए	31,100/-
50.	पुणे	120.00 वर्ग फुट	1999-2000 में 30 दिनों के लिए	34,100/-
51.	पुणे	120.00 वर्ग फुट	1999-2000 में 30 दिनों के लिए	33,100/-
52.	पुणे	120.00 वर्ग फुट	1999-2000 में 30 दिनों के लिए	35,000/-
53.	पुणे	120.00 वर्ग फुट	1999-2000 में 30 दिनों के लिए	27,000/-
54.	पुणे	120.00 वर्ग फुट	1999-2000 में 30 दिनों के लिए	28,001/-
55.	पुणे	120.00 वर्ग फुट	1999-2000 में 30 दिनों के लिए	21,786/-
56.	पुणे	120.00 वर्ग फुट	1999-2000 में 30 दिनों के लिए	16,650/-
57.	पुणे	120.00 वर्ग फुट	1999-2000 में 30 दिनों के लिए	13,100/-
58.	पुणे	120.00 वर्ग फुट	1999-2000 में 30 दिनों के लिए	14,500/-
59.	पुणे	120.00 वर्ग फुट	1999-2000 में 30 दिनों के लिए	12,500/-
60.	पुणे	120.00 वर्ग फुट	1999-2000 में 30 दिनों के लिए	10,050/-
61.	पुणे	120.00 वर्ग फुट	2000-2001 में 30 दिनों के लिए	26,051/-
62.	पुणे	120.00 वर्ग फुट	2000-2001 में 30 दिनों के लिए	24,251-
63.	पुणे	120.00 वर्ग फुट	2000-2001 में 30 दिनों के लिए	27,500/-
64.	पुणे	120.00 वर्ग फुट	2000-2001 में 30 दिनों के लिए	45,555/-
65.	पुणे	120.00 वर्ग फुट	2000-2001 में 30 दिनों के लिए	38,000/-
66.	पुणे	120.00 वर्ग फुट	2000-2001 में 30 दिनों के लिए	36,555/-
67.	पुणे	120.00 वर्ग फुट	2000-2001 में 30 दिनों के लिए	36,011/-
68.	पुणे	120.00 वर्ग फुट	2000-2001 में 30 दिनों के लिए	30,788/-
69.	पुणे	120.00 वर्ग फुट	2000-2001 में 30 दिनों के लिए	36,000/-
70.	पुणे	120.00 वर्ग फुट	2000-2001 में 30 दिनों के लिए	25,000/-
71.	पुणे	120.00 वर्ग फुट	2000-2001 में 30 दिनों के लिए	20,100/-
72.	पुणे	120.00 वर्ग फुट	2000-2001 में 30 दिनों के लिए	15,501/-
73.	पुणे	120.00 वर्ग फुट	2000-2001 में 30 दिनों के लिए	15,100/-
74.	पुणे	120.00 वर्ग फुट	2000-2001 में 30 दिनों के लिए	21,000/-

1	2	3	4	5
75.	पुणे	120.00 वर्ग मी.	2000-2001 में 30 दिनों के लिए	25,551/-
76.	किरकी	18.58 वर्ग मी.	20.5.1999 से 31.8.1999 तक	700/-
77.	औरंगाबाद	6967.67 वर्ग मी.	12.1.1998 से 25.2.1998 तक 26.2.1998 से 22.3.1998 तक	12,870/- 1,430/-
78.	औरंगाबाद	4900 वर्ग मीटर	16.6.1998 से 30.7.1998 और 10.8.1998	10,000/- 2,215/-
79.	औरंगाबाद	4900 वर्ग मीटर	14.6.1999 से 15.8.1999	44,415/-
80.	औरंगाबाद	13006.32 वर्ग मीटर	7.7.2000 से 15.8.2000	74,830/-
81.	खानजी कैंप ग्राउंड	3019.25 वर्ग मीटर	10.2.1998 से 2.8.1998	3,57,013/-
82.	खानजी कैंप ग्राउंड	3000 वर्ग मीटर	15.8.1998 से 16.8.1998	4,240/-
83.	खानजी कैंप ग्राउंड	4180.50 वर्ग मीटर	15.9.1998 से 27.12.1998	3,07,216/-
84.	खानजी कैंप ग्राउंड	20234.30 वर्ग मीटर	10.11.1998 से 15.11.1998	27,167/-
85.	खानजी कैंप ग्राउंड	11148 वर्ग मीटर	13.1.1999 से 26.1.1999	1,21,310/-
86.	खानजी कैंप ग्राउंड	4180.50 वर्ग मीटर	21.2.1999 से 10.6.1999	3,57,427/-
87.	खानजी कैंप ग्राउंड	2322.50 वर्ग मीटर	15.6.1999 से 13.8.1999	1,00,312/-
			मध्य कमान	
88.	आगरा	3.006 एकड़	10.11.1999 से 3.12.1999	1,03,080/-
89.	आगरा	0.229 एकड़	10.11.1999 से 3.12.1999	40,000/-
90.	आगरा	3.006 एकड़	4.12.1999 से 6.12.1999	43,140/-
91.	आगरा	0.229 एकड़	4.12.1999 से 6.12.1999	138/-
92.	आगरा	400 वर्ग फुट	1.6.1999 से 30.4.2000	4,258/-
93.	मथुरा	0.103 एकड़	26.7.1999 से 25.8.1999	3,310/-
94.	रानीखेत	10'×10' (लगभग)	30.10.2000 एक वर्ष के लिए	1,533/-
95.	रानीखेत	10'×10' (लगभग)	30.10.2000 एक वर्ष के लिए	1,533/-
96.	रानीखेत	10'×10' (लगभग)	30.10.2000 एक वर्ष के लिए	1,275/-
97.	रानीखेत	10'×10' (लगभग)	30.10.2000 एक वर्ष के लिए	1,483/-
98.	रानीखेत	10'×10' (लगभग)	30.10.2000 एक वर्ष के लिए	1,533/-
99.	रानीखेत	10'×10' (लगभग)	30.10.2000 एक वर्ष के लिए	1,360/-

1	2	3	4	5
100.	रानीखेत	10'×10' (लगभग)	30.10.2000 एक वर्ष के लिए	1,360/-
101.	रानीखेत	10'×10' (लगभग)	30.10.2000 एक वर्ष के लिए	1,328/-
102.	रानीखेत	10'×10' (लगभग)	30.10.2000 एक वर्ष के लिए	1,267/-
103.	रानीखेत	10'×10' (लगभग)	30.10.2000 एक वर्ष के लिए	1,267/-
104.	रानीखेत	10'×10' (लगभग)	30.10.2000 एक वर्ष के लिए	1,161/-
105.	रानीखेत	10'×10' (लगभग)	30.10.2000 एक वर्ष के लिए	1,161/-
106.	रानीखेत	10'×10' (लगभग)	30.10.2000 एक वर्ष के लिए	1,461/-
107.	रानीखेत	10'×10' (लगभग)	30.10.2000 एक वर्ष के लिए	1,461/-
108.	रानीखेत	10'×10' (लगभग)	30.10.2000 एक वर्ष के लिए	3,406/-
109.	रानीखेत	10'×10' (लगभग)	30.10.2000 एक वर्ष के लिए	1,741/-
110.	रानीखेत	10'×10' (लगभग)	30.10.2000 एक वर्ष के लिए	1,445/-
111.	रानीखेत	10'×10' (लगभग)	30.10.2000 एक वर्ष के लिए	1,599/-
112.	रानीखेत	10'×10' (लगभग)	30.10.2000 एक वर्ष के लिए	963/-
113.	रानीखेत	10'×10' (लगभग)	30.10.2000 एक वर्ष के लिए	963/-
114.	रानीखेत	10'×10' (लगभग)	30.10.2000 एक वर्ष के लिए	963/-
115.	रानीखेत	10'×10' (लगभग)	30.10.2000 एक वर्ष के लिए	963/-
116.	रानीखेत	10'×10' (लगभग)	30.10.2000 एक वर्ष के लिए	963/-
117.	रानीखेत	10'×10' (लगभग)	30.10.2000 एक वर्ष के लिए	963/-
118.	रानीखेत	10'×10' (लगभग)	30.10.2000 एक वर्ष के लिए	944/-
119.	रानीखेत	10'×10' (लगभग)	30.10.2000 एक वर्ष के लिए	1,000/-
120.	रानीखेत	10'×10' (लगभग)	30.10.2000 एक वर्ष के लिए	853/-
121.	रानीखेत	10'×10' (लगभग)	30.10.2000 एक वर्ष के लिए	1,208/-
122.	रानीखेत	10'×10' (लगभग)	30.10.2000 एक वर्ष के लिए	1,088/-
123.	रानीखेत	10'×10' (लगभग)	30.10.2000 एक वर्ष के लिए	1,002/-
124.	रानीखेत	10'×10' (लगभग)	30.10.2000 एक वर्ष के लिए	1,258/-
125.	रानीखेत	10'×10' (लगभग)	30.10.2000 एक वर्ष के लिए	1,172/-
126.	रानीखेत	10'×10' (लगभग)	30.10.2000 एक वर्ष के लिए	1,227/-

1	2	3	4	5
127.	रानीखेत	10'×10' (लगभग)	30.10.2000 एक वर्ष के लिए	1,172/-
128.	रानीखेत	10'×10' (लगभग)	30.10.2000 एक वर्ष के लिए	1,172/-
129.	रानीखेत	10'×10' (लगभग)	30.10.2000 एक वर्ष के लिए	1,002/-
130.	रानीखेत	10'×10' (लगभग)	30.10.2000 एक वर्ष के लिए	657/-
131.	रानीखेत	10'×10' (लगभग)	30.10.2000 एक वर्ष के लिए	1,088/-
132.	रानीखेत	10'×10' (लगभग)	30.10.2000 एक वर्ष के लिए	697/-
133.	रानीखेत	10'×10' (लगभग)	30.10.2000 एक वर्ष के लिए	1,429/-
134.	रानीखेत	10'×10' (लगभग)	30.10.2000 एक वर्ष के लिए	1,088/-
135.	रानीखेत	10'×10' (लगभग)	30.10.2000 एक वर्ष के लिए	657/-
136.	रानीखेत	10'×10' (लगभग)	30.10.2000 एक वर्ष के लिए	521/-
137.	रानीखेत	10'×10' (लगभग)	30.10.2000 एक वर्ष के लिए	858/-
138.	रानीखेत	10'×10' (लगभग)	30.10.2000 एक वर्ष के लिए	600/-
139.	रानीखेत	10'×10' (लगभग)	30.10.2000 एक वर्ष के लिए	286/-
140.	रानीखेत	10'×10' (लगभग)	30.10.2000 एक वर्ष के लिए	286/-
141.	रानीखेत	10'×10' (लगभग)	30.10.2000 एक वर्ष के लिए	286/-
142.	रानीखेत	10'×10' (लगभग)	30.10.2000 एक वर्ष के लिए	286/-
143.	रानीखेत	10'×10' (लगभग)	30.10.2000 एक वर्ष के लिए	286/-
144.	रानीखेत	10'×10' (लगभग)	30.10.2000 एक वर्ष के लिए	286/-
145.	रानीखेत	10'×10' (लगभग)	30.10.2000 एक वर्ष के लिए	286/-
146.	रानीखेत	10'×10' (लगभग)	30.10.2000 एक वर्ष के लिए	286/-
147.	रानीखेत	10'×10' (लगभग)	30.10.2000 एक वर्ष के लिए	286/-
148.	लखनऊ	250 वर्ग फुट	27.12.1999 से 26.12.2000	4,645/-
149.	लखनऊ	400 वर्ग फुट	30.5.2000 से 29.4.2001	6,813/-
150.	लखनऊ	400 वर्ग फुट	30.5.2000 से 29.4.2001	6,813/-
151.	लखनऊ	600 वर्ग फुट	3.7.2000 से 2.7.2001	4,460/-
152.	वाराणसी	906.23 वर्ग मीटर	1.4.1998 से 31.3.1999	16,000/-
153.	वाराणसी	906.23 वर्ग मीटर	1.3.1999 से 31.1.2000	73,000/-
154.	वाराणसी	906.23 वर्ग मीटर	1.2.2000 से 31.12.2000	50,100/-
155.	वाराणसी	55.74 वर्ग मीटर	8.2.2000 से 7.1.2001	7,400/-

सपोर्ट एयरबेसेज की स्थापना

1576. **डा. जसवंतसिंह यादव:**
श्री सुरेश रामराव जाधव:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राजस्थान सहित कुछ राज्यों में भारतीय वायुसेना के "सपोर्ट एयरबेसेज" स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए किन-किन क्षेत्रों की पहचान की गई है; और

(ग) इन सपोर्ट यूनिटों की स्थापना से वायुसेना किस सीमा तक लाभान्वित होगी?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ये ब्यौरे संवेदनशील प्रकृति के होने के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में प्रकट नहीं किए जा सकते।

[अनुवाद]

विलंबित परियोजनाएं

1577. **श्री नरेश पुगलिया:**
श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 100 करोड़ या इससे अधिक रुपयों की लागत वाली 200 प्रमुख केन्द्रीय परियोजनाएं अपनी सीमा से पीछे चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इनके अपनी समय सीमा से पीछे चलने के क्या कारण हैं;

(घ) प्रत्येक परियोजना की मूल लागत और वर्तमान लागत का ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन परियोजनाओं की लागत बढ़ने के लिए जिम्मेदार कारक क्या हैं;

(च) क्या सरकार ने इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में बाधाओं की पहचान करने और उन्हें दूर करने के लिए कोई कदम उठाये हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) से (घ) 01.07.2001 तक केंद्रीय क्षेत्र की 100 करोड़ रुपए एवं उससे अधिक लागत वाली 199 बड़ी परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन थीं। इनमें से 78 परियोजनाएं अपनी मूल अनुमोदित अनुसूची के संबंध में पिछड़ी हुई हैं। पिछड़ी हुई परियोजनाओं की संख्या, वर्तमान अनुमानित लागत सहित मूल अनुमोदित लागत का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। मूल अनुसूची से पिछड़ी परियोजनाओं के कारण परियोजना-दर-परियोजना भिन्न होते हैं। सामान्य तौर से कारणों में भूमि अधिग्रहण में विलंब, ठेके प्रदान करने में विलंब, आधारी संरचना तथा निधियों की कमी शामिल है।

(ङ) लागत वृद्धि के लिए जिम्मेदार कारक हैं:-

(1) विदेशी मुद्रा सांविधिक शुल्कों में वृद्धि;

(2) पर्यावरणीय सुरक्षा तथा पुनर्वास उपायों की उच्च लागत;

(3) भूमि अधिग्रहण की उच्च लागत;

(4) परियोजना के कार्य क्षेत्र में परिवर्तन;

(5) कुछ क्षेत्रों में बोली लगाने वालों द्वारा ऊंची कीमतों की बोली लगाना;

(6) मूल लागत का कम प्राक्कलन;

(7) सामान्य मूल्य वृद्धि; तथा

(8) विलंब के कारण निर्माण के दौरान ऋण पर ब्याज में वृद्धि।

(च) और (छ) इन परियोजनाओं का समय पर पूरा होना सुनिश्चित करने हेतु अवरोधों की पहचान करने तथा उन्हें दूर करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(1) सरकार द्वारा परियोजनाओं का मासिक तथा साथ ही त्रैमासिक प्रबोधन;

(2) परियोजना प्राधिकारियों तथा प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा प्रगति की गहन समीक्षा तथा विलंब को कम करने के

लिए राज्य सरकारों (भूमि अधिग्रहण तथा आधारी संरचना सुविधाओं जैसे जल, विद्युत के प्रावधान, परियोजना कार्यस्थलों पर कानून एवं व्यवस्था सुनिश्चित करने आदि के लिए) परामर्शदाताओं तथा अन्य संबंधित अभिकरणों के साथ अनुवर्तन;

(3) समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्येक मंत्रालय में शक्ति प्रदत्त समितियों का गठन;

(4) अंतरमंत्रालयी प्रकृति की समस्याओं के समाधान के लिए अंतरमंत्रालयी समन्वय;

(5) संशोधित समापन अनुसूची की उपलब्धि के लिए कार्यान्वयन की उन्नत अवस्था वाली परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अद्यतन लागत के आधार पर वार्षिक आधार पर उपयुक्त निधियां उपलब्ध कराना;

(6) प्रभारी मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय तथा मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा समीक्षा।

विवरण

(1.07.2001 की स्थिति के अनुसार)

अपने मूल अनुसूची की तुलना में परियोजनाओं की समय वृद्धि/लागत वृद्धि

क्र.सं.	क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	कुल लागत (करोड़ रु. में) मूल	प्रत्या. लागत	लाग. वृद्धि (%)	सं.	लागत वृद्धि वाली परियोजनाए मूल लागत	प्रत्या. लागत	% वृद्धि आधार	सं.	समय वृद्धि वाली परियोजनाएं मूल लागत	प्रत्या. लागत	रेंज (संख्या)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	14	6838.2	7771.1	13.6	6	4615.3	5812.2	25.9	2	275.1	468.7	27-36
2.	अरूणाचल प्रदेश	2	468.8	1602.1	241.8	1	312.8	1446.1	362.3	1	312.8	1446.1	85-85
3.	असम	9	4728.9	6413.4	35.6	5	2318.9	4003.4	72.6	2	467.3	1146.4	9-81
4.	बिहार	11	3940.5	6441.6	63.5	5	2724.8	5243.4	92.4	3	444.0	532.8	28-96
5.	गोवा	1	250.0	250.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0-0
6.	गुजरात	8	7183.8	8012.4	11.5	6	1543.8	2372.4	53.7	2	228.4	693.6	69-132
7.	हरियाणा	3	7759.7	7965.0	2.6	1	166.7	372.0	123.1	1	166.7	372.0	35-35
8.	हिमाचल प्रदेश	2	3362.0	9350.3	178.1	1	1678.0	7666.3	356.9	1	1678.0	7666.3	92-92
9.	जम्मू एवं कश्मीर	3	2733.5	7228.8	164.5	3	2733.5	7228.8	164.5	3	2733.5	7228.8	84-157
10.	कर्नाटक	6	1076.6	2389.1	121.9	5	840.1	2152.6	156.2	0	0.0	0.0	0-0
11.	केरल	2	276.8	347.2	25.4	1	45.8	116.2	153.8	0	0.0	0.0	0-0
12.	मध्य प्रदेश	6	3277.4	3622.8	10.5	4	967.5	1313.0	35.7	2	533.5	758.8	35-48
13.	महाराष्ट्र	19	9394.7	15519.7	65.2	10	5070.7	11333.4	123.5	10	2079.8	2642.4	4-69
14.	मणिपुर	1	578.6	578.6	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0-0
15.	मेघालय	1	71.2	422.6	493.7	1	71.2	422.6	493.7	1	71.2	422.6	72-72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16.	मिजोरम	1	368.7	368.7	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0-0
17.	उड़ीसा	11	12621.8	13162.2	6.0	8	8126.2	8866.7	9.1	4	2706.0	3362.2	3-72
18.	पंजाब	4	646.3	974.7	50.8	2	262.8	591.2	125.0	2	262.8	591.2	31-132
19.	राजस्थान	3	653.8	961.8	47.1	3	653.8	961.8	47.1	0	0.0	0.0	0-0
20.	सिक्किम	1	2198.0	2198.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0-0
21.	तमिलनाडु	12	8839.0	10295.1	16.5	8	4227.1	5835.6	38.1	4	4554.2	5256.8	14-78
22.	त्रिपुरा	1	575.0	825.0	43.5	1	575.0	825.0	43.5	0	0.0	0.0	0-0
23	उत्तर प्रदेश	10	5901.5	10358.4	75.5	6	4185.9	8642.7	106.5	4	3735.7	7931.2	22-77
24.	पश्चिम बंगाल	13	2371.1	3458.2	45.8	10	970.1	2286.2	135.7	8	922.6	1925.0	13-168
25.	दिल्ली	3	5047.3	8451.9	67.5	3	5047.3	8451.9	67.5	2	187.3	296.9	47-48
26.	बहुराज्यीय	52	22700.9	28269.4	24.5	32	11265.1	16848.3	49.4	26	11175.3	15906.6	5-117
	कुल	199	113664.2	157238.0	38.3	22	58402.2	102791.6	76.0	78	32534.1	58648.3	

गोद लेने वाले अभिकरणों द्वारा मार्ग-निर्देशों का उल्लंघन

1578. डा. रघुवंश प्रसाद सिंहः
श्रीमती कान्ति सिंहः
श्री सुकदेव पासवानः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार प्रत्येक राज्य में कार्यरत गोद लेने वाले अभिकरणों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सरकार के ध्यान में आया है कि कई ऐसे अभिकरण सेन्ट्रल एडोपशन रिसोरसेस एजेन्सी (सी.ए.आर.ए.) द्वारा जारी मार्गनिर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में दोषी अभिकरणों के विरुद्ध कार्यवाही की है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय करने का विचार है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) भारत सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त 76 दत्तकग्रहण एजेंसियों की राज्य-वार सूची विवरण-I में दी गई है।

(ख) से (घ) इस मंत्रालय की केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (कारा) द्वारा जारी दिशानिर्देशों अर्थात् भारतीय बच्चों के दत्तक ग्रहण संबंधी संशोधित दिशानिर्देश 1995 का उल्लंघन करने के कारण निम्नलिखित एजेंसियों की मान्यता समाप्त कर दी गई है:

क्रम सं.	संगठन का नाम	निलंबन वापसी की तारीख
1	2	3
1.	मैसर्स मद्रास सोशल गिल्ड नेदूंगुंदरम, पी.ओ. बॉक्स-1, वंदायपुर पोस्ट, मद्रास-600048	18.6.1999
2.	एक्शन फॉर सोशल डेवलपमेंट 1-3-183/40/46/6, गांधी नगर हैदराबाद-500330	30.3.1999

1	2	3
3.	मै. गुड सैमारिटन इवानिजेलिकल एंड सोशल वैलफेयर एसोसिएशन, प्लॉट नं. 171, वलमराय कॉपरेटिव सोसाईटी, पहाड़ी हनुमान रोड 4, महिन्द्रा हिल्स, सिकंदराबाद-500026	30.3.1999
4.	जान अब्राहम विधानी होम तन्दूर, एच नं. 6-1-101/17, आई.एस.टी. फ्लोर, पदमराव नगर, सिकंदराबाद, ए.पी. भारत	23.4.2001
5.	इंडियन कॉन्सिल ऑफ सोशल वैलफेयर, कैंसर हॉस्पीटल कम्पाउंड के भीतर, रेड हिल्स, हैदराबाद-500004	11.5.2001
6.	श्री शारदानंद अनाथालय 123, श्रद्धानंद नगर नागपुर-440022	8.5.2001
7.	सुभद्रा महताब सेवा सदन फ्लॉट नं. 337, बारामुंडा पी.ओ. डेल्टा कालोनी, भुवनेश्वर-751003	23.5.2001

(ङ) सरकार ने अवैध दत्तक ग्रहण कार्यकलापों को रोकने के लिए ऐसे गैर-सरकारी संगठनों की मानीटरिंग के लिए राज्य में दत्तक ग्रहण संबंधी सलाहकार समितियों, राज्य दत्तक ग्रहण यूनिटों की स्थापना, दत्तक ग्रहण एजेंसियों को लाइसेंस प्रदान करने, अनाथालय एवं चैरिटेबल गृह अधिनियम, 1960 अथवा किसी अन्य संगत अधिनियम के अधिनियमन द्वारा बच्चों के दत्तक ग्रहण में शामिल गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकरण का मानीटर करने, संयुक्त निरीक्षण करने तथा अन्य ऐसी कार्रवाई करने के लिए सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया है।

विवरण-I

भारत सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त नियोजन एजेंसियों की राज्यवार सूची

कर्नाटक

1. शिशु मन्दिर
17/11, कैम्ब्रीज रोड, उल्सूर
बैंगलूर-560008

2. आश्रय
जवान क्वाटर्स, बी.डी.ए. पार्क, डबल रोड,
इन्दिरानगर, स्टेज-1, बैंगलूर

3. सोसाइटी आफ सिस्टर्स, होली एंजेल्स
कान्वेन्ट, द्वारा-स्टेला मारिस कान्वेन्ट,
मल्लेश्वरम, बैंगलूर-560003

4. सोसाइटी आफ दि सिस्टर्स आफ सेन्ट
जोसेफ आफ ट्रेब्स, प्रोमेनेड रोड,
फ्रेजर टाउन, बैंगलूर-560005

5. मै. केनरा बैंक रिलीफ एंड वेलफेयर
सोसाइटी, 27वां क्रास, बानशंकरी दूसरा
स्टेज, बैंगलूर-560070

6. सोसाइटी आप सिस्टर्स आप चैरिटी
सेन्ट जेरोसा कान्वेन्ट, द्वारा-सिस्टर्स आफ
चैरिटी, वेलफेयर एजेंलूर, मंगलूर-575002

7. सेन्ट माइकल्स होम/कान्वेन्ट
गुड शेफर्ड सिस्टर्स, 80 फीट रोड,
इन्दिरानगर पोस्ट, बैंगलूर-560038

8. वात्सल्य चैरिटेबल ट्रस्ट
न.-246, 8 'ई' मेन, एच.बी.आर.,
बी.डी.ए. लेआउट, बानसवाड़ी, बैंगलूर

9. मै. रीचआउट 22 चिन्नास्वामी रोड,
टस्कर टाउन, बैंगलूर-560051

10. मै. चाइल्ड फाउन्डेशन कर्नाटक
न.- 8, ओ' शोधनीशी रोड,
लांगफोर्ड गार्डेन्स, बैंगलूर-560025

आन्ध्र प्रदेश

1. गील्ड आफ सर्विस (सेवा समाजम)
बालिका निलयम, 10.3.561/3 विजयनगर
कालोनी, हैदराबाद-500457

2. मातृछाया
धावली, कावाले, पोन्डा, गोवा

गुजरात

1. श्री काठियावार निराश्रित बालाश्रम
मालवीय रोड, लोढ़वाड चौक,
राजकोट-360002

2. माहिपत्रम रूपराम आश्रम
रायपुर गेट के बाहर,
अहदाबाद-380022

3. श्री कस्तुरबा स्त्री विकास गृह
कस्तुरबा गांधी मार्ग, जामनगर-361008

4. मै. शिशुमंगल ट्रस्ट
कलेक्टर बंगला के सामने
जूनागढ़, गुजरात-362001

हरियाणा

1. हरियाणा स्टेट काउंसिल फार चाइल्ड वेलफेयर,
बाल विकास भवन, 650, सेक्टर 16डी, चंडीगढ़

केरल

1. होली इन्फैन्ट मेरीज गर्ल होम
वायीथीरी, साउथ वयनाड जिला,
केरल-673570

2. सेन्ट जोसेफस चिल्ड्रेन्स होम
कुम्मान्नूर, चेरपुंकल, कोट्टयम, केरल

3. दीनसेवनसभा स्नेहनिकेतन
स्नेहनिकेतन सोसल सेन्टर, तालीपरम्बा
कन्नूर, पट्टूनम-670143

4. वीथल फाउंडेशन
पी.ओ. बाक्स 1873, अशोका रोड,
कलूर, कोचीन, केरल

5. शिशु भवन,
सिस्टर्स आफ नाजारेथ, पोउदूआपुरम
वाया-कारूकुट्टी, केरल

6. इन्टरनेशनल चाइल्ड वेलफेयर सर्विस
(करीन चाइल्ड केयर सेन्टर)
वेल्लौर पी.ओ. पाम्पाडी, कोट्टयम, केरल

7. शिशु क्षेम भवन
सेन्ट ज्यूड चैरिटेबल ट्रस्ट
पारथोड, कंजीरापल्ली, केरल

महाराष्ट्र

1. बाल आनन्द
वर्ल्ड चिल्ड्रेन वेलफेयर ट्रस्ट इन्डिया
माई कृपा, 93, घाटला विलेज, चेम्बूर
मुम्बई

2. मिशीनरी आफ चैरिटी
चर्च रोड, विले पार्ले (प.), मुम्बई

3. चिल्ड्रेन आफ दि वर्ल्ड (इन्डिया) ट्रस्ट
401, अरुण चैम्बर्स चौथा तल, तारदेव
मुम्बई

4. होली क्रास होम फार बेबीज
अमरावती (कैम्प), महाराष्ट्र

5. सोफोश
सोसाइटी आफ फ्रेन्डस आफ सैसून हास्पीटल
पोस्टल पताः पी.ओ. बाक्स 94, जी.पी.ओ.
पूणे-411001

6. सेन्ट कैथरीन्स होम
वीरा देसाई रोड, अंधेरी (पश्चिम)
मुम्बई

7. दि हिन्दू वीमेन्स वेलफेयर सोसाइटी
श्रद्धानन्द रोड, माहेश्वरी, उद्यान
मातुंगा, मुम्बई

8. भारतीय समाज सेवा केन्द्र
अतुर पार्क, 5, कोरेगांव रोड, पूणे

9. शेजर छाया
देवदल कामन पी.ओ.
तालुकाः वसई, जिला-थाणे
महाराष्ट्र

10. महाराष्ट्र स्टेट वीमेन्स काउंसिल
आशा सदन, आशा सदन मार्ग, उमरखादी
मुम्बई

11. बाल आशा ट्रस्ट
401, चार्ली-विले, ए रोड, चर्चगेट
मुम्बई

12. बाल विकास
102, शिशु भवन, वेलेन्टाइन काम्पलेक्स
जन. अरुण कुमार वैद्य मार्ग के सामने,
पिंपलीपाडा, मालाड (पूर्वी), मुंबई

13. श्री मानव सेवा संघ
255-257, सियन रोड, सियन (प.)
मुम्बई

14. प्रीत मन्दिर
बलवन्त करतार आनन्द फाउंडेशन
आनन्द कार्नर 18, कोयाजी रोड
पूणे

15. मै. मातृ सेवा संघ
नार्थ अम्बाजारी रोड, सीताबुल्दी, नागपुर

16. मै. महिला सेवा मंडल
कुसुमबाई मोतीचन्द महिला सेवा ग्राम
25/20, कारवे रोड, पूणे

17. सोसाइटी आफ सेन्ट मेरी दि वर्जिन आफ
इन्डिया, कान्वेन्ट आफ सेन्ट मेरी
पांच हौड, 5, गुरूवार पेठ, पूणे

18. मै. विवेकानन्द बालसदन काम्पटी
सेठ दोगा धर्मशाला
रेलवे स्टेशन के सामने, पी.ओ. काम्पटी
जिला-नागपुर, महाराष्ट्र

19. मै. इन्डियन एसो. फार प्रोमोशन आफ
एडोप्शन एंड चाइल्ड वेलफेयर, फ्लैट नं.
7, कनारा ब्रदरहुड कोपरेटिव हाउसिंग
सोसाइटी, मुगल लेन, मातुंगा (प.) मुम्बई

20. वात्सल्य ट्रस्ट
सी-32, श्री विजय कुंज सोसाइटी,
भारतीय स्टेट बैंक के नजदीक (ईस्ट)
मुम्बई

21. फैमिली सर्विस सेन्टर
यूटरिस्टिक कांग्रेस, भवन सं.-3,
5 कान्वेन्ट स्ट्रीट, मुम्बई

22. मै. बाल विकास महिला मंडल
द्वारा-स्वा-अध्र महिला वस्तीगृह
सुदर्शन कालोनी, इन्डिया नगर, लातुर

23. मै. रेणुका महाजन ट्रस्ट
प्लाट नं. - 38, स्वी. ल.-67, विद्यानगर
(टिंगरे नगर) पूणे, (महाराष्ट्र)

उड़ीसा

1. मनोज मंजारी शिशु भवन,
ग्राम+पो. केओंझर
उड़ीसा

2. बसुन्धरा
बसुन्धरानगर, अभिनव विदानासी
कटक, उड़ीसा

पांडिचेरी

1. दि इमाक्यूलेट हार्ट आफ मेरीज कान्वेन्ट
(ज्वाय होम)
कोलास नगर, उप्पलम रोड, पांडिचेरी

2. क्लूनी चिल्ड्रेन होम
(क्लूनी शिशु ईलम)
पैपूनियरे से. जोसेफ
पी.बी. 32, 8, रोमैन रोल्लान्ड सेन्ट,
पांडिचेरी

तमिलनाडु

1. गील्ड आफ सर्विस (सेंट्रल)
32, कासा मेजर रोड, एगमोर
चैन्नई

2. ग्रेस केनेट फाउंडेशन हास्पीटल
34, केनेट रोड, मदुरै, मदुरै

3. इन्स्टीट्यूट आफ दि फ्रांसिस्कन
मिशीनरी आफ मेरी सोसाइटी,
नं. 3, होली एपोसल्स कान्वेन्ट
सेन्ट थामस माउन्ट, बेबीज होम
चेन्नई

4. कर्ण प्रयाग ट्रस्ट वेलफेयर सेन्टर फार
वीमेन एंड चिल्ड्रेन, नं. 7 राजा कृष्णा
राव रोड, तेनमपेट, चैन्नई

5. कांकर्ड हाऊस आफ जीसस
सी-23, अन्ना नगर ईस्ट,
चैन्नई

6. कंग्रीगेशन आफ दि सिस्टर्स आफ दि
क्रास आफ चावानोड
पी.बी. नं. 395, होली क्रास कालेज के पीछे,
टेप्पकुलम, तिरूचिरापल्ली

7. फैमिलीज फार चिल्ड्रेन
107, वेल्लालोर रोड, पोडानूर
कोयम्बटूर

8. मलेशियन सोशल सर्विसेज
एच.ओ. नं. 6, सेंगुन्थर स्ट्रीट,
शिनाईनगर, चैन्नई

उत्तर प्रदेश

1. उत्तर प्रदेश काउंसिल फार चाइल्ड वेलफेयर
2, राणा प्रताप मार्ग, मोती महल
लखनऊ

पश्चिम बंगाल

1. मिशीनरीज आफ चेरिटी (निर्मल शिशु भवन)
78, ए.जे.सी. बोस रोड,
कलकत्ता

2. इन्डियन सोसाइटीज फार स्पांसरशीप
एंड एडापशन
1, प्लेस कोर्ट, 1, के वाई डी स्ट्रीट,
कलकत्ता

3. सोसाइटी फार इन्डियन चिल्ड्रेन्स वेलफेयर
20 एंड 22 कोल. विश्वास रोड, बेकबगान,
कलकत्ता

4. इन्टरनैशनल मिशन आफ होप (इन्डिया)
सोसाइटी, 2, नीमक महल रोड,
कलकत्ता

5. इन्डियन सोसाइटी फार रिहैबीलिटेशन
आफ चिल्ड्रेन
9बी, लेक व्यू रोड, कलकत्ता

रेलवे इंजीनियर्स टेरीटोरियल आर्मी यूनिटों को समाप्त करना

1579. **श्री के.पी. सिंह देव:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार रेलवे इंजीनियर्स टेरीटोरियल आर्मी यूनिटों को समाप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी प्रभाव क्या होंगे; और

(ग) अतिरिक्त कार्मिक शक्ति को किस तरीके से युक्तियुक्त बनाया जाएगा?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) ग्यारह रेलवे इंजीनियर्स रेजिमेंटों तथा दो रेलवे पुल निर्माण कंपनियों (टी ए) में से, तीन यूनिटों को रेल मंत्रालय की सलाह पर जून, 2000 में विघटित कर दिया गया था। अब सरकार ने रक्षा पोषित पांच रेलवे इंजीनियर रेजिमेंटों तथा दो रेलवे पुल निर्माण कंपनियों (टी ए) को अलग करने तथा उन्हें छह इंफैंट्री बटालियनों में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है।

(ख) यह राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी तात्कालिक आवश्यकताओं तथा इस तथ्य के मद्देनजर आवश्यक हो गया है कि इन रेल यूनिटों का इष्टतम उपयोग नहीं हो पाया है। इस तरह से गठित इंफैंट्री यूनिटों का जम्मू व कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोही कार्रवाईयों संबंधी परिस्थितियों से निपटने में नियमित सेना की सहायता करने में इस्तेमाल किए जाने की आशा है।

(ग) रेलवे टी ए यूनिटों के कार्मिक भारतीय रेलवे के नियमित कर्मचारी है। इन यूनिटों को ऊपर बताए अनुसार परिवर्तित करने के बाद फालतू कर्मचारियों को शेष तीन रेल पोषित इंजीनियर रेजिमेंटों (टी ए) में स्थानांतरित कर दिया जाएगा तथा जिन कर्मचारियों को खपाया नहीं जा सकेगा उन्हें टी ए से कार्यमुक्त कर दिया जाएगा और वे भारतीय रेलवे में अपने पदों पर बने रहेंगे। नियमित सैन्य कार्मिक, जो इन रेल यूनिटों के स्थायी कार्मिकों में शामिल हैं, का स्थानांतरण के सामान्य स्टाफ पूल में कर दिया जाएगा।

नाम परिवर्तन

1580. **श्री तूफानी सरोज:** क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उपर्युक्त मंत्रालय का नाम बदलने के संबंध में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या शहरी क्षेत्रों में लघु उद्योगों की संख्या बढ़ी है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी संख्या में कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस स्थिति में बदलाव लाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) व्यय सुधार आयोग ने लघु उद्योग, कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के संबंध में अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि लघु उद्योग की कवरेज में तीव्रता से विस्तृत हो रहा सेवा क्षेत्र शामिल है, जो अधिकांश देशों में अपनाई जा रही अप्रोच के अनुरूप है। व्यय सुधार आयोग ने इसके अतिरिक्त यह सिफारिश की है कि अति लघु, लघु एवं मध्यम संस्थापनाओं को ग्रेडिड स्केल पर सरकारी समर्थन प्रदान किया जाना चाहिए और अति लघु इकाईयों को लघु संस्थापनाओं एवं लघु संस्थापनाओं को मध्यम संस्थापनाओं में श्रेणीबद्ध किए

जाने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में व्यय सुधार आयोग ने सिफारिश की है कि मंत्रालय को लघु एवं मध्यम संस्थापना मंत्रालय के रूप में नया नाम देना उचित होगा।

सरकार द्वारा इस मामले पर अभी अंतिम निर्णय लिया जाना है।

(ग) 1987-88 में अखिल भारतीय जनगणना और 1994-95 के नमूना सर्वेक्षण से उपलब्ध सूचना के अनुसार 1994-95 में प्रतिशतता के अनुसार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लघु औद्योगिक इकाईयों का संवितरण लगभग 1987-88 के समान ही था।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता है।

राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग

1581. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के सदस्य कौन-कौन हैं व इसके उद्देश्य क्या हैं;

(ख) इस आयोग के खर्चों के लिए वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ग) ऐसे बड़े निकाय के गठन का क्या औचित्य है; और

(घ) राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के संचालन को सुचारू बनाने हेतु इसके सदस्यों की संख्या न्यूनतम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग (एनसीपी) के गठन एवं लक्ष्य और उद्देश्य नीचे दिए गए हैं:-

गठन

अध्यक्ष - भारत के प्रधान मंत्री

उपाध्यक्ष - उपाध्यक्ष, योजना आयोग

सदस्यगण

शिक्षा के प्रभारी केन्द्रीय मंत्री

पर्यावरण और वन के प्रभारी केन्द्रीय मंत्री

वित्त के प्रभारी केन्द्रीय मंत्री

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के प्रभारी केन्द्रीय मंत्री

सूचना और प्रसारण के प्रभारी केन्द्रीय मंत्री

ग्रामीण विकास के प्रभारी केन्द्रीय मंत्री

सामाजिक न्याय और अधिकारिता के प्रभारी केन्द्रीय मंत्री

शहरी विकास के प्रभारी केन्द्रीय मंत्री

महिला और बाल विकास के प्रभारी केन्द्रीय मंत्री

लोक सभा में विपक्ष के नेता

राज्य सभा में विपक्ष के नेता

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री

डा. (श्रीमती) नजमा हेपतुल्ला, उपाध्यक्ष, राज्य सभा

भारतीय जनता पार्टी के नेता

भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी के नेता

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता

जनता दल (यूनाइटिड) के नेता

श्रीमती मार्ग्रेट अल्वा, संसद सदस्य

श्री पूरणों संगमा, संसद सदस्य

श्रीमती शबाना आजमी, संसद सदस्य

श्री विनोद खन्ना, संसद सदस्य

अध्यक्ष, एसोसिएटिड चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ऑफ इण्डिया

अध्यक्ष, भारतीय उद्योग परिसंघ

अध्यक्ष, ऐडीटर्स गिल्ड ऑफ इण्डिया

अध्यक्ष, फैडरेशन ऑफ इण्डियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री

अध्यक्ष, फैडरेशन ऑफ ऑब्स एण्ड गाइने सोसाइटी ऑफ इण्डिया, एफओजीएसआई

अध्यक्ष, इंडियन मैडीकल एसोसिएशन

अध्यक्ष, इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटी

अध्यक्ष, इंडियन नर्सिंग काउंसिल

प्रतिनिधि, जैन टी.वी. (डा. जे.के. जैन)

अध्यक्ष, मैडीकल काउंसिल ऑफ इंडिया

प्रतिनिधि, स्टार टी.वी. (श्री प्रणव रॉय)

प्रतिनिधि, सन टी.वी.

प्रतिनिधि, जी.टी.वी. (श्री सुभाष चन्द्र)

प्रो. आबाद अहमद

श्री अभय बंग, एसईएआरसीएच. गडचिरोली

श्री ए.सी. मुतैया

श्री आलोक मुखोपाध्याय, अध्यक्ष वीएचएआई

श्री एलीक पदमसी

डा. ए. वैद्यनाथन, मद्रास विकास अध्ययन संस्थान

श्री अवीक सरकार, टैलीग्राफ

डा. बानू कोयाजी, निदेशक केईएम चिकित्सालय रास्तापेट

श्री वरुण सेनगुप्ता, बर्तमान

डा. दर्शन शंकर (आईएसएमएण्डएच), अध्यक्ष, फाउण्डेशन फॉर रीवाइटलाइजेशन ऑफ लोकल हैल्थ ट्रेडीशंस

डा. ई.के. इकबाल, के.एस.एस.पी.

श्रीमती ईला भट्ट, सेवा, अहमदाबाद

श्रीमती इमराना कादिर, प्रोफेसर, जनसंख्या अध्ययन, जेएनयू, नई दिल्ली

सुश्री जया जेटली

सुश्री जयन्ती नटराजन

श्री के. गोपालकृष्णन, अध्यक्ष, जननी

डा. के. श्रीनिवासन, अध्यक्ष, इण्डियन एसोसिएशन फॉर स्टडी ऑफ पॉपुलेशन

डा. महीप सिंह

श्री मैम्मन मैथ्यू, मलयालम मनोरमा

प्रो. मोहम्मद अमीन, पूर्व उप कुलपति, जामिया हमदर्द.

सुश्री मोहसिना किदवई

श्री नारायण मूर्ति

श्री नरेन्द्र मोहन, दैनिक जागरण

डा. नीना पुरी, अध्यक्ष, एफपीआईए

श्रीमती नीदोनुद अंगामी, अध्यक्ष, नागा मदर्स एसोसिएशन

श्री एन. रवि, दि हिन्दू

डा. एन.एस. देवधर, पुणे

सुश्री पदमा सचदेवा

श्री प्रभाष जोशी, जनसत्ता

श्री पी.एन. त्रिपाठी, अवार्ड

श्री करी. एम.एम. मजारी, उर्दू, सैक्यूलर कयादत्त

सुश्री क्वातरलेन हैदर

सुश्री रागनी बेन बनवारी, सेवा आश्रम, उत्तर प्रदेश

डा. रजनीकांत अरोले, जामखेड परियोजना, अहमदनगर

सुश्री रामी छावड़ा

श्री रामोजी राव इन्नाडू

सुश्री रानी बंग, सर्च, गड़चिरोली

श्री रतन टाटा

श्री आर. श्रीनिवासन, पूर्व स्वास्थ्य सचिव

डा. सरोज पचौरी, क्षेत्रीय निदेशक, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया जनसंख्या परिषद्

सुश्री शर्मिला टैगोर

सुश्री शीमा रिजवी, सदस्य विधान सभा परिषद्, उत्तर प्रदेश

डा. सुदर्शन (राइट लाइवलीहुड पुरस्कार प्राप्तकर्त्ता), मैसूर

प्रो. सुन्दर लाल, रोहतक मैडीकल कॉलेज, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एण्ड सोशल मैडिसन

प्रो. स्वप्ना मुखोपाध्याय, आई ई जी, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज ट्रस्ट

श्रीमती तैलमा नारायण, विश्व स्वास्थ्य संगठन का अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य तंत्र

डा. त्रिलोचन सिंह, निदेशक, सेंटर फार पालिसी रिसर्च

सदस्य-सचिव- श्रीमती कृष्णा सिंह, योजना आयोग

लक्ष्य और उद्देश्य

(1) नीति में निर्धारित किए गए लक्ष्यों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की समीक्षा करना, मानीटरिंग करना तथा इसके कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश देना।

(2) जनसांख्यिकी, शैक्षिक, पर्यावरणीय और विकासात्मक कार्यक्रमों के बीच सहक्रिया को बढ़ावा देना ताकि जनसंख्या को स्थिर करने में तेजी लायी जा सके।

(3) केन्द्र और राज्यों की सरकारी एजेन्सियों के बीच आयोजना और कार्यान्वयन में अंतर-क्षेत्रकीय समन्वय बढ़ाना, नीति में निर्धारित लक्ष्यों के समर्थन में सिविल सोसाइटी और निजी क्षेत्रक को शामिल करना तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की संभावनों का पता लगाना।

(4) इस राष्ट्रीय प्रयास के समर्थन में एक जोरदार जन आन्दोलन के विकास को सुलभ बनाना।

(ख) आयोग के व्यय हेतु वर्ष 2000-2001 तथा 2001-2002 के दौरान कुल निधियों का आबंटन क्रमशः 59 लाख रुपये तथा 1.36 करोड़ रुपये है।

(ग) राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग (एनसीपी) एक कार्यकारी निकाय नहीं है। इसका वृहद आकार जनसंख्या स्थिरीकरण संबंधी विभिन्न मुद्दों के बारे में आम सहमति पैदा करने के एक विशाल फोरम होने के कारण है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

फिजियोथेरेपी पाठ्यक्रम

1582. श्री महेश्वर सिंह:
श्री सुरेश चन्देल:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विकलांग संस्थान, नई दिल्ली द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के माध्यम से साढ़े चार वर्ष की अवधि का एक फिजियोथेरेपी पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है;

(ख) क्या संस्थान ने बदलती हुई परिस्थितियों में सभी मूल सुविधाओं यथा उच्च गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण, क्लिनिकल डियूटी, प्रयोगशाला इत्यादि की व्यवस्था की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो आवश्यक और मूलभूत सुविधाएं कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) विकलांग जन संस्थान द्वारा फिजियोथेरेपी और व्यावसायिक चिकित्सा प्रत्येक के लिए $4^1/_2$ वर्ष की अवधि के डिग्री पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं।

(ख) से (घ) संस्थान के पास पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने और अल्पावधि तथा दीर्घावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम चालने के लिए आधारभूत सुविधाएं हैं।

[अनुवाद]

उड़ीसा में ग्रामीण उद्योग

1583. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा उड़ीसा में कितने ग्रामीण उद्योग स्थापित किए गए हैं और उनमें कितने लोग कार्य कर रहे हैं;

(ख) पंजीकृत ग्रामीण उद्योगों/संस्थानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निकट भविष्य में उड़ीसा में कोई नए उद्योग/संस्थान स्थापित किए जाने हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) की मार्जिन मनी योजना के अन्तर्गत 31.3.2001 तक उड़ीसा राज्य में 272 परियोजनाएं स्थापित की गई थीं। परियोजनाओं के विवरण इस प्रकार हैं:

निजी क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	87
राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अन्तर्गत	185

(ख) खादी ग्रामोद्योग आयोग के अन्तर्गत 31.3.2001 तक की स्थिति के अनुसार उड़ीसा में स्थापित किए गए उद्योग और इसके परिणामस्वरूप सृजित रोजगार संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) उद्योगों का संवर्धन राज्य सरकारों का प्राथमिक उत्तरदायित्व है, तथापि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से और राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्डों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जीवनक्षम ग्रामीण उद्योग परियोजनाएं स्थापित करने में वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके प्रयासों की अनुपूर्ति करता है। कोई उद्यमी मार्जिन मनी योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नकारात्मक कार्यकलापों की सूची में शामिल न किया गया कोई भी उद्योग स्थापित कर सकता है बशर्ते कि वह उसमें रखी गई शर्तों को पूरा करता हो।

विवरण

उड़ीसा में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा स्थापित उद्योग और 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार उसमें नियोजित व्यक्तियों की संख्या

(रोजगार लाखों में)

क्रम सं.	उद्योग	रोजगार
1	2	3
1.	मिट्टी के बर्तन	0.05
2.	चूना	0.02
3.	अगरबत्ती	0.01
4.	कुटीर माचिस	*
5.	चमड़ा	*
6.	बेंत और बांस	0.06
7.	गोंद और रेजिन	0.03
8.	मधुमक्खी पालन	0.19
9.	थाणी तेल	*
10.	गुड़ व खांडसारी	0.06
11.	पामगुड़	0.28
12.	पी.सी.पी.आई.	0.04
13.	वनीय पौधें व फल	0.11
14.	फाइबर	0.02
15.	कुटीर साबुन	0.71
16.	चमड़ा	0.01
17.	पॉलीमर	*
18.	पढ़ईगिरि व लुहारगिरी	0.07
19.	पीतल, तांबा, घंटा धातु	*
20.	पॉलीवस्त्र	0.01
21.	टैक्सटाइल	0.02
22.	सेवा	*
	कुल	1.69

*500 से कम

[हिन्दी]

वायु सेना प्रशिक्षण कालेज

1584. श्री शंकर सिंह वाघेला: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वायुसेना कर्मियों के प्रशिक्षण हेतु देश में इस समय कितने इंजीनियरिंग कालेज चलाये जा रहे हैं और उनमें प्रतिवर्ष कितने प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है;

(ख) क्या ये कालेज आवश्यक संख्या में इंजीनियर, एयरक्राफ्ट तकनीशियन, डाक्टर और मैकेनिकल और इलैक्ट्रानिक इंजीनियर बनाने में असमर्थ हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने नए इंजीनियरिंग कालेज स्थापित करने के लिए मूंजरी दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) इस समय केवल वायुसेना कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए देश में कोई पृथक इंजीनियरिंग कालेज नहीं चलाया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सेरेब्रल मलेरिया

1585. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार में मलेरिया पर कार्य करने वाली शीर्ष एजेंसियों ने कुछ जनजातीय क्षेत्रों विशेषकर बिहार में सेरेब्रल मलेरिया फैलने की सूचना नहीं दी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार के विभिन्न मलेरिया नियंत्रण निकायों की धीमी प्रतिक्रिया के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन निकायों को और सावधान तथा जनोन्मुखी बनाने के लिए कोई पहल की गई है;

(घ) क्या ऐसी मलेरिया आधारित बीमारियों के फैलने के संबंध में सभी राज्यों का कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) सेरेब्रल मलेरिया को नियंत्रित करने के लिए क्या निरोधात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) देश में मलेरिया की स्थिति की सभी स्तरों पर मानीटरिंग की जाती है। राष्ट्रीय मलेरियारोधी कार्यक्रम के अधीन राज्यों/जिला स्वास्थ्य प्राधिकारियों को मलेरिया की स्थिति की प्रभावशाली ढंग से मानीटरिंग करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। वर्षा और जानपदिक रोग विज्ञानी रूझान के डेटा के आधार पर राज्यों को समय पर निवारक उपाय करने के लिए राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम निदेशालय द्वारा सावधान कर दिया जाता है।

(घ) और (ङ) नियमित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निगरानी के अलावा ज्वर और मलेरिया के रोगियों की उच्च घटना की अवस्था में प्रकोप के कारण का पता लगाने और समुचित नियंत्रण उपाय अपनाने के लिए समय-समय पर जांच की जाती है।

(च) प्रमस्तिष्कीय मलेरिया के निवारण और नियंत्रण के लिए किए गए उपाय इस प्रकार है:-

1. निगरानी को तेज करके रोगियों का शीघ्र पता लगाने और उनका तुरन्त उपचार करने में तेजी लाई गई है।

2. अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में औषध वितरण केन्द्रों और मलेरिया लिंक स्वयंसेवकों के रूप में सामुदायिक स्वयंसेवकों को शामिल करके ग्रामीण स्तर पर रोगियों का पता लगाने और उपचार करने की सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

3. मलेरिया के रोगियों का पता लगाने के लिए द्रुत (रेपिड) नैदानिक किटें प्रायोगिक आधार पर शुरु की गई हैं।

4. गंभीर और जटिल मलेरिया के उपचार के लिए रेफरल केन्द्र की पहचान करना।

5. क्लोरोक्वीन प्रतिरोध शक्ति वाले क्षेत्रों में वैकल्पिक मलेरिया रोधी औषधें प्रदान करना।

6. उपयुक्त कीटनाशकों और वैकिल्पक वैक्टर नियंत्रण विधियों के साथ चुनिंदा छिड़काव के लिए क्षेत्रों को प्राथमिकता प्रदान करके वैक्टर नियंत्रण उपाय किए गए हैं।

7. कार्यक्रम में सिंथेटिक पाइरेथ्राइड जैसे नवीनतर और अधिक प्रभावी वैकल्पिक कीटनाशकों का इस्तेमाल शुरू किया गया है।

8. सूचना, शिक्षा और संचार को तेज किया गया है और सूचना, शिक्षा, संचार कार्यकलापों के लिए विश्व बैंक की सहायता से संवर्धित मलेरिया नियंत्रण परियोजना के जरिए चेन्नई, कोलकाता आदि जैसे महानगरों को अतिरिक्त निधियां दी गई हैं।

9. सितम्बर, 1997 से मलेरिया कार्यकलापों के तीव्रीकरण के लिए अतिरिक्त निवेश हेतु संवर्धित मलेरिया नियंत्रण परियोजना में आंध्र प्रदेश, झारखण्ड, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और राजस्थान राज्यों के 100 हार्डकोर मलेरिया और जनजातीय बहुलता वाले जिलों और इन राज्यों तथा कर्नाटक, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के मलेरिया की समस्या वाले 19 कस्बों को शामिल किया गया है। सात पूर्वोत्तर राज्यों को दिसम्बर, 1994 से 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जा रही है।

10. संवर्धित मलेरिया नियंत्रण परियोजना के अधीन देश में क्षमता निर्माण और प्रबंध सूचना पद्धति को सुदृढ़ किया जा रहा है।

11. महामारिक तैयारी और द्रुत अनुक्रिया के लिए क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है।

राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट

1586. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वतंत्रता के 50 वर्षों के बाद भी देश मानव विकास के स्तर को सुधारने के लिए एक राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करने में सफल नहीं हो सका है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या योजना आयोग ने गत वर्ष भारत के लिए राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने का कार्य प्रारंभ किया था;

(घ) यदि हां, तो क्या यह रिपोर्ट तैयार कर ली गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(च) क्या योजना आयोग के अध्यक्ष ने राज्य सरकार को राज्यों और सम्पूर्ण देश के लिए राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास रिपोर्ट तैयार करने के लिए अनुदेश दिया है; और

(छ) यदि हां, तो राज्य सरकारों द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जा रहे हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 50 वर्षों में भारत में नौं पंचवर्षीय योजनाएं बनी तथा इन पंचवर्षीय योजनाओं में से प्रत्येक में गरीबी उन्मूलन, सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, पोषण, नागरिक सुविधाएं तथा जनसंख्या के उपेक्षित एवं पिछड़े वर्गों के विकास सहित मानव विकास में सुधार के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित रहा है और बल दिया जाता रहा है। इन मुद्दों को कवर करने वाले विभिन्न कार्यक्रम/स्कीमें समय-समय पर प्रारंभ की जाती रही है। हालांकि, 1990 में, प्राथमिक रूप से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तत्वावधान में विकसित हुई मानव विकास की अवधारणा के आधार पर राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट (एनएचडीआर) अभी तक केन्द्र सरकार ने प्रकाशित नहीं की है। कुछ राज्य सरकारों तथा कुछ अनुसंधान संस्थाओं द्वारा पहलें की गई हैं जिनके परिणामस्वरूप, भारत में मानव विकास के कुछ पहलुओं पर रिपोर्टें सामने आई हैं।

(ग) से (ङ) योजना आयोग ने देश के लिए उपयुक्त मानव विकास सूचकांकों को विकसित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने का कार्य हाथ में लिया है। रिपोर्ट पर कार्य पिछले वर्ष शुरू हुआ है और मसौदा रिपोर्ट पूर्ण होने के अंतिम चरण में है। जल्द ही सेमिनार/कार्यशाला में विशेषज्ञों द्वारा रिपोर्ट पर चर्चा हो जाने के बाद इसे सरकार को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

(च) उपाध्यक्ष, योजना आयोग ने राज्य सरकारों को अपनी राज्य मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश नहीं दिए हैं। हालांकि योजना आयोग राज्यों को ऐसी रिपोर्टें तैयार करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है और इस संबंध में, कुछ वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रहा है।

(छ) दो राज्यों, नामत: मध्य प्रदेश और कर्नाटक ने पहले ही, योजना आयोग से वित्तीय सहायता की मांग किए बिना, अपने राज्य की मानव विकास रिपोर्ट तैयार कर ली है। बारह राज्य मानत:, आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, सिक्किम, राजस्थान, उड़ीसा, हरियाणा एवं गोवा अपनी रिपोर्टें तैयार करने के विभिन्न चरणों में हैं। उन्हें अपनी-अपनी रिपोर्टें तैयार करने के लिए 1998-2001 की अवधि के दौरान अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मिल चुकी है। महाराष्ट्र, जम्मू एवं कश्मीर तथा मेघालय ने अपनी रिपोर्टों पर कार्य शुरू कर दिया है और योजना आयोग से वित्तीय सहायता की मांग की है।

सूचना प्रौद्योगिकी में रोजगार संवर्धन

1587. श्री पवन कुमार बंसल: क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका में जारी मंदी से भारत में भी सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी प्रोफेशनल्स को अमरीका से वापस लौटना पड़ा है; और

(घ) देश में सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सेवाओं में रोजगार बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) और (ख) सॉफ्टवेयर चालित सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के संकेतों से पता चलता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था में आयी मंदी के कारण, ऑन-साइट सेवा के सॉफ्टवेयर निर्यात के कुछ हद तक प्रभावित होने की संभावना है। किन्तु संयुक्त राज्य अमेरिका की कम्पनियों द्वारा सॉफ्टवेयर सेवाएं बाहर से करवाने में वृद्धि होने की संभावना है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका की कम्पनियां लागत में कमी लाने के उपाय खोज रही हैं। बाहर से कराए जाने वाले कार्यों से यहां के सूचना प्रौद्योगिकी व्यवसायविदों को अवसर प्राप्त होंगे। समग्रत: यह उम्मीद है कि भारतीय सॉफ्टवेयर अच्छी वृद्धि दर कायम रख सकेगा।

(ग) सही संख्या की जानकारी नहीं है, किन्तु भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में क्षमता है तथा ऐसे सभी व्यक्तियों को समाविष्ट करने की इच्छुक है।

(घ) सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए उपलब्ध कराए गए विभिन्न प्रोत्साहन विवरण में दिए हैं, इनसे विकास की अच्छी दर बनाए रखने और इस प्रकार रोजगार सृजन में सहायता मिलेगी।

विवरण

1. पूंजीगत वस्तु निर्यात संवर्धन (ईपीसीजी) योजना को तर्क संगत बनाया गया है और 5% शुल्क के भुगतान पर किसी दोहरी सीमा के बिना इसे सभी क्षेत्रों में एक समान रूप से लागू किया गया है।

2. व्यवसाय से उपभोक्ता (बी2सी) ई-वाणिज्य को छोड़कर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सभी विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी निवेश के प्रस्तावों को स्वचालित मार्ग के अंतर्गत अनुमोदन।

3. एसटीपी तथा ईएचटीपी योजना के कार्यान्वयन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पदनामित अधिकारियों के अनुमोदन की शक्तियों को और 20 मिलियन अमरीकी डॉलर तक बढ़ाया गया है।

4. निर्यात उन्मुखी योजनाओं (ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी/ईएचटीपी) के अंतर्गत इकाइयों के लिए कम्प्यूटरों एवं पेरिफेरलों पर वृद्धिमान मूल्यह्रास मानदंडों में बढ़ोत्तरी की गई है। अब ये मूल्यह्रास पहले के लगभग 5 वर्ष के स्थान पर 3 वर्ष में 90% तक की समग्र सीमा तक होंगे। कम्प्यूटरों पर 60 प्रतिशत की दर से मूल्यह्रास की अनुमति दी गई है।

5. ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी योजनाओं के अंतर्गत निर्यातोन्मुखी इकाइयों के लिए निर्यात के लदान पर्याप्त नि:शुल्क मूल्य के 50 प्रतिशत तक घरेलू शुल्क क्षेत्र (डीटीए) अभिगम की अनुमति दी गई है। अनुमति पत्र में शामिल मदों के लिए हार्डवेयर इकाइयों की घरेलू शुल्क क्षेत्र बिक्री में ब्रॉडबैंडिंग की अनुमति दी गई है।

6. निर्यातोन्मुखी इकाइयों/निर्यात संसाधन क्षेत्र/इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क/सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क की इकाइयों को निर्यात लाभ पर आयकर अधिनियम की धारा 10ए तथा 10बी के तहत वर्ष 2010 तक आयकर के भुगतान से छूट दी गई है।

7. निर्यात के प्रयोजन से बाधा रहित विनिर्माण और व्यापार के लिए विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की जा रही है।

8. अग्रिम लाइसेंसिंग योजना के तहत रूस को रुपए में होने वाले निर्यात में मूल्य संवर्धन मानदंडों को 100% से घटा कर 33% तक कर दिया गया है।

9. कम्प्यूटरों पर 60% की दर से मूल्यह्रास की अनुमति दी गई है।

10. वर्ष 2000-2001 के बजट में कम्प्यूटर एवं पेरिफेरलों पर सीमा शुल्क 20% से घटाकर 15% कर दिया गया था तथा यह जारी रहेगा। सभी भंडारण युक्तियों, एकीकृत परिपथों, सूक्ष्म संसाधकों, रंगीन मॉनीटरों के डेटा प्रदर्श ट्यूबों एवं विक्षेपण संघटक-पुर्जों पर भी सीमा शुल्क शून्य प्रतिशत जारी रहेगा।

11. आयकर अधिनियम की धारा 80 एचएचई में दी गई कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा में डेटा संप्रेषण को शामिल कर लिया गया है।

12. धारा 80 एचएचई के लाभ सहायक सॉफ्टवेयर विकासकर्त्ताओं को भी उपलब्ध होंगे।

13. बाह्य व्यावसायिक उधारियों (ईसीबी) पर ब्याज पर कर के अवरोधन से छूट सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को भी उपलब्ध कराई गई है।

14. 100 करोड़ रुपए की संग्रह राशि से सॉफ्टवेयर तथा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए एक राष्ट्रीय उद्यम निधि (एनएफएसआईटी) का गठन किया गया है। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का योगदान 30 करोड़ रुपए है।

15. उद्यम पूंजी निधि अथवा उद्यम पूंजी कम्पनी, जिसमें सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को शामिल कर लिया गया है, में इक्विटी शेयर के रूप में उद्यम पूंजी उपक्रम किए गए निवेश से प्राप्त लाभांशों अथवा दीर्घकालीन पूंजीगत प्राप्तियों से आय को अब कुल आय की गणना करने के प्रयोजन से शामिल नहीं किया जाएगा।

16. उद्यम पूंजी वित्त को बढ़ावा देने के लिए, घरेलू तथा विदेशी दोनों ही उद्यम पूंजी निधियों के पंजीकरण तथा विनियमन के लिए सेबी को एकमात्र केन्द्रीय अभिकरण बनाया गया है।

17. उद्यम पूंजी निधि को संवितरित और असंवितरित आय पर कोई कर नहीं लगेगा। उद्यम पूंजी निधियों से वितरित आय पर कर, आय की प्रवृत्ति के अनुसार लागू दरों के आधार पर निवेशकर्ता पर लगेगा।

18. पोर्ट फोलियों निवेश नीति के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) को किसी कम्पनी में साम्यपूंजी के कुल 24% तक निवेश की अनुमति दी गई है, जिसे अनुमोदन के आधार पर 30% तक बढ़ाया जा सकता है। वर्ष 2000-2001 के बजट में सीमा को 20% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है।

19. कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के तहत, आईटी सॉफ्टवेयर एवं सेवा कम्पनियों के निवासी कर्मचारी द्वारा विदेशी मुद्रा में खरीदे गए जीडीआर से हुई आय पर 10% के रियायती दर पर आयकर देय होगा।

20. अनुसंधान एवं विकास संबंधी कार्यकलापों में और अधिक पूंजी निवेश आकर्षित करने के लिए किसी विश्वविद्यालय, विद्यालय या संस्थान या वैज्ञानिक शोध संघों को वैज्ञानिक, सामाजिक या सांख्यिकीय शोध के प्रयोजन से दी गई रकम पर 125% की भारित कटौती उपलब्ध कराई गई है।

21. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 को अधिनियमित किया है। यह अधिनियम साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध और सूचना सुरक्षा से संबंधित विधिक पहलूओं से संबंधित है। इससे इंटरनेट के माध्यम से ई-वाणिज्य के विस्तार को प्रोत्साहन मिलेगा।

22. भारतीय सॉफ्टवेयर पार्क ने एसटीपीआई इकाइयों के व्यवसाय को बढ़ाने और एसएमई को विपणन सहायता देने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में एक व्यवसाय सहायता केन्द्र की स्थापना की है। यह केन्द्र नवम्बर, 1999 से कार्य कर रहा है।

एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में खेल औषधियों को शामिल करना

1588. श्री कोलूर बसवनागौड़: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में खेल औषधियों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्नाटक सरकार और इसके मेडिकल कालेजों के विचार मांगे गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) एम.बी.बी.एस. पाठ्यचर्या में विशेष रूप से खेल चिकित्सा (स्पोर्टस् मेडिसिन) को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, खेलों और अन्य कार्यकलापों में लगने वाली चोटों के उपचार के बारे में एम.बी.बी.एस. पाठ्यचर्या में ही प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा विनियमों में भी खेल चिकित्सा में डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रम की व्यवस्था है।

(ख) से (घ) जी, नहीं।

[हिन्दी]

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

1589. श्री थावर चन्द गेहलोत: क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 को लागू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कानून को लाने के पीछे क्या कारण हैं;

(घ) सेमी-कंडक्टर इंटिग्रेटेड सर्किट ले आउट डिजाइन एक्ट का ब्यौरा क्या है;

(ङ) यह किस तारीख को लागू किया गया था; और

(च) इन अधिनियमों से सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को कितना लाभ हुआ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) से (ग) जी, हां। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 दिनांक 17 अक्तूबर 2000 को लागू किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 का उद्देश्य ई-वाणिज्य एवं ई-शासन के संवर्धन के लिए विधिक तथा नियामक ढांचा उपलब्ध कराना है।

(घ) इस अधिनियम में सेमीकण्डक्टर एकीकृत परिपथ ले-आउट डिजाइन तथा उससे संबंधित मामलों के बारे में प्रावधान किए गए हैं।

(ङ) राष्ट्रपति जी ने सितम्बर 2000 को इस अधिनियम को स्वीकृति प्रदान की है। मसौदा नियमों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(च) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 देश में ई-वाणिज्य तथा ई-शासन के संवर्धन को सुकर बनाएगा। इसके अतिरिक्त, बौद्धिक सम्पदा भी सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों में प्रगति/नवप्रर्वतनों के लिए आधारभूत तत्व हैं। सेमीकण्डक्टर अधिनियम से भारतीय बौद्धिक सम्पदा के सृजन को गति मिलेगी तथा हार्डवेयर क्षेत्र की प्रगति में भी सहायता मिलेगी। इससे उपलब्ध संरक्षणों के मद्देनजर उच्च प्रौद्योगिकी सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी पूंजीनिवेश के प्रवाह को प्रोत्साहन मिलेगा।

[अनुवाद]

कम्पोजिट नेट रेडियो परियोजना

1590. **श्री रघुनाथ झा:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 मई, 2001 के 'दैनिक जागरण' में प्रकाशित उस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसके अनुसार दस वर्ष बीत जाने और करोड़ों रुपये व्यय किए जाने के बाद भी सी.एन.आर. (कम्पोजिट नेट रेडियो) परियोजना अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कम्पोजिट नेट रेडियो परियोजना में ''जैमर रोधी'' संचार प्रणाली है; और

(घ) यदि हां, तो हमारी रक्षा जरूरतों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) और (ख) हाल ही में किए गए परीक्षणों के दौरान कंपोजिट नेट रेडियो के कार्य-निष्पादन में कुछ कमियां ध्यान में आई हैं। उन्नत कंपोजिट नेट रेडियो को वर्ष 2001 के अंत तक परीक्षणों के लिए प्रस्तुत किए जाने की योजना है।

(ग) जी, हां।

(घ) कंपोजिट नेट रेडियो से जब फील्ड में कार्य लिया जाएगा तो वह सेनाओं के लिए संचार का सुरक्षित साधन उपलब्ध कराएगा।

आश्रय

1591. **श्री अशोक ना. मोहोल:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पशुओं की देखभाल करने के लिए आश्रय गृहों की व्यवस्था करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान शरण गृहों की स्थापना और रखरखाव के लिए महाराष्ट्र सरकार को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, हां।

(ख) इस योजना के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को एक आश्रय गृह के निर्माण संबंधी परियोजना लागत के 90 प्रतिशत तक सहायता प्रदान की जाती है जिसकी अधिकतम सीमा गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किए जाने वाले 10 प्रतिशत अंशदान सहित 25 लाख रु. है। यह राशि गैर-सरकारी संगठनों को दो समान किस्तों में निर्मुक्त की जाती है।

(ग) इस योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार को कोई वित्तीय सहायता नहीं प्रदान की गई है। तथापि इस योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र में वित्तीय सहायता प्राप्त गैर-सरकारी संगठनों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

पशुओं की देखभाल करने हेतु आश्रयगृहों के प्रावधान संबंधी इस मंत्रालय की योजना के अंतर्गत पिछले 3 वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के गैर-सरकारी संगठनों को निर्मुक्त राशि

क्रम सं.	संगठन का नाम	अभी तक निर्मुक्त राशि (रु. में)
1.	ब्लू क्रॉस सोसाइटी ऑफ पुणे, पुणे	11,90,425/-
2.	बम्बई एस.पी.सी.ए., मुम्बई	2,98,350/-
3.	इंडियन हेपेटोलॉजिकल सोसाइटी, पुणे	22,50,000/-
4.	नागपुर एस.पी.सी.ए. नागपुर	9,28,755/-
5.	पीपुल फॉर एनिमल्स, चन्द्रपुर	15,00,000/-
6.	उज्जवल गौरक्षण ट्रस्ट, नागपुर	22,50,000/-
7.	श्री रामरोटी अन्नक्षेत्र आश्रम, मुम्बई (गुजरात में आश्रम)	9,33,750/-
8.	द बम्बे हयुमेनिटेरियन लीग, मुम्बई	5,85,000/-

नकली दवाइयां

1592. श्री रघुनाथ झाः
श्री प्रभुनाथ सिंहः
डा. रघुवंश प्रसाद सिंहः
मोहम्मद शहाबुद्दीनः
श्री राम प्रसाद सिंहः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली के बाजारों में नकली दवाइयां आसानी से उपलब्ध हैं;

(ख) सरकार द्वारा नकली दवाई विनिर्माताओं/विपणनकर्ताओं को पकड़ने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो नकली दवाइयों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का प्रस्ताव औषधि विनिर्माताओं के लिए टेबलेट पर बैच नम्बर का मुद्रण और उसे "ओपेक ब्लिस्टर पैकिंग" में पैक करना अनिवार्य बनाने का है ताकि नकली औषधि विनिर्माताओं के लिए यह कार्य कठिन बनाया जा सके।

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या घटिया औषधियों के विनिर्माण और विपणन को रोकने के लिए वर्तमान कानून पर्याप्त नहीं; और

(छ) यदि नहीं, तो वर्तमान कानूनों को और कठोर बनाने हेतु इनमें संशोधन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, नहीं। दिल्ली के बाजार में नकली औषधें आसानी से उपलब्ध नहीं हैं, संदिग्ध गुणवत्ता वाली औषधों के उपलब्ध होने के बारे में रिपोर्टें मिली हैं जिनमें विख्यात ब्रांडों के नाम की नकल की गई है।

(ख) और (ग) दिल्ली में औषध निरीक्षकों द्वारा बाजार से औषधों के नमूने नियमित रूप से लिए जाते हैं और वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 में पता चली नकली औषधों और इस मामले में की गई कार्रवाई का ब्यौरा विवरण में दिया गया है। दिल्ली पुलिस भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के औषध नियंत्रण विभाग के साथ मिल कर समय-समय पर छापे मारती रही है और नकली औषधों के अवैध व्यापार में लगे हुए सूचित किए गए व्यक्तियों से नकली औषधों के स्टॉक जब्त करती रही है। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने और दिल्ली औषध नियंत्रण प्रशासन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से अंतर्राज्यीय नकली औषध धोखाधड़ी का पता लगाया है जिसमें गुप्त रूप से नकली औषधों का विर्निमाण, बिक्री और और वितरण किया जा रहा था। पुलिस ने उक्त कार्यकलापों से जुड़े व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से औषधों का विशाल स्टॉक जब्त किया है। इस छापे के दौरान एंटिबायोटिक, एंटिपाइरेटिक और एनल्जेसिक औषधों, विटामिनों, क्षय रोधी औषधों सहित एलोपैथिक औषधों के लगभग 76 नमूने और आयुर्वेदिक औषधों के दो नमूने बरामद किए गए हैं।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। औषध और प्रसाधन सामग्री नियम 1945 को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। औषध और प्रसाधन सामग्री नियमों के नियम 96 में विनिर्माता द्वारा कोई भी औषध बाजार में बेचने या वितरित करने से पहले उस पर लेबल लगाने का तरीका निर्धारित किया गया है। इन लेबलिंग उपबंधों में यह अपेक्षा होती है कि सुस्पष्ट बैच संख्या रिकार्ड होनी चाहिए और यह निरीक्षण के लिए उपलब्ध होनी चाहिए जिसके आधार पर उस विशेष बैच के विनिर्माण के ब्यौरे का पता लगाया जा सके जिस बैच का कंटेनर में पदार्थ है।

उपर्युक्त उपबंधों के मद्देनजर और कोई संशोधन करना आवश्यक नहीं पाया गया है।

(च) औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और इसके अंतर्गत बने नियमों के अधीन औषधों के विनिर्माण, बिक्री और वितरण के लिए पर्याप्त उपबंध उपलब्ध हैं। उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत नकली, मिलावटी, गलत ब्रांड वाली और घटिया गुणवत्ता वाली औषधों के विनिर्माण, बिक्री के लिए कठोर दण्डात्मक सजा निर्धारित है। चूंकि नकली औषधों का विनिर्माण और बिक्री एक गुप्त गतिविधि है जिसमें असामाजिक तत्व संलिप्त होते हैं, इसलिए अन्तरराज्यीय वाणिज्य में चल रही नकली/जाली औषधों का पता लगाने के लिए राज्यों के प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं।

(छ) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान औषधों के उठाए गए नमूनों के ब्यौरे

वर्ष	उठाए गए नमूनों की कुल संख्या	नकली सूचित किए गए नमूने	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा
1999-2000	484	13	12 मामलों में मुकदमें चलाए गए हैं और एक मामले की अभी भी जांच चल रही है।
2000-2001	1127	4	एक मामले में मुकदमा चलाया गया है। शेष तीन मामलों में सरकार ने औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अधीन मुकदमा चलाने हेतु कदम उठाने शुरू किए हैं।

ट्रिप्स समझौता

1593. श्री जी.एस. बसवराज: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत भी उन छियालीस विकासशील देशों में से एक हस्ताक्षरकर्त्ता है जिन्होंने मंत्रिस्तरीय सम्मेलन को अपील करते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए पत्र प्रस्तुत किया है कि निजी स्वास्थ्य नीतियां बनाने के उनके वैध अधिकार की रक्षा की जाए और ट्रिप्स समझौते का इस पर विपरीत प्रभाव न पड़े;

(ख) यदि हां, तो क्या वे यह मांग कर रहे हैं कि ट्रिप्स समझौते के उन उपबंधों में संशोधन किया जाए जो उनकी मांगों के अनुरूप नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो विश्व व्यापार संगठन में इस मुद्दे पर क्या प्रमुख निर्णय लिए गए;

(घ) क्या भारत ने भी अन्य देशों के साथ इस कदम का प्रस्ताव किया था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ङ) विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) की ट्रिप्स परिषद् ने 20 जून, 2001 को एक विशेष अधिवेशन में बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबद्ध पहलुओं (ट्रिप्स) और औषधों की सुलभता के मुद्दे पर विचार-विमर्श किया। विशेष अधिवेशन में भारत ने अन्य 46 विकासशील देशों के साथ ट्रिप्स और जन स्वास्थ्य पर एक संयुक्त पत्र (पेपर) प्रस्तुत किया। भारत ने अन्य सह-प्रायोजकों के साथ इस संयुक्त पत्र में यह मांग की है कि डब्ल्यू.टी.ओ. को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ट्रिप्स करार में डब्ल्यू.टी.ओ. के सदस्यों के अपनी जन स्वास्थ्य नीतियां तैयार करने और औषधों की वहनीय सुलभता की व्यवस्था करने हेतु उपायों को अंगीकार करने के अधिकार को कम नहीं किया गया है। विकासशील देशों की जन स्वास्थ्य चिंताओं के अनुरूप अनिवार्य औषधों और जीवन रक्षक औषधों की वहनीय सुलभता सुनिश्चित करने हेतु ट्रिप्स करार के निवर्चन में अधिक नम्यता और स्पष्टता की मांग की गई है।

विशेष अधिवेशन में यह निर्णय किया गया कि ट्रिप्स करार और औषधों की सुलभता के मुद्दे पर आगे सितम्बर, 2001 में होने वाली ट्रिप्स की अगली बैठक में विचार-विमर्श किया जाएगा।

केरल में आयुर्वेदिक कॉलेज

1594. श्री वी.एस. शिवकुमारः
श्री टी. गोविन्दनः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उत्कृष्टता केन्द्रों के रूप में केरल में आयुर्वेद कॉलेजों की स्थापना करने और कन्नूर, थिरीपुनीतुरा तथा तिरूवनन्तपुरम में आयुर्वेद मेडिकल कालेजों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार करने में मदद करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) केरल में आयुर्वेदिक कालेजों के संबंध में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। उत्कृष्ट केन्द्रों की स्थापना हेतु सहायता की कोई स्कीम नहीं चलायी जा रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सॉफ्टवेयर का निर्यात

1595. श्री जी.एस. बसवराजः
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पाः

क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक के कुल सॉफ्टवेयर निर्यात में 72 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है और यह 6,400 करोड़ रुपए के लक्षित निर्यात को पार करके 7,475 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि में वृद्धि दर कितनी थी;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इसमें कितनी वृद्धि हुई है;

(घ) क्या यह भी सच है कि अमरीकी मंदी के बावजूद चालू वित्तीय वर्ष के लिए सॉफ्टवेयर निर्यात लक्ष्य 11,000 करोड़ रुपये रखा गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(च) अगले वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) जी, हां।

(ख) पिछले वित्त वर्ष (1999-2000) की इसी अवधि में विकास दर 35% थी।

(ग) सॉफ्टवेयर निर्यात विकास दर जो वर्ष 1999-2000 में 35% थी वर्ष 2000-2001 में बढ़कर 72% हो गई।

(घ) से (च) जी, हां। इस उद्योग में बड़ी भारतीय कम्पनियां, बहुराष्ट्रीय कम्पनियां तथा लघु एवं मझौली कम्पनियां शामिल हैं। उद्योग की उपर्युक्त तीनों श्रेणियों पर संयुक्त राज्य अमेरिका की मंदी का प्रभाव अलग-अलग पड़ा है। उद्योग ने वर्ष 2001-2002 के लिए 11,000 करोड़ रुपए के निर्यात लक्ष्य का अनुमान लगाया है।

[हिन्दी]

खादी और ग्रामोद्योग आयोग में नये अध्यक्ष

1596. श्री जगदम्बी प्रसाद यादवः क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग में वर्तमान अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो जाने के बावजूद नये अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गई है जिसके परिणामस्वरूप खादी और ग्रामोद्योग देश में विनाश के कगार पर है;

(ख) क्या आयोग अपने स्वयं के सहायता प्राप्त कर रहे संस्थानों को अनुमोदन प्रदान करने में असहाय है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा विभिन्न संस्थाओं को कितना ऋण दिया गया तथा ये संस्थाएं विशेषकर के झारखंड और बिहार राज्यों में कौन-कौन सी हैं; और

(घ) इस समय ऋण वसूली की स्थिति क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक, और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) पिछले खादी और ग्रामोद्योग आयोग का कार्यकाल 5.9.1999 को समाप्त हो गया था। के.वी.आई.सी. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, अध्यक्ष अपने कार्यकाल समाप्त होने की अवधि पर तब तक कार्यालय नहीं छोड़ता जब तक उसका उत्तराधिकारी पदभार ग्रहण नहीं करता। तद्नुसार डा. महेश शर्मा खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। अध्यक्ष को प्राधिकृत किया गया है कि जब तक नया आयोग न बने तब तक आयोग के रोजमर्रा के कार्य के.वी.आई.सी. के मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा वित्तीय सलाहकार के परामर्श से करें।

(ग) और (घ) के.वी.आई.सी. द्वारा पिछले 3 वर्षों के दौरान बिहार जिसमें झारखंड भी शामिल है, के विभिन्न संस्थानों को किया गया संवितरण निम्न प्रकार है)

(लाख रु. में)

वर्ष	के.वी.आई.सी.	संकाय बैंक ऋण
1997-98	30.31	8.82
1998-99	60.85	4.01
1999-2000	26.37	-

संस्थानों के निर्दिष्ट नाम जिन्हें उपरोक्त अवधि के दौरान वित्त पोषित किया गया है, विवरण में दिए गए हैं।

संस्थान को अनुमति दी गई है कि कार्यशील पूंजी ऋण को कार्यशील निधि के रूप में तब तक बनाए रखने की अनुमति दी गई है जब तक उत्पाद/बिक्री का एक स्तर बना रहता हो। पूंजी व्यय ऋण के संबंध में सामान्यत: यह 9 बराबर की मासिक किश्तों में वसूल किया जाता है। सी.बी.सी. ऋण मियादी ऋण के रूप में दिया जाता है तथा यह 28 तिमाही किश्तों में वसूल किया जाता है जिसमें एक वर्ष का आरंभिक ऋण स्थगन शामिल है।

विवरण

बिहार राज्य में पिछले 3 वर्षों अर्थात् 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान प्रत्यक्ष रूप से वित्तपोषित संस्थानों के नाम दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	संस्थान का नाम	वर्ष के दौरान वित्तपोषित
1.	परचुरूखी पंचायत खादी ग्रामोद्योग संघ, इस्लामपुर जिला मधुबनी	1998-99
2.	वैशाली जिला खादी ग्रामोद्योग संघ, वैशाली	1998-99, 2000-2001, 2001-2002
3.	रेशम खादी सेवा उद्योग जोगसर	1998-99
4.	क्षेत्रीय खादी ग्रामोद्योग संघ सरईया फैक्ट्री जिला मुजफ्फरपुर	2000-2001

झारखंड राज्य में पिछले 3 वर्षों अर्थात् 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान प्रत्यक्ष रूप से वित्तपोषित संस्थानों के नाम दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	संस्थान का नाम	वर्ष के दौरान वित्तपोषित
1.	सिंहभूम ग्रामोद्योग विकास संस्थान छायबासा जिला सिंहभूम	1998-99
2.	गदाधर मिश्रा स्मारक निधि, पोस्ट गांधीग्राम, जिला गोड्डा	1998-99
3.	आदिवासी समग्र विकास परिषद्, पालकोट	1998-99

[अनुवाद]

सेवानिवृत्ति-नियमों में परिवर्तन

1597. **श्री रमेश चेन्नितला:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में कैबिनेट सचिव की सेवानिवृत्ति-आयु से संबंधित नियमों में परिवर्तन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सेवानिवृत्ति-नियमों में बार-बार परिवर्तन करने से नौकरशाही के मनोबल पर विपरीत प्रभाव पड़ने और प्रणाली में अस्थिरता उत्पन्न होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, हां।

(ख) मंत्रिमंडल-सचिव का सेवाकाल लोक-हित में बढ़ाया जाना आवश्यक समझे जाने की स्थिति में केन्द्रीय सरकार को उनका सेवाकाल बढ़ाने में समर्थ बनाने की दृष्टि से, नियम, संशोधित कर दिए गए हैं। कुशल और प्रभावी प्रशासन के लिहाज से मंत्रिमण्डल-सचिव के पद-धारक का एक न्यूनतम निश्चित कार्यकाल निर्धारित किया जाना उपर्युक्त समझा गया है।

(ग) और (घ) भर्ती-नियमों में बार-बार संशोधन नहीं किए गए हैं। संपूर्ण केन्द्र-सरकार के सिर्फ एक पद के संबंध में ही हाल ही में किए गए संशोधन से अधिकारी-तंत्र का मनोबल प्रतिकूलत: प्रभावित होना संभावित नहीं है।

टेली मेडिसिन परियोजनाओं का क्रियान्वयन

1598. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:
डा. एस. वेणुगोपाल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने ग्रामीण लोगों तक बेहतर चिकित्सा सुविधाओं को पहुंचाने के लिए सम्पूर्ण देश में टेली मेडिसिन परियोजनाओं के जोर-शोर से क्रियान्वयन का आह्वान किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इकाइयों के विस्तार पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोगों की स्वास्थ्य परिचर्या तक पहुंच में सुधार करने के लिए टैलिमेडिसिन और इसके अनुप्रयोग के मुद्दे की जांच पड़ताल करने हेतु महानिदेशक, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। इस समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में टैलिमेडिसिन का प्रयोग अधिक विस्तृत ढंग से करने के लिए अपेक्षित आधारभूत, ढांचे, तकनीकी क्षमताओं और अन्य सुविधाओं के विस्तृत ब्यौरे हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली और संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ जैसे सरकारी क्षेत्र, की कुछ संस्थाओं और हैदराबाद के अपोलो हास्पिटल ग्रुप और एल.वी. प्रसाद आई हास्पिटल ने देश के ग्रामीण तथा दूर-दराज के क्षेत्रों को इस प्रौद्योगिकी के लाभ पहुंचाने के लिए पहले ही कदम उठाए हैं।

कजाकिस्तान के सहायक विदेश मंत्री की यात्रा

1599. श्रीमती रेणूका चौधरी:
श्री माधवराव सिंधिया:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष मई में कजाकिस्तान के सहायक विदेश मंत्री की यात्रा के दौरान, नवम्बर, 2001 के लिए निर्धारित सी.आई.सी.ए. (एशिया में बातचीत और विश्वास पैदा करने के लिए उपायों संबंधी सम्मेलन) की प्रस्तावित शिखर बैठक पर चर्चा की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और शिखर बैठक का स्थान और कार्यसूची क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) 21 मई, 2001 की कजाकिस्तान के सहायक विदेश मंत्री, श्री कैरट अबुउसेटोव की भारत यात्रा के दौरान, 8 से 10 नवम्बर, 2001 तक संपन्न होने वाले प्रस्तावित एशिया में अंत:क्रिया और विश्वासोत्पादक उपायों से संबद्ध सम्मेलन के शिखर पर चर्चा हुई थी।

(ख) कजाकिस्तान ने शिखर सम्मेलन की अल्माती में मेजबानी करने की पहल की है। सी.आई.सी.ए. का एक विशेष कार्य दल इस शिखर सम्मेलन में सी.आई.सी.ए. सदस्य राज्यों के राज्याध्यक्षों अथवा सरकार प्रमुखों द्वारा पारित किए जाने के लिए एक दस्तावेज पर वार्ता कर रहा है। इस दस्तावेज का उद्देश्य उस प्रारम्भिक प्रक्रिया को एक सुदृढ़ आधार प्रदान करना है जो 1999 में अल्माती में सी.आई.सी.ए. सदस्य राज्यों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हस्ताक्षरित सिद्धान्तों की घोषणा के साथ आरम्भ हुई थी। श्री अबुउसेटोव की इस विशेष कार्यदल के अध्यक्ष की हैसियत से भारत की यात्रा उन यात्राओं में से एक थी जो उन्होने इस मसौदा दस्तावेज के विभिन्न पहलुओं पर द्विपक्षीय परामर्श के लिए सी.आई.सी.ए. सदस्य राज्यों की विभिन्न राष्ट्रीय राजधानियों के लिए की थी। इस शिखर सम्मेलन में औपचारिक कार्यवृत्त को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

जी-24 बैठक

1600. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रुप 24 के विकासशील देशों ने उन्नत राष्ट्रों द्वारा लगाए गए व्यापार प्रतिबंधों को हटाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत ने जी-24 की बैठक के दौरान अनेक सुझाव दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) जी, हां।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक मामलों से संबद्ध 24 देशों के अंतर-सरकारी समूह (जी-24) ने 28 अप्रैल 2001 को हुई अपनी बैठक में इस बात पर विचार किया कि औद्योगिक देशों के बाजारों में विकासशील देशों के निर्यात को आने वाली बाधाओं से विकासशील देशों को गंभीर क्षति पहुंची है। विकासशील देशों के विभिन्न संरक्षणवादी उपायों अर्थात् डंपिंग-रोधी और समान शुल्कों तथा अनुदानों और व्यापार उदारीकरण करारों के धीमे क्रियान्वयन से विकासशील देशों में निर्माण लागत काफी बढ़ जाती है जिससे उनके निर्यात में बाधा आती है। विश्व बाजार में अपनी पहुंच बढ़ाकर व्यापार और विकास के संवर्धन के लिए बहुपक्षीय व्यवस्थाओं का प्रभावी उपयोग करने के विकासशील देशों के प्रयास को सुदृढ़ करने और संपूरित किये जाने की आवश्यकता है। इस बैठक में विश्व बैंक से इन प्रयासों का समर्थन करने का अनुरोध किया गया।

(ग) और (घ) जी-24 की बैठक के दौरान भारत ने कई बार हस्तक्षेप किया, विशेषकर निम्नलिखित के संबंध में: (1) तेल का वर्तमान मूल्य जो तेल आयातक विकासशील देशों के लिए व्यापार की एक प्रतिकूल शर्त है और जिससे उनके भुगतान संतुलन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा उन्हें उनकी कठिनाइयों से छुटकारा दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाये जाने की आवश्यकता: (2) इस तथ्य को स्वीकार करते हुए तेल के ऊचें मूल्य के कारण तेल आयातक विकासशील देशों के समक्ष गंभीर समस्याएं आयी परन्तु साथ ही तेल उत्पादक देशों द्वारा तेल बाजार को संतुलित रखने के लिए किये गये प्रयासों की सराहना; (3) बड़े औद्योगिक देशों के बीच बेहतर समन्वय और साथ ही उनकी नीतियों की बेहतर निगरानी की आवश्यकता।

पुनर्वास क्षेत्र के लिए प्रशिक्षण संस्थान

1601. **श्री ए. ब्रह्मनैया:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुनर्वास परिषद उन गैर-सरकारी संगठनों को सहायता और उनके कार्यों की निगरानी कर रही है जो पुनर्वास के क्षेत्र में लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए संस्थान स्थापित करने के इच्छुक हैं;

(ख) यदि हां, तो 1999-2000 और 2000-2001 में भारतीय पुनर्वास परिषद् की मदद से ऐसे कितने संस्थान शुरू किए गए;

(ग) क्या भारतीय पुनर्वास परिषद् सीधे परामर्शी सहायता के जरिए दूरस्थ स्थानों में गैर-सरकारी संगठनों की सहायता करेगी; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा इसे लागू करने और अनुमोदन देने संबंधी प्रणाली का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) और (ख) पुनर्वास विज्ञान में मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू करने के इच्छुक किसी संगठन को भारतीय पुनर्वास परिषद् से अनुमति प्राप्त करना अपेक्षित है। इस परिषद् ने वर्ष 1999-2000 में 9 संस्थाओं तथा वर्ष 2000-2001 में 11 संस्थाओं को प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए अनन्तिम स्थायी अनुमति प्रदान की है।

(ग) और (घ) यह सुनिश्चित करना परषिद् का कर्त्तव्य है कि पुनर्वास में प्रशिक्षण देने वाली शैक्षिक संस्थाएं इसके द्वारा निर्धारित मानको के अनुरूप हो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए आवेदन प्राप्त होने पर परिषद् निरीक्षण करने तथा निरीक्षण रिपोर्ट की जांच करने के बाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू करने की अनन्तिम/स्थायी अनुमति प्रदान करती है।

कर्नाटक को साफ्टवेयर के लिए केन्द्रीय सहायता

1602. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:** क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सॉफ्टवेयर जानकारी प्रदान करने के लिए विशेषकर प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में, कर्नाटक को कोई वित्तीय सहायता देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

भारत-अल्जीरिया संबंध

1603. श्री पी.आर. खूंटे: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अल्जीरिया ने अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए भारत से सहयोग की तीव्र इच्छा जाहिर की है; और

(ख) यदि हां, तो भारत द्वारा इस संबंध में अब तक कितना सहयोग किया गया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) अल्जीरिया के साथ हाल के उच्च स्तरीय आदान-प्रदानों के दौरान, परस्पर सहयोग के लिए कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई थी। एक ऐसा प्रस्ताव आर्थिक सुधारों के संबंध में सहयोग था। इस संबंध में अभी तक अल्जीरिया से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

उड़ीसा को विशेष राज्य का दर्जा

1604. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उड़ीसा को विशेष राज्य का दर्जा देने की घोषणा हेतु राज्य सरकार से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में योजना आयोग द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) जी, हां।

(ख) निम्न विकास स्तर, गरीबी, अत्यधिक बेरोजगारी समस्या, राज्य सरकार के राजकोषीय असंतुलन, प्राकृतिक आपदाएं तथा राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आबादी में अधिकता आदि का तर्क देते हुए 1991 से ही ऐसे अनुरोध प्राप्त होते रहे हैं।

एक राज्य को विशेष श्रेणी राज्य के रूप में घोषित करने के मुख्य मापदण्ड हैं: (1) पर्वतीय तथा जटिल भूभाग (2) निम्न जनसंख्या घनत्व (3) कमजोर संसाधन आधार, तथा (4) समग्र आर्थिक तथा आधारित संरचनात्मक पिछड़ापन। ये राज्य सामरिक दृष्टि से देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर स्थित हैं, अच्छी जनजातीय आबादी है तथा उनमें से अधिकांश को छोटे संघ राज्य क्षेत्रों अथवा कुछ अन्य राज्यों के जिलों से स्थापित किया गया है।

उड़ीसा उपरोक्त मानदण्ड को पूरा नहीं करता है।

(ग) उड़ीसा जैसे राज्यों की सहायता के लिए, किसी राज्य को विशेप श्रेणी राज्य के रूप में घोषित करने के मानदंड में संशोधन करना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 27 और 29 जून, 2001 को हुई योजना आयोग की बैठक में केन्द्रीय सहायता के आबंटन हेतु गाडगिल फार्मूला का पुनरीक्षण, राज्य योजनाओं के केन्द्रीय सहायता के संदर्भ में ऋण-अनुदान अनुपात में परिवर्तन तथा विशेष श्रेणी राज्यों के वर्गीकरण के लिए मानदंड में परिवर्तन पर विचार किया गया था। राज्य सरकारों के विचारों में भिन्नता तथा मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए यह महसूस किया गया कि इस पर आगे भी चर्चा की जाए तथा राष्ट्रीय विकास परिषद् (एनडीसी) द्वारा किसी विकल्प पर विचार करने के पहले एक सर्वसम्मति विकसित करना आवश्यक होगा। इस प्रकार इस पर सहमति हुई कि इस मामले को अलग से उठाया जाएगा।

[हिन्दी]

कैलाश मानसरोवर यात्रा

1605. श्री शंकर सिंह वाघेला: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कैलाश मानसरोवर यात्रा हेतु किसी छोटे मार्ग का निर्माण करने/पता लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यात्रियों के सुरक्षा हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) उत्तरांचल के पिथौरागढ़ जिले में लिपुलेख दर्रे के पारम्परिक मार्ग पर कैलाश मानसरोवर यात्रा का समन्वय कार्य विदेश मंत्रालय द्वारा किया जाता है और केन्द्र तथा राज्य सरकार की विभिन्न एजेन्सियों की सहायता से इसका संचालन होता है।

भारत सरकार ने अनेक अवसर पर चीन पक्ष के समक्ष जम्मू और कश्मीर में डेमचोक होकर कैलाश मानसरोवर के लिए वैकल्पिक मार्ग का प्रस्ताव रखा है। चीनी पक्ष ने हाल ही में बताया है कि सड़क की खराब स्थिति, प्रायिक भू-स्खलन, अत्यधिक ऊंचाई और तिब्बत के उस निर्जन सुदूर क्षेत्र में सुविधाओं के अभाव के कारण डेमचोक होकर वैकल्पिक मार्ग खोलना व्यवहार्य नहीं होगा। चीनी पक्ष ने यह भी बताया कि उन्होंने अन्य विकल्पों की जांच की थी परन्तु तेजी से बदलती हुई वास्तविक और मौसमी परिस्थितियों के कारण उनमें से किसी को भी व्यवहार्य नहीं पाया गया है।

(ग) तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं में नि:शुल्क चिकित्सा जांच और सहायता; लिपुलेख दर्रे तक सुरक्षा और बचाव यात्रा की अवधि के लिए बीमा व्यवस्था और संचार सम्पर्क; और यात्रियों के प्रत्येक जत्थे के साथ एक सम्पर्क अधिकारी की तैनाती शामिल हैं।

[अनुवाद]

रक्षा सेवाओं में परिवर्तन

1606. श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री टी.एम. सेल्वागनपति:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सेना मुख्यालय के एकीकरण द्वारा मौजूदा रक्षा सेवा तंत्र में व्यापक परिवर्तन लाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) और (ख) सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली की समग्र रूप से समीक्षा करने तथा विशेष रूप से कारगिल पुनरीक्षा समिति की सिफारिशों पर विचार करने और कार्यान्वयन हेतु विशिष्ट प्रस्ताव तैयार करने के लिए 17 अप्रैल, 2000 को एक मंत्री-समूह का गठन किया था। इस मंत्री समूह ने विविध मुद्दों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद ''राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली में सुधार'' शीर्षक से एक वृहत रिपोर्ट तैयार की थी जो 26 फरवरी, 2001 को प्रधान मंत्री को सौंप दी गई। जिन सिफारिशों के परिणामस्वरूप रक्षा मंत्रालय के साथ सेनाओं का एकीकरण होगा वे हैं- (1) प्रधान सेनाध्यक्ष, (2) रक्षा स्टाफ, (3) रक्षा अधिप्राप्ति बोर्ड, (4) रक्षा आसूचना एजेंसी, (5) रक्षा मंत्रालय का एकीकृत मुख्यालय, और (6) एकीकृत मुख्यालय को अधिक प्रशासनिक शक्तियों का प्रत्यायोजन करना। मंत्री-समूह की सिफ़ारिशों का कार्यान्वयन पहले ही प्रारंभ कर दिया गया है। सरकार द्वारा कार्यान्वयन प्रक्रिया पर बारीकी से नजर रखी जा रही है ताकि उपर्युक्त सिफारिशों का कार्यान्वयन तरीके से हो सके।

भारत-पाक संबंध

1607. श्री पवन कुमार बंसल: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच संबंधों को सुदृढ़ करने हेतु कुछ उपाय शुरू किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सीमा के आर-पार कितने विवाह सम्पन्न हुए?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) सरकार का यह विचार है कि भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच सम्पर्कों को बढ़ाने से हमारे दोनों देशों के बीच शान्ति, मित्रता एवं सहयोग के संबंधों की स्थापना में योगदान मिलेगा। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए और राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की भारत यात्रा (14-16 जुलाई, 2001) से पहले एक अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए सरकार ने दोनों देशों के लोगों के बीच सम्पर्कों को संवर्धित करने के लिए हाल ही में कुछ महत्वपुर्ण पहलकदमियों की घोषणा की है।

4 जुलाई, 2001 को सरकार ने यह घोषणा की कि भारत के तकनीकी संस्थाओं में पाकिस्तान के छात्रों को 20 छात्रवृत्तियों की पेशकश की जाएगी; पाकिस्तान के कवियों, शिक्षाविदों, लेखकों और कलाकारों को व्यक्तिगत रूप से तथा समूहों में सरकार के अतिथि के बतौर एक महीने की अवधि के लिए भारत यात्रा पर बुलाया जाएगा; पाकिस्तामी छात्रों (विद्यालयों एवं विश्वविद्यालय से, लड़के और लड़कियों) को भारत के शैक्षिक संस्थानों की यात्रा तथा दौरा करने के लिए सरकार द्वारा आमंत्रित किया जाएगा।

यात्रा को जहां तक सम्भव हो, सरल और सुगम बनाने के लिए 9 जुलाई, 2001 को सरकार ने यह घोषणा की कि इसके बाद पाकिस्तानी पासपोर्टधारकों को सड़क मार्ग से आने की अनुमति होगी और वे अटारी स्थित चौकी पर वीजा प्राप्त करेंगे। राजस्थान

में मुनाबाओ पर एक और चौकी खोली जाएगी। इसी प्रकार की चौकियां जम्मू और कश्मीर में आई बी तथा नियंत्रण रेखा पर भी खोली जाएंगी।

पाकिस्तान अपने पारम्परिक संकीर्ण तथा एकमात्र विचारधारा जो जम्मू तथा कश्मीर के मुद्दे पर केन्द्रित है के परिप्रेक्ष में द्विपक्षीय संबंधों का अनुपालन कर रहा है।

(ग) सरकार के पास इस प्रकार की जानकारी नहीं है।

[हिन्दी]

अमरीकी जनरल की यात्रा

1608. **श्री चन्द्रनाथ सिंह:**
श्री सी. श्रीनिवासन:
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीकी संयुक्त बलों के उच्च पदासीन जनरल ने हाल ही में भारत की यात्रा की; और

(ख) यदि हां, तो दोनों पक्षों के बीच हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) जी, हां।

(ख) अमरीका के संयुक्त सेनाध्यक्षों के चेयरमैन जनरल हेनरी शेल्टन 19 जुलाई, 2001 को भारत आए थे। उनकी यात्रा के दौरान, भारत तथा अमरीका के बीच रक्षा सहयोग पुनः शुरू किए जाने पर चर्चा की गई थी। इसके अतिरिक्त, दोनों देशों के बीच पारस्परिक सैन्य संपर्क के बहुत से क्षेत्रों और दोनों देशों की प्रशिक्षण स्थापनाओं के बीच आदान-प्रदान के संबंध में बात-चीत की गई थी। इस यात्रा से दोनों देशों के लिए हितकारी अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा द्विपक्षीय मुद्दों पर विचारों के आदान-प्रदान का भी अवसर मिला।

खादी ग्रामोद्योग द्वारा चलाई जा रही औद्योगिक इकाइयां

1609. **श्री रामदास आठवले:** क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रायोजित/चलाई जा रही औद्योगिक इकाइयों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से कितनी इकाइयां देश के आदिवासी क्षेत्रों में स्थित हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन इकाइयों द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कितनी सहकारी और निजी ईकाइयों को सहायता दी गई?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) मार्जिन मनी स्कीम के तहत खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा राज्य-वार वित्तपोषित की जाने वाली औद्योगिक इकाइयों की संख्या विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) आदिवासी क्षेत्रों के संबंध में अलग से डाटा/सूचना का अनुरक्षण केन्द्रीय तौर पर नहीं किया जाता है।

(घ) 31.3.2000 तक के.वी.आई.सी. द्वारा 0.30 लाख सहकारी सोसाइटियों और 8.43 लाख लोगों को सहायता प्रदान की गई है।

विवरण

31.3.2000 की स्थिति अनुसार मार्जिन मनी स्कीम के तहत स्वीकृत परियोजना

क्र.सं.	राज्य का नाम	कुल
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	3552
2.	अरुणाचल प्रदेश	96
3.	असम	81
4.	बिहार	262
5.	गोवा	609
6.	गुजरात	184
7.	हरियाणा	818
8.	हिमाचल प्रदेश	206
9.	जम्मू-कश्मीर	2481

1	2	3
10.	कर्नाटक	6229
11.	केरल	2540
12.	मध्य प्रदेश	7607
13.	महाराष्ट्र	8194
14.	मणिपुर	156
15.	मेघालय	1938
16.	मिजोरम	419
17.	नागालैंड	310
18.	उड़ीसा	578
19.	पंजाब	3019
20.	राजस्थान	13789
21.	सिक्किम	15
22.	तमिलनाडु	1298
23.	त्रिपुरा	1
24.	उत्तर प्रदेश	2221
25.	प. बंगाल	8090
26.	अंडमान-निकोबार	87
27.	दिल्ली	134
28.	चंडीगढ़	20
29.	दादर नागर हवेली	1
30.	पांडिचेरी	827
31.	लक्षद्वीप	0
32.	दमन-दीव	0
	योग	65762

अनुभाग अधिकारियों की रिक्तियां

1610. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न कोटे के अंतर्गत केन्द्रीय सचिवालय के अनुभाग अधिकारी ग्रेड की कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग को भेजी गई रिक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम, 1962 के नियम 13 (1) के अनुसार अनुभाग अधिकारी ग्रेड में रिक्तियों का 20 प्रतिशत सीधे भर्ती द्वारा भरा जाता है और 80 प्रतिशत नियमित नियुक्ति द्वारा चयन सूची से भरा जाता है;

(ग) यदि हां, तो उसी वर्ष में वरिष्ठता प्रक्रिया के द्वारा चयन सूची के सीमित विभागीय परीक्षा प्रक्रिया के अन्तर्गत शेष रिक्त पदों को न भरे जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या उक्त के नियम 13 (1) के प्रावधानों के अनुसार रिक्तियों की प्रत्यक्ष भर्ती या एक वर्ष के प्रोन्नति कोटा को अगले दो वर्षों तक ले जाया जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय आदि के वर्ष 1996 के सीधे भर्ती कोटा की रिक्तियों को कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग द्वारा अगले तीन वर्षों यानी वर्ष 1999 तक ले जाने और सीधे भर्ती के अभ्यर्थियों द्वारा पदों को भरने के क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) इस बारे में विवरण संलग्न है।

(ख) जी, हां।

(ग) केन्द्रीय सचिवालय-सेवा-नियमावली, 1962 में, किसी वर्ष विशेष की, सीमित विभागीय परीक्षा-पद्धति के कोटे की रिक्तियों को उसी वर्ष की वरिष्ठता-पद्धति के कोटे की रिक्तियों में बदलने का कोई भी प्रावधान नहीं है।

(घ) जी, हां।

(ङ) केन्द्रीय सचिवालय-सेवा का अनुभाग अधिकारी-ग्रेड, विकेन्द्रीकृत है और इसके निर्धारित कोटे, अलग-अलग संवर्ग-प्राधिकारियों द्वारा रखे जाते हैं, जो इस बारे में मौजूद अनुदेशों के अनुसार, कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग को अपने संवर्ग में होने वाली रिक्तियां सूचित करते हैं। ये रिक्तियां समन्वित तथा संकलित करके कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग, कुल रिक्तियों की स्थिति, संघ-लोक-सेवा-आयोग को सूचित कर देता है।

विवरण

अनुभाग अधिकारियों की रिक्तियां

क्र.सं.	प्रवर सूची का वर्ष	सीधी भर्ती	सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा	वरिष्ठता-कोटा
1.	1995	55	102	103
2	1996	45	115	129
3.	1997	26	58	70
4.	1998	14	16	18
5.	1999	18	10	18

[अनुवाद]

जनसंख्या नियंत्रण

1611. श्री रमेश चेन्नितला:
श्री पदमसेन चौधरी:
डा. विजय कुमार मल्होत्रा:
श्रीमती जसकौर मीणा:
श्री प्रभात सामन्तराय:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनसंख्या नीति की घोषणा के बाद जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने हेतु कोई ठोस कार्ययोजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में सकारात्मक उपलब्धि प्राप्त करने हेतु क्या उपाय किए गए/किए जाने का विचार है;

(ग) क्या उप राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता को कम करने हेतु केन्द्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन है जो न तो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित कर रहे हैं और न ही विकास की गति तेज कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में सूचीबद्ध की गई महत्वपूर्ण पहलों के कार्यान्वयन के लिए एक कार्ययोजना तैयार की गई है।

इस कार्ययोजना में नीति में बताई गई कार्यनीतियों और जून-जुलाई, 2000 में आयोजित परामर्शी सम्मेलनों में प्राप्त हुए सुझावों को ध्यान में रखा गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय सूचना-अवसंरचना

1612. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी: क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई अमरीकी कंपनियों ने भारतीय सूचना-अवसंरचना में गहरी रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना बाजार में कितनी अमरीकी कंपनियां आ गई हैं; और

(ग) ये भारतीय बाजार के लिए किस हद तक मददगार होंगी?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) जी, हां।

(ख) पिछले सात वर्षों के दौरान संयुक्त राज्य अमरीका के प्रत्यक्ष निवेश वाली 400 से अधिक कम्पनियों ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी के आधारभूत सुविधा बाजार में प्रवेश किया है।

(ग) इससे देश में रोजगार के सृजन एवं नई सहायता इकाइयों की स्थापना से जुड़े उच्च गुणवत्ता पूर्ण उत्पादन आधार विकसित होने की संभावना है। इससे आधारभूत सुविधाओं की स्थापना की घरेलू आवश्यकताएं पूरी करने के लिए उपयुक्त उत्पादों की उपलब्धता भी सुकर होगी।

''नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड''

1613. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ''नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड'' (एन.आई.ओ.एच.) कलकत्ता ने देश के विभिन्न भागों में शाखाएं स्थापित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एन.आई.ओ.एच. के पास विभिन्न राज्यों में दूरगामी कार्यक्रम शुरू करने की सुविधाएं है;

(घ) यदि हां, तो एन.आई.ओ.एच. द्वारा ऐसे कितने कार्यक्रम शुरू किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या एन.आई.ओ.एच. को ऐसी गतिविधियों हेतु पर्याप्त वित्तपोषण उपलब्ध है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) और (ख) राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, कोलकत्ता का राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान देहरादून के परिसर में एक क्षेत्रीय केन्द्र है।

(ग) और (घ) यह संस्थान शिविर एप्रोच के माध्यम से आउटरिच कार्यक्रम संचालित करता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, मेघालय तथा नागालैंड राज्यों में राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों के लिए 6 जिला केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

(ङ) और (च) जी, हां। वर्ष 2000-2001 के दौरान राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान को 1.12 करोड़ रु. के योजना परिव्यय की निर्मुक्ति की गई थी। इसके अतिरिक्त, विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायक यंत्रों/उपकरणों को खरीदने/लगाने के लिए सहायता की योजना के अन्तर्गत कार्यकलापों को शुरू करने के लिए भी निधियां प्रदान की जाती हैं।

[हिन्दी]

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत ऋण स्वीकृत करने में अनियमितताएं

1614. श्रीमती सुशीला सरोज: क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा 2001 तक देश में ऋणानुदान स्वीकृत करने का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या सरकार को प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत ऋण स्वीकृत करने हेतु रखी गई शर्तों, नियमों और निबंधनों के उल्लंघन से संबंधित कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) वर्ष 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001 के लिए प्रधानमंत्री की रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष के लिए 2,20,000 रु. का ऋण स्वीकृत करने का योजना लक्ष्य नियत किया गया था।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा प्राप्त शिकायतें बैंकों द्वारा सम्पार्श्विकता की मांग, पूर्ण स्वीकृत राशि का प्रदान न किया जाना, अन्डर फाइनेंसिंग, ऋण इत्यादि की स्वीकृति में विलम्ब के संबंध में है। इन शिकायतों का निवारण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों तथा संबंधित बैंकों द्वारा किया जाता है। केन्द्र की समितियों के अलावा राज्य और जिला स्तरीय समिति स्कीम के कार्यान्वयन को नियमित रूप से मोनीटर करती है।

[अनुवाद]

कार्यदल

1615. श्री रूपचन्द मुर्मू: क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु उद्योगों के संबंध में एक दृष्टिकोण तैयार करने के उद्देश्य से एक कार्यदल बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके विचारार्थ विषय क्या हैं; और

(ग) कार्यदल द्वारा अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) हमारे लघु उद्योग, कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय ने किसी ऐसे कार्यकारीग्रुप का गठन नहीं किया है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत-म्यांमार संबंध

1616. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान म्यांमार के साथ संबंध सुधारने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या म्यांमार के साथ और अधिक आर्थिक सहयोग की जरूरत है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (घ) सरकार ने अच्छे पड़ोसियों जैसे संबंधों और रचनात्मक क्रियाकलाप की नीति के जरिए म्यांमार के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को सुदृढ़ किया है। इसके तहत उठाये गये कदमों में सीमा प्रबंधन के लिए संस्थागत तंत्रों की स्थापना, आपसी लाभ के आधार पर सीमा-पार परियोजनाएं तथा आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना शामिल है।

प्रमुख क्षेत्रों में कृषि, मानव संसाधन विकास, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी-संरचनागत संपर्कों का विकास, स्वापक औषध नियंत्रण और सीमा प्रबंधन शामिल हैं। अप्रैल 1998 में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग से संबद्ध एक समझौता ज्ञापन सम्पन्न किया गया; जून 1999 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग से संबद्ध एक करार संपन्न किया गया। म्यांमार भारत में सूचना प्रौद्योगिकी सहित कई क्षेत्रों में प्रशिक्षण सुविधाओं का लाभ उठा रहा है। भारत ने 10 मिलियन अमरीकी डालर की एक ऋण-शृंखला उपलब्ध करायी है जिसका उपयोग म्यामां ने चल-स्टाक और अन्य औद्योगिक उपकरण खरीदने में किया है। नवम्बर, 2000 में 15 मिलियन अमरीकी डालर की दूसरी ऋण शृंखला उपलब्ध कराने से संबंधित एक करार संपन्न किया गया। भारत और म्यामां ने 25 जनवरी, 2001 को सांस्कृतिक सहयोग के संबद्ध एक करार भी संपन्न किया है। 25 मई, 2001 को भारत सरकार और म्यामां संघ की सरकार के बीच तामू-कालेम्यों सड़क के अनुरक्षण से संबंधित एक समझौता ज्ञापन सम्पन्न किया गया जिसके अंतर्गत भारत सरकार छह वर्षों के लिए इस मार्ग का अनुरक्षण करेगी।

सरकार आपसी लाभ के आधार पर म्यामां के साथ बेहतर आर्थिक सहयोग बनाने के प्रति वचनबद्ध है।

समेकित आधार संरचना विकास योजना

1617. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योग समेकित आधार संरचना विकास योजना के अन्तर्गत 50 केन्द्र खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इन केन्द्रों के लिए स्थलों का चयन कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक केन्द्र पर कितना व्यय होने की संभावना है;

(ङ) इन केन्द्रों की स्थापना में केन्द्र और राज्य का हिस्सा कितना होगा; और

(च) इन केन्द्रों द्वारा लघु उद्यमियों को किस तरह की सेवाएं दिए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (च) एकीकृत आधारित संरचना विकास (आई.आई.डी.) योजना 1994 में ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों के लिए औद्योगिक आधारिक संरचना सुविधाएं

प्रदान करने हेतु शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत प्रत्येक केन्द्र के लिए 2.00 करोड़ रु. तक का केन्द्रीय अनुदान और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) से 3.00 करोड़ रु. तक का ऋण उपलब्ध है। तथापि सिक्किम सहित उत्तर पूर्व क्षेत्र के आई.आई.डी. केन्द्रों के मामले में केन्द्रीय अनुदान 4.00 करोड़ रु. है और सिडबी से ऋण 1.00 करोड़ रु. है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को सिडबी से ऋण के स्थान पर उनकी स्वयं की निधियां निवेश करने का विकल्प है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक उपयुक्त स्थान चुनाव करना, प्रस्तावों की पुष्टि करनी होगी और इन्हें सिडबी से टैक्नो-इकोनॉमिक जीवनक्षमता के लिए मूल्यांकित कराना होगा और एक कार्यान्वयन अभिकरण नियुक्त करना आवश्यक है। प्रारंभ में योजना में देश भर में 50 आई.आई.डी. केन्द्र स्थापित करने का विचार था। तथापि, 31.8.2000 को लघु उद्योग क्षेत्र पर घोषित व्यापक नीति पैकेज के एक भाग के रूप में आई.आई.डी. योजना ग्रामीण क्षेत्रों हेतु 50% आरक्षण सहित उत्तरोत्तर देश के सभी क्षेत्रों को कवर करेगी और 50% प्लॉट अति लघु क्षेत्र के लिए उद्दिष्ट किए जाने हैं। अब देश में आई.आई.डी. केन्द्रों की संख्या पर कोई सीमा नहीं है।

तेलंगाना के लिए धन

1618. **श्री के. येरननायडू:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र के विकास हेतु धन जारी करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्रवाई की गई है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) से (ग) जी, हां। आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने पुलिस बल को सुदृढ़ बनाने तथा नक्सल प्रभावित जनजातीय इलाकों के समाजार्थिक विकास के लिए 1299.17 करोड़ रु. के प्रस्तावित परिव्यय के साथ एक तीन वर्षीय (1996-97 से 1998-99 तक) कार्य योजना प्रस्तुत की थी। बाद में, राज्य से चुने गए संसद सदस्यों के एक दल ने भी तेलंगाना के पिछड़े पर्वतीय एवं उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुधार के लिए आन्ध्र प्रदेश की राज्य सरकार को एक अलग पैकेज के रूप में विशेष निधियां उपलब्ध कराने के लिए 9 अगस्त, 2000 को एक अनुरोध भी प्रस्तुत किया।

इस तथ्य के मद्देनजर कि उड़ीसा, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश राज्य भी इसी तरह की समस्याओं का अनुभव कर रहे हैं, प्रस्तावों की जांच की गई और यह विचार किया गया कि इस क्षेत्र के समाजार्थिक विकास के लिए राज्य सरकार को इन कार्यक्रमों का नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यक्रमों के साथ तालमेल बिठाना होगा और सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालयों की केन्द्रीय स्कीमों के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए उनसे सम्पर्क करना होगा।

योजना आयोग राज्य की विकास योजना को इसके पूर्ण रूप से अनुमोदित करता है, न कि राज्य के क्षेत्रों में विभाजित रूप में। विकास परियोजनाओं को तैयार करना और किसी क्षेत्र विशेष के लिए इसकी मौजूदा विकास कार्यक्रमों से सामंजस्य स्थापित करना, राज्य सरकार का विशेषाधिकार है।

उपग्रह को छोड़ा जाना

1619. **श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को कितना धन आवंटित किया गया;

(ख) इन वर्षों के दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा शुरू किए गए विभिन्न कार्यक्रम क्या हैं और इन पर कितना धन खर्च किया गया है;

(ग) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किन परियोजनाओं में सफलता प्राप्त की हैं;

(घ) वर्ष 2001-2002 के दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा शुरू किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या एरियनस्पेस और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के बीच कोई नवीन समझौता हुआ है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) विगत तीन वर्षों में भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो)/अन्तरिक्ष विभाग का बजट आबंटन

निम्न प्रकार है:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	बजट आबंटन
2000-2001 (अंतिम अनुदान)	1913.78
1999-2000 (वास्तविक)	1677.39
1998-1999 (वास्तविक)	1401.70

(ख) इन तीन वर्षों में इसरो के प्रमुख कार्यक्रम और उन पर खर्च की गई निधियों का ब्यौरा निम्नलिखित है:

* राकेट विकास, जिसमें जी.एस.एल.वी. परियोजना, पी.एस.एल.वी. सातत्य परियोजना, श्रीहरिकोटा में द्वितीय प्रमोचन पैड और अन्य अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम शामिल हैं। 1998-2001 के दौरान खर्च की गई राशि: 1676.89 करोड़ रुपये।

* उपग्रह विकास, जिसमें भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह (आई.आर.एस.)-आई.आर.एस.-पी4 (ओसनसैट), आई.आर.एस.-पी5 (कार्टोसैट), आई.आर.एस. -पी6 (रिसोर्ससैट), जीसैट और अन्य अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम शामिल हैं। 1998-2001 के दौरान खर्च की गई राशि: 508.01 करोड़ रुपये।

* प्रचालनात्मक इन्सैट, जिसमें इन्सैट-2, इन्सैट-3 उपग्रह और मुख्य नियंत्रण सुविधा शामिल हैं। 1998-2001 के दौरान खर्च की गई राशि: 2058.15 करोड़ रुपये।

* अन्तरिक्ष विज्ञान, उपयोग तथा अन्य कार्यक्रम, जिसमें राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंध प्रणाली, सुदूर संवेदन उपयोग कार्यक्रम, ग्रामसैट कार्यक्रम, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला में अन्तरिक्ष विज्ञान अनुसंधान, प्रायोजित अनुसंधान और अन्य उपयोग एवं अनुसंधान और विकास कार्यक्रम शामिल हैं। 1998-2001 के दौरान खर्च की गई राशि: 749.82 करोड़ रुपये।

इन तीन वर्षों के दौरान प्रमोचित किए गए प्रमुख उपग्रह निम्नलिखित हैं:

* 3 अप्रैल, 1999 को इन्सैट-2 श्रृंखला के उपग्रहों में सर्वाधिक विकसित (उन्नत) उपग्रह, इन्सैट-2 ई उपग्रह का प्रमोचन और प्रचालनीकरण।

* 26 मई, 1999 को भारत के पी.एस.एल.वी.-सी2 राकेट द्वारा भारत के प्रथम समुद्रविज्ञानीय उपग्रह आई.आर.एस.-पी4 का प्रमोचन और प्रचालनीकरण।

* 22 मार्च, 2000 को इन्सैट-3 श्रृंखला की तीसरी पीढ़ी के प्रथम उपग्रह इन्सैट-3बी उपग्रह का प्रमोचन और प्रचालनीकरण।

* 18 अप्रैल, 2001 को परीक्षणात्मक उपग्रह जीसेट-1 को कक्षा में प्रमोचित करते हुए जी.एस.एल.वी.-डी1 राकेट की प्रथम सफल विकासात्मक उड़ान।

(ग) इन तीन वर्षों के दौरान प्रमोचित सभी उपग्रह और प्रमोचक राकेट मिशन सफल रहे हैं तथा उपग्रह संतोषप्रद रूप में कार्य कर रहे हैं।

(घ) 18 अप्रैल, 2001 को आयोजित जी.एस.एल.वी.-डी1 की प्रथम सफल विकासात्मक उड़ान के अलावा 2001-2002 में आयोजित किए जाने वाले प्रमुख कार्यक्रम निम्नलिखित हैं:

* उच्च विभेदन प्रतिबिंबन प्रौद्योगिकियां विकसित करने हेतु भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पी.एस.एल.वी.) द्वारा प्रौद्योगिकी परीक्षण उपग्रह (टी ई एस) का प्रमोचन।

* इन्सैट प्रणाली की क्षमता में वृद्धि करने हेतु इन्सैट-3सी उपग्रह का प्रमोचन और प्रचालनीकरण।

* मौसमविज्ञानीय और संचार सेवाओं के लिए 2002 के पूर्वार्ध के दौरान मेटसैट (मौसमविज्ञानीय उपग्रह) का समाकलन और जांच तथा इन्सैट-3ए का प्रमोचन निर्धारित।

(ङ) इस वर्ष के दौरान, एरियनस्पेस और इसरो के बीच कोई नवीन समझौता नहीं हुआ है।

(च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मृत्यु दंड का प्रावधान

1620. श्री सुशील कुमार शिंदे:
श्रीमती रेणूका चौधरी:
श्री माधवराव सिंधिया:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियम किसी समरी कोर्ट मार्शल द्वारा समरी विचारण के माध्यम से दिये गए मृत्यु दंड की कठोर सजा को लागू करने के संबंध में अनुमति देते हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तथा आज तक समरी कोर्ट मार्शल द्वारा कितने मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई है और इसका पालन किया गया है; और

(ग) समरी विचारण द्वारा ऐसे कठोर दंड के प्रावधान के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

समूह-8 की बैठक

1621. **श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले: क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत को समूह-8 की बैठक में भागीदारी हेतु आमंत्रित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त बैठक में किन-किन देशों के भाग लेने की संभावना है;

(घ) बैठक में सरकार किन-किन मुद्दों को उठाने का इरादा रखती है; और

(ङ) हमारे देश को इस बैठक से क्या-क्या लाभ मिलने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) जी, नहीं। तथापि, भारत को अध्यक्ष, इटली ने शिखर-पूर्व विचार-विमर्श के लिए आमंत्रित किया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा, यू.के., फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और रूस जी-आठ के सदस्य हैं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

भूख मुक्त भारत

1622. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:**
श्री अनन्त नायक:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अप्रैल, 2001 को योजना आयोग विश्व खाद्य कार्यक्रम और एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउण्डेशन के संयुक्त तत्वावधान में 'टुवाईस हंगर फ्री इंडिया' विषय पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में किन मुख्य मुद्दों पर विचार किया गया;

(ग) क्या सरकार का विचार खाद्य खरीद नीति की समीक्षा करने का है क्योंकि खाद्यान्नों के अतिरिक्त उत्पादन से भूख की समस्या का हल नहीं निकल पाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) जी हां। ''टुवाईस हंगर फ्री इंडिया'' विषय पर एक राष्ट्रीय परिचर्चा नई दिल्ली में 24-26 अप्रैल, 2001 के दौरान योजना आयोग, विश्व खाद्य कार्यक्रम तथा एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउन्डेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई थी।

(ख) परिचर्चा मुख्य रूप से, भारत में सभी को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराने के प्रश्न पर केन्द्रित रही। तद्नुसार विभिन्न तकनीकी सत्रों में अग्रलिखित विषयों पर विचार-विमर्श किया गया: (1) खाद्यान्न उपलब्धता एवं राष्ट्रीय आपदाओं की जल्दी चपेट; (2) खाद्य समावेशन एवं उपयोगिता, तथा (3) सतत् जीविका एवं खाद्य तक आर्थिक अभिगम्यता।

(ग) भारत सरकार (उपभोक्ता मामले मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण) ने देश के लिए एक दीर्घावधिक खाद्यान्न नीति तैयार करने के लिए नवम्बर, 2000 में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की थी। समिति के विचारार्थ विषयों में से एक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तथा मूल्य समर्थन प्रचालनों की जांच के संदर्भ में है। इस उच्च स्तरीय समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट 30 सितम्बर, 2001 तक देने की आशा की जाती है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

बच्चों को गोद लिए जाने हेतु सलाहकार बोर्ड

1623. **श्री जी.एस. बसवराजः**
श्री इकबाल अहमद सरडगीः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को बच्चों को गोद लिए जाने हेतु विशेष सलाहकार बोर्ड गठित करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रत्येक राज्य में बच्चों को गोद लेने के काम में लगे गैर-सरकारी संगठनों के कामकाज की निगरानी करने का निर्णय लिया है;

(ग) कौन-कौन से राज्यों ने इस बोर्ड के गठन का निर्णय लिया है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस कार्य के लिए प्रदान की जाने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, हां। भारतीय बच्चों के दत्तकग्रहण के लिए संशोधित दिशानिर्देश, 1995 के नियम 3.3 (वी) के अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार को दत्तकग्रहण संबंधी एक सलाहकार समिति का गठन करना अपेक्षित है। सरकार ने सभी राज्य सरकारों को दत्तक ग्रहण संबंधी ऐसी सलाहकार समितियों के गठन के लिए पत्र भी लिखा है।

(ख) सरकार ने अवैध दत्तक ग्रहण कार्यकलापों को रोकने के लिए ऐसे गैर-सरकारी संगठनों की मानीटरिंग के लिए राज्य में दत्तक ग्रहण संबंधी सलाहकार समितियों, राज्य दत्तक ग्रहण यूनिटों की स्थापना दत्तक ग्रहण एजेंसियों को लाइसेंस प्रदान करने, अनाथालय एवं चेरिटेबल गृह अधिनियम, 1960 अथवा किसी अन्य संगत अधिनियम के अधिनियम द्वारा बच्चों के दत्तक ग्रहण में शामिल गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकरण का मानीटर करने, संयुक्त निरीक्षण करने तथा अन्य ऐसी कार्रवाई करने के लिए सभी राज्य सरकारों को लिखा है।

(ग) मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों ने दत्तक ग्रहण संबंधी सलाहकार समितियों का गठन कर लिया है।

1. आन्ध्र प्रदेश
2. मेघालय
3. पश्चिम बंगाल
4. गुजरात
5. कर्नाटक
6. तमिलनाडु
7. महाराष्ट्र
8. केरल
9. उड़ीसा

(घ) हालांकि दत्तक ग्रहण संबंधी सलाहकार समितियों के गठन के लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है फिर भी सरकार इस मामले में राज्य सरकारों की सहायता के लिए आवश्यक सहयोग तथा सलाह देगी।

लघु उद्योगों के लिए वित्तीय पैकेज

1624. **श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डीः**
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पाः

क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु उद्योग क्षेत्र के लिए योजना आयोग द्वारा 6000 करोड़ रुपए के वित्तीय पैकेज की सिफारिश की गई है;

(ख) यदि हां, तो सिफारिश किए गए वित्तीय पैकेज का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उस पर विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो सिफारिशों को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) देश की लघु उद्योग इकाइयों के लिए यह किस हद तक सहायक होगा?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ङ) संभवतया यहां मई 1999 में योजना आयोग द्वारा डा. एस.पी. गुप्ता सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में गठित "लघु उद्यमों के विकास पर अध्ययन समूह" की सिफारिशों का उल्लेख है। इस अध्ययन समूह

ने अन्य बातों के साथ निम्न निधियों के निर्माण की सिफारिश की है:

(1) लघु उद्यमों को पर्याप्त आधारित संचरना सुविधाओं के लिए 2000 करोड़ रु.।

(2) उद्भवन केन्द्रों की स्थापना हेतु 1000 करोड़ रु।

(3) 5% ब्याज सब्सिडी सहित प्रौद्योगिकी उन्नयन और आधुनिकीकरण निधि के अन्तर्गत 5000 करोड़ रु.।

(4) इक्विटी सहायता हेतु 500 करोड़ रु. की विशेष प्रकार की जोखिम निधि जिसे लघु उद्योग निर्माण निधि नाम दिया गया है।

अध्यक्ष समूह की अनेक सिफारिशें 30 अगस्त, 2000 को लघु उद्योग क्षेत्र के लिए घोषित व्यापक नीति पैकेज के द्वारा कार्यान्वित की जा चुकी हैं। लघु उद्योगों हेतु नीति पैकेज लघु उद्योग क्षेत्र को मजबूत बनाएगा और ऋण तक सरल पहुंच, 25 लाख रु. तक के समपार्श्विक रहित मिश्रित ऋणों की उपलब्धता, प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु पूंजी राजसहायता और सुधरी हुई आधारिक संचरना के माध्यम से घरेलू और विश्वव्यापी दोनों स्तरों पर इसकी प्रतियोगितात्मकता को बढ़ाएगा। इसमें शामिल हैं: लघु उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु 5000 करोड़ रु. ऋण देने के प्रावधान सहित क्रेडिट लिंकड कैपिटल सब्सिडी योजना। अध्ययन समूह की अन्य सिफारिशें दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रतिपादन का आधार तैयार करती हैं।

[हिन्दी]

सिंचाई परियोजनाओं के लिए धनराशि

1625. **श्री रामदास आठवले:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के लिए राज्य-वार अब तक कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) प्रत्येक राज्य द्वारा वर्ष-वार कितनी धनराशि का उपयोग किया गया; और

(ग) उन राज्यों के नाम क्या है जिन्होंने धनराशि का उपयोग नहीं किया है और इसके क्या कारण हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) से (ग) संविधान के अनुसार, बाढ़ नियंत्रण सहित सिंचाई राज्य का विषय है और सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं की आयोजना, वित्तपोषण, निष्पादन और कार्यान्वयन का मुख्य उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकार का है। केन्द्रीय सहायता राज्यों की योजना में ब्लाक ऋण और ब्लॉक अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाती है और ''विशेष सहायता'' मानदण्ड के अन्तर्गत उद्दिष्ट राशि को छोड़कर उसे किसी परियोजना/कार्यक्रम के साथ सहबद्ध नहीं किया जाता।

[अनुवाद]

आतंकवाद संबंधी अभिसमय

1626. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र महासभा की छठी समिति में चर्चा में आया भारत का आतंकवाद संबंधी व्यापक अभिसमय अमरीकी समर्थन की सहायता से आसानी से पारित हो गया था;

(ख) यदि हां, तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की समिति में कौन-कौन से प्रमुख प्रस्ताव रखे;

(ग) समिति ने इस विषय पर लाए गए भारत के प्रस्तावों को किस सीमा तक स्वीकृत किया; और

(घ) संयुक्त राष्ट्र की समिति के प्रस्तावों के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) 1996 में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यू.एन.जी.ए.) के 51वें सत्र में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबद्ध एक व्यापक अभिसमय के प्रारूप को परिचालित किया। 1999 में यू.एन.जी.ए. के 54वें सत्र में निर्णय लिया गया कि संयुक्त राष्ट्र की छठी समिति में भारतीय मसौदे पर चर्चा की जाएगी। इस अभिसमय का मसौदा अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद का सामना करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग संवर्द्धित किये जाने पर बल देता है। यह अभिसमय सभी राज्यों से ऐसे उपाय करने का आह्वान करता है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि राजनैतिक, दार्शनिक, विचारधारा, जातीय नृजातीय, धार्मिक और इसी स्वरूप के अन्य आधारों पर किसी भी परिस्थिति में इस अभिसमय के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली आतंकवादी कृत्यों को जायज न ठहराया जा सके। यह अभिसमय सभी देशों से आतंकवादी अड्डों और प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना और संचालन निषिद्ध करने तथा आतंकवादियों पर या तो मुकदमा चलाने या उन्हें

प्रत्यर्पित करने के लिए सभी व्यवहार्य उपाय करने का आह्वान करता है।

(ग) और (घ) छठी समिति द्वारा गठित संयुक्त राष्ट्र के अनौपचारिक कार्यकारी दल में अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबद्ध व्यापक अभिसमय के मसौदे पर चर्चा हुई है (25 सितम्बर-6 अक्तूबर, 2000 और 12-23 फरवरी, 2001) इस मसौदे को अमरीका सहित अनेक देशों का समर्थन प्राप्त हुआ। चर्चाएं और बातचीत चल रही हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतिम रूप दे दिया जाने और पारित किये जाने के पश्चात् ही क्रियान्वयन का प्रश्न उठेगा।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय, मैं श्री प्रमोद महाजन की ओर से सी.एम.सी. लिमिटेड और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2001-2002 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 3857/2001]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): महोदय, मैं श्री जसवंत सिंह की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन और आपूर्ति विभाग) के बीच वर्ष 2001-2002 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 3858/2001]

(2) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड और रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन और आपूर्ति विभाग) के बीच वर्ष 2001-2002 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 3859/2001]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय, मैं श्रीमती मेनका गांधी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं:

(1) (एक) मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3860/2001]

अध्यक्ष महोदय: श्री गंगवार, आपको अध्यक्षपीठ से पूर्व अनुमति लेनी चाहिए यह ठीक नहीं है।

[हिन्दी]

रोज-रोज आप ऐसे ही कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (राजयगंज): महोदय, आप देख रहे हैं कि ऐसा कई बार हुआ है और आप निदेश भी देते रहे हैं परन्तु ये उसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं। यह बात बिलकुल उचित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: अब इन्होंने इस बात पर ध्यान दिया है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अन्तर्गत खाद्य अपमिश्रण निवारण (छठा संशोधन) नियम, 2001 जो 2 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 320 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 3861/2001]

(2)(एक) इंडियन काउंसिल आफ मेडीकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन काउंसिल आफ मेडीकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन काउंसिल आफ मेडीकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 3862/2001]

अपराह्न 12.01 बजे

कार्य मंत्रणा समिति

बाईसवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य-मंत्रणा समिति का 22वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.02 बजे

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

अध्ययन दौरा संबंधी प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का अध्ययन दौरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

श्रम और कल्याण संबंधी समिति

की-गई-कार्यवाही संबंधी विवरण

[अनुवाद]

डा. सुशील कुमार इन्दौरा (सिरसा): महोदय, मैं श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) श्रम मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2000-2001) के संबंध में श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर समिति (2000-2001) (तेरहवीं लोक सभा) के आठवें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(2) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2000-2001) के संबंध में श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर समिति (2000-2001) (तेरहवीं लोक सभा) के नौवें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(3) जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2000-2001) के संबंध में श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति के पांचवें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर समिति (2000-2001) (तेरहवीं लोक सभा) के दसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब 'शून्य काल' शुरू होता है। मैं कुमारी मायावती को बोलने की अनुमति देता हूं।

...(व्यवधान)

श्री मणिशंकर अय्यर (मयिलादुतुरई): महोदय, मैंने नागालैंड में संघर्ष विराम और समीपवर्ती नागा क्षेत्रों में इसके विस्तार के संबंध में गृह मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार का मामला उठाया है। मैं जानना चाहता हूं कि विशेषाधिकार के प्रश्न के संबंध में स्थिति क्या है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): अध्यक्ष महोदय, श्रीमती फूलन देवी की हत्या के संबंध में.......

अध्यक्ष महोदय: मैं उस विषय पर आ रहा हूं।

कुमारी मायावती।

अपराह्न 12.04 बजे

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की कथित हत्या के बारे में

[हिन्दी]

कुमारी मायावती (अकबरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुये मामले को आज लोक सभा में उठाना चाहती हूं जिसके कारण उत्तर प्रदेश में आये दिन हर प्रकार के अपराध बढ़ते हुये नजर आ रहे हैं। मैं माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान हर प्रकार के अपराधों की ओर आकर्षित नहीं करना चाहूंगी, लेकिन मैं ऐसे अपराधों की तरफ न केवल इनका बल्कि माननीय प्रधान मंत्री जी का भी ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगी, जिसमें खासकर अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोग, धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।

मैं हाउस में कोई सुनी-सुनाई बात बताने नहीं जा रही हूं। जहां-जहां पर ये घटनाएं घटी हैं, दलित, पिछड़ों, धार्मिक अल्पसंख्यकों से संबंध रखने वाले सबसे बड़े अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लोगों पर जो घटनाएं घटी हैं, उनके कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखने जा रही हूं। जहां मैं खुद मौके पर गई हूं। सबसे पहले मैं अलीगढ़ के बारे में बताना चाहती हूं। अलीगढ़ जिले में जून के महीने में एक ही परिवार के पांच शेड्यूल्ड कास्ट के सोते हुए लोगों पर रात में लगभग 12 बजे आक्रमण हुआ, उन पर गोलियां चलाई गईं और हत्यारे यह सोचकर भाग गये कि पांचों लोगों की हत्याएं हो गई हैं। लेकिन वे बच गये थे। जब आसापस के लोग उन्हें रात को 12 से एक बजे के बीच अस्पताल ले जा रहे थे तो हत्यारों को मालूम पड़ा कि जिन्हें वे मारकर आये हैं वे बच गये हैं तो उन्होंने रात्रि में दोबारा उन पर आक्रमण किया। रात्रि में फिर उन पर गोलियां चलाई गई, तब वे मारे गये। यानी शेड्यूल्ड कास्ट के एक ही परिवार के पांच लोगों की हत्याएं हुई।

अध्यक्ष महोदय, जून महीने की घटना मैं आपको बता रही हूं। इतना ही नहीं, इसके बाद फतेहपुर जिले में अति पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखने वाले सात लोगों की हत्या करके उन्हें कुए में फेंक दिया गया। वहां अंग्रेजों के जमाने का कुआं बना हुआ था। मैं खुद उस गांव में मौके पर गई हूं। जहां सात लोगों को मारकर कुएं में फेंक दिया गया था। कुएं में फेंकने के बाद जो ईंटें कुएं में लगी हुई थी, उन्हें उखाड़कर कुएं में डाला गया, ताकि यदि कोई जीवित बच गया हो तो वह भी मर जाए। इतनी निर्दयता और बेदर्दी से उनकी हत्याएं हुई और उसके बाद फतेहपुर जिले में दिनदहाड़े शेड्यूल्ड कास्ट के पांच लोगों की हत्याएं हुई। मैं हाउस को बताना चाहती हूं कि आपको यह जानकर बड़ा दुख होगा कि किस तरीके से शेड्यूल्ड कास्ट के पांच लोगों की हत्याएं हुई। ये एक ही परिवार के पांच लोगों की हत्याएं हुई। जितनी दूर लोक सभा से पार्लियामैन्ट का मुख्य द्वार है, गांव से उतनी दूर उनका खेत होगा। दो महिलाएं खेत में काम करने के लिए गई थीं। यह लगभग तीन-चार बजे के आसपास की घटना है। शेड्यूल्ड कास्ट की दो महिलाओं को खेत में काम करते हुए बेदर्दी से लाठी-डंडों से मारा। पूरे गांव के लोग देखते रहे। उसके बाद हत्यारे गांव में आये और उनके परिवार के जो तीन मैम्बर बचे हुए थे, उसके बाद उन्हें मारा। इतना ही नहीं, उनके परिवार में एक दस साल की लड़की थी। उसके परिवार के लोगों के सामने दस साल की लड़की का रेप किया और उसके बाद उसकी हत्या की। इस तरह से फतेहपुर में शेड्यूल्ड कास्ट के पांच लोगों की हत्याएं हुई। मैं खुद फतेहपुर गई हूं। मैं बताना चाहती हूं कि जिस दिन ये हत्याएं हुई, मैंने फतेहपुर के अपने लोगों को कहा, और वहां हमारे दो विधायक हैं, उनको भी कहा कि मैं कल उधर आ रही हूं। जैसे ही वहां के प्रशासन को मालूम पड़ा कि मैं कल फतेहपुर आ रही हूं। कई घंटे के बाद उनकी डैड बॉडीज को उठाकर लाया गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि डैड बॉडीज का पोस्टमार्टम कल दोपहर को दो बजे के बाद करेंगे। लेकिन प्रशासन को मेरे आने का मालूम पड़ने पर उन्होंने अफरा-तफरी में रात को बारह से एक बजे के बीच में डैड बॉडीज का पोस्टमार्टम कर दिया। कैसे मौसम में उन्होंने पोस्टमार्टम किया, वहां बरसात हो रही थी। अस्पताल में खुली बरसात में उनका पोस्टमार्टम हुआ। जो डाक्टर पोस्टमार्टम कर रहा था, उसके ऊपर छतरी लगी है। जिन पांच लोगों की हत्याएं हुई थी, उनकी डैड बॉडीज बरसात में भीग रही थीं। वहां डाक्टर के ऊपर छाता लगा था और बरसात में डैड बॉडीज पड़ी थीं, जब उनका पोस्टमार्टम किया गया, उनके परिवार के लोग बोल रहे थे कि हमें डैड बॉडीज दे दो लेकिन नहीं दीं। जबकि हिन्दू रीति के मुताबिक दाह-संस्कार कभी रात को नहीं होता है, दिन में होता है, वहां के प्रशासनिक अधिकारियों ने डैड बॉडीज को पोस्टमार्टम करने के बाद उनके परिवार के लोगों को नहीं दिया। वह रोते-बिलखते अपने घर गए और प्रशासन ने रात को डैड बॉडीज को 12-1 बजे के बीच में गंगा में फेंक दिया। उनको दाह-संस्कार करने का मौका भी नहीं दिया। अलीगढ़ और फतेहपुर

में शैड्यूल्ड कास्ट के लोगों की इतनी बेदर्दी से हत्याएं हुई हैं। पिछले महीने जुलाई में मुरादाबाद जिले में छः मुस्लिम समाज के लोगों की हत्या हुई। माननीय प्रधान मंत्री और गृह मंत्री से निवेदन है कि यह मामला बहुत गंभीर है और खासतौर से अलीगढ़ और फतेहपुर में जिन लोगों की हत्याएं हुई हैं और जिनके लोग मारे गए हैं उनके परिवार के लोगों ने नामजद रिपोर्ट लिखाई हैं। जो नामजद रिपोर्टें हैं, उनका संबंध भारतीय जनता पार्टी के लोगों से है लेकिन अभी तक किसी को पकड़ा नहीं गया है। इसलिए गृह मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी से मैं कहना चाहती हूं कि यह दलितों की हत्याओं और पिछड़ों की हत्याओं और मुस्लिम समाज की हत्याओं का मामला बहुत गंभीर है। आप इसमें दखल दें और इसकी उच्च-स्तरीय जांच कराकर अर्थात् सीबीआई द्वारा जांच कराकर जो भी असली मुल्जिम हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, यही मेरा निवेदन है।

मुलायम सिंह यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, हमें भी दो मिनट बोलने की इजाजत दें।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: तीन-चार बार आपने यही मुद्दा सदन में उठाया है। मंत्री जी रिप्लाइ देंगे, उनको सुनें।

...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: आखिर कारण क्या है? अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। आप जांच करा लीजिए। फतेहपुर में, मुरादाबाद में, अलीगढ़ में जितनी हत्याएं हो रही हैं, उनमें अपराधियों को सजा नहीं दी जा रही है। मैनपुरी की घटना के बारे में मैंने गृह मंत्री से टैलीफोन पर कहा कि आप जांच करा लें, जो माफिया थे, जो सूचीबद्ध डकैत थे, उनको सजा नहीं दी गई। तीन लड़कियों का बलात्कार मुरादाबाद में हुआ, हत्याएं की जा रही हैं मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सवाल यह है कि इस प्रकार अपराधीकरण बढ़ेगा तो आप इसको रोक नहीं पाएंगे। वहां मारे जाने वालों में पिछड़े, दलित, मुस्लिम तो हैं सवर्ण भी हैं। मैं मैनपुरी में राजपूतों की बात बता रहा हूं। तीन महीने तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और आज पता चला कि सीआईडी जांच के आदेश किए और जांच के आदेश करते ही दो और की हत्या हो गई। पूरा प्रदेश आज दहशत में है। चाहे ब्राम्हण हो, ठाकुर हो, बनिये हो, मुसलमान हो, कायस्थ हो, सब लखनऊ में, कानपुर में, बनारस में हत्याएं लगातार हो रही हैं।

अध्यक्ष महोदय: रोज आप उत्तर प्रदेश के बारे में डिसकस कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं?

श्री मुलायम सिंह यादव: यह भी सही है कि जिनकी हत्याएं हुई उनके परिवारजनों को उनका दाह-संस्कार करने का भी मौका नहीं दिया जाता है। आज ही बनारस में पुलिस ने पारसनाथ यादव की हत्या कर दी और रात के ढ़ाई बजे पुलिस ने दाह-संस्कार कर दिया। परिवारवालों को लाश भी नहीं दी गई। हत्या के शिकार परसराम यादव की लाश को रिश्तेदारों को भी नहीं दिया गया। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप किसी और को बोलने का मौका नहीं देंगे?

श्री मुलायम सिंह यादव: आज गुण्डों का राज उत्तर प्रदेश में है। डेढ़ दर्जन मंत्री उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं जिनका आपराधिक इतिहास है। मेरी मांग है कि इसकी जांच कराई जाए। हम गृह मंत्री जी से सहमत हैं कि अपराधीकरण रोकना चाहिए। अगर आप अपराधीकरण रोकना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश के डेढ़ दर्जन मंत्रियों को अभी बर्खास्त करके उन पर मुकदमा चलाना चाहिए। अपने आप अपराधी रुकेंगे। झुनझुनवाला का अपहरण हुआ।...*(व्यवधान)* और सुना है कि फिरौती के लिए 10 करोड़ रुपए का लेनदेन एक मंत्री के घर में हुआ है। मंत्री फिरौती के लिए मध्यस्थता कर रहा है। हम अपराधीकरण रोकने के पक्ष में हैं, हम आपका साथ देंगे यदि आप इस दिशा में कोई कारगर कदम उठाएंगे। लेकिन प्रधान मंत्री जी से, सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बैठे डेढ़ दर्जन उन मंत्रियों को बर्खास्त करिए जिनके घरों में यह सब कुछ होता है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुलायम सिंह जी, यह क्या है, आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर): अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, उन्हें बोलने दिया जाए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, प्रदेश जल रहा है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों और दलितों की हत्याएं हो रही हैं। वहां कोई सुरक्षित नहीं है। सबको परेशान किया जा रहा है। चाहे वह उद्योगपति है, चाहे वह व्यापारी है, सबको परेशान किया जा रहा है। वहां हत्यारों व अपराधियों को असलहा के लाइसेंस दिए जा रहे हैं और सी.आई.डी. की जांच अपराधियों की नहीं की जा रही है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अपराधियों और गुंडा प्रवृत्ति के लोगों को लाइसेंस देना

[श्री मुलायम सिंह यादव]

बन्द कीजिए। मैं चाहता हूं कि हत्याओं की जांच के लिए इस सदन की एक कमेटी बना दीजिए और यदि उत्तर प्रदेश के मंत्रियों का उनमें लिप्त होना साबित नहीं होता है, तो मैं अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। यदि आपके उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में अपराधी प्रवृत्ति के लोग न हों, जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हों, जिनके वारंट निकले हों, ऐसे लोग न हों, तो मैं यहां से इस्तीफा देकर चला जाऊंगा। एक के तो वारंट निकले हुए थे, पुलिस खोज रही थी, शपथ पहले ले ली और शपथ लेने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट से स्टे हुआ। क्या आप अपराधी मंत्रियों के बल पर सरकार चलाएंगे।...*(व्यवधान)* उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। क्या आप इन अपराधियों के बल पर उसको ठीक कर सकते हैं? मैं आपको सावधान करना चाहता हूं...*(व्यवधान)* अपराधी तत्व सरकार में शामिल होंगे, तो अपराध बढ़ेंगे। रोजाना अपराध होते हैं। मैंने मैनपुरी का उदाहरण दिया। मैं चाहता हूं कि इस संबंध में सदन की कमेटी गठित की जाए। सी.आई.डी. की जांच की मैं नहीं कह रहा हूं।...*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में पिछले छ: महीने से...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री श्रीप्रकाश जायसवाल, उन्होंने जो कुछ कहा है आप स्वयं को उससे संबद्ध कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप माननीय मंत्री जी को जवाब देने से रोक रहे हैं।

[हिन्दी]

क्या हाउस में बोलने का कोई नियम नहीं है?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में पिछले छ: महीने में दलितों के पांच हत्याकांड हुए हैं। सबसे पहला बाराबंकी में हुआ, दूसरा हरदोई में हुआ। जैसा कि यहां अलीगढ़ के बारे में कहा गया, बात सही है कि अलीगढ़ में लगभग एक दर्जन दलितों को पीटा गया और करीब सात दलित मारे गए। मैं एक डैलीगेशन लेकर वहां गया था। वहां पूरी जांच की गई और पता लगा कि जब से वहां के एम.एल.ए. बने हैं जो कि एक सवर्ण वर्ग के हैं, उनके इशारे पर सात हत्याएं की गई।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, बड़ी गंभीर समस्या है। पूरा उत्तर प्रदेश जल रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। फतेहपुर में एक गड़रिया बिरादरी, ओ.बी.सी. बिरादरी के लोगों की उनके थाने में ही हत्या कर दी गई, लेकिन पूरा थाना और थानेदार बरकरार रहा और 10 रोज के अंदर जिस नृशंस तरीके से हत्याएं हुईं उससे पूरा क्षेत्र दंग रह गया और कोई उनके प्रतिकार की हिम्मत नहीं जुटा सका।

माननीय अध्यक्ष जी, सबसे शर्मनाक बात यह है, पूरा जनपद जानता है, पूरा प्रदेश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्त्ता ने...*(व्यवधान)* थाने के अंदर हत्या की गई। जिन परिस्थितियों से हमारा उत्तर प्रदेश वर्तमान में गुजर रहा है और हमारे प्रदेश के अंदर जो कानून और व्यवस्था की स्थिति है, वह इतनी बदतर है कि उसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। अपराधी मंत्री बने हुए हैं। मंत्रियों की सांठगांठ पुलिस के साथ है, मंत्रियों की थाने के साथ सांठगांठ है। उस क्षेत्र की पुलिस बिक रही है, डी.एम. बिक रहा है, अधिकारी बिक रहे हैं और कोई भी कंट्रोल उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री और सरकार का नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि जितने भी हत्याकांड हुए हैं, उन सबकी सी.बी.आई. इन्क्वायरी हो और हत्यारों तथा अत्याचारियों द्वारा बनी उत्तर प्रदेश की सरकार को तुरन्त बर्खास्त किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, मैं कई बार कह चुका हूं कि सारे हत्याकांडों की न्यायिक जांच होनी चाहिए। मैंने हर हत्याकांड के बाद कहा है कि अगर यह सरकार कहती है कि वह निर्दोष है, तो क्यों नहीं इन हत्याकांडों की न्यायिक जांच कराती है? मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है और मैं आपसे मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार को निर्देशित करें कि सारे हत्याकांडों की न्यायिक जांच हो और जो भी मंत्री या अधिकारी दोषी पाए जाएं, उनको कड़े से कड़ा दंड दिया जाए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: डा. विजय कुमार मल्होत्रा के कथन के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, हमारे कांग्रेस के साथी बोले, मुलायम सिंह जी और मायावती जी बोलीं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: डा. मल्होत्रा के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, मायावती जी ने बहुत सारी बातें कहीं। मैं कहना चाहता हूं कि यदि किसी भी अल्पसंख्यक या दलित पर अत्याचार हो, तो वह गलत बात है और उसे रोकना चाहिए, लेकिन ये लोग जिन्होंने राजनीति का अपराधीकरण किया है वे ही ऐसी बात कह रहे हैं और उस पार्टी से कह रहे हैं जो हमेशा राजनीति के अपराधीकरण की विरोधी रही है और आप उसी सरकार के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप बिलकुल गलत आरोप लगा रहे हैं। इनकी पार्टी का एक जनरल-सैक्रेटरी दूसरे जनरल-सैक्रेटरी को गोली मारता है और गोली मारने के बाद वह वहां प्रदेश के अध्यक्ष पर आरोप लगाता है कि प्रदेश के अध्यक्ष ने मारा है। इनके यहां राजस्थान में कितने दलितों की हत्या हुई है। राजस्थान में किस प्रकार उन पर आक्रमण किए जा रहे हैं। राजस्थान में, जहां इनकी सरकार है, एक मस्जिद को कैसे तोड़ा गया।...*(व्यवधान)* ये यहां इस तरह की बातें कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, यह सही नहीं है...*(व्यवधान)* आप हमारे लिए नहीं बल्कि माननीय प्रधान मंत्री जी के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं...*(व्यवधान)* आप देश में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने में माननीय प्रधान मंत्री जी के प्रयास में समस्याएं खड़ी कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. गिरिजा व्यास (उदयपुर): सरकार ने उसी वक्त कार्यवाही की है।...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा: ये श्रीमती फूलन देवी की हत्याकांड का बहुत सवाल उठाते हैं। कल जब गृह मंत्री जी उत्तर दे रहे थे तो सदन नहीं चलने दिया। ये आरोप लगाते हैं और आरोप लगाने के बाद भाग जाते हैं।...*(व्यवधान)* अब वही लोग बगलें झांक रहे हैं जिन्होंने आरोप लगाए थे। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने के बाद इन पार्टियों को खुद जवाब देना है। दलितों और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की हम निन्दा करते हैं परन्तु उनके नाम पर राजनीतिक रोटियां सेंकना, शवों की राजनीति करना, हम इसकी घोर निन्दा करते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब माननीय गृह मंत्री जी बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय गृह मंत्री जी के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: बनातवाला जी, आप सीनियर मैम्बर हैं। आप बैठ जाइए प्लीज।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप मुद्दे उठा रहे हैं लेकिन माननीय मंत्री जी को उनका उत्तर नहीं देने दे रहे हैं। यह सब क्या है?

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): महोदय, इसकी जांच होनी चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह कैसी व्यवस्था है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आपने मुद्दा उठाया है और जब सरकार अपना उत्तर देने के लिए तैयार है तो आप माननीय मंत्री जी को बोलने नहीं दे रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री जी.एम. बनातवाला: महोदय, इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक विरोधी भावना फैल रही है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप क्या कर रहे हैं?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री रामदास आठवले, आप कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री रामदास आठवले, मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। आप कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री आठवले, अब बहुत हुआ।

[हिन्दी]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): अध्यक्ष जी, सुश्री मायावती जी ने अलीगढ़ और फतेहपुर जिले के बारे में जो घटनाएं बताई हैं, जिनमें दलितों या अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हुए हैं, उनके बारे में मैं उत्तर प्रदेश सरकार से जानकारी प्राप्त करके सदन के सामने कल वक्तव्य दूंगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम): महोदय, हमने पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यकों की हत्याओं का मामला उठाया था...*(व्यवधान)*। भा.क.पा. (मा.) द्वारा सैकड़ों लोगों की हत्याएं की जा रही हैं। माननीय मंत्री जी बंगाल पर भी ध्यान दें। वे अपने जवाब में उत्तर प्रदेश की स्थिति के साथ-साथ पश्चिम बंगाल की स्थिति का भी उल्लेख करें। भा.क.पा. (मा.) पश्चिम बंगाल में सैकड़ों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों की हत्या कर रही है। आप उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं और ये लोग आपको बोलने नहीं दे रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश के साथ-साथ पश्चिम बंगाल के बारे में भी अपना उत्तर दें...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: अध्यक्ष महोदय, यह घटना दो महीने पहले हुई है।...*(व्यवधान)* मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को पत्र लिख चुका हूं। ये दो महीने के बाद कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से जानकारी प्राप्त करके सूचित करेंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री महोदय के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

अध्यक्ष महोदय: इसमें से कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: अध्यक्ष जी, सामान्यत: आप कानून और व्यवस्था के बारे में, किसी राज्य के बारे में यहां पर सवाल उठाने नहीं देते, लेकिन जब भी कभी दलितों के बारे में या अल्पसंख्यकों के बारे में कोई ऐसी बात आती है तो उसकी अनुमति दी जाती है। आज सुश्री मायावती जी को आपने अनुमति दी। मुझे जैसे ही जानकारी मिली, जैसे कुछ दिन पहले यहां पर मुरादाबाद के बारे में सवाल उठाया गया था, तो उसकी जानकारी मैंने की है, आप अनुमति देंगे तो मैं आज दोपहर को उसके बारे में वक्तव्य दूंगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइये। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग इस तरह मुद्दे कैसे उठा रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मेरा यही निवेदन है कि हम किसी प्रदेश की कानून और व्यवस्था की स्थिति की जनरली अगर चर्चा करेंगे तो वह उचित नहीं होगा और खासकर के आज उत्तर प्रदेश में चूंकि सभी को लगता है कि चुनाव हो रहे हैं, इसलिए हमको कुछ न कुछ मामला उत्तर प्रदेश का उठाना चाहिए, यह दृष्टिकोण...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय के उत्तर के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

...*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: उन्हें अपना उत्तर पूरा करने दें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय के उत्तर के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मुलायम सिंह जी, आपने अपनी बात कही है तो मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। मुझे बात पूरी करने दीजिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय के उत्तर के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: यह मामला संवेदनशील है। आप व्यवधान क्यों उत्पन्न कर रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय: महोदय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की पश्चिम बंगाल में हत्या की जा रही है। उत्तर प्रदेश में हुई हत्याओं के साथ-साथ पश्चिम बंगाल में हुई हत्याओं पर भी चर्चा की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप यू.पी. से बंगाल चले गये।

...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैंने आपकी बात तुरन्त मान ली, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि संसद की अपनी जो जवाबदारी है, केन्द्र सरकार की जो जवाबदारी है, उसके बारे में हर एक चीज का उत्तर देने को हम तैयार हैं, लेकिन हम देखते हैं कि मुरादाबाद के इश्यू को लेकर एक दिन नहीं, लगातार कभी एक पार्टी, फिर दूसरे दिन दूसरी पार्टी, फिर तीसरे दिन तीसरी पार्टी...*(व्यवधान)* इसके आधार पर सदन की कार्यवाही स्थगित हो जाये, जबकि सरकार बार-बार कह रही है, प्रमोद महाजन जी, संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते कह रहे हैं कि हम इसकी जानकारी करके सदन को देंगे। फिर जो भी अध्यक्ष कहेंगे, उसके आधार पर चर्चा होगी।...*(व्यवधान)* आपने बात उठाई, लेकिन उनको अपनी बात कहने नहीं दी। उससे पहले वे मुझसे पूछ चुके थे। प्रमोद महाजन, संसदीय कार्य मंत्री मुझसे पूछकर गये थे कि इस प्रकार का सवाल शायद आज उठने वाला है। मैंने कहा कि आप कह दीजिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार से पता लगाकर अमुक दिन उसके बारे में वक्तव्य देंगे, लेकिन मैंने देखा, मैं टेलीवीजन पर देख रहा था कि यह विषय उठाया गया और वे कोई जवाब दें, उससे पहले ही सदन स्थगित हो गया। यह कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उसके कारण अगर सदन की कार्यवाही नहीं चले, एक नहीं, दो दिन, तीन दिन तक, तो यह उचित नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, यह कथन सही नहीं है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय के उत्तर के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं कह रहा हूं कि भले ही उत्तर प्रदेश में हो, लेकिन अगर दलितों के बारे में, अल्पसंख्यों के बारे में अत्याचार की बात होगी, तो मैं वहां से जानकारी लेकर यहां जवाब दूंगा। आज यहां सुश्री मायावती जी ने अलीगढ़ और उसके बारे में कहा, मैं उसका कल जवाब दूंगा। आपने मुरादाबाद का सवाल उठाया। मैंने अध्यक्ष जी से कहा कि मुझे अनुमति दें मैं दोपहर को जवाब दूंगा। मैं हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि चुनाव का अपना महत्व है, उसको मैं कम नहीं आंकता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अभी मंत्री जी ने खत्म नहीं किया है, आप कैसे उनको रोक रहे हैं। आपको जो भी स्पष्टीकरण मांगना है, उनके जवाब के बाद मांगिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: अध्यक्ष जी, आप इस विषय पर जब भी मुझे आज्ञा देंगे, सरकार को कहेंगे, हम उत्तर देंगे। ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप मंत्री महोदय से प्रतिवाद कर रहे हैं। यह सब क्या है?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: हम इस जवाब की निंदा करते हैं और सदन का बहिष्कार करते हैं।

अपराह्न 12.32 बजे

(तत्पश्चात् श्री मुलायम सिंह यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गये)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सांसदों को प्रति वर्ष उनकी अनुशंसा पर सेंट्रल स्कूल में दो बच्चों के नामांकन हेतु पत्र मिला था। इधर जो फार्म हमें मिला है उसमें लिखा है कि अगर किसी सांसद के क्षेत्र में सेंट्रल स्कूल नहीं है, तो उनका नामांकन नहीं होगा, जबकि इस सदन के कुछ सांसदों के क्षेत्र में एक भी केन्द्रीय विद्यालय नहीं है। जिन सांसदों के क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय है, उनको तो नामांकन की सुविधा प्राप्त है। राज्य सभा के जो सांसद हैं, उनको पूरे राज्य में इस तरह नामांकन की अनुमति दी गई है कि उनकी अनुशंसा पर दो बच्चों का केन्द्रीय विद्यालय में नामांकन हो सकेगा। जबकि इस सदन में सांसदों के साथ भेदभाव किया जाता है। इसलिए हम आपसे और सरकार से, यहां प्रधान मंत्री जी भी मौजूद हैं, उनसे भी निवेदन करेंगे कि अगर यह प्रक्रिया बनाई गई है कि सांसदों की अनुशंसा पर दो बच्चों का नामांकन हो सकेगा तो यह इजाजत सभी को मिलनी चाहिए। यह सांसदों के विशेषाधिकार का सवाल है इसलिए सरकार की तरफ से इस पर उत्तर आना चाहिए और जो विशेषाधिकार सांसदों को प्राप्त है उसकी क्यों अवहेलना की जाती है। अध्यक्ष महोदय, हम आपके भी विचार इस पर जानना चाहेंगे...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री मुनियप्पा, इस विषय पर चर्चा में श्री प्रभुनाथ सिंह के साथ आप भी भाग ले सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री के.एच. मुनियप्पा (कोलार): महोदय, यह एक अलग विषय है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। मैं इस बात को उठाना चाहूंगा।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, हमने आपके सामने सवाल रखा है, सरकार को आप इस पर जवाब देने के लिए कहें। मदन जायसवाल जी ने अनुशंसा की थी, लेकिन उनको जवाब मिला है कि आपके यहां सेंट्रल स्कूल नहीं होने के कारण नामांकन नहीं किया जाएगा। इसलिए हम चाहेंगे कि सरकार इस पर जवाब दे और मामले को इस तरह से नहीं दबाया जाए।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, आप अपनी बात कह चुके हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बोल चुके हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या इस विषय पर सरकार से कोई अपेक्षा है?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप हाउस में क्या कर रहे हैं? अध्यक्षपीठ की अनुमति के बिना आप कैसे बोल सकते हैं? बोलने से पहले आपको अध्यक्षपीठ की अनुमति लेनी होगी।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: पहले आपको चेयर से परमिशन लेनी चाहिए।

...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह मामला केवल माननीय सदस्य प्रभुनाथ सिंह जी से ही संबंधित नहीं है। पूरे सदन

में जो देहात और सुदूर देहात के इलाके से आए हुए, चुने हुए माननीय सांसद हैं और जिनके क्षेत्रों में केन्द्रीय विद्यालय नहीं हैं, उन लोगों को कूपन दिया जा रहा है। क्या मानव संसाधन मंत्री इस पर रोक नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जो सांसद देहाती इलाकों से हैं, उनको अनुशंसा करने का अधिकार ही नहीं है तो उनको कूपन न दिया जाए। ये कूपन क्यों दिए जा रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि उनसे कूपन वापिस लिए जायें। इस प्रकार की भेदभाव की नीति क्यों बरती जा रही है, इसको तुरन्त समाप्त किया जाए। माननीय मंत्री जी का कहना है, बम्बई हाईकोर्ट का आदेश है, जिन माननीय सांसदों के क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय है, उन्हीं लोगों की अनुशंसा मानी जाए। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ क्या भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकती है? सरकार क्यों अंधकार में है, सरकार इस तरह के नीति मूलक फैसले क्यों नहीं करती है, जो सभी माननीय सदस्यों के लिए मान्य हों?

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): इस व्यवस्था को ही समाप्त कर दिया जाए। हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री के.एच. मुनियप्पा: महोदय, यह केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध केन्द्रीय विद्यालयों में कक्षा ग्यारह में छात्रों की नामांकन प्रक्रिया से संबंधित है।

केन्द्रीय विद्यालयों ने कक्षा ग्यारह में विज्ञान और तकनीकी विषयों में नामांकन के लिए 55 प्रतिशत अंक की तथा मानविकी में 50 प्रतिशत अंक की न्यूनतम अर्हता सीमा निर्धारित कर रखी है। राज्य सरकारों ने इस तरह की कोई न्यूनतम अर्हता सीमा निर्धारित नहीं की है। केन्द्रीय विद्यालयों की सूची जारी होने तक राज्य सरकार के कालेजों में नामांकन की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी होती है। इस प्रकार छात्र न तो केन्द्रीय विद्यालयों में नामांकन करा पाते हैं और न ही राज्य सरकार के महाविद्यालयों में। मैं सरकार से तकनीकी विषयों में नामांकन की न्यूनतम अर्हता सीमा को 55 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत करने तथा मानविकी में यह प्रतिशतता 50 से नीचे लाने के लिए संबद्ध प्राधिकारियों को निर्देश देने, का अनुरोध करना चाहता हूं।

मैं सरकार से सीबीएसई की परीक्षाओं का संचालन राज्य सरकार की नियमित बोर्ड परीक्षाओं के समांतर सुनिश्चित करने का भी अनुरोध करना चाहता हूं ताकि छात्रों को राजकीय बोर्ड और केन्द्रीय विद्यालयों में उच्च शिक्षा का समान-अवसर मिल सके।

सीबीएसई ने 31 जुलाई, 2001 तक अखिल भारतीय स्तर पर पूरक परीक्षाएं ली हैं। संभव है, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में कुछ समय लगेंगे। दूसरी ओर, कर्नाटक सरकार ने कक्षा ग्यारह में नामांकन की अंतिम तिथि विलंब शुल्क के साथ 14 अगस्त, 2001 निर्धारित की है। अब यदि सीबीएसई की इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के परीक्षा-परिणाम अधिक से अधिक 10 अगस्त, 2001 तक घोषित नहीं किए जाते हैं, तो वे राजकीय बोर्ड के अंतर्गत नामांकन कराने से वंचित रह जाएंगे। यदि परीक्षा परिणाम उस समय तक घोषित नहीं होते हैं, तो वे एक शैक्षिक वर्ष के नुकसान में रहेंगे।

30 जुलाई, 2001 को कक्षा दस की गणित की परीक्षा हुई थी। उसमें एक प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर से था जिसका उत्तर छात्र नहीं दे सके थे। मैं सरकार से इस परीक्षा में अनुग्रहांक देने के लिए संबद्ध प्राधिकारियों को निर्देश देने का आग्रह करना चाहता हूं कि ताकि छात्रों को उस प्रश्न में हुई अंकों की क्षति से उन्हें नुकसान न उठाना पड़े।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय, केन्द्रीय विद्यालय के दाखिले के संदर्भ में माननीय न्यायालय द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, उसके बाद हर सांसद को दो बच्चों के प्रवेश की अनुमति दी गई है। कुछ समस्याएं माननीय सदस्यों ने यहां पर बताई हैं, जो हर सांसद से संबंधित हैं, तो मैं भी उसका भुक्तभोगी हो सकता हूं। न्यायालय के निर्देश के बिना अगर उससे अलग हटकर हर विद्यालय के लिए परसेंटेज फिक्स किया गया है, उससे ज्यादा प्रवेश नहीं हो सकता है। माननीय सांसदों ने भावनायें व्यक्त की हैं, जिन जनपदों में केन्द्रीय विद्यालय नहीं है, उनके लिए मंत्रालय क्या कर सकता है, यह बात मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लेकर आऊंगा।...*(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को एक हजार अनुशंसा करने की पावर है।...*(व्यवधान)* सदस्यों को नहीं है। मंत्रियों को तो एक हजार अनुशंसा करने की पावर है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार: मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में ये सारी बातें लाऊंगा और जो भी उसमें योग्य समाधान होगा, वह करवाया जाएगा।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री के.एच. मुनियप्पा: महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जम्मू-कश्मीर में निरंतर आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। आतंकवादी धार्मिक स्थलों के अंदर शरण लेकर अथवा सीमा पार के अड्डों से पाकिस्तान की सेना की शह पर कश्मीर में आकर निर्दोषों की हत्या कर रहे हैं। कभी अमरनाथ यात्रियों के ऊपर, शेषनाग के ऊपर हमला और कभी डोडा एवं किश्तवाड़ में अल्पसंख्यकों की हत्याएं कर रहे हैं। ऐसे वातावरण में मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहूंगा कि जम्मू-कश्मीर में नयी प्रभावी सुरक्षा नीति तैयार करके आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा में मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। जैसे के साथ तैसा व्यवहार किया जाए, तभी पाकिस्तान इस भाषा को समझ सकेगा।

अपराह्न 12.41 बजे

इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड के आधुनिकीकरण और पुनरुज्जीवन के बारे में

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी हमारे देश का सबसे पुराना इस्पात संयंत्र है। इस इस्पात संयंत्र का 1972 में आधुनिकीकरण किया गया था। फिर 1977 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। तबसे भारतीय इस्पात प्राधिकरण और भारत सरकार द्वारा 13 प्रस्ताव तैयार किए जा चुके हैं। किन्तु पश्चिम बंगाल के इस इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण और पुनरुद्धार पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

महोदय, ''मेकन'' इसके पुनरुद्धार हेतु एक पैकेज तैयार करने को उत्सुक था और समझा जाता है कि वह 400 करोड़ रुपए के निवेश से एक पुनरुद्धार प्रस्ताव पहले ही पेश कर चुका है। इस इस्पात संयंत्र को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड के हवाले किया गया। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड ने अल्टीमेटम दिया था और कल भारत सरकार की ओर से प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने का अंतिम दिन था।

महोदय, हमें नहीं पता कि यह प्रस्ताव पेश किया गया है या नहीं। यदि प्रस्ताव नहीं पेश किया गया होगा और औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड ने इस उद्योग को बंद करने के आदेश दिए होंगे, तो इसका पूरे दक्षिणी बंगाल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और 3 लाख परिवारों की आजीविका बुरी तरह से प्रभावित होगी।

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य, कृपया अब समाप्त करें। अन्य सदस्यों को भी बोलना है।

श्री बसुदेव आचार्य: बस मैं समाप्त ही कर रहा हूं।

महोदय, इसमें सभी बुनियादी सुविधाएं हैं। इसकी अपनी कोयला खान है और इनमें उत्तम किस्म के कोयले मिलते हैं। इसकी अपनी सबसे बढ़िया धोवनशाला है। इसकी अपनी लौह अयस्क की खानें हैं जहां उत्तम किस्म के लौह अयस्क मिलते हैं।

महोदय, जहां तक देश के अन्य इस्पात संयंत्र का संबंध हैं, उस पर भारत सरकार ने काफी पैसा खर्च किए हैं। सरकार ने दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, राऊरकेला इस्पात संयंत्र और भिलाई इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। किन्तु पश्चिम बंगाल में इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी के इस महत्वपूर्ण इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण पर एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया है।

महोदय, जब तक भारत सरकार मेकन (एमईसीओएन) द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के क्रियान्वयन के लिए आगे नहीं आती तब तक **''इस्को''** के लिए यह संभव नहीं है कि वह अपने इस संयंत्र का पुनरुद्धार अपने आंतरिक उत्पादन से कर सके। अत: मेरी मांग है कि औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड में इस प्रस्ताव को भेजा जाना चाहिए ताकि इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी इस्को का पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण किया जा सके।

माननीय मंत्री जी जहां उपस्थित हैं। उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। प्रस्ताव पेश करने का कल अंतिम दिन था।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया विषयवस्तु का उल्लेख कर इसे पूरा कीजिए।

[हिन्दी]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): प्रधान मंत्री जी, आप जाने से पहले तो इसको आशीर्वाद दे दीजिए। इसको बचाना होगा। प्रधान मंत्री जी से ऊपर कौन है?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): प्रधान मंत्री जी, इसमें राजनीति नहीं है, इसको बचाइये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: संबंधित मंत्री यहां उपस्थित हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री से एक आग्रह करना चाहता हूं। हम आपसे मिलना चाहेंगे। हमने आपसे मिलने का समय मांगा है।

यह बहुत ही गंभीर विषय है। यह सबसे महत्वपूर्ण इस्पात मिलों में एक है। यदि आप इसमें हस्तक्षेप करें, तो इसका आसानी से पुनरुद्धार किया जा सकता है। मैं माननीय प्रधान मंत्री से गंभीरतापूर्वक आग्रह करूंगा कि कृपा कर वह इस मामले में ध्यान दें...*(व्यवधान)* हम आपसे अपील कर रहे हैं प्रधान मंत्री जी। हम इसे विवाद का विषय बनाना नहीं चाहते, हम इस इकाई के पुनरुद्धार के लिए आपका सहयोग चाहते हैं क्योंकि यह केन्द्र सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरजंन दासमुंशी: महोदय, हम उनके द्वारा जतायी गई चिंता से पूरी तरह सहमत हैं। इस मामले में कोई दलगत दृष्टिकोण नहीं है और हम सब एक हैं...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): महोदय, माननीय प्रधान मंत्री और माननीय इस्पात मंत्री विजाग इस्पात संयंत्र की स्थिति से अवगत हैं। मैं उस संयंत्र को इससे जोड़ना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): अगर कोई यूनिट रिवाइव हो सकती है तो उसके लिए पूरा प्रयास किया जाएगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: इस्को के बारे में बोलिये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: उसी के बारे में बोल रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: धन्यवाद...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): महोदय, आंध्र प्रदेश में प्रकृति का प्रकोप है। हम सूखे की स्थिति से जूझ रहे हैं। 1100 मंडलों में लगभग 911 मंडल, अर्थात् कुल मंडलों के लगभग 81 प्रतिशत सूखे की चपेट में हैं। आंध्र प्रदेश में 1 जून से आज तक कोई बारिश नहीं हुई है। हमारे मुख्य मंत्री ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। वह कल माननीय प्रधान मंत्री और माननीय कृषि मंत्री से मिलने के लिए एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल भेज रहे हैं। कल माननीय प्रधान मंत्री प्रश्न काल के दौरान राज्य सभा में होंगे। इसलिए उनके यहां उपस्थित रहने की संभावना नहीं है और वह प्रतिनिधिमंडल कृषि मंत्री से मिलेगा। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री से अपील करना चाहता हूं कि वह तथ्यों का पता लगाने और स्थिति में सुधार लाने के लिए परसों वहां शीघ्र एक टीम भेंजे। अन्यथा राज्य के लिए बड़ी मुश्किल होगी। वहां पेयजल की समस्या है। यह सभी दलों से जुड़ा विषय है और सभी लोग इसका समर्थन करेंगे। कुल सांसद माननीय प्रधान मंत्री से व्यक्तिगत रूप से पहले ही मिल चुके हैं और उन्हें ज्ञापन दिया है। यदि आप वर्षा का प्रतिशत देखेंगे, तो यह रायलसीमा में माइनस 72 है और तेलंगाना में माइनस 82 है। लोग आंध्र प्रदेश में पीड़ित हैं।

उड़ीसा में आई बाढ़ के मामले में माननीय प्रधान मंत्री ने पैकेज दिया है। उसी तरह, आंध्र प्रदेश में प्रकृति के प्रकोप से निपटने के लिए हमारा माननीय प्रधान मंत्री से अनुरोध है कि वह हमारी सहायता करें...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या आप बाढ़ को उड़ीसा से आंध्र प्रदेश में ले जाना चाहते हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू: नहीं, महोदय, हम वहां से पानी को ले जाना चाहते हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं एक-एक कर माननीय सदस्यों का नाम पुकार रहा हूं। मेरे पास 35 लोगों ने नोटिस दिए हैं।

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वडोदरा): महोदय, मैं आपके माध्यम से उस विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं जो गांधी नगर को दिल्ली से बड़ी लाइन से जोड़ने को लेकर है। गुजरात सरकार रेल मंत्री से गांधीनगर को दिल्ली से बड़ी लाइन से जोड़ने का अनुरोध पहले ही कर चुकी है। गांधी नगर गुजरात की राजधानी है और नीतिगत रूप से केन्द्र सभी राज्यों की राजधानियों को दिल्ली से जोड़ती है। अत:, मैं केन्द्र सरकार से इस मामले में शीघ्र कार्रवाई करने का अनुरोध करती हूं। धन्यवाद...*(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): इस महान सदन में इस महत्वपूर्ण विषय को उठाने के लिए मुझे अनुमति दिए जाने पर मैं आपको धन्यवाद देता हूं। संसद के पिछले सत्र में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की सहायता से केरल के सभी सांसद कृषि मंत्री और वित्त मंत्री से मिले थे और परिणामस्वरूप पाम ऑयल पर आयात शुल्क को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 16 प्रतिशत कर दिया गया था। आज हम यह सुनकर क्षुब्ध हैं कि भारत सरकार ने पाम ऑयल

[श्री रमेश चेन्नितला]

पर 10 प्रतिशत शुल्क की कटौती कर दी है। अध्यक्षपीठ को देश के नारियल उत्पादों की दुर्दशा की जानकारी है। बड़े प्रयत्न से हम सरकार पर 16 प्रतिशत तक शुल्क बढ़ाने के लिए दबाव बना पाए थे। प्रायः सभी अखबारों की यह खबर रही है कि इस वर्ष मई में श्री वाजपेयी की कुआलालम्पुर यात्रा के दौरान पाम ऑयल पर आयात शुल्क में की गई बढ़ोत्तरी का मुद्दा छाया रहा। द्विपक्षीय बैठक के दौरान इस निर्णय पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मलेशियाई अधिकारियों ने कहा है कि भविष्य में की जाने वाली और कटौती का यह पहला चरण होगा। इसका मतलब है कि भारत सरकार ने मलेशियाई अधिकारियों को यह आश्वासन दिया है कि पाम ऑयल पर आयात शुल्क में कटौती का यह पहला चरण है। अर्थात् आने वाले दिनों में आयात शुल्क में और कटौती की जाएगी, जो कि दक्षिण भारत के नारियल उत्पादों के लिए नुकसान-देह है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से नारियल पर आयात शुल्क में कटौती से संबंधित निर्णय पर फिर से विचार करने का अनुरोध करना चाहता हूं। अन्यथा इससे दक्षिण भारत में समस्या खड़ी होने जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय को कृपा करके इस पर ध्यान देना चाहिए और सरकार को इस महत्वपूर्ण विषय पर कार्रवाई करने का निर्देश देना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री राधाकृष्णन और श्री जार्ज फ्रांसिस दोनों ही चर्चा में श्री रमेश चेन्नितला के साथ स्वयं को जोड़ सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला: माननीय अध्यक्ष महोदय को चाहिए कि वे सरकार को कुछ निर्देश दें...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप श्री रमेश चेन्नितला के साथ चर्चा में भाग ले सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला: महोदय, सरकार को इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए।

प्रो. ए.के. प्रेमाजम (बडागरा): यह अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप दोनों अपनी बात को श्री रमेश चेन्नितला के वक्तव्य के साथ सम्बद्ध कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रो. प्रेमाजम के कथन के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित न किया जाये।

...*(व्यवधान)**

प्रो. ए.के. प्रेमाजम: महोदय, मैं आपके माध्यम से दिनांक 22.6.2001 को मंगलौर, चैन्नई मेल के कोडालुंडी नदी में गिरने से कोझीकोड जिले के कोडालुंडी स्थान पर हुई एक बड़ी मानवीय त्रासदी को सभा के ध्यान में लाना चाहता था। इस मानवीय त्रासदी में 52 जानें गई हैं और लगभग 250 व्यक्ति बहुत बुरी तरह घायल हुए हैं। 14 जुलाई को माननीय रेल मंत्री श्री नीतिश कुमार ने त्रिवेन्द्रम में एक बैठक बुलाई थी जिसमें केरल के सभी सांसदों ने भाग लिया था। उस समय, मंत्री जी ने और रेल विभाग के प्राधिकारियों ने यह आश्वासन दिया था कि इस त्रासदी के कारण बुरी तरह प्रभावित हुए रेल यातायात को 31 जुलाई अर्थात् कल तक बहाल कर दिया जायेगा। लेकिन अब बड़े ही गैर-जिम्मेदाराना ढंग से दक्षिण रेलवे ने यह कहा है कि वह सितम्बर के दूसरे सप्ताह तक भी इसे बहाल नहीं कर पायेगी। वहां पर यातायात के बाधित हो जाने की वजह से केरल का उत्तरी भाग शेष देश से पूरी तरह से कट गया है। मंत्री महोदय के आश्वासन के बावजूद बहुत कम वैकल्पिक प्रबंध किए गए हैं...*(व्यवधान)* ओणम त्योहार अगस्त के अंतिम सप्ताह में मनाया जाने वाला है। यह केरल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्व है। अन्यत्र रह रहे मल्याली लोग ओणम के लिए अपने राज्य तक नहीं आ सकेंगे। हम चाहते हैं कि काडालुंडी पुल की मरम्मत के अतिरिक्त युद्ध स्तर पर वैकल्पिक प्रबंध किए जाएं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैडम, कृपया अब आप अपनी बात समाप्त करें। यहां मौजूद अन्य सदस्य भी बोलना चाहते हैं।

श्री के. मुरलीधरन (कालीकट): महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या आपके कहने का तात्पर्य यह है कि अन्य सदस्यों द्वारा दिये गये नोटिस महत्वपूर्ण नहीं हैं?

...*(व्यवधान)*

प्रो. ए.के. प्रेमाजम: ये सभी बड़े ही गैर-जिम्मेदार ढंग से कार्य कर रहे हैं। हम कालीकट तक लम्बी दूरी की रेलगाड़ियां चाहते हैं...*(व्यवधान)*

श्री के. मुरलीधरन: कॉडालुंडी पुल का पुनर्निर्माण कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा इस संबंध में हम एक स्पष्ट जवाब

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

चाहते हैं। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि इस कार्य को पुन: कब आरम्भ किया जायेगा...*(व्यवधान)* मेरा अनुरोध है कि कालीकट से निजामुद्दीन तक रेल सेवाएं चालू की जायें। कालीकट से मंगला एक्सप्रेस चलाई जाये और कालीकट से ही कुर्ला एक्सप्रेस भी चलायी जाये। महोदय, हम सरकार से जवाब चाहते हैं क्योंकि रेल मंत्रालय से प्रतिदिन विवादास्पद टिप्पणियां आ रही हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री अहमद जी, आप भी अपनी बात को उनके साथ सम्बद्ध कर सकते हैं।

श्री ई. अहमद (मंजेरी): महोदय, अब रेलगाड़ियां दिल्ली तक घूम-फिर कर आ रही हैं। जैसा कि वह कह रहे हैं कि कालीकट से रेलगाड़ियां चलाई जायेंगी। यदि वे कालीकट से रेलगाड़ियां चलाएंगे तो वे कोंकण होते हुए 50 घंटों में यहां पहुंच जायेंगी। जबकि, रेल विभाग ने जो किया है वह यह है कि इसने कोंकण से पहले का क्षेत्र ले लिया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री बनातवाला जी, आप अपनी बात को उनके साथ सम्बद्ध कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): अध्यक्ष महोदय, कोल इंडिया लिमिटेड में मितव्ययता बरतने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा एक्सपैंडिचर फाइनेंस कमेटी गठित की गई थी और उस कमेटी ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसमें कहा गया है कि कोल इंडिया लिमिटेड को भंग करके सभी अनुषंगी कम्पनियों को स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाये।

वर्तमान स्थिति में कोल इंडिया लि. के प्रत्येक अनुषंगी कम्पनी द्वारा कोल इंडिया लि. को व्यय करने हेतु राशि उपलब्ध कराई जाती है। यदि कोल इंडिया लि. को भंग कर दिया जायेगा तो अनुषंगी कम्पनियों को कोल इंडिया लि. को व्यय करने के लिये अतिरिक्त राशि उपलब्ध नहीं कराना पड़ेगा।

अत: सरकार से अनुरोध है कि एक्सपैंडिचर फाइनेंस कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर कोल इंडिया लि. को भंग कर कोल इंडिया लिमिटेड के अनुषंगी कम्पनियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने दिया जाये। इससे कोल उद्योग को अतिरिक्त व्यय से बचाया जा सकता है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार तथा राज्य सरकारें कई परीक्षायें आयोजित करती हैं। हर परीक्षा की आयु सीमा होती है। पुरुषों के लिये जो आयु सीमा है, लेकिन राजस्थान की परीक्षाओं में महिलायें 35 वर्ष तक उक्त परीक्षा में नहीं बैठ सकती हैं। मेरी मांग है कि जैसे अन्य परीक्षाओं में महिलाओं को छूट दी गई है, उसी प्रकार से आर.जे.एस. की परीक्षाओं में महिलाओं को आयु सीमा में छूट मिलनी चाहिये ताकि वे भी सभी परीक्षाओं में बैठ सकें, उत्तीर्ण हो सकें और उनका भविष्य उज्ज्वल बने।

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर): अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों का राशन कार्ड में नाम शामिल किये जाने के लिये किये गये सर्वे कार्य में लिस्ट में नाम नहीं डाला गया है। जिन लोगों की पात्रता थी, उनका नाम नहीं जुड़ने से उन लोगों को शक्कर, गेहूं आदि नहीं मिल रहा है। सामान्य लोगों का नाम राशन कार्ड में जोड़ देने से इन लोगों में असंतोष व्याप्त है। मेरी सरकार से मांग है कि राशन कार्ड की व्यवस्था उन लोगों के लिये की जाये ताकि उन्हें भी अन्य प्रकार की सभी सुविधायें मिल सकें।

मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के उन लोगों के नाम जो सर्वे में छूट गये हैं, पुन: सर्वे कराकर लिस्ट में डाला जाये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: शेष विषयों पर कल चर्चा की जायेगी।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.00 बजे

अध्यक्ष महोदय: श्री मणिशंकर अय्यर जी, मुझे आपका विशेषाधिकार संबंधी नोटिस मिल चुका है।

...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन (तिरूनेलवेली): महोदय, मुझे एक अति महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की अनुमति प्रदान की जाये...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप इस विषय पर कल बोल सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री मणिशंकर अय्यर जी, मुझे आपका विशेषाधिकार संबंधी नोटिस प्राप्त हो गया है। मैं इस मामले में गृह मंत्री जी की टिप्पणियां मांग रहा हूं।

श्री मणिशंकर अय्यर (मयिलादुतुरई): महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब, सभा माननीय सांसद श्रीमती फूलन देवी की हत्या के सम्बन्ध में दिये गये गृह मंत्री जी के कथन पर स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में चर्चा कर सकती है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री पांडियन जी, आप इस मुद्दे को कल उठा सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन: इस मामले में, मुझे कल एक पृथक नोटिस देना होगा...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको इसी विषय पर बोलने के लिए कल अलग से नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको इस विषय पर बोलने के लिए कल आमन्त्रित करूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, श्री कृष्णदास जी एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहते हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इस विषय पर वह कल बोल सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: शेष सभी माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति कल प्रदान की जायेगी।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर जी, आप कल बोल सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री मुलायम सिंह यादव।

अपराह्न 1.02 बजे

श्रीमती फूलन देवी की हत्या के बारे में गृह मंत्री द्वारा 31 जुलाई, 2001 को दिए गए वक्तव्य के बारे में स्पष्टीकरण

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, बहुत दुख, अफसोस के साथ और भारी मन से कहना चाहता हूं कि स्वर्गीय श्रीमती फूलन देवी के संबंध में गृह मंत्री जी ने सदन में जो वक्तव्य दिया है, उस वक्तव्य का कोई मतलब नहीं है, उसमें कोई तथ्य नहीं है। उसमें कहीं किसी प्रकार का कोई सकारात्मक उत्तर नहीं है, और हम समझते हैं कि सदन का कोई भी सदस्य इससे सहमत नहीं होगा। इस वक्तव्य के माध्यम से भ्रम की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। इस पर हम गृह मंत्री जी से कुछ सवाल करेंगे। श्रीमती फूलन देवी की हत्या को लेकर नये सवाल खड़े हुए हैं। जनप्रतिनिधियों और नागरिकों के लिए अहम् सवाल तो यह है कि जो लोग चम्बल के बीहड़ों में घूम रहे हैं वे ज्यादा सुरक्षित हैं, दिल्ली में रहने वाले जनप्रतिनिधियों के मुकाबले में। इस हत्या के बाद यह साबित हो गया है। क्योंकि श्रीमती फूलन देवी को किस तरह से हत्या का शिकार बनाया गया है। दिल्ली के सबसे महत्वपूर्ण और वी.वी.आई.पी. एरिया में उनका निवास स्थान है जिसकी दूरी संसद और राष्ट्रपति भवन से लगभग एक किलोमीटर है, दिनदहाड़े उन्हीं के दरवाजे पर उनकी हत्या करने का दुस्साहस हम सब लोगों को लिए खतरे की घंटी है। आज जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें विशेष रूप से इसमें गम्भीरता से कोई रास्ता निकालना चाहिए और सही तथ्यों को जानने की कोशिस होनी चाहिए। सुरक्षा के क्या मापदंड है, यह गृह मंत्री जी को स्पष्ट बताना चाहिए। केवल जिला पुलिस, अधिकारी या जो इन्टेलीजेन्स एजेन्सीज हैं, उन्हीं पर जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा को छोड़ना मैं अच्छा नहीं समझता। सरकार और नेताओं में व्यावहारिक समझ भी होनी चाहिए। वह अपनी नजर से समीक्षा करते हैं। मुझे मालूम है उसमें हम नहीं जाना चाहते, कई ऐसी घटनाएं हैं, अगर गृह मंत्री जी कभी भी समय दें तो उनको ऐसे उदाहरण दे सकता हूं कि आपकी आईवी किस तरह से गलत रिपोर्ट देती है। पुलिस या सी आई डी की जांच के आधार पर जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा तय नहीं की जा सकती।

श्री अवतार सिंह भडाना (मेरठ): मुलायम सिंह जी, मैं यहीं पर उदाहरण दे सकता हूं कि गृह मंत्री जी को सुरक्षा के बारे में आई बी ने लिखा और जेड कैटागरी की सुरक्षा मुझे दी गई थी और सरकार बदलते ही और आपके गृह मंत्री बनते ही उसी दिन वह हटा ली गई। उसके बाद बराबर मैं आपको और आपकी सरकार में होम मिनिस्टर को, उत्तर प्रदेश के होम सैक्रेटरी को बराबर लिखता रहा लेकिन किसी ने नहीं सुनी और आज भी रिपोर्ट आपके पास है और मैंने आपको लिखा है उस पर गौर कर लें। यह सुबूत है इस बात का कि आपने सांसदों की अनदेखी की है और सत्ता का दुरूपयोग करके सत्ता के लोगों को सुरक्षा पहुंचाने का काम किया है।

श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि तमाम समाचार-पत्रों में खबरें आ रही हैं कि उग्रवादी और

आतंकवादी गृह मंत्री पर हमला कर सकते हैं। उनका नाम कई आतंकवादी संगठनों की हिट लिस्ट में है। तो क्या आप गृह मंत्री पद से जब हट जाएंगे तो क्या आपका खतरा टल जाएगा? जब आप उत्तर दें तो इस बात का भी उत्तर आना चाहिए। क्योंकि जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा के मापदंड आपने निर्धारित क्या किए हैं।

जहां तक फूलन देवी का सवाल है कि वह अपने जीवन में समाज के अत्याचार और अन्याय का शिकार थी, उनका बेमेल विवाह हुआ औंर वह अपहरण की शिकार हुई और अपहरण के बाद गांव में नंगा घुमाया गया। वह सामूहिक बलात्कार की शिकार बनाई गई। उसने सब कुछ बर्दाश्त किया पर आत्महत्या नहीं की। यह घटना इटावा जनपद के एक गांव रामनगर है, उसी गांव का एक डकैत उसे अपने गांव लेकर गया था। इटावा को बहुत बदनाम किया जाता है लेकिन इटावा में डकैत पैदा नहीं होते हैं। इटावा में छिपने का सबसे बड़ा सुरक्षित स्थान है। क्वारी, चंबल और जमुना तीनों नदियों का जो क्षेत्र है वह डाकुओं की शरणस्थली है। वे वहां छिपते हैं और रहते हैं। फूलन देवी का नाम लेकर उनकी जाति विशेष के कितने निर्दोषों की हत्या की गई और कितने मौकों पर हम स्वयं पहुंचे हैं। निर्दोषों की हत्याएं इटावा जनपद में हुई और भी जगहों पर हुई। फूलन देवी ने इतना अत्याचार, जुल्म झेला कि साधारण महिलाएं तो इतने अत्याचार के पश्चात् आत्महत्या ही कर लेती हैं लेकिन उसने आत्महत्या नहीं की और उसने अन्याय के खिलाफ लड़ने की कोशिष की और आज इस देश की गरीब, पिछड़ी और वंचित समाज के शोषण की शिकार महिलाओं के लिये फूलन देवी उनकी ताकत बन गई थीं। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि फूलन देवी पर बहुत कहानियां लिखी गई हैं, किताबें लिखी गई हैं, फिल्में बनाई गई लेकिन उसको हमेशा कुख्यात डाकू ही कहा गया। कभी भी समाज ने उसको सम्मान नहीं दिया। जिस समय उसको नंगा कर गांव में घुमाया गया, बलात्कार हुआ, अपहरण हुआ, कोई समाज खड़ा नहीं और जब बिना मुकदमा तय किये, बिना सजा तय किये उसे 11 साल जेल में रखा और हमने जब उसे रिहा कर दिया तो उसी समाज ने हमको क्या-क्या नहीं कहा, राजनीतिज्ञों ने क्या-क्या नहीं कहा जबकि बड़े कुख्यात अपराधी नाम नहीं लूंगा, छोड़ दिये गये। और किन लोगों ने छोड़ा है और किन लोगों ने आत्मसर्पण कराया है, उनकी आलोचना में एक शब्द भी नहीं कहा गया, बल्कि तारीफ की है हिन्दुस्तान के मीडिया ने, राजनीतिज्ञों ने और इसी समाज ने - भद्दी गालियां दीं - इस पर भी विचार करना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, दुख के साथ कहना चाहता हूं कि हम पर कितने हमले हुए, लेकिन जब एक अबला को, बिना सजा तय किए, 11 साल तक जेल में रखा गया, उस अबला को 11 साल जेल में रहने के बाद हम लोग यहां दिल्ली में उसे ग्यारह साल भी सुरक्षित जिंदा नहीं रख पाए, उसकी रक्षा नहीं कर पाए।

अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री महोदय ने अपने बयान में राजनीति के अपराधीकरण और इस मुद्दे के राजनीतिकरण की बात कही है। मैं कहना चाहता हूं कि छोटी सी जिंदगी में फूलन ने बहुत उतार-चढ़ाव देखे। एक निर्भीक, सीधी-सादी एवं भोलीभाली महिला थीं जो दो-दो बार लोक सभा की सदस्य चुनी गई, लेकिन हिन्दुस्तान में आजादी के बाद दो सवाल ऐसे हैं जो मैं आज सदन में माननीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं जो पहली बार हुए हैं और जो विचारणीय हैं। मैं पूरे देश से और सदन से कहना चाहता हूं कि संसद के चलते फूलन देवी ऐसी पहली सांसद हैं जिनकी हत्या की गई।...*(व्यवधान)*

श्री अवतार सिंह भडाना: पहली नहीं दूसरी हैं। पहले श्री ललित माकन थे।

श्री मुलायम सिंह यादव: ठीक है, हो सकता है, यदि मैंने गलत कह दिया हो, तो उसे दुरूस्त कर लिया जाए। यह सवाल जरूर है कि वे पहली ऐसी सांसद थीं जिनका दाहसंस्कार राजकीय सम्मान के साथ नहीं किया गया। गृह मंत्री जी इस बारे में अपने उत्तर के समय बताएंगे कि ऐसा क्यों किया गया। मुझे मालूम हुआ है कि मिर्जापुर जनपद का जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार था कि राजकीय सम्मान के साथ उनका दाह-संस्कार किया जाएगा, उन्होंने उसके लिए तैयारी भी कर ली थी, लेकिन मुझे पता चला है कि जब किसी अफसर ने मुख्य मंत्री महोदय के सचिवालय में फोन कर के पूछा, तो कह दिया कि कोई राजकीय सम्मान नहीं दिया जाएगा। मुझे मालूम है, आज तक कोई विधायक, पूर्व विधायक, अथवा पूर्व मंत्री ऐसी नहीं है जिसका दाहसंस्कार राजकीय सम्मान के साथ नहीं किया गया हो। केवल अकेली फूलन देवी ही ऐसी सांसद हैं जिनका दाहसंस्कार बिना राजकीय सम्मान के किया गया। ...*(व्यवधान)*

श्री अवतार सिंह भडाना: क्योंकि वे पिछड़े वर्ग की महिला थीं, इसलिए उन्हें राजकीय सम्मान नहीं दिया गया।

श्री मुलायम सिंह यादव: जो भी मानसिकता रही होगी, वह तो गृह मंत्री जी अपने उत्तर में बताएंगे। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में ऐसा कोई विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री या मंत्री नहीं है जिसका राजकीय सम्मान के बिना ही दाहसंस्कार कर दिया गया हो, एक श्रीमती फूलन देवी को छोड़कर जो कि आजादी के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है।

[श्री मुलायम सिंह यादव]

अपराह्न 1.14 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

उपाध्यक्ष महोय, मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, जो बताया गया वह सच है या गलत, वह तो गृह मंत्री जी ही बताएंगे। मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि मैंने व्यक्तिगतरूप से जानकारी प्राप्त की है, यह बात सत्य है कि जिला प्रशासन श्रीमती फूलन देवी का दाहसंस्कार राजकीय सम्मान के साथ करना चाहता था। मैंने वहां स्वयं तखत रखा देखा। मैंने पूछा कि यह तखत क्यों रखा है, तो मुझे बताया गया कि चूंकि गंगा के किनारे जगह कम है, इसलिए उन्हें दूर ले जाना पड़ेगा, इसलिए तखत रखा है, लेकिन बाद में जिला प्रशासन ने बताया कि हमें राजकीय सम्मान करने के लिए मना कर दिया गया है। क्या बात हुई, किससे बात हुई, यह सारी जानकारी, गृह मंत्री महोदय अपने उत्तर में सही जानकारी सदन को दें। लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कहीं ऐसा न हो कि जो लेखपाल रिपोर्ट दे दे, वही सत्य मान लें जैसा कि होता है कि थाने का थानेदार नहीं बल्कि थाने का मुंशी जो लिख देता है, वही रिपोर्ट मान ली जाती है और गृह मंत्री भी वही भाषा बोलते हैं, यह नहीं होना चाहिए। आपको असलियत की जानकारी रखनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक सुरक्षा का सवाल है, मैं आपसे अथवा आपके अधिकारियों से यह उम्मीद नहीं रखता था कि वे इतनी गलत रिपोर्ट आपको देंगे और उसे आप यहां पढ़ देंगे कि जो सुरक्षा लगातार मिल रही थी वह फूलन देवी को मिलती रही, ऐसी नहीं है। आप बताएं। श्रीमती फूलन देवी की सुरक्षा में 1994 से 1997 जुलाई तक एक सब इंस्पैक्टर, दो हवलदार, आठ कॉन्सटेबल और एक जिप्सी रही है। आपने रिपोर्ट दी कि जो सुरक्षा पहले थी, वही है। फूलनदेवी की सुरक्षा कम किये जाने को लेकर लोक सभा में विरोध हुआ है, उपाध्यक्ष महोदय, शायद इसे कार्यवाही से निकला दिया गया है। इसी सदन में खड़े होकर श्रीमती फूलन देवी ने कहा था कि अगर हमारी हत्या हो गई, मैं नाम नहीं ले सकता, यह नेता जिम्मेदार होगा, इसकी सरकार है। उस समय के जितने सदस्य होंगे, उनको याद होगा, अगर आप सदन में बैठे थे तो आपको भी याद होगा। यह कहा गया था और यह भी कहा गया था कि मैं आत्महत्या कर लूंगी क्योंकि मैं सुरक्षित नहीं हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री गलत बयान देकर गलत प्रचार कर रहे हैं कि फूलनदेवी ने कभी अतिरिक्त सुरक्षा नहीं मांगी। जबकि वास्तविकता यह है कि फूलन देवी द्वारा सुरक्षा की मांग की गई और जिला प्रशासन, मिर्जापुर ने सुरक्षा का आदेश दे दिया कि 25 फीसदी निजी खर्च देना पड़ेगा। श्रीमती फूलन देवी ने कहा कि मेरे पास गाड़ी नहीं है। जो गाड़ी मिर्जापुर में चल रही है, वह मैंने समाजवादी पार्टी से ली है। आप जांच करवा लीजिए कि समाजवादी पार्टी की गाड़ी है। उन्होंने कहा कि मैं 25 फीसदी निजी खर्च कहां से दूंगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे निजी लाइसैंस दे दीजिए। उन्होंने कलैक्टर, संत रविदास नगर से जाकर लाइसैंस मांगा। समाचार-पत्र में वहां के एस.पी. का बयान आया कि हम फूलन देवी को लाइसैंस नहीं दे सकते। आप पता लगाएं कि यह आदेश हुआ या नहीं। अगर सुरक्षा नहीं मांगी तो आपने सुरक्षा की क्या समीक्षा की है? यह भी कोई जरूरी नहीं है कि सुरक्षा मांगने पर ही उपलब्ध कराई जायेगी। चंद्रशेखर जी सुरक्षा के लिए कभी दरख्वास्त नहीं दे सकते, मुझे मालूम है। आप समीक्षा करिए। अगर आप मेरी सुरक्षा वापस कर लेंगें मैं आपसे कभी सुरक्षा नहीं मांगूंगा। मुजफ्फरनगर में पता लगा लें। मुजफ्फरनगर में पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा उग्रवादी पकड़ा गया था, जिसे विदेश मंत्री जहाज में बिठा कर ले गए, उसका बयान था कि वे मुलायम सिंह व मुलायम सिंह के लड़के की हत्या करना चाहते थे। क्योंकि पुलिस इंस्पेक्टर ध्रबुलाल यादव उनका रिश्तेदार था जिसने विदेशी नागरिकों को सहारनपुर में छुड़ाया था। सुरक्षा के संबंध में क्या यही आपकी समीक्षा है। आप उस उग्रवादी को बिठा कर कांधार ले गए। लेकिन हम जैसे लोग कभी भी सुरक्षा नहीं मांग सकते। आप क्या समीक्षा करते हैं? उसके बाद फूलन देवी उत्तर प्रदेश के गृह सचिवालय में जाकर मिलीं। वे मुख्य मंत्री के सचिवालय में जाकर मिलीं। एक अफसर ने कहा कि मैडम, निजी खर्च देना पड़ेगा, मैं कोशिष करूंगा कि 25 फीसदी की बजाए कुछ कम हो जाए। यह ज्यादा से ज्यादा 20-25 दिन पहले की बात है। वह भी अखबारों में है। यह कहना कि सुरक्षा नहीं मांगी, ठीक नहीं है। उन्होंने दिल्ली में लाइसैंस मांगा और कहा कि मैं यहीं रहती हूं। दिल्ली पुलिस का बयान आ गया कि हमने श्रीमती फूलन देवी को लाइसैंस नहीं दिया। फिर किस आधार पर उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री लखनऊ से दिल्ली बयान देने के लिए आते हैं। मुख्य मंत्री दिल्ली आते हैं और धड़ल्ले से कहते हैं कि मैं समाजवादी पार्टी के कहने पर पुन: समीक्षा करने के लिए तैयार नहीं हूं। इस तरह की बयानबाजी है—कौन है माई का लाल? आपका मुख्य मंत्री माई का लाल है, हम सब किसके लाल हैं। प्रदेश के मुख्य मंत्री का इस तरह का चुनौतीभरा बयान अशोभनीय है। आप हमारे प्रवक्ता श्री अमर सिंह पर गुस्सा हो रहे हैं। गृह मंत्री जी, हमारा गुस्सा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रधान मंत्री जी अगर सुन रहे हों तो सुन लें, मेरा गुस्सा उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर मैं गुस्सा हो जाऊंगा तो आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। गृह मंत्री जी, अगर आप हम पर गुस्सा हो गए तो हो सकता है कि हम लोक सभा के गेट के बाहर जिन्दा घर भी नहीं पहुंचें। यह अंतर है हमारे गुस्से और सरकार में बैठे हुए लोगों के गुस्से में।

आपका गुस्सा तो सबका सर्वनाश कर देगा। अगर हमारा कोई साथी बयान दे देगा तो उसके लिए प्रधान मंत्री और गृह मंत्री इतना गुस्सा करेंगे। प्रधान मंत्री जी को क्या गुस्सा होना चाहिए था, उन्होंने गुस्सा दिखाया है, गृह मंत्री जी आपने नहीं दिखाया है, लेकिन आप गुस्सा हैं, जो मेरी जानकारी है। आप सुन लीजिए कि जब लोग गुस्सा जान जाएंगे कि प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी दोनों अमर सिंह पर या मुलायम सिंह पर गुस्सा हो गये हैं तो हम जिन्दा कहां से मिल जाएंगे। यही हो रहा है और इसी का परिणाम फूलन देवी की हत्या है। फिर आप कहते हैं, हम उससे पूरी तरह से सहमत हैं कि अपराध को राजनीतिकरण पर मत ले जाइये। समाजवादी पार्टी राजनीति में अपराधीकरण की सदैव विरोधी रही है तथा रहेगी। मैं दावा करता हूं कि आप गृह मंत्री पद से हट जाइये और आपके खिलाफ गाजियाबाद और मेरठ में रिपोर्ट लिखाकर लोग आपकी सजा करा सकते हैं, यह जमाना आ गया है और आप चुनाव लड़ने के अयोग्य होंगे, यह मैं गारण्टी करता हूं। मैं रिपोर्ट भी लिखवा दूंगा, आप कितनी भी कोशिश कर लेना, ऐसा मौका आ जायेगा कि सजा भी हो सकती है यह स्थित है। इसलिए सभी दलों को बैठकर विचार करना चाहिए, सभी दलों को संकल्प और प्रयास करना चाहिए कि अपराधियों को हम टिकट नहीं देंगे।

मेरा दुर्भाग्य है कि 1991 में हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा कुख्यात डकैत मेरे खिलाफ आपकी पार्टी से चुनाव लड़ा था। तहसीलदार सिंह आपकी पार्टी का उम्मीदवार था। 1996 में दो अपराधी भाई थे, मैं नहीं जानता था, मैं आपके सदन में सच व्यक्त करता हूं। बड़ा भाई मेरे पास आया, मैंने उससे कहा कि मैं तुमको टिकट नहीं दे सकता हूं, तुम्हारे छोटे भाई को दे सकता हूं। मुझे पता नहीं था, मैं सोचता था कि छोटा भाई भला होगा। लेकिन मुझे पता चला कि उसके ऊपर 53 हत्या और डकैती के केस हैं। वह एम.एल.ए. हो गया परन्तु उसके अपराधिक इतिहास के बारे में मालूम होते ही मैंने उसे तुरन्त पार्टी से निकाल दिया और आपकी पार्टी ने तुरन्त उसे अपनी पार्टी में ले लिया। उपाध्यक्ष जी, मेरा दुर्भाग्य है कि उसी सबसे बड़े अपराधी व माफिया को मैनपुरी लोक सभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने मेरे खिलाफ लोक सभा का चुनाव लड़ाया। लेकिन आप जान जाइये कि मेरा दुर्भाग्य है कि मैं जब चुनाव लड़ता हूं, तब भारतीय जनता पार्टी सबसे कुख्यात अपराधी को ही मेरे सामने ढूंढकर चुनाव लड़ाती है। हम इसलिए लड़ते हैं क्योंकि मैं जानता हूं कि जनता अपराधी को वोट नहीं देगी। मैंने यह कई बार सिद्ध कर दिया है। उनकी जमानतें जब्त हुई हैं। उस जमाने में बीजेपी प्रत्याशी कुख्यात अपराधी तहसीलदार की जमानत जब्त हुई थी, जब आपके मुख्य मंत्री मुझे हराने में जुटे हुए थे, प्रदेश के डी.जी.पी. जुटे हुए थे और चुनौती दी थी। ये सब जो हमारी पार्टी के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, इनको जेल भेज दिया था। आठ हजार लोगों को जेल भेजा था, तब चन्द्रशेखर जी मौके पर गये थे, चन्द्रशेखर जी ने सवाल उठाया था। आठ हजार लोग जेल गये, उसके बाद भी चुनावों में बीजेपी प्रत्याशी व कुख्यात अपराधी की जमानत जब्त हुई। ऐसा नहीं है कि जनता अपराधी को वोट देना चाहती है।

ये कुछ अहम सवाल हैं और आज हम कहना चाहते हैं कि इस देश में जो उपेक्षित समाज था, जो गरीब समाज था, उसका इतिहास पढ़िये। पूरे हिन्दुस्तान की महिलाएं, जो पुरुषों के माध्यम से शोषित हैं, उनकी ताकत बनकर फूलन देवी आई थी, लेकिन आपकी उत्तर प्रदेश सरकार की सुरक्षा में की गई लापरवाही तथा जान-बूझकर सुरक्षा न देने से वह हत्या की शिकार हो गई। केन्द्र सरकार ने भी पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया है, इसलिए इस जिम्मेदारी से केन्द्र सरकार भी नहीं बच सकती है क्योंकि सबसे सुरक्षित व वीवीआईपी एरिया में, जहां पर फूलन देवी की हत्या हुई और यह स्थान राष्ट्रपति भवन, संसद, निर्वाचन कार्यालय, पंजाब नेशनल बैंक से अति निकट है। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री का आवास भी फूलन देवी के आवास के समीप है जहां पर 24 घंटा पुलिस गारद लगी हुई है। अगर आप वहां से निकलो तो देखना, मैं निकला हूं, मैं उनके घर जान-बूझकर गया था कि घर पर भी संवेदना व्यक्त कर देंगे और देख भी लेंगे। मुख्य मंत्री (उ.प्र.) का आवास है जहां गारद लगी है और पुलिस गारद के बावजूद हत्यारे फूलन देवी की हत्या कर भाग गये। इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जांच पूरी हो, जिससे स्थिति सामान्य हो सके।

आज के अखबार में यह छपा है कि जो मुजरिम है, वह 18 जुलाई से 26 जुलाई तक जेल में था। अब क्या सच है और क्या गलत है, यह तो आप ही जानते हैं। हमें तो वही मालूम हुआ है जो अखबारों में पढ़ा। यदि यह ठीक है तो गुत्थी और उलझ जाएगी। हमारा मकसद फूलन देवी की हत्या से राजनैतिक लाभ उठाने का नहीं है और न ही हमने पहले कभी ऐसा किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सत्ता में आने में चाहे समाजवादी पार्टी को कितनी भी देर लगे, लेकिन इस तरह से राजनैतिक लाभ हम नहीं उठाएंगे। आप राजनीति की बात करते हैं, आप बताएं कि चुनाव कब हो रहा है। आपके मुख्य मंत्री जी रोजाना चुनाव की बात करते हैं और धमकी देते हैं कि हम ही सरकार बनाएंगे। इस तरह से अगर हम लोगों पर मुख्य मंत्री जी या गृह मंत्री जी नाराज होंगे तब तो हमारा जीवन भी सुरक्षित नहीं रह सकेगा। हमने कभी फूलन देवी के सहारे राजनीति नहीं की। फूलन देवी को जब हमने पार्टी में लिया तो वह सिर्फ एक असहाय और गरीब तथा अपमानित महिला थी। उसका कोई सहारा नहीं था, कोई पैरोकार नहीं था, जबकि उधर जो डकैत थे उनको प्रदेश के

[श्री मुलायम सिंह यादव]

मुख्य मंत्री, दिल्ली के मंत्रियों का सहारा था। हमने जब फूलन को जेल से रिहा किया तो मैं जानता हूं कि मुझे वोटों का कितना नुकसान हुआ था। एक वर्ग विशेष जो हमारी पार्टी में था, मेरे साथ था, वह पूरा का पूरा समाज हमें छोड़ गया। उसका लाभ आपके लोगों ने भी उठाया, जब-जब चुनाव हुए। फूलन देवी को रिहा करने के बाद से आप कानपुर की स्थिति देख लें कि हमने वहां कितना नुकसान उठाया। इसलिए हमने कभी इसका राजनैतिक लाभ नहीं उठाया, लेकिन सच्चाई सामने आनी चाहिए। गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने क्रोध में ऐसे शब्द बोले, अमर सिंह जी ने गुस्सा जताया, आपके लोग यह कहते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। लेकिन हमने कहा कि हमारे पास गुस्सा जताने के सिवा और क्या है, आपके पास तो सब कुछ है सत्ता है।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (अलवर): अमर सिंह जी ने किस हैसियत से कहा था?

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): इसलिए कहा था कि दिल्ली में इतने सुरक्षित इलाके में एक सांसद की हत्या हो गई और हत्यारे दिल्ली से बाहर चले गए। इसलिए कहा था कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए।

श्री मुलायम सिंह यादव: दिल्ली में सबसे सुरक्षित समझे जाने वाले स्थान पर फूलन देवी की हत्या हो जाना, तो हम यही कहेंगे कि इस सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। मैं इससे पहले प्रदेश में विधान सभा सदस्य रहा हूं। आप मुझसे सीनियर हैं, उम्र में आप मुझसे बड़े हैं। आप 1970 से शायद संसदीय राजनीति में आए होंगे, लेकिन मैं 1967 में ही वहां विधायक बन गया था। आप 1977 में यहां मंत्री रह चुके हैं। हमने देखा है कि अगर विधान सभा के किसी सदस्य पर कोई मुसीबत आए तो पूरा सदन एक हो जाता था। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। आज यह केवल समाजवादी पार्टी के सदस्य का सवाल नहीं है, सारे जनप्रतिनिधियों का सवाल है। सारे नेताओं को यह चिंता होना स्वाभाविक है कि वी.आई.पी. इलाके में, सबसे सुरक्षित समझे जाने वाले क्षेत्र में एक सांसद की हत्या हो गई और आप उसकी आलोचना भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि हमारी आलोचना से अगर आप अपने को सुधार लेंगे, अपने मुख्य मंत्री के आचरण को सुधार लेंगे, तो उसका लाभ भी आपको ही होगा, हमें नहीं होगा। अगर आपने हमारी आलोचना का ठीक से पालन किया तो आपकी ही छवि सुधरेगी।

जिनको सुरक्षा आपने दी है, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए लेकिन उनको भी खतरा हो सकता है। आपके सांसदों को जिन पर बड़े-बड़े खतरे हैं, उनसे कई गुना ज्यादा आपकी पार्टी के भूतपूर्व प्रतिनिधि पर सुरक्षा है और उत्तर प्रदेश में कुछ समाजवादी पार्टी के नेताओं तथा कुछ विपक्ष के लोगों की ज्यादा सुरक्षा हटाई गई है। हमारी भी हटाई गई है। जब जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं हैं तो आम नागरिक कैसे सुरक्षित होगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप बताएं कि अभी तक सच्चाई क्या है और क्यों देर हो रही है। हमने ये ही कुछ सवाल पूछे हैं, आप यही बता दीजिए। आपके गृह मंत्री पद पर रहते हुए यह हत्या हुई है, इसलिये मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर स्थिति स्पष्ट कीजिए। फूलन देवी एक लोकप्रिय नेता हो गई थी। अन्य नेतागण भीड़ जुटाने के लिए बस और ट्रैक्टरों की व्यवस्था करते थे। तब जनता आती थी लेकिन उसके लिए केवल लाउड-स्पीकर से मुनादी पर ही जनता उमड़ पड़ती थी और बड़े-बड़े नेताओं की सभा से ज्यादा उसकी भीड़ होती थी। बड़े-बड़े नेताओं को ले जाइए, एक बार भीड़ हो जाती है दोबारा नहीं होती है लेकिन फूलन देवी को कितनी बार ले जाइए, उतनी ही बार और अधिक भीड़ उस क्षेत्र में बढ़ती जाती थी। वह इतनी लोकप्रिय हो गई थी और वह अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहती थी। उसम हमने 11 साल तक तो बिना सजा के जेल में रख लिया लेकिन 7 साल हम बाहर जिंदा नहीं रख सके, यह अफसोस हम लोगों को है। मैं समझता हूं कि सभी लोग पूरी सहानुभूति से, पार्टी लाइन से ऊपर उठकर इस पर गंभीरता से विचार करेंगे। मुझे विश्वास है कि माननीय गृह मंत्री जी आलोचना को अन्यथा नहीं लेंगे।...*(व्यवधान)*

डा. रमेश चंद तोमर (हापुड़): 2 जून 1995 को मायावती जी पर किसने हमला करवाया था, कृपया इस पर भी कुछ बताने का कष्ट करें।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: आप सवाल उठाएंगे तो आपको इसका लाभ होने वाला नहीं है।...*(व्यवधान)*

डा. रमेश चंद तोमर: इसे तो आप बता ही दें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मुलायम सिंह यादव के कथन के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में नहीं लिया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: हम तो जानते थे कि आपकी पार्टी के लोगों की मानसिकता क्या है...*(व्यवधान)* इसीलिए हम अब भी यही कहना चाहते हैं कि पूरे सदन को तोमर साहब से लेकर

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभी को फूलन देवी की हत्या पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और इस हत्या के बाद आप और हम कोई सुरक्षित नहीं हैं। पूरे देश के अंदर दहशत है और इस सुरक्षा को वापस लेना और सुरक्षा न देना इस सरकार की जवाबदेही है चाहे वह दिल्ली सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सभासदों, यदि सभा की सहमति हो, तो आज हम मध्याह्न भोजन के लिए कार्यवाही को स्थगित न करें। माननीय गृह मंत्री के स्पष्टीकरण और उत्तर के पश्चात्, हम आगरा शिखरवार्ता पर चर्चा जारी रख सकते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी: हमें मध्याह्न भोजन के लिये तो जाना ही चाहिये।

श्री मुलायम सिंह यादव: इस सवाल पर दो घंटे के लिए सहमति हुई थी। संसदीय कार्य मंत्री जी थे, मैं था, चन्द्रशेखर साहब और स्पीकर साहब थे और उन्होंने कहा था कि सवाल के नाम पर हम दो घंटा समय देते हैं। ऐसा मत कहिए और पूछ लीजिए और अगर स्पीकर साहब कहते हैं तो मैं मान लूंगा। देखें कि संसदीय कार्य मंत्री क्या कहते हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय स्पीकर साहब के साथ आपकी क्या बातचीत हुई, वह तो मुझे नहीं मालूम है। स्टेटमेंट के ऊपर कितने माननीय सदस्य हैं जिनको क्लेरिफिकेशन्स पूछने हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: अभी कर लीजिए या फिर लंच के बाद समय दे सकते हैं, उसमें क्या है?...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वी. पाटील (लातूर): उपाध्यक्ष जी, मैं...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उ.प्र.): उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि एक अपवाद के रूप में इस सवाल पर कोई बहस करना चाहे, सवाल पूछना चाहे, स्पष्टीकरण चाहे तो उसके लिए पूरा समय दिया जाएगा चाहे दो घंटा लगे, ढाई घंटा लगे या तीन घंटा लगे लेकिन इस सवाल पर चर्चा पूरी तरह से होगी। मैं वहां पर उपस्थित था, इसलिए कहना अपना फर्ज समझता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन माननीय सदस्य जो क्लैरिफिकेशन्स पूछना चाहते हैं, उनको इजाजत जरूर दी जाएगी।

श्री शिवराज वी. पाटील: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सम्मुख यह कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय द्वारा फूलन देवी जी के हत्या के संबंध में इस सदन में जो वक्तव्य हुआ है, उसके ऊपर प्रश्न पूछने के लिए खड़े नहीं हैं। हम यह समझते हैं कि विषय गम्भीर है और शायद इसकी चर्चा स्पीकर साहब के चैम्बर में हुई है और यह मान्य कर लिया गया है कि जितना समय इस चर्चा के लिए जरूरी है, वह समय देना चाहिए।

इस सदन में स्टेटमेंट होने पश्चात् अगर कोई दूसरा अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं और उसके प्रकाश में सरकार ऐसी कोई नीति बनाना चाहती है, तो उसके लिए भी चर्चा होनी चाहिए। हम यहां पर दोष लगाने के लिए खड़े नहीं हैं, दु:ख व्यक्त करने के लिए खड़े हैं। यह भी बताने के लिए खड़े हैं कि कुछ अपनी गलतियां रही हैं, उनमें कुछ सुधार होना जरूरी है।

फूलन देवी जी इस सदन में आई और हम लोगों के साथ में रही हैं। उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ कहा गया है, कितना सही था, कितना छूठ था, सभी लोगों को मालूम नहीं हो सकता है। मगर उन्होंने अपने जीवन में बहुत भुगता है, यह बात सब लोगों के सामने आई है। उनके ऊपर कुछ आरोप भी थे, यह बात भी आप सब लोगों के सामने आई हुई है। इस वजह से उनके जीवन में एक धोखा था, यह बात भी हम सब लोगों के सामने आई हुई है। उन्होंने सदन में किस प्रकार का बर्ताव किया, यह सब लोगों ने देखा। वे यहां आई और इतनी शालीनता से इस सदन में उन्होंने काम किया, उसके खिलाफ कोई भी यहां पर उठकर कुछ नहीं कह सकता है। कभी भी उन्होंने इस सदन में ऐसा बर्ताव नहीं किया, जिसके लिए कोई उन पर दोष लगा सकता हो। वे बोली हैं यहां पर, उस बोलने में अर्थ था, उस बोलने में दु:ख था, उस बोलने में उन्होंने ऐसी कोई चीज नहीं की, जिसके बारे में उनको कोई दोष लगा सकता है। ऐसी एक महिला, पिछड़े वर्ग की महिला, देहात से आई हुई महिला, भुक्तभोगी महिला, जिनके ऊपर बहुत आरोप लगे हैं, ऐसी महिला जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, यह कोई सोच भी नहीं सकता था, ऐसी महिला सदन में सदस्या बनकर आई और सदन में रहीं। एक दफा नहीं आई, तीन दफा चुनाव लड़ा और दो बार यहां आईं। ऐसी महिला की जान को खतरा, यह मानने के बाद उनको जो सुरक्षा दी गई, वह पर्याप्त थी या नहीं, यह सोचना जरूरी है। उनकी हत्या हुई। यह बात बताई गई, उनको जो सुरक्षा दी गई थी, वह पर्याप्त नहीं थी, अन्यथा उनकी हत्या नहीं होती। पुलिस

[श्री शिवराज वी. पाटील]

का एक कान्स्टेबल एक पिस्तौल के साथ उनके साथ घूमता है। इसका मतलब उनको सुरक्षा पूरी तरह से प्राप्त हुई है, ऐसा कहना गए दिनों में मुश्किल है। उनके बारे में लोग क्या सोचते हैं, किस प्रकार की कान्सपिरेसी होती होगी, कौन-कौन उनकी जान के दुश्मन हैं, इस बारे में इन्टैलिजेंस सरकार के पास होना जरूरी है।

यह इसलिए होना जरूरी था कि वह संसद की सदस्य थी और उनका पूर्व इतिहास है। आज हमें लगता है कि ऐसी मालूमात नहीं थी, इसलिए ऐसा हुआ है। अगर मालूमात होती तो शायद इसे टाला जा सकता था। होनी को कभी टाला नहीं जा सकता ऐसा कहते हैं लेकिन कभी-कभी जरूर टाला जा सकता है ऐसा हमें लगता है। इंटैलिजेंस नहीं था, मालूमात नहीं थी कि कौन उनके खिलाफ षडयंत्र रच रहा है। इसलिए उनकी हत्या हुई और कैसी हत्या हुई यहां वह आती हैं, बाहर जाती हैं, दोपहर का वक्त है उनके घर के सामने दिन में चार लोग आते हैं गोलियां चलाते हैं और भाग जाते हैं। इसका पता भी नहीं चलता है। यह संसद सदस्य के बारे में हो रहा है। संसद सदस्य की जान दूसरे नागरिकों की जान से बहुत मूल्यवान है ऐसा हम नहीं कहेंगे लेकिन संसद सदस्य की जान इस प्रकार से जा सकती है तो दूसरे नागरिकों की जान को कितना खतरा हो सकता है इस बारे में लोग विचार बना सकते हैं। ऐसा विचार उनके मन में आ गया। अगर एक डर या भय की भावना निर्माण हो गई तो उसके लिए हम लोगों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ऐसा मैं समझता हूं। जब कभी हत्याएं हुई हैं महात्मा गांधी जी, इन्दिरा जी, राजीव गांधी जी की हो, माकन साहब या फूलन देवी की हो मैं समझता हूं कि इंटैलिजेंस की कमी की वजह से ये हत्याएं हुई हैं। अगर इंटैलिजेंस खबर देता और उसका उपयोग किया जाता तो शायद ये हत्याएं टल सकती थी, मगर ऐसी नहीं हुआ। इससे हमें कुछ सीख लेनी चाहिए। राजीव गांधी जी की हत्या हुई और कहा गया कि एसपीजी उनकी कम कर ली गई। यह कहा जाए कि उन्होंने हमसे मांगी नहीं, यह बात गलत है। कोई भी आदमी नहीं मांगेगा। हम जानते हैं कि सरकार में बैठे हुए हमारे कुछ साथी हैं उनकी जान को खतरा है। अगर आप पूर्व प्रधान मंत्री जी की सुरक्षा कम कर लेंगे तो वह आपको कभी भी नहीं कहेंगे कि मुझे सुरक्षा दीजिए। मगर यह सवाल सिर्फ पैसे की तराजू में तोला जा रहा है। कितने करोड़ों रुपए सुरक्षा के ऊपर खर्च होते हैं, इसकी चर्चा हो रही है। मगर ऐसी किसी की जान जाने पर हमारी हिम्मत कितनी कम हो जाती है और लोगों के मन में कितना डर पैदा हो जाता है तथा हमारी सुरक्षा के बारे में हम लोगों के और बाहर के लोगों के कैसे विचार बनते हैं, इस दृष्टि से कभी नहीं देख जाता। हमारे पूर्व प्रधान मंत्री जी यहां बैठे हैं, हमने पेपर में पढ़ा कि उनकी सुरक्षा कम कर दी गई। वह किसी से मांगने नहीं जाएंगे, मगर यह जरूरी होगा, हमें जरूरी होगा, इस सरकार को, सदन को, देश को जरूरी होगा कि उनकी जान को खतरा न हो। इसलिए सिर्फ पैसे की दृष्टि से न देखते हुए, जो सुरक्षा देना जरूरी हो वह देनी चाहिए और वह इसलिए देनी चाहिए कि पूर्व प्रधान मंत्री, देश के बड़े से बड़े महात्मा गांधी जी जैसे नेता भी मारे गए। इंटेलीजेंस नहीं होने की वजह से, सुरक्षा नहीं देने की वजह से वे मारे गए और फूलन देवी जी भी इसलिए मारी गई। मैं किसी से तुलना नहीं कर रहा हूं, जान सबकी एक जैसी है, मगर यह जरूरी है इसलिए इस पर हमें सोचना चाहिए। इस दृष्टि से इस ओर देखना जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है।

महोदय, मैं इसलिए यहां बोलने के लिए खड़ा हूं, मुझे लगा कि इस संबंध में बोलना चाहिए। फूलन देवी जी के बारे में लोग बहुत सारी चीजें कहते हैं, मगर मैं सदन में आपके सामने खड़े होकर कहना चाहता हूं कि उनका यहां जो बर्ताव था, उसे देखने के बाद मेरे मन में उनके लिए आदर के सिवा दूसरी कोई भावना नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उन्होंने बहुत भुगता था। तीसरी बात यह है कि उनकी शायद अन्याय के खिलाफ लड़ने की अच्छाशक्ति थी और उन्होंने इसलिए बहुत भुगता। जीवन और मृत्यु, दोनों जगह उन्होंने भुगता है। इस चीज को ध्यान में रख कर सिर्फ फूलन देवी जी के बारे में ही नहीं, इस सदन के जो दूसरे लोग हैं उनके बारे में भी है। मैं पहली बार नहीं कह रहा हूं, दूसरी या तीसरी बार कह रहा हूं।

देश के लिए आज लड़ाई से ज्यादा खतरा टैरेरिज्म से है। आज खतरा देश में बढ़ते छोटे-छोटे, नये-नये किस्म के हथियारों से ज्यादा है। आज पुलिस के पास संचार की सुविधा उतनी नहीं है जितनी की टैरेरिज्म फैलाने वालों के पास है। फूलन देवी जी के पीएसओ के पास शायद सेलूलर फोन भी नहीं था लेकिन जिन्होंने उन्हें मारा उनके पास कम्यूनिकेशन के साधनों की कोई कमी नहीं थी। सरकार को इस दृष्टि से भी देखना चाहिए। अगर इस दृष्टिकोण से सरकार ने इस समस्या को नहीं देखा तो हम ऐसे ही जानें गंवाते रहेंगे और इसका असर हमारी सुरक्षा, हमारी हिम्मत और हमारे दृष्टिकोण पर हुए बिना नहीं रहेगा।

फूलन देवी जी को हम अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। इतिहास उनको याद रखेगा, समाज और यह संसद उनको याद रखेगी कि एक गांव की महिला ने किन-किन परिस्थितियों में क्या-क्या सहन किया, कैसे उन्होंने जीवन जीया और कैसे वह मरीं। उनके प्रति वहां के लोगों में पूरा सम्मान था। अगर ऐसा न होता तो वहां के लोग उन्हें दो बार चुनकर संसद में न भेजते। हम लोग अपने-अपने मापदंडों से जीते हैं और अगर कोई हमारे जैसा नहीं होता तो वह देते हैं कि वह अच्छा नहीं है लेकिन जनता का प्यार और

दूसरे लोगों द्वारा दिया गया सम्मान व्यक्ति के बारे में सही बताता है, उसको ध्यान में रखना जरूरी है। मैं उनकी दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि जिसको भी आपको सुरक्षा देने की जरूरत है उसको अवश्य ही सुरक्षा देनी चाहिए। सुरक्षा को पैसे की तराजू में तोलना सरकार के लिए ठीक नहीं है। जब ऐसे किसी जनप्रिय व्यक्ति की जान जाती है तो जनता में यह संदेश जाता है कि हम आम आदमी की रक्षा क्या करेंगे जब ऐसे व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकते।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि मध्याह्न भोजन के लिए कम से कम आधे घंटे के लिए सभा को स्थगित किया जाना चाहिए। अत: अब सभा अपराह्न 2.30 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.48 बजे

तत्पश्चात्, लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.30 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.30 बजे पुन: समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

उपाध्यक्ष महोदय: हम चर्चा जारी रखेंगे। माननीय सदस्य केवल स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। हमें आगरा शिखरवार्ता पर चर्चा का समापन भी करना है।

डॉ. गिरिजा व्यास बोलेंगी।

अपराह्न 2.31 बजे

श्रीमती फूलन देवी की हत्या के बारे में गृह मंत्री द्वारा 31 जुलाई, 2001 को दिए वक्तव्य के बारे में स्पष्टीकरण—*जारी*

[हिन्दी]

डॉ. गिरिजा व्यास (उदयपुर): महोदय, मैं केवल पांच मिनट लूंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि गृह मंत्री जी का जो वक्तव्य फूलन देवी जी की हत्या पर आया, उससे ऐसा लगता है कि केवल औपचारिकता का निर्वहन किया गया। अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाली और यहां तक अपनी जुबान से सब बात कहने वाली फूलन देवी की निर्मम हत्या सबसे अधिक सुरक्षित स्थान पर इस प्रकार हो जाएगी, यह किसी ने सोचा नहीं था। कभी-कभी लगता है कि पैराडॉक्स और आयोरनी की कहानी दोहराई जा रही हो। वह अनेक बार एनकाउंटर में भिड़ी। वह बीहड़ों में रहीं। फूलन देवी जी के अनेक बार असुरक्षित स्थानों पर ही नहीं, असुरक्षित एनकाउंटर का भी मुकाबला किया लेकिन वहां उनकी हत्या नहीं हुई। उनकी हत्या ऐसी जगह हुई, जहां वह चुनकर आई, जिसे सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है। सबसे सुरक्षित स्थान जहां वह रहती थीं, वहां दिन-दहाड़े उनकी हत्या होना एक प्रश्न सूचक दृष्टि डालने पर मजबूर करता है। मैं उस दिन की बात कहना चाहती हूं जिस दिन उनकी हत्या हुई। उस दिन वह मुझे 12 बजकर 25 मिनट पर मिलीं। उसके बाद वह सुषमा जी से मिली, बूटा सिंह जी से मिली और सम्भवत: पाटील साहब से मिली। वह जैसे कुछ चाह रही हो, ऐसा लग रहा था। हम उस समय लाइब्रेरी जा रहे थे। हमने उनसे कहा कि लौट कर आने पर बात करेंगे। हमारे मन में एक पीड़ा हो रही है। मुलायम सिंह जी ने ठीक कहा कि वह स्थान मुझे आज भी मालूम है, जहां से खड़े होकर उन्होंने सुरक्षा की मांग की थी। वह स्थान जहां वह बैठती थीं, वह इस बात की कहानी सदन को बताता रहेगा, जहां उन्होंने अपनी सुरक्षा की बात की थी। वहां एक ऐसी महिला बैठती थी चाहे उन्हें कुख्यात कह दिया हो लेकिन उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई थी। मुझे वह दिन याद है जब संसद की सीढ़ी पर वह अकेले बैठी थीं। उस दिन जब फूलन देवी जी ने सुरक्षा का आवाज उठाई और कहा कि मैं कहीं से सुरक्षित नहीं हूं, उस दिन उन्होंने मुझे अपने पास बुला कर कहा था कि मुझे आज भी लगता है कि मैं औरत हूं और सुरक्षा की भीख मांगती खड़ी हूं। उस दिन सदन स्तब्ध हो गया था जब दादा बोल रहे थे और बीच में मुंशी जी ने यह खबर सुनाई। सरकारी पक्ष के लोगों ने भी कहा कि हमने भी ऐसी खबर टेलीविजन पर सुनी है। बाद में माननीय गृह मंत्री जी ने सदन में इस बात की पुष्टि की थी लेकिन उस वक्त सब स्तब्ध थे। इसके साथ-साथ सबके दिल में क्रोध और भय व्याप्त था। मुझे अनेक सांसदों ने कहा कि अपने घर के दरवाजे खुद खोलते हैं क्योंकि हम सर्वेन्ट नहीं रख सकते। यहां सुरक्षा का दूसरा कोई स्थान नहीं है। कोई घर की घंटी बजाता है तो हम ही दरवाजा खोलते हैं। उस समय हम सुरक्षित कैसे हो सकते हैं? अपने निर्वाचन क्षेत्र में हमारे वर्कर रहते हैं। वहां सुरक्षा की थोड़ी बहुत व्यवस्था है लेकिन सांसदों के लिए असुरक्षित स्थान कोई हो गया है तो वह केवल दिल्ली हो गया

[डा. गिरिजा व्यास]

है। जब आईएसआई की गतिविधियां लाल किले तक पहुंच जाएं तो सांसद सुरक्षित कैसे रह सकते हैं?

इसलिये इस भयावह स्थिति से निपटने के लिये हम समस्त संसद सदस्यों को चिन्ता करनी होगी। आज के राजनैतिक दौर में जब छोटी-छोटी बातों पर लोग एक-दूसरे की जान लेने पर आमदा हो गये हैं, उस वक्त यदि छोटी सी बात को लेकर कोई संसद का दरवाजा खटखटाता है या संसद की सीढ़ियों पर या रास्ते में उसकी जान ले ले लेकिन उसकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। यह बात सही है कि कुछ लोगों ने स्टेटस सिम्बल के कारण सुरक्षा व्यवस्था लेनी चाही है या लेने का प्रयास कर रहे हैं और इस हेतु एन.एस.जी. या एस.पी.जी. द्वारा पूरी जानकारी ले ली गई है। मैं माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि इन सब के बावजूद उसको सुरक्षा न देना कहां तक उचित है? यही बात श्रीमती फूलन देवी के बारे में सही है। इसलिये कि मैं उसकी गवाह हूं और इस बात से इनकार करती हूं कि उ.प्र. के मुख्य मंत्री कहते हैं कि उन्होंने अपने लिये कभी सुरक्षा नहीं मांगी। वह बार-बार सुरक्षा की गुहार कर रही थी।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि आई.बी. की रिपोर्ट कितनी सत्य होती है जिसके आधार पर सुरक्षा मिल जाती है। मेरे साथ भी इसी तरह का एक हादसा पिछले साल हुआ था। मैंने कुछ साम्प्रदायिक पार्टियों के संबंध में एक बयान दिया था जब मैं पार्टी की स्पोक्सपरसन थी। मेरे घर पर तोड़-फोड़ हुई थी। उसके बाद मुझे सुरक्षा व्यवस्था मिली लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जिनकी आवाज को सुनकर उन्हें सुरक्षा व्यवस्था दी जाती है? इस हत्या के संबंध में कई संशय लोगों के मन में हैं जिनका निवारण आवश्यक है। केवल मात्र कुछ लोगों के पकड़े जाने से इस हत्या का समाधान नहीं हो जाता। इस संबंध में सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिये। लेकिन सबसे बड़ा विचारणीय बिन्दु यह है कि फूलनदेवी की हत्या या उनकी असामयिक मृत्यु के बाद सबसे सुरक्षित स्थान में सबसे सुरक्षित व्यक्ति असुरक्षित है तो इस सुरक्षा का मापदंड क्या होगा और आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा?

उपाध्यक्ष महोदय, उग्रवादी और आतंकवादी जब दिल्ली जैसे स्थानों पर अपना जाल फैलायेंगे तो उसमें कौन सुरक्षित रह पायेगा। सरकार को आई.एस.आई. की गतिविधियों पर प्रभावी ढंग से रोक लगानी होगी। संसद सत्र चलते किस प्रकार से ऐसी हत्या हो जाती है लेकिन हम लोग असुरक्षित स्थल को सुरक्षित नहीं बना पाये तो हम क्या कर पायेंगे? इसलिये आज मैं समस्त सांसदों की तरफ से यह अपील करना चाहती हूं कि जब सांसद सुरक्षित नहीं हैं, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाये, सुरक्षा ढांचे में परिवर्तन किया जाये, सुरक्षा देने के मामले में भी फेर-बदल किया जाये, तभी हम सही मायनों में श्रीमती फूलन देवी को श्रद्धांजलि दे सकेंगे जो बिना वजह, किन्हीं कारणों से हत्या का मोहरा बन गई।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उ.प्र.): उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमती फूलन देवी की जिस तरह से हत्या की गई है, वह हम सबके लिये अत्यंत लज्जाजनक और दुख की बात है। संसद के अधिवेशन चलते संसद से एक किलोमीटर व्यास के अंदर दिन के डेढ़ बजे उनके घर के सामने हत्या हो जाये, उसके बारे में गंभीरता से सोचे जाने के लिये हमारे लिये ही नहीं बल्कि सारे देश के लिये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इससे सबसे बड़ी हानि यह हुई है कि देश के लोगों में एक असुरक्षा की भावना पैदा होगी। जब सांसद ही सुरक्षित नहीं है तो दिल्ली राजधानी के अंदर लोगों की जान का खतरा हो सकता है और दिन-दहाड़े हत्या हो सकती है तो फिर एक आम आदमी अपनी सुरक्षा कैसे कर सकेगा? सवाल यह नहीं कि हम डरे हैं या नहीं, हम घबरायें हैं या नहीं लेकिन हमारे मन में यह सवाल है कि अगर शोषित, उपेक्षित समाज की महिला इस तरह से मौत के घाट उतारी जाये तो उन लोगों के बीच में कितनी दुखद भावना पैदा होगी? आज जब श्री मुलायम सिंह जी बोल रहे थे तो उन्होंने अपने ऊपर बहुत बड़ा संयम रखा। वे जिस गंभीरता से अपनी बात रख रहे थे, यदि सरकार उस पर सोचे तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि ऐसा लगता है कि हम लोग मौत को साधारण घटना समझ लेते हैं क्योंकि हमें सिखाया गया है कि मौत क्षणिक होती है और जीवन अनन्त है जो चलता ही रहेगा। कोई आज मरेगा, कल फिर पैदा हो जायेगा, यह दर्शन बहुत अच्छा है। लेकिन समाज को चलाने की जिम्मेदारी जिसके ऊपर है, जो समाज की सुरक्षा का जिम्मेदार है, उसकी भावना दूसरी होनी चाहिए। मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरी आवाज का कोई असर इस सरकार के वरिष्ठ लोगों पर नहीं होगा। उनके मन में ऊंची भावनाएं हैं, वे उच्च विचारों के लोग हैं। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के उन्नत शिखरों पर पहुंचे हुए लोग हैं। साधारण लोगों की मौत, साधारण लोगों का मान-अपमान उनके लिए नगण्य हो जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे बारे में भी कुछ लोगों ने कहा। आपसे हमारा बहुत पुराना परिचय है। मैंने जिदंगी के बहुत उतार-चढ़ाव देखे हैं। बहुत बड़े-बड़े लोगों को उन कुर्सियों पर बैठे हुए देखा है। बहुत लोगों को अभिमान से लोगों के बारे में अपमानजनक व्यवहार करते हुए देखा है। मैं 1962 में इस संसद में आया था, आज 2001 है। कोई भी उस कुर्सी पर बैठा हुआ, अभिमान से, गर्व से अपने सिर को उन्नत करने वाला मुझे ऐसा नहीं मिला जो बाद में आकर मेरे ही सामने आंसू बहाने के लिए मजबूर न हुआ

हो। बदलती हुई दुनिया है। आंसू आज मुलायम सिंह बहा रहे हैं, आंसू आज फूलन देवी के परिवार के लोग बहा रहे हैं, उनके क्षेत्र के लोग बहा रहे हैं। लेकिन ये आंसू गरीब के आंसू हैं, बेबस के आंसू हैं। गरीब और बेबस का आंसू जब बहता है तो आग बनकर बड़े-बड़े महलों को जला देता है, कहीं ऐसा न हो जाए। मैं बड़े विनम्र शब्दों में आपके जरिये गृह मंत्री जी से कहूंगा कि इस मामले को जरा ज्यादा गम्भीरता से लें तथा जो भी अपराधी हों उन्हें सजा देने का प्रयास करें। मैं और ज्यादा कुछ न कहकर यही कहूंगा कि उनकी याद इस संसद में हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि अपनी तरह की यह पहली घटना है। हमारे मित्र ने कहा था कि माकन के साथ यही हुआ था। लेकिन वह संसद भवन की सीमा के अंदर नहीं हुआ था, संसद भवन की सीमा के अंदर के बारे में कहा जाता है कि तीन हजार सिपाही चारों तरफ घेरा बनाकर खड़े रहते हैं। उसके बाद भी इस तरह की हत्या हो जाए और हम चुपचाप देखते रहे, इससे बड़ी लज्जाजनक बात और नहीं हो सकती है। हमें इसे गम्भीरता से लेना चाहिए।

कुमारी मायावती (अकबरपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमती फूलन देवी की हत्या पर हमारी पार्टी को गहरा दुख है और हमें श्रीमती फूलन देवी की हत्या पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए कि उनकी हत्या का मुख्य कारण क्या था। हालांकि दिल्ली की क्राइम ब्रांच उनकी हत्या की इनवैस्टीगेशन कर रही है, जांच रिपोर्ट आने से पहले यह कहना बड़ा मुश्किल है कि उनकी हत्या के पीछे क्या साजिश थी। साजिश का पर्दाफाश तो जांच रिपोर्ट के आने के बाद होगा। लेकिन सोचना यह है कि दिल्ली देश की राजधानी है और संसद के नजदीक जहां श्रीमती फूलन देवी का निवास स्थान था, उसके आसपास वी.आई.पी. लोग रहते हैं तथा पुलिस महकमे के दो बड़े अधिकारियों के रेसीडेन्स भी उनके निवास स्थान के नजदीक हैं। जिस प्रकार से श्रीमती फूलन देवी की हत्या संसद के नजदीक हुई है, उस पर हमें सोचना होगा कि हत्या करने वाले अपने मकसद में कैसे कामयाब हुए। क्योंकि यदि उनके निवास स्थान पर प्रोपर सुरक्षा प्रबन्ध होता तो मैं समझती हूं कि कातिल लोग अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाते, श्रीमती फूलन देवी के राजनीतिक जीवन के बारे में सोचने से पहले हमें इस बात की तरफ भी गंभीरता से सोचना चाहिए कि जब वह राजनीति में आईं और राजनीति में आने से पहले का जो उनका इतिहास रहा है, जो भी उन्होंने रास्ता अपनाया, किन परिस्थितियों में उन्होंने वह रास्ता अपनाया, उसके लिए केवल श्रीमती फूलन देवी जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए समाज भी जिम्मेदार है।

इस अनहोनी को टाला जा सकता था यदि उत्तर प्रदेश की सरकार और केन्द्र की सरकार उनके पास्ट को ध्यान में रखते हुए यदि सुरक्षा का पूरा प्रबंध करती, तो मैं समझती हूं कि कातिल लोग अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाते। खासतौर से जिनका अपना स्ट्रगल वाला इतिहास है या ऐसे लोग जो बहुत स्ट्रगल करके राजनीति में आए हैं, हालांकि स्ट्रगल किसी भी तरह का हो, लेकिन जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा है तो उनके इतिहास को ध्यान में रखते हुए, उनके बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए सरकार को उनकी सुरक्षा के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए था और जो भी एमपी हैं या और भी ऐसे वीआईपी हैं जिनको काफी धमकियां आती हैं, जान का खतरा होता है, उनको जो सिक्यूरिटी प्रदान की जाती है, उसके लिए जो थ्रैट असैसमेंट जांच कमेटी होती है और उसके आधार पर जो आईबी की रिपोर्ट आती है, उसमें आईबी की रिपोर्ट को आप आंख मूंदकर मान लेते हैं कि इस रिपोर्ट के आधार पर हम यह सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, इतनी कटौती कर रहे हैं इतनी बढ़ा रहे हैं। यह जो तौर-तरीके हैं, केवल आईबी की रिपोर्ट पर हम फैसला ले लें, इसमें भी हमें कुछ तब्दीली करनी होगी ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।

कल माननीय गृह मंत्री जी ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि राजनीति में जो अपराधीकरण तेजी से बढ़ा है, उसको सबको मिलकर रोकना चाहिए, इस बात से हम सहमत हैं, हम इसका स्वागत भी करते हैं लेकिन केवल कहने से काम नहीं चलेगा। हर पार्टी को अपने गिरहबान में झांककर देखना पड़ेगा कि हम जो कह रहे हैं उस पर अमल कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि राजनीति में जो अपराधीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, कई हद तक उसके लिए पोलिटिकल पार्टीज भी जिम्मेदार हैं और दूसरी तरफ उतना ही उनको इलेक्ट करने वाला समाज भी जिम्मेदार है। यदि पोलिटीशियन्स गंभीरता से नहीं सोचते हैं राजनीति में अपराधीकरण को समाप्त करने के बारे में, तो समाज को सोचना चाहिए। कल जो बात आपने कही है, वह अच्छी बात है और यदि सारी पार्टियां इस पर अमल करें तो इस किस्म की हत्याओं को रोका जा सकता है। मैंने अखबार में पढ़ा था कि श्रीमती फूलन देवी की जो हत्या हुई है, उसमें सबसे पहले जो हत्यारा पकड़ा गया श्री शेर सिंह राणा, उसने कहा है जो अखबारों में छपा है कि फूलन को मारकर मैं आगे चलकर किसी भी ठाकुर बहुल क्षेत्र से एमपी चुनकर आऊंगा। यदि इस किस्म के विचार होंगे तो उससे आज किसी को भी खतरा हो सकता है। इन बातों को गंभीरता से सोचना चाहिए और मैं समझती हूं कि यदि सारी पार्टियां गंभीरता से सोचें जिससे श्रीमती फूलन देवी की हत्या हुई है तो इस अनहोनी को टाला जा सकता था। खासतौर से उनको सिक्यूरिटी प्रदान करने में

[कुमारी मायावती]
सरकार से जो लापरवाही हुई है सरकार को इस पहलू के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए कि यदि उनके रेजीडेन्स पर बराबर सिक्यूरिटी का अरेन्जमेंट होता क्योंकि उनके घर के बाहर कार खड़ी रही, उसमें तीन आदमी मुंह ढककर बैठे रहे। वह इंतजार कर रहे थे कि कब फूलन देवी आएंगी, गाड़ी से उतरें और हम उन पर गोली चला देंगे, उनकी हत्या कर दें।

उपाध्यक्ष महोदय, उस वी.आई.पी. इलाके में वह गाड़ी काफी देर तक खड़ी रही, वे ताक में थे कि कब फूलन देवी आए, लेकिन आपका इंटैलीजेंस क्या कर रहा था? वह वी.आई.पी. इलाका है। आपको मालूम है कि कारगिल के इलाके में हमारे फोर्सेस के काफी आदमी मारे गए, उसका सबसे बड़ा और मुख्य कारण इंटैलीजेंस की फेल्योर थी। यदि हमारी सीमाएं बराबर सेफ होतीं, यदि हमारी इंटैलीजेंस सीमा की बराबर रिपोर्ट देती और यदि सेंटर की सरकार बराबर अलर्ट रहती, तो कारगिल में हमारे लोग नहीं मारे जाते। इसलिए यह सुरक्षा का पहलू है। यह पहलू पार्लिटिशियन का है, यह आम जनता का है क्योंकि इससे आम जनता का मामला भी जुड़ा हुआ है। जब पार्लियामेंट के नजदीक, वी.आई.पी. इलाके में एक मैम्बर आफ पार्लियामेंट सेफ नहीं रह सकती है, तो आम जनता के साथ क्या होगा, इसका अनुमान बहुत आसानी से लगाया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि वे इंटैलीजेंस के मामले को भी देखें और उसे जितना चुस्त-दुरूस्त करने की जरूरत है, वह करें और वी.आई.पी. लोगों को जो भी सिक्योरिटी देनी है, उसके लिए जितनी जरूरत है, वह दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्हें दिए जाने का निर्णय लिया जाना चाहिए। इस प्रकरण में जांच कमेटी की रिपोर्ट तो जो होगी, वह होगी, उसका जो होगा वह अदालत में होगा, लेकिन सिक्योरिटी प्रदान करने के मामले में जो लापरवाही हुई है, इससे सबक सीखकर, आगे के लिए जो कमियां रहने वाली हैं उनको दूर किया जाये और आगे कोई ऐसा अनिष्ट हो, उसको रोका जा सकता है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है कि 25 जुलाई, 2001 को जो हुआ, हमारे लिए वह एक मर्मान्तक अनुभव है। मुझे याद है, मैं उस समय आगरा शिखरवार्ता पर हो रही चर्चा में भाग लेते हुए बोल रहा था जब सभा को यह दु:खद समाचार मिला।

महोदय, मैं श्रीमती फूलन देवी का स्मरण करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। वे अपने जीवनकाल में ही दमन और सामाजिक अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का प्रतीक बन गई थीं और एकाधिक बार अपने निर्वाचन-क्षेत्र की जनता का समर्थन पाकर उन्होंने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। जनसेवा करते हुए वे इस सम्मान्य सदन की सदस्य बनीं। यह कोई साधारण बात नहीं है।

मैंने सोचा था कि माननीय गृह मंत्री जी अपने वक्तव्य में उनकी नृशंस हत्या की गंभीरता को समुचित रूप से प्रकट करेंगे। किन्तु वह वक्तव्य तो कमोबेश घिसापिटा सा रहा। सही बात तो यह है कि मेरे विचार से यह वक्तव्य स्थिति की गंभीरता को प्रकट नहीं करता।

महोदय, ऐसा लगता है कि फूलन देवी चम्बल की घाटी में तो अपनी दुर्दशा के बीच जीवित रह सकीं, लेकिन भारत की राजधानी के बिल्कुल मध्य क्षेत्र में उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। ऐसा लगता है कि जंगल का कानून चम्बल घाटी में तो नहीं रहा, लेकिन नई दिल्ली में वह चलता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य क्षेत्रों अथवा अन्य क्षेत्रों में उठ रहे और मुद्दों को नहीं उठाना चाहता। किन्तु, कतिपय प्रश्न उठते हैं। जैसा कि अभी कुमारी मायावती ने कहा, इस क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति क्या है?

इसका पता लगाने के लिए कि सुरक्षा की विफलता रही या नहीं—अत्यधिक जांच की आवश्यकता नहीं है। ऐसा लगता है कि एक कार पहले से ही वहां प्रतीक्षा में थी। वक्तव्य से जाहिर होता है कि हमलावर नकाब पहने थे और छह गोलियां दागी गईं। वह घटनास्थल पर ही मारी गईं। सबसे विस्मय की बात तो यह रही कि वे दो-तीन आदमी एक कार में भाग निकले, बहुत ही निकटवर्ती एक स्थान पर कार को छोड़कर ऑटो-रिक्शा में बैठकर फरार हो गए और उनका पता तक नहीं लग सका! सरकार वाहवाही अपने सिर ले रही है, लेकिन शेर सिंह राणा ने आत्मसमर्पण स्वयं किया है। देहरादून में भी उसे पकड़ा नहीं जा सका। यह उसी की मर्जी थी कि इसे पकड़ा जा सका। पुलिस पूरे मामले में विफल रही।

मैं मानता हूं कि मैं सदैव से कहता आया हूं कि संसद-सदस्य होने के नाते हमें निजी सुरक्षा अथवा विशेष सुरक्षा इत्यादि नहीं मिलनी चाहिए। देश का प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित रहना चाहिये। किन्तु जब हम संसद-भवन में प्रवेश करते हैं तो कितने ही बंधन रहते हैं और अन्य अनेक स्थानों पर भी कई तरह के वर्जन रहते हैं। हम इसे मानते हैं और मुझे इस पर कोई एतराज नहीं—क्योंकि सावधानी तो बरती ही जानी चाहिए। किन्तु, इस क्षेत्र में खतरे के बारे में सरकार ने क्या जायजा लिया था? क्या कदम उठाए गए थे? क्या यह केवल आसूचना-तंत्र की ही विफलता है? निश्चित

तौर पर, यह राजधानी के व्यस्ततम मार्गों में से एक है। संसद भवन के निकट है इससे लगा हुआ चुनाव आयोग का कार्यालय है और दो भवन छोड़कर, भारत की राजधानी का मुख्य डाकघर स्थित है। लेकिन यह कैसे हुआ कि कोई वहां आकर घूमता है, घंटों प्रतीक्षा करता है, नकाब ओढ़कर किसी की हत्या कर देता है और भाग जाता है- और फिर भी किसी को इसका पता तक नहीं लगता? यह बड़ी गंभीर स्थिति है।

इससे असुरक्षा की भावना बढ़ी है। जब हम देखते हैं कि एक संसद-सदस्य को इस तरह से मार दिया जाता है, तो इससे यही दर्शित होता है कि शहर के इस हिस्से में सुरक्षा-तंत्र अथवा कानून या व्यवस्था तंत्र पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। और जगहों पर भी यह गाहे-बगाहे हो ही रहा है।

अतएव, मैं माननीय गृह मंत्री से विशेषकर यह बताने का अनुरोध करता हूं कि इस क्षेत्र में रह रहे लोगों की सुरक्षा के लिए सामान्यतया क्या सावधानी रखी जाती है। हमें पता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री का आवास भी पास ही में है, मैं समझता हूं कि एकाध घर छोड़कर होगा या उससे लगा हुआ ही है। वहां पर 'ब्लैक कैट' कमांडो तैयार रहते हैं। उनके सुरक्षाकर्मी वहां थे। गृहमंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा है कि:

> ''सादे कपड़ों में तीन निजी सुरक्षा-अधिकारियों—जो चौबीस घंटे तैनात रहते थे, के अलावा, उनकी सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सशस्त्र पुलिसकर्मी भी उपलब्ध कराया था।''

मैं इससे यह समझता हूं कि यह स्थिति उत्तर प्रदेश में थी। यदि उत्तर प्रदेश सरकार का विचार यह था कि उन्हें सशस्त्र पुलिस कर्मी की आवश्यकता थी, तो क्या यहां-दिल्ली में-भी ऐसा सशस्त्र पुलिसकर्मी तैनात किया गया था? उनके इस बात का उल्लेख करने का आशय क्या है? यदि उत्तर प्रदेश में उन्हें अधिक खतरा था, तो क्या दिल्ली में नहीं था? जहां तक हमें पता चला, केवल सादे कपड़ों में निजी सुरक्षाकर्मी ही वहां था। उनकी सुरक्षा के लिये कोई सशस्त्र पुलिसकर्मी क्यों नहीं था? यही प्रश्न उठता है। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। माननीय गृह मंत्री ने राजनीति के अपराधीकरण की बात का उल्लेख किया है।

यह हमारे सार्वजनिक जीवन का अभिशाप बन गया है। हमने वोहरा समिति की रिपोर्ट पढ़ी है। हमने इस रिपोर्ट पर सभा में चर्चा की है। मुझे याद है कि श्री आडवाणी जी ने संभवत: उस चर्चा में भाग लिया था। हम इसके बारे में जानते थे हमने इस पर चर्चा की थी। हम इस बारे में केवल बातें कर रहे हैं। मुझे पता नहीं कि सरकार ने इस बारे में गत तीन वर्षों में क्या कार्रवाई की है।

अपराह्न 3.00 बजे

इस मामले में राजनीति के अपराधीकरण का उल्लेख क्यों किया गया है? क्या सरकार के अनुसार श्रीमती फूलन देवी इसकी शिकार हुई या फिर अपने अतीत के कारण जिसे वे छोड़ चुकी थी? मुझे यह स्वीकार करना चाहिये कि यह साहस परिवर्तन की अनोखी कहानी है, हमारे देश के इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय है कि सामान्य में भी एक सामान्य जन जो अपने पर हुये अन्याय का बदला लेने के लिये छिपी फिरती थी अपने जीवन में बदलाव लाकर इस सभा में आईं। क्या उन्हें एक अपराधी माना जा रहा था। ताकि कोई उन्हें गोली से भून दे। मैं माननीय गृह मंत्री से जानना चाहता हूं कि जब फूलन देवी के संबंध में राजनीति के अपराधीकरण की बात की गई है, तो वे इसे कानून और व्यवस्था का मामला मानते हैं या राजनैतिक बदले की घटना। दिन-दहाड़े अपराध हुआ और अब तक किसी को पकड़ा नहीं जा सका है। जहां तक उनके मामले का संबंध है, राजनीति के अपराधीकरण का उल्लेख क्यों किया गया। यह अकेला उदाहरण नहीं है जैसा कि मैंने कहा। पूरा देश इस मामले को लेकर चिंतित है। ऐसा पहली बार नही हैं कि यह हवाला दिया जा रहा है। राजनीति के अपराधीकरण का हवाला चुनावी सुधारों के दौरान हुई चर्चा के समय भी दिया गया। आडवाणी जी को यह पता है...*(व्यवधान)* इसीलिए महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या गृह मंत्री महोदय इसे कानून और व्यवस्था का मामला मानते हैं या राजनीतिक बदले की कार्रवाई या फिर आपराधिक इतिहास वाले किसी संसद सदस्य की मौत का मामला। यह बहुत गंभीर मसला है। मैं माननीय गृह मंत्री से इस बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूं।

हमें अपने पूर्व सहयोगी की सफलताओं को कम करके नहीं आंकना चाहिए हमें उनकी उपलब्धियों पर गर्व है और मैं उनके साहस को सलाम करता हूं। उन्होंने दिखा दिया कि समाज के सबसे निचले तबसे से इस स्तर तक कैसे आया जा सकता है। वह प्रशंसा की पात्र हैं। हम उनके दु:ख अंत के बारे में जो कुछ भी कहें, उनकी उपलब्धियों को कम करके न आंकें। मेरा यकीन है कि उनका कोई दोष नहीं था। इन सभी मसलों पर स्पष्टीकरण की जरूरत है।

श्री चिन्मयानन्द स्वामी (जौनपुर): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं पहले तो अपने व्यक्तित्व की विचित्रता के कारण भारत में ही नहीं, विश्व में अपना स्थान बनाने वाली श्रीमती फूलन देवी जी के प्रति अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं।

यह वह महिला है, जिसने जीवन के विभिन्न आयाम देखे हैं, विभिन्न उतार-चढ़ाव देखे हैं और जीवन की विभिन्न शैली को जिया है। सामाजिक कुरीतियों, विडम्बनाओं और अपराधों का खुलकर

[श्री चिन्मयानन्द स्वामी]

सामना करते हुए जिस महिला ने अपने जीवन को सार्वजनिक क्षेत्र में लाकर खड़ा किया हो, वह निश्चित ही इस सबके लिए एक आदर्श परन्तु विचारणीय महिला हो सकती है। हम जानते हैं कि हमारे अतीत में अनेकों उदाहरण हैं, जब हमने देखा है कि अपराध से विमुख होकर लोग सन्त हुए हैं, कवि हुए हैं, साधक हुए हैं और सार्वजनिक जीवन में बड़ी पवित्रता का आदर्श उपस्थित किया है। फूलन देवी उसी रास्ते पर चल रही थीं। परिस्थितिवश जिन परिस्थितियों का जाल उनके चारों और बुना गया था, वही उनकी मौत का कारण भी बना। वे एक अशिक्षित परिवार में पैदा हुई थीं और स्वयं भी अशिक्षित थीं। अपने जीवन के कैशौर्य में ही, जब उनकी अल्पायु थी, छोटी उम्र थी, जब जीवन का बसन्त पूरी तरह खिला भी नहीं था, उस समय उनके जीवन पर वज्रपात हुआ और उसकी प्रतिक्रिया जिस तरह से उस महिला ने व्यक्त की थी, उसका कोई इतिहास में उदाहरण मिलना बड़ा मुश्किल होगा। ऐसी एक आदर्श जिन्दगी, ऐसी एक संघर्षशील जिन्दगी जीने वाली वह महिला आकर एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई थीं, जहां से वे एक शालीनता और संयम का जीवन जीना चाहती थीं मैं उसी दिन की एक घटना की चर्चा करता हूं, वे अनेक्सी जाने के पहले इसी लॉबी में जयवन्ती बेन मेहता से बात कर रही थीं, मैं वहीं खड़ा था। वह जयवंती जी से कह रही थीं कि दीदी मैं सोमनाथ जाना चाहती हूं। जयवंती जी ने कहा कि अभी तो सत्र चल रहा है और अभी आपकी उम्र बड़ी छोटी है, सोमनाथ की चिंता क्यों कर रही है, सोमनाथ के दर्शन बाद में कर लेना। उन्होंने कहा कि नहीं मेरा स्वास्थ्य आजकल ठीक नहीं रहता, तो जयवंती जी ने हंस कर कहा कि स्वामी जी के आश्रम में क्यों नहीं जाती हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी का आश्रम हमारे लिए खुला हुआ है जब भी चाहूंगी चली जाऊंगी। इस तरह की सोच जिसकी जिंदगी में उस समय रही हो, प्रायश्चित की मन:स्थिति में जो जी रहा हो, अपने अतीत को भूलना चाहता हो, अपने अतीत से अलग होना चाहता हो। हमारे मित्र चर्चा कर रहे थे कि जब कभी जेल की बात आती थी तो वे उससे घबरा जाती थीं। जेल की त्रासदी उनको कभी भूली नहीं थी। ऐसी मनोवैज्ञानिक लड़ाई वे अपनी जिंदगी में लड़ती रहीं। लेकिन उनको जो चाहिए था समाज में, वह इस समय भी उन्हें नहीं मिल रहा था। जैसे उनकी वकील के बयान अखबारों में आ रहे हैं, जिस तरह परिवार के सम्बन्धों की बात आ रही है, उन सबको देखते हुए लगता है कि वे एक अलग तरह की जिंदगी की लड़ाई फिर लड़ रही थीं। ऐसी स्थिति में उनकी हत्या हम सबके लिए, इस सदन के लिए, पूरे देश के लिए और शायद मानवीय दृष्टि से सोचने वाले पूरे समाज के लिए एक दुख का विषय हो सकती है।

वह एक ऐसे अति पिछड़े वर्ग से आती थीं, जो आज भी उत्तर प्रदेश में अपनी सामाजिक स्थिति को मजबूत नहीं कर सका है। सामाजिक पिछड़ेपन की त्रासदी वह पूरा का पूरा वर्ग झेल रहा है। उस वर्ग की वे लड़ाई लड़ रही थीं। उस वर्ग का नेतृत्व उनके पास अनायास ही पहुंच गया था। वे सब उनके साथ जुड़ गए थे। आश्चर्य तो यह है कि वे रहने वाली उत्तर प्रदेश की थीं, चुनाव वहीं से लड़ती थीं, लेकिन उनकी मृत्यु का ताना-बाना बुना जा रहा था उत्तरांचल में, रुड़की में और हरिद्वार में। अब समझ नहीं आता है कि उत्तरांचल, हरिद्वार और सहारनपुर उनकी जिंदगी से कैसे जुड़ गये। जैसे बात की जा रही है, मैं समझता हूं कि वोहरा समिति की बात जो अभी दादा सोमनाथ जी ने उठाई है, वह सही समय पर उठाई गई है। यह समिति 9 जुलाई 1993 में गठित की गई थी। आज आठ साल हो गए हैं। पांच अक्तूबर, 93 को उस समिति की रिपोर्ट आ गई थी। उसमें कहा गया है, जो मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं।

[अनुवाद]

"इसका विशेष लक्ष्य आईबी में नोडल समूह का गठन होगा जो विभिन्न सिक्युरिटी और राजस्व एजेंसियों से मिली जानकारी को एकत्रित करेगा जिससे राजनीतिज्ञों-नौकरशाहों-अंडरवर्ल्ड के गठजोड़ के बारे में जानकारी मिलेगी।"

[हिन्दी]

लेकिन आठ वर्ष तक उस दिशा में कुछ नहीं हुआ। हम इससे इन्कार नहीं कर सकते कि आज का अपराध केवल अपराधियों का ही नहीं, यह समाज में केवल उनके बल पर ही नहीं है, उसके लिए कई रास्ते खुले हैं। राजनैतिक संरक्षण, अधिकारियों से उनके रिश्ते भी कारण हैं। यह चीज 1993 में सामने आई थी। 1993 में दादा सोमनाथ जी ने अभी बताया कि बहस हुई थी। उस समय मैं भी सदन का सदस्य था, लेकिन मुझे याद नहीं कि इस तरह की कोई बहस हुई थी या नहीं। लेकिन उस समय कोई एक्शन तो लिया गया होता। मैं देख रहा था उस दिन जब श्रीमती फूलन देवी की हत्या हुई थी तो जी-टी.वी. पर एक चर्चा चल रही थी। उसमें एक तरफ दासमुंशी जी और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के पूर्व जी.डी.पी. प्रकाश सिंह जी बैठे हुए थे। प्रकाश सिंह जी से जब यह सवाल पूछा गया कि वी.वी.आई.पी. एरिया में यह हत्या हुई, इस पर आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से राजनैतिक सम्बन्ध अपराधियों से बन रहे हैं, उससे अपराधियों का आना-जाना कहीं तक भी हो सकता है। यह बात सही है। अगर हम अपराधकर्मी हैं, संसद में चुन कर आ गए हैं तो हमारे पास मिलने वाले जो आएंगे, उनको कोई पुलिस नहीं रोक सकती।

पुलिस के बस में भी रोकना नहीं है। यह बताने में कोई दिक्कत नहीं है कि समाचार-पत्रों में यह आ रहा है कि उस व्यक्ति ने फूलन देवी का विश्वास जीता था, उनकी सरलता का नाजायज फायदा उठाया था। क्या यह सच नहीं है कि हत्या के दिन उसी व्यक्ति की कार में बैठ कर वे संसद आई थीं और (शमशेर सिंह राणा) उसी ने कार चला कर उनको संसद भवन तक पहुंचाया था। अगर उसने उस परिवार का विश्वास न जीता होता, घर मैं न बैठा होता, कौन है उमा कश्यम, कौन है विजय कश्यप, यह सवाल आता है। जब ये सवाल आते हैं तो इनके सम्बन्ध में किन राजनैतिक दलों से है? आज अखबारों में आया है कि किसी विधायक ने उन लोगों को राजनैतिक संरक्षण दे रखा था। मैं गृह मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वे कौन थे, किस पार्टी के विधायक थे, जिन्होंने उसको संरक्षण दे रखा था? राजनैतिक दलों से इनके सम्बन्ध थे या नहीं, अगर थे तो वह कौन से दल हैं?

उन संबंधों की जानकारी क्या उन राजनीतिक दलों के नेताओं को नहीं थीं या फूलन देवी जी को नहीं थी? सवाल यह था कि विश्वास जीतकर घर में दुश्मन बैठा हुआ हो तो कोई बाहर की सुरक्षा व्यवस्था बाहर से आने वाले दुश्मन को तो रोक सकती है लेकिन घर में ही दुश्मन पैदा हो जाये, विश्वासघात हो जाये तो क्या होगा? बात वीवीआईपी एरिया की नहीं है, बल्कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि माननीय इंदिरा गांधी की हत्या उस अंगरक्षक ने की थी जो उनके घर में बैठा था। यह विश्वास के साथ किया गया छल है। यह किसी भी सरकार के बस का सवाल नहीं है। क्या हम कह सकते हैं कि जब राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी तो मानव बम बनी वह महिला जो प्रणाम करने के बहाने आई थी पैरा छूने आई थी क्या बिना विश्वास जीते वह ऐसा कर सकती है? यह तो विश्वास के साथ जब छल होता है तब ऐसा होता है। इसका उपाय ढूंढना मुश्किल होता है यह विश्वास जीतकर अपराध करने की प्रवृत्ति कहां से आ रही है, कौन संरक्षण दे रहा है इस प्रवृत्ति को? इन सवालों का जवाब आना चाहिए। यह सदन के लिए दुर्घटना नहीं है, केवल चिंता की बात नहीं है बल्कि यह एक चुनौती है। क्या वजह है कि राजीव गांधी जी की हत्या चुनावों के दौरान हुई? माननीय इंदिरा गांधी जी की हत्या चुनाव के तुरंत पहले हुई? चुनाव कहीं न कहीं हत्याओं से जुड़ जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम वे लोग जो सुधर रहे हैं, जो अपनी जिंदगी बेहतर बना रहे हैं बल्कि अपनी ही नहीं अपने जैसे जो शोषित और पीड़ित लोग हैं, उनकी जिंदगी में भी आशा का संचार कर रहे हैं, ऐसे लोगों का केवल जातीय नेतृत्व हथियाने के लिए भी कुछ लोग साजिश करके हत्याएं करते हैं तो यह देश पर एक बदनुमा दाग है इसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें सरकार पर आरोप लगाकर अपने कर्त्तव्य से मुक्ति मिल गई। हमें सोचना चाहिए कि फूलन देवी जो एक रहस्य, एक कथा और एक इतिहास बन गई हैं जिससे पूरा देश जुड़ा हुआ है, उस कथा की व्यथा हमारे मन को भी पीड़ित कर रही हैं। राजनेता मन में नहीं, मेरे संत के मन में पीड़ा पैदा हुई है और फूलन देवी जी कभी-कभी अचानक मिलने पर बातचीत होती थी मुझे उनकी बदलती हुई जिंदगी देखकर, जिंदगी के प्रति बढ़ती हुई उनकी आस्था को देखकर और उनके अंदर बढ़ती हुई आध्यात्मिक सरलता को देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगता था। वह किसी रोग से पीड़ित थी और प्रतिदिन दवा लेने एनैक्सी जाती थी। हत्या के दिन उस समय उनके पास दिलेर जी बैठे हुए थे जब सांसद श्री रघुराज शाक्य पहुंचे थे और कहा था कि चलो हम आपको छोड़ आएं। दिलेर जी यहां बैठे हैं। उनसे वह उस समय भी अपनी शारीरिक पीड़ा की चर्चा कर रही थीं। ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम इस घटना को राजनीति से न जोड़ा जाये और इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया जाये कि वे कौन से विधायक हैं जो अपराधियों को संरक्षण देते हैं और वे कौन लोग हैं जो रुड़की में बैठकर उनकी मौत का तानाबाना बुनते हैं? वे कौन लोग हैं जो षडयंत्र करते हैं और किशोरवय के कुछ लोगों की हत्या के लिये प्रेरित करते हैं। कौन लोग हैं, जो सरल साधु मन की महिला के मन को जीतकर उसके साथ मृत्यु का खेल खेलते हैं? इन सवालों का जवाब आना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि माननीय गृह मंत्री जी इन सवालों का जवाब अवश्य देंगे।

श्रीमती कान्ति सिंह (बिक्रमगंज): उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से फूलन देवी जी की हत्या के सिलसिले में माननीय गृह मंत्री जी ने जो अपना वक्तव्य दिया है, मैं समझती हूं कि फूलन देवी जी की हत्या जिस नृशंस तरीके से की गई, जब सदन को इस बारे में जानकारी प्राप्त हुई, तो सारा सदन किंकर्त्तव्यविमूढ़ हो गया लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब हत्या डेढ़ बजे हुई और माननीय सोमनाथ चटर्जी आगरा शिखर वार्ता पर बोल रहे थे तो उस समय माननीय प्रियरंजन दासमुंशी जी ने आकर कहा कि अभी-अभी फूलन देवी जी की हत्या के बारे में उन्हें जानकारी मिली है।

यह सोचने की बात है और सबसे बड़ी विडम्बना है कि दिन के डेढ़ बजे हत्या हुई और हमारी सरकार की ओर से नहीं बल्कि एक सांसद की ओर से सदन में ढ़ाई बजे सूचना दी गई कि फूलन देवी का मर्डर हो गया है।

श्रीमती फूलन देवी का जीवन संघर्षमय रहा और छोटी सी उम्र में ही चुनाव तक पहुंच गई। मरने के समय तक वह संघर्ष करती रही और उनकी हत्या हो गई। मैं समझती हूं कि समय पर

[श्रीमती कान्ति सिंह]

सरकार द्वारा सूचना न देने पर उसकी सरकार की विफलता है। मैं लोगों द्वारा सुन रही थी कि उ.प्र. के मुख्य मंत्री का निवास बगल में है और जब मैं उधर से होकर गुजरी तो मालूम हुआ कि वह घर इतना नजदीक है कि वहां एक ही चारदीवारी है जहां पुलिस तैनात रहती है। उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं लगी कि कोई नकाबपोश किसी की हत्या के लिये तैयार बैठा हुआ है। यहां अपने वक्तव्य में माननीय गृह मंत्री जी ने बतलाया था कि 3-3 आदमी सादे वस्त्रों में सुरक्षा के लिये तैनात रहते हैं। मैं सरकार से जानना चाहती हूं कि सादे वस्त्रों वाले वे तीन सुरक्षाकर्मी वहां क्या कर रहे थे? इतनी गोलियां दागने के बाद, बगल में सुरक्षाकर्मियों ने दरवाजे पर आने का काम क्यों नहीं किया? क्या यह सरकार की विफलता नहीं है? कुछ माननीय सदस्य कहते हैं कि हत्या करने के लिये साजिश रची जाती है तो सरकार को आई.बी. के द्वारा जानकारी मिलती है कि किसी के साथ ऐसी घटना घटने वाली है। श्रीमती फूलन देवी ने गरीबों के लिये संघर्ष किया और इस सदन में उनके समर्थन में आवाजें उठाती रहीं। वह जो भी बात कहती थी, दिल की गहराई से बोलती थीं, क्योंकि उनके दिल में समाज के दबे-कुचले लोगों के लिये संवदेना थी। चूंकि वह ऐसे वातावरण को झेल चुकी थी इसलिये इतनी दूर तक पहुंची थी। न केवल यह सदन बल्कि देश की पूरी जनता भयभीत है कि अति सुरक्षित जगह पर एक सांसद की हत्या हो जाती है तो आम जनता की कौन सुरक्षा करेगा?

उपाध्यक्ष महोदय, 1996 में जब मैं इस सदन में थी, फूलन देवी को उस समय से जानती थी और उनके मन की पीड़ा, तकलीफ तथा उन सारी बातों से अवगत थी। जब उनसे बातचीत हुई थी तो वह कहती थीं कि उन्हें डर लगता है कि कहीं उनकी हत्या न हो जाये। जब मैंने उनकी हत्या होने की बात सुनी तो वाकई मेरी आंखें छलक गई। उनकी जो शंका थी उसे दरिंदों ने पूरा करके दिखा दिया। मैं सरकार से जानना चाहती हूं कि आई.बी. क्या करती है। देश के लोगों में जो असुरक्षा की भावना है और विशेषकर हम सांसदों के मन में है कि हम जब अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाते हैं तो वहां सुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि वहां जनता हमारे साथ होती है, लेकिन जब यहां दिल्ली आते हैं तो असुरक्षित महसूस करते हैं कि पता नहीं कौन और किस समय किसी व्यक्ति को उठा ले जायेगा? चुनाव में कई दुश्मन पैदा हो जाते हैं और ऐसी हालत में अगर हम लोगों की सुरक्षा सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगा?

उपाध्यक्ष महोदय: आप क्लैरिफिकेशन्स पूछिये, क्योंकि अभी बहुत से एम.पीज. बोलने वाले हैं।

श्रीमती कान्ति सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहती हूं कि जब श्रीमती फूलन देवी के बारे में ज्ञात था कि उनकी जिंदगी खतरे में पड़ी हुई है, तो उनकी सुरक्षा के क्या प्रबंध किये गये थे। हम जैसे आम सांसद लोगों की सुरक्षा के लिये क्या माननीय गृह मंत्री जी कोई उपाय करेंगे? या फिर से इसी तरह की घटना की पुनरावृत्ति हम लोगों के बीच में होने वाली है। इन्हीं बातों को कहते हुए मैं श्रीमती फूलन देवी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात समाप्त करती हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अपने एक सहयोगी एवं सदस्य के निधन पर अफसोस है, जिनके साथ पिछले कुछ महीनों के दौरान काम करने का अवसर मिला। वह महिला सशक्तीकरण समिति की सदस्य थीं। उन्होंने हमारे साथ यात्रा की। अगर कभी किसी ने उनसे बात की होगी तो उसे जरूर पता चला होगा कि उनके साथ क्या-क्या घटा था। जेल में अपने अनुभवों के बारे में वे अक्सर बात करती थीं, विशेषकर जब हमने हाल में जेलों का दौरा किया था। आज वह इस दुनिया में नहीं हैं। परम्परा को ध्यान में रखते हुए मैं भाषण नहीं देना चाहती। मैं मंत्री जी के वक्तव्य के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण चाहती हूं।

श्रीमती फूलन देवी ने महिला संघर्ष का नेतृत्व किया। उन्होंने उत्पीड़न और भेदभाव विशेष रूप से ग्रामीण भारत के कमजोर वर्गों के प्रति होने वाले शोषण के बावजूद उनके अधिकारों के लिये संघर्ष किया। हमारे लिये उन्होंने एक ऐसी महिला का प्रतिनिधित्व किया जिसके पास अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ लड़ने का ऐसा साहस था जिसके चलते उन्होंने कभी भी समर्पण नहीं किया बल्कि लड़ने का ही फैसला किया। चंबल के बीहड़ से संसद के गलियारे तक पहुंचने की यह लंबी यात्रा थी, लेकिन उन्होंने यह किया और देश के सर्वाधिक सुरक्षित क्षेत्र लुटियन दिल्ली में उनकी हत्या हुई।

मैं माननीय मंत्री जी से कुछ चीजों के बारे में पूछना चाहती हूं। अपने वक्तव्य में उन्होंने उनकी हत्या के बारे में बोलते हुए कहा कि वह आधुनिक भारत की सामाजिक वास्तविकताओं की एक झलक है। उनका ऐसा कहना इस बात को न्यायोजित सिद्ध करना था कि इस सामाजिक वास्तविकता के बारे में वह कुछ नहीं कर सकते और जिसे मानना ही है। मुझे इस बात का दु:ख है कि ऐसी दु:खद घटना के बारे में भारत के गृह मंत्री का वक्तव्य ऐसा था। इसके अलावा जो बात मेरे लिए अधिक आश्चर्यजनक है वह यह है कि इस गोलीबारी—गोलीबारी नहीं बल्कि हत्या में प्रयुक्त दो हथियार उनके अपने घर के गराज में मिले और पुन:

अंतिम संस्कार के दिन जब प्रधान मंत्री और श्रीमती सोनिया गांधी जिनको 'जेड' श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई हैं और अन्य नेतागण उन्हें श्रद्धांजलि देने उनके आवास जाने वाले थे तो गुप्तचर, सुरक्षा, जासूसी कुत्ते और पूरे परिसर की सुरक्षा जांच यह सुनिश्चित करने के लिए की गई कि पूरा क्षेत्र प्रधान मंत्री और अन्य लोगों के लिए सुरक्षित है। उन्होंने गराज, मकान और परिसर की सुरक्षा जांच की फिर भी उन्होंने अभी तक उन दोनों हथियारों का पता नहीं लगाया है जो गैराज में पड़े थे। और जिससे आग लगी थी। खोजी कुत्ते को धुएं को सूंघ का पहचान कर लेनी चाहिए थी। दिल्ली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था क्या कर रही थी। यहां भारत के प्रधान मंत्री घर का दौरा कर रहे थे। यहां उपस्थित प्रतिपक्ष के नेता और "जेड" और "वाई" श्रेणी सुरक्षा के अधीन सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति भी घर का दौरा कर रहे थे। सुरक्षा व्यवस्था ने गैराज में कपड़े में छिपे उन हथियारों का पता लगाने के लिए क्या किया?...*(व्यवधान)* इस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था और साधारण जागरूकता विद्यमान है। मैंने भी मामले को देखा है। गृह मंत्री जी आप सुरक्षा के लिए जो पीएसओ देते है उनके बारे में मैं आपको एक बात बता दूं जो आप सुरक्षा के लिए प्रदान करते हैं। उन्होंने न वो प्रशिक्षण लिया है और न तो उनके पास ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हथियार है। अधिकांशत: आप उन्हें थाने में नहीं रखना चाहते और इसलिए आप इन्हें वीआईपी सुरक्षा में भेज देते हैं। वे शारीरिक रूप से दुरूस्त नहीं हैं। वे पूर्णतया सुसज्जित नहीं हैं। मैंने एक बार श्री राजीव गांधी को इसके बारे में कहा है। मंत्री के रूप में मैंने हथियारों से लैस पीएसओ को कार में साथ बैठने से मना कर दिया। तब मुझे गृह मंत्री से एक पत्र मिला। मैंने कहा "वे सिर्फ हमारे शरीर को सुरक्षित ले जाने के लिए उपयुक्त हैं। मैं अपनी कार में एक भी सीट पीएसओ के लिए बर्बाद नहीं करूंगा।" मैंने मंत्री के रूप में यह सुविधा लेने से मना कर दिया। मेरे कार में हथियारों से लैस सुरक्षाकर्मी कभी नहीं रहा। मैंने आगे कहा सुरक्षा को खतरा है। वह कभी भी मेरी जान नहीं बचा पायेंगे। यह स्थिति है आपने इसकी जांच नहीं की है। कृपया उनको गोली चलाने अथवा किसी व्यक्ति पर लक्ष्य भेदने की क्षमता की भी जांच करें। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न पूछ रहा हूं।

आपने यह कहते हुए आंकड़े दिये हैं कि सुरक्षा पर करोड़ों रुपये खर्च किये जाते हैं और वीआईपी सुरक्षा पर अनेक लोगों को तैनात किया जाता है वास्तव में वीआईपी को सुरक्षा करने और आपातकालीन परिस्थितियों में कार्रवाई करने की उनकी योग्यता और क्षमता की कौन जांच करता है?

दूसरी बात, जिसे मैं कहना चाहता हूं और जिसे मेरे सहयोगी द्वारा भी उठाया गया है वह है उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के घर के बिल्कुल बगल में रहती थी। पुलिस गेट पर बंदूकों के साथ ड्यूटी पर उपस्थित थी। जब उन्होंने गेट पर गोलीबारी होते देखा तो उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई उन्होंने न तो उनका पीछा किया और न तो कोई गोलीबारी की विशेषकर ऐसे समय में जब एक सांसद को उनके गेट के बिल्कुल बगल में गोली मारी गई हो। वे लोग क्या कर रहे थे? क्या हत्यारे ने जो कुछ किया वे उसको जानबूझकर अनदेखा कर रहे थे। क्या वे इसके प्रति बिल्कुल उदासीन ते।

अंतत: मैं समझता हूं कि हम सभी को संसद सदस्यों के सरकारी निवासों, आउट हाउसों और गैराजों के दुरूपयोग के बारे में आत्म-मंथन करना होगा। मेरे पास नार्थ और साउथ एवेन्यु के मेरे कुछ महिला सहयोगियों की कुछ शिकायतें हैं कि नार्थ और साउथ एवेन्यू के गैराजों को रात्रि में अत्यंत घृणित कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। इन गैराजों को संसद सदस्यों को आवंटित किया गया है। वहां सब कुछ हो रहा है और महिलाओं ने शिकायत की है कि जब महिला संसद सदस्य अपने फ्लैटो में अकेली रह रही होती हैं तब उन्हें सांसदों के क्वार्टरों के गैराजों में आने-जाने वाले लोगों की जानकारी नहीं होती है। मैं समझता हूं कि हम सांसदों को इसके बारे में बहुत ही ईमानदार होना होगा ताकि हमारे गैराजों, हमारे घरों और हमारे आउट हाउसों का दुरूपयोग नहीं हो।

सांसद के घर में हत्या हुई थी और एक महिला मारी गई थी। बड़े-बड़े वक्तव्य दिये गए और जांच कराई गई। लेकिन अभी तक यह नहीं जान पाये कि यह किसने किया और यह कैसे हुआ तथा जिसे गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं और तब हम किसी और पर दोषारोपण करते हैं। मैं समझता हूं कि गृह मंत्री जी को हमें आश्वस्त करना चाहिए कि सांसदों को आवंटित घरों और क्षेत्रों में सभी प्रकार की गैर-कानूनी गतिविधियों की जांच कराई जाये और जो कुछ हो रहा है आसूचना ब्यूरो उसकी खोज-खबर रखे क्योंकि सभी सांसदों की सुरक्षा का सवाल है।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): उपाध्यक्ष जी, स्वर्गीय फूलन देवी की हत्या दिल्ली के अशोक रोड स्थित उनके निवास स्थान पर हुई और यह परंपरा है कि सदन में हम कंडोलेन्स करते हैं और बहुत से गंभीर सवालों पर चर्चा भी करते हैं। लेकिन फूलन देवी की हत्या कई सवाल छोड़कर गई है। हम इस पर भाषण नहीं करना चाहते, सिर्फ एक दो सवालों पर सरकार से जानना चाहेंगे कि सरकार की जो खुफिया एजेन्सियां होती हैं, खासकर गोपनीय बातों का पता लगाकर सरकार को देती हैं और उसी के आधार पर सरकार कार्रवाई करती है। फूलन देवी पर किसी तरह का खतरा था इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की

[श्री प्रभुनाथ सिंह]

खुफिया एजन्सियों ने कोई सूचना दी थी या नहीं। अगर कोई सूचना दी थी तो उस पर क्या कार्रवाई की गई?

उपाध्यक्ष जी, हम यह भी जानना चाहेंगे कि हम यह मानकर चलते हैं कि अपराधियों के हाथ जो फूलन देवी के गले तक पहुंच चुके थे, उससे यह नहीं मानना चाहिए कि उस हाथ की दूरी वहां तक ही सीमित थी। इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो बड़े से बड़े पद पर बैठने वाले लोगों का गला भी उन अपराधियों से बच नहीं पाएगा ऐसा हम महसूस करते हैं। खासकर जनप्रतिनिधियों को तरह-तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता तो होती ही है, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता भी होती है। इसके बाद सदन में सदस्य आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाते हैं, माफिया गिरोहों के खिलाफ आवाज उठाते हैं और वे ऐसा अपनी नैतिक जिम्मेदारी और कर्त्तव्य समझकर करते हैं। लेकिन हमारे ऐसा बोलने से जिनको परेशानी होती है, वे दुश्मन बन जाते हैं। फूलन देवी की जो हत्या हुई है, सारे लोग मानते थे कि दिल्ली बहुत सुरक्षित जगह है मगर उनकी हत्या जिस ढंग से की गई, उससे देश के अपराधियों के बीच में यह संदेश जाता है कि दिल्ली सबसे सुरक्षित स्थान है हत्या करने के लिए और उस मूल संदेश के विपरीत संदेश जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि इस संदेश को रोकने के लिए सरकार ने अब तक समीक्षा करके क्या कदम उठाया है जिससे अपराधियों के बीच में इस तरह का संदेश न जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, अपराधियों के बीच में जो इस तरह के संदेश गए हैं, वह ठीक नहीं हैं।

तीसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि वी.आई.पी., एम.पीज. या बड़े-बड़े लोगों की सुरक्षा की जो चर्चा चलती है, तो उस सुरक्षा की समीक्षा कौन करता है, क्या सरकारी मुलाजिम करते हैं या सरकार के स्तर पर मंत्री महोदय के यहां से होती है? एक ऐसा प्रकरण मेरी जानकारी में है जिसमें लोक सभा अध्यक्ष के यहां से लिखकर गया कि उनकी जान को खतरा है, उन्हें सुरक्षा दी जाए, लेकिन केन्द्र सरकार की तरफ से लिखकर आया कि उन्हें पंजाब में खतरा है, उन्हें उत्तर प्रदेश में खतरा है या उन्हें बिहार में खतरा है। में गृह मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अपराधियों के हाथों की लम्बाई को तय करने वाले वे कौन से व्यक्ति हैं और वी.आई.पी. या बड़े आदमी अथवा एम.पी. को खतरा कहां-कहां है, इसको तय करने और उसके अनुसार कार्रवाई करने वाला कौन व्यक्ति है? इसके साथ ही उपाध्यक्ष महोदय, मैं अंतिम सवाल यह जानना चाहता हूं कि फूलन देवी जी की हत्या के कारण जो लोग हैरान व परेशान हैं तथा जिनको अपनी जान का खतरा है, उन सभी के लिए तो मैं नहीं कहता हूं, लेकिन जो ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जिनकी जान को वाकई खतरा है, उनकी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और उनकी सुरक्षा के लिए सरकार क्या कार्रवाई कर रही है?

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): उपाध्यक्ष महोदय, इस पर हमने नोटिस दिया है।

उपाध्यक्ष महोदयः मुलायम सिंह यादव जी इस पर बड़े डिटेल में बोले हैं।

कुंवर अखिलेश सिंहः सर, इस पर हमारा भी स्थगन प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है। मैं भी बोलना चाहता हूं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमती फूलन देवी का जीवन और उनकी नृशंस हत्या, इस देश की व्यवस्था, समाज और तन्त्र के लिए एक करारी चुनौती है, इसलिए मैं इसको उसी दृष्टि से देखता हूं। श्रीमती फूलन देवी का संपूर्ण जीवन एक क्रांतिकारी उपन्यास की तरह है। उनका संपूर्ण जीवन उनके सतत संघर्ष की कहानी कहता है। वह एक बहादुर एवं वीरांगना थी। वे अनेक कठिनाइयों को पार करती हुई वहां पहुंची जहां उन्हें वीरांगना कहा जा सके। उन्होंने नारी सम्मान का इतिहास रचकर, नारी सम्मान को न केवल बढ़ाया वरन् उसकी रक्षा की। उनकी असमय नृशंस हत्या, हम सबसे सामने एक चुनौती बनकर खड़ी है। उनमें जैसी इच्छा शक्ति थी, यदि वैसी इच्छा शक्ति आज देश की महिलाओं में जागृत हो जाए, तो महिलाओं के ऊपर होने वाले अनेक अत्याचार और अपराध अपने आप रुक सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज श्रीमती फूलन देवी एवं उनकी जिस प्रकार से नृशंस तरीके से हत्या की गई, उसके ऊपर सदन में चर्चा हो रही है जिसमें कई बातें उभरकर सामने आई हैं। स्वामी चिन्मयानन्द जी ने बिलकुल साफ कहा कि श्रीमती फूलन देवी के बारे में बहुत सी बेतुकी बातें कही जाती हैं। फूलन देवी की यात्रा जो चम्बल घाटी से प्रारंभ हुई और संसद में आकर समाप्त हुई, वह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी चम्बल घाटी की यात्रा के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं, यह प्रश्न आज देश, समाज और पूरी व्यवस्था के सामने खड़ा है? इस प्रश्न का जवाब हमें ढूंढ़ना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, केवल यही एक सवाल नहीं है ऐसे अनगिनत ऐसे सवाल हैं, मैं उनमें नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन एक सवाल जरूर करना चाहता हूं कि जो अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है, जो उनकी इंटैलीजेंस की जाती है, उसका

जो एसैसमेंट किया जाता है, थ्रेट परसैप्शन का जो आकलन किया जाता है, उसे करने वाला कौन सा तन्त्र है, उस इंटैलीजेंस के कौन लोग हैं, खुफिया विभाग के लोग कौन हैं? प्रभुनाथ सिंह जी ने ठीक कहा था कि इसमें कौन सी कमी कहां पर है जिसके कारण उनको पता नहीं चला! फूलन देवी को थ्रेट परसैप्शन के बाद पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी गई, सुरक्षा में चूक थी, इस बात को मान लेना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, जो बात ध्रुव सत्य है, उसमें तर्क देने, लौजिक बताने से काम नहीं चल सकता है तर्क तो दिया जा सकता है कि उनकी सुरक्षा की जो श्रेणी थी उसके अनुरूप उन्हें सुरक्षा दी गई और तीन पिस्तौल वालों की सुरक्षा श्रेणी उनकी नहीं थी, यह कहा जा सकता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह चूक थी, इसको स्वीकार करना चाहिए। इसमें जबर्दस्ती लौजिक और तर्क देकर सरकार को बचाने और घेरने पर बहस नहीं होनी चाहिए। यह केवल राष्ट्रीय सवाल है और इस पर इसी दृष्टि से विचार होना चाहिए। जिस प्रकार से फूलन देवी की हत्या की गई, वह आश्चर्य का विषय है और हमारे समाज के लिए एक चुनौती है।

इस समाज के लिए सबसे बड़ी चुनौती यदि कोई है तो वह फूलन देवी जी की शुरू से लेकर अंत तक की जिन्दगी है। मैंने इसीलिए इस बात का जिक्र किया। इस सर्वोच्च सदन को हम सब लोगों की चुनौती को स्वीकार करना चाहिए और यह संकल्प लेना चाहिए कि इस देश में किसी दूसरी महिला को फूलन देवी जैसे यात्रा के रास्ते से न गुजरना पड़े। उनके प्रति सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी कि कोई नारी, कोई बहन इस रास्ते में न जा पाए, उसे हथियार उठाने के लिए मजबूर न होना पड़े। नारी सम्मान की रक्षा के लिए वह इस दूरी तक नहीं पहुंच पाए, यही सबसे बड़ा संकल्प आज सदन में होना चाहिए।

मैं, अतीत के बारे में एक लाइन कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। यह जुल्म आज ही नहीं हुआ।...*(व्यवधान)* सोमनाथ दादा, आप जब बोलते हैं तो हम बहुत ध्यान से सुनते हैं। अब जरा छोटी बुद्धि वाले लोगों की बात भी सुन लीजिए। हमारी बुद्धि छोटी है, आप बड़ी बुद्धि वाले हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप क्लैरीफिकेशन पूछिए, इतिहास में मत जाइए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: इतिहास अत्याचार से भरा हुआ है। इसमें बहुत से लोगों को आपत्ति होगी। आज पूरे देश में राम मंदिर की चर्चा है, कभी-कभी हनुमान मंदिर की भी चर्चा हो जाती है लेकिन जटायू के मंदिर की चर्चा नहीं है। जब सीता का अपहरण हुआ था तो जटायू ने अपनी पूरी ताकत से अत्याचारी रावण का विरोध किया था। उसका पंख कट कर नीचे गिर गया था। बड़े-बड़े सूरमा नीचे से देख रहे थे, कोई मुकाबला नहीं कर रहा था। क्या जटायु की शहादत की तरह फूलन देवी की भी शहादत होगी, यह मैं सरकार से जानना चाहता हूं? क्या इस शहादत को उसी रूप में देखा जाएगा? मैं यह सवाल छोड़ कर चला जाता हूं।

मैं अंतिम बात यह कहना चाहता हूं कि फूलन देवी की शहादत को आसानी से न लेकर सामाजिक विषमता के खिलाफ, नारी सम्मान के लिए फूलन देवी ने जो लड़ाई लड़ी, उसे बैंडिट क्वीन कहा गया, मेरा इस पर बहुत विरोध है। अंडर कम्पलशन या क्या सिचुएशन थी, यह परिस्थिति किसने पैदा की? क्या वह बैंक लूटती थी? क्या वह डाकू थी? सबसे बड़ी बीमारी यदि कोई है तो वह कॉस्ट सिस्टम है। पैरामीटर अलग-अलग हो जाते हैं, व्यक्ति टाइटल के आधार पर मैरिट देखता है। फूलन देवी एक बहादुर महिला की तरह रही। जटायू के बाद यदि कोई इतिहास है तो वह फूलन देवी का होना चाहिए। उन्होंने नारी सम्मान के लिए जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया।

गृह मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उसमें कहा है कि श्रीमती फूलन देवी की नृशंस हत्या ने एक बार फिर राजनीति के अपराधीकरण के उस नासूर को उजागर किया है, भारतीय लोकतंत्र को आहत किया है। मैं आपके इस बयान का स्वागत करता हूं इस पर कितना खरा उतरा जाए, इसके लिए आपके हाथ में ताकत है, शक्ति है, आप जरा लोकतंत्र को बचाइए। इस तरह की हत्याओं का सिलसिला बंद होना चाहिए। इस तरह का जुल्म और अत्याचार नहीं होना चाहिए। पूरे देश में यही मैसेज गया है। फूलन देवी की मौत के बाद, जो मिथ बना हुआ था कि दिल्ली में हत्या करके कोई अपराधी आसानी से नहीं निकल सकता, वह मिथ टूट गया है। गृह मंत्री जी, उस मिथ को पुनः स्थापित करने की जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

कुंवर अखिलेश सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, हमारा कार्य-स्थगन प्रस्ताव है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी.एच. पांडियन (तिरूनेलवेली): मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: प्रत्येक माननीय सदस्य एक प्रश्न पूछ सकते हैं।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: इनमें हमारा कार्य-स्थगन प्रस्ताव है। जब नियमों की बात की जाती तो कहा जाता है कि...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: 'काम रोको प्रस्ताव' पर बहस नहीं हो रही है। यह तो वक्तव्य पर क्लैरीफिकेशन्स पूछ रहे हैं। नियमों की बात मत करें। एक-एक सवाल को पूछने के लिए मैं चांस दूंगा।

[अनुवाद]

श्री पी.एच. पांडियन: मेरे दो स्पष्टीकरण हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: प्रत्येक माननीय सदस्य एक प्रश्न कर सकता है लेकिन एक से ज्यादा नहीं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे अन्य मामलों को भी लेना है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न के रूप में केवल एक स्पष्टीकरण की अनुमति है।

श्रीमती जस कौर मीणा (सवाई माधोपुर): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं श्रीमती फूलन देवी का व्यक्तित्व, जो शोषण के विरुद्ध सदैव लड़ता रहा और अन्याय के विरुद्ध लड़ता रहा, उस क्रान्तिकारी महिला के लिए, जिसने महिला समाज को एक संदेश दिया है कि वह अपने विरुद्ध होने वाले शोषण को, अपने ऊपर होने वाले अन्याय को स्वयं अपने बलबूते पर आगे संभाले और समाज में उसका जवाब दे। मेरा सवाल यह है, मैं जानना चाहती हूं कि 'जेहि आंचल दीपक जर्यो, हन्यो सो ताहि गात' यह राजस्थानी कहावत है कि जस आंचल में दीपक छिपा हुआ है, उसी दीपक ने उसका शरीर हनन कर लिया है। जिस समय हमारे सांसद भाई उसे अनेक्सी से लेकर गये, उस समय यदि वे सांसद भाई उन्हें घर के अन्दर उतारकर आते तो शायद उस बहन ही हत्या नहीं होती, वे बच जाती। दूसरा मैं प्रश्न करना चाहूंगी कि यदि कोई भी सांसद भाई किसी बहन को लिफ्ट देना चाहें तो लिफ्ट देते समय कम से कम उसकी सुरक्षा का ध्यान रखें। एक तरफ उसके परिवार वाले कहते हैं कि हम दिल्ली में उसकी अन्त्येष्टि करना चाहते हैं, लेकिन उदारवादी मन वाला समाजवादी परिवार उसको अपना परिवार मानता है तो उसके 12 दिन तो पूरे करके आता। ये 12 दिन भी पूरे करके नहीं आये और जब उसकी शोक सभा हुई तो उसके अन्दर कोई भी बड़ा आदमी नहीं पहुंचा। मेरी पार्टी के सभी व्यक्तित्व के धनी लोगों से इस बात पर मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या उसके 12 दिन तक भी पूरे क्यों नहीं किये और उसकी शोक सभा में उपस्थित होने में बाद में शर्म क्यों आई? मैं इस बात का दोनों का उत्तर चाहती हूं।...*(व्यवधान)*

श्रीमती कैलाशो देवी (कुरूक्षेत्र): उपाध्यक्ष महोदय, फूलन देवी हत्याकांड एक ऐसा जघन्य हत्याकांड है, उसकी जितनी भी कड़ी से कड़ी निन्दा की जाये, उतनी कम है। वी.वी.आई.पी. इलाके में एक सांसद की दिन-दहाड़े हत्या आम आदमी को भी सुरक्षा पर सोचने पर विवश करती है। वह एक दलित, शोषित और पीड़ित महिला थी और दलितों, पीड़ितों और शोषितों के बारे में आवाज हमेशा-हमेशा के लिए जिन हत्यारों के द्वारा शान्त कर दी गई, उन हत्यारों को पकड़ने में सरकार ने सक्रिय होकर जो कदम उठाये हैं....

उपाध्यक्ष महोदय: आपको एक सवाल पूछना है।

श्रीमती कैलाशो देवी: और सरकार ने जल्दी से जल्दी हत्यारों को पकड़ा है, लेकिन फिर भी मैं सदन से यह अपील करना चाहूंगी कि इस प्रकार से महिलाओं के साथ ज्यादती राजनीति में कोई आम बात नहीं है। पहले भी मायावती जी के साथ ऐसा हो चुका है, और भी असंख्य महिलाएं हैं, राजनीति पर पुरुष अपना एकाधिकार समझते हैं और महिलाओं को संघर्ष कर राजनीति में पहुंचने के लिए कड़ी से कड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार से फूलन देवी का घर से जंगल और जंगल से लेकर संसद तक का सफर अत्यन्त ही संघर्षपूर्ण रहा है और उन्होंने दलितों, पीड़ितों और शोषितों के लिए आवाज उठाने का जो जज्बा उनके अन्दर था, उसकी मैं कद्र करती हूं, लेकिन आगे से ऐसी जघन्य हत्याओं को रोका जा सके, इसके लिए वी.वी.आई.पी. महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा मुहैया करानी होगी, ताकि इस प्रकार की जघन्य हत्याकाण्ड की पुनरावृत्ति आगे से न हो।

मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूं।

श्री पी.एच. पांडियन: उपाध्यक्ष महोदय, सांसद की जघन्य हत्या ने हमारे सभी सांसद मित्रों की चेतना को झकझोर दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय: उन्होंने मात्र एक प्रश्न पूछा है आपको भी एक ही प्रश्न पूछना चाहिए।

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, प्रश्न पूछने के लिए मुझे इन बातों को अवश्य कहना होगा। इस राजनीति के अपराधीकरण के बारे में आम चर्चा करना अवांछित है। गृह राज्य मंत्री श्री विद्यासागर राव ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को

वी.वी.आई.पी. सुरक्षा सही रूप में प्रदान की गई है और घृणित गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली शहर में गश्त तेज कर दी गई है।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यदि इन गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जाता तो यह घटना नहीं होती। क्या इसके बाद कम से कम आप अन्य सांसदों को हमले से सुरक्षा प्रदान करेंगे?

मैं एक दूसरा प्रश्न पूछना चाहूंगा कि मैं गृह मंत्री जी से पूछ रहा हूं कि किसी व्यक्ति पर अपराध का दाग छूट सकता है। अपराधीकरण क्या है? विशेषकर इस मामले में आप अपराधीकरण की बात क्यों करते हैं? दो सांसदों ने कानून का उल्लंघन किया है। उन्होंने पुलिस कर्मियों के साथ हाथापाई की है। उन्हें गृह मंत्री जी द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई है। आप अलग-अलग तरह का बर्ताव क्यों कर रहे हैं?...*(व्यवधान)*

श्री सी.पी. राधाकृष्णन (कोयम्बटूर): उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी द्वारा दिये गए वक्तव्य से इसका क्या संबंध है?...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, क्या यह अपराध नहीं है? कानून का उल्लंघन करना अपराध है। जो कोई भी कानून का उल्लंघन करता है उसे अपराध माना जाता है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पांडियन, कृपया समाप्त करें।

श्री पी.एच. पांडियन: आपने श्रीमती फूलन देवी को सुरक्षा प्रदान नहीं की...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: ऐसा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा जो वक्तव्य से संबंधित न हो।

श्री पी.एच. पांडियन: आप संसद सदस्यों में अंतर क्यों कर रहे हैं?...*(व्यवधान)* क्या। यह अपराध नहीं है?...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पांडियन यह क्या है? मैं खड़ा हुआ हूं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पांडियन, आपको गृह मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य पर स्पष्टीकरण मांगना पड़ेगा।

...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन: जब आप अपराध की बात करते हैं तो आपको एक लक्ष्मण रेखा खींचनी चाहिए। अपराध का यह तत्व संसद में कब प्रयोग में आता है? यदि कार्यवाही के दौरान वह अपराध करता है तो आप क्या सुरक्षा प्रदान करेंगे। आप श्रीमती फूलन देवी के पूर्व के रिकार्ड की बात कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री सी. कुप्पुसामी (मद्रास उत्तर): महोदय, क्या आप उन्हें अनुमति दे रहे हैं?...*(व्यवधान)*

श्री सी.पी. राधाकृष्णन: महोदय, हम आपसे इन सभी बातों को कार्यवाही-वृत्तांत से निकालने का अनुरोध करते हैं। अन्यथा, हरेक किसी भी समय कोई भी मुद्दा उठा देगा।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राधाकृष्णन, कृपया मुझे इससे निपटने दें।

...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, क्या मुझे अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है? केवल उन्हें ही सुरक्षा क्यों मिलनी चाहिए? सभी संसद सदस्यों को सुरक्षा मिलनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री सी.पी. राधाकृष्णन: यह अलग है।...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, दो संसद सदस्यों को सुरक्षा प्राप्त है। तब आपको हरेक को सुरक्षा देनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पांडियन, कृपया स्थिति का फायदा न उठायें।

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से पूछ रहा हूं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यह बहुत गम्भीर मामला है। गृह मंत्री द्वारा एक वक्तव्य दिया गया है। आप उस वक्तव्य पर स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। आप अपनी दल के नेता हैं। कृपया अपनी टिप्पणियों को वक्तव्य तक सीमित रखें। कृपया भटकें नहीं।

...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन: कृपया इस संदर्भ में केवल श्रीमती फूलन देवी का नाम न लिया जाये।...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: यदि आपका कोई प्रश्न नहीं है तो मैं कुंवर अखिलेश सिंह को बुलाऊंगा।

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, मैं अपने प्रश्न का गृह मंत्री से उत्तर चाहता हूं। क्या आप उन संसद सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करेंगे जो अपराध करते हैं? कृपया आप मुझे बताइये।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पांडियन, आपने प्रश्न पूछा है और वे उत्तर देंगे।

अब, कुंवर अखिलेश सिंह।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमती फूलन देवी की 25 जुलाई को जिस नृशंसतापूर्वक हत्या की गई, उससे पूरा देश ही नहीं, विश्व स्तब्ध है। अभी सदन में यह बात कही गई है कि फूलन देवी के अंदर इधर धार्मिक आस्था पनपी थी। मैं इस बात का विरोध करता हूं। स्वर्गीय फूलन देवी जब पहली बार मिर्जापुर से संसद सदस्य बनी थीं तो सबसे पहले वे बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए बनारस गई थीं। जिन्होंने समाचार-पत्रों में यह नहीं पढ़ा हो, वे कृपया पढ़ लें। वह शुरू से ही धार्मिक आस्था वाली थीं। उपाध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से यह भी जानना चाहते हैं...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, मैं उत्तेजित हो रहा हूं। जब दो संसद सदस्यों को ऐसी सुरक्षा दी गई है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: श्री कुप्पुसामी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। क्या मुझे आपको तमिल में समझाना होगा?

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कुंवर अखिलेश सिंह के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: कुंवर अखिलेश सिंह के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने आपको बताया कि कुंवर अखिलेश सिंह के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या माननीय गृह मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि फूलन देवी की हत्या...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: आपको एक प्रश्न पूछना है। मैं माननीय मंत्री को जवाब देने के लिए कह रहा हूं।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: जब फूलन देवी ने उत्तर प्रदेश सरकार से अपनी सुरक्षा के लिए हथियार मांगे थे तो उनकी सुरक्षा के लिए हथियार के लाइसेंस किस मानक के आधार पर नहीं दिये गये थे? मेरी सूचना के मुताबिक जो मानक बनाया गया था, उसमें फूलन देवी जी से यह कहा गया था कि चूंकि आपके खिलाफ न्यायालय में मामला चल रहा है, इसलिए आपको हथियार का लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। क्या माननीय गृह मंत्री जी कृपा करके यह बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे लोगों को लाइसेंस दिया गया था जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमें आज भी न्यायालय में चल रहे हैं और वे किन दलों से संबंधित हैं? उन्हें किन मंत्रियों का संरक्षण प्राप्त है और दूसरा प्रश्न है कि फूलन देवी के हत्यारे जिस रवीन्द्र को सहारनपुर में पकड़ा गया है, उस रवीन्द्र का बड़ा भाई धर्मपाल और कमल राठी ट्रैक्टर्स और राठी पोल्ट्री फार्म्स के मालिक के साथ जो काम करते हैं, वे पोल्ट्री फार्म्स और ट्रैक्टर्स के मालिक किस दल के हैं और वे किस दल के विधायक के दोस्त हैं और क्या उक्त दल के विधायक ने उत्तर प्रदेश के प्रभावशाली व्यक्ति के लिए अपनी सीट खाली करने के लिए नहीं कहा था?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब, माननीय गृह मंत्री।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी, वे भी एक प्रश्न पूछना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री छत्रपाल सिंह (बुलन्दशहर): आज मीडिया में छपा है कि पुलिस सपा के विधायक के नजदीक पहुंचने वाली थी कि डरकर सपा विधायक ने उनको सरेंडर करा दिया। मैं आडवाणी जी से उस सपा विधायक का नाम पूछना चाहूंगा।...*(व्यवधान)* मेरा दूसरा सवाल है...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: उपाध्यक्ष जी, अभी-अभी जो अखिलेश ने बताया है, उसका उत्तर आना चाहिए कि जिस विधायक ने अपनी विधान सभा सीट उस महत्वपूर्ण व्यक्ति के लिए छोड़ने की ऑफर की थी...*(व्यवधान)* वे दोनों भाई किसके संबंधी हैं, वह किस पार्टी का नेता है?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मुलायम सिंह यादव, वे एक प्रश्न पूछ रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: उनके भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: उनके अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री छत्रपाल सिंह: सपा के किस सांसद ने पार्लियामेंट के अहाते से राजवीर को सम्पर्क किया था...*(व्यवधान)* और उसने कहा था कि काम हो गया है, उस सपा के सांसद का भी नाम आना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब, मैंने आपको अपनी बात समाप्त करने के लिए कहा है।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सी. कुप्पुसामी: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री जी से प्रश्न पूछने का मौका चाहता हूं। मैं एक स्पष्टीकरण मांगना चाहता हूं।...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: यह क्या है?

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब, यह मंत्री जी से संबंधित नहीं है।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे?

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: इसके बाद तमिलनाडु के किसी भी सदस्य को इस सभा में बोलने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, कृपया व्यवस्था बनाए रखें।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पांडियन, कृपया अपने सदस्यों से उचित आचरण करने के लिए कहें।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): उपाध्यक्ष मदोदय, मेरा एक ही सवाल है। आज से आठ दिन पहले श्रीमती फूलन देवी की हत्या 25 जुलाई को दिल्ली में हुई। मैं माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस हत्या के बाद बाकी सांसदों को सुरक्षा प्रदान करने के लिये क्या इन्तजाम किये गये हैं?

उपाध्यक्ष महोदय, हमने मांग की थी यदि सरकार सांसदों को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती तो माननीय गृह मंत्री जी को त्याग-पत्र

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री रामदास आठवले]

दे देना चाहिए मगर वे त्याग-पत्र नहीं दे रहे हैं। हमने माननीय वाजपेयी जी से त्याग-पत्र की मांग नहीं की तो वे त्याग-पत्र देने की बात कर रहे हैं....*

उपाध्यक्ष महोदय: यह सवाल कहां पैदा होता है?

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर): उपाध्यक्ष महोदय, यह रेलेवेंट क्वश्चन नहीं है, इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

[अनुवाद]

श्री सी.पी. राधाकृष्णन: महोदय, उन्होंने अभी जो भी कहा है आपको कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल देना चाहिए। सभा इस समय केवल माननीय गृह मंत्री जी द्वारा दिए गए वक्तव्य पर चर्चा कर रही...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: उनका प्रश्न सुसंगत नहीं है इसलिए मैं इसे हटाता हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): उपाध्यक्ष महोदय, सामान्यत: सरकार की ओर से इस सदन में जब कोई वक्तव्य होता है तो नियमों के अनुसार उस वक्तव्य पर कोई स्पष्टीकरण नहीं पूछा जाता। दूसरे सदन में दूसरी परम्परा है लेकिन इस बार जब इस विषय पर वक्तव्य देने की बात स्वीकार हुई तो अध्यक्ष जी ने सभी नेताओं की इच्छा का आदर करते हुए कहा था कि इस बार इसमें अपवाद करेंगे और स्पष्टीकरण का अवसर देंगे।

अपराह्न 4.00 बजे

लेकिन चूंकि विषय सदन की सदस्या की हत्या का है, इसीलिए इस सदन में अब से नई परम्परा शुरू हुई है कि अगर किसी का देहान्त होता है और फिर कोई ओबिचुएरी रेफरेन्स होता है तो पिछले दिनों यह तय हुआ कि केवल स्पीकर साहब की ओर से ही बोला जायेगा और बाकी सदस्य नहीं बोलेंगे। इसीलिए आज स्पष्टीकरण न होकर जिन-जिन सदस्यों को बोलने का अवसर मिला, उन्होंने इसे एक श्रद्धांजलि का अवसर मानकर उस सदस्य का स्मरण किया, उसके जीवन का स्मरण किया। जिस जीवन के बारे में मैंने अपने वक्तव्य में कहा कि जो आज की सामाजिक वास्तविकता है, वह उसका प्रकटीकरण करता है। एक पिछड़े हुए गरीब घर में जन्म लेने वाली लड़की को किस प्रकार के कष्ट सहन करने पड़ते हैं, कितनी तकलीफें सहनी पड़ती हैं, जिसके कारण उनके जीवन में ऐसी विकृतियां आ जाती हैं कि उन पर दुनिया भर के आरोप लग जाते हैं। इस बात पर किसी को भी संदेह नहीं है कि वह दो बार सदन की सदस्या रही हैं और वह जिनके भी सम्पर्क में आई होंगी उन्हें इस बात की अनुभूति हुई होगी कि यह एक ऐसी महिला है कि जिसके बारे में चाहे दुनिया भर के शब्द कहे गये हों जिनके कारण उनकी एक छवि बनी हो, लेकिन उनकी वास्तविकता बिलकुल दूसरी है और उस वास्तविकता में एक तथ्य जरूर है कि वह अपने भूतकाल से ऊपर उठना चाहती थीं। जो हो गया सो हो गया, अब जीवन में अवसर मिला है, संसद सदस्या बनी हूं उसके कारण अपने क्षेत्र, अपनी जनता की जितनी सेवा कर सकूं, करूं। अपने व्यक्तिगत जीवन में जितना परिवर्तन ला सकूं, लाऊं। ऐसी महिला के प्रति स्वाभाविक रूप से जो-जो भी वक्ता यहां बोले, वे अपने-अपने ढंग से बोले। चाहे चन्द्रशेखर जी बोले हों, श्री मुलायम सिंह जी बोले हों, श्री शिवराज जी बोलें हो या स्वामी चिन्मयानन्द जी बोले हों। उन्होंने जिन-जिन शब्दों का उपयोग किया, वे सर्वोचित हैं, उपयुक्त हैं। अगर किसी को आपत्ति हुई तो यह हुई कि उनके नाम पर इस प्रकार की फिल्में क्यों बनीं थी, इस प्रकार की पुस्तकें क्यों छपीं, वह भी स्वाभाविक है, उचित है।

उपाध्यक्ष महोदय, श्री शिवराज जी ने एक बात कही कि इसमें इन्टेलीजेन्स विभाग का फेल्योर लगता है और उसी संदर्भ में उन्होंने महात्मा गांधी, श्रीमती गांधी, श्री राजीव गांधी की हत्याओं का उल्लेख करके कहा कि उनमें इन्टेलीजेन्स का फेल्योर हुआ। इसी कारण वे हत्याएं हुईं। यह एक प्रकार से सही है। अगर हमारा इन्टेलीजेन्स विभाग ऐसा होता कि सौ करोड़ के देश में जो भी अपराध करने वाला हो, उस अपराध की जानकारी पहले प्राप्त कर सकता होता तो यह कोई हत्या न हुई होती। इसलिए मैं मानता हूं कि इस केस में कम से कम जो बातें स्वामी जी ने कहीं, वे ज्यादा सही हैं कि अगर विश्वासघात होता है तो फिर आप चाहें जितनी सुरक्षा रख लें, जिस व्यक्ति को परिवार में, मकान में पहुंचने की एक्सैस मिल गई है, चालाकी से चतुराई से जिसने विश्वास प्राप्त कर लिया है, उससे बचना बड़ा मुश्किल है। फिर आप चाहे जितनी सिक्युरिटी लगा लें। उनके पास तीन सिक्युरिटी गार्ड्स थे, यदि 10-15 भी होते तो भी क्या होता, जिस व्यक्ति को अंदर पहुंचने की एक्सैस मिल गई हो, उसके बारे में क्या कहा जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां किसी ने ध्यान दिलाया कि उनके गैरेज में दो हथियार पड़े रहे। जिस समय देश के प्रधान मंत्री और

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

विपक्ष की नेता वहां गईं, उस समय भी हथियार वहीं पड़े रहे। यह सही है, मैंने पूछा था कि यह हथियार कब मिले तो मुझे बताया गया कि यह 30 तारीख को मिले। चूंकि वह गैराज अन्दर से बंद था, जिस समय हत्या हुई। उनके पास कुछ अच्छे रिवाल्वर थे, जो वे साथ ले गये या कुछ कार में से निकले थे। लेकिन दो हथियार कट्टे थे, कंट्री मेड एम्यूनीशन थे। लेकिन 30 तारीख को उस गैरेज में से मिले जबकि घरवालों ने बताया कि ये वहां पर हैं।

इस प्रकार की यह घटना प्रमुख रूप से सुरक्षा के अभाव के कारण नहीं हुई जितना कि हत्यारे द्वारा चालाकी करके, चतुराई करके, अपने विक्टिम का विश्वास प्राप्त करके घर में प्रवेश प्राप्त करने के कारण हुई।

जितने सवाल पूछे गए हैं कि फलां किस पार्टी का था, फलां सांसद किसका था और किसका एमएलए था, अभी तक जितनी जानकारी मिली है और जितनी जांच हुई है, उस जांच के आधार पर पुलिस को नहीं लगता कि यह हत्या कोई राजनीतिक कारणों से प्रेरित है। और इसीलिए मैं समझता हूं कि यह उपयुक्त नहीं होगा कि इसको किसी भी पार्टी के दृष्टिकोण से देखें। अगर मैंने अपराधीकरण की बात इसमें कही है तो उस अपराधीकरण का संदर्भ इस बात से है कि अब तक जिसको प्रमुख सस्पेक्ट माना जा सकता है जो पहले दिन ही साफ हो गया था कि प्रमुख सस्पैक्ट शेर सिंह राणा है जिसका जिक्र मैंने अपने वक्तव्य में भी किया है, उसने अलग-अलग स्टेजेज पर दो बयान दिये हैं। एक बार बयान दिया कि बहमई के हत्याकांड का बदला लेना था इसलिए मैंने ऐसा किया, दूसरी बार उन्होंने यह भी बयान पुलिस को दिया कि मुझे लगता था कि यह तरीका ऐसा है कि जिस तरीके को अपनाकर मैं बड़ा नेता बन सकता हूं, मैं पॉपुलर हो सकता हूं और पॉपुलर होकर किसी दिन संसद में पहुंच सकता हूं और बड़ा नेता हो सकता हूं। मैं मानता हूं कि राजनीति के अपराधीकरण का सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह है कि अपराधी सोचे कि मैं आज अपराध नहीं करता हूं, अपराध करूं तो हो सकता है कि मैं कल राजनेता बना जाऊंगा और इसी कारण मैंने उसका जिक्र किया।

वोहरा कमेटी का सवाल पूछा था सोमनाथ जी ने। वोहरा कमेटी की रिपोर्ट मैंने फिर से देखी है। वोहरा कमेटी की रिपोर्ट के बाद गृह सचिव की अध्यक्षता में एक मीटिंग रेगलुरली होती है और अभी जनवरी, फरवरी में भी हुई थी, लेकिन मायावती जी ने जो बात कही वह सबसे अधिक सही है और मुलायम सिंह जी ने जो बात कही, उससे भी मैं सहमत हूं कि यह अपराधीकरण का मामला ऐसा नहीं है कि जिसको कानून द्वारा हम रोक सकें। यह कानून द्वारा रोका नहीं जा सकता और खासकर हिन्दुस्तान में जो अदालती व्यवस्था है, उसी कानून-व्यवस्था में अगर हम ऐसा कानून बनाएंगे तो उस कानून का उपयोग चाहे जिसके खिलाफ हो जाएगा और वह नहीं होना चाहिए। हां, अगर राजनीतिक दल स्वयं इस संकट को पहचानकर और इस विकृति को पहचानकर स्वयं अपने-अपने बारे में निर्णय करें, आज शायद की होई राजनीतिक दल होगा जो दूसरे पर अंगुली उठाएगा तो उसको यह नहीं कहा जाएगा कि कांच के मकान में बैठक दूसरों पर पत्थर मत फेंको। शायद ही कोई दल होगा। आखिर मुलायम सिंह जी ने दुनिया भर के उदाहरण दिये, मैं भी उदाहरण देना शुरू कर सकता हूं, किसी के बारे में भी दे सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि यदि कोई कमी है तो उसमें हम सब भागीदार हैं। कोई विरला ही बचा होगा जो अच्छी बात है लेकिन आज के अवसर पर इस बात को हम पहचानें।

सुरक्षा की दृष्टि से शिवराज जी से मैं सहमत हूं कि इस बारे में संकोच नहीं होना चाहिए कि करोड़ रुपये खर्च होते हैं। करोड़ों रुपये खर्च होने के बाद भी हम प्रधान मंत्री के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए और बहुत व्यवस्था करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि चाहे असुरक्षा का भाव देश भर में फैला हुआ हो, कई बातों के कारण, जिसमें हमारे पड़ोसी देशों द्वारा जो लगातार प्राक्सी वार चलाया जा रहा है, हमारे देश के खिलाफ, वह एक बड़ा कारण हैं और साथ-साथ देश के अंदर जो अपराध की प्रवृत्ति बढ़ी है, माफिया गैंग्ज बढ़े हैं, ये सारे कारण होने के कारण असुरक्षा का भाव सभी को व्याप्त करता है लेकिन चन्द्रशेखर जी ने सही बात कही कि अगर किसी को दिखाई देता है कि नई दिल्ली में संसद के सत्र चलते हुए संसद की एक सदस्या की अपने निवास के सामने हत्या हो जाती है तो उसके कारण असुरक्षा का भाव फैलता है। उसको कोई जस्टीफाई नहीं कर सकेगा और इसीलिए सरकार इसको कोई गंभीरता के साथ नहीं लेती है, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद से लेकर लगातार मैं बात करता रहा हूं, चर्चा करता रहा हूं, यहां तक कहता रहा हूं कि चाहे मैंने पहले कहा हो कि बहुत सारे सो-कॉल्ड वी.आई.पीज. स्टेटस सिम्बल के नाते सुरक्षा लेते हैं और इसीलिए स्टेटस सिम्बल के नाते सुरक्षा लेने वालों पर इनएक्ट मत करो, तो भी कितनी सांसदों ने, किन-किन सदस्य ने सुरक्षा मांगी है, इसका पता मुझे दो, मैं उसको एग्जामिन कराऊंगा, लेकिन मैं इतना निवेदन आपसे करूंगा कि निर्णय मैं नहीं करता। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा): यह पूछने का प्रश्न नहीं है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं केवल आपको यह बता रहा हूं कि एक प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

उस प्रोसेस में दो समितियां बनी हुई हैं और केवल आई.बी. नहीं, इंटैलीजेंस ब्यूरो के प्रतिनिधि होते हैं, शासन के कुछ अधिकारी होते हैं, पुलिस से भी कुछ अधिकारी होते हैं और वे सब मिलकर एक-एक केस एग्जामिन करते हैं और केवल वे केसेस नहीं हैं जिनकी ओर से एप्लीकेशन आती है, जिन्होंने सुरक्षा मांगी है, सब प्रकार के केसेस होते हैं और उन सबको देखकर निर्णय किया जाता है।

प्रभुनाथ सिंह जी, और देवेन्द्र प्रसाद यादव जी ने मेरा ध्यान इस बात की ओर दिलाया है कि जो उनकी सिक्योरिटी थी, उसको डाउनग्रेड किया गया है और जो उनका सुरक्षा गार्ड था, उसकी भी उनके क्षेत्र में कुछ दिन पहले ही हत्या की गई थी। इस प्रकार की जानकारी के आधार पर कुल मिलाकर जितने इन-पुट्स हैं, उनके आधार पर जो सुरक्षा के प्रबन्ध देखने वाले अधिकारी हैं, उनको हिदायत दी गई है कि वे इन तथ्यों के ऊपर भी ध्यान देकर कुछ करें।

उपाध्यक्ष महोदय, नई दिल्ली क्षेत्र में और जो वी.आई.पी. क्षेत्र माना जाता है, उसमें यदि कोई हत्या होती है, तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता है। मैं इस बात को मानूंगा कि 44, अशोक रोड पर इस प्रकार की दुर्घटना हो जाए, तो उससे ज्यादा असर होगा, यह बात प्रकट है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। इन सब बातों को ध्यान में रखकर, आपने जो सारी बातें कही हैं, मैं इतना ही विश्वास दिला सकता हूं कि इस मामले को सरकार गंभीरतापूर्वक ले रही है। जो आवश्यक कार्रवाई करना जरूरी है, वह करेंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खुजराहो): पुलिस की क्या उपलब्धियां रहीं?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: उपाध्यक्ष महोदय, यहां अभी कहा गया, मुलायम सिंह जी ने कहा और अखिलेश जी ने बताया कि उन्होंने यू.पी. की सरकार से लाइसेंस मांगा था। मैंने पता लगाया है, उन्होंने 1997 में आर्म्स लाइसेंस उत्तर प्रदेश की सरकार से मांगा था। उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन्हें लाइसेंस नहीं दिया। यह बात सही है।...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह: उन्होंने अभी भी मांगा था, इस सरकार से भी मांगा था, आप पता लगा लीजिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं पता लगवा लूंगा।

कुल मिलाकर मैं इतना ही कह सकता हूं कि इस बात का थोड़ा सा समाधान है, ज्यादा नहीं, चार लोग, जो इस कुकृत्य में शामिल थे, वे चारों पकड़े गए, और अब कहते हैं कि पांचवां भी है, मैं नहीं जानता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया उन्होंने स्वयं पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: हमें पुलिस की उपलब्धियों का कम नहीं मानना चाहिए।

[हिन्दी]

मैं आपको बता सकता हूं कि यदि केवल सरेंडर ही करना था, तो यहां पर भी कर सकते थे। मैंने उसका विवरण अपने स्टेटमेंट में दिया है कि किस प्रकार से पुलिस ने तुरन्त कार्रवाई की और कार्रवाई करने के दौरान धीरे-धीरे ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि उनको लगा कि जाकर सरेंडर करना पड़ेगा, उन्होंने किया, ठीक है। उसके बाद तीन-चार दिन और लगे, मैं इस मामले को गंभीरतापूर्वक लेता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि सुरक्षा के मामले में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी।...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर (अकोला): सभापति महोदया, मैं गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उस दिन अखबार में न्यूज थी कि जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन वे चारों पुलिस थाने में थे, इस पर भी वे कुछ प्रकाश डालें?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया उन्हें अपना भाषण पूरा करने दें।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: वह तो जेल में था। वह भी तथ्य है। आगे की व्यवस्था कैसे की गई है, उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि उसका आगे की इन्वैस्टीगेशन से संबंध है। इसीलिए मैं उसके तथ्य नहीं रख रहा हूं। मैं इतना जरूर कहता हूं कि पिछले दिनों कई सारे बम विस्फोट दिल्ली में भी हुए हैं। कुछ ट्रेनों में हुए। कल केन्द्रीय एजैन्सी, दिल्ली की

पुलिस, आंध्र की पुलिस, महाराष्ट्र की पुलिस, जम्मू कश्मीर की पुलिस, इन लोगों के कोआर्डिनेट ऐफर्ट से एक बहुत बड़े टैरोरिस्ट्स आउटफिट्स को पकड़ा गया। 23 लोग अलग-अलग स्थानों पर गिरफ्तार किए गए और उनके पास बहुत सारे बारूद और हथियार पाए गए। उसके द्वारा बहुत सारे बम विस्फोट करने वाले लोग पकड़े गए हैं, यह खुशी की बात है। इसलिए पुलिस की ओर से, अपनी ओर से पूरी कोशिश है कि ठीक प्रकार की व्यवस्था हो। गुप्तचर विभाग को और चुस्त-दुरूस्त करने के लिए सरकार लगातार लगी हुई है, उस पर विचार-विमर्श हुआ है।

[अनुवाद]

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: महोदय, मुझे एक अनुरोध करना है। जब आप सुरक्षा का स्तर कम करते हैं अथवा जब आप सुरक्षा वापस लेते हैं तो हमने देखा है कि उन लोगों की सूची, जिनकी सुरक्षा का स्तर कम किया गया है, प्रेस को जारी कर दी जाती है। मैं समझती हूं कि यह खतरनाक है।

[हिन्दी]

आप सिक्यूरिटी कम करिए, विदड्रा करिए। लेकिन आप पूरी दुनिया को बताते हैं कि उनकी 'जैड' की सिक्यूरिटी 'वाई' की गई, वह सिक्यूरिटी कम कर दी गई। इससे बहुत नुकसान हो रहा है।

[अनुवाद]

कृपया सबको यह न बतायें कि हमने सुरक्षा कम कर दी है अथवा वापस ले ली है। संबंधित व्यक्ति को ही यह पता चले। हरेक को इसके बारे में क्या बताया जाये?

[हिन्दी]

इसकी सुरक्षा कम की है, उसकी सुरक्षा कम की है, उसकी सुरक्षा विदड्रा की है।

[अनुवाद]

यह बहुत गलत है परन्तु यह हो रहा है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: यह बहुत मौलिक बात है जो आपने अब कही है। मझे विश्वास है कि सरकार का कोई भी व्यक्ति कभी भी यह घोषणा नहीं करता कि इन-इन को सुरक्षा प्रदान की गई है...*(व्यवधान)*

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: मैं समाचार-पत्रों की कतरने भेज सकती हूं...*(व्यवधान)* मैं समाचार-पत्रों की करतने भेजूंगी ...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: कोई सरकारी अधिकारी अगर इस प्रकार की सुरक्षा की सूचना बाहर देता है तो मैं उसके लिए उसको दंडित करूंगा। यह सवाल ही नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा नियम 377 के अधीन मामलों पर विचार करेगी।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, आज नेताओं की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि 'आगरा में भारत और पाकिस्तान के बीच हाल की शिखर स्तरीय वार्ता' पर आज चर्चा की जाएगी और आज सम्पन्न की जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय: इसलिए नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा हुआ माना जाए।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 4.18 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

(एक) झारखण्ड में जल छाजन परियोजना की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

प्रो. दुखा भगत (लोहरदगा): झारखंड प्रदेश में जल छाजन कार्यक्रम चलता है, वह काफी अच्छा है। इस तरह से नीचे जा रहे जल स्तर को रोकने में सहायता मिलेगी एवं झारखंड प्रदेश के अदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा मिलेगी। मुख्य समस्या यह है कि इस कार्यक्रम को सही ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है जिसकी वजह से इस कार्यक्रम का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। मैं यह बताना चाहूंगा कि झारखंड प्रदेश एक पठारी क्षेत्र है जहां पर जल छाजन से ही सिंचाई हो सकती है और बरसात का पानी बेकार में चला जाता है। सिंचाई के अभाव में झारखंड प्रदेश का जन-जीवन, खेती-बाड़ी एवं पेड़-पौधों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। बरसात का पानी जो बेकार चला जाता है उसको इस कार्यक्रम से उपयोग में लाया जा सकता है।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस योजना की समीक्षा की जाये और इस योजना के समुचित क्रियान्वयन हेतु कारगर कदम उठाये जायें।

---

*सभा पटल पर रखे माने गए।

(दो) नेपाल से भारत में आने वाले वाहनों पर कर लगाए जाने की आवश्यकता

डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल (बेतिया): मेरा संसदीय क्षेत्र बेतिया भारत एवं नेपाल की सीमा पर स्थित है। इस क्षेत्र के मार्ग से नेपाल और भारत में वाहनों का आना-जाना है जब कोई निजी वाहन नेपाल से आता है चाहे किसी प्रयोजन से आये उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है परंतु भारत से कोई निजी वाहन नेपाल की ओर जाता है तो नेपाल सरकार भारतीय वाहनों से 400 रुपये नेपाल मुद्रा चार्ज करती है। मेरी जानकारी में आया है कि यह प्रावधान भारत-नेपाल मैत्री संघ के अधीन हुआ है। इस व्यवस्था से भारतीय नागरिकों में काफी रोष है।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि भारतीय नागरिकों से जिस प्रकार से निजी वाहनों से नेपाल की सीमा पर जाने के लिए टैक्स लिया जाता है उसी तरह से भारत में आने वाले वाहनों से टैक्स लिया जाये।

(तीन) उत्तरी गुजरात में फसल बीमा योजना को कारगर ढंग से लागू किए जाने की आवश्यकता

श्री हरिभाई चौधरी (बनासकांठा): सदन के माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि उत्तरी गुजरात में हर साल अकाल पड़ता है। अकाल से राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने फसल बीमा योजना का एक प्रावधान कर रखा है, किन्तु इस योजना से किसानों को फायदा नहीं पहुंच रहा है। बाजरा, गेज, पेडी जैसी फसलों के लिए जो दावे हुए हैं उनका भुगतान समय पर नहीं होता है और बहुत से लोगों को भुगतान नहीं हुआ है। इस संबंध में हमने सरकार को कई पत्र लिखे, परंतु उनका संतोषजनक जवाब नहीं आता है। जो बातें हम कहते हैं और पूछना चाहते हैं उनका जवाब नहीं दिया जाता है। तीन सालों से अकाल बराबर आता है, परंतु किसानों को उनकी फसल की बीमा योजना का फायदा समय पर नहीं मिलता है और भोले-भाले किसानों को कई सरकारी औपचारिकताओं में फंसना पड़ता है।

सदन के माध्यम से अनुरोध है कि हम तथ्यों की जांच करवायें और दोषी अधिकारियों को दंडित करें जो इन कार्यों में लापरवाही और अनावश्यक देरी करती है, साथ ही फसल बीमा योजन को और कारगर बनाया जाये।

(चार) गुजरात के मांडवी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बोराखेड़ी में नवोदय विद्यालय में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री मानसिंह पटेल (मांडवी): मेरे संसदीय क्षेत्र मांडवी के ताल्लुका व्यारा के बोराखड़ी में केन्द्र संचालित नवोदय विद्यालय है। इस विद्यालय में स्टाफ की अत्यंत कमी है, जिसके कारण यहां के पठन-पाठन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। छात्र आवास और अध्ययन कक्ष की व्यवस्था बिल्कुल खराब है और इस विद्यालय में प्राथमिक सुविधा का भी अभाव है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उक्त विद्यालय में आवश्यक स्टाफ की नियुक्ति की जाये और छात्र आवास, अध्ययन कक्ष को सुधारा जाये और प्राथमिक सुविधाओं को तत्काल उपलब्ध करवाया जाये।

(पांच) बिहार के औरंगाबाद जिले में नवीनगर ताप विद्युत गृह का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): बिहार राज्य के औरंगाबादा जिले में नवीनगर थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना हेतु सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया गया, पर्यावरण क्लीयरेंस हुआ और राज्य सरकार अपने हिस्से की धनराशि भी उपलब्ध कराना चाहती है। यह क्षेत्र उग्रवाद प्रभावित होने के कारण विकास की दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र है। इन सारी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में हमने कई बार लोक सभा में मामला उठाया, व्यक्तिगत साक्षात्कार एवं पत्र के माध्यम से विद्युत मंत्री जी, ऊर्जा सचिव से भी मामले पर चर्चा की, परंतु करीब पांच वर्षों में आज तक सरकार द्वारा समुचित कार्रवाई न की गई है। इस क्षेत्र के लोग आज भी लालटेन युग में जीवनयापन कर रहे हैं।

अतः सरकार से अनुरोध है कि नवीनगर थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना हेतु शीघ्र आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराकर निर्माण कार्य शुरू कराने की व्यवस्था की जाये।

(छह) केरल में परम्परागत मत्स्यन के लिए मछुआरों को शुल्क मुक्त मिट्टी का तेल उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलिकारा): केरल राज्य के पारंपरिक मछुआरे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों से संबंध रखते हैं। परम्परागत रूप से मछली पकड़ने के कार्य के संचालन संबंधी खर्चों का नियंत्रण करने वाला एकमात्र प्रतिबंधक कारक आऊट बोर्ड मोटरों के संचालन के लिए आवश्यक ईंधन की लागत है। अभितटीय जल के समीप संसाधनों के अवक्षय ने पारंपरिक मछुआरों को संसाधनों की खोज में गहरे समुद्र में जाने पर मजबूर किया है। मारी गई कुल मछलियों में पारंपरिक मछुआरों का योगदान 70 प्रतिशत से ज्यादा है और विदेशी मुद्रा के अर्जन में

उल्लेखनीय योगदान करता है। पारंपरिक मछुआरों द्वारा मिट्टी के तेल से चलने वाली 14,300 आऊट बोर्ड मोटरों का उपयोग किया जा रहा है जिसके लिए प्रति वर्ष लगभग 1,39,300 किलो लीटर मिट्टी के तेल की आवश्यकता होती है। राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली से इस क्षेत्र को प्रतिवर्ष केवल 57,500 किलो लीटर के लगभग आवंटन किया जाता है मिट्टी के तेल की मांग और पूर्ति के बीच के विशाल अंतर के फलस्वरूप इसकी कालाबाजारी हो रही है और इस कारण बेचारे मछुआरे ऋण के कुचक्र में फंस गए हैं। मिट्टी के तेल के मूल्य में हाल में हुई वृद्धि के कारण मछुआरों की निवल आय में प्रतिवर्ष 10,000 करोड़ रुपए तक की कमी आई है। जो उनकी छोटी सी वार्षिक आमदनी की एक तिहाई हानि के बराबर है।

मैं सरकार से केरल के परम्परागत रूप से मछली पकड़ने वालों हेतु शुल्क मुक्त मिट्टी का तेल उपलब्ध कराने का अनुरोध करता हूं।

(सात) कर्नाटक में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री इकबाल अहमद सरडगी (गुलबर्गा): कर्नाटक राज्य के कई हिस्से सूखे का सामना कर रहे हैं। कर्नाटक की राज्य सरकार ने बताया है कि बेल्लारी, गुलबर्गा और रायचूर सहित उत्तरी कर्नाटक में अधिकांश हिस्सों में सामान्य वर्षा के एक प्रतिशत से भी कम वर्षा हुई है। वर्षा में आई इस कमी के कारण खरीफ फसल की सारी बुआई पूरी तरह नष्ट हो गई है। इसलिए कर्नाटक के क्षेत्र विशेषकर उत्तरी कर्नाटक सूखा से प्रभावित हो गए हैं। खरीफ की यह फसल पशुओं के चारे के लिए ज्यादा उपयोगी है। वर्षा कमी के कारण किसानों के साथ-साथ पशु भी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। इन क्षेत्रों के किसान असहाय हो चुके हैं। इस सूखे से क्षेत्र के लोग बेरोजगार होंगे और वे धन अर्जन के लिए बाहर जाएंगे। क्षेत्र के लोगों को वहां बनाए रखने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उनको वित्तीय सहायता और वैकल्पिक कार्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

कर्नाटक की राज्य सरकार ने जुलाई माह में केन्द्र सरकार को राज्य के कई भागों में व्याप्त सूखे की स्थिति के ब्यौरों से संबंधित एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से कर्नाटक सरकार द्वारा भेजी गई रिपोर्ट पर विचार करने और सूखे की स्थिति से निपटने के लिए राज्य को सहयता पहुंचाने हेतु तत्काल आवश्यक उपाय करने का अनुरोध करता हूं।

(आठ) संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ के झुमरू गांव के बीच से गुजरने वाली चण्डीगढ़ लुधियाना रेल लाइन के प्रस्तावित परिक्रमीय संयोजन (सर्क्यूइट्रस अलाइनमेंट) की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) संघ राज्यक्षेत्र के झुमरू ग्राम को विभक्त करने वाले वक्राकार चण्डीगढ़-लुधियाना रेल लाइन के प्रस्तावित पर सरकुरियस एलाइनमेंट ने ग्रामवासियों में उनके अपने भविष्य के प्रति गंभीर चिंता और शंकाएं उत्पन्न कर दी हैं। वे यह समझने में असफल हैं कि संघ राज्य क्षेत्र के अंतिम खंड और पंजाब क्षेत्र के प्रथम प्रस्तावित स्टेशन के बीच सीधी लाइन क्यों नहीं बिछायी जा रही है, विशेषकर तब जबकि इससे गांव को उजड़ने से बचाने के साथ-साथ दूरी और लागत में उल्लेखनीय रूप से कमी होती है। यहां के निवासियों ने पहले भी एक बार उजड़ने के झटके झेले थे जब उन्हें अपना घर-बार त्यागना पड़ा था ताकि चंडीगढ़ का निर्माण हो सके। उसी दुर्भाग्य द्वारा फिर से उन्हें धमकाना भयावह है, विशेषकर तब जब कि उसकी कोई वास्तविक आवश्यकता और औचित्य नहीं है। लोगों को परिहार्य अन्याय और मुसीबत से बचाने और सार्वजनिक धन को बचाने के लिए यह आवश्यक है कि यहां के निवासियों द्वारा बार-बार सुझाए गए दो बिन्दुओं के बीच सीधी लाइन को स्वीकृत किया जाए।

मैं सरकार को तत्काल उचित कार्रवाई करने और चण्डीगढ़ के ग्राम झुमरू के निवासियों को उजड़ने से बचाने का आग्रह करता हूं।

(नौ) इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड के शीघ्र पुनरुज्जीवन की आवश्यकता

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): केन्द्र सरकार ने 1972 में इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड का प्रबंधन इसका आधुनिकीकरण करने के घोषित उद्देश्य से अपने हाथ में ले लिया था। वर्ष 1974 में सरकार ने इसका पूर्णत: राष्ट्रीयकरण कर दिया और इसे भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) की एक सहायक कम्पनी दिया। इन 29 वर्षों के दौरान इधर-उधर छुट-पुट काम के रूप में नवीकरण करने के अलावा इसको अद्यतन बनाने के लिए कुछ खास नहीं किया गया।

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के पुनरुद्धार के लिए इसके अधिकारियों और श्रमिक संघ ने एक ऐसा पैकेज तैयार किया है जिस पर 510 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। इस पैकेज की प्रमुख बातें संक्षेप में निम्नवत हैं:

1. पहले चरण के लिए 150 करोड़ रुपये की राशि और इस पर कार्य 12 महीने की अवधि के अन्तर्गत पूरा कर लिया जाएगा। इससे इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की स्थिति ही बदल जाएगी।

[श्री सुनिल खां]

2. दूसरे चरण के लिए 210 करोड़ रुपये की राशि जिस पर कार्य छह महीने की अवधि के अन्तर्गत पूरा कर लिया जाएगा और यह इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को न केवल लाभ-हानि रहित स्थिति में ले आयेगा बल्कि इसे थोड़ा बहुत लाभ भी होगा।

3. इन 18 महीनों के दौरान संचालन संबंधी व्यय के लिए 150 करोड़ रुपये की राशि जिसे मिलाकर कुछ राशि 510 करोड़ रुपये हो जाती है।

मैं केन्द्र सरकार से इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का शीघ्र पुनरुद्धार करने का आग्रह करता हूं।

(दस) विशाखापत्तनम शहर में "नेचर पार्क" की स्थापना के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम): आन्ध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी के किनारे पहाड़ियों से घिरा विशाखापत्तनम शहर एक प्रमुख और मनोरम शहरी क्षेत्र है। इस शहर का औद्योगिक शहर के रूप में तेजी से विकास हो रहा है और इसे राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में महत्व प्राप्त हो गया है, शहर के अंतर्गत पर्यावरणीय शिक्षा और मनोरंजन के लिए स्थान होना अत्यन्त आवश्यक है। आन्ध्र प्रदेश के वन विभाग ने नेचर पार्क के निर्माण और विकास के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की है। इस परियोजना पर 15.82 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है, नेचर पार्क को कंबलाकोंडा वन क्षेत्र के ब्लाक में 6832 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित किए जाने का प्रस्ताव है। मैं केन्द्र सरकार से इस परियोजना और इसके वित्तपोषण को स्वीकृति दिए जाने का आग्रह करता हूं ताकि इससे विशाखापत्तनम की पर्यावरण, शिक्षा और सौन्दर्य संबंधी आवश्यकता की पूर्ति हो सके।

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश में इटावा में बलराय रेलवे स्टेशन के रेलवे फाटक को स्थानान्तरित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रघुराज सिंह शाक्य (इटावा): माननीय रेल मंत्री जी से सदन के माध्यम से आग्रह है कि इटावा उत्तर प्रदेश के बलराई रेलवे स्टेशन पर बने रेलवे फाटक पर बने लूप लाईन के कारण मालगाड़ी कई दिनों तक फाटक पर ट्रेनें खड़ी रह जाती हैं जिससे आम नागरिक को इस पार से उस पार खड़ी ट्रेन के नीचे घुस कर जाना पड़ता है स्कूल के बच्चों को, जिससे कई बार हादसा भी हो गया है। बलरई में दो-दो इण्टर कॉलेज, विकास खंड एवं धार्मिक स्थान होने के कारण बहुत ही भीड़भाड़ बनी रहती है।

अस्तु माननीय मंत्री जी आग्रह है कि जहां पर तत्काल फाटक अवस्थित है वहां से पूर्व की ओर आगे बढ़ाने और सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा एवं हादसे होने से मुक्ति मल जाएगी।

(बारह) असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लाभ के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं और पेंशन सुधार लागू किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सी. कुप्पुसामी (मद्रास उत्तर): केन्द्र सरकार ने चालू वर्ष के बजट में असंगठित क्षेत्र के कार्मकारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं और पेंशन संबंधी सुधारों के लिए योजनाएं तैयार करने की घोषणा की थी, इस संबंध में तमिलनाडु राज्य वर्ष 1999-2000 में डा. एम. करूणानिधि के नेतृत्व वाली डी.एम.के. सरकार के कार्यकाल के दौरान ऐसी योजनाओं को तैयार करने और उन्हें कार्यान्वित करने वाला एक अग्रणी राज्य हो गया है। दुर्घटना होने पर मुआवजा देना, बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, विवाह भत्ता, दाह-संस्कार के लिए वित्तीय सहायता जैसी योजनाएं असंगठित क्षेत्र में कर्मकारों को परिपूर्ण रूप से लाभान्वित कर रही है। मैं केन्द्र सरकार से जैसा कि वर्ष 2001-2002 के बजट में वायदा किया गया है, पूरे देश के असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा संबंधी विभिन्न योजनाओं को तैयार करते समय इन उत्कृष्ट और पावन योजनाओं के अनुकरण पर विचार करने का आग्रह करता हूं।

(तेरह) बिहार के जहानाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कुछ स्थानों पर मिट्टी के तेल के डिपो खोले जाने की आवश्यकता

श्री अरुण कुमार (जहानाबाद): मैं माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री का ध्यान निम्नलिखित क्षेत्रों/स्थानों में मिट्टी के तेल के डिपो की अनुपलब्धता के कारण जहानाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (बिहार) के लोगों के समक्ष आ रही समस्याओं के संदर्भ में आकर्षित करना चाहता हूं:

1. रतनी फरीदपुर प्रखण्ड में शकूराबाद बाजार।
2. बंशी सोनभद्र प्रखण्ड
3. कलेर प्रखण्ड में मेंहदिया बाजार।

4. बंधूगंज बाजार।

5. हुलास गंज प्रखण्ड मुख्यालय।

6. काको प्रखण्ड मुख्यालय।

जहनाबाद एक बहुत ही संवेदनशील जिला है। इस क्षेत्र में उग्रवादी समूहों की लगातार झड़पें होती रहती हैं और भोले-भाले लोगों का उत्पीड़न होता रहता है। उनकी सुविधा और सुरक्षा के मद्देनजर यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि उनके आस-पास मिट्टी के तेल का डिपो हो ताकि वे असमाजिक तत्वों के खतरे से बच सकें. मैं केन्द्र सरकार से उक्त स्थानों में मिट्टी के तेल के डिपो/बिक्री केन्द्र शीघ्रातिशीघ्र खोलने का अनुरोध करता हूं।

(चौदह) तमिलनाडु में नामक्कल तथा अन्य निकटवर्ती जिलों के औद्योगिक क्षेत्रों में आधुनिक बहि:स्राव उपचार संयंत्र स्थापित करने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम): मेरे निर्वाचन क्षेत्र रासीपुरम में, नामक्कल जिले तथा अन्य निकटवर्ती जिलों में कई साबू उद्योग हैं। यहां पर इसकी अधिक कृषि की जाती है और निर्यात भी किया जाता है। लाखों परिवार इन उद्योगों और निकटवर्ती विल्लूपुरम जिले में स्थित चर्मशोध शालाओं पर निर्भर है। उच्च न्यायालय के आदेश के कारण इनकी हजारों इकाइयों को बंद कर दिया गया है जिससे लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई है। उच्च न्यायालय को मुख्य आपत्ति यह है कि इन औद्योगिक इकाइयों से बहि:स्राव निकलते हैं।

अत: मैं सरकार से नामक्कल और अन्य निकटवर्ती जिलों में आधुनिक बहि:स्रवा उपचार संयंत्रों की स्थापना के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करने का आग्रह करता हूं ताकि साबू और चर्मशोधशालाओं को बचाया जा सके और लाखों मजदूरों के हितों की रक्षा की जा सके।

(पन्द्रह) महाराष्ट्र के शोलापुर जिले में पंढरपुर में विट्ठल रूक्मणी मंदिर को केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): पंढरपुर, महाराष्ट्र के शोलापुर जिले में चन्द्रभागा नदी की गोद में स्थित है और विट्ठल रूक्मणी मन्दिर चन्द्रभागा नदी के किनारे स्थित है।

विट्ठल रूक्मणी मन्दिर में महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक राज्यों से लाखों तीर्थयात्री और विदेशी लोग भी विट्ठल रूक्मणी का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। यद्यपि ठहरने की सुविधा, साफ-सफाई आदि के उचित प्रबंध के अभाव में इन तीर्थयात्रियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस स्थान का विकास तीर्थस्थान केन्द्र के रूप में किये जाने से तीर्थयात्रियों और सरकार की राजस्व आय दोनों को लाभ होगा।

तथापि, यह ज्ञात हुआ है कि पंढरपुर को केन्द्र सरकार की सूची में तीर्थस्थान केन्द्र के रूप में शामिल नहीं है और इसीलिए वहां तीर्थयात्रियों की आवश्यकताओं की देख-रेख के लिए कोई प्राधिकरण नहीं है। इसलिए मेरा यह आग्रह है कि केन्द्र सरकार की तीर्थस्थान केन्द्रों की सूची में पंढरपुर को शामिल करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जायें तथा सार्वजनिक हित में इस तीर्थस्थान केन्द्र के विकास के लिए 50 करोड़ रुपये की धनराशि आबंटित की जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया शांत रहिये। जो सदस्य बाहर जाना चाहते हैं वे शांतिपूर्वक बाहर जा सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): महोदय, यह कैसे संभव है?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यह निर्णय आज सुबह नेताओं की बैठक में किया गया।

...(व्यवधान)

श्री रमेश चेन्नितला: महोदय, यह तो कल भी हुआ था...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री चेन्नितला जी, अभी-अभी श्री प्रियरंजन दासमुंशी इसी के बारे में बोल रहे थे। क्या आपने वह सुना?

...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, प्रत्येक सप्ताह यही तो हो रहा है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब उन्होंने यह निर्णय किया है तो इसे कार्यान्वित भी किया जाना है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रामदास आठवले जी, यदि आप सभा से जाना चाहें तो आप जा सकते हैं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 4.22 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

आगरा में भारत और पाकिस्तान के बीच हाल में हुई शिखर वार्ता

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): अध्यक्ष महोदय, मुझे आपकी 25 जुलाई को इस मामले पर चर्चा के दौरान की गयी वह टिप्पणी याद है जब आपने कहा था कि यह एक महत्वपूर्ण मामला है, जिसका संबंध राष्ट्रीय मुद्दों से है और इसीलिए हमें उचित रीति से इस मामले का समाधान करना चाहिए। हम आपकी इस टिप्पणी मे आदरपूर्वक सहमत हैं कि यह मामला अत्यन्त महत्वपूर्ण है। लम्बी अवधि के बाद हमें इतनी महत्वपूर्ण शिखरवार्ता का अवसर प्राप्त हुआ। सभी को निराशा हुई कि इसका परिणाम अगर कहें तो एक प्रकार से विफल रहा है। मैंने पहले कहा था कि हम इसे पूर्ण विफलता नहीं मानते। हम आशा करते हैं कि भविष्य में वार्ता जारी रहेगी। वर्षों से हम जो अनुभव करते आ रहे हैं विशेष रूप से इसे यदि हम ध्यान में रखें तो वार्ता का कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए मैंने पहले कहा था कि शिमला समझौता और लाहौर घोषणा इस वार्ता का आधार होना चाहिए। मैं पुन: पिछले अवसर पर संक्षिप्त रूप से कहे गये उस समय के भाषण को दोहराना नहीं चाहता जब उसे एक दुर्भाग्यपूर्ण और त्रासदीपूर्ण घटना के कारण बीच में रोक दिया गया था।

महोदय, मैं एक बार पुन: माननीय प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य पर अप्रसन्नता व्यक्त करूंगा। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो हमें समाचार-पत्रों से ज्ञात नहीं हुआ हो। यह सब हमें पता है। एक भी बात ऐसी नहीं की गयी जो हमें ज्ञात न हो। इस वार्ता की सफलता के लिए चहुं ओर सदाशयता थी। सभी राजनैतिक दलों ने इस प्रयास में सरकार की सहायता की। लेकिन, उस दिन शाम के समय, मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि पूरी तरह से स्थिति हमारे नियन्त्रण से बाहर निकल चुकी थी। सरकार ने ऐसा व्यवहार किया कि जिससे उसकी अपरिपक्वता प्रकट हो गई। मैं ऐसे किसी महत्वपूर्ण मामले के बारे में सोच भी नहीं सकता जिस पर उतनी असावधानी और इतनी गैर-व्यावसायिक दृष्टि से विचार किया गया हो। यद्यपि हमारी भूमिका महत्वपूर्ण होनी चाहिए थी लेकिन लगता ऐसा है कि हम मुख्य संचालक की भूमिका न निभा सके। हमारी स्थिति इस घटना में नाटक के गौण पात्र जैसी थी जबकि गौण पात्र इस नाटक का मुख्य पात्र बन बैठा और अपनी भूमिका इस तरह अदा कर रहा था जैसे उसने पहले से ही अपनी भूमिका का अच्छी तरह अभ्यास किया हो। हमारी बेचैनी सबसे अधिक दयनीय थी।

प्रधान मंत्री जी ने अपने एक वक्तव्य में कहा, "हम शांत और गंभीर कूटनीति को व्यवहार में लायेंगे।" 'शांत और गंभीर' का अर्थ 'सूझ-बूझ रहित कोई तैयारी न होना' नहीं है।

प्राय: वार्ताएं काफी तैयारी, विचार-विमर्श और चर्चा के क्षेत्रों के संबंध में दोनों ओर की लम्बी तैयारी तथा चर्चा के विषय तय करने और संभावित परिणाम के बारे में जानने के बाद की जाती हैं। लेकिन अजीब बात है कि इस मामले में, ऐसा लगता है कि शिखर वार्ता ही आरंभिक बिंदु था। सरकार यह कह सकती है कि 'हम पाकिस्तानी राष्ट्रपति के रवैये के कारण पहले से तैयारी न कर सकें।' लेकिन ऐसे तर्क नहीं माने जाने चाहिए। हमने देखा कि पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने यहां आने से पहले इस अभियान को किस तरह से चलाया था और किस तरह से हमने मीडिया प्रचार को आरंभ करने का प्रयास किया था। उनके आने से पहले हमने यह सब किया। यह नहीं कहा जा सकता: "हमें पता ही नहीं था कि किन विषयों पर चर्चा की जानी है।

महोदय, यदि हम तैयारी नहीं कर सकते थे, तो उस समय तक तिथियां निर्धारित नहीं करनी चाहिए थीं जब तक कि हम तैयारी न कर लेते। हमारे अनुसार, शिखरवार्ता की तैयारी न होना देर से होने वाली शिखरवार्ता से अधिक बुरा है। मेरी पार्टी लम्बे समय से द्विपक्षीय विचार-विमर्श की आवश्यकता के बारे में सरकार को समझाने का प्रयास करती रही है। हम यह कहते रहे हैं कि वार्ता होनी चाहिए, जबकि हमारे माननीय विदेश मंत्री की पार्टी कहती रही है कि 'नहीं, उन्हें तानाशाह शासक से बात नहीं करनी चाहिए।' हमने कहा कि हमें दोनों देश निकट लाने हैं और दोनों देश के लोगों को निकट लाना है। अन्य कोई मंच ही नहीं है जहां हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकें। 'दक्षेस' अपना कार्य नहीं कर रहा है और वार्ता आरंभ करने और बातचीत शुरू करने का कोई विकल्प नहीं है। वैसे भी दोनों देशों की समस्याएं एक-सी हैं। भुखमरी है, गरीबी है, निरक्षरता है, विकास का अभाव है, बेरोजगारी है, और हम एक दूसरे का आमना-सामना करने के उद्देश्य से अल्प संसाधनों को नष्ट कर रहे हैं। हम पहले ही ऐसे युद्ध लड़ चुके हैं, जिनसे पाकिस्तान लाभान्वित नहीं हुआ है। हमें भी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा।

महोदय, नि:सन्देह बातचीत आवश्यक थी और यह वांछनीय भी है और इसे जारी रखा जाना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री ने अचानक पाकिस्तान के राष्ट्रपति को आमंत्रित करने का निर्णय कैसे

लिया? शायद वह उस समय राष्ट्रपति भी नहीं थे, वह मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। यद्यपि उनके राष्ट्रपति बनने से पूर्व ही प्रधानमंत्री ने उन्हें राष्ट्रपति कहकर संबोधित किया। इससे हमारी सरकार के अज्ञान का पता चलता है। अब उन्होंने यह आमंत्रण कैसे भेज दिया है। यह सरकार का काम करने का तरीका है।

जम्मू-कश्मीर में युद्ध विराम की असफलता के बाद सरकार ने अचानक युद्ध-विराम को वापस लेने का निर्णय लिया और फिर उन्हें निमंत्रण दिया। हम नियंत्रण का समर्थन करते हैं। लेकिन निमंत्रण देने का अर्थ है कि सरकार को पूरी तैयारी रखनी होगी। तारीख का चयन किस तरह किया गया।

महोदय, फिर भी हम इस सरकार का समर्थन करते हैं लेकिन हमारा विश्वास था कि यह सरकार एक परिपक्व देश की सरकार के रूप में कार्य करेगी न कि एक अपरिपक्व सरकार के रूप में।

महत्वपूर्ण बात यह है कि विपक्षी दलों के साथ कोई बातचीत नहीं की गई। उन्हें कभी विश्वास में नहीं लिया गया। जहां तक कश्मीर से युद्धविराम का संबंध है सरकार ने अपने आप इसकी घोषणा की। एक बार जब इस आशय की यह खबर प्रेस में आई कि प्रधान मंत्री और गृह मंत्री का इस बात पर मतभेद है तो विपक्षी दलों को बुलाया गया और उन सभी ने प्रधान मंत्री का समर्थन किया। उन्हें प्रसन्नता थी कि वह अक्खड़ गृह मंत्री से निपट सके।

तत्पश्चात् जब युद्ध-विराम वापस लिया गया तो विपक्षी दलों को उसकी सूचना भी नहीं दी गई और हमें इसकी समाचार-पत्रों से ही जानकारी मिली।

शिखर वार्ता शुरू होने से पांच दिन पहले ही विपक्षी दलों को बुलाया गया। हम जानते थे कि इस बैठक का कोई अर्थ नहीं है। सरकार जो भी निर्णय करना चाहती थी, उसने वह पहले ही कर लिया था। कहीं ऐसा न हो कि बाहर गलत सन्देश जाए कि यह पूरे देश का प्रयास नहीं है अथवा इसे विपक्षी दलों का समर्थन प्राप्त नहीं है और लोगों के मन में किसी आशंका अथवा किसी गलत अवधारणा को दूर करने के लिए हमने बैठक में भाग लिया। सभी दलों ने शिखर बैठक बुलाने के लिए सरकार के निर्णय का समर्थन किया, बातचीत को अपना समर्थन दिया और सकारात्मक सुझाव दिए।

जब हमने अपने दल की ओर से इस बातचीत में भाग लिया तभी हमने प्रस्तावित बातचीत का स्वागत किया था। हमने कहा था कि इन दोनों देशों को बातचीत करनी चाहिए। हमारा कहना था कि पाकिस्तान में सैनिक शासक होने का तर्क बातचीत न करने का आधार नहीं होना चाहिए। हमने यह भी कहा कि यह सही दिशा में उठाया गया कदम है। हमने यह भी कहा कि बैठक में कश्मीर पर चर्चा करनी होगी।...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर (अकोला): महोदय, सत्ता पक्ष के लोग अनुपस्थित हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आज सत्ता पक्ष के लोगों को क्या हो गया?

...*(व्यवधान)*

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा): ऐसा लगता है मानो सरकार पहले ही जा चुकी है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आज सत्ता पक्ष के सदस्यों को क्या हुआ?

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, हमने सर्वदलीय बैठक में भी रहा था कि यद्यपि कुछ क्षेत्रों में यह कहा जा रहा है कि कश्मीर पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए, यह कहना अव्यावहारिक था कि कश्मीर पर चर्चा नहीं होगी और शिखर बैठक में इस पर चर्चा होनी ही थी।...*(व्यवधान)* हमने यह भी कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा होनी चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री ई. अहमद (मंजेरी): महोदय, यदि आधे मंत्री ही यहां उपस्थित हैं तो सदन भर जाएगा क्योंकि भारी भरकम मंत्रिमंडल है...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उ.प्र.): अध्यक्ष महोदय, यह एक गम्भीर मामला है। सत्ता पक्ष के सभी सदस्य अनुपस्थित हैं। केवल सहयोगी दल के सदस्य ही यहां उपस्थित हैं। सत्ता पक्ष के कुछ लोग अपवाद हो सकते हैं। क्या हम इस प्रकार आगरा शिखर वार्ता जैसे महत्वपूर्ण वाद-विवाद पर इस प्रकार चर्चा करेंगे? यह शर्मनाक है। माननीय अध्यक्ष को सरकार को चेतावनी देनी चाहिए कि वह एक जिम्मेदार सरकार की भांति कार्य करे। यह सही तरीका नहीं है। अथवा आप सदन स्थगित कर सकते हैं। चर्चा करने का उद्देश्य क्या है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सत्ता पक्ष के लोगों को आज क्या हो गया?

...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: मैं नहीं जानता कि सभी सदस्यों में से श्री चन्द्रशेखर जी को ही उनसे आशाएं क्यों हैं?...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर: मुझे उनसे कोई आशा नहीं है। लेकिन कम से कम आपको तो उम्मीदें हैं।

अध्यक्ष महोदय, मुझे कोई आशाएं नहीं थी इसलिए मैंने उनमें से किसी भी बैठक में भाग नहीं लिया जिन बैठकों में यह शामिल हुए हैं...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: आप अधिक समझदार हैं, मैं जानता हूं। मैं सदैव इस बात को मानता हूं।

अत: महोदय, श्री चन्द्रशेखर जी, जिनका मैं अत्यधिक सम्मान करता हूं, को बताना मेरा कर्त्तव्य है कि हमने उस बैठक में रचनात्मक सुझाव देने की कोशिश की थी। हमने कहा था कि कश्मीर के अलावा दोनों देशों के बीच आर्थिक, व्यापारिक और वाणिज्यिक संबंधों और सांस्कृतिक आदान-प्रदान आदि जैसे अनेक महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। हमने कहा था कि चूंकि दोनों देशों के बीच और अधिक व्यापारिक संबंध और आर्थिक संबंधों की संभावना है इसलिए लोगों के आपसी संबंधों को छोड़कर उन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए और उन पर भी चर्चा की जानी चाहिए।

एक अन्य मुद्दा जिसे हमने बैठक में उठाया था वह था कि दोनों देश परमाणु शक्तियां हैं। इससे सम्पूर्ण उप महाद्वीप को भारी खतरा है। अत: हमें बहुत गम्भीर और उत्तरदायी ढंग से व्यवहार करना चाहिए। चूंकि अब हम सशस्त्र युद्ध में नहीं पड़ सकते इसलिए किसी परमाणु युद्ध से बचना एक ऐसा मामला है जिस पर इस बैठक में पूर्णरूप से चर्चा की जानी चाहिए। हमने यह भी कहा था कि ऐसा सोचना कि एक बैठक में सब कुछ हल हो जाएगा अथवा सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी अनाड़ीपन होगा। किन्तु दोनों देशो के बीच अच्छे पड़ोसी संबंध विकसित करने के लिए यह एक शुरूआत करनी होगी। आगरा बैठक को वार्ता को पुनरारंभ करने की प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए क्योंकि समस्याएं एक बार में ही नहीं सुलझाई जा सकती। हमें सभी शेष समस्याएं सुलझाने के लिए पाकिस्तान के साथ वार्ता की प्रक्रिया को जारी रखना होगा। मुझे विश्वास है कि इन सुझावों को बहुत रचनात्मक सुझाव माना जाना चाहिए। यद्यपि हम समझते हैं कि यह बैठक मात्र एक कार्यवाही थी, लोगों को यह बताने के लिए कि उन्होंने विपक्ष से भी परामर्श किया है। मुझे दुख है कि माननीय प्रधान मंत्री स्वस्थ नहीं थे। उन्हें आपरेशन कराना पड़ा। किन्तु हमारे पास एक सक्षम विदेश मंत्री है जिनके पास रक्षा मंत्रालय का भार भी है। हमारे पास एक समझदार गृह मंत्री हैं जो शिष्टमंडल के सदस्य थे। मुझे ज्ञात नहीं कि मेरी बहन शिष्टमंडल की सदस्य थी। मैं कम से कम इतना जानता हूं कि मेरे अच्छे मित्र जसंवत जी के पास थोड़ा समय तो है क्योंकि उन्हें स्ट्रोब टालबोट से मिलने के लिए विश्व की राजधानियों का चक्कर नहीं लगाना पड़ रहा था। फिर भी वह हमें यह बता सकते थे कि क्या हो रहा है। विपक्ष की अनदेखी करने के लिए प्रधान मंत्री को क्षमा किया जा सकता। मैं जानता हूं कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। उन्होंने हमें इसे पहले नहीं बुलाया क्योंकि उनके पास चर्चा करने के लिए कुछ नहीं था। वे यह भी नहीं जानते थे कि वे क्या कहने जा रहे हैं और वे इस स्थिति का किस प्रकार समाधान करेंगे। उन्हें यह भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है। समस्या यह है कि सरकार इस स्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकी। वे इस स्थिति से उत्पन्न परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया कर सकते हैं हम इस समस्या को और नहीं बढ़ाना चाहते थे। हमने अपना पूर्ण सहयोग और समर्थन दिया किन्तु ऐसा लगता है कि यह सरकार विदेश नीति को अपने दल का मामला समझती है। इस देश में विदेश नीति राष्ट्रीय विदेश नीति नहीं रह गई है। हमें यह बात बैठक में पता चली कि कोई निर्धारित कार्य सूची नहीं थी। ऐसा संभव है कि वे नहीं जानते थे कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति किस विषय पर बातचीत करना चाहते हैं। अकुशलता को स्वीकारने का यह अजीब तरीका है। क्या कूटनीति अथवा विदेशी मामलों को कार्यान्वित करने का यही तरीका है? क्या इस तरह की शिखर वार्ता, जिससे देश में वातावरण बना, को करने का यही तरीका है? ऐसा प्रतीत होता है कि कार्यसूची से अधिक यह महत्वपूर्ण था कि मध्याह्न भोजन और रात्रि भोजन में कौन शामिल होगा। यह बात अधिक महत्वपूर्ण हो गई थी। प्रतिष्ठा का विषय ब्लैक कैट्स से हटकर मध्याह्न भोजन और रात्रि भोजन में आमंत्रण बन गया। हमने उनसे पूछा कि क्या वे व्यापारिक संबंधों, आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे और उन्होंने कहा कि वे नहीं जानते कि उद्योग मंत्री आ रहे हैं अथवा नहीं। जोशी जी प्रतीक्षा कर रहे थे। यदि उनके समकक्ष मंत्री आ रहे हैं तो उन्हें भी प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया जाएगा। हमने पूछा कि क्या वित्त मंत्री आ रहे हैं लेकिन वे इस बारे में नहीं जानते थे। वास्तव में उन्हें कुछ भी नहीं पता था। तीन दिन बाद वे चर्चा शुरू करने जा रहे थे। मैं माननीय प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति, विशेषकर उनके स्वास्थ्य के दृष्टिगत समझ सकता हूं। हमारा आरोप है कि पूरी तैयारी न होने अथवा पूरी व्यवसायिक कुशलता के अभाव में जिस प्रकार यह वार्ता की गई है, उसमें यह सरकार विफल हो गई है। यदि मैं कहूं कि कम कार्य तैयारी के बिना भाग लेकर इस सरकार ने मामले को बिगाड़ दिया।

महोदय, संयुक्त वक्तव्य का प्रारूप तैयार करने का हवाला दिया गया है। माननीय प्रधान मंत्री के वक्तव्य के पैराग्राफ 8 में कहा गया है:

> ''हमारे दृष्टिकोण में प्रत्यक्ष मतभेद होने के बावजूद प्रारूप संयुक्त दस्तावेज में दोनों दृष्टिकोणों को पाटने में प्रगति हुई है।

ये "हम कौन हैं?" हम का अर्थ है भारत सरकार। यदि आप एक पक्षीय वक्तव्य तैयार कर रहे है जिसे संयुक्त वक्तव्य माना जाता, उसके बारे में किस प्रकार की चर्चा की गई हमें बताया गया है कि एक प्रारूप वक्तव्य था जिसका अनुमोदन हमारे विदेश मंत्री द्वारा किया गया। उन्होंने कुछ बातों को एकल ब्रेकेट, कुछ को दूसरे ब्रेकेट और कुछ तीसरे ब्रेकेट में रखा है। यहीं हमें बताया गया। यह सब जानकारी समाचार पत्रों से मिली। किन्तु संयुक्त वक्तव्य के बारे में क्या कोई सहमति हुई थी? वह सहमति क्या थी? किन मुद्दों पर उनके बीच मतभेद था? संयुक्त वक्तव्य की विषय वस्तु में क्या-क्या बातें शामिल होनी थी इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। इस वार्ता के लिए तैयार किये जा रहे कागजों से भविष्य की वार्ताओं से शामिल किये जाने वाले मुद्दों को शामिल करने की हमने मांग की थी। तभी भविष्य में अधिकारिक और शिखर वार्ताओं में जो वह करना चाहेंगे उसका उल्लेख कर सकेंगे। हमें नहीं पता इन प्रस्तावों को किसने तैयार किया। हमने प्रधान मंत्री पाकिस्तानी राष्ट्रपति के बीच चर्चा के चार या पांच दौर होने के बारे में सुना है। मैं नहीं जानता कि चर्चा किस बात पर विफल हुई है। लेकिन अब हमें श्रीमती सुषमा स्वराज के रूप में बलि का बकरा मिल गया है। वह क्या कर सकती थी? मंत्री के रूप में भी उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा है? उन्हें किसी ने विश्वास में नहीं लिया। मुझे नहीं मालूम कि वह बिना बुलाए आगरा कैसे चली गई? उन्हें मीडिया का प्रबंध करने के लिए कहा गया था।

वह मीडिया का भी प्रबंधन सही तरह से नहीं कर सकी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनका प्रबंध कोई अन्य व्यक्ति उसका प्रबंध कर रहा था। अत: उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए वक्तव्य दिया। उन्हें कुछ भी पता नहीं था। मुझे उनके साथ सहानुभूति है। एक समझदार महिला के रूप में उन्होंने आशा व्यक्त की कि कश्मीर के अतिरिक्त किसी और विषय पर चर्चा की जा रही है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि किसी भी विषय पर चर्चा नहीं हुई है। वे इस शो में अपनी प्रमुखता दिखाने के लिए एक पहले से तैयार योजना के अन्तर्गत यहां आए थे। हमारी महान भारत सरकार मैं नहीं जानता कि इसमें कितने मंत्री हैं, सम्भवत: उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल, जिसकी संख्या साठ से कम नहीं है, से उनकी संख्या कम है। लेकिन यहां स्थिति पर दृष्टि डालें। श्री अजीत पांजा मंत्री बनने वाले थे लेकिन अब श्री अजित सिंह मंत्री बन गए हैं। यह कमाल का देश है। आज हमारे प्रधान मंत्री को उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के रूप में काम करना पड़ रहा है। उन्हें केवल उत्तर प्रदेश की चिंता है। यही हो रहा है। अब मैं डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उद्‌गार का स्मरण कराता हूं, अर्थात् इंडिया अर्थात् भारत अर्थात् उत्तर प्रदेश और अब नि:सन्देह आंध्र प्रदेश 129 जादुई मतों के लिए इंडिया अर्थात् भारत अर्थात् उत्तर प्रदेश अर्थात् आंध्र प्रदेश। यही हो रहा है। महोदय, मैं आपके मान-सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं।

महोदय, क्या ऐसे मामलों में मीडिया प्रबंधन होता है। मैं नहीं कहता कि आज मीडिया पर प्रभाव डालते हैं अथवा उसे सेंसर करते हैं। लेकिन भारतीय मीडिया ने ऐसा क्यों महसूस किया कि उन्हें सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। किसी को यह बात समझ में नहीं आई कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति की नाश्ते की बैठक का सीधा प्रसारण किया जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि डा. प्रणव राव ने किसी तरह एक प्रति हासिल कि और वह उसे लेकर भागे और इसे स्टार टी.वी. पर प्रसारित कर दिया। महोदय, क्या आप इससे अधिक सरकार के बेढंगेपन के बारे में सोच सकते हैं? मेरी समझ में नहीं आता कि हम इस सरकार से क्या आशा करें।

महोदय, मुझे याद है मैं इस बात को अर्ध रात्रि बारह बजे अथवा भोर में एक बजे जब पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने बैठक के बाद हमारे देश से गए तो यह जानने का प्रयास कर रहा था कि क्या हुआ। यह आश्चर्यजनक प्रबंधन है। आप एक व्यक्ति को रात्रि में विदा कर रहे हैं।

महोदय, अब वक्तव्य दिया गया और पूरी दुनिया इस बातचीत के परिणाम की प्रतीक्षा कर रही थी। हमने भारत सरकार के प्रवक्ता की बात सुनी। ऐसा लगता है कि हर शब्द पर हमारे विदेश मंत्री की मुहर लगी हुई थी कि इस जैसे मामले में कैसे कुछ नहीं कहा जाए। जैसा मैंने कहा संक्षिप्तता में कभी-कभी गुण होता है लेकिन ऐसे मामलों में नहीं। यह स्थिति दयनीय थी- जिस ढंग से इन बातों को देश से छुपा कर रखा गया। आप को शायद याद होगा कि नाश्ते के समय को बातचीत के बाद प्रधान मंत्री के पहले का वक्तव्य को प्रेस को जारी किया गया था। यह क्या है? क्या हम इस देश के मामलों को सरकार को सौंपकर सुरक्षित हैं? इसका परिणाम क्या हुआ? फोटोग्राफ के लिए ही सही हाथ मिलाने की रस्म को पूरा किये बिना हमने उन्हें विदा किया। इससे एक सन्देश मिलता है कि मुझे आशा है कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। हमारे विशिष्ट विदेश मंत्री ने आशा व्यक्त की है कि बातचीत जारी रहेगी और यह अन्त नहीं है। हम भी यह महसूस करते हैं कि आपने जो भी अकुशलता पिछली बार दर्शायी है उसे भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा और उसके लिए तैयारी की जाएगी। श्री जसवंत सिंह ने कहा है कि शांति के प्रयास जारी रहेंगे और आगरा शिखर वार्ता भारत की ओर से सतत् प्रयास का एक हिस्सा थी कि हम शिमला और लाहौर के आधार पर विश्वास बनाने के प्रयास करते रहेंगे। हम उनकी आशाओं में सहभागी हैं। उनकी ओर से होने वाली सभी विफलताओं के बावजूद हमें यह

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

आशा रखनी चाहिए कि हम अपने प्रयास जारी रखेंगे विशेषकर इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भी कहा है कि बातचीत पूरी तरह विफल नहीं हुई। हमें उसमें विश्वास है। जैसाकि मैंने इससे पहले कहा है, शांति और मित्रता स्थापित करने में दोनों देशों के लोगों के निहित स्वार्थ है और हम उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। महोदय, हमारी मांग है कि जब अगली बार यह सरकार वार्ता करे तो पूर्ण रूप से तैयार होनी चाहिए।

एक अत्यधिक महत्वपूर्ण बात छोड़ दी गई है और मैं जम्मू और कश्मीर की स्वायत्तता की मांग के बारे में गृह मंत्री और भारत सरकार के रूझान के विरुद्ध अपना कड़ा प्रतिरोध व्यक्त करता हूं। वे कुछ निश्चित आधार पर भारत के साथ सम्बद्ध होने के लिए हुए थे। अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए देश की प्रतिबद्धता का द्योतक है विलय संबंधी संधि पर आधारित है। हम यह बात कहते रहे हैं कि कश्मीर के लोगों को अधिकाधिक स्वायत्तता दी जानी चाहिए। उन्हें मुख्य धारा में शामिल किया जाना चाहिए। कश्मीर के लोगों में अलगाव की भावना का कुछ तत्वों द्वारा लाभ उठाया जा रहा है। वीरता से लड़ने के लिए हम उन्हें सलाम करते हैं। उन्होंने भारत में विलय स्वीकार किया लेकिन उन्होंने धर्म, धर्मान्धता और कहर पन के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया है। उन्होंने दो राष्ट्रीय सिद्धांत का खंडन किया है जैसाकि धर्मनिरपेक्ष भारत ने किया है। किन्तु उनकी न्यूनतम मांगों पर भी विचार नहीं किया गया। अब हाल ही में गृह मंत्री द्वारा क्या कहा गया है? इससे तो ऐसी ही स्थिति पैदा होती है जिसका सीमा पार बैठे लोगों द्वारा लाभ उठाया जाएगा। नि:संदेह हम चाहते हैं कि सीमा पार के आतंकवाद अथवा छद्म युद्ध पर दोनों देशों के बीच चर्चा की जानी चाहिए। लेकिन जब तक आप कश्मीर के लोगों का समर्थन नहीं लेते, इन मामलों में उनकी प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं लेते तब तक बड़ी समस्याएं रहेंगी। नई घटनाएं पैदा हुई हैं। हमें मालूम है कि यह एक ऐसा मामला है जिससे ध्यान पूर्वक निपटना है।

हम चाहते हैं कि जो प्रक्रिया शुरू हुई हैं उसे जारी रहना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारी सरकार ऐसी है जो तदर्थ रूप में कार्य करता है। प्रत्येक क्षेत्र में जो हो रहा है उससे यह पता चलता है। अब हमारे सामने ऐसी स्थिति है कि प्रधान मंत्री भी त्याग पत्र देने जैसा महसूस करते हैं। उन्हें अपने पद पर बने रहने के लिए सहमत कराना पड़ा। उन्होंने अपना पद छोड़ने की इच्छा और इरादा व्यक्त किया था। ऐसा भानुमति के पिटारे के कारण हुआ कि जो अलग-अलग ढंग से व्यवहार कर रहा है। किसी को इस बात का पता नहीं है एक निश्चित समय पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दल कौन से हैं। कोई नहीं जानता कि उनके बुनियादी उद्देश्य क्या हैं क्योंकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के विभिन्न घटक दलों के बीच विचार की कोई एकता कार्य की कोई एकता पर निर्णय की कोई एकता नहीं है। अत: यह बात और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है कि जब भी प्रधानमंत्री इस्लामाबाद जाने का निर्णय करते हैं तो उन्हें न केवल इस देश के लोगों के समर्थन से बल्कि पूरी तैयारी के साथ और किसी समझौते पर पहुंचने के निर्णय के साथ जाना चाहिए। नि:संदेह ऐसा भारत के राष्ट्रीय हित की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे विश्वास है कि निकट आने की किसी दूसरी संभावना की अनुपस्थिति में भी हम वार्ता और बातचीत की प्रक्रिया को जारी रखेंगे। मुझे विश्वास है कि प्रत्येक व्यक्ति सरकार के लिए सफलता की कामना करने में मेरे साथ शामिल होगा। यह सरकार इस शिखर वार्ता की विफलता के लिए उत्तरदायी है यद्यपि पाकिस्तान के राष्ट्रपति की दुराग्रहिता ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है। आखिरकार हम एक परिपक्व राष्ट्र है। हमारे पास बहुत अनुभवी नेता है जो इसके प्रभारी हैं। लेकिन मैं एक बार पुन: शिखर वार्ता चलाने के अयोग्य अकुशल और भद्दे ढंग की भर्त्सना करता हूं उन्हें इस सदन के माध्यम से इस देश को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि उनकी ओर से ऐसी विफलता क्यों हुई। उन्हें सदन को विश्वास में लेना चाहिए और भविष्य में होने वाली चर्चा में पूरी तैयारी के साथ भाग लेने के संकल्प के बारे में हमें बताएं ताकि इस देश के हित और इन दोनों देशों के लोगों के हितों की रक्षा की जा सके और उपमहाद्वीप में शान्ति स्थापित की जा सके।

अपराह्न 4.53 बजे

[**श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा** *पीठासीन हुईं*]

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उ.प्र.): सभापति महोदया, मैं सरकार के लिए और विशेषकर विदेश मंत्री जी के प्रति सहानुभूति प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। शिकायत केवल एक ही है कि जिस भाषा का उपयोग पाकिस्तान के जनरल कर रहे थे, उस भाषा में नहीं, लेकिन अपने विचारों को उसी स्पष्टता से रखने में वह और उनके प्रधान मंत्री जी असफल रहे। बार-बार हमसे यह कहा गया कि जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, वह आजादी की लड़ाई है। हम यह नहीं समझ पाये कि हमारा प्रतिनिधि मंडल ने उन्हें यह क्यों नहीं बताया कि कश्मीर में आजादी की लड़ाई 1947 में हुई थी, जब देश को धर्म के नाम पर बांटा गया था तो कश्मीर के लोगों ने जिन्ना साहब के पाकिस्तान में जाना स्वीकार नहीं किया, महात्मा गांधी के हिन्दुस्तान में आना स्वीकार किया था। वही आजादी की लड़ाई शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में हुई थी और उस लड़ाई के कारण ही

आज भारत का अंग है। जनरल मुर्शरफ को उस लड़ाई का ज्ञान नहीं होगा, लेकिन कम से कम हम यह आशा करते थे कि भारत का जो प्रतिनिधि मंडल था, वह उन्हें इस बात की याद दिलाता, लेकिन उस बात की याद नहीं दिलाई गई। यही नहीं दुनिया के दूसरे देश हमें बार-बार यह कहते रहे कि किसी तरह समझौता कर लीजिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने उस समय देश को दो हिस्सों में बांटने के लिए अपने तीर चलाये थे।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कश्मीर का मामला या हिन्दुस्तान-पाकिस्तान का मामला इतना साधारण नहीं है जितना हम सोचते हैं। मैं बड़ी विनम्रता के साथ दादा की बात से अपने को सहमत नहीं कर पाता। क्या हो गया है विरोधी पार्टियों को? सरकार के बारे में कुछ कहूं, उसके पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किस आधार पर आप लोग गए थे बात करने के लिए? किस आधार पर आप गए थे मुर्शरफ साहब की चाय में हिस्सा लेने के लिए, किस आधार पर आप गए थे इस उम्मीद को लेकर कि इससे कोई बड़ा फैसला होगा, हम एक कदम आगे बढ़ेंगे? मैं मुर्शरफ साहब की बात से पूरी तरह असहमत हूं उन्होंने जो कुछ कहा, लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी कि एक शब्द भी आगरा में वह नहीं कहा जो उसके पहले वह पाकिस्तान में नहीं कह चुके थे। जो बात उन्होंने इस्लामाबाद में कही, वही बात आगरा में कही, लौटकर गए तो वहां जाकर भी फिर उन्हीं बातों को दोहराया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि हम कश्मीर के अलावा और कोई बात नहीं करेंगे। किस आधार पर विरोधी दल के नेताओं ने यह सलाह दी थी जसवन्त सिंह जी को और वाजपेयी जी को कि आप दूसरे सवालों पर भी चर्चा कीजिए और मैं नहीं समझता कि किस आधार पर हमारे प्रधान मंत्री जी ने और हमारे विदेश मंत्री जी ने देश को यह सपना दिखाया था कि और सवालों पर भी चर्चा होगी, कश्मीर का भी सवाल हम उठाएंगे। यह बात मैं इसलिए कहता हूं कि बार-बार जनरल साहब ने इस बात को सारी दुनिया के सामने कहा और वह इस हद तक गए कि हमें शायद निमंत्रण इसलिए मिला कि कोई बाहरी देश हमारे देश को मजबूर कर रहा है इस न्यौते को देने के लिए। इसके बावजूद भी हम गए, हमने उनको निमंत्रण दिया और निमंत्रण भी किन परिस्थितियों में दिया? इससे पहले सार्क को दो-चार मीटिंगें स्थगित हो गई थीं। सार्क को बनाने के लिए हम लोग ही जिम्मेदार हैं। जब सारी दुनिया में आंचलिक सहयोग की बात चल रही थी, जब यूरोप के देश एक हो रहे थे, जब मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका एक हो रहे थे, जब आसियान के देश आपस में मिलकर सहयोग बढ़ा रहे थे, उस समय हमने सार्क की स्थापना की थी। सार्क ऐसा फोरम था जहां पर हमारे प्रधान मंत्री जनरल साहब से मिल सकते थे बिना किसी हल्ला-गुल्ला के बिना शोर-शराबे के और बिना किसी अपमान के बात कर सकते थे। उस समय हमें कहा गया कि हम जनतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम लोकशाही में विश्वास करने वाले लोग हैं, किसी अधिनायक के साथ नहीं बैठ सकते। इसके पहले भी सार्क की मीटिंगों में बहुत से लोग गए थे जिन्होंने जनरल के साथ बातें की थीं। मैं उन घटनाओं को याद दिलाने की जरूरत नहीं समझता। मणिशंकर अय्यर जी कभी साथ गए होंगे पाकिस्तान के जनरल के साथ और बंग्लादेश के जनरल के साथ तो मैंने ही बैठकर बात की थी। ऊंचे आदर्शों की बात हमारे प्रधान मंत्री जी ने की। भारत के लोगों ने बड़ी तारीफ की, हमारे समाचार-पत्रों ने कहा कि इतने बड़े जनतंत्र का हिमायती प्रधान मंत्री अचानक एक दिन कह गया कि जनरल साहब को निमंत्रण दे दिया गया और निमंत्रण देने के बाद विरोधी पार्टियों को बुला लिया गया और इन लोगों ने भी कहा बड़ा भारी काम हो रहा है, एक नई शुरूआत हो रही है।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): हम नहीं गए थे।

श्री चन्द्रशेखर: जो भी गए होंगे। एक नई शुरूआत विदेश नीति में हो रही है ऐसा कहा। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बदलने के लिए एक नया कदम उठाया जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि यह सपने कहां से दिखाई दे रहे थे। क्योंकि जो भी जनरल साहब कह रहे थे, इस्लामाबाद से जो भी वहां अखबारों में छप रहा था, जो उनकी भाव-भंगिमा थी, जिस तरह की बातें चली आ रही थी उससे स्पष्ट था कि वह कश्मीर का सवाल उठाएंगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कभी भी हमारे मन में क्या संकोच था कि लोगों की कुर्बानी के बाद, लोगों के बलिदान के बाद, शेख अब्दुल्ला के प्रयासों के बाद जिस कश्मीर ने हमारे देश में आना स्वीकार किया था, उस कश्मीर के सवाल को हम नजरअंदाज कर देंगे अपनी दृष्टि से। याद रखिये कश्मीर हमारे लिए कोई जमीन का सवाल नहीं है, कश्मीर हमारे लिए मौलिक सिद्धांतों, मौलिक आदर्शों का सवाल है। कश्मीर ही ऐसा इलाका है जिसके कारण हम यह कह सके कि हिन्दुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष देश है। सैक्यूलरिज्म में हजारों वर्षों से हमारे देश की जो परंपरा रही है कि मजहब अलग-अलग हो सकते हैं लेकिन भगवान, खुदा तो एक ही है, मंजिल जब एक है तो कौन राही किस राह से वहां पहुंचेगा इसके लिए हम झगड़ा नहीं करेंगे और यह बात साबित की थी कश्मीर के लोगों ने,

अपराह्न 5.00 बजे

और समाप्त की थी, शेख अब्दुल्ला ने यह बात समाप्त की थी, 1947 की लड़ाई के दिनों में और इसीलिए उसके बाद जो संविधान बना, उसमें हमने धारा 370 को स्वीकार किया, लेकिन

[श्री चन्द्रशेखर]

यह बात क्यों नहीं की गई, यह बात क्यों नहीं समझाई गई, दुनिया के सामने इन सवालों को क्यों नहीं रखा गया? जनरल साहब के स्वागत में हम इनते प्रफुल्लित थे, समझते थे कि हमारे पास तो कहने के लिए कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वह सिर्फ मुशर्रफ साहब के पास कहने को है।

सभापति महोदया, बड़ी चर्चा होती है श्रीमती सुषमा स्वराज की और कहा जाता है कि ये कैसे बिना बुलाए चली गईं, बिना निमंत्रण कैसे उन्होंने अपना बयान दिया, मैं आज नहीं कह रहा हूं, जब समाचार पत्रों के लोगों ने मुझसे पूछा कि सुषमा स्वराज बिना बुलाए गई थीं या निमंत्रण मिलने पर गई थीं, मैंने कहा यह मुझे मालूम नहीं, लेकिन सुषमा स्वराज इस देश की एक प्रवक्ता थीं, वे मुशर्रफ साहब की प्रवक्ता नहीं थीं और उन्होंने जो बयान दिया, उसमें सच्चाई कितनी है, मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने इस देश की गरिमा को, इस देश के गौरव को, इस देश के मान-सम्मान को बचाने का काम किया। मैंने उस समय अखबारों में बयान दिया था, उनका मजाक बनाएं, यह ठीक नहीं है। अगर कोई जनरल चिटनिस लूट नहीं करता, तो हमारे लोगों को अनुशासन की कमी की बात दिखाई पड़ती है, लेकिन यह वह दिन भूल जाते हैं जब हमारे प्रधान मंत्री के लाहौर जाने पर वहां के तीनों जनरल नहीं आते हैं और यही मुशर्रफ वहां पर आना मंजूर नहीं करते हैं।

सभापति महोदय, मै समझता हूं कि समझौते हों, मैं चाहता हूं कि आपसी बातचीत हो, लेकिन बातचीत के समय हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि अपने को नीचे झुका कर, अपनी गरिमा को घटाकर, हम कोई बातचीत नहीं कर सकते। बातचीत जब दो देशों के बीच में होती है, तो हमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि उधर लोग क्या सोच रहे हैं।

महोदया, हमने एटम बम बनाया, अणु बम बनाया, बड़ी खुशियां मनाई गई। हमारे जो बड़े प्रबल मंत्री हैं, जो हमेशा सरकार की कमजोरी देखकर, आपको बल देने का काम करते हैं, उन्होंने तो इतना तक कहा था कि हम प्रो-एक्टिव पालिटिक्स करेंगे, कश्मीर में हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। पांच-सात दिन के बाद मैंने अकेले इस संसद में कहा था कि बड़ा अपराध हो रहा है हमारे देश की जनता के साथ, इस क्षेत्र की जनता के साथ, पाकिस्तान की जनता के साथ, हमने कहा कि अणु बम सुरक्षा का हथियार नहीं, यह आक्रमण का हथियार है। यह अपने देश में इस्तेमाल नहीं हो सकता है, यह दूसरे देश में इस्तेमाल होगा, लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर आप लाहौर पर बम गिराएंगे, तो अमृतसर का क्या होगा?

लेकिन प्रधान मंत्री जी, पता नहीं जसवन्त सिंह जी ने आपको सलाह दी या पता नहीं किसने सलाह दी कि आप बस लेकर लाहौर चले गए और अखबारों में छपा कि आपने जवाहर लाल जी को भी पीछे छोड़ दिया, शायद आपको मालूम नहीं होगा, शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा और आप लाहौर चले गए, मैंने कहा यह खतरनाक खेल है। इसी संसद में मैंने कहा है। यह मैं आज नहीं कह रहा हूं, मैंने उस समय भी कहा कि लाहौर जाकर आपने खतरा मोल ले लिया है और हमें कहीं और खतरनाक स्थिति का सामना न करना पड़े। मैं नहीं जानता था कि तीन महीने के अंदर कारगिल हो जाएगा और कारगिल में आप याद रखिए, हमने लोगों को बड़ा उत्साह दिया, शहीदों की शहादत पर बड़ा गर्व किया, अभिमान किया, उनकी चिताओं पर फूल चढ़ाए, लेकिन सभापति जी, क्या नतीजा निकला, एक देश का राष्ट्रपति, इसी संसद के केन्द्रीय कक्ष में कह गया कि कारगिल से पाकिस्तानी आपकी वजह से पास नहीं गए, उस फौज को वहां से वापस करने में हमारी जरूरत पड़ी थी। उस समय क्षमा कीजिए, उनका स्वागत करना सरकार की मजबूरी थी, लेकिन विरोधी पक्ष को उस दावत में जाने की होड़ लगाने की क्या जरूरत थी, मेरी समझ में नहीं आता? क्योंकि जब हम यहां बात करते हैं, तो हमें सोचना चाहिए।

सभापति महोदया, अभी सोमनाथ दादा जो कह रहे थे, मैं उनसे सहमत हूं कि विदेश नीति केवल एक पार्टी का सवाल नहीं है, राष्ट्र की मर्यादा का सवाल होता है कि हम अपनी विदेश नीति किस प्रकार से चला रहे हैं। अचानक एक दिन खबर मिली कि हमारे विरोधी पक्ष के लोग वहां के उच्चायुक्त की दावत पर चाय पर नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने हुरियत को निमंत्रण दे रखा है, अब चाय पर कौन किसको बुलाए या नहीं बुलाए, मेरी समझ में नहीं आता, लेकिन आपने एक इश्यू बना लिया और विरोधी पार्टी के लोगों ने कहा कि हम नहीं जाएंगे। शिवराज जी, आपकी पार्टी ने कहा कि अगर उनका एक प्रतिनिधि जाएगा, तो हमारा भी एक प्रतिनिधि जाएगा। यह बात जब समझ में आई, तो हमारे एन.डी.ए. के मित्रों ने सोचा शायद दुनिया की नजर में हम पीछे न रह जाएं, एन.डी.ए. ने कहा कि हम बिलकुल नहीं जाएंगे।

जब उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे तो विरोधी पार्टियों ने कहा अब हम जरूर जाएंगे। क्या यही एकता है? क्या यही विदेश नीति में एक तरह से सोचने की बात है। जिस समय हुर्रियत के लोगों से जनरल मुशर्रफ मिल रहे थे, उस समय हमारे विरोधी दल के प्रमुख नेता कौरीडोर में बैठ कर इंतजार कर रहे थे कि उनको भी एक बार मिलने का मौका मिल जाए। यह टी.वी. पर दिखाया गया। क्या भारत की एकता, सम्मान, मर्यादा के लिए उस समय हमारे दिल में यह एहसास हुआ या नहीं? मैं आपसे निवेदन

करूंगा प्रधान मंत्री जी, हम इन बातों को इसलिए कह रहे हैं कि हम सब एक ही तरह के हैं, एक ही परिवार के लोग हैं। जब हमने बम बनाया तब वे भी हमारे ही परिवार के लोग हैं, उन्होंने भी पांच की जगह छः बम फोड़ दिए। आपके सहयोगी मित्र आज लड़ाई की बात नहीं करते। आज लड़ाई की बात दूसरी जगहों पर होती है। मैं उसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता, मैं उस बारे में कुछ कहना नहीं चाहता लेकिन फिर आपको गलत सलाह दी जा रही है।

अभी सोमनाथ दादा बोल रहे थे। मैं उनकी बात सुनते हुए अवाक रह गया। उन्होंने कहा, जरूर जाइए, इस रिश्ते को कायम रखिए। हमारे मित्र जसवन्त जी बड़े आशावादी हैं। आशावादिता में वे फिर इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार हो रहे होंगे, कह रहे होंगे जाइए। हम भी मानते हैं कि बातचीत के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन बातचीत जब तक जसवन्त सिंह जी करें, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, जब तक विदेश सचिव करें, कोई ऐतराज नहीं है लेकिन देश के प्रधान मंत्री को इस्लामाबाद ले जाने से पहले सौ बार सोच कर जाइए, कहीं आगरा से बुरी बात न हो जाए। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं, हमारा कोई विरोध नहीं है, हम समझते हैं कि बातचीत के लिए देश को हमेशा तैयार रहना चाहिए लेकिन देश के प्रधान मंत्री को, इसलिए कि हमने कह दिया है और प्रधान मंत्री जी, आपने बड़ी उदारतावश न्यौता स्वीकार भी कर लिया है। उदारता वाली बात उदार लोगों के साथ चलती है। 'शठे शाठयम् समाचरेत्', शठ के साथ उदारता नहीं चलती। हम नहीं कहते कि लड़ाई कीजिए, हम नहीं कहते कि झगड़ा कीजिए लेकिन कहीं ऐसा न हो कि दुनिया के लोग समझें कि हम इस बात के लिए उतावले हैं कि किसी तरह से समझौता हो जाए। समझौता किस बात पर हो? पाकिस्तान के जनरल साहब, पहले के नेता शायद पाकिस्तान की बात इस कड़ाई से नहीं कहते थे कि कश्मीर अकेला मुद्दा है जिस मुद्दे पर हम बात करेंगे और सारे मुद्दे तो गौण हैं। आगरा में बैठ कर अपने भाषण में सम्पादकों के बीच उन्होंने जो कुछ कहा, हमने भी उसे सुना था। उसके बाद भी आपको आशा लगी हुई थी कि किसी न किसी समझौते पर राह निकल जाएगी। लेकिन में पूछना चाहता हूं विदेश मंत्री जी, उनके भाषण को आपने कैसे सीधे प्रसारण होने की अनुमति दी? कहां गए थे आपके खुफिया विभाग, कहां गए थे इन्फौर्मेशन, सुषमा जी, आपका विभाग क्या कर रहा था? आपको पता भी नहीं चला और सारा भाषण सीधा सारी दुनिया को ब्रॉडकास्ट हो रहा था। हम चुपचाप, जैसे सोमनाथ दादा ने कहा, अगर एक पत्रकार महोदय, कोशिश नहीं करते तो शायद आपके दूरदर्शन को उसकी कॉपी भी नहीं मिलती। यह हालत कैसे पहुंच गई? सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह हालत है जिस हालत में हम एक ऐसे पड़ोसी से सम्पर्क करना चाहते हैं जिस पड़ोसी के इरादे साफ नहीं हैं। प्रधान मंत्री जी, आपने बड़ी उदारता से उनको न्यौता दिया। न्यौता देने के बाद उन्होंने तुरन्त क्या काम किया। आपने पहले कहा था कि वे चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हैं, उनसे बात नहीं करेंगे।...*(व्यवधान)* आतंकवाद की छोड़ दीजिए। वह उनके रोके न रूकेगा न चलाए चलेगा, हम लोग ही रोकेंगे और हम इतने असमर्थ नहीं हैं कि उसे रोक नहीं सकते। उसके लिए हम उनसे निवेदन करना इस देश के सम्मान के खिलाफ समझते हैं। मैं नहीं मानता कि पाकिस्तान चाहे और हम रोकना चाहें तो इस देश का आतंकवाद नहीं रूकेगा। यह हमारी कमजोरी की निशानी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैं ऐसा समझता हूं कि कठिनाइयां जरूर होंगी, कठोर निर्णय लेने होंगे, अप्रिय बातें करनी होंगी। लेकिन क्या यह देश इतना असमर्थ है कि पाकिस्तान या दुनिया का कोई दूसरा देश हमारे देश में आकर हिंसा का माहौल बनाए और हम सहन करते रहें? लेकिन अजीब हालत है। वहां हम कहां चले गए थे जब यह बात हुई। ज्यों ही न्यौता गया, उसके चार-छः दिन के अंदर उन्होंने अपने को प्रैजीडैंट डिक्लेयर कर दिया। हमें दुख और लज्जा के साथ कहना पड़ता है कि आज अकेला हिन्दुस्तान है जो उनको प्रैजीडैंट मानता है। वहां का चीफ जस्टिस, वहां की न्यायपालिका नहीं मानती।

वहां की विरोधी पार्टियां नहीं मानती, दुनिया के देश उनको प्रेसीडेंट नहीं मानते और यही नहीं, प्रधान मंत्री जी, भूल करने के लिए आप भी मजबूर थे। पिछले 2-3 वर्षों से मुझे अवधि मालूम नहीं है, कभी हूर्रियत से बात, कभी हिजबुल मुजाहिद्दीन से बात, कश्मीर के मुख्य मंत्री से बिना सलाह किये हुए, बिना बात किये हुए आप इन लोगों को न्यौता देते हैं। नकाबपोश लोगों के साथ हमारे गृह सचिव फोटो खिंचवाते हैं। क्या यह हमारी कमजोरी का द्योतक नहीं था? इन सारी कमजोरियों के बावजूद आप समझते हैं कि वह जनरल, जो कारगिल के लिए जिम्मेदार है, वह आपसे समझौता कर लेगा? आज फिर अगर आपके मन में मोह हो तो उस मोह को जसवन्त सिंह जी के साथ ट्रांसफर कर दीजिए, अपने पास मत रखिये। जरूरत पड़े तो सुषमा जी को भेज दीजिए, आप मत जाइये। वे लोग जिस भाषा को समझते हैं, वह भाषा दूसरी है। वह भाषा छल कपट की है, छल कपट मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि कूटनीति की भाषा जो लोग जानते हैं, सुषमा जी कूटनीति की दक्ष तो नहीं है, लेकिन उन्होंने एक तीर जरूर ऐसा चलाया कि जनरल साहब उससे व्यथित हो गये, मुझे कम से कम इससे प्रसन्नता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, दादा, आप बहुत नेक सलाह देते हैं, मैंने आपके नेतृत्व को मानता हूं, कृपा करके इस सरकार को और गलत रास्ते पर चलने के लिए आप कोशिश मत कीजिए। इनको यह मत कहिये कि चले जाइये, बड़ा अच्छा काम

[श्री चन्द्रशेखर]

है।...(व्यवधान) नहीं जा रहे हैं। हम नहीं सोचते हैं कि प्रधान मंत्री जी जाएंगे, पहले भी मुझे स्वीकार नहीं था, लेकिन एक दिन मैं उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछने गया, तब उन्होंने हमको जो कहा था, वह मैं यहां पर नहीं कहूंगा। उस दिन हमें बड़ी आशा बंधी थी कि प्रधान मंत्री जी ठीक राह पर हैं, मगर पता नहीं, किसका असर आगरा में पड़ा कि वहां जाकर बिल्कुल बदल गये, आगरा में जाकर ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक हो रहा है। आप इस जनरल के चक्कर में मत पड़िये। मैं और बातें नहीं कहना चाहूंगा। मैं इस साल पर कोई भेद पैदा नहीं करना चाहा, मैं कोई विवाद खड़ा नहीं करना चाहता, लेकिन आप शुरू से भूल कर रहे हैं, चाहे आतंकवादियों से किसी तरह बात करने की कोशिश हो और किसी तरह मुशर्रफ साहब को बुलाकर शान्तिदूत बनाने की कोशिश हो, ये दोनों नाकामयाब होने वाली हैं, ये दोनों देशों को विनाश की ओर ले जाएंगी।

मुझे विश्वास है कि प्रधान मंत्री जी और हमारे विदेश मंत्री जी आगरा से सबक लेंगे और उसी भूल को फिर से नहीं दोहराएंगे।

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): सभापति महोदया, मेरी पार्टी माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जनरल परवेज मुशर्रफ को आमंत्रित किए जाने की पहल का स्वागत करती है। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों ने गत 50 वर्षों में इस क्षेत्र में महत्व प्राप्त कर लिया है। जैसाकि हम जानते हैं। इस विभाजन के समय से ही यह समस्या बनी हुई है। तभी से भारत और पाकिस्तान के संबंधों में तनाव रहा है।

अब तक, दोनों देशों के नेताओं के बीच आगरा शिखर वार्ता सहित 16 बार शिखर वार्ता स्तर की बातचीत हुई है। 1972 में शिमला समझौते ने दोनों देशों के बीच मुद्दों के समाधान के लिए ठोस शुरुआत की थी। सभी लोग यह चर्चा करते हैं कि आगरा शिखर वार्ता विफल रही। यदि यह विफल रही भी है तो अब तक हुई 15 बार शिखर वार्ताओं का क्या परिणाम निकला है? जबकि इससे पहले प्रचलित और निर्वाचित नेताओं के नेतृत्व में उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडलों और सैन्य स्तर पर 15 बार चर्चाएं की गई। यह एक सतत प्रक्रिया है। इसलिए आगरा शिखर वार्ता भी उस प्रक्रिया का एक हिस्सा है।

भारत के सम्मान और शांति के लिए वचनबद्धता तथा सभी पड़ोसी देशों के साथ दोस्ताना संबंध अच्छे हैं। हम पड़ोसी देशों के साथ बातचीत के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।

दोनों देश विकासशील देश हैं। हमें अर्थव्यवस्था के विकास पर अपना ध्यान केन्द्रित करना है। दक्षिण एशिया क्षेत्र में शांति नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध कर रहा हूँ कि सीमा पार से आतंकवाद एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है। हमें इसकी निंदा करनी चाहिए। हमें सीमापार से आतंकवाद को किसी भी कीमत पर रोकना होगा। यहां विभिन्न मुद्दे हैं। कश्मीर पाकिस्तान के लिए एक केन्द्रीय मुद्दा है। सीमापार से आतंकवाद हमारे लिए मुख्य मुद्दा है। इन दो मुद्दों के अलावा यहां मंत्री स्तरीय, सचिव स्तरीय या राजनयिक स्तर पर बातचीत जारी रखने हेतु अनेक अन्य मुद्दे हैं। ये मुद्दे संस्कृति, अर्थव्यवस्था और डाक एवं तार से संबंधित है।

यहाँ क्रिकेट सहित अनेक अन्य द्विपक्षीय मुद्दे हैं जिनपर बातचीत की जा सकती है इन सभी क्षेत्रों पर चर्चा किए बिना, प्रत्येक सदस्य एक ही मुद्दे पर बोल रहा है, समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। यह मेरी पार्टी की राय है।

प्रधानमंत्री जी ने भी आगरा शिखर वार्ता के पहले और उसके बाद सभी राजनैतिक पार्टियों के नेताओं के साथ पत्रकारों के साथ तथा सभी के साथ विचारों का आदान-प्रदान किया है। हमने भी आगरा शिखर वार्ता के पहले और बाद में कुछ सुझाव दिए हैं। मेरी पार्टी ने जनरल परवेज मुशर्रफ द्वारा दिए गए निमंत्रण तथा प्रधानमंत्री द्वारा स्वीकार किए गए प्रस्ताव का स्वागत किया है। हमें पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय बातचीत जारी रखनी चाहिए। हमें दक्षिण एशियाई क्षेत्र में शांति बनाए रखनी होगी।

जिस तरह पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने आगरा शिखर वार्ता के दौरान और उससे पहले आचरण किया उससे निश्चित रूप से आगरा शिखर वार्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मुझे आशा है कि पाकिस्तान नेतृत्व समय के साथ-साथ बुद्धिमानी और अधिक जिम्मेदारी से काम लेगा तथा बकाया मुद्दों को हल करने में सहयोग देगा।

निस्संदेह, कश्मीर दोनों देशों के लिए एक भावनात्मक मुद्दा है। मुख्य चुनौती दोनों देशों के लोगों की भावना के अनुसार उचित ढंग से ऐसे मुद्दों को हल करने की है। मेरा मानना है कि दोनों देशों के लोग शांति से रहना चाहते हैं। दोनों देशों में लोग शांति चाहते हैं। इसलिए हमें शिक्षा देनी चाहिए, हमें उसी दिशा में जाना चाहिए। लेकिन अब, हम काफी धनराशि खर्च कर रहे हैं अर्थात् हमारे राजकोष का 30 प्रतिशत रक्षा पर खर्च होता है। यहाँ तक कि पाकिस्तान भी इसी तरह रक्षा पर खर्च कर रहा है। इस बात का हाल की रिपोर्टों से पता चलता है और आई.एम.एफ. इसकी प्रत्येक सप्ताह निगरानी कर रहा है। भारत और पाकिस्तान में यह परिदृश्य है।

अत: वर्तमान स्थिति में, हमें अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करना होगा, हमें शांति बहाल करनी चाहिए। यदि दोनों देशों के बीच सर्वसम्मति नहीं भी बनती है, संयुक्त वक्तव्य नहीं दिया जाता है। कोई समझौता नहीं होता है तो दक्षिण एशियाई क्षेत्र में शांति बहाली के लिए बातचीत जारी रहनी चाहिए। मेरी पार्टी इस पहल का स्वागत करती है और प्रधानमंत्री द्वारा निमंत्रण स्वीकार किए जाने का स्वागत करती है और प्रधानमंत्री को इस्लामाबाद जाना चाहिए।

सभी यह कह रहे हैं कि कोई लिखित कार्यसूची नहीं थी, कोई होमवर्क नहीं किया गया था, अथवा कोई तैयारी नहीं की गई थी। मेरे विचार में, इस देश का प्रत्येक राजनेता, प्रत्येक नागरिक दोनों देशों के बीच संबंधों के बारे में जानता है। 1972 का शिमला समझौता इसका आधार है। यह एक अच्छा समझौता है और इसी को आधार मानते हुए हम अपनी वार्ताओं की पहल कर रहे हैं। फिर, किस तरह की तैयारी की हमें आवश्यकता है? मैं इसके बारे में इस सम्माननीय सदन से जानना चाहता हूँ। सभी को इन सभी बातों की जानकारी है। इसलिए, जब वे यह कहते हैं कि कोई ढांचागत कार्यसूची नहीं थी। कोई होमवर्क इत्यादि नहीं किया गया था। मेरी पार्टी इसे नहीं मानती। हमें द्विपक्षीय वार्ता जारी रखनी चाहिए। हमें दक्षिण एशियाई क्षेत्र में शांति बहाल करने में प्रयत्नशील रहना चाहिए।

श्री पूर्णो ए. संगमा (तुरा): सभापति महोदया, मैं उन सभी मुद्दों को दोहराने नहीं जा रहा हूं जिन पर पहले वक्ताओं विशेषकर श्री माधवराव सिंधिया द्वारा बहुत वाकपटुता से पहले ही भाषण दिया जा चुका है। मैं भिन्न परिप्रेक्ष्य में इस विषय पर बोलने का प्रयास करूँगा।

शिखर वार्ता के बाद, जनरल परवेज मुशर्रफ जब इस्लामाबाद पहुँचे तो उन्होंने घोषणा की और मैं उद्धृत रहता हूं कि "मैं खाली हाथ लौटा हूँ"। मैं प्रश्न पूछता हूँ कि क्या यह सत्य वक्तव्य है। क्या जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान खाली हाथ लौटे थे? यदि वे अपने बारे में बात कर रहे हैं, यदि वे अपने निजी हित अथवा निजी स्वार्थ के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूं वे गलत वक्तव्य दे रहे हैं। यदि वे पाकिस्तान के लोगों के कल्याण के संबंध में बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूं वे सही हैं। वे पाकिस्तान के लोगों के लिए पाकिस्तान खाली हाथ लौटे हैं।

लेकिन स्वयं के लिए, मैं समझता हूं, उन्हें सब चीज मिल गई है। वे यहाँ क्यों आए?

मैं वास्तव में नहीं जानता हमारे प्रधानमंत्री ने उन्हें क्यों आमंत्रित किया। मैं उस मुद्दे का अब भी समाधान नहीं कर सकता। मैं प्रधानमंत्री से पूछता हूँ कि क्या उन्हें आमंत्रित करने में जल्दी नहीं की गई थी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री से निमंत्रण जनरल मुशर्रफ के लिए भगवान की कृपा से भेजा गया एक सुअवसर था। वे यहाँ कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए नहीं आए थे। वे यहाँ दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने अथवा सुधारने के लिए नहीं आए थे। वे यहाँ पाकिस्तान के लोगों के लिए कुछ पाने के लिए नहीं आए थे। वे तख्ता पलट को वैधानिकता दिलाने के लिए यहाँ आए थे, वे यहाँ अपने को स्वयं घोषित पाकिस्तान के राष्ट्रपति पद को वैधानिक दर्जा दिलाने आए थे और इन्हें हमसे ये सब चीजें मिलीं। वे अपने देश उसी मान्यता से वापस गए। उसी वैधानिकता से, उसी प्रकार की शान से और उसी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय आदर सत्कार से अपने देश वापस गए। जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान के लोगों के लिए कुछ लेकर वापस कैसे जा सकते हैं जब वहाँ के लोगों के लिए कुछ पाने का उनका कोई इरादा था ही नहीं।

वे कहते हैं गरीबी कोई मुद्दा नहीं है। शांति कोई मुद्दा नहीं है। प्रगति कोई मुद्दा नहीं है। विकास कोई मुद्दा नहीं है और भारत तथा पाकिस्तान के संबंधों को मधुर बनाना कोई मुद्दा नहीं है। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? व्यक्ति का व्यक्ति से सम्पर्क। आपका आपसी विश्वास पैदा करने वाले उपायों से क्या मतलब है? इन सबके बारे में भूल जाइए। ये असंगत हैं। क्या संगत है कश्मीर-इस पर कदम-दर-कदम दृष्टिकोण।

आप पहले कश्मीर को मुख्य मुद्दा मानिये, तब आगे बढ़िये। अगर आप कश्मीर को मुख्य मुद्दा नहीं मानते तो बाकी चीजें अप्रासंगिक हैं। वह चतुर व्यक्ति हैं। मुझे लगता है कि वह पाकिस्तान के लोगों को यह दिखाने में सक्षम रहे हैं कि वह पाकिस्तान के बारे में चिंतित हैं। पर मुझे नहीं लगता है कि वह पाकिस्तानी लोगों के प्रति चिंतित हैं बल्कि वे अपनी कुर्सी और सत्ता को लेकर चिंतित हैं।

मुझे पता है-श्री येरननायडू ने अभी अभी यह बात कही है कि दोनों देशों के लोग शांति चाहते हैं, दोनों देशों के लोग रक्षा व्यय में कमी लाना चाहते हैं ताकि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम तेजी से लागू किया जा सके। लेकिन जनरल मुशर्रफ यह नहीं चाहते हैं। मेरे पास वर्ष 2001-2002 का पाकिस्तान का पूरा बजट है। उनका 10.5 बिलियन पाकिस्तानी रुपये के घाटे का बजट है। ऋण अदायगी संबंधी व्यय 329.2 बिलियन पाकिस्तानी रुपये का है। रक्षा व्यय 131.6 बिलियन पाकिस्तानी रुपये का है। इन दो पदों का व्यय मिलाकर 460 बिलियन पाकिस्तानी रुपये का है। उनका विकास संबंधी व्यय कितना है? यह केवल 130 बिलियन पाकिस्तानी रुपये का है। वर्ष 2001-2002 में 329 बिलियन के ऋण अदायगी व्यय और 131 बिलियन के रक्षा व्यय के मुकाबले विकास व्यय

[श्री पूर्नो ए. संगमा]

केवल 130 बिलियन पाकिस्तानी रुपये का है। क्या उन्हें अपने बजट की चिंता है? नहीं है। मैं अन्य बातों की ओर नहीं जाना चाहता। मैं सरकार की ओर आलोचना नहीं करना चाहता लेकिन इस वक्त प्रासंगिक बात यह है कि आगे कैसे बढ़ा जाये। विदेश मंत्री ने कहा कि शांति का कारवां चलता रहेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें पुन: बातचीत करनी होगी। बात यह है कि शांति के कारवां के साथ आगे कैसे बढ़ा जाय? हम पाकिस्तान के साथ बातचीत पुन: कैसे शुरू करें? मुझे वाकई नहीं पता; पाकिस्तान का कहना है कि सीमा पार आतंकवाद जैसी कोई बात नहीं है। यह स्वतंत्रता संघर्ष है। उन्होंने कहा "यह स्वतंत्रता संघर्ष है" उन्होंने कहा कि "नियंत्रण रेखा समस्या है, समाधान नहीं; जब तक आप कश्मीर को मुख्य मुद्दा नहीं मानते, मैं एक इंच आगे नहीं बढ़ सकता" अब यदि यही पाकिस्तान का रवैया है, तो हम आगे कैसे बढ़ें? मुझे तरीका नहीं समझ में आता कि कैसे आगे बढ़ा जाय। मैं समझता हूं कि ठीक ही प्रधानमंत्री को आगाह किया है कि क्या वह पाकिस्तान जा रहे हैं? हम उनके यात्रा के खिलाफ नहीं है। यात्रा कीजिए। लेकिन प्रश्न यह है कि आज वहाँ जाकर क्या करेंगे? एक शिखरवार्ता हो चुकी है। सबने कहा कि यह ऐतिहासिक शिखरवार्ता होगी।

जब प्रधानमंत्री ने इस शिखर वार्ता के संबंध में 9 जुलाई को राजनैतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक की थी, मैंने प्रधानमंत्री को शुभकामनायें देने से इंकार कर दिया था। अगर आपको याद हो, हर व्यक्ति कह रहा था "मेरी ओर से आपको शुभकामनायें" मुझे उस दिन शुभकामना देने का कोई कारण समझ में नहीं आया क्योंकि मुझे पता था कि क्या होने वाला है। जब मैंने विदेश मंत्री से पूछा कि एजेंडा कहां है। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को 8 सूत्री एजेंडा सौंपा है लेकिन उन्होंने अब तक जवाब नहीं दिया है। 9 जुलाई को कोई एजेंडा नहीं था। मैंने विदेश मंत्री से पूछा कि पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का स्वरूप क्या है? कितने लोग आ रहे हैं? हमारे प्रतिनिधिमंडल में कौन-कौन लोग हैं? विदेश मंत्री ने कहा कि: हमारे प्रतिनिधिमंडल में प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, विदेश मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वित्त मंत्री शामिल हैं। मेरे अनुसार इतने ही लोग थे। मैं खंडन नहीं कर रहा हूँ। पाकिस्तानी पक्ष ने 9 जुलाई तक अपने दल के स्वरूप के बारे में खबर नहीं दी थी। मैंने यह प्रश्न पूछा कि क्या यह सच है कि पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल में केवल जनरल परवेज मुशर्रफ और विदेश मंत्री अब्दुल सत्तार होंगे? विदेश मंत्री ने कहा कि उन्हें नहीं पता। मैंने कहा कि यही स्वरूप होगा। पाकिस्तान के गृहमंत्री नहीं आ रहे हैं। सीमापार से फैलाये जा रहे आतंकवाद के बारे में चर्चा कौन करेगा जो हमारे लिए मुख्य मुद्दा है पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्री दल के सदस्य नहीं है। द्विपक्षीय संबंधों के बारे में कौन बात करेगा? आर्थिक सहयोग काफी महत्वपूर्ण है। हुआ ऐसा कि कोई चर्चा ही नहीं हुई।

जनरल मुशर्रफ ने यह बात गर्व से कही कि 90% बातचीत कश्मीर पर हुई और बाकी 10% चाय-नास्ते पर। इस दृष्टिकोण से अन्तर्राष्ट्रीय राजनय के इतिहास में यह पहला मौका है जब दो सरकार प्रमुखों के बीच शिखरवार्ता बिना तैयारी या एजेंडे के हुई। हमें क्या करना चाहिए? मुझे नहीं पता कि सरकार को क्या सलाह दी जाय।

लेकिन मुझे लगता है कि कारगिल समीक्षा समिति की रिपोर्ट भविष्य में हमारी मार्ग-निर्देशिका होनी चाहिए। रिपोर्ट के अध्याय 3 में जो कहा गया है, हमें उसे ध्यान में रखना चाहिए और मैं उद्धृत करता हूं:

> "पाकिस्तान ने ऐसा व्यवहार 1971 के युद्ध में हार का बदला लेने और तदनन्तर सियाचीन में असफलता के कारण किया है।
>
> इस संबंध में पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध अपनी रणनीति के अंतर्गत एक दूसरे से जुड़े वृहत रुख अपनाए हैं: शिमला समझौते को न मानना और कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण; भारत के विरुद्ध छद्म युद्ध चलाना ताकि भारतीय सेना आतंकवादरोधी कार्रवाई में फंसी रहे; सामरिक क्षेत्र में भारत के बराबर आने के लिए परमाणु कार्यक्रम चलाना ताकि उपयुक्त अवसर मिलने पर परमाणु क्षमता का प्रयोग करके कश्मीर को हथियाया जा सके।"

पाकिस्तान का यही रुख है। क्या शिमला समझौता प्रासंगिक नहीं हैं? भारत आने से पहले अब्दुल सत्तार ने इस्लामाबाद में क्या कहा? पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा, किसी समझौते के अप्रासंगिक होने में कितना समय लगता है-संयुक्त राष्ट्र संकल्प के बाद 54 साल या शिमला समझौते के बाद 29 साल?" पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने यह बात कही। यदि संयुक्त राष्ट्र संकल्प, शिमला समझौता और लाहौर घोषणा पत्र अप्रासंगिक हो गये हैं तो बचा क्या है? परस्पर विश्वास बढ़ाने वाले उपायों का कोई प्रश्न नहीं है; द्विपक्षीय व्यापार का कोई प्रश्न नहीं है; द्विपक्षीय बातचीत का कोई प्रश्न नहीं है। लाहौर घोषणा पत्र में यथाघोषित परमाणु अप्रसार का कोई सवाल नहीं है, केवल एक मुद्दा बचता है-वह है कश्मीर।

पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दे के अंतर्राष्ट्रीयकरण को हम कैसे लेते हैं। माननीय विदेश मंत्री से मैंने यह उस दिन पूछा था कि यदि यह बातचीत विफल होती है और बिना तैयारी के हम और असफल वार्ता करते हैं तो क्या तीसरे पक्ष द्वारा मध्यस्थता की बात नहीं उठेगी? माननीय मंत्री महोदय ने कहा, इस संबंध में कोई

प्रश्न ही नहीं उठता। क्या यह कहना काफी है कि कश्मीर मुद्दे के अंतर्राष्ट्रीयकरण का प्रश्न नहीं है। 1973 से पाकिस्तान इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठाता रहा है। साल-दर-साल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को वे कश्मीर को एजेंडे पर रखने के लिए नोटिस देते रहे हैं।

मुझे भारत सरकार में बीस साल तक कार्य करने का अवसर दिया है। मैंने न केवल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में हिस्सा लिया है बल्कि अनेक सम्मेलन में मैंने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी किया है। चाहे यू.एन.ओ., आई.एल.ओ., यू.एन.आई.डी.ओ., ई.एस.सी.ए.पी. या राष्ट्रमंडल हो, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर न उठाया हो। चाहे प्रासंगिक हो या नहीं, उन्होंने हमेशा यह मुद्दा उठाया है।

श्री वैको (शिवकाशी): उन्हें हासिल क्या हुआ?

श्री पूर्णो ए. संगमा: हमें क्या मिला?

श्री वैको: मैंने पूछा था कि उन्हें क्या मिला?

श्री पूर्णो ए. संगमा: लेकिन हमें क्या हासिल हुआ?

श्री वैको: आप हमें बता रहे थे कि वे कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं। क्यों उन्हें सफलता मिली?

श्री पूर्णो ए. संगमा: मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। मैं केवल सरकार से प्रश्न पूछ रहा हूँ।

कृपया इन बातों को हल्के ढंग से न लीजिए। मुशर्रफ ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनसे आसानी से निपटा जा सकता है। वह अलग तरह के व्यक्ति हैं। मैंने किसी समाचार-पत्र या पत्रिका में, पढ़ा था जिसमें उन्हें ''मर्सिलेस काउ ब्वाय'' कहा गया था। मुझे इस बारे में पता नहीं, लेकिन यह सच है। कहां ''मर्सीलेस काउ ब्वाय'' और कहां एक भद्रपुरुष। मुशर्रफ की 'काउ ब्वाय'' स्टाइल और भारत के प्रधानमंत्री की भद्रता में कैसी तुलना? मुझे वाकई नहीं मालूम कि दोनों के बीच कैसे बातचीत होगी? मुझे लगता है कि पाकिस्तान अपने केन्द्रीय मुद्दे को लेकर बहुत स्पष्ट है और यदि पाकिस्तान कहता है कि नियंत्रण रेखा समस्या है, समाधान नहीं, तो हमें भी अपने केन्द्रीय मुद्दे को लेकर स्पष्ट होना चाहिए।

यही मैं, कहना चाहता हूं। हमारा केन्द्रीय मुद्दा क्या है? हमारा केन्द्रीय मुद्दा इस सभा द्वारा पारित 1994 का संकल्प है। वह संकल्प क्या है? मुझे सभा को याद दिलाने दें। हमने 22 फरवरी को सभा में संकल्प किया कि ''जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा .... पाकिस्तान को हमले के द्वारा हथियाये गये जम्मू-कश्मीर के हिस्से को खाली करना चाहिए'' यह हमारा केन्द्रीय मुद्दा है। हमें इस पर कायम रहना है और हम इस पर कायम रहे हैं क्योंकि यह सत्र संसद द्वारा आम सहमति से पारित किया गया संकल्प है। यह केवल भारत सरकार का फैसला नहीं है। यह आम सहमति से सभा द्वारा पारित केन्द्रीय मुद्दा है।

यही हमारा केन्द्रीय मुद्दा है। मुझे लगता है कि हमें इसे लेकर चलना है। हमारा देश बड़ा देश है। मैं 1965 की एक बात याद दिलाना चाहूंगा। 1965 में जब पाकिस्तान कश्मीर में घुस आया, तो तब के प्रधानमंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री ने भारतीय सेना को पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय सीमा लांघने के लिए अधिकार दिया। उन्होंने कहा कि वह ऐसा 1950 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई उस टिप्पणी के आधार पर कर रहे हैं कि ''जम्मू और कश्मीर पर किया गया हमला भारत पर किया गया हमला माना जायेगा, जिसका जम्मू-कश्मीर अभिन्न अंग है।''

प्रधानमंत्री जी आपको इतना विनम्र नहीं होना चाहिए। आपको अपनी बात दृढ़ता से कहनी चाहिए। आप एक अरब लोगों के प्रधानमंत्री हैं। हम कौटिल्य के देश के हैं, जिन्होंने हमें शासन संबंधी ग्रंथ अर्थशास्त्र दिया। उनकी शिक्षाओं को याद करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें राजनैतिक भोलेपन का परिचय नहीं देना चाहिए। हमें ''भाई-भाई'' के भावनावाद में नहीं बहना चाहिए। कारगिल के 800 शहीदों की आत्मा का अनादर नहीं करना चाहिए। मुझे माननीय प्रधानमंत्री का एक वक्तव्य पसंद आया-केवल यही वक्तव्य मुझे पसंद आया-जिसमें उन्होंने कहा ''मैंने जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद के प्रोत्साहन पर अपनी बात केन्द्रित रखी। मैंने साफ-साफ शब्दों में कह दिया कि भारत में आतंकवाद और हिंसा से अंतिम मुकाम तक लड़ने का संकल्प, शक्ति और सामर्थ्य है।

मैं आज सभा में इस दृढ़संकल्प को दोहराना चाहता हूं। प्रधानमंत्री को हमेशा ऐसा ही कहना चाहिए।

सभापति महोदय: आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

अब श्री उमर अब्दुल्ला बोलेंगे। वह यहां नहीं हैं। श्री मणिशंकर अय्यर अब बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री अली मोहम्मद नायक (अनंतनाग): चेयरमैन साहिबा, मैं जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखता हूं। जो लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से बोले हैं, बाकी पार्टी के सदस्य बोले हैं....

सभापति महोदय: कश्मीर पर श्री उमर अब्दुल्ला बोल रहे हैं।

श्री अली मोहम्मद नायक: वे तो मिनिस्टर हैं, मैं मिनिस्ट्री के बगैर खड़ा हूं तो मुझे बोलने दें।

[अनुवाद]

श्री वैको: महोदया, कृपया मुझे अनुमति दीजिए।

सभापति महोदय: आप सभी के नाम यहां हैं। मैं माननीय अध्यक्ष द्वारा दिये गये क्रम के अनुसार बुलाऊंगी।

अब श्री मणिशंकर अय्यर बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री मणि शंकर अय्यर (मयिलादुतुरई): सभापति महोदय, शायद ही इस सदन में यहां कोई और होगा जो पाकिस्तान बनने के पश्चात् इतने साल पाकिस्तान में रहा हो, जितना मैं रहा हूं, और शायद ही इस सदन में कोई और होगा जिसने हिन्दुस्तान लौटने के पश्चात् इतनी मर्तबा पाकिस्तान का दौरा किया हो जितना कि मैंने किया। शायद ही और कोई इस सदन में हो जो कि पाकिस्तान के तकरीबन हर इलाके में चाहे वह मरी हो, लाहौर हो, स्वात हो, अटक हो, पेशावर हो, या रावलपिन्डी गया हो।

[अनुवाद]

श्री वैको: कृपया अंग्रेजी में बोलिये।

श्री मणि शंकर अय्यर: कृपया प्रतीक्षा कीजिए। मैं हिन्दी में बोलूंगा और चार-पांच वाक्य के बाद अंग्रेजी में बोलूंगा।

सभापति महोदय: बिना भाषान्तरण के आपको तमिल में नहीं बोलना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मणि शंकर अय्यर: मैं कह रहा था कि शायद ही कोई हो जो लरकाना गया हो, सहवान गया हो, शिकारपुर गया हो, खैरपुर गया हो, मीरपुर खास गया हो, हैदराबाद गया हो, उमरकोट गया हो, ठट्टा गया हो, हबचौक गया हो। कराची में मैं स्वयं रहा था। चूंकि मैं थोड़ा बहुत पाकिस्तान के बारे में जानता हूं, इसलिए मैं न केवल कांग्रेस पार्टी के दूसरे वक्ता के रूप में यहां बोल रहा हूं, बल्कि एक विशेषज्ञ के रूप में भी बोल रहा हूं। इसलिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं कि मुझे यहां अपनी बात रखने के लिए कुछ समय दिया जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आवंटित समय के अन्दर ही अपनी बात समाप्त कर दीजिएगा।

श्री मणि शंकर अय्यर: महोदया, हम पूरी कोशिश करेंगे। महोदया, देश को नहीं पता कि सरकार आगरा शिखर वार्ता से क्या चाहती थी। वे इसे सफल करने के लिए काम कर रहे थे या विफल करने के लिए? पिछले मंगलवार को जब यह चर्चा शुरू हुई तो भाजपा की तरफ से चर्चा शुरू करने वाले वक्ता डा. विजय कुमार मल्होत्रा द्वारा गर्व से यह बात कहने पर मुझे आश्चर्य हुआ, जो हमेशा की तरह और भाजपा के वक्ताओं की परंपरा के अनुसार अपना भाषण समाप्त करने के बाद यहाँ होते नहीं हैं। मुझे उनके द्वारा अटलजी को इस बात के लिए बधाई देने पर आश्चर्य हुआ कि अटलजी ने राष्ट्रपति मुशर्रफ को पाकिस्तान खाली हाथ वापस भेज दिया। मुझे यह जानकर और आश्चर्य है कि राष्ट्रपति मुशर्रफ को खाली हाथ भेजने में गर्व की अनुभूति केवल डा. विजय कुमार मल्होत्रा की निजी राय नहीं है बल्कि लगता है कि यह भाजपा की पार्टी की राय है। यहां जो विरोधाभास है, उसे मैं सभा के ध्यान में लाना चाहता हूं।

महोदया, इस सभा में प्रधानमंत्री ने 24 जुलाई को कहा और मैं उनके वक्तव्य के 13वें पैरा से उद्धृत करता हूं:

> ''हम प्रचार लाभ नहीं चाहते या चर्चा में वाहवाही नहीं लूटना चाहते''

उन्होंने कहा कि 'हम शांतिपूर्ण, गंभीर कूटनीति में संलग्न होंगे''। यह परिपक्व टिप्पणी है। मैं इसका स्वागत करता हूँ। लेकिन अचानक आगामी रविवार यानि 29 जुलाई को, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के 5 दिन बाद सुर बदल गया। हमारे अनुभवी और जिम्मेदार एन.डी.ए. के प्रधानमंत्री भाजपा के असली स्वरूप में आ जाते हैं। उस बैठक की एक रिपोर्ट मेरे पास है, जो इंडियन एक्सप्रेस से ली गई है और जिसे सुश्री आरती जेराय और श्री प्रदीप कौशल ने लिखा है। मैं इसे पढ़ना चाहता हूं। संघ के पास इसका कारण था ''भारत से जाते समय आपने मुशर्रफ का चेहरा नहीं देखा। मैंने देखा'' वाजपेयी ने कहा। मुंह लटकाये हुए थे। वाजपेयी जी ने कहा, ''वह लौटना नहीं चाहते थे क्योंकि वह खाली हाथ थे। अगर मैं उनसे रुकने को कहता, तो वह रुक जाते। मैंने नहीं कहा। मैंने उन्हें साथ फोटो खिंचवाने का भी अवसर नहीं दिया। मैंने महसूस किया कि चर्चा सफल नहीं होगी। वह सैनिक की भाषा बोल रहे थे और उनके साथ बातचीत का कोई हल नहीं निकलता। उन्होंने कहा कि यह साफ हो गया था कि शिमला और लाहौर समझौतों को मानने की मुशर्रफ की

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण।

नीयत नहीं थी। आगरा में हस्ताक्षरित समझौते के पालन की उनसे उम्मीद नहीं थी'' वाजपेयी जी ने कहा। महोदया, जहां, तक मुझे पता है, इस रिपोर्ट का खंडन नहीं किया गया है।

महोदया, आपके माध्यम से प्रधानमंत्री से मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या राष्ट्रपति मुशर्रफ ने आगरा में कुछ भी ऐसा कहा जो उन्होंने बार-बार न कहा हो, न केवल अक्तूबर 1999 में सत्ता संभालने के बाद, बल्कि बार-बार कहा हो? यहाँ आने की पूर्व संध्या पर, उन्होंने बार-बार वही कहा जो वह आगरा में कहने वाले थे। हमें पता था कि वह क्या कहने वाले हैं, फिर भी पाकिस्तानी राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री द्वारा आमंत्रित करने की बात इस्लामाबाद से आने वाले वक्तव्यों पर प्रधानमंत्री कार्यालय किस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा था?

महोदया, मेरे पास संसद ग्रंथालय द्वारा दिया गया भारत-पाक संबंध, आगरा शिखर वार्ता का विध्वंसक मसौदा है। यह ''टाइम्स आफ इंडिया'' के संपादक के लेख की अनुकृति है। यह वही संपादक हैं, जिन्होंने टाइम्स आफ इंडिया के संपादक के पद को देश में प्रधानमंत्री के बाद दूसरे सबसे महत्वपूर्ण पद की संज्ञा दी थी।

यह लेख स्वयं श्री दिलीप पडगांवकर ने लिखा था और यह साफ है कि यह 29 जून, 2001 को प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा टाइम्स आफ इंडिया को दी गई ''ब्रीफिंग'' अति उच्चस्तरीय ब्रीफिंग विशेष ''ब्रीफिंग'' के आधार पर लिखा गया था। इसमें कहा गया है:

''मध्य जुलाई में शिखर बैठक के दौरान प्रधानमंत्री वाजपेयी नई दृष्टि और कठोर वास्तविकता बोध के आधार पर राष्ट्रपति मुशर्रफ के साथ मिलकर आपसी महत्व के समस्त मुद्दों को हल करने का उद्देश्य रखते हैं।''

जब हम राष्ट्रपति मुशर्रफ को बार-बार यह कहते हुए सुन रहे थे कि उनकी रुचि केवल मुख्य मुद्दे-जम्मू और कश्मीर पर बात करने में है, वे लोग इस तरह का आकलन कर रहे थे। इन सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री कार्यालय से सीधे कहा गया ''वाजपेयी मुशर्रफ से और अधिक बातों को जानने के इच्छुक हैं''। सूत्रों ने बताया कि टेलीफोन पर बात करने के बाद वाजपेयी मुशर्रफ से प्रभावित हुये हैं। प्रधानमंत्री को कहते हुए उद्धृत किया गया, ''उन्होंने कई बार जनरल की नेकनीयती, सरलता, सहृदयता, स्पष्टवादिता की बात की है।'' सूत्रों ने बल दिया कि ''प्रधानमंत्री के लिये अभी सबसे महत्वपूर्ण बात है। 50 वर्षों की शत्रुता, परस्पर सन्देह और अविश्वास को समाप्त करना'' सूत्रों ने आगे कहा कि 'वाजपेयी का मानना है कि जनरल मुशर्रफ का भी यही एजेण्डा होगा।

मैं इस आश्चर्यचकित कर देने वाले भोलेपन को भूल नहीं पा रहा। असल में यदि प्रकाशित खबर के बारे में वाकई इन सूत्रों ने प्रमुख भारतीय समाचार पत्र के संपादक को नहीं बताया होता तो मैं उम्मीद करता कि प्रधानमंत्री कार्यालय या विदेश कार्यालय के प्रवक्ता 29 जून की इस रिपोर्ट में प्रकाशित तथ्यों की सत्यता का खंडन कर देंगे। लेकिन ऐसा करने की बजाय मीडिया में बार-बार कहा गया कि सारा हो-हल्ला तर्कसंगत है क्योंकि राष्ट्रपति मुशर्रफ और श्री अटल बिहारी वाजपेयी वाकई भाई-भाई हैं।

अब प्रधान मंत्री कहते हैं कि उन्होंने राष्ट्रपति मुशर्रफ को लटके मुंह और खाली हाथ वापस भेज दिया। क्या इसीलिए उन्होंने राष्ट्रपति को यहाँ आमंत्रित किया था? क्या उन्होंने लटके मुंह से वापस भेजने के लिए आमंत्रित किया था? क्या उन्होंने खाली हाथ वापस भेजने के लिए आमंत्रित किया था? क्या उन्होंने मुशर्रफ को इसलिए आमंत्रित किया था कि यहाँ उनकी बेइज्जती की जाय? उन्हें आमंत्रित किया जाने का उद्देश्य क्या था? मेरे अनुसार यही प्रश्न है जिसका प्रधानमंत्री को बोलते समय जवाब देना है। उन्हें क्या हासिल करने का विश्वास था? प्रधानमंत्री का लक्ष्य क्या था? क्या वार्ता को विफल करने और उसमें गौरवान्वित होने का उनका लक्ष्य था या शिखरवार्ता की सफलता के जरिए इस उपमहाद्वीप में आशा और सफलता उनका तथ्य था? अगर उनका उद्देश्य वार्ता की सफलता थी, तो प्रधानमंत्री को पूरी ईमानदारी से इस देश को बताना चाहिए कि वार्ता विफल हो गई, उन्हें स्वयं कुछ नहीं हाथ लगा और उनका मुंह लटका है। वास्तव में क्या यह मेकियावेलियन या चाणक्य का तरीका है? हमारे चाणक्य श्री पी.ए. संगमा सभा से जा चुके हैं; उन्होंने अभी बड़े गौरव से उन्हें उद्धृत किया है।

क्या यह मेकियावेलियन तरीका है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति को आमंत्रित कर, उन्हें खाली हाथ वापस भेजा जाय? यदि हाँ, तो मुझे लगता है कि सभा को यह जानने का अधिकार है कि प्रधानमंत्री की रणनीति शिखरवार्ता को विफल बनाने की थी।

इस शिखर वार्ता की असफलता को हम प्रधानमंत्री की सफलता नहीं मान सकते। महोदया, हमें वहां जो सहना पड़ा, इस महान देश के नागरिक के रूप में मैं उस पर अत्यधिक अपमानित महसूस कर रहा हूँ। यदि सरकार अपने कार्यनिष्पादन के बारे में गौरव महसूस करती है तो मुझे लगता है कि हमें आगे और राजनयिक असफलताओं से गुजरना होगा।

महोदया, मैं दूसरी समस्या की ओर आना चाहता हूँ। इस वाद-विवाद में, भाजपा के प्रथम वक्ता के रूप में बोलते समय श्री विजय कुमार मल्होत्रा ने दूसरी सभा में 23 नवम्बर, 2000 को दिये गये श्री प्रणव मुखर्जी के वक्तव्य को उद्धृत किया। यद्यपि, महोदया, आपके अपने नियमों और कौल तथा शकधर के अनुसार

[श्री मणि शंकर अय्यर]

मंत्रियों द्वारा दूसरी सभा में दिए गए नीति संबंधी वक्तव्यों को ही इस सभा में उद्धृत किया जा सकता है। फिर भी, अध्यक्षपीठ ने श्री वी.के. मल्होत्रा का पक्ष लेते हुए उन्हें श्री प्रणव मुखर्जी के वक्तव्य में से जो भी वह उद्धृत करना चाहते थे, उसकी अनुमति दे दी। जो कुछ उद्धृत किया गया मैं, उसके एक शब्द से भी इन्कार नहीं करता और मैं यह भी नहीं कहना चाहता हूं कि यह विषय से हटकर उद्धृत किया गया था। मैं स्वीकार करता हूँ कि उद्धृत किए गए प्रत्येक शब्द को ठीक प्रकार से उद्धृत किया गया था। मेरे पास पूरा वक्तव्य है। मुझे श्री वी.के. मल्होत्रा द्वारा दिए गए उद्धरणों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। यह बात स्पष्ट है कि श्री प्रणव मुखर्जी ने वहां जो कुछ कहा उसको श्री वी.के. मल्होत्रा ने बड़े गौरव के साथ उद्धृत किया कि वह कांग्रेस को झुकाने में सफल रहे। मैंने अपने मसौदे में श्री विजय कुमार मल्होत्रा लिखा था लेकिन अब लगता है कि मुझे इसे भारत सरकार कहकर बदलना होगा कि वे किसी वार्ता के लिए पूर्व शर्तों और उसके सम्पन्न होने की शर्तों के बीच अन्तर नहीं कर सके हैं।

श्री प्रणव मुखर्जी का कहना था कि "हमें पाकिस्तान के साथ रहना होगा और यदि हमें पाकिस्तान के साथ रहना है तो हमें शांतिपूर्वक रहना चाहिए। गहन वार्ता के अलावा पाकिस्तान के साथ इस समस्या को सुलझाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है।" क्या इसमें विरोधाभास नहीं है, वह यह कहने की कोशिश कर रहे थे कि आपने इन अप्रासंगिक शर्तों को रखा है? भारत सरकार, पाकिस्तान सरकार की प्रकृति को कैसे बदलने जा रही थी? न तो आपने वहां तख्ता पलट करवाया था और न ही आप उस सैन्य शासन को समाप्त करने में सक्षम हैं। आप घुटने टेक कर और याचना से इस सीमा पार के आतंकवाद को कैसे समाप्त कर सकते हैं? आप उन्हें वैमनस्यपूर्ण प्रचार से कैसे रोक सकते हैं? ये सारी बातें पाकिस्तान में जमीनी हकीकत के अभिन्न अंग है। यह वही देश है जिससे हमें निपटना है। श्री प्रणव मुखर्जी दूसरी सभा में जो कह रहे थे वह यह था कि कृपया, वार्ता के लिए इन पूर्व शर्तों को न रखें। सफलतापूर्ण वार्ता के बाद ही हमें शत्रुतापूर्ण प्रचार पर रोक लगाने में सफलता हासिल होगी। सफलतापूर्ण वार्ता के बाद ही हम सीमा पार से आतंकवाद को रोक पाएंगे, सफलतापूर्ण वार्ता के बाद ही शायद पाकिस्तान प्रजातंत्र बनने के अधिकार को प्राप्त कर सकेगा। वह वार्ता के लिए पूर्व शर्तों और उसके सम्पन्न होने की शर्तों के बीच अन्तर स्पष्ट कर रहे थे और श्री विजय कुमार मल्होत्रा के वक्तव्य से लगता है कि सरकार इन दोनों के बीच के अन्तर को समझ पाने में असमर्थ है।

महोदया, मुझे आश्चर्य है कि यह वार्ता और शिखर वार्ता के बीच के अन्तर को नहीं समझ सकती है। वार्ता के लिए तैयारी अपेक्षित होती है। शिखर वार्ता के लिए और अधिक तैयारी की जरूरत होती है। पूर्व प्रधान मंत्री, श्री चन्द्रशेखर ने सहृदयपूर्वक शिखरवार्ताओं के मेरे लम्बे अनुभवों का जिक्र किया। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि स्वर्गीय डेंग जिमोपिंग के साथ शिखर वार्ता के लिए स्वर्गीय राजीव गांधी ने किस तरीके से चार वर्षों तक तैयारी की थी। शिखर वार्ता में आपको बैठकर मसौदे के शब्दों के बारे में लम्बी विस्तृत चर्चाएं नहीं करनी होती है। बेजिंग में जो कुछ हुआ वह था कि डेंग जिमोपिंग पहुंचे, उन्होंने स्वर्गीय राजीव गांधी का हाथ पकड़ा और इसे विश्व के टेलीविजन कर्मियों के सम्मुख हिलाते रहे। उस समय ऐसा हाथ मिलाना आज भी तेरह वर्षों बाद गुंजयमान है। यह प्रत्येक चांसलरी में गुंजायमान है। प्रतिपक्षियों के बीच शिखर वार्ता इसी तरह की होनी चाहिए।

दूसरी तरफ, किसी वार्ता की रूपरेखा पिरामिडीय ढांचे में कई स्तरों पर तैयार की जाती है। आप इसे राजदूतों और उच्चायुक्तों से आरम्भ करते हैं। तब आप संयुक्त सचिव स्तर पर आते हैं। वहां से आपस सेक्टोरल सचिवों तक आते हैं जो वाणिज्य, उद्योग, वीसा और इन सभी चीजों की देखरेख करते हैं। तत्पश्चात आप मंत्रियों या पूर्णाधिकार प्राप्त व्यक्तियों को भेजते हैं और तब आप विदेश सचिव स्तर पर आते हैं। इसके उपरान्त आप विदेश मंत्रियों पर आकर पिरामिड के शिखर पर आते हैं। क्या आप शिखर पर पहुंच पाते हैं। शिखर पर पहुंचने के लिए आपको शेरपाओं की आवश्यकता पड़ती है। यदि आप सर एडमंड हिलेरी हैं तो भी आपको शिखर पर पहुंचने के लिए तेनजिंग की आवश्यकता पड़ती है, प्रधानमंत्री, महोदय माउंट एवरेस्ट पर अकेले चढ़ने का निर्णय करके आपने बड़ी गलती की है। तीन वर्षों से जबसे आप प्रधान मंत्री बने इसी बड़ी विफलता से हम बार-बार कष्ट उठाते रहे हैं।

महोदया, पाकिस्तान के संबंध में और बात यह है कि वार्ता की रूपरेखा पहले ही तैयार कर ली गई है। इसकी रूपरेखा तब बनी थी जब जून, 1997 में श्री सलमान हैदर, पूर्व विदेश सचिव इस्लामाबाद गए थे और उन्होंने वहां ऐसी व्यवस्था तैयार की थी जिसके आधार पर हम पाकिस्तान से बातचीत करेंगे।

प्रधानमंत्री बनने के बाद, प्रधानमंत्री को प्राथमिकता श्री गुजराल के नीति निर्देशक तत्वों की कमियों में सुधार को देनी चाहिए थी। इनमें कई कमियां थी। इन कमियों में सुधार करने के बजाय वे स्वयं ही शिखर वार्ता में कूद पड़े। ऐसा उन्होंने दो बार किया। पहाड़ की चोटी से छलांग लगाने के बाद उनका गिरना और उनके घूटने टूटना स्वाभाविक ही था।

कूटनीति में शिखर वार्ता के दो प्रयोजन होते हैं। पहला यह कि किसी प्रक्रिया को आरम्भ करना और दूसरा यह कि किसी प्रक्रिया को समाप्त करना अगर आपके पास ऐसी शिखर वार्ता है

जिससे न तो कोई प्रक्रिया आरम्भ होती है और न ही कोई प्रक्रिया समाप्त होती है तो ऐसी शिखर वार्ता प्रक्रिया में व्यवधान डालकर ही समाप्त हो जाती है। दो वर्षों में दो बार इन शिखर वार्ताओं के माध्यम से हमने प्रक्रिया में बाधा ही पहुंचाई है।

महोदया, यह कैसा विरोधाभास है कि जो तैयारी राष्ट्रपति क्लिंटन ने प्रधानमंत्री के साथ अपनी शिखर वार्ता के लिए की थी वैसी ही तैयारियां लाहौर और आगरा शिखर वार्ता के लिए की गई थीं। यह प्रतिपक्षियों के बीच होने वाली वार्ता नहीं थी। संयुक्त राज्य अमेरिका और हम मित्र हैं। लेकिन क्योंकि पिछले 22 वर्षों में पहली बार राष्ट्रपति क्लिंटन भारत के प्रधानमंत्री के साथ शिखर वार्ता की तिथियों का निर्धारण कर रहे थे इसलिए उन्होंने पहले श्री जसवंत सिंह और श्री स्ट्रोब तालवोट के बीच दस दौर का विचार विमर्श करवाया। जब सरकार से अमेरिकी पूरी तरह आश्वस्त हो गए तब उन्होंने मन ही मन निर्णय किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित प्रत्येक उस मामले में चाहे वह कितना छोटा ही क्यों न हो उस पर भारत सरकार की स्थिति क्या है। उन्होंने कहा कि "22 वर्षों में पहली बार राष्ट्रपति क्लिंटन यहां आएंगे।" जब वे यहां आए तो क्या हुआ? उन्होंने बुखारा में रात्रिभोज किया-जिसके परिणामस्वरूप हमें विश्व प्रसिद्ध रेस्टोरेंट मिला-और राजस्थान में भव्य समारोह का आयोजन हुआ। इसके बाद वे वापस चले गए। क्या इसी उद्देश्य के लिए शिखर वार्ताएं की जाती हैं, उनका प्रयोजन राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री द्वारा बैठकर वार्तालाप करना नहीं है कि परन्तु को हटा दिया जाए या 'अथवा' को बदल दिया जाना चाहिए या नहीं। यह कार्य बहुत निचले स्तर पर किया जाता है। राष्ट्रपति क्लिंटन ने श्री स्ट्रोब तालबोट की जसवंत सिंह के साथ दस दौर की वार्ता करवाकर जो कुछ किया उसे व्यवसायिकता कहा जाता है। आपने जो किया वह सब अनाड़ीपन ही था, आगरा की गलतफहमी में लाहौर की गलतफहमी प्रतिबिम्बित हुई। जब लाहौर में पिछली शिखरवार्ता हुई थी तो उस समय कोई प्रशंसा, कोई मूल्यांकन और पाकिस्तानी खतरे की कोई आशंका नहीं थी। महोदया, मैं अपने साथ डा. डी.आर. मानकेकर की पुस्तक "द गिल्टी मेन ऑफ 1962" के कुछ अंश लाया हूँ और मैंने सचिवालय को इसके प्रमाणिक अंश पहले ही दे दिए हैं और मांग की है कि इसे सभा पटल पर रखा जाए*। यह संस्करण वह संस्करण नहीं है जो पहली बार बहुत पहले प्रकाशित किया गया था बल्कि यह संस्करण वह था जिसे पेंगुइन बुक्स द्वारा 1999 में प्रकाशित किया था। मूल संस्करण और इस संस्करण में अन्तर केवल इतना है कि इस संस्करण में श्री जार्ज फर्नान्डीज का प्राक्कथन है और जब उन्होंने इसे लिखा उस समय वे भारत सरकार में रक्षा मंत्री थे। इस प्राक्कथन में नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 1998 की तिथि डाली गई है। उस समय नौ महीनों तक वह रक्षा मंत्री थे। प्रधान मंत्री इसके दो महीने बाद लाहौर यात्रा की तिथि निर्धारित कर रहे थे। हम भी जानते हैं कारगिल में क्या हो रहा था, भारत-पाकिस्तान सीमा पर क्या हो रहा था और रक्षा मंत्री क्या जानते हैं। भारत का रक्षा मंत्री आज कोई छोटी हस्ती नहीं है। आज वह राजग के संयोजक है इसलिए, वास्तव में वे राजग के नेता हुए। वे कहते हैं जिसे मैं उद्धृत करता हूं: "सुप्रोत्साहित मिथक कि भारत की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान से खतरा है, विस्फोटित हो गया है"। दिसम्बर 1998 में भारत के रक्षा मंत्री ने उस पुस्तक के प्रकाशन के लिए प्राक्कथन को सावधानीपूर्वक लिखते हुए जो भारत के सर्वाधिक अपमानजनक सैन्य संकट से संबंधित है, पाकिस्तान से खतरे को 'मिथक' के रूप में वर्णित किया है।

*अध्यक्ष ने बाद में आवश्यक अनुमति नहीं दी, इसलिए दस्तावेज को सभा पटल पर नहीं रखा गया।

सायं 6.00 बजे

वह कहते हैं 'कि यह सुप्रोत्साहित मिथक है।' वह 'अब' दिसम्बर 1998 में कहते हैं कि यह मिथक विस्फोटित हो गया है।

यदि अब प्रधानमंत्री की सरकार के भारत के रक्षा मंत्री मानते हैं कि दिसम्बर, 1998 में पाकिस्तान से कोई खतरा नहीं है तब इस खतरे का मुकाबला करने के लिए भारतीय सैन्य बल कैसे तैयार हो सकते हैं? यह एक प्रकार की अन्धता है-यह जानबूझकर दिखाई गई अन्धता है। यह जानबूझकर आंखे मूंदना है। धृतराष्ट्र द्वारा यह ऐसा पाप है जो जन्म से अन्धेपन के कारण नहीं बल्कि इसलिए हुआ कि वह पांडवों और कौरवों के बीच अन्तर नहीं कर सका-यह इस प्रकार की अन्धता है। जिसे मैंने कारगिल समीक्षा रिपोर्ट के अध्याय 3 में पाया जिसमें इसका विस्तृत ब्यौरा है और जिसको हमारे मित्र श्री पी.ए. संगमा ने उद्धृत किया। मैं भी उससे उद्धरण देना चाहता हूँ लेकिन बार-बार ऐसा नहीं करूंगा।

हमें कारगिल समीक्षा समिति पर वाद-विवाद करना होगा। तब ही हम इसके पूरे ब्यौरे पर आ पाएंगे। मैं इससे कुछ वाक्य पढ़ना चाहता हूं। इसके पहले 15 पृष्ठों से संकेत मिलता है कि जब भारत के रक्षा मंत्री जार्ज फर्नान्डीज कह रहे थे कि पाकिस्तान को खतरा मिथक है उस समय कारगिल सीमा पर क्या स्थिति थी। इसमें लिखा है:

> "वर्ष 1998 की घटनाएं, उच्च स्तर की उग्रवादी गतिविधियों का संकेत थी जैसाकि विभिन्न आसूचना रिपोर्टों में बताया गया है। टोह संबंधी प्लाटूनों ने जनवरी के अन्त में और फरवरी के आरम्भ में कारगिल सेक्टर में नियंत्रण रेखा पार की (अर्थात उनके लाहौर जाने से पहले)। वे अत्यधिक सर्दी और बर्फ से बचने के ऐसे साजो सामान से सुसज्जित थे जिसकी खरीद केवल यूरोप से ही की जा सकती है और इस बात की जानकारी यूरोप में तैनात भारतीय रक्षा स्टैचीज को जरूर रही होगी।"

[श्री मणि शंकर अय्यर]

कारगिल समीक्षा समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि 1998 में नियंत्रण रेखा के पार से बमबारी में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि तथा याकों, टट्टुओं और वाहनों से एक लाख किलोग्राम तक ढेर लगाए गए गोला-बारूद के समाचारों के साथ-साथ एफसीएनए क्षेत्र अर्थात् पाक अधिकृत कश्मीर के उत्तरी क्षेत्र) में होने वाली गतिविधियों के बारे में कई तरह की अलग-अलग सूचनाएं थी। समीक्षा समिति में कहा गया है कि ''रॉ'' ने सीमित किन्तु तेज आक्रमण की आशंका जताई थी। इसमें कहा गया है कि भारतीय कमांडर, कमांडर 121 इनफैन्ट्री-ब्रिगेड, ने कारगिल क्षेत्र में बढ़े हुए खतरे की आशंका व्यक्त की थी और अंत में जोकि मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि के. सुब्रहमण्यम और उनके सहयोगियों की ओर से बताया गया है कि इस आशंका की पुष्टि इस बात से होती है कि इस पूरे षडयंत्र में नवाज शरीफ पूरी तरह से शामिल थे और जब उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री का लाहौर में गर्मजोशी से स्वागत किया था, तो उन्हें कम-से-कम यह तो मालूम ही था कि कारगिल योजना पर जोर-शोर से बल दिया जा रहा है।

फिर भी, प्रधान मंत्री गए। क्या उन्हें लाहौर से सबक मिली है। गलती कोई भी कर सकता है। प्रधानमंत्री भी गलती कर जाते हैं, किन्तु वे इन गलतियों से सबक लेते हैं। क्या सरकार ने बताया है कि उसने लाहौर से सबक सीखा है?

महोदया, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति मुशर्रफ को बिना किसी पूर्व तैयारी के शिखर वार्ता के लिए आमंत्रित किया। इस बात का प्रमाण है कि विदेश मंत्री ने पाकिस्तान में एक टीम भेजने की कोशिश की थी, किन्तु पाकिस्तान ने इसे 'न' कहकर ठुकरा दिया था। फिर क्यों नहीं शिखर वार्ता को स्थगित किया गया? क्यों बिना किसी पूर्व तैयारी के शिखर वार्ता करने की अनुमति दी गई?

अब हम जम्मू और कश्मीर के मामले को लेते हैं।

सभापति महोदया: कृपया अब समाप्त करें।

श्री मणि शंकर अय्यर: महोदया, मैं बस समाप्त ही कर रहा हूँ। अब यह समाप्त ही होने वाला है। किन्तु, आप यह मानेंगी कि मैं प्रसंग के अनुकूल चल रहा हूं।

जम्मू और कश्मीर की बात लीजिए। हम इस बात से बहुत आहत है कि राष्ट्रपति मुशर्रफ इसे ''विवाद'' का विषय कहकर संबोधित करते हैं। हम इस पर आपत्ति जताते हैं। हम इससे असहमत हैं। मैं भारत सरकार को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उसने इस पर आपत्ति जताई, असहमति व्यक्त की और इस बात पर जोर दिया कि कश्मीर कोई विवाद का विषय नहीं है, और कश्मीर से जुड़ा यदि कोई विषय है भी तो वह है जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद का खात्मा।

महोदया, प्रधान मंत्री वाजपेयी के आमंत्रण पर राष्ट्रपति क्लिंटन संसद के केन्द्रीय कक्ष में आए थे। उनके भाषण का एक दूसरा अंश था जिसका हवाला माननीय श्री चन्द्रशेखर जी ने दिया था। श्री क्लिंटन केन्द्रीय कक्ष में आए और उन्होंने जम्मू और कश्मीर का उल्लेख एक 'विवादित' विषय के रूप में किया। क्या प्रधान मंत्री ने इस पर आपत्ति जताई थी? क्या विदेश मंत्री ने आदरपूर्वक इससे असहमति व्यक्त की थी?

सायं 6.05 बजे

(श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन* हुए)

मेरे पास राष्ट्रपति क्लिंटन द्वारा केन्द्रीय कक्ष को किए गए संबोधन का अंश है। मैं आपका ध्यान इसकी पृष्ठ संख्या 9 की ओर आकृष्ट कर रहा हूँ।

क्लिंटन ने कहा था, ''कश्मीर के विवाद पर मध्यस्थता करने के लिए'' वह हमारे सम्मानित अतिथि है। वह संसद के इस सर्वाधिक पवित्र भाग केन्द्रीय कक्ष में आए और जम्मू और कश्मीर को एक विवाद का विषय बता गए। मेरा मानना है कि दस दौर की बातचीत के बाद श्री जसवंत सिंह उन्हें इस बात से अवगत करा चुके थे कि हम जम्मू और कश्मीर से जुड़े किसी भी मसले को विवाद का विषय नहीं मानते हैं राष्ट्रपति ने हमारे केन्द्रीय कक्ष में आकर इसे विवाद का विषय बताने की चेष्टा कर डाली। जहां तक मैं जानता हूँ कि भारत सरकार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने इसे विवाद का विषय बताने पर अमेरिकी सरकार से विरोध जताया है।

प्रधान मंत्री स्वयं प्रत्युत्तर में बुलाई गई शिखर वार्ता में भाग लेने के लिए वाशिंगटन गए थे। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया था कि राष्ट्रपति क्लिंटन के साथ प्रधान मंत्री की बातचीत की कार्यसूची में जम्मू और कश्मीर शामिल नहीं है तथापि व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में राष्ट्रपति क्लिंटन ने दबाव देकर जम्मू और कश्मीर को उस कार्य-सूची में शामिल नहीं करवाया। क्या इससे राष्ट्रपति मुशर्रफ के बारे में यह संकेत नहीं मिलता कि वह भारत को केवल कटघरे में खड़ा करना चाहते थे जहां भारत अपने घुटने टेक देता?

मैं भारत सरकार को बधाई देता हूँ, मैं नहीं जानता कि वे कहां तक इसके लिए जिम्मेदार हैं किन्तु मेरा मानना है कि हम अपने आप को बधाई दे सकते हैं। वह इसलिए क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने कहा है कि 40, 50 और 60 के दशक के संयुक्त राष्ट्र के संकल्प स्वतः लागू नहीं होते हैं यह अच्छी बात है कि कम से कम हम इतना प्राप्त करने में तो सफल हुए। क्या विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के भारत आगमन

पर उनसे यह पूछा था कि क्या उनका स्वत: लागू न होने वाला वक्तव्य मार्च, 1998 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधान मंत्री बनने के बाद अन्तर्राष्ट्रीय राजनय क्षेत्र में प्रकाश में आए दो दस्तावेजों पर भी लागू होता है या नहीं। पहला वक्तव्य जेनेवा में समूह 8 के देशों के शिखर सम्मेलन से उभरकर सामने आया था जिसमें यह मांग की गई थी कि हम कश्मीर सहित तनाव के अन्य मूलभूत कारणों का हल निकालने के लिए अविलम्ब सीधी वार्ता पुन: शुरू करें। क्या भारत सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का मूल कारण जम्मू और कश्मीर है? क्या भारत सरकार ने जाकर समूह 8 के देशों के विदेश मंत्रियों को कम से कम यह कहा कि यह एक ही स्थान है जिसे जम्मू और कश्मीर कहा जाता है। और यदि वे कश्मीर की बात करते हैं तो वे केवल एक घाटी की ही बात करते हैं? एक भूभाग जम्मू हैं, दूसरा लद्दाख है और तीसरा उत्तरी क्षेत्र भी है। इसलिए उन्हें इसे जम्मू और कश्मीर राज्य के रूप में संबोधित करना चाहिए। भारत सरकार ने इसे कश्मीर कहने पर भी आपत्ति नहीं जताई है।

यहां तक कि 1973 से पाकिस्तान भी यह कहते आए हैं ... जम्मू और कश्मीर का प्रश्न।'' यह संयुक्त राष्ट्र की कार्यसूची में था किंतु समूह 8 के देशों के संकल्प में इसे केवल कश्मीर कहा गया है। क्या यही कारण है कि जम्मू और कश्मीर राज्य को सांप्रदायिकता के आधार पर तीन भागों में विभक्त करने की बात आपके दिमाग में है? यदि ऐसा नहीं है तो इस संकल्प के पास होने के तीन वर्षों के बाद भी क्यों आप इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बनाए रखने की अनुमति देते हैं? किन्तु यह सर्वाधिक बुरा नहीं है। समूह 8 के देशों का संकल्प तो केवल एक संकल्प है।

सर्वाधिक विस्मयकारी बात यह है कि इस सरकार पर और इस राष्ट्र पर लगातार खतरा बना हुआ है। 1965 के बाद या 33 वर्षों में यह पहला ऐसा मौका है जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा 6 जून, 1998 को एक संकल्प पारित कर समूह 8 के देशों की ओर से जारी संयुक्त विज्ञप्ति की पुष्टि की गई जो अब सुरक्षा परिषद का दस्तावेज बन गया है क्योंकि इसमें संख्या दी गई है फिर इसमें कहा गया है ''भारत और पाकिस्तान से आग्रह है कि वे अपने बीच मौजूदा तनावों को कम करने के लिए बातचीत शुरू करें और कश्मीर सहित इन तनावों के मूल कारणों को समाप्त करने वाला दोनों पक्षों को मान्य समाधान ढूंढे।''

क्या यही तनाव का असली कारण है। यह वह चीज है जो राष्ट्रपति क्लिंटन के नेतृत्व में स्ट्रोब टॉल्बोट के नेतृत्व में यहां यात्रा पर आने वाली महिला के नेतृत्व में और श्री जसवंत सिंह को ओवल ऑफिस तक ले जाने वाले कोन्डेले जा राइस के नेतृत्व में समूह 8 के देशों के संकल्प में की गई है। क्या हमने इस दौर की बातचीत में अमेरिकी नेताओं को या समूह 8 के देशों को यह बताया है कि यदि वे जम्मू और कश्मीर को केवल कश्मीर कहते हैं और इसे दोनों देशों के बीच व्याप्त तनाव का मूल कारण मानते हैं, तो यह हमें स्वीकार्य नहीं है? महान पुरुष पंडित जवाहर लाल नेहरू और उनके महान विदेश मंत्री श्री कृष्ण मेनन के समय में वे लोग और हम लोग भी अमेरिकी लोगों से निर्भीक होकर कहते थे कि यह हमारी स्थिति है और हम तुम्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। क्या अब हम पंगु हो गए हैं क्या हमने दुनिया को ही नहीं, बल्कि दुनिया के माध्यम से पाकिस्तान को यह संकेत नहीं दिया है कि हम अक्षम है? और, क्या यही कारण है कि मुशर्रफ शिमला समझौते के द्विपक्षीयवाद से पीछे हट रहे हैं तथा इसे बहुपक्षीय बनाने और इसमें किसी तीसरे पक्ष को शामिल करने की दिशा में जा रहे हैं?

अब प्रधान मंत्री के उस वक्तव्य का क्या फायदा जिसे हमसे पहले एक वक्ता ने उनकी प्रशंसा करते हुए इस तरह उद्धृत किया, ''मैंने सारा जोर आतंकवाद पर दिया जबकि उनका सारा जोर जम्मू और कश्मीर पर था। क्या उन्हें नहीं मालूम था कि मुशर्रफ का ध्यान जम्मू और कश्मीर पर ध्यान केन्द्रित रहेगा? सभा में दिए गए वक्तव्य में कहा गया है कि दोनों देशों के बीच आई दरार को पाटने के लिए शिखर स्तर पर प्रयास किए जाएंगे। क्या शब्दों की ऐसी आतिशबाजी के लिए शिखर वार्ता ही उपयुक्त स्थान है। आप से पहले के एक प्रधान मंत्री ने अर्थात् श्री पी.वी. नरसिम्हाराव ने बड़ा ही बढ़िया फार्मूला तैयार किया था मुझे मालूम है कि आप उनके प्रशंसक हैं; ''दोनों देशों के बीच मतभेद को कम करने के लिए 1993 में उन्होंने एक फार्मूला तैयार किया था। बेनजीर भुट्टों को लिखे अपने पत्र में उन्होंने लिखा था कि हम (उन्होंने बेनजीर भुट्टों से कहा था) ''जम्मू और कश्मीर से जुड़ी सभी मुद्दों'' पर चर्चा के लिए तैयार हैं। इस पत्र के बारे में मैं मणि दीक्षित की साउथ ब्लॉक में सेवा काल पर आधारित आत्मकथा से जान पाया हूँ। उस पत्र का प्रारूप विदेश मंत्रालय ने नहीं बल्कि स्वयं प्रधान मंत्री ने तैयार किया था। यदि आप इस फार्मूले का प्रयोग दोनों देशों के बीच मौजूदा मतभेद को कम करने के लिए करेंगे तो उनके द्वारा जम्मू और कश्मीर से जुड़े किसी भी मुद्दे को उठाया जा सकता है, आप जम्मू और कश्मीर से जुड़ी अपनी सभी समस्याओं को एक मुद्दे के रूप में उठा सकते हैं। आपकी एकमात्र कार्यसूची में ''जम्मू और कश्मीर से जुड़े मामले'' का अंतर्विष्ट होगा। तभी आप इस कार्य में प्रगति ला सकते हैं।

पर, ये सब करने के बजाय आप तो भूत को एकदम त्याग देने पर ही आमादा है। केरल से अपने चिंतन में आपने कहा कि आप एक ''नया उपाय'' कर रहे हैं। विदेश मंत्री का कहना है कि ''यह शांति का सही रास्ता है।'' इन शब्दों का क्या मतलब है? आखिरकार आप विशिष्ट रूप से क्या छोड़ रहे हैं और क्या

[श्री मणि शंकर अय्यर]

रख रहे हैं केन्द्रीय मुद्दा क्या है? कोई नहीं जानता है, आपकी पार्टी के लोग भी नहीं और यहां तक कि मंत्रिपरिषद के लोग भी नहीं। व्हाइट हाउस तक को पता नहीं है। जनरल मुशर्रफ को भी नहीं मालूम है। क्या सरकार का विदेश नीति चलाने का यही तरीका है?

मैं कहना चाहता हूँ कि आप पाकिस्तान जरूर जाएं किन्तु तभी जब आपकी समुचित तैयारी हो और आप ने दीर्घकालिक वार्ता का आधार तैयार कर लिया हो जिसे बाधित न किया जा सके और जो बाधित होने योग्य न हो। उदाहरण के रूप में आपने पेरिस के होटल में मैजेस्टिक में हेनरी किसिंगर और ले डक थो अथवा इनके प्रतिनिधियों के बीच हर बृहस्पतिवार को होने वाली वार्ता के बारे में सुना होगा। उस समय मैं हनोई में तैनात था। इसलिए मैंने वास्तव में उस वार्ता संरचना को देखा था। नवम्बर, 1968 से शुरू होकर 1973 में निष्कर्ष के रूप में मैं एक समझौते पर आकर समाप्त होने वाली वार्ता के उन चार वर्षों के दौरान अमरीका ने उत्तरी वियतनाम पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दुनिया पर गिराए गए कुल बमों से कहीं ज्यादा बम गिराए थे और फिर भी, हर बृहस्पतिवार को वार्ता चलती रही। वार्ता वहां से शुरू हुई थी जहां कि स्थिति आज की भारत और पाकिस्तान की स्थिति से कही अधिक जटिल थी। जब आप कोई वार्ता शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी स्थिति अधिक से अधिक स्पष्ट करनी पड़ेगी और फिर उस पर कायम रहना होगा। और, तब जैसे-जैसे बातचीत आगे बढ़ती है, वैसे-वैसे इसे राजनैतिक रूप से अधिकार प्राप्त एकमात्र वार्ताकार के माध्यम से आगे बढ़ने देना चाहिए। वार्ता का रूप संपूर्ण होना चाहिए और इसमें अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। इसे इस कठिन संबंधों के अवश्यंभावी उतार चढ़ाव से उबारा जाना चाहिए। यह तभी संभव है जब ऐसी बातचीत से इस निष्कर्ष पर पहुँचा जाए कि पाकिस्तान के साथ निर्धारित दूसरे दौर की शिखर वार्ता शुरू की जाए।

कृपया धैर्य बनाए रखे। जल्दीबाजी की कोई जरूरत नहीं है। मेरे जैसे लोगों का सहयोग जरूर लिया जाना चाहिए। जिन्होंने भारत-पाक संबंधों को देखते हुए 20 वर्षों का अपना पूरा समय बिताया है। कृपया मेरी मदद लीजिए जैसाकि हमने जसवंत जी की मदद ली थी। जसवंत जी और मैं पाकिस्तानियों के साथ काम करने वाले एक छोटे समूह में साथ-साथ हुआ करते थे। हम लोग एक साथ सिंगापुर गए थे। हम एक साथ स्टॉक होम भी गए थे। स्टॉक होम में हमने इस बात पर जोर दिया था कि भारत और पाकिस्तान के लोगों को उपमहाद्वीप के मामले में अवश्य बातचीत करनी चाहिए। उन लोगों ने हमसे वीजा की मांग की थी। मैंने उन्हें वीजा देने का वचन दिया था और उन्होंने स्थान दिया था। हम उदयपुर गए थे। हमें वास्तव में एक गोपनीय समाधान प्राप्त हुआ जो भूमि पर पाइपलाइन को पाकिस्तान होकर गुजरती है के जरिए भारत को इरान से गैस की आपूर्ति किये जाने से संबंधित सुरक्षा के सवाल को हल करने के बारे में था, जिसे साउथ ब्लॉक में जसवंतजी और मैंने व्यक्तिगत रूप से विदेश सचिव को सौंपा था। हमने मिलजुलकर काम किया।

हमारे बीच जो भी मतभेद हों और वे बहुत से हैं। श्री जसवंत सिंह जी इन मतभेदों के बारे में बताएंगे हमने मिलजुल कर कार्य किया। लेकिन जब पाकिस्तान और चीन, दक्षिण एशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंध जैसे मुद्दे उठे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऐसा माहौल बनाया था जिससे कोई प्रतिपक्ष नहीं था और न ही कोई सरकार होती थी। हम साथ-साथ थे और हमने साथ-साथ काम किया। प्रधान मंत्री जी, गत तीन वर्षों में मैं आपको और आपकी सरकार को इस राष्ट्रीय आम सहमति को बर्बाद करने का जिम्मेदार ठहराता हूँ। मैं आपसे सवा बिलियन लोगों के हितों, उनकी शांति, उनकी समृद्धि और उनकी तरक्की के लिए निवेदन करता हूँ और आपको एक ऐसा तंत्र स्थापित करना चाहिए जिसमें मेरे और शिवराज पाटिल, श्रीमती गिरिजा व्यास, जिनका राज्य पाकिस्तान के बिल्कुल पास है और श्रीमती माग्रेट आल्वा जिन्हें भारत में मुसलमान सर्वप्रथम कहां आए इसके बारे में कुछ जानकारी है, जैसे सभी व्यक्तियों को इसमें शामिल किया जाये। यदि प्रधान मंत्री जी वादा करते हैं कि वे पहले देश को एकजुट करेंगे तो कोई पाकिस्तानी हमें पराजित नहीं कर सकता। पाकिस्तानी समझेंगे कि भारत एक है और यह भारत ही है जिसके पास स्थिर चित्त है लेकिन यह एक ऐसा भारत भी है जिसके पास विशाल हृदय है।

मैं पूर्णत: विश्वस्त हूँ कि पाकिस्तान के असाधारण लोग, वैसे लोग जो अच्छे हैं और जहां हमारे सैकड़ों मित्र हैं अवसर का लाभ उठायेंगे और हमारे लिए आपके सपनों को साकार करेंगे। लेकिन ऐसा आप स्वयं न करें। आप स्वयं शिखर वार्ता नहीं बुला सकते। आपको शेरपाओं की जरूरत है और हम आपके शेरपा बनने को इच्छुक हैं।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): सभापति महोदय, विदेश मंत्रालय में कनिष्ठ मंत्री के रूप में मैं इस चर्चा में भाग नहीं ले रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि आगरा में जो कुछ हुआ उसके बारे में सरकार और विदेश मंत्रालय की स्थिति के संबंध में हमारे वरिष्ठ मंत्री श्री जसवंत सिंह और हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी सभा को अच्छे ढंग से स्पष्ट करेंगे। मैं इस चर्चा में जम्मू और कश्मीर की जनता के विधि सम्मत रूप से चुने गए छह प्रतिनिधियों में से एक के रूप में भाग ले रहा हूँ और दुर्भाग्यवश विधि सम्मत रूप से चुने गए हम वह प्रतिनिधि हैं जिन्हें पाकिस्तान सरकार ने किसी न किसी कारण मान्यता देने से इन्कार करती है। वे जम्मू और कश्मीर के

लोगों की भागीदारी के बारे में अच्छे ढंग से बात करेंगे और तत्पश्चात् केवल आल पार्टी हुर्रियत कांफ्रेंस को ही शामिल करेंगे लेकिन जनप्रतिनिधित्व वाली नेशनल कांफ्रेंस, कांग्रेस, भाजपा जैसी मुख्यधारा की पार्टियों की उपेक्षा करता है। लेकिन यह बिल्कुल दूसरा मुद्दा है।

आगरा शिखर सम्मेलन की असफलता और आगरा शिखर सम्मेलन में किस प्रकार के आश्चर्यजनक परिणाम मिलने की उम्मीद थी। जिससे अब कुछ भी हासिल नहीं हुआ और हमें अपना सर शर्म से झुका लेना चाहिए क्योंकि हम कोई परिणाम नहीं दे सके। इस चर्चा के दौरान सभा में और मीडिया में बहुत सी बातें हो चुकी हैं। आगरा शिखर सम्मेलन असफल रहा। क्या यह इसलिए असफल रहा क्योंकि जनसंचार माध्यमों के कैमरों की चकाचौंध में अपना शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं किया? क्या यह इसलिए असफल रहा क्योंकि हमने प्रेस से बात नहीं की और हमने निर्णय लिया कि शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए बंद कमरे तक वार्ता को शामिल रखना बेहतर होगा कि यह सफल होगी। अथवा हम अपने ऊपर कम दबाव महसूस करेंगे यदि प्रधान मंत्री, श्री वाजपेयी और राष्ट्रपति जनरल मुशर्रफ अपना विचार-विमर्श अकेले में करते और तब प्रतिनिधिमंडल स्तर पर करते और यदि मीडिया के साथ सवाल की कोई आवश्यकता होती तो इसे शिखर सम्मेलन के अंत में किया जाएगा? क्या इसी को असफलता कहते हैं। क्या यही हमारी असफलता है कि कोई संयुक्त घोषणा जारी नहीं की गई? लेकिन यह कहां कहा गया है कि कोई शिखर सम्मेलन तभी सफल होगा यदि आप अंत में कोई संयुक्त घोषणा जारी करते हैं यदि मतान्तर बहुत ज्यादा था और हम उन्हें दूर करने में असमर्थ थे लेकिन यह सच है कि एक शुरुआत की गई है और न केवल इस सरकार में एक प्रतिनिधि और एक मंत्री होने के नाते बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो जम्मू और कश्मीर राज्य का रहने वाला है अथवा इस देश के इस क्षेत्र का है जो आगरा की सफलता से सर्वाधिक लाभ प्राप्त करेगा। हम शिखर सम्मेलन की सफलता इसी रूप में देखते हैं कि प्रक्रिया शुरू हो गई है।

भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हम आशा करते हैं कि यह एक अपरिवर्तनीय प्रक्रिया है। हमें उम्मीद है कि यह प्रक्रिया जारी रहेगी और हम यह भी आशा करते हैं कि किसी भी स्तर पर हो यह वार्ता जारी रहेगी क्योंकि अंत में हमारे बीच चाहे जो भी मतभेद हों भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव से सर्वप्रथम जम्मू और कश्मीर के लोगों को ही कष्ट होता है।

यहाँ कार्य-सूची के अभाव के बारे में बहुत सारी बातें इस प्रकार की गई है कि जैसे कि सरकार ने सच्चाई छुपाई हो कि कोई कार्य-सूची नहीं थी अथवा कार्य-सूची के बगैर ही हमने आगे बढ़ने का निर्णय किया। कार्य-सूची तैयार करने में दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। भारत सरकार ने अपने विचार रखे। भारत सरकार ने पाकिस्तान के समक्ष एक आठ सूत्री कार्य-सूची विचार के लिए रखी। भारत सरकार ने विश्वास कायम करने संबंधी उपायों के साथ तैयारी शुरू की जिनकी घोषणा की गई। ये सिर्फ ऐसे विश्वास कायम करने संबंधी उपाय नहीं थे जो सिर्फ एक क्षेत्र तक ही सीमित थे। वे ऐसे विश्वास कायम करने संबंधी उपाय थे जो पाकिस्तान के साथ हमारी व्यापक वार्ता के सभी आयामों का प्रतिनिधित्व करते थे। उसमें लोक संपर्क थे, उसमें सुरक्षा संबंधी उपाय शामिल थे और उससे हमारे संबंधों के आर्थिक पक्ष भी शामिल थे। इस सीमा तक हमारा आयोजन चरम रहा था। अब यदि पाकिस्तान कार्यसूची को तैयार करने के लिए हमारे एक प्रतिनिधिमंडल को बुलाने अथवा भेजने से मना करता है तो क्या हम इस प्रक्रिया को रोक दें? क्या विपक्ष हमसे यही करवाना चाहता है?

श्री मणिशंकर अय्यर ने अभी-अभी कहा कि कार्य-सूची की अनुपस्थिति में हमें संवाद बंद कर देना चाहिए था। ऐसी हालत में जब प्रधान मंत्री जी और सरकार ने सभी राजनीतिक दलों से परामर्श किया था तभी विपक्ष ने विरोध क्यों नहीं किया और यह क्यों नहीं कहा कि नहीं, आपके पास कार्य सूची नहीं है। आपको यह बातचीत बंद कर देनी चाहिए। बिना कार्यसूची के आगे न बढ़ें। महोदय, इस समय उन्होंने कभी ऐसी बात नहीं की। उस समय कुल मिलाकर अधिकांश प्रतिपक्षी दल सरकार के साथ थे और प्रधान मंत्री जी को शुभकामना दे रहे थे। यह बहुत अच्छा होता यदि उसी समय वे कहते कि "आपने पास कोई कार्य-सूची नहीं है। कृपया मत जाइए"। एक अंग्रेजी कहावत है "हिन्डसाईट इज ट्वेन्टी-ट्वेन्टी"। आपके लिए अब यह कहना बहुत आसान है कि आपको इस शिखर वार्ता से असफलता की ही आशा थी कि आप जब चाहें जहाँ चाहे इसका सारा दोष हम पर मढ़ सकते हैं। अच्छा होता यदि आप यह सुझाव शिखर वार्ता की वास्तविक शुरुआत के पहले देते।

हमने तैयारी के बारे में और भारत सरकार ने स्पष्टतया किस प्रकार बिना किसी तैयारी के इस शिखर वार्ता में भागीदारी की अथवा प्रधान मंत्री श्री वाजपेयी ने किस प्रकार अपनी आंखे बंद करके शिखर-वार्ता में भाग लिया, इसकी चर्चा की। मैं समझता हूं कि यह आयोजन जिस सीमा तक किया गया। इस बारे में मैं जो कहूंगा अथवा भारत सरकार जो कहेगी उससे प्रतिबिम्बित नहीं होगा। मैं 30 जुलाई के 'आउटलुक' नामक एक पत्रिका को एक छोटे से अंश को पढ़ना चाहूँगा जिसमें कहा गया है:

> "प्रधानमंत्री को भारत पाकिस्तान वार्ताओं की अस्थिर प्रवृत्ति के बारे में चेतावनी दे दी गई थी। उनके एक संयुक्त सचिव

[श्री उमर अब्दुल्ला]

ने स्मरण दिलाया कि शिमला समझौते में गतिरोध आने के पश्चात् श्री भुट्टो के इंदिरा गांधी के साथ विदाई मुलाकात के आखिरी घण्टे में छूट देने की प्रार्थना की थी और इंदिरा गांधी ने उन्हें स्वीकार कर लिया था। इसलिए जब मुशर्रफ ने यही राजनीति अपनाने का प्रयास किया तो प्रधान मंत्री इसके लिए तैयार थे।''

प्रधान मंत्री तैयार थे। उन्होंने इस सीमा तक की तैयारी की थी पूर्व शिखर वार्ताएं कैसे हुई थी पूर्व रणनीति क्या थी और पाकिस्तान सरकार द्वारा कैसी राजनीति का प्रयोग किया गया था और भारत सरकार से रियायत प्राप्त करने के लिए पूर्व में कैसी कार्य विधियां अपनाई गई थी लेकिन कोई रियायत नहीं दी गई।

मैं अब ऐसे विषय पर चर्चा करूँगा जिस पर विपक्ष हमसे हिमायत पसंद करता ताकि हम इस शिखर वार्ता को एक महान सफलता कहते। उन्होंने आयोजन के बारे में बात की। आयोजन की प्रक्रिया में कौन शामिल नहीं था। जम्मू कश्मीर की सरकार इस वार्ता में शामिल थी। जम्मू कश्मीर की जनता द्वारा दिल्ली के लिए चुने गए प्रतिनिधि वार्ता में शामिल थे। सभी विपक्षी दल इस वार्ता में शामिल थे। बुद्धिजीवियों से परामर्श किया गया। जनसंचार माध्यमों को आयोजन की प्रक्रिया में शामिल किया गया। जैसाकि मैंने कहा, पाकिस्तान की वार्ता की तैयारी में शामिल करने के लिए सभी विश्वासवर्धक उपाय किये गए। आप हमसे और क्या करवाना चाहते थे। यह तथ्य कि पाकिस्तान ने केवल जम्मू और कश्मीर के मुद्दे का ही राग अलापा कोई रहस्य नहीं है। यह तथ्य भी कोई रहस्य नहीं था कि वे यहाँ आकर यहीं करना चाहते थे।

यह कहना कि पाकिस्तान सिर्फ जम्मू कश्मीर के बारे में बात करेगा और इसलिए हम बात नहीं करेंगे और इसलिए क्या यथापूर्व स्थिति पर वापस आना ही बेहतर विकल्प है। हम कम से कम जम्मू कश्मीर के बारे में बात तो करना चाहते हैं। प्रधान मंत्री जी ने ठीक ही कहा है कि जब हम जम्मू कश्मीर के बारे में बाते कर रहे हैं तो हम कश्मीर के उस हिस्से के बारे में बात कर रहे हैं जिस पर 1997 से पाकिस्तान का कब्जा है। हम जम्मू कश्मीर के उस हिस्से के बारे में बात कर रहे हैं जो भारत का विधि सम्मन हिस्सा है। हम जम्मू कश्मीर के उस हिस्से के बारे में बात कर रहे हैं जिसे हम वापस चाहते हैं। यह जम्मू कश्मीर का वही हिस्सा है जिन्हें बारे में हम बात करने के इच्छुक हैं।

भारत सरकार द्वारा इस शिखर वार्ता को अकुशल तरीके से आयोजित किये जाने और तैयारी की कमी के बारे में बहुत चर्चा की गई है तथा यह कि कांग्रेस ने किस प्रकार कोई सूत्र तैयार कर उसे ठीक ढंग से आयोजित करने का फार्मूला हासिल कर लिया है ताकि शिखर-वार्ताएं पूर्णतः सफल रहें और वहां से सब कुछ सही चले। मैं कोई इतिहास का अच्छा छात्र नहीं रहा हूँ। लेकिन सच्चाई मेरे सामने है और इसी से मैं अपने निष्कर्ष निकालता हूँ। हम सभी सहमत है कि शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के संबंधों में एक आधारशिला है। लेकिन 1971 के बाद शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किये जाने के बाद कांग्रेस ने मौजूदा विवाद को हमेशा के लिए सुलझाने के लिए क्या कदम उठाए? पाकिस्तान द्वारा अवैध यह कब्जा किये गये कश्मीर के हिस्से को वापस लेने के लिए कांग्रेस ने क्या कदम उठाए हैं?

वास्तव में, कांग्रेस पार्टी ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में सुधार हो ताकि हम एक अच्छे पड़ोसी की तरह रहें? मैं नहीं जानता की कांग्रेस ने क्या किया। मैं कांग्रेस की नीतियों के बारे में नहीं जानता। मैं सिर्फ यही जानता हूँ कि 1991 तक यह राज्य ऐसी स्थिति में आ चुका था जिसे हम अभी देख सकते हैं। इसलिए, जिस कुशल व्यावसायिकता के बारे में आप बता रहे हैं वह वास्तव में कहाँ है? आपने शिखर वार्ता के लिए जो महान सूत्र तैयार किया था, वह कहाँ है? वह गुप्त समाधान कहां है जो आपके पास है? यदि आपके पास गुप्त समाधान है, तो क्या आप यह नहीं समझते हैं कि देश को इसे जानने का अधिकार है? हमारे पास कोई गुप्त समाधान नहीं है। जब माननीय प्रधानमंत्री चर्चा का सार रखने के लिए खड़े होंगे और जब वरिष्ठ मंत्री, श्री जसवंत सिंह बोलेंगे, तो वे आपको यह नहीं बोलेंगे कि हमारे पास गुप्त समाधान है और हम इसे छुपा रहे हैं। लेकिन यदि आपके पास शिखर सम्मेलनों को सफल बनाने के लिए कोई गुप्त समाधान है तो कृपया इसे हमें बताएं क्योंकि यह कांग्रेस-भाजपा का मुद्दा नहीं है और न ही यह भाजपा-नेशनल कांफ्रेंस का मुद्दा है। यह सरकार-विपक्ष का मुद्दा नहीं है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसका सामना देश के लोगों को करना पड़ रहा है। मैं समझता हूं, उन्हें जानने का अधिकार है। कम से कम मैं जानना चाहूँगा। इस सभा में किसी भी अन्य सदस्य से अधिक, कश्मीर के कुछ संसद सदस्यों के अलावा, जम्मू और कश्मीर में जो कुछ वे कर रहे हैं उससे भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा तनावों के प्रत्यक्ष दुष्प्रभावों का मैं स्वयं सामना कर रहा हूँ। वहां जो कुछ हो रहा है, उससे मुझे और मेरे परिवार को भी खतरा है। यह मेरी भूमि है, जहां खून बहाया जा रहा है। और आप मुंह फेरकर हमसे यह कहते हैं कि हम पेशेवर नहीं हैं और यह कि आप सभी चीजें सही करते हैं और हम उसे गलत तरीके से करते हैं। यदि ऐसा मामला है तो भगवान के लिए हमें यह बताएं कि जहां हम अभी हैं, वहां क्यों हैं? हम अभी-अभी सत्ता में आए हैं। हम मात्र तीन वर्षों से ही सत्ता में हैं। लेकिन हमें आजाद हुए कितना समय हो गया? हमें आजाद हुए 53 साल हो गए। 50 वर्षों की तीन वर्ष से तुलना कीजिए। आपने क्या विरासत छोड़ी? लगभग पचास वर्ष तक एक

पक्ष की सरकार रही। फिर भी आप कहते हैं कि आप सफल हैं और हम असफल हैं। आरोप लगाने से कोई भी उद्देश्य पूरा होने वाला नहीं है। हम सभी आगरा शिखर-वार्ता को पूर्ण सफल होता देखना चाहते थे। मैं आपके 'पूर्ण सफल'' होने की परिभाषा नहीं समझता। लेकिन हम लोगों के लिए सबसे बड़ी बात प्रक्रिया का शुरू होना है। वार्ता की प्रक्रिया शुरू हो गई है और मैं दुहराता हूं कि इसे अवश्य जारी रखा जाना चाहिए।

अब, आप शिखर वार्ता का सफल परिणाम चाहते हैं। शायद संयुक्त विज्ञप्ति या संयुक्त वक्तव्य ही सफल परिणाम निर्धारित करते हैं। एक संयुक्त वक्तव्य संभव होता यदि हम सभी चीजों पर सहमत हो जाते। एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, वह है-सीमा पार से चलाया जाने वाला आतंकवाद। यह प्रमुख समस्या है जिसका सामना हम जम्मू और कश्मीर में कर रहे हैं।

पाकिस्तान इसे स्वतंत्रता संघर्ष या 'जेहाद' कहना चाहता है- मैं बस थोड़ी ही देर बाद इस पर बात करता हूँ। लेकिन इसे तथाकथित सफल शिखर सम्मेलन कहने के क्रम में क्या आप हमारे द्वारा एक इंच जमीन भी दे देना पसंद करते? क्या आप इससे संतुष्ट होते कि संयुक्त वक्तव्य या संयुक्त घोषणा पत्र के लिए जो हमने सीमा पार से चलाया जा रहा आतंकवाद कहने का निर्णय ले लिया जो कि वास्तव में सीमा पार से चलाया जा रहा आतंकवाद है उसे पाकिस्तान को स्वतंत्रता संघर्ष, आंतरिक स्वतंत्रता संघर्ष, कहने देते? क्या आप यही चाहते थे? यदि ऐसा है तो, गुरुवार, 26 जुलाई, 2001 के ''द पायोनियर'' में प्रकाशित समाचार को मुझे उद्धृत करने दीजिए। इससे यह भी संकेत मिलता है कि पूर्व के शिखर सम्मेलन और वार्ताएं कैसे सम्पन्न हुई हैं और लेखक ने लिखा है:

> ''शायद आगरा भारत-पाकिस्तान शिखर वार्ता का ऐसा एक मात्र स्थान है जहां भारत ने युद्ध क्षेत्र में जो भी जीता था उसे नहीं खोया। हमारा गोलमेज सम्मेलन में हारने का इतिहास रहा है। इस समय भी, जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपना काम एकमात्र कर ही दिया था।''

क्या यह हमारी तैयारी में कमी थी? जिस तरह से हमने शिखर वार्ता आयोजित की क्या वह गैर पेशेवराना या लापरवाही भरा था? क्या आप यह पसंद करते कि हम अपनी स्थिति को छोड़ देते ताकि अपनी बात मजबूती से रखने में समर्थ होते? वस्तुस्थिति यह है कि जम्मू और कश्मीर में कोई आंतरिक स्वतंत्रता संघर्ष नहीं है। तथ्यों के बारे में हमें किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए, जम्मू और कश्मीर में गुमराह युवकों के रूप में स्वतंत्रता संघर्ष के तत्व हैं, जिसके कारण पाकिस्तान द्वारा लाभ उठाया जा रहा है, यह हम सभी जानते हैं। लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि जम्मू कश्मीर में स्पष्ट रूप से सीमा पार से आतंकवाद चलाया जा रहा है। नहीं तो, कृपया मुझे यह स्पष्ट करें, यदि मेरी सूचना सही है, तो हमारे पास 16 विभिन्न देशों के आतंकवादी के जो या तो पकड़े गए थे या जो सीमा पार से गोलीबारी में मारे गए थे। हमारे पास बोस्नीयाई, चेचन्याई, सूडानी, इंग्लैंड और अमरीका के लोग भी हैं जो जम्मू और कश्मीर में जारी तथाकथित आंतरिक स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेने के लिए आए हैं। क्या आपको यह अच्छा लगता कि संयुक्त घोषणा पत्र के लिए अंत में हम इसे आंतरिक स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में वर्गीकृत करते? क्या आपको यह अच्छा लगता कि इसे हम 'जेहाद' कहना स्वीकार कर लेते, जैसाकि वे कहना पसंद करते हैं?

यहां उपस्थित हममें से कितने ऐसे हैं जो वास्तव में 'जेहाद' का मतलब समझते हैं? इस्लाम में ''जेहाद'' तब लड़ा जाता है जब इस्लाम खतरे में पड़ता है। अब, क्या इस सभा में कोई ऐसा है जो मुझे यह बताए कि पाकिस्तान से ज्यादा यहां इस्लाम खतरे में है? मैं जम्मू और कश्मीर का हूँ। मैं शिया और सुन्नी समुदायों की एकता का स्तर जानता हूँ। आपने जम्मू और कश्मीर में शिया और सुन्नी हिस्सों के बारे में पिछली बार कब सुना? पाकिस्तान में शिया-सुन्नी हिंसा के बारे में मुझे आपको कितनी बार बताना पड़ेगा? कराची उनमें से एक ज्वलन्त उदाहरण है? इसलिए, जम्मू और कश्मीर में यह कहना कि इस्लाम खतरे में है, ऐसा प्रश्न करना कहां तक न्यायोचित है?

भारत में, हमें, अपनी धर्मनिरपेक्ष विरासत पर गर्व है। यदि इसाई के रूप में कोई व्यक्ति गिरजाघर जा सकता है, हिंदू के रूप में कोई व्यक्ति मंदिर जा सकता है तो कश्मीर में हमें मस्जिद में जाने से कोई नहीं रोक सकता। जिस तरह से हम महसूस करते हैं, उस तरह से अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। तब ''जेहाद'' का प्रश्न कहां उठता है? इसलिए, पूरी स्थिति ऐसी क्यों बनाई गई कि चूँकि अंत में हम संयुक्त घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर नहीं कर सके इसलिए शिखर बैठक असफल हो गयी?

हम शिखर बैठक में उसी तरह की तैयारी के साथ गए थे जिस तरह की तैयारी संभव थी। अब, आप हमें बताएं कि कश्मीर पर हमारी ढुलमुल नीति है, कभी हम संघर्ष विराम की बात करते हैं, कभी नहीं, कभी हम किसी से बातचीत करते हैं कभी नहीं। क्या मुझे कांग्रेस को उनकी कश्मीर संबंधी ढुलमुल नीति के बारे में याद दिलाना पड़ेगा? क्या मुझे आपको यह याद दिलाना पड़ेगा कि शेख मुहम्मद अब्दुल्ला जेल में कैद कर लिए जाने तक कितने अच्छे व्यक्ति थे? क्या मुझे आपको यह याद दिलाना पड़ेगा कि जब आपने वर्ष 1984 में फारुख अब्दुल्ला की सरकार को बर्खास्त

[श्री उमर अब्दुल्ला]

कर दिया था तब वे कितने राष्ट्रविरोधी थे? तब, जब आपने वर्ष 1987 में उनके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तब वे कितने राष्ट्रवादी थे? क्या यह ढुलमुल नीति की ओर संकेत नहीं करता?

भारत सरकार ने बराबर कश्मीर में वार्ता के व्यापक स्थिति बनाने का प्रयास किया है। उन परिस्थितियों के निर्माण के क्रम में, सरकार ने हर संभव प्रयास किया है। लेकिन आप कहते हैं कि हमने कोई पहल नहीं की या कि हम सिर्फ स्थिति उत्पन्न होने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। संघर्ष विराम की घोषणा की गई थी लेकिन उसका वैसा परिणाम नहीं आ सका जैसी हमें अपेक्षा थी। पुन: यह कोई गुप्त बात नहीं है। लेकिन यह हमारी पहल थी। वे हमें प्रयास न करने का दोष नहीं दे सकते। व्यक्तिगत स्तर पर संघर्ष विराम के दौरान पूरे नेशनल कांफ्रेंस पार्टी की और आम जनता को क्रमबद्ध रूप से जितना निशाना बनाया गया। उतना किसी दल को नहीं, यह बात सुरक्षा बलों से छिपी नहीं है।

परन्तु यह पहल थी, जो हमें करनी थी। हमें संघर्ष विराम को आजमाना था हमें उन आतंकवादियों को बात करने का एक मौका देना था। जब हिजबुल मुजाहिद्दीन ने पहले संघर्ष विराम की घोषणा की थी, तब इस पर अपनी प्रतिक्रिया जताना हमारा कर्तव्य था। क्या जब हिजबुल मुजाहिद्दीन ने संघर्ष विराम की घोषणा की थी, तो हमें प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करनी चाहिए थी और उन्हें बातचीत में शामिल होने हेतु आमंत्रित नहीं करना चाहिए था? क्या हमें यह कहना चाहिए था कि हम उनके साथ बात नहीं करना चाहते और बल्कि उन्हें गोलियों से भून देते? क्या यह हमारी परिपक्व प्रतिक्रिया होती जिसकी वे हमसे आशा करते या जो प्रतिक्रिया जताई गई वह परिपक्व थी, नहीं; जब हिजबुल मुजाहिद्दीन ने संघर्ष विराम की घोषणा की, तो हमने उनके संघर्ष विराम को स्वीकार किया: हमने यह निर्णय लिया कि हम कोई हमलावर अभियान नहीं चलाएंगे और उनसे बात करेंगे, लेकिन अन्य के विरुद्ध हम अपना सैन्य अभियान जारी रखेंगे। इसलिए, ढुलमुल नीति कहां है? हमने कोशिश की है, जहाँ हम सफल हुए वहां हुए, जहां हम असफल हुए वहाँ हमने स्वीकार किया। कम से कम हममें परिपक्वता है और यह कहने का साहस है कि 'हां, हमने कोशिश की, पर असफल हुए।' हमने कोशिश की और हम पर कोई यह आरोप नहीं लगा सकता कि हमने प्रयास नहीं किया।

महोदय, आगरा किसी भी तरह से असफल नहीं हुआ है। हाँ समाचार पत्रों और अन्य संचार माध्यमों के द्वारा इस शिखर वार्ता के संबंध में जो आशाएं जगाई गई थी वे पूरी न हो सकीं, लेकिन कोई भी शिखर वार्ता इन आशाओं को पूरा नहीं कर सकती, न ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार द्वारा आयोजित शिखर वार्ता, न ही पहले की संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा आयोजित की गई शिखर वार्ता और न ही कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में आयोजित शिखर वार्ता इन आशाओं को पूरा कर सकी, न ही संचार माध्यमों के द्वारा आगरा शिखर वार्ता के संबंध में जो आशाएं जगाई गई थी, वे पूरी नहीं हो सकती थी। लेकिन आगरा शिखर वार्ता से विश्वास बढ़ाने वाले और लाभदायक नतीजे सामने आए हैं। इससे वार्ता का माहौल बना है जो जारी रहेगा। इससे प्रधानमंत्री वाजपेयी और जनरल मुशर्रफ के बीच आपसी तालमेल बना जो जारी रहनी चाहिए। इससे वार्ता का एक रास्ता निकला है जिसे मैं इस सरकार जिसका मैं भी एक हिस्सा हूं से आगे बढ़ाने का अनुरोध करता हूं।

अपनी बात समाप्त करने से पहले, मैं एक अंतिम बात कहना चाहता हूँ। सरकार में मेरी साथी श्रीमती सुषमा स्वराज के बारे में कहा गया है कि वह आगरा में क्या कर रही थी उनके बारे में कहा गया कि वह किसी के अनुरोध पर वहाँ गई थी और यदि हाँ, तो किसके कहने पर वह प्रवक्ता बनी। मैं नहीं जानता कि उनके समय में अथवा संयुक्त मोर्चा सरकार के समय क्या स्थिति थी लेकिन मैं यह जरूर जानता हूँ कि इस सरकार में मंत्री किसी शिखरवार्ता में बिना निमंत्रण के नहीं जाते। ऐसा नहीं हुआ। यदि सूचना और प्रसारण मंत्री वहां थी तो वे वहाँ किसी उद्देश्य से वहाँ गई थी। वे वहाँ यह सुनिश्चित करने के लिए गई थी कि मीडिया वहाँ पर शायद किसी भी सरकारी आयोजन में अब तक मीडिया कर्मियों की संख्या सर्वाधिक थी-कोई समस्या न हो और सारे कार्य सुचारू रूप से सम्पन्न हो और वह हुई। वे वहाँ इसलिए गई थी यदि आवश्यक हो तो सरकार के दृष्टिकोण को रख सकें। यही उन्होंने किया।

इस प्रकार, जो उन्होंने कहा वह गलत था? उन्होंने कहा था कि इन मुद्दों पर चर्चा की गई थी। मैं आगरा में नहीं था। मैं न ही कार्यालय में था। मैं शिखर वार्ता को देख रहा था, सभी की तरह मैं भी टेलीविजन पर देख रहा था और मैंने यह वक्तव्य सुना था कि श्रीमती सुषमा स्वराज, को अंतिम क्षणों में जो कुछ उन्हें बताया गया था कि प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता अब शुरु हुई है उन्होंने उसी समय वही पर उसका खुलासा कर दिया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कश्मीर के अलावा भारत सरकार अब इन मुद्दों को उठाएगी, और ऐसा हमने किया।

हमने लोगों से हमेशा यह वायदा किया था कि आगरा शिखर वार्ता में हमारी बातचीत एक ही मुद्दे तक सीमित नहीं रहेगी क्योंकि भारत और पाकिस्तान के संबंधों को आगे बढ़ाने का यह तरीका नहीं है। हमने कहा था कि हमारी बातचीत व्यापक होगी जिसकी हमने रूपरेखा तैयार की थी, हम सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र का दर्जा देने के बारे में बात करेंगे जिसे पाकिस्तान को भारत को देना चाहिए, हम सीमापार से आतंकवाद के बारे में बात करेंगे,

हम परमाणु युद्ध से बचने के बारे में बात करेंगे, हम सांस्कृतिक संबंधों के बारे में बात करेंगे और हम ईरान और भारत के बीच गैस पाइप लाइन के बारे में बात करेंगे। इस प्रकार वास्तव में उन्होंने क्या है जिसके बारे में उन्होंने यह कहा कि यह हमारे लिए अच्छा नहीं है? सच तो यह है कि पाकिस्तान इसे नहीं चाहता था यह इस मुद्दा नहीं है। वह पाकिस्तान की सूचना और प्रसारण मंत्री नहीं है। वह हमारी सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। हम क्या सुनना चाहते हैं यह बताना उनका अधिकार है। सीमापार के लोग क्या सुनना चाहते हैं यह बताना उनका काम नहीं है। इस प्रकार, हम इस मुद्दे को हमेशा के लिए खत्म करें।

इस प्रकार, अंत में, सभापति महोदय, मैं यह दोहराना चाहता हूं कि जहाँ तक हमारा यानि नेशनल कांफ्रेंस का संबंध है, जहाँ तक जम्मू और कश्मीर के लोगों का संबंध है, यह हमारी दिली इच्छा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए, किसी भी स्तर पर जारी रहनी चाहिए, प्रधान मंत्री ने वर्षों के अपने अनुभव और विवेक के आधार पर इसे सही समझा है।

भारत और पाकिस्तान के बीच चिंता के विषयों को निपटाने और बाधाओं को दूर करने की इस शांतिपूर्ण प्रक्रिया के लिए हमारी वचनबद्धता और समर्थन हमेशा जारी रहेगा। हम इस सबकी मांग कर सकते हैं। इसी के साथ, इस अवसर के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: यदि सदन की सहमति हो, तो समय बढ़ाया जाए क्योंकि अभी बहुत माननीय सदस्यों को बोलना है, काफी लम्बी सूची हमारे पास है और आज ही चर्चा समाप्त करनी है।

[अनुवाद]

श्री कोडीकुनील सुरेश (अडूर): इस पर कल चर्चा की जा सकती है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: यह आलरेडी बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में डिसाइड हो चुका है। यहां श्री सन्तोष गंगवार जी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर बैठे हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे अपनी बात कहें।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय, इस पर आज ही चर्चा समाप्त होनी है और चूंकि वक्ताओं की एक लम्बी सूची है इसलिए यदि आप सहमत हों, तो भोजन की व्यवस्था कर दी जाए। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि जब तक वक्ताओं की सूची समाप्त न हो, तब तक सदन की अवधि को बढ़ाया जाए।

[अनुवाद]

श्री वैको: इस पर कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में भी चर्चा की गई थी। कल दूसरी महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। इसलिए, हमें इस पर चर्चा पूरी कर लेनी चाहिए।

श्री कोडीकुनील सुरेश: फिर, इस पर परसों चर्चा की जा सकती है।

श्री वैको: परसों शुक्रवार है। हमें इसे उस दिन कैसे ले सकते हैं ...*(व्यवधान)* नहीं, नहीं।

सभापति महोदय: इस पर पहले ही कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में निर्णय लिया जा चुका है। इसलिए, कोई समस्या नहीं है। अब, कुमारी मायावती बोलेंगी।

[हिन्दी]

कुमारी मायावती (अकबरपुर): सभापति महोदय, नियम 193 के तहत कश्मीर मुद्दे को लेकर आगरा में हुई भारत पाकिस्तान शिखर वार्ता के तहत जो चर्चा चल रही है, मैं उस पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। यह काफी महत्वपूर्ण चर्चा है और यह इश्यू हमारे देश के राष्ट्रीय मुद्दे से जुड़ा हुआ इश्यू है। आगरा में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी शिखर वार्ता हुई और उसके जो नतीजे सामने आये हैं, उनके बारे में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने से पहले मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का इस बात के लिए स्वागत करती हूं कि उन्होंने इसके लिए भारत की ओर से पहल की, क्योंकि यह जरूरत हमारी है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और कश्मीर पर पाकिस्तान की किस प्रकार से निगाहें हैं, वहां क्या सोचा जा रहा है, इसका ध्यान रखते हुए, भारत कश्मीर का अभिन्न अंग है, इस बात को ध्यान में रखते हुए पहल करने की जरूरत भारत की है और यह पहल जो की गई है, यह अच्छी शुरुआत है।

इस पहल का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक अच्छा मैसेज गया है, खास तौर से पाकिस्तान को लेकर जो यह आम चर्चा होती थी और पाकिस्तान विदेशों या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के बारे में हमेशा यह कहता था कि हम तो बातचीत करना चाहते हैं लेकिन भारत बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। भारत की ओर

[कुमारी मायावती]

से पहल करने पर, मैं समझती हूं कि उनको आगे यह कहने का मौका नहीं मिलेगा। यह बातचीत आगे भी जारी रहनी चाहिए, हमारी पार्टी इसकी पक्षधर है। लेकिन बातचीत में किसी तीसरे की मध्यस्थता नहीं होनी चाहिए, कोई तीसरा बिचौलिया नहीं होना चाहिए, बातचीत भारत और पाकिस्तान में सीधी होनी चाहिए। शिमला समझौते और लाहौर घोषणा पत्र के तहत भारत की ओर से बातचीत होनी चाहिए, हमें इससे अलग हट कर नहीं जाना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि आगरा में भारत और पाकिस्तान के बीच जो शिखर वार्ता हुई, वह नाकाम क्यों हुई। इसके बारे में हमारी पार्टी का यह मानना है कि यदि वार्ता से पहले भारत की ओर से एजेंडा स्पष्ट होता तो वह वार्ता नाकाम नहीं होती। वार्ता होने के बाद हमें इसके बारे में भी गंभीरता से सोचना होगा। माननीय प्रधान मंत्री जी ने यह क्लीयर कह कहा है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने इस वार्ता को आगे जारी रखने के लिए अपने देश में बुलाने की जो दावत दी है, उस को हमने कबूल किया है। लेकिन हमें पाकिस्तान में जाने से पहले पाकिस्तान के राष्ट्रपति की मानसिकता को भी ध्यान में रखना होगा क्योंकि वार्ता के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने अपने पहले संवाददाता सम्मेलन में भारत से यह कहा कि यदि भारत के लिए कश्मीर राष्ट्रीय सम्मान का प्रश्न है तो पाकिस्तान के लिए यह राष्ट्रीय गौरव का सवाल है। दूसरा, पाकिस्तान के राष्ट्रपति यह भी कहते हैं कि कश्मीर की प्रौब्लम आजादी की प्रौब्लम है। पाकिस्तान का जो नजरिया है, खासतौर से पाकिस्तान के राष्ट्रपति का कश्मीर मामले को लेकर जो नजरिया है, उसके ऊपर माननीय प्रधान मंत्री जी को गंभीरता से सोच-विचार कर ही पाकिस्तान जाने का कोई फैसला लेना चाहिए। लेकिन बातचीत जारी रहनी चाहिए, हमारी पार्टी इसके पक्ष में है। जब माननीय प्रधान मंत्री जी पाकिस्तान में जाने का अपना प्रोग्राम बनाते हैं तो आगरा की तरह नहीं होना चाहिए, जैसे आगरा में भारत-पाकिस्तान की जो शिखर वार्ता हुई तो भारत की ओर से एजैंडा क्लीयर नहीं था।

उसका फायदा पाकिस्तान ने उठाया, लेकिन अगर दोबारा वार्ता होती है तो माननीय प्रधान मंत्री जी को वार्ता करने से पहले अपना एजेण्डा स्पष्ट करना चाहिए और जाने से पहले पाकिस्तान के राष्ट्रपति के पास भी भेज देना चाहिए कि यह एजेण्डा है, यदि आप इस एजेण्डे पर वार्ता करने के लिए तैयार हैं, तभी मैं पाकिस्तान आने के लिए तैयार हूं, यह बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। मैं समझती हूं कि जब यह बिल्कुल स्पष्ट हो जायेगा, क्योंकि उससे पाकिस्तान के राष्ट्रपति की मेंटेंलिटी भी साफ जाहिर हो जायेगी, जब भारत की ओर से एजेण्डा चला जायेगा कि एजेण्डे में ये-ये इश्यूज हैं और इनके ऊपर वार्ता होगी। यदि पाकिस्तान सही मायने में चाहता है कि प्राब्लम हल होनी चाहिए और भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे होने चाहिए तो मैं समझती हूं कि एजेण्डे को देखकर वह अपनी स्वीकृति दे देगा और यदि पाकिस्तान के राष्ट्रपति भारत के एजेण्डे से सहमत नहीं होते हैं तो मैं यह समझती हूं कि माननीय प्रधान मंत्री जी को फिर पाकिस्तान के राष्ट्रपति से वार्ता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि हमने उनके वर्बली कहने के ऊपर प्रोग्राम बना लिया तो यह उचित नहीं होगा। यह प्रोग्राम लिखित में होना चाहिए और एजेण्डा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आगरा में कश्मीर को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच जो शिखर वार्ता हुई, उसमें सरकार को सफलता नहीं मिली है, इससे सबक सीखकर जब दोबारा वार्ता करनी है तो हमारी सरकार का एजेण्डा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए।

माननीय सभापति जी, जो बातें मैंने आपके माध्यम से सरकार के जिम्मेदार मंत्री के सामने यहां रखी है, उस पर गौर करके आगे का प्रोग्राम आप बनाएंगे तो उससे पाकिस्तान के साथ जो संबंध बिगड़ रहे हैं, किन इश्यूज को लेकर बिगड़ रहे हैं और किन इश्यूज पर वार्ता करनी है तो मैं समझती हूं एजेण्डा स्पष्ट करके हमें आगे पहल करनी चाहिए। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री वैको: सभापति महोदय, यमुना नदी के किनारे सम्राट शाहजहाँ द्वारा बनवाए गए विश्व के आश्चर्यों में से एक चिरस्थायी स्मारक की छत्रछाया में शिखर वार्ता के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है ...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर (अकोला): यदि यह शिखरवार्ता दक्षिण में होती तो बेहतर होता ...*(व्यवधान)*

श्री वैको: अगली बार की हमें आशा रखनी चाहिए।

न केवल इस वादविवाद की शुरुआत करने वाले श्री मुलायम सिंह यादव लेकिन सम्मानित साथी श्री सोमनाथ चटर्जी ने बार-बार यह प्रश्न पूछा है कि किन कारणों से और भारत के प्रधानमंत्री ने निमंत्रण दिया और शिखर वार्ता के लिए भारत आने के लिए जनरल परवेज मुशर्रफ को निमंत्रण पत्र क्यों लिखा। यह बहस का प्रश्न था। यह हमारे प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता के कारण हुआ। यह हमारे प्रधानमंत्री की बुद्धिमानी के कारण हुआ। यह इस समस्या के दूरगामी दृष्टिकोण के कारण हुआ; और यह इस ओर सोच समझकर उठाए गए कदम के कारण हुआ। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सम्पूर्ण मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने सुस्पष्ट शब्दों में अपनी बात कही, कुमारग्रोम में अवकाश बिताते हुए उन्होंने अपनी बुद्धिमानी और दूरदर्शिता से जो विचार व्यक्त किए थे, उन्हें मैं उद्धृत करता हूं:

> ''कश्मीर समस्या के स्थायी समाधान के प्रयासों में वाह्य और आंतरिक सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमने

इसके समाधान की कोशिश की है। हम मात्र पुराने और असफल मार्ग पर ही नहीं चले बल्कि हमने दक्षिण एशियाई क्षेत्र में शांति और उन्नति के लिए कुछ ठोस और नए कदम भी उठाए''

इसलिए मैं परवेज मुशर्रफ के साथ मिलकर एक संयुक्त एजेंडा बनाना चाहता हूं और उन सभी मुद्दों को सुलझाने के लिए प्रयास करना चाहता हूँ जैसेकि भारत-पाक संबंध, जम्मू और कश्मीर, सीमापार से आतंकवाद से निपटने और नई सोच और वास्तविकता के आधार पर भाईचारा स्थापित करना जैसे मुद्दे शामिल हैं। ये सही दिशा में सही समय पर उठाया गया कदम है। मैं हमारे प्रधान मंत्री द्वारा उठाए गए कदमों का स्वागत करता हूँ।

इसलिए, जब उन्होंने 24 जुलाई को यहाँ एक वक्तव्य दिया था तो उसमें बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया था कि किस उद्देश्य के लिए निमंत्रण पत्र भेजा गया था।

उन्होंने जो वक्तव्य दिया मैं उसे यहाँ उद्धृत कर रहा हूँ:

''शिमला समझौता और लाहौर घोषणापत्र के आधार पर हमने निमंत्रण और उसके बाद के दौरे के आधार पर वार्ता का विस्तृत ढाँचा तैयार करने का प्रयास किया ताकि जम्मू-कश्मीर सहित शेष सभी द्विपक्षीय मुद्दों संबंधी वार्ता को आगे बढ़ाया जा सके। हमने अभी भी जारी सीमा पार के आतंकवाद पर बातचीत करने को एक महत्वपूर्ण विषय माना।

हमने परमाणु और पारंपरिक सी.बी.एम.'; जम्मू और कश्मीर और आतंकवाद; तथा संयुक्त वार्ता से उभरे अन्य सभी मुद्दों सहित शांति और सुरक्षा आदि विषयों पर बातचीत करने का प्रस्ताव किया।''

जब उन्होंने उद्देश्य और इरादे का प्रश्न उठाया, कांग्रेस संसदीय पार्टी के उपनेता श्री माधवराव सिंधिया ने श्री मणिशंकर अय्यर की भांति आडंबरपूर्ण भाषा में बातें बनाने में अपने कौशल का परिचय दिया। लेकिन उनकी बातों में कोई दम न था। ऐसा इस कारण से कि उनका मुख्य अभियोग किसी ढांचागत कार्यसूची और किसी तैयारी का न होना था। क्या कार्यसूची थी? यह बहुत ही स्पष्ट है कि कार्यसूची शिमला समझौते पर आधारित थी। कार्यसूची लाहौर घोषणापत्र पर आधारित थी। कार्यसूची में वार्ता प्रक्रिया को जारी रखना शामिल था। निःसंदेह, हमारे विदेश मंत्री ने पूर्वोपाय के रूप में इस मामले पर बातचीत की और कहा कि कोई कार्यसूची होनी चाहिए। मैं यह कहूँगा कि उन्होंने आठ विषय कार्यसूची के लिए भेजे लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा, 'नहीं, जो भी हो, हम फिलहाल किसी कार्यसूची के लिए तैयार नहीं है।' हमने उन्हें निमंत्रण भेजा है। हमारी भारत सरकार वहां एक शिष्टमंडल भेजने के लिए स्वयं को तैयार कर रही थी लेकिन वह उस समय उसके लिए तैयार नहीं थे।

मैं विपक्ष के अपने मित्रों से एक प्रसंगानुकूल प्रश्न करना चाहूंगा। यहाँ दिल्ली में सर्वदलीय नेताओं की बैठक हुई। उस खास बैठक में राजनीतिक दलों के सभी नेताओं ने भाग लिया, विशेष रूप से विपक्ष के नेताओं ने भाग लिया। मैं उनसे एक प्रश्न करूंगा। क्या उन्होंने इस मामले पर विचार-विमर्श किया? क्या उन्होंने इस विषय पर स्पष्टीकरण मांगा? क्या उन्होंने अपने दृष्टिकोण में किसी कार्यसूची के न होने पर आपत्ति प्रकट की? यदि कोई कार्यसूची नहीं है तो आपको वार्ता तेजी से निपटानी होगी। यह एक मुख्य बात है। क्या उन्होंने यह सुझाव दिया कि कार्यसूची के न होने की दशा में कोई शिखरवार्ता नहीं होनी चाहिए।

सायं 7.00 बजे

क्या आपने उस दिन ऐसा कहा था? प्रजातंत्र में आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन किसी ने भी कोई निर्धारित कार्यसूची के न होने पर कोई आपत्ति नहीं की थी। मैं विशेष रूप से कांग्रेस के सदस्यों से यह प्रश्न कर रहा हूँ। श्री माधवराव सिंधिया जी यहाँ नहीं हैं लेकिन श्री मणिशंकर अय्यर एवं अन्य सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं। क्या आपने कार्यसूची के न होने पर शिखरवार्ता न करने का सुझाव दिया था? क्या आपने उस पर आपत्ति प्रकट की थी? आपने उस दिन आपत्ति नहीं की थी। लेकिन आज आप संसद में आ रहे हैं और प्रत्येक मुद्दे पर सरकार को नीचा दिखा रहे हैं। हर बार आप बुरी तरह पराजित हुए हैं और इस बार भी आप बुरी तरह हारे हैं।

मैं यहाँ पर प्रश्न करना चाहूँगा। आप पिछली घोषणाओं के बारे में बात करते हैं। क्या आपने शिमला शिखरवार्ता से पहले सभी दलों की बैठक बुलाई थी? क्या आपकी सरकार ने सभी दलों की बैठक बुलाई थी और उन्हें विश्वास में लिया था? ...*(व्यवधान)*

श्री अली मोहम्मद नायक: जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने सहयोगी दलों और विपक्ष की बैठक बुलाई, उन्होंने सभा के समक्ष यह बात रखी कि हमने आठ विषयों वाली कार्यसूची के संबंध में पाकिस्तान को लिखा है लेकिन वे उस पर सहमत नहीं हो रहे हैं। लेकिन सहयोगी दलों अथवा विपक्ष के किसी भी प्रतिनिधि ने नहीं कहा, ''आप इस शिखरवार्ता को बंद कर दें।' उन्होंने कहा, 'आप इसे जारी रखें' ...*(व्यवधान)*

श्री वैको: इसलिए, निराशा और घबराहट में आकर वे कोई न कोई मुद्दा उठाने का अवसर ढूंढते रहते हैं और हर बार वह इस मामले में पराजित हो जाते हैं। वे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। जब कांग्रेस सत्ता में थी, क्या उन्होंने शिमला शिखरवार्ता से पहले सभी दलों की बैठक बुलाई थी? क्या उन्होंने राजनीतिक दलों को विश्वास में लिया था? नहीं। ऐसा कोई बैठक कभी नहीं हुई। क्या उन्होंने ताशकंद शिखरवार्ता से पहले राजनीतिक दलों को विश्वास में लिया था अथवा क्या उन्होंने उन सभी नेताओं की राय ली थी? ऐसा करना उनकी आदत में नहीं था क्योंकि वे यह समझ बैठे थे कि वे वर्षों तक सत्ता पक्ष में बने रहेंगे; उन्होंने यह कल्पना कभी न की थी कि उन्हें विपक्ष में भी बैठना पड़ेगा। इसीलिए, अब उन्हें आकर यह नहीं कहना चाहिए, "अरे! इन मुद्दों पर तो आपने हमें विश्वास में लिया ही नहीं।'

मेरे मित्रों ने, विशेष रूप से कांग्रेस की मित्रों ने लाहौर यात्रा का जिक्र किया। श्री सोमनाथ चटर्जी ने भी सरकार की भर्त्सना की और पूछा, "आप लाहौर क्यों गए?" वे सरलता से भारतीय इतिहास के एक अन्य निर्णायक क्षण को भूल जाते हैं। वह था पोखरण परमाणु विस्फोट। हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने पोखरण विस्फोट के बाद ही लाहौर जाने का उचित कदम उठाया। उन्होंने बातचीत और वार्ता के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। इसका परिणाम यह निकला कि कारगिल में जब हमारा पाकिस्तान से सामना हुआ तो सारा विश्व हमारे साथ खड़ा हो गया। भारत के इतिहास में पहली बार किसी भी मुस्लिम देश ने पाकिस्तान की सहायता नहीं की। जब वे सत्ता में थे तब ऐसा नहीं हुआ था। जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी सिंहासन पर थे तो किसी भी मुस्लिम देश ने पाकिस्तान की मदद नहीं की। इसका कारण लाहौर यात्रा थी। भारत लाहौर में पाकिस्तान से मिला। भारत कारगिल में पाकिस्तान से मिला। यह तय करना पाकिस्तान का कार्य है कि वह यह निर्णय करे कि कौन-सी बैठकें उसके हित में है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यह बात कही थी। लाहौर यात्रा की वजह से कारगिल में हमें अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त हुई थी।

इस बार जब श्री परवेज मुशर्रफ यहाँ आये, वही जनरल जो जेहाद का समर्थन कर रहा था उसे भारतीय राष्ट्रपति द्वारा दिये गये भोज में इस बात को स्वीकार करना पड़ा कि इस समस्या का कोई सैनिक समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने यह बात दिल से कही अथवा नहीं यह एक अलग बात है लेकिन उन्हें राष्ट्रपति भवन के परिसर में भोज के दौरान यह बात स्वीकार करनी पड़ी थी। इसीलिए डा. रफाक हुसैन जो एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद और कायदे आजम विश्वविद्यालय में सामरिक अध्ययन विभाग के प्रमुख हैं, ने कहा था "भारत ने सामान्य परिस्थितियों में विवादास्पद कश्मीर मामले सहित सभी शेष विषयों पर चर्चा करने के लिए दोनों देशों के इतिहास में कभी भी पाकिस्तान सरकार के मुखिया को वार्ता का निमंत्रण नहीं भेजा।"

जब यह खबर आयी कि पाकिस्तान के इसी सैनिक प्रमुख ने शिमला समझौते और लाहौर घोषणापत्र दोनों को ही मानने से इंकार कर दिया है तो हमारे विदेश मंत्री ने ही पाकिस्तान सरकार से इस मुद्दे पर बातचीत की थी और तत्काल इमानुल हक को इस बात से इंकार करना पड़ा था और उन्हें यह कहना पड़ा था कि श्री परवेज मुशर्रफ का अर्थ यह नहीं था और दुबारा इस बात को दोहराते हुए राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को भी इस बात से इंकार करना पड़ा था कि उनका इरादा यह कहने का कदापि नहीं था कि शिमला समझौता और लाहौर घोषणापत्र दोनों को नकार दिया गया है। उन्होंने इसकी व्याख्या करने का भरसक प्रयास किया कि इन समझौतों के वांछित परिणाम नहीं मिले।

इसी सेना प्रमुख शासक को यहां आना पड़ा। वह बड़ा मनोहारी दृश्य था जब उन्होंने राष्ट्रपिता की समाधि राजघाट पर गुलाब की पंखड़ियां बरसाईं। यह शोर मचाने वाले युद्धप्रिय व्यक्ति राजघाट पर आगंतुक पुस्तिका में लिखता है-"उनके आदर्शों की आवश्यकता को, विशेषकर भारत-पाकिस्तान संबंधों के परिप्रेक्ष्य में, इतना कभी भी महसूस नहीं किया गया जितना कि आज। खुदा उनकी रुह को सुकून दे।"

एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जिसे विशेष रूप से श्री मुलायम सिंह यादव और श्री माधवराव सिंधिया ने उठाया, वह यह था: क्या हमारे प्रधानमंत्री ने पाकिस्तानी जेलों में सड़ रहे 54 भारतीय युद्धबंदियों को छुड़ाने के मामले पर बातचीत की थी। उनका यह प्रश्न था। निःसन्देह, हमारे प्रधानमंत्री ने इस मामले पर बात की थी। दिनांक 15 जुलाई को शिष्टमंडल स्तर पर हुई वार्ता के वक्तव्य की प्रथम पंक्ति यह थी जिसे मैं उद्धृत कर रहा हूं: "हम लगातार दो दशकों से भी अधिक समय से पाकिस्तान से 54 भारतीय युद्धबंदियों को छोड़ देने का आग्रह करते रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि वे आपकी हिरासत में हैं और यह एक मानवीय समस्या है। मैं पाकिस्तान सरकार से तत्काल और उद्देश्यपूर्ण कार्रवाई करने का आग्रह करूंगा ताकि उनके परिवारों के संताप का शमन हो सके।" इससे अधिक आप क्या चाहते हैं? उन्होंने इस मुद्दे पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति से बातचीत की थी।

महोदय, कांग्रेस सदस्यों की ओर से इस प्रकार का प्रश्न किया जाना हास्यास्पद है। जब वे सता में थे और जब उन्होंने 93,000 पाकिस्तानी युद्धबंदियों को छोड़ दिया था तो क्या उन्होंने इन 54 युद्धबंदियों की रिहाई की बात की थी? क्या यह उनके लिए शर्म की बात नहीं है? क्या वे इस बात से लज्जित नहीं हैं? इन सारे वर्षों में वे क्या करते रहे? अटल जी तो मात्र 2-3 वर्ष

पहले आये हैं। वे अब तक क्या करते रहे? जब उन्होंने 93,000 पाकिस्तानी युद्धबंदियों को छोड़ दिया तो वे अपने 54 भारतीय युद्धबंदियों को मुक्त न करा सके। उन्हें आज ऐसा प्रश्न करने का क्या अधिकार है?

महोदय, मैं प्रेस के लोगों का, मीडिया के लोगों का हृदय से सम्मान करता हूँ। इनका कर्तव्य है कि ये मौलिक अधिकारों की और प्रेस की स्वतंत्रता आदि की रक्षा करें। मैं भी आपातकाल के दौरान जेल की अंधेरी काल कोठरियों में 12 माह से अधिक तक बंद रहा। लेकिन मुझे हमारे मीडिया व्यक्तियों का रवैया बहुत अखरा है, विशेषकर प्रेस और इलैक्ट्रानिक मीडिया का रवैया। वे सभी पाकिस्तानी राष्ट्रपति को विशेष महत्व देते रहे। लेकिन उन्होंने यह महसूस नहीं किया कि पाकिस्तान के इस राष्ट्रपति ने, एक सैनिक तानाशाह जिसने स्वयं को पाकिस्तान का राष्ट्रपति घोषित कर दिया और पाकिस्तान का राष्ट्रपति बन बैठा। उसने सभी राजनयिक मूलभूत मानदंडों का उल्लंघन किया है।

क्या उन्होंने सभी राजनयिक मानदंडों का उल्लंघन नहीं किया है? जब शिखरवार्ता स्तर की वार्ताएं होती हैं, तो इनमें भाग लेने वालों से यह आशा की जाती है कि वे वार्ता के ब्यौरे का रहस्योद्‌घाटन न करें। हमने पूरे जोर-शोर से उनका स्वागत किया। विश्व में हमारा देश सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है। इसीलिए, हमने बड़े जोर-शोर से उनका स्वागत किया लेकिन जनरल मुशर्रफ ने इसका दुरुपयोग किया, उन्होंने सभी राजनयिक मानदंडों का उल्लंघन किया। उनके इस रवैये की भर्त्सना करने के स्थान पर समाचार को सदैव सनसनीखेज बनाया जाता है। क्या प्रधान मंत्री जी देश के हितों की रक्षा करने वाले शीर्षस्थ व्यक्ति नहीं हैं? नाश्ते के समय की बैठक में जनरल मुशर्रफ के दुस्साहस के पश्चात् भारतीय प्रधानमंत्री ने वक्तव्य जारी किया। श्री सोमनाथ चटर्जी ने प्रश्न किया कि ठीक उसके बाद ही प्रधान मंत्री महोदय ने वक्तव्य जारी किया था। हाँ, उन्होंने ठीक काम किया क्योंकि परवेज मुशर्रफ ने राजनयिक मानदंडों का उल्लंघन किया था। आने वाली पीढ़ियां इसके बारे में बतायेंगी।

अपने वक्तव्य में उन्होंने साफ तौर पर कहा था–

"हम विश्वास और सहमति बनाने, पारस्परिक हित का सहयोग बढ़ाने और जम्मू और कश्मीर सहित सभी अनसुलझे मुद्दों का समाधान ढूंढने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में हमने आपके आगमन के पूर्व से ही कुछ ऐसे निर्णयों का अनुकरण करना जारी रखा है, जो हमारे देशों की जनता के आपसी सरोकारों पर ध्यान देने हेतु लक्षित हैं। ये निर्णय शांति और सुरक्षा बनाए रखने, जनसौहार्द बढ़ाने और यात्रादि सुविधाओं के माध्यम से आपसी संपर्क मजबूत करने के संबंध में हैं। हम जम्मू और कश्मीर के मुद्दे सहित सभी मुद्दों पर और आगे विस्तृत विचार-विमर्श करने की आशा रखते हैं। आप इस विषय पर हमारे दृष्टिकोण से पूर्णतया अवगत हैं और आपकी इस बात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि इस संबंध में हमारे बीच बड़े मतभेद हैं। हम इन मतभेदों को दूर करने और आगे बढ़ने के इच्छुक हैं।"

जनरल मुशर्रफ ने कारगिल में परिणाम भुगता था, असफलता का स्वाद चखा था और एक बार फिर, यहाँ–आगरा शिखर वार्ता में, वह भारत के प्रधानमंत्री के समक्ष टिक नहीं सके। क्योंकि उनमें वह योग्यता नहीं थी या कहें कि राजनय के क्षेत्र में वह जरा नौसखिया ही हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा:

"किन्तु इसके लिए अनुकूल वातावरण बनाये जाने की आवश्यकता है। इस राज्य की सीमाओं के पार से जिस तरह आतंकवाद और हिंसा को बढ़ावा मिल रहा है, उससे ऐसा वातावरण बनाने में मदद नहीं मिल सकेगी।"

अगले वाक्य में कहे गये शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। वे कहते हैं:

"हम दृढ़ता से इसका सामना करेंगे। किसी को यह नहीं समझना चाहिए कि भारत के पास आतंकवाद और हिंसा से निपटने की इच्छाशक्ति, बल और क्षमता नहीं है; किन्तु इससे सार्थक संवाद की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ती।"

हमारे प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति के सामने यह वक्तव्य दिया। जब नाश्ते और मध्याह्न भोजन की बैठक के समय श्री परवेज मुशर्रफ बार-बार इस बात की रट लगा रहे थे कि कश्मीर ही प्रमुख मुद्दा है तो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि वास्तव में प्रमुखतम मुद्दा तो कश्मीर के एक-तिहाई भू-भाग पर पाकिस्तान द्वारा कब्जा कर लेने का है। हमारे कुछ मित्रों ने पूछा था कि कश्मीर का एक तिहाई भू-भाग उनके कब्जे में है और क्या प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को उनके समक्ष उठाया था। हाँ, उन्होंने निश्चय ही इस मुद्दे को उनके समक्ष उठाया। फिर उन्होंने कहा:

"आपके द्वारा किया गया आक्रमण, वर्ष 1947 में पाकिस्तान की सेना के नियमित सैनिकों द्वारा जो आक्रमण किया गया था ...."

श्री परवेज मुशर्रफ को इस बात की उम्मीद नहीं थी। वह स्तब्ध रह गये। उन्होंने कहा कि यह तो अब इतिहास की बात हो गयी और इतिहास को छोड़िए। फिर हमारे प्रधानमंत्री जी ने उन्हें यह याद रखने को कहा कि यदि वह इतिहास की घटनाओं का उल्लेख करेंगे, तो फिर पूरे संदर्भ में बात होगी।

[श्री वैको]

महोदय, पाकिस्तान के कुछ समाचार पत्रों ने सही तस्वीर सामने रखी है। मुशर्रफ के लिए यह दूसरे कारगिल की तरह की स्थिति बन गई। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस तरह अपना दायित्व निभाया। हमारे मित्रों ने कश्मीर घाटी की स्थिति का जिक्र किया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं तो अपनी अंगुली कांग्रेस पार्टी की तरह उठाऊँगा, जो वर्तमान स्थिति के लिए एकमात्र रूप से जिम्मेदार है। हाँ यदि किसी को श्रेय मिलना चाहिए, तो वह हैं शेख अब्दुल्ला-जिन्हें 'शेरे-कश्मीर' कहा जाता है। जब राजा हरिसिंह ने विलय-संधि पर हस्ताक्षर किये, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा-"शेख अब्दुल्ला के कारण ही हम आज लाभजनक स्थिति में है।" शेख अब्दुल्ला को इसका क्या पुरस्कार मिला? 22 वर्ष का कारावास उन्हें दिया गया। तब आपने क्या किया?

मैं डॉ. अब्दुल्ला से एक बार चंडीगढ़ में मिला था। उस समय पंजाब के तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री बरनाला ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। मैं उनसे उनके पिता के शब्द याद रखने को कहा। जब सन् 1980 में मैं शेख अब्दुल्ला से मिला, तो वे बोले- "दोस्त, एक बात कभी मत भूलना कि कांग्रेस पार्टी के शब्दकोश में मित्रता या आभार जैसे शब्दों के लिए कोई स्थान नहीं है।"

श्री मणि शंकर अय्यर: इसी कारण से तो उन्होंने हमारा पक्ष लिया।

श्री वैको: मैंने डा. अब्दुल्ला को सावधान करते हुए कहा-"सावधान रहिएगा। इतिहास से कई सबक सीखने हैं।" उसके बाद क्या हुआ? एक सुबह जब वे चाय पी रहे थे, उन्हें बताया गया कि उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया है और, अब वहाँ चुनाव होने जा रहे हैं। कौन जीतेगा-इसकी हमें चिंता नहीं है। मैं बताना चाहूँगा कि 1977 में जब श्री मोरारजी देसाई प्रधान मंत्री थे-हमें उनको इसका श्रेय देना ही चाहिए-वहाँ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हुए थे। तथापि, जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो कश्मीर के चुनाव हमेशा संघर्षात्मक रहे। निःसन्देह, शीघ्र ही वहां चुनाव होने जा रहे हैं। ये चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होंगे। फिर भी, आप एक बात भूल गये।

सभापति महोदय: श्री वैको, कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री वैको: कश्मीर घाटी में जो कुछ हुआ है, उसके लिए एकमात्र आप लोग ही जिम्मेवार हैं। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री ने सही कदम उठाया है।

एक और बात है। हमारे कुछ मित्रों ने, श्री चन्द्रशेखर भी उसमें शामिल हैं, कहा कि हमारे प्रधानमंत्री को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए। उनकी लाहौर यात्रा के पश्चात्, अंतरराष्ट्रीय हलकों में भी हमारी सफलता मानी गई। जानते हैं कि कब, कहाँ, किस प्रकार और क्या कदम उठाने चाहिए।

हमें पता नहीं कि आगरा शिखर-वार्ता में मुशर्रफ किन इरादों के साथ आए थे। किन्तु वह उनके लिए एक बड़ी विफलता रही। एक बात यह भी रही कि प्रैस ने, समाचार-माध्यमों ने, इसे समुचित परिप्रेक्ष्य में प्रकाशित नहीं किया। अन्यथा, इतिहास के पन्नों पर, भारत-पाकिस्तान संबंधों की गाथा में, आगरा की यह शिखर-वार्ता बहुत प्रमुखता से अंकित की जायेगी।

श्री पी.एच. पांडियन (तिरुनेलवेली): सभापति महोदय, आगरा शिखरवार्ता पर हो रही इस चर्चा में भाग लेने का अवसर मुझे प्रदान करने को बहुत-बहुत धन्यवाद।

सर्वप्रथम, मैं कहना चाहूँगा कि 9 जुलाई को प्रधानमंत्री जी ने सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें विदेश मंत्री भी उपस्थित थे। हम सबने कहा कि सीमा-पार से आतंकवाद का मुद्दा कार्यसूची में सबसे ऊपर रहना चाहिए और नियंत्रण रेखा को सीमा-संबंधी विवाद के मानक के रूप में देखा जाना चाहिए। उस बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हेतु उनकी अपनी कार्यसूची है। उस समय, ए.आई.ए.डी.एम.के. की तरफ से मैंने जो कहा, वह बैठक के कार्यवृत्त में है। जिन-जिन वक्ताओं ने अभी अपनी बात कही, पहले उन्हें सभी दलों के नेताओं के विचार उस कार्यवृत्त से जानने चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर: केवल कुछ दलों के नेताओं को ही बुलाया गया था, वह सभी दलों के नेताओं की बैठक नहीं थी।

श्री पी.एच. पांडियन: प्रधानमंत्री का भाषण मुद्रित रूप में है। शिखरवार्ता के पश्चात् प्रधानमंत्री ने कहा, "जब भी उन्होंने सीमा-पार से आतंकवाद की बात की, श्री मुशर्रफ ने कश्मीर का ही मुद्दा उठाया।"

जब श्री मुशर्रफ नियंत्रण-रेखा के बारे में बात की तो श्री मुशर्रफ ने कश्मीर का मुद्दा ही उठाया। प्रधानमंत्री ने स्वयं माना है कि वे किसी कार्यसूची के साथ आए ही नहीं थे। प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है कि यह एक विफलता थी। अब सरकार अवश्य यह कह सकती है कि शिखरवार्ता सफल रही। किन्तु सब कुछ बैठक के कार्यवृत्त में है। प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक में खुले तौर पर कहा है कि बातचीत का कोई मतलब नहीं था। मैंने उस बैठक में कहा था कि श्री परवेज मुशर्रफ बतौर एक पर्यटक भारत आए थे। एक महान् लोकतांत्रिक देश के महानतम प्रधानमंत्री से बात करने की आवश्यक राजनय क्षमता उनके पास नहीं थी। मैंने प्रधानमंत्री से यह भी कहा था कि उन्हें तो श्री परवेज मुशर्रफ से

हाथ भी नहीं मिलाना चाहिए था, क्योंकि उन्हें राष्ट्रपति के रूप में अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है; वह स्वयंभू शासक हैं। बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि पाकिस्तानी नेतृत्व, विशेषकर वहां के सैन्य शासक, कश्मीर मुद्दे का समाधान नहीं चाहते हैं। सेना के जनरल केवल युद्ध की बातें करके ही उस देश में रह सकते हैं और सत्ता का भोग कर सकते हैं। यदि कश्मीर के मुद्दे का समाधान हो जाये तो ये सेना के जनरल जीवित ही नहीं रह सकेंगे। ऐसे में उन्हें राजनैतिक नेतृत्व के अधीन मातहतों की तरह से काम करना पड़ेगा। उन्हें देश के निर्वाचित राष्ट्रपति को सलाम बजाना पड़ेगा। यह सब बातें उस बैठक के कार्यवृत्त में हैं। इसीलिए इस सभा में इस तरह की बात उठाई गई कि वार्ता से काफी मदद मिली है, वार्ता से हल निकलने की संभावनाएं बढ़ी हैं, वार्ता लाभप्रद थी और इसके माध्यम से भारत ने कुछ उपलब्धि हासिल की है। किन्तु यह निश्चित है कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री और माननीय विदेश मंत्री ऐसी प्रस्तावना को स्वीकार नहीं करेंगे।

महोदय, राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली के सुधार संबंधी चार मंत्रियों के दल की एक रपट थी। ये चार मंत्री थे-वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा, विदेश मंत्री श्री जसवंत सिंह, भूतपूर्व रक्षा मंत्री श्री जार्ज फर्नांडीज और एक अन्य मंत्री ...*(व्यवधान)* हमने उस बैठक में कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री उस अंतरराष्ट्रीय शिखर वार्ता की बैठक में भाग लेते समय, विचार-विमर्श के एक आधार के रूप में इसे एक नयाचार की भांति माने। चूंकि राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली के सुधार संबंधी उस रपट-जिसे फरवरी, 2001 में मंत्रि दल द्वारा सौंपा गया था में की गई सिफारिशों पर यहाँ बिल्कुल भी चर्चा नहीं हुई। ...*(व्यवधान)*

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा): महोदय, वह एक गोपनीय रपट है और उस रपट पर यहां चर्चा नहीं होनी चाहिए। उसे सदस्यों में परिचालित कर दिया गया है और बाद में, या तो गृह मंत्री अथवा कोई अन्य संबंध प्राधिकारी इसके बारे में बात करेंगे। मैं समझता हूं उस समय यहाँ चर्चा नहीं की जानी चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, उसे संसद-सदस्यों में परिचालित किया गया है ...*(व्यवधान)* महोदय, मैं गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति का सदस्य हूँ। हमारी समिति इस रपट पर विचार-विमर्श करने जा रही है ...*(व्यवधान)* महोदय, प्रत्येक ने सीमापार से आतंकवाद की बात की। सीमापार से आतंकवाद ही वह प्रमुख मुद्दा था, जिसे हमने देखा कि कारगिल कैसे प्रभावित हुआ। हम यह भी पता लगा सकते थे कि सीमा पार से आई.एस.आई. द्वारा संचालित घुसपैठ कैसे पनप रही थी।

महोदय, शिखर सम्मेलन के पश्चात और श्री परवेज मुशर्रफ के जाने के पश्चात क्या हुआ था? अमरनाथ जाने वाले तीर्थयात्री मारे गए थे। क्या यह सदभावपूर्ण था? क्या उनका शिखर सम्मेलन में भाग लेना सदभावपूर्ण था? उनका भारत आने का मकसद शैतानीपूर्ण था।

जब वह हमारे प्रधान मंत्री से हाथ मिला रहे थे तब उन्होंने राजनयिक वेशभूषा नहीं पहन रखी थी। वे चुन्नट वाली बिना कालर की शर्ट पहने हुए थे। वे अनौपचारिक थे। वे गम्भीर नहीं थे। वस्तुत वे किसी भी विषय पर गम्भीर नहीं थे। हमारे प्रधान मंत्री एक मझे हुए राजनीतिज्ञ हैं। वे एक महान संसदविद हैं। वे भारत के लोगों द्वारा और राजग से संबंधित संसद सदस्यों द्वारा चुने गए प्रधान मंत्री हैं। हमने सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री से कहा था कि उनका बातचीत का रवैया जनरल के रवैये से बिल्कुल भिन्न था। भारत आने से एक सप्ताह पहले जनरल मुशर्रफ ने प्रोटोकोल हासिल करने के लिए स्वयं को पाकिस्तान का राष्ट्रपति घोषित किया था। किसी देश का चुना हुआ प्रधान मंत्री उनको आदर नहीं दे सकता क्योंकि वे अपने लोगों द्वारा नहीं चुने गए थे। वे किसी संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं। पाकिस्तान की राष्ट्रीय एसेम्बली भंग कर दी गई है। किसी ऐसे राष्ट्रपति को, जो अपने देश की संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, इस प्रकार आदर कैसे दिया जा सकता है। हमें उनके साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए थी।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): उन्होंने अपने आप को चुना था।

श्री पी.एच. पांडियन: हां, वे स्वयं के लिए निर्वाचक मंडल हैं।

शिखर सम्मेलन व्यर्थता में ही समाप्त हुआ। भारत के लोगों को समाचार पत्रों द्वारा बनाए गए अलग-अलग प्रभावों से प्रभावित रहे। हमारा मीडिया यहां जनरल मुशर्रफ की मौजूदगी से प्रसन्न था। मैंने कई पत्रिकाएं देखी हैं। भारतीय प्रेस ने जनरल मुशर्रफ की हर बात को महत्व दिया था। उनमें से एक ने कहा था कि जनरल मुशर्रफ निर्वाचित सरकार से भी बेहतर हैं। भारतीय प्रेस कहती हैं कि वे एक निर्वाचित सरकार से भी बेहतर हैं। उनके सभी भाषण और सभी साक्षात्कार भारतीय प्रेस द्वारा प्रकाशित किए गए और उसने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की। इस प्रकार की प्रेस की आजादी अपेक्षित नहीं है।

मेरा कहना है कि कश्मीर समस्या निरंतर चलने वाली समस्या है। मैंने सर्वदलीय बैठक में कहा था कि प्रधान मंत्री को पाकिस्तान से निपटने हेतु कठोर निर्णय लेना चाहिए। मुझे लगभग 20 वर्ष

[श्री पी.एच. पांडियन]

पहले का एक अनुभव याद आ रहा है जब मैं संयुक्त राष्ट्र का दौरा कर रहा था। मैं आडवाणी जी से मिला था और उन्हें अपना परिचय दिया था। उस समय मैं तमिलनाडु विधान सभा का उपाध्यक्ष था। हम लिफ्ट में एक साथ भूमि-तल पर आये थे। भवन के भूमि तल पर एक कॉफी शॉप थी जिसे एक पाकिस्तानी चलाता था। यह जानकर कि हम भारत से हैं उसने कहा था कि वह भारत को अलग-अलग टुकड़ों में देखना चाहता है। लगभग 20 वर्ष पूर्व संयुक्त राष्ट्र भवन में कॉफी शॉप चलाने वाले पाकिस्तानी की ऐसी धारणा थी। यही धारणा उस पाकिस्तानी के खून में बह रहा था। इसलिए हम पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर सकते। हम परवेज मुशर्रफ पर विश्वास नहीं कर सकते। परन्तु हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी अन्य देश से राजनयिक सम्पर्क करने का मार्ग बातचीत के द्वारा है। हम बातचीत समाप्त नहीं कर सकते। हमें पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी। हमें उनसे लगातार बात करनी पड़ेगी। हम 54 वर्षों से बात करते आ रहे हैं। उनकी सरकारों, चाहे निर्वाचित हो अथवा मिलीटरी हो, ने इस मामले का समाधान करने में सहायता नहीं की। इस समस्या का समाधान करने में उनकी कोई रुचि नहीं है।

जहां तक युद्धबंदियों का संबंध है हमारे प्रधान मंत्री ने यह मामला मुशर्रफ के साथ उठाया था और जनरल ने कहा था कि वे व्यक्तिगत रूप से इस पर ध्यान देंगे। मेरे एक मित्र ने कहा है कि इसका श्रेय मुशर्रफ को जाता है। परन्तु इस्लामाबाद पहुंचने के बाद परवेज मुशर्रफ ने कहा कि पाकिस्तान में कोई युद्ध बंदी नहीं है।

वापस जाने के पश्चात् उन्होंने कहा कि मुक्त करने के लिए कोई भी युद्धबंदी नहीं है। इसलिए उन्होंने किसी को भी मुक्त नहीं किया। हमारे प्रधान मंत्री, लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधान मंत्री, को यह विश्वास दिलाया गया कि परवेज मुशर्रफ अपने राजनयिक चैनल के माध्यम से अपनी कार्यसूची की सूचना देंगे।

बैठक में मैंने कहा था और यह प्रेस में भी आया है कि वे शिखर सम्मेलन में कागज का एक टुकड़ा भी लेकर नहीं आये। मैंने कहा कि न्यायालय में जाते हुए भी हम अपने साथ एक या दो कागज अपने साथ ले जाते हैं। परन्तु वे बिना किसी कागज अथवा कार्यसूची के ही शिखर सम्मेलन में भाग लेने आये।

श्री पी.ए. संगमा ने कहा है कि वे अपने साथ कुछ महत्वपूर्ण मंत्रियों को भी नहीं लाये थे। उस बैठक में मैंने पहले ही कहा था कि जनरल मुशर्रफ यहां एक पर्यटक के रूप में आए थे। वे ताजमहल का भ्रमण कर रहे थे और फोटोग्राफ ले रहे थे। वे हमारे अतिथि थे। हम उनकी मेजबानी कर रहे थे। परन्तु हमें उस देश में उस प्रकार का आतिथ्य नहीं मिल सकता। यदि हमारे नेता वहां जाते हैं तो उस देश के लोग सहन नहीं करेंगे। यदि प्रधान मंत्री कारगिल पर नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तो उनका ऐसा स्वागत नहीं होगा। हम महान लोग हैं। हमारा देश महान है। हमारी परम्पराएं हैं। जनरल परवेज की कोई परम्पराएं नहीं हैं। उनकी केवल सैन्य परम्पराएं हैं। वे सैल्यूट कर सकते हैं। बस यही कर सकते हैं।

महोदय, उन्होंने किसी भी समस्या पर विचार नहीं किया। उन्होंने मंत्रियों के समूह की किसी भी सिफारिश पर विचार नहीं किया। उन्होंने ऐसे बात की जैसे कि कोई नियंत्रण रेखा हो। उन्होंने बताया था कि नियंत्रण रेखा उन्हें मंजूर नहीं है। जब हमारे प्रधान मंत्री ने सीमा पार से आतंकवाद की बात की तो उन्होंने कहा था कि सीमापार से कोई आतंकवाद नहीं है, वहां आजादी का संघर्ष चल रहा है। उन्होंने जो भी कहा वह नकारात्मक था।

इसलिए हम संसद-सदस्यों को सरकार के साथ मिलकर कठोर निर्णय लेना चाहिए। जिसमें युद्ध की घोषणा शामिल नहीं है। हमें किसी को लोकतांत्रिक रूप से राष्ट्रपति निर्वाचित करने के लिए उनके देश में हस्तक्षेप करना पड़ेगा। हमें घुसपैठ करनी पड़ेगी। वे हर रोज घुसपैठ कर रहे हैं। आई.एस.आई. के एजेंट यहां हैं। प्रेस में यह सूचना दी जा रही है कि आई.एस.आई. के एजेंट भारत में नोट छाप रहे हैं और उन्हें वितरित कर रहे हैं हमारे मंत्री ने भी कहा है कि आई.एस.आई. एजेंट यहां कार्य कर रहे हैं और यहां सीमापार से आतंकवाद का संचालन किया जा रहा है।

भारत परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। इसलिए, इस अवसर पर मैं जोर देकर कहता हूं कि हाल ही की वार्ता असफल रही है। यह माननीय प्रधान मंत्री ने भी स्वीकार किया है। यह कहकर कि यह भारत के लिए सफल थी प्रधानमंत्री का समर्थन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि यह असफल रही है। जब माननीय प्रधान मंत्री ने स्वीकार कर लिया है कि यह असफल रही है तो सदस्यों को यह क्यों कहना चाहिए कि यह सफल रही है? उन्होंने बैठक में खुले रूप में यह कहा है। कोई भी सर्वदलीय नेताओं की बैठक का कार्यवृत्त देख सकता है। मैं सोचता हूं कि यह प्रत्येक को भेजा जाना चाहिए। प्रधान मंत्री द्वारा बैठक बुलाने से पूर्व हमने उन्हें प्रदत्त किया था। कार्यसूची तैयार की गई थी परन्तु उस पर विचार नहीं किया जा सका। चूंकि वे खाली हाथ आये थे इसलिए वे वापस भी खाली हाथ गए। हमारे प्रधान मंत्री बातचीत के लिए वहां थे जिसका जनरल मुशर्रफ ने सम्मान नहीं किया।

महोदय, मैंने टेलीविजन में देखा था कि हमारे राष्ट्रपति के.आर. नारायणन जनरल मुशर्रफ की आगवानी कर रहे थे। मेरा विचार है

कि मुशर्रफ की यहां आगवानी श्री के.आर. नारायणन, भारत के महान राष्ट्रपति द्वारा नहीं बल्कि जनरलों द्वारा की जानी चाहिए थी। इसी प्रकार हमारे प्रधान मंत्री आगरा के ओबराय होटल में उनकी आगवानी कर रहे थे। क्या वे भी पाकिस्तान में आपका ऐसे ही आगवानी करते हैं। नहीं। हमारी प्रेस ने भी उन्हें ऐसा दर्शाया जैसे कि वे लोकतंत्र के प्रवर्तक हों।

कल दिल्ली में मैंने एक पत्र में देखा कि उनके नाम नोबल शांति पुरस्कार दिए जाने के लिए किया गया था। हम क्या कर रहे हैं? यह 31 जुलाई के 'दि स्टेट्समैन में प्रकाशित है। एक समाचार पत्र में यह बताया गया था कि उनकी नोबल शांति पुरस्कार के लिए सिफारिश की गई है। क्या यह कारगिल में आक्रमण और हत्याओं के लिए है अथवा प्रधान मंत्री के साथ सहयोग न करने के लिए है। क्या सैनिक जनरल पंचशील के बारे में जानते हैं? वे अनाक्रमण के बारे में नहीं जानते; वे परस्पर लाभ के बारे में नहीं जानते; वे शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के बारे में नहीं जानते; वे दूसरों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के बारे में नहीं जानते और पंचशील के बारे में नहीं जानते। इसीलिए प्रधान मंत्री हताश हो गए थे। प्रधान मंत्री ने कहा है कि जब भी उन्होंने सीमापार से आतंकवाद का प्रश्न उठाया तो मुशर्रफ ने कश्मीर का प्रश्न उठाया। प्रधान मंत्री ने इसे स्वीकार किया है।

एक बार प्रधान मंत्री ने कहा था कि कश्मीर एक मुद्दा है परन्तु जनरल मुशर्रफ ने कहा था कि यह एक विवाद है; और इसके लिए जनरल मुशर्रफ ने एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया और कहा कि विवाद और मुद्दे की परिभाषा बनाने के लिए हम किसी समझौते पर नहीं पहुंच सके; हम अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं कैसे निपटा सकते हैं। उन्होंने ऐसा कहा था। इसलिए यहां आकर उन्होंने अन्य समस्या पैदा कर दी।

इसलिए मैं प्रधान मंत्री से उनके अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण में अधिक सावधानी बरतने की अपील करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी मामलों में वे न सिर्फ राजग की बैठक बल्कि सभी दलों को बैठक बुला सकते हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा के लिए वे सभी दलों की बैठक बुला सकते हैं और स्थानीय मुद्दों के लिए वे राजग की बैठक बुलाएं। वे स्थानीय मुद्दों को सुलझाने के लिए राजग की बैठक बुलाएं क्योंकि वे वोट भी प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के लिए हम भारत सरकार के साथ हैं और जिसे मैंने इस बैठक में कहा है। उस बैठक में श्री जसवंत सिंह जानते हैं कि मैंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी मुद्दों पर शिखर वार्ता के पहले और बाद में उन्हें न केवल राजग की बल्कि सभी दलों की बैठक बुलानी चाहिए। वे पहले राजग को बताएं और इसके बाद सभी दलों के नेताओं को हम सभी यहां अंतर्राष्ट्रीय विवादों अथवा मुद्दों को सुलझाने के पक्ष में हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि आज के बाद किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समस्या अथवा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को सुलझाने के लिए आप राजग के सहयोगियों के साथ-साथ सभी राजनीतिक दलों से परामर्श कर सकते हैं। हम आपके साथ झगड़ा करने नहीं जा रहे हैं।

श्री वैको मित्रता और कृतज्ञता के बारे में बोल रहे थे। मैंने उस समय कुछ भी नहीं बोला जो कुछ भी भारत में घटित हो रहा है, वह विदेशों में भी हो रहा है। बस यही बात है। कौन कृतज्ञ है? राजनीतिक मामलों में कौन मित्रवत है? चुनावों के बाद वे सब अलग-अलग हैं। कोई कृतज्ञता नहीं दिखा रहा है। इसलिए सिर्फ शेख अब्दुल्ला ने ही ऐसा नहीं कहा बल्कि यह व्यवहार में हो रहा है। मैं कहूँगा कि यह शिखर वार्ता असफल रही। श्री जसवंत सिंह जानते होंगे कि यह असफल रही। प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि यह शिखर वार्ता नाकामयाब रही थी। मैं इसकी असफलता से खुश नहीं हूँ। मैं आपको जनरल मुशर्रफ पर जीत हासिल करते देखना चाहता हूँ। आप जो कुछ भी सहायता और समर्थन चाहते हैं, हम देंगे और हम सभी आपके साथ हैं। मैंने यह उसी दिन कहा था। हम सभी प्रधान मंत्री जी और भारत सरकार के साथ हैं। यह हमारी आंतरिक दलीय समस्या नहीं है। यह हमारी आंतरिक अंतर्देशीय समस्या भी नहीं है। यह हमारे महान राष्ट्र की सार्वभौमिकता और एकता से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समस्या है।

विदेश मंत्री, श्री जसवंत सिंह एक जिम्मेदार मंत्री हैं और वे एक अच्छे वार्ताकार हैं। वे वार्ता आयोजित करने में सक्षम हैं। वे किसी भी व्यक्ति को राजी कर सकते हैं। मैं उनसे जनरल मुशर्रफ को राजी करने, उन्हें समझाने और उन्हें अपने नियंत्रण में लाने अथवा भारत सरकार के नियंत्रण में लाने का अनुरोध करता हूं। अन्यथा वे कुछ समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। भारत से उनके प्रस्थान के बाद अमरनाथ तीर्थयात्री मारे गए, उनके जाने के बाद अथवा शिखर सम्मेलन समाप्त होने के बाद कश्मीर में अशांति बढ़ गई।

इसलिए मैं कहूंगा कि हम इस असफलता से खुश नहीं हैं। प्रधान मंत्री जी की घोषणा के बाद एक संवाददाता ने हमारी नेता, तमिलनाडु की मुख्य मंत्री से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने तुरंत कहा कि यह शिखर वार्ता असफल होने जा रही है। हर कोई इसके बारे में जानता था। एक जनरल निर्वाचित प्रधान मंत्री से क्या बात कर सकते थे? उन्होंने लाहौर घोषणा और शिमला समझौते के बारे में बात नहीं किया। उन्होंने पहले के किसी भी पूर्व समझौते के पालन का प्रचार नहीं किया।

हम केन्द्र सरकार, भारत सरकार के साथ हैं। हम भारतीय भूमि को अक्षुण्ण रखना चाहते हैं। हम इस मामले में अपनी एक

[श्री पी.एच. पांडियन]
इंच भूमि भी पाकिस्तान अथवा किसी अन्य देश को नहीं देंगे। हम चाहते हैं कि भारत सरकार सीमा पार से चलाए जाने वाले आतंकवाद और उग्रवाद पर अंकुश लगाए। सरकार को भारत के लोगों की रक्षा करनी चाहिए और हम भारत सरकार के साथ है।

[हिन्दी]

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया): सभापति महोदय, शासन को एक परिभाषा है, गवर्नमेंट की एक परिभाषा है संस्कृत में- ''कृतम ना कृतम, अन्यथा कृतम।'' अर्थात्, करेंगे, नहीं करेंगे, दूसरी तरह से करेंगे। और जो गवर्नमेंट इसमें सक्षम नहीं है 'करेंगे, नहीं करेंगे, दूसरी तरह से करेंगे'।

सायं 7.42 बजे

(**डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह** *पीठासीन* हुए)

यह गवर्नमेंट की सक्षमता की निशानी है और यही हमारी परेशानी है। क्योंकि केवल एक तरीका पिछले 50 साल से अपनाया गया है। दूसरा तरीका जब अपनाया जाता है तो हर तरह के लोगों की सोच में, केवल हमारे विपक्षी दलों की सोच में नहीं, मीडिया की सोच में, सबकी सोच में आता है कि कोई और तरीका किया जाए तो वह गलत है।

सभापति जी, मुलायम सिंह जी ने बातचीत शुरू की और उन्होंने बहुत अहम बात कही। वैसे आम तौर से समाजवादी पार्टी के सभी लोग चाहते हैं और प्राय: हर बात का वे राजनीतिकरण करते हैं, लेकिन इस हालत में उन्होंने कहा कि 'युद्ध हम जीतते रहे और कूटनीति में हम बिल्कुल असफल रहे। हर युद्ध के बाद हमारी सीमाएं सिकुड़ती रहीं, पाकिस्तान को दो टूक जवाब दे देना चाहिए था।' ये सब बातें जो उन्होंने कहीं, बुनियादी बातें कहीं। हम उन्हें बधाई देते हैं कि कम से कम उन्होंने इसका तो राजनीतिकरण नहीं किया, लेकिन जब हमारे माधवराव जी बोल रहे थे, तो हमने देखा कि वे बिल्कुल हाशिए पर बोल रहे हैं। वे एक बहुत अच्छे वकील की तरह, अच्छे अंग्रेजी के एक्सप्रेशन में वे अपनी बात कह गए। जहां तक हमें अंग्रेजी समझ में आती है, उसके अनुसार मैं यह कह सकता हूं कि वे एक बहुत खराब केस को बहुत अच्छे शब्दों में आर्ग्यू कर रहे हैं। मूल बात से हट कर, बात कही गई। उन्होंने शिमला एग्रीमेंट की बात

[अनुवाद]

शिमला समझौता जो पाकिस्तान के साथ हमारे तीन दशकों के संबंधों की भारी उपलब्धि थी लेकिन आगरा में यह बेकार साबित हुआ।

[हिन्दी]

शिमला समझौता कैसा बैंच मार्क था, उसके बारे में, मैं अभी चर्चा करूंगा, लेकिन मूल बात क्या है, वह हमारे संगमा जी ने भी कही थी और एक बार मैं फिर दोहरा दूं कि मूल बात 1994 में हुई और वह दिनांक 22 फरवरी, 1994 में इसी संसद में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के द्वारा हुई थी।

[अनुवाद]

> ''यह सभा दृढ़तापूर्वक यह घोषणा करती है कि जम्मू और कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग रहा है, और रहेगा तथा शेष भारत से इसे अलग करने के किसी भी प्रयास का हर आवश्यक साधनों से मुकाबला किया जाएगा।
>
> भारत के पास अपनी एकता, सार्वभौमिकता और क्षेत्रीय अखंडता के विरुद्ध सभी षडयंत्रों से दृढ़तापूर्वक मुकाबला करने की इच्छा और क्षमता और यह सभा मांग करती है कि पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर के भारतीय क्षेत्र को खाली करना चाहिए जिस पर उसने हमला करके कब्जा कर लिया है और यह संकल्प करती है कि भारत के आन्तरिक मामलों में दखलंदाजी के सभी प्रयासों का दृढ़तापूर्वक मुकाबला किया जाएगा।''

[हिन्दी]

रैजोल्यूशन में यही मूल बात थी। इसके बारे में अब सफलता की क्या परिभाषा है, किसी बातचीत में सफलता की परिभाषा क्या है? क्या केवल यह है कि हर तरह का एक रैजोल्यूशन पास हो, सबके दस्तखत हों, वही सफलता की परिभाषा है? सफलता की क्या परिभाषा है क्योंकि हम लोग अभी तक जो परिभाषा देखते आए हैं, उस परिभाषा से 1971 का शिमला ऐग्रीमैंट एक सफल ऐग्रीमैंट था। लेकिन मेरी परिभाषा से उसकी खराब बैंचमार्च हमको उस हालत में कोई भी सरकार नहीं दे सकती थी। उसकी डिटेल देखनी चाहिए क्योंकि आज जो हमारी परेशानियां हैं, वे सब 1971 के शिमला ऐग्रीमैंट के बाद हुई हैं और उसे गौर से देखना चाहिए। इस बैंचमार्क पर दूरबीन की नजर लगानी चाहिए। क्या स्थिति है वहां पर? 1971 में पाकिस्तान एक हारा हुआ देश था, उसे हम रणयुद्ध में हरा चुके थे, उसका आधा हिस्सा हम उससे अलग कर चुके थे, उससे आजाद कर चुके थे। एक देश का आधा हिस्सा इक्कीसवीं सदी में सोलह दिन में अलग कर देना, हमारे पास 93,000 सैनिक थे। इस स्थिति में श्री जुल्फिकार अली भुट्टो को बुलाया गया। उस वक्त क्या प्रैपरेशन की गई थी, मैं जानना चाहता हूं। केवल दो चीजें इस शिमला ऐग्रीमेंट में हैं। बायलेटरलिज्म, जिसकी दूसरे दिन ही पाकिस्तान ने अवहेलना करनी शुरू की। पाकिस्तान ने कभी भी बाटलेयटरलिज्म नहीं माना, हमेशा वह

कोशिश करता रहा कि एक तीसरी पार्टी को ले आए, उसे इंटरनैशनलाइज करे और हमेशा यू.एन. सिक्युरिटी काऊंसिल के रैजोल्यूशन पर जाता रहा। कश्मीर के बारे में कोई भी बात नहीं की गई। 1971 के ऐग्रीमैंट में क्या बात की गई? उसके पहले ताशकंद ऐंग्रीमैंट भी हुआ है, केवल एक औपरेटिव पोर्शन ताशकंद ऐग्रीमैंट में हुआ है। तीसरी पार्टी को इस्तेमाल करके दूसरे देश जाकर ताशकंद ऐग्रीमैंट हुआ। क्या प्रैपरेशन की गई थी, वह मुझे नहीं मालूम है लेकिन एक ही औपरेटिव पोर्शन ताशकंद ऐग्रीमेंट में है।

[अनुवाद]

''भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति इस बात पर सहमत हुए हैं कि दोनों देशों की सेनाएं 25 फरवरी 1966 के पहले 5 अगस्त, 1965 के पूर्व की अपनी स्थिति में वापस हो जाएँगी और दोनों देश युद्ध विराम रेखा का पालन करेंगे।''

[हिन्दी]

आज इसलिए साथ चला गया। यही वह है जिसमें हमने हाजी पीर दर्रा दिया है जोकि खास दर्रा है जिसके जरिए आतंकवादी हमारे यहां आते हैं। यही एक औपरेटिव पोर्शन हुआ। 1971 में बायलेटरलिज्म की तो बात है, यह मैं समझता हूं लेकिन आखिर में क्या कहा जाता है, यह सुनने योग्य है।

[अनुवाद]

''युद्धबंदियों और नजरबंद नागरिकों के प्रत्यावर्तन के प्रश्न सहित जम्मू कश्मीर का अंतिम समाधान और कूटनीतिक संबंधों को बाध्य करना।''

[हिन्दी]

फाइनल सैटलमेंट तो जम्मू कश्मीर में कहां किया गया, कैसे किया, कब किया गया? उस पर क्या तैयारी हुई, उस पर क्या काम हुआ, कुछ नहीं हुआ, जीरो। 93 हजार प्रिजनर्स हम लोगों ने उठाकर उनको दे दिये और आज जो आतंकवाद है, उसमें जब बार-बार यह हो कि एक देश, जिसको हम युद्ध में बुरी तरह हरा चुके हैं, जिसने हार मान ली है, 1965 में हार नहीं मानी, लेकिन 1971 में उनको हार माननी पड़ी। अगर उनको यह पता हो कि हर दफा जब हम टेबल पर आयेंगे तो हम बिल्कुल पाक साफ आराम से जो हमको चाहिए, वह हमको दान में मिल जायेगा, 93 हजार प्रिजनर मिल जाएंगे और हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो उसका नतीजा यही होगा। कोई यहां पर कह सकता है कि उससे सुनहरा मौका, उससे अच्छा मौका कभी भी हिन्दुस्तान को जम्मू-कश्मीर का सैटलमेंट करने का मिलेगा? कोई कह सकता है तो वह कहे कि उस स्थिति में जब हम थे, तब हमने किसी तरह का सैटलमेंट नहीं किया। क्या प्रिप्रेशन हुई थी, प्रिपरेशन की बहुत बात हो रही है। मैं जानना चाहता हूं कि हम जब 93 हजार प्रिजनर्स दे रहे हैं तो कम से कम हमारे 54 प्रिजनर्स तो दे दें। क्या यही प्रिपरेशन थी? यह नहीं थी कि एक तिहाई हिस्सा कश्मीर का जो उनके पास है, वह हमको मिल जाये या किसी और तरीके से फाइनल सैटलमेंट हो जाये, क्या वहां पर यही प्रिपरेशन थी? आज जे.एन. दीक्षित साहब का आर्टिकल मैं पढ़ रहा था,

[अनुवाद]

'शिमला समझौता जैसी भावनाएं लाएं।'

[हिन्दी]

हे भगवान, जब उस वक्त शिमला स्पिरिट लाकर हमने यह किया है तो दोबारा शिमला स्पिरिट लाकर हम लोग क्या करेंगे। क्या उस समय यह भी सम्भव नहीं था कि हम पाकिस्तान से कह देते कि आपका सिक्योरिटी काउंसिल में जो रैजोल्यूशन है, उसको विथड्रा कर लीजिए? क्या यह भी सम्भव नहीं था कि आप किसी क्रास बोर्डर के आदमी नहीं भेजेंगे, बार-बार कबायली नहीं भेजेंगे, क्या 1971 की वार के बाद कोई चीज दस्तखत से नहीं की जा सकती थी? हमको बताया जा रहा है कि यह वार्ता फेल हो गई। अगर उस वक्त भारत सरकार नहीं करने का साहस जुटा पाती कि जब तक ये चीजें नहीं होंगी, तब तक हम नहीं मानेंगे। वह साहस चाहिए, 'कृतम ना कृतम' वह साहस जुटा पाती तो आज एक भी समस्या इनमें से नहीं होती। समस्या तो वहीं से है, क्योंकि जब वे हार गये, जब उन्हें मालूम हो गया कि हम रणयुद्ध में इनसे जीत नहीं सकते हैं, हमारी बड़ी खराब हालत हो जायेगी, तब से यह शुरू हुआ। आतंकवाद की तभी से शुरुआत हुई, तभी से उसकी प्लानिंग हुई और आज हम जिस हालत में पहुंचे हैं, उसमें यह खास बात सोचने की है, इसलिए हमको इस बात से सीख जरा कम देनी चाहिए कि प्रिपरेशन कम हुई है। यह सीख बहुत अच्छी नहीं होती है। अभी मणिशंकर अय्यर जी चले गये, हमें चिट देकर गये हैं कि उन्हें कुछ काम है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने मुशर्रफ को इसलिए बुलाया था, क्या खाली हाथ भेजने के लिए बुलाया था। क्या यह हमारी कोई जिम्मेदारी बनती है कि कोई आये तो हम किसी तरह से कोई न कोई दस्तावेज साइन करके भेजें? 1971 में इसी दस्तावेज में है कि आखिरी दिन तक बातचीत नहीं चल रही थी और आखिरी दिन यह सोचकर कि अगर हम उनको कुछ भेंट नहीं देंगे तो जुल्फिकार अली भुट्टो

[श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी]

वापस जाएंगे तो उन्हें आर्मी वाले हटा देंगे। जैसे हमारे पास कोई शक्ति है कि पाकिस्तान में मिलिट्री रूलर रहे या डैमोक्रेसी आये, उसको हम रैगुलेट कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब कुछ लेकर गये, लेकिन साल भर में हटा दिये गये, खत्म कर दिये गये और बार-बार यह होता रहा। यह बिल्कुल गलत ख्याल है कि उनका क्या होगा। यह साहस जुटाना बहुत जरूरी है कि जहां राष्ट्रहित का सवाल है, वहां अगर कोई शिखर वार्ता में कोई मसौदा बनता है, उस पर दस्तखत होता है या नहीं होता है, यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जब दस्तखत होगा तो उन चीजों पर होगा जो कि हम चाहते हैं। हम मूल रूप से क्या बातें चाहते हैं, इसमें मेरे ख्याल से पूरे सदन में किसी को कोई शक नहीं है। इसीलिए बार-बार सब लोग कह रहे हैं कि बुलाना जरूरी है, बात करनी चाहिए, लेकिन इसमें यह गलती हुई। माधवराव जी ने एक-दो आर्टिकल का जिक्र किया, जिसमें एक आर्टिकल मणिशंकर जी का है।

[अनुवाद]

''बीजिंग से कारगिल से आगरा तक हतोत्साहित यात्री और नाकाम राजनयिक''

[हिन्दी]

इसमें कुछ यह भी पढ़ा आपने कि किस तरह गोपी अरोड़ा के काम करने की वजह से राजीव जी की बीजिंग यात्रा कितनी सफल रही। इस बारे में डिटेल में बोला था और इसे बड़ा इंटरेस्टिंग माना था। इत्तफाक से मुझे भी इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन दूसरी वजह से। इसमें मणिशंकर जी ने लिखा है–

[अनुवाद]

''अटल बिहारी वाजपेयी की कमी यह है कि वे एक राजनेता नहीं बल्कि एक कवि है और वे एक राजनयिक नहीं बल्कि एक कव्वाल हैं।

इसके अलावा, कूटनीति के क्षेत्र में एक अनर्थ के बाद दूसरा अनर्थ का उनका निराशाजनक रिकार्ड रहा है। वाजपेयी, मोरारजी देसाई के मंत्रिमंडल में विदेश मंत्री थे। उनकी यह तीव्र इच्छा थी कि वह अपने मंत्रालय का ऐसे माध्यम के रूप में प्रयोग करें कि यह साबित हो सके कि जो कांग्रेस न कर सकी उसे केवल वाजपेयी ही करने में सक्षम हैं।''

[हिन्दी]

यह हमें बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मैं सवाल पूछना चाहता हूं अगर इतने अनभिज्ञ हैं वाजपेयी जी कूटनीति में तो क्या वजह थी कि सब कांग्रेस के लीडर्स को छोड़ कर, जब अंतरराष्ट्रीय पेचीदा मामला आता था तो नेता प्रतिपक्ष के हिसाब से इंडियन डेलीगेशन के लीडर उनको बना कर जिनीवा भेजा जाता था। मैं यह मानता हूं कि एक परिवार को छोड़ कर दूसरे को प्रधान मंत्री मानने के लिए मणि शंकर जी तैयार नहीं हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी में कोई नेता उन्हें नहीं मिला, कोई कव्वाल नहीं मिला, जबकि मुझे दोनों की कमी वहां दिखाई नहीं दे रही है। यह चीज बड़े ख्याल रखने की है, क्योंकि अटल जी भारतीय जनता पार्टी के प्रधान मंत्री नहीं हैं, वे भारत के प्रधान मंत्री हैं। इंडियन एक्सप्रेस कोई लोकल पेपर नहीं है। उसको सब लोग पढ़ते हैं। आप इसका जवाब दीजिए कि क्या कोई इतना बड़ा कूटनीतिक नेता नहीं मिला। इसमें एक चीज और है जो उन्होंने नहीं लिखी है। लिखा है कि कितना अच्छा प्रिपरेशन करके बीजिंग चले गए और कितना अच्छा विजिट रहा। एक चीज नहीं लिखी, जिसको मैं 'राग दरबारी' बोलूंगा। जब बीजिंग जाने का होता है तो हमारे पुराने नेता लोग एक राग अलापना शुरू करते हैं। तिब्बत स्वायत्त ही नहीं बल्कि यह चीन का भाग भी है। पहले पेपर में आएगा, उसके बाद नेता लोग बोलना शुरू करेंगे और जाने के पहले प्रधान मंत्री बोलना शुरू करेंगे। जब पहले से ही आप राग दरबारी शुरू करते हैं और एक शब्द 50 साल में चीन से नहीं कहला पाए कि कश्मीर भी हमारा हिस्सा है। हम यह राग दरबारी गाते रहे हैं। उसमें कोई बहुत मुश्किल नहीं है कि वहां जाकर बोल आए और सब लोग कहें कि कोई बात नहीं है। राजीव जी ही नहीं, उनके नानाश्री ने भी कहा था कि तिब्बत आपका है, बिना उनसे पूछे। इस तरह हम लोग अपने राष्ट्र के हित की बात करेंगे। अगर इनको कह दीजिए कि आप कश्मीर की बात करेंगे तो हमारे पास जो मुद्दे हैं, उनके बारे में पहले बात की जाएगी। अगर मान लिया जाए पहले उन्होंने कहा और फिर भी हमने बुलाया और मैसेज दिया कि हम अपनी जगह से नहीं डिगेंगे, तो इसमें प्रिपरेशन की क्या बात है, इसमें तो वाहवाही होनी चाहिए नहीं तो पेपर में ऐसे-ऐसे आर्टिकल निकलेंगे, यह भी इसी का है।

रात्रि 8.00 बजे

[अनुवाद]

''इन्टरनेट पर भारत के बारे में नवीनतम बातों को पढ़ने पर हर किसी को आश्चर्य होता है कि हमारे राजनीतिक खिलाड़ियों ने देश हित की चिंता छोड़ दी है। शायद विशेषरूप से उसे जिसका मानना है कि इसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं होता कि विश्व, भारतीयों को 'क्रेबस इन ओपन पोट्स' कहानी के लिए उपयुक्त भूमिका के पात्रों के रूप में मानता है। ऐसा तब तक वे हमें इसके लिए उपयुक्त मानते हैं।

इसका नवीनतम उदाहरण हाल की आगरा शिखर वार्ता के संबंध में कुछ राजनीतिक दलों की अजीब प्रतिक्रिया है। जबकि पाकिस्तान सहित सारे विश्व ने उस एक मुद्दे की प्रकृति और जटिलता की सही सूझबूझ का प्रदर्शन किया जो कि हमें 50 से अधिक वर्षों से मुसीबत में डालता रहा है। कुछ छुटभैये राजनेताओं को सरकार पर आरोप लगाने में कोई शर्म महसूस नहीं हुई।''

[हिन्दी]

यह भी इंडियन एक्सप्रैस का है, उसी के दूसरे दिन के बाद है।

सभापति महोदय: अब समाप्त करिए। वक्ताओं की सूची लम्बी है।

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी: हमें थोड़ा समय और दीजिए। यह पहली बार है जबकि गुलाम कश्मीर के एक तिहाई हिस्से के बारे में जोरदार बात हुई है। कोर ऑफ कोर इश्यू के बारे में जोरदार बात हुई है। अटल जी ने कहा कि हम इतिहास बदल सकते हैं, भूगोल नहीं बदल सकते हैं और वह भूगोल अपनी जगह पर है और वह भूगोल सबको मालूम है कि कहां है। इससे साफ शब्दों में इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। हम इस बात पर यह कहेंगे कि इस सदन को भी विश्वास करना चाहिए कि वह एक तिहाई हिस्सा भारत का है। वह एक तिहाई हिस्सा हमें वापस उनसे लेना है और बॉटम लाइन की बात संगमा जी कर रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही। यह बॉटम लाइन इस पर आकर रुकनी चाहिए।

परवेज मुशर्रफ जी क्या चाहते हैं? उन्होंने आकर ऐलान कर दिया कि हुर्रियत लोग कश्मीर का प्रतिनिधित्व करते हैं लेकिन वह किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, यह हम लोग सब जानते हैं। वह भी पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करते हैं या नहीं करते हैं, यह हम लोगों के दिमाग में साफ है, इसलिए पाकिस्तान की भलाई क्या है, इससे उनको कोई मतलब नहीं है और यहां मैं संगमा जी से पूरी तरह से सहमत हूं और इस बात को ख्याल में रखते हुए हमें आगे बात करनी चाहिए।

पहली दफा संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने कहा है कि कश्मीर में यू.एन. रिजोल्यूशन अब कोई मतलब नहीं रखता। इसका एक महत्व है कि पहली दफा सैक्रेटरी जनरल ने स्वयं बात कही है कि यू.एन. रिजोल्यूशन का कोई मतलब नहीं रहा है लेकिन जो कुछ डिप्लोमैसी हो, उसको हमें जमीन पर तय करना पड़ेगा और जमीन पर जब हम क्रॉस-बॉर्डर टैररिज्म को खत्म करेंगे तो अपने आप डिप्लोमैसी अपनी जगह पर आ जाएगी। आज तक यह दुर्भाग्य रहा है कि हमारी सेनाएं बार-बार जमीन पर भी हर दम विजय पाती रही हैं और आकर टेबल पर डिप्लोमैट्स हारते रहे हैं। यह चीज बदलेगी। बहुत सी चीजें भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में बदल रही हैं। यह भी बदलेगी कि अब हमने यह कह दिया है कि जमीन पर भी इसको यथार्थ करके दिखाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्रीमती कान्ति सिंह (बिक्रमगंज): सभापति महोदय, समाजवादी पार्टी के आदरणीय मुलायम सिंह जी द्वारा प्रस्तुत नियम 193 के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपने बोलने के लिए मुझे मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं।

महोदय, हमारा देश जब से आजाद हुआ, तब से लेकर आज तक पाकिस्तान के साथ हमारी चार बार लड़ाई हुई-पहला भारत और पाक के बीच संघर्ष 1947-48 में हुआ, दूसरा 1965 में हुआ, तीसरी संघर्ष 1971 में हुआ था और चौथा तब हुआ, जब लाहौर वार्ता 21 फरवरी, 1999 को हुई। वाजपेयी जी ने लाहौर की ऐतिहासिक बस यात्रा की और लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें जम्मू-कश्मीर संबधी सभी मुद्दों के समाधान का भरोसा दिलाया गया था। उस समय वाजपेयी जी ने कहा था-हालांकि यह संक्षिप्त यात्रा है। इससे लाहौर और दिल्ली के बीच की दूरी कम होगी। नवाज शरीफ का कहना था-इससे दोनों देशों के बीच जमीन की बर्फ टूटी है। लेकिन इस लाहौर वार्ता का परिणाम क्या निकला-कारगिल का युद्ध। इस युद्ध से हमारे 5000 से अधिक लोग मारे गए ...*(व्यवधान)* भारत-पाक शिखर वार्ता होने के पहले यानि जिस समय ताना-बाना बुना जा रहा था कि पाकिस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण, सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार करके, हमारी आजादी के बाद से लड़ाई शुरू हुई थी, वार्ता के माध्यम से शान्ति व्यवस्था कायम की जाएगी। इसी के तहत पाकिस्तान के जनरल मुशर्रफ को हमारे प्रधान मंत्री जी ने उन्हें राष्ट्रपति बनने के पहले ही दूरभाष पर मुबारकबाद दे दी। किस कारण से उन्होंने पहले मुबारकबाद दी, क्या वे सोचते थे कि मुबारकबाद देने से भारत-पाक वार्ता सफल हो जाएगी। इसी का परिणाम यह निकला कि उन्होंने एक फौजी शासक, जनरल परवेज मुशर्रफ, को राष्ट्रपति के रूप में सबसे पहले पहचान दे दी, जबकि यह सबको पता था कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश के रूप में जाना जाता है। मैं यह मानती हूं कि आपसी समझौते के माध्यम से, वार्ता के द्वारा किसी भी समस्या का समाधान किया जाता है, लेकिन हम कैसे लोगों के साथ वार्ता करने पर विचार कर रहे हैं, इस पर हमें सोचना पड़ेगा। उस परिस्थिति में कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जी के अविवेकपूर्ण कदम ने पाकिस्तान का पीछा छुड़ा दिया यानि जो देश आतंकवादी देश के नाम से जाना जाता था, उसको हमारे देश के प्रधान मंत्री ने राष्ट्रपति की पहचान दे दी। आप सब लोग जानते हैं कि बिन लादेन, जो दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी है। वह हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। उसका सबसे बड़ा

[श्रीमती कान्ति सिंह]

दोस्त कौन है-पाकिस्तान है, क्योंकि वह उसे संरक्षण देता है। मैं मानती हूं राष्ट्रहित में शांति वार्ता होनी चाहिए, लेकिन शांति वार्ता से पहले हमें हर बिन्दुओं पर विचार करना चाहिए। कारगिल के युद्ध में हजारों लोगों की जानें गई, कितनी माताओं की गोद सूनी हुई, कितनी बहनों को राखी की कलाइयां सूनी हुईं, कितनी महिलाओं के सुहाग उजाड़ने का काम किया। ऐसे शासक जनरल परवेज थे, जिन्होंने लोकतंत्र का गला घोंट कर, लोकप्रिय नवाज शरीफ को जेल भेज कर राष्ट्रपति बनने का काम किया। ऐसे जनरल मुशर्रफ को आपने आमंत्रित किया।

महोदय, सबसे बड़ी बात जो सभी जानते हैं यह है कि पाकिस्तान मादक पदार्थों का सबसे बड़ा केन्द्र बना हुआ है, जिसमें मिलिट्री का पूरा हाथ होता है। उससे सारी दुनिया परेशान है। उसी मिलिट्री शासक को हमारे प्रधान मंत्री जी ने राष्ट्रपति के रूप में मान्यता दे दी, जबकि अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में पाकिस्तान को उग्रवादी राष्ट्र के रूप में घोषित तक करने की चर्चा कर दी गई थी। आज इनके बिना सोचे-समझे उठाए गए कदम से ये सारी चीजें खत्म हो गई। पूर्व के वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कहीं। उन्होंने कहा कि जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी तो लोगों को ये बातें रखनी चाहिए थीं कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति को न बुलाया जाए। मैं समझती हूं कि हमारे दल के नेता ने आवाज उठाई थी कि भारत-पाक के बीच जो शिखर वार्ता होने जा रही है उसमें हमें किसी भी तरह से सफलता हासिल नहीं होने जा रही है, इसके बावजूद भी उन्हें आमंत्रित किया गया।

मैं एक बात और कहना चाहूंगी आईपीयू, जो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है, जिसकी राज्यसभा की उपाध्यक्ष श्रीमती नज़मा हेपतुल्ला जी अध्यक्ष हैं, जैसे ही उन्हें इस बात की जानकारी प्राप्त हुई कि पाकिस्तान में सैनिक शासन का कब्जा हो गया है, उन्होंने तुरंत उन्हें मेम्बरशिप से खत्म करने का काम किया था। हमारे प्रधान मंत्री जी ने ऐसे हालात में जनरल मुशर्रफ साहब को अपने यहां आमंत्रित किया, जब कि अमेरिका और दूसरे देशों के साथ मिल कर, दबाव डाल कर पाकिस्तान को आइसोलेट कर देना चाहिए था। उसके बदले आपने दुनिया में उन्हें सबसे पहले फौजी शासक के रूप में पहचान दे दी, जबकि हम जनतंत्र के हिमायती हैं और वैसे सैनिक शासक के हम सब लोग खिलाफ हैं। हमने ही सबसे पहले उन्हें राष्ट्रपति के रूप में मान्यता दी, यह बहुत बड़ी विडम्बना की बात है। पाकिस्तानी कितने कट्टरपंथी हैं, इसे सिवाय प्रधान मंत्री जी के सारी दुनिया जानती है। उन्हें पता नहीं है कि पाकिस्तान के तानाशाह राष्ट्रपति कश्मीर में सीमा पार उग्रवाद को जेहाद या स्वतंत्रता की, आजादी की लड़ाई कहते हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि यह कैसा जेहाद है। क्या मासूम लोगों की हत्याएं करना ही जेहाद है? बेगुनाह महिलाओं और बच्चों को मारना ही क्या जेहाद है। इस तरह की हत्याएं करना किस धर्म में लिखा है और किस धर्म में लिखा है कि इस तरह बेगुनाह लोगों की हत्याएं करना जेहाद है।

शिखर वार्ता के लिए जनरल मुशर्रफ हमारे देश में आये तो उनकी मंशा साफ थी। उनके आने से पहले ही मीडिया के माध्यम से हमारे देश के लोगों को जानकारी हो गयी थी कि वे सिर्फ कश्मीर मुद्दे पर ही बात करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारे यहां कोई एजेंडा वार्ता के लिए तैयार नहीं किया गया था। आदरणीय चन्द्रशेखर जी ने जो बातें यहां कहीं मैं उनसे पूर्णत: सहमत हूं। आखिर किस लिए आपने पाकिस्तान के शासक को यहां बुलाया था। जब लड़ाई में हमेशा कामयाबी मिली है तो ऐसी जी-हुजूरी में हम क्यों पड़ें? जिसे जनतंत्र में विश्वास नहीं है ऐसे शासक की जी-हुजूरी में हम क्यों लगें, क्यों उससे शांति वार्ता करें? ऐसे लोगों से वार्ता करके हमें राहत कतई नहीं पहुंच सकती है। मेरा विश्वास है कि ऐसी शांति वार्ता से हम लोगों को कुछ नहीं दिला सकते हैं।

एक तरफ हमारे द्वारा युद्ध विराम कर दिया जाता है और दूसरी तरफ हमारे सैनिक उस दौरान ज्यादा मारे जाते हैं। युद्ध विराम करके हमें क्या सफलता मिली? हर जगह हम असफल हुए। कश्मीर के लोगों की और मेरे संसदीय क्षेत्र के लोगों की भी वहां हत्याएं हुईं।

माननीय सुषमा जी यहां बैठी नहीं है। मैं तो आपके माध्यम से उनको धन्यवाद और मुबारकबाद देना चाहती हूं कि उन्होंने अंतिम मौके पर टेली मीडिया के माध्यम से बताया कि हमारा मुद्दा क्या है? उन्होंने साफ कर दिया, नहीं तो जैसे यूटीआई के समय में हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, तो उस मुद्दे पर भी उन्हें इस्तीफा देने की बात कहनी पड़ती। हमारे ही देश में आकर जनरल मुशर्रफ हमें ही धता बताकर चले गये-यह अपमानजनक बात है।

हमें कोई भी वार्ता करने से पहले यह सबक लेना चाहिए कि हम पहले से ही ज्यादा तैयारी करके, अपनी जमीन से आतंकवाद को हमेशा के लिए खत्म कर दें। ऐसा न होने के कारण ही कश्मीर के सवाल का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो रहा है। यह भारत सरकार की विफलता है। इसलिए भारत-पाक शिखर वार्ता सफल है या विफल, यह बात पूरी दुनिया की समझ में आ गई है। हर मुद्दे पर इस सरकार की जो कूटनीति है, उसमें हर तरह से इस सरकार को विफलता मिली है। कोई बात करने से पहले सोचना होगा। हम वैसे लोगों से गुहार करें जो कट्टरपंथी न हों, जो तानाशाह न हों और जो लोकतंत्र में विश्वास करते हों। मैं युद्ध की घोषणा की मांग नहीं कर रही हूं लेकिन लाहौर वार्ता के बाद हमने जो विफलता देखी, उसके आधार पर कहना चाहती हूं कि

ऐसी वार्ता करने से कहीं सफलता नहीं मिलेगी। इन्हीं चंद बातों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि बिहार की सम्मानित सांसद कांति सिंह जी के बाद मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। वैसे मुझे इस बात का अहसास है कि हमारे मित्र उमर अब्दुल्ला के भाषण के बाद सामने बैठे बहुत से लोग चले गए।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): कुछ आ भी गए हैं।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: हां, कुछ आ गए हैं। मैं प्रधान मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने आगरा पीस टॉक को यहां शुरू किया। मैं जानता हूं कि इस सैनस्टिव मुद्दे पर देश और संसद को एक होना चाहिए लेकिन इसमें राजनीति की जा रही है। सबसे पहले माधवराव जी ने अपनी बात शुरू की। उन्होंने कई सवाल उठाए। उन्होंने लाहौर में सावधानी बरतने की बात की। उन्होंने यह भी कहा कि तहलका और पांच प्रदेशों में हुए चुनावों में पार्टी की हार से ध्यान बंटाने के लिए यह वार्ता की गई। मुझे सबसे ज्यादा दुख उस समय हुआ, जब कांग्रेस के किसी नेता के मुख से वाजपेयी जी के बारे में गलत बात सुनने को मिली। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जो देश के सबसे बड़े परिपक्व नेता हैं, उनके बारे में ऐसा कांग्रेस पार्टी को बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है कि वह इस बारे में एक नौसिखिया साबित हुए। यह वही वाजपेयी जी हैं जिन के कंधों पर जेनेवा सम्मेलन में विपक्ष के नेता के तौर पर आपने जिम्मेदारी सौंपी थी। उस समय वाजपेयी जी ने पूरे देश का मान ऊंचा किया था। आपने उनको नौसिखिया बता कर सिर्फ वाजपेयी जी का नहीं बल्कि देश का अपमान किया। उन्होंने उस समय विपक्ष के नेता के तौर पर नहीं देश के नेता के तौर पर नेतृत्व किया था। जब माधवराव जी अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में ऐसा कह रहे हैं कि उनका तरीका नौसिखिए वाला था, मुझे वह सुनकर ताज्जुब हुआ।

सभापति महोदय, हम नई पीढ़ी से आते हैं। हमने आजादी और कश्मीर की बातें किताबों में पढ़ी। कश्मीर समस्या किस के द्वारा दी गई विरासत है और किस की देन है? 1947 से कश्मीर समस्या को कांग्रेस बिगड़ती रही। इस समस्या को बिगाड़ने के बाद इसे यूएनओ में ले जाने वाला कौन है और इस मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण किसने किया? 26 अक्तूबर 1947 को जब कश्मीर का भारत में विलय हुआ तो एक जनवरी 1948 को यूएनओ में कश्मीर समस्या को ले जाना एक बहुत बड़ी बात थी। मैं इस बारे में हरि जयसिंह की किताब ''कश्मीर ए टेल ऑफ शेम'' से कोट करके एक बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। उसमें उन्होंने लिखा है:

[अनुवाद]

जनरल थिमैया जब तक अपना पूरा भूभाग वापस नहीं लिया जाता तब तक भारतीय सेना को आगे बढ़ाने के पक्ष में थे, लेकिन नेहरू एशियन रिलेशन कांफ्रेंस के मद्देनजर शांति कर्त्ता के रूप में अपनी छवि को बनाने में लगे रहे। यही कारण था कि नेहरू इस मामले को अपने मंत्रिमंडल के अनुमोदन के बिना संयुक्त राष्ट्र के पास ले गए और शायद महात्मा गांधी की सलाह के बिना भी। लोइस फिसचर (लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, पृष्ठ 97) के अनुसार उन्होंने (गांधी) इस बात पर खेद प्रकट किया कि नेहरू ने इस विवाद को संयुक्त राष्ट्र सौंप दिया। उन्होंने हौरेस एलेक्जेन्डर, ब्रिटिश पेसिफिस्ट से कहा कि संयुक्त राष्ट्र को गुणदोषों के बजाय अंतर्राष्ट्रीय ''पावर पोलिटिक्स'' के आधार पर कश्मीर मुद्दे के प्रति देशों का दृष्टिकोण निर्धारित होगा।

[हिन्दी]

मुझे इस बात का दुख है कि इस मुद्दे को किस तरह यू.एन.ओ. में ले जाया गया। इसके अलावा और भी बहुत से मद्दे और मसले थे जिसमें हैदराबाद और जूनागढ़ का मसला था, उसे हल किया गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे का अन्तर्राष्ट्रीयकरण करके हमारी सरकार पर यह आरोप लगा रही है कि हमने इस मुद्दे को ठीक से हैंडल नहीं किया। आप जानते हैं और जैसा श्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने श्री शेख अब्दुल्ला और डा. फारुक अब्दुल्ला की सरकारों के साथ जो व्यवहार किया, उसकी वजह से यह मुद्दा काफी खराब हुआ है।

सभापति महोदय, आप जानते हैं कि 2 दिसम्बर, 1989 को केन्द्र में श्री वी.पी. सिंह की सरकार थी और 8 दिसम्बर, 1989 को कुमारी रुबैया का अपहरण किया गया था। उसके बाद ही यह सारा मामला आगे बढ़ा। उसी सरकार का समर्थन श्रीमती कान्ति सिंह कर रही थीं जिसकी वह आज बात कह रही थी ...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): आप भी उसी सरकार का समर्थन कर रहे थे।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: हमने बाद में समर्थन वापस ले लिया था।

कुंवर अखिलेश सिंह: नहीं, आपने अयोध्या के सवाल पर समर्थन वापस लिया था।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: नहीं, हमने आपकी हरकत को देखकर समर्थन वापस लिया था। अगर आप उर्दू नहीं समझते है तो आपको कोई और शब्द बताते। सभापति महोदय, इन लोगों की

[श्री सैयद शाहनवाज हुसैन]

हमेशा टोकने की आदत है। इन्होंने ही अपनी बात कहने का ठेका ले लिया है।

सभापति महोदय, श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अमन बनाये रखने की एक कोशिश की थी जब वह प्रधान मंत्री बने। इस अमन की कोशिश के तौर पर लाहौर बस यात्रा हुई। उसके बाद हमने कारगिल कांड देखा। उससे कुछ सीखा और हमने इस बात को तय किया कि पाकिस्तान-हिन्दुस्तान सीमा पर हिन्दुस्तानियों और पाकिस्तानियों का खून न बहे, इसलिए यह वार्ता शुरू की गई। आप जानते हैं कि इस वार्ता के बाद कश्मीर में हालात नार्मल हुए। कश्मीर में डा. फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में 30 साल के बाद पंचायत के चुनाव हुये। कश्मीर के अंदर जिस तरह से हरकत शुरू हुई है और कहा जा रहा है कि वहां पर आतंकवादी हमें जिस तरह की आजादी देना चाहते हैं, वह जेहाद है। वह जेहाद नहीं है, वह पूरी तरह से इनसानियत का खून है। पाकिस्तान वहां जिस तरह की हरकत कर रहा है, वह आलमे इस्लाम को बदनाम कर रहा है। जब से जेहाद शुरू हुआ है, वहां 25 हजार सिविलियन्स मारे गये हैं। 1990 के बाद अनेक मासूम लोग मारे गये हैं।

सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी मजहब की किसी किताब में यह नहीं लिखा कि किसी मासूम के खून से होली खेली जाये। इसी तरह कुरान शरीफ की आयत 32, सुरा-5 में कहा गया है कि जो शख्स किसी बिनाह पर कातिल हो या धरती पर फसाद मचाने वाला हो, कत्ल कर डाले तो उसने तमाम लोगों अर्थात् उसने पूरी मानवता का कत्ल कर डाला। अगर एक व्यक्ति किसी की जान बचाता है, तो वह मानवता अर्थात् इनसानियत को जिन्दा करता है। जिस मजहब ने यह सिखाया है, उसके नाम पर जिसे वे जेहाद कह रहे हैं, उसे हिन्दुस्तान का मुसलमान पूरी तरह से रिजैक्ट करता है। अमन हो या जग हो, इस देश का मुसलमान सरकार और श्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ खड़ा है। इस तरह से पहली बार हुआ है।

सभापति महोदय, 1965 और 1971 की जब जंग हुई थी, उस समय भारत के हजारों मुसलमानों को थाने में ले जाया गया और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उनसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगा। लेकिन जब कारगिल की लड़ाई हुई तो मुसलमानों को थाने में बुलाकर नहीं पूछा गया। इससे मुसलमानों के अंदर एक आत्म-विश्वास जगा है। इस वार्ता में भारत के पूरे 15 करोड़ मुसलमान सरकार और देश के साथ खड़े हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान जेहाद के नाम पर दंगा-फसाद कर रहा है। यह पूरी तरह से इनसानियत का खून है जिसे कोई मजलब अलाउ नहीं करता।

मैं खासकर विपक्ष से अनुरोध करता हूं कि कम से कम इस राष्ट्रीय मुद्दे पर आप इस तरह की राजनीति न करें। यहां से पूरे देश और पूरी दुनिया में यह संदेश जाना चाहिए कि पाकिस्तान के विरुद्ध पूरी संसद और सारी पार्टियां एक हैं, हम मिल-जुलकर अपने देश की एकता और अखंडता की रक्षा करने में सक्षम हैं और कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है, वह भी भारत का अभिन्न अंग है, इस पर पूरी संसद को एक होना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): सभापति महोदय, यह बात बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और अत्यधिक निराशाजनक है कि भारत-पाकिस्तान शिखर वार्ता से कोई संयुक्त घोषणा या संयुक्त विज्ञप्ति नहीं निकल पायी। लेकिन जब मैं ऐसा कहता हूँ तो मैं भारत-पाकिस्तान शिखर वार्ताओं की पूर्ण असफलता की ओर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि शिखर वार्ता आंशिक रूप से सफल रही है।

वार्तालाप की प्रक्रिया को पुनः आरम्भ करने की दृष्टि से यह आंशिक रूप से सफल रही। इसके आरम्भ से ही मैंने इस बात को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में स्पष्ट कर दिया था-हमने कभी भी भारत पाकिस्तान वार्ता को परिणामोन्मुखी रूप में नहीं माना। शिखर वार्ता पर इस प्रकार से विचार किया जाना अज्ञानता ही होगी। हमने हमेशा ही कहा है कि शिखर वार्ता की सही धारणा परिणामोन्मुखी होने से नहीं थी बल्कि प्रक्रिया उन्मुखी होने से है। इस संदर्भ में शिखर वार्ता आंशिक रूप से सफल रही।

इस शिखर वार्ता की आंशिक सफलता की सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे प्रधान मंत्री को पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा पाकिस्तान यात्रा का निमंत्रण दिया जाना और हमारे प्रधान मंत्री द्वारा उसे स्वीकार किया जाना था, मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान यात्रा का निमंत्रण और प्रधान मंत्री द्वारा वहां जाना स्वीकार किया जाना ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि इस शिखर वार्ता की प्रक्रिया उन्मुखी बातें हैं। इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूँ।

प्रक्रिया आरम्भ हो गयी है, पूरा देश चाहता था कि प्रक्रिया आरम्भ हो और इस प्रक्रिया को आरम्भ करके सरकार ने भारत के लोगों की भावनाओं और आकांक्षाओं का प्रतिउत्तर ही नहीं दिया बल्कि मुझे पूरा विश्वास है इसमें पाकिस्तान के लोगों और पूरे विश्व की भावनाएं और आकांक्षाएं शामिल हैं। सरकार और शासन की ऐसी उत्तरदायी विशेषता के लिए, मैं इसे बधाई देता हूँ। प्रक्रिया आरम्भ हो गई है। हमने कहा है कि यहां भारत-पाकिस्तान व्यापार संबंध, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, वीसा के मामलों में छूट,

हमारी सीमाओं पर और अधिक प्रवेश द्वार, आतंकवाद जैसे कई अन्य मुद्दे हैं।

हमें यह बात जाननी चाहिए और इसे महसूस भी करना चाहिए कि इस उपमहाद्वीप का भाग्य भारत-पाकिस्तान संबंधों की सौहार्दता और मधुरता पर निर्भर करता है। कभी न कभी इस वास्तविकता को हम स्वीकारेंगे और इसलिए, वार्ता की यह प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए और इसे न केवल भारत या पाकिस्तान के हित में बल्कि उपमहाद्वीप भविष्य के और विश्व शांति तथा हमारे लोगों के कल्याण के हित में भी जारी रहना चाहिए।

ऐसा कहते हुए, मैं इस शिखर वार्ता संबंधी कुछ चिंताजनक पहलुओं का जिक्र करूंगा। जी हां, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो लोग शोर मचाते रहे और कहते रहे कि भारत ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति श्री मुशर्रफ को मान्यता दे दी है और उन्होंने विश्व के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देश से मान्यता मिली है। हमें इन बातों में उलझना नहीं चाहिए बल्कि मैं तो कहूंगा कि भ्रम और मिथ्या विश्वास से हमें अपने आपको धोखा नहीं देना चाहिए। मैं उन लोगों में से भी नहीं हूं जो अपने आपको बीते समय के साथ ऐसा बांध देना चाहते हैं जिससे कि वे उज्ज्वल भविष्य की ओर नहीं जाना चाहते हैं।

फिर भी, इसमें कतिपय चिंताजनक पहलू हैं और उन पर विचार करना होगा। इनमें से एक पहले बताया गया है और वह है कि शिखर वार्ता के संबंध में बिना तैयारी के वार्ता करना। मैं इस पहलू के विस्तार में नहीं जाऊंगा। इसे स्पष्ट रूप से कहा गया है। प्रधान मंत्री श्री वाजपेयी ने श्री मुशर्रफ को वार्ता के लिए उनके विचारों से पूर्णत: अवगत होते हुए ही आमंत्रित किया। लेकिन जब वे वार्तालाप की मेज पर बैठे तो उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था। इसे ही मैं बिना तैयारी के वार्ता कहना चाहूंगा। आप स्थिति को देखें। श्री मुशर्रफ को अचानक आमंत्रित किया गया और वह भी उस समय जब दुर्भाग्यवश हमारे प्रधान मंत्री को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत थी।

जब वे अस्पताल से वापस आए तो उसके बाद भी स्थिति क्या थी? माननीय विदेश मंत्री और माननीय गृह मंत्री भी विश्व भ्रमण पर थे। यहां शिखरवार्ता का समय नजदीक आता जा रहा था और वे विदेशी दौरे पर थे। अंतिम कुछ दिनों में ही हम वार्ता की तैयारी के बारे में कुछ सुन पाए।

दूसरा चिंताजनक पहलू यह था कि माननीय मंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में जैसा कि मैंने कहा था कि हमारी सरकार अनावश्यक रूप से कुछ गैर-मुद्दों पर उलझी हुई थी और उसने इन गैर-मुद्दों को उठा दिया और मैं यह कहना चाहूंगा यह छोटे-छोटे मुद्दे बड़े मुद्दों में बाधक बने।

इसका एक उदाहरण पाकिस्तान के राष्ट्रपति के आगमन पर पाकिस्तानी उच्चायुक्त द्वारा उच्च पदस्थ लोगों के लिए दी गई चाय पार्टी में चाय के लिए हुर्रियत कांफ्रेंस को आमंत्रित करना है। हमने व्यर्थ ही शोर मचाया और हम उलझ रहे हैं और बिना वजह सब जगह बुरा माहौल बना रहे हैं। इसकी उपेक्षा की जानी चाहिए थी। भारत पाक संबंधों के संबंध में और जम्मू कश्मीर से संबंधित सभी मुद्दों के संबंध में हमारी स्थिति बहुत सुदृढ़ है और राष्ट्रपति द्वारा विश्व के किसी भी व्यक्ति को दी गई चाय पार्टी से नहीं बदली जा सकती है।

दूसरा दुर्भाग्यशाली मुद्दा यह है कि हमने जनरल मुशर्रफ की प्रात:कालीन बैठक के प्रसारण को नकारने का प्रयास किया। हमें यह महसस् करना चाहिए कि यह सूचना क्रांति का युग है। विश्व सूचना चाहता है। हम विश्व को सूचना प्रदान करने में दुर्भावयुक्त नहीं हो सकते। ऐसा कानून सफल नहीं होगा। ऐसा व्यर्थ का शोर मचाने की बजाए कि उन्होंने कूटनीति के मानदंडों के विपरीत कार्य किया है, हमें चुनौती स्वीकार करनी चाहिए थी और हमें प्रात: कालीन बैठक के लिए उठाए गए मुद्दों से संबंधित दृष्टिकोणों के साथ देश के सामने मजबूती से आना चाहिए था। सभापति महोदय, हमारा जन संचार प्रबंधन पूरी तरह से बेकार था। एक बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि भारतीय जनसंचार माध्यमों की तुलना में पाकिस्तानी जनसंचार माध्यम पूरी तरह से तैयार हो कर सामने आया। वे जानते थे कि क्या अपेक्षित है। उन्हें दिशा ज्ञान था।

हम कूटनीति और अन्य सभी के बारे में बातें करते हैं। यह सही है। हम कूटनीति का पालन अवश्य करें, परन्तु मैं सरकार पर इस बात के लिए दबाव डालूंगा कि हमें पाकिस्तान की धमकियों और पाकिस्तान के कार्य करने के तरीकों का सामना करने के लिए अपने कूटनीतिक मानदंडों में सामंजस्य स्थापित करना है। हमें सामंजस्य स्थापित करना है। मैं यह कहना नहीं चाहता कि हम कूटनीतिक मानदंडों को त्याग दें, परन्तु ये ऐसे दिन हैं जब हमें पाकिस्तान के कार्य करने के तरीकों के अनुसार अपने कूटनीतिक मानदंडों में सामंजस्य स्थापित करना है।

आपसी विश्वास तैयार करने के उपायों के संबंध में कई प्रश्न उठते रहे हैं। मैं सरकार द्वारा एकपक्षीय रूप से किए गए विश्वास का माहौल तैयार करने के उपायों के लिए धन्यवाद देता हूं। यदि पाकिस्तान यह कहता है कि कश्मीर मूल मुद्दा है और आपसी विश्वास का माहौल तैयार करने के ये उपाय भारत-पाक संबंधों में सुधार नहीं ला सकते और मुद्दे का समाधान नहीं कर सकते न तो यह पाकिस्तान का विचार हो सकता है। मैं इस पर जोर देता हूँ कि यदि इसे स्वीकार किया जाता है कि हमारे प्रधान मंत्री द्वारा घोषित आपसी विश्वास का माहौल तैयार करने के ये उपाय

[श्री जी.एम. बनातवाला]

भारत-पाक संबंधों की समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं, परन्तु ये दोनों देशों के लोगों को कम से कम आवश्यक सुविधाएं तो उपलब्ध करते ही हैं और ये लोकोन्मुखी हैं और लोगों के हित में और उनके कल्याण के लिए हैं। पाकिस्तान लोगों के हित में और उनके कल्याण के प्रति इच्छुक नहीं हो सकता, परन्तु हमने लोगों की समस्याओं और इन समस्याओं के समाधान के प्रति अपनी चिंता दर्शाई है।

इसलिए, मैं सरकार को यह स्पष्ट करने के लिए बधाई देता हूँ कि सरकार अपने द्वारा घोषित आपसी विश्वास तैयार करने के उपायों के प्रति दृढ़ है।

सभापति महोदय, कृपया मुझे कुछ मिनट और बोलने की अनुमति दीजिए।

मैं यह अवश्य कहूंगा कि कहीं न कहीं हम बहुत ही जल्दी में हैं। डायरेक्टर जनरल आफ मिलिटरी आपरेशन्स के इस्लामाबाद दौरे के संबंध में की गई हमारी घोषणा के प्रश्न पर विचार करें। हमें पहले पाकिस्तान को यह सूचित करना चाहिए था कि हमने निर्णय लिया है कि डीजीएमओ दौरा करेंगे। हमें पहले पाकिस्तान को सूचित करना चाहिए था, परन्तु घोर जल्दी में हमने इसे प्रेस में घोषित किया और ठीक दूसरे ही दिन नई दिल्ली स्थित पाक उच्चायुक्त को बुलाकर सूचित किया गया। इसका परिणाम यह था कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने डीजीएमओ के दौरे को स्थगित करने के लिए कहा। ये कुछ ऐसे मामले हैं जिनके प्रति सावधानी बरतनी चाहिए।

अब, महोदय, आज शिखर वार्ता के संबंध में हमारे प्रधानमंत्री ने बड़ा ही नम्र वक्तव्य दिया है। यह कई मुद्दों पर प्रकाश डालने में असमर्थ रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री और हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि कुछ हद तक आपसी समझदारी बढ़ी है। मैं उद्धृत करता हूं, "हम समझौते के क्षेत्रों में और अभिवृद्धि करने हेतु इसे तैयार करेंगे।" ऐसा हमारे प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री का भी मत है। परन्तु हम यह जानना चाहते हैं कि समझौते के वे क्षेत्र कौन से हैं जहां वे पहुँचना चाहते हैं। देश को विश्वास में नहीं लिया गया है, और इस संबंध में बड़ा ही दुलमुल वक्तव्य सामने आया है।

सभापति महोदय, मैं समय की सीमाओं को जानता हूं। मैं यह अवश्य कहूँगा कि बेहतर भारत-पाक संबंधों के प्रयासों के दौरान हमें एक महत्वपूर्ण बात नहीं भूलनी चाहिए। मैं अपने अलग-थलग पड़े लोगों के साथ स्वायत्तता के प्रश्न पर एक स्वीकार्य पैकेज तैयार करने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हमारी बातचीत वहाँ शांति समाधान लाने की दिशा में अवश्य जारी रहनी चाहिए। हम के.सी. पंत मिशन के बारे में जानते हैं, अब उसके साथ क्या हुआ? उस मिशन को सभी बातों के साथ अवश्य जारी रहना चाहिए।

अंततः मैं समाप्त करने से पहले केवल यही बताना चाहता हूं कि वार्ता जारी रखें। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद और दक्षेस की शिखर बैठक के अनुरूप बैठकें करें। जी हां, प्रधानमंत्री को पाकिस्तान जाना चाहिए और वार्ता करनी चाहिए। परन्तु हम भ्रमित न हों। कभी कभी, प्रधानमंत्री कहते हैं, "मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ।" दूसरी तरफ वो कहते हैं, "मेरा जाना परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।" ऐसे भ्रमित वक्तव्यों से कोई सहायता नहीं मिलेगी।

हमारे प्रधानमंत्री ने भारत-पाक शिखर वार्ता के संबंध में संसद में ढीला-ढाला वक्तव्य दिया है। समस्त कूटनीतिक दृष्टिकोणों से यह नम्र दृष्टिकोण, वार्ता को बढ़ावा देने के रवैये को प्रतिबिंबित करता है। फिर, ठीक अगले ही दिन प्रधानमंत्री को वक्तव्य देते और तथ्यों को तोड़ते मरोड़ते हुए सुनते हैं कि उन्होंने मुशर्रफ को खाली हाथ वापस भेज दिया है, और यहाँ तक अंतिम क्षणों में आयोजित किए जाने वाले फोटो सत्र से भी उन्हें वंचित रखा।

इसका बुरा असर होगा। हमें सकारात्मक पहलुओं की ओर बढ़ना है। हम सकारात्मक पहलुओं पर जोर देते हुए आगे बढ़ें।

महोदय, मैं सरकार को शुभकामनाएं देते हुए और सरकार को यह आश्वासन देते हुए कि हम एक हैं, अपनी बात समाप्त करूंगा। हम उनके द्वारा शुरू की गई प्रक्रियाओं को जारी रखने और उनके तर्कपूर्ण समाप्ति पर नजर रखने के लिए की गई सभी पहलों का समर्थन करते हैं। आगे बढ़ें। इंशा अल्लाह, सफलता आपके कदम चूमेगी। उनके यथार्थ समझ में आएगा जो यथार्थ को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदयः माननीय सदस्यगण और प्रैस प्रतिनिधियों के लिए कमरा नम्बर 70 में और अन्य लोगों के लिए कमरा नम्बर 73 में भोजन तैयार है।

[अनुवाद]

श्रीमती कृष्णा बोस (जादवपुर): महोदय, हमने अपने सम्मानित सहयोगियों से यहाँ इस शाम तरह तरह की टिप्पणियों को सुना। मेरे विचार से, दो मुद्दे बार-बार आए हैं। मैं संक्षिप्त रूप से कहने की कोशिश करूंगी। मैं समय सीमा को देख सकती हूं और सिर्फ उन दो बिन्दुओं, बल्कि मैं कहूंगी उन दो मौलिक प्रश्नों पर ध्यान केन्द्रित करूंगी।

वे दो प्रश्न क्या हैं? पहला प्रश्न यह है कि क्या माननीय प्रधानमंत्री ने जनरल मुशर्रफ को उच्चस्तरीय वार्ता के लिए आमंत्रित कर सही किया। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या प्रधानमंत्री ने आगरा शिखर वार्ता के अंत में किसी समझौते या वक्तव्य पर हस्ताक्षर न करके सही किया। मेरे विचार से, इन दोनों प्रश्नों का जोरदार जवाब है 'हां'। माननीय प्रधानमंत्री ने जनरल मुशर्रफ को आमंत्रित कर इस शांति प्रक्रिया को आरंभ करके पूरी तरह से ठीक किया। ऐसा इसलिए कि दो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों के बीच द्विपक्षीय प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। हम यह नहीं कह सकते कि हम एक दूसरे से मुंह मोड़ कर बैठे रहेंगे और यह कि हम एक दूसरे से कभी बातचीत नहीं करेंगे। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण था जब उन्होंने उन्हें आमंत्रित किया था। साथ ही, भारत ने समूचे विश्व को यह दिखा दिया कि हम अपनी सभी समस्याओं का समाधान वार्ता स्तर पर और विचार-विमर्श के द्वारा करने के इच्छुक हैं। यह भी एक दूसरा बिन्दु था।

दूसरा बिन्दु यह है कि माननीय प्रधान मंत्री ने हम सभी से सलाह-मशविरा किया था। उन्होंने शिखर वार्ता से पहले सभी राजनीतिक दलों को बुलाया था। मैं उस बैठक मैं मौजूद थी। अब मैं अपने कुछ मित्रों से वह सुन रही हूँ जो उस दिन मैंने नहीं सुना था। सभी बहुत उत्साहित थे और उन्होंने प्रधानमंत्री की पहल का स्वागत किया। मुझे अभी याद है कि श्री संगमा ने कुछ आलोचनात्मक टिप्पणियां की थी जिसे आज उन्होंने दोहराया है।

दूसरा प्रश्न यह है कि क्या प्रधान मंत्री ने किसी समझौते अथवा वक्तव्य पर हस्ताक्षर न करके ठीक किया। अब, जब कि हमने अन्तर्सरकारी उच्चस्तरीय वार्ता को फिर से आरंभ किया है, हमें यह अवश्य देखना चाहिए कि हम कश्मीर के एकमात्र मुद्दे पर इसे केन्द्रित नहीं कर सकते। यह संभव नहीं है। दूसरे ऐसे कई मुद्दे हैं जोकि सफल वार्ता अथवा पारस्परिक सहयोग से ज्यादा सहज अनुगामी है। हम सिर्फ एक मुद्दे पर इसे केन्द्रित नहीं कर सकते। दूसरे, यदि हम इस पर सहमत होने वाले थे कि कश्मीर हमारे दो देशों को बांटने वाला मुद्दा है, तो जो हिंसा नियंत्रण रेखा के पार से जारी है और जिसे पाकिस्तानी सेना द्वारा प्रायोजित किया जा रहा है, उसे भी वार्ता का मुख्य बिन्दु बनाना चाहिए।

चूँकि ये दो मुद्दे स्वीकार नहीं किए गए, अत: प्रधानमंत्री के समक्ष जो भी मसौदा लाया गया। उस पर हस्ताक्षर न करके उन्होंने एकदम सही काम किया।

प्रधानमंत्री ने अभी कुछ दिन पहले एक वक्तव्य दिया था जिस पर हम बहस कर रहे हैं। इधर उन्होंने वक्तव्य दिया और उधर आलोचना शुरू हो गई कि उनका वक्तव्य बहुत ही बेजान है। मैंने आज भी सुना कि लोग कह रहे हैं कि यह बहुत ही सपाट है और इसमें कुछ भी खास नहीं है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। प्रधानमंत्री के वक्तव्य की संक्षिप्तता और गरिमा इस्लामाबाद में जनरल परवेज मुशर्रफ के संवाददाता सम्मेलन के भाव में पूर्ण विरोधाभास है, भारत में प्रैस के साथ नाश्ते के दौरान की गई उनकी बैठक की तो बात ही छोड़िए। हमारे प्रधानमंत्री देश के निर्वाचित प्रतिनिधियों को सम्बोधित कर रहे थे और जिस सारगर्भित और गरिमामय तरीके से उन्होंने यह किया वह उल्लेखनीय है। जिस किसी ने भी जनरल मुशर्रफ के उन दो प्रसारणों को देखा, वह तुरंत ही इस निष्कर्ष पर पहुँचा होगा कि शिखर वार्ता क्यों विफल रही। हमारे माननीय विदेश मंत्री जी ने भी यही बात कही कि जिसने भी वह प्रसारण देखा है वह समझ सकता है कि आगरा में गड़बड़ी कहाँ हुई।

मेरे पास आलोचना का एक मुद्दा है। भारत मीडिया को बेहतर तरीके से संभाल सकता था। इस मसले पर हम बुरी तरह विफल रहे। मैं मानता हूँ कि भारतीय पक्ष परम्परागत और कूटनीतिक संबंधों के सभ्य तरीके से काम कर रहा था। शिखर वार्ता के बीच में कोई पक्ष कुछ नहीं कहता। मैं इस बात को समझती हूँ। परन्तु विदेश मंत्रालय को याद रखना चाहिए कि यह इलेक्ट्रानिक युग है। संचार माध्यम सही सूचना के लिए लालायित रहते हैं और आप उन्हें दूर नहीं रख सकते; विदेश मंत्रालय की ओर से नियमित और सही संवाददाता सम्मेलन होने चाहिए थे, जो हम नहीं कर पाए। मैं, विदेश मंत्रालय को भविष्य के लिए इस ओर सतर्क करना चाहता हूँ। मीडिया प्रबंधन के मामले में वे हमसे आगे निकल गए। लोग जो कुछ जानना चाहते थे, वह जानने के लिए विदेश मंत्रालय की बजाय पाकिस्तान की ओर मुखातिब होते थे।

हमारे माननीय विदेश मंत्री बड़े चाव से यह कहते हैं कि कश्मीर भारतीय राष्ट्रीयता का केन्द्र बिन्दु है। हम इसका तात्पर्य समझते हैं। मैं उनके साथ पूर्णत: सहमत हूँ। परन्तु मैं यहाँ पर एक सावधानी बरतने की बात कहना चाहती हूँ। कश्मीर को हमारे बार-बार केन्द्र बिन्दु बताने का पाकिस्तान दुरुपयोग कर सकता है क्योंकि हमेशा से पाकिस्तान पर कश्मीर की सनक सवार रहती है, यह उसकी एकमात्र सनक है। जम्मू-कश्मीर, भारत की राष्ट्रीयता का उतना ही केन्द्र बिन्दु है जितना पंजाब या बंगाल। राष्ट्रीयता की विचारधारा में हमारे सभी राज्यों का योगदान है। इसलिए, इस शब्द को बार-बार दोहराए जाने के प्रति मैं सावधान करना चाहती हूं।

प्रधान मंत्री ने वापसी दौरे का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। यही एक राजनेता की पहचान है क्योंकि बातचीत की प्रक्रिया रुकनी नहीं चाहिए। इसे चलते रहना है। साथ ही हमें उनके दौरे के समय के बारे में सावधानीपूर्वक चयन करना होगा। हमें यह भी ध्यानपूर्वक देखना होगा कि पाकिस्तान क्या करता है। निर्दोष लोगों की हो रही हत्याओं को रोकने के लिए कुछ किया जाना

[श्रीमती कृष्णा बोस]

चाहिए। मैंने जनरल मुशर्रफ को बार-बार यह कहते हुए सुना कि ये आतंकवादी, आतंकवादी नहीं बल्कि वास्तव में स्वतंत्रता सेनानी हैं।

रात्रि 9.00 बजे

महोदय, हमारे बहुत से सहयोगी, जो मेरी उम्र के हैं, उन्होंने अपनी युवावस्था में वास्तविक स्वतंत्रता सेनानियों को देखा है। जनरल मुशर्रफ से हमें यह जानने की जरूरत नहीं है कि कौन वास्तविक स्वतंत्रता सेनानी है। हम अच्छी तरह से जानते हैं। स्वतंत्रता सेनानी हमेशा से बहादुर लोग हुए हैं, कायर नहीं। वे डोडा के दूरदराज के गाँव में जाकर निर्दोष लोगों, महिलाओं और बच्चों की हत्याएं नहीं करेंगे। ये लोग विशुद्ध रूप से भाड़े के सैनिक हैं और वास्तविक स्वतंत्रता सेनानियों से उनका कोई वास्ता नहीं है।

मैंने सुना कि जनरल मुशर्रफ ने बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी का उल्लेख किया। भारत बांग्लादेश युद्ध में पूरी तरह भागीदार था, यह हम सभी जानते हैं। एक बंगाली होने के नाते मैंने इसे अपनी आँखों से देखा है। हम मुक्तिवाहिनी से पूरी तरह जुड़े हुए थे।

मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि मुक्तिवाहिनी ने क्रूर पाकिस्तानी सेना की पूरी शक्ति का मुकाबला किया था। वे भी निर्दोष लोगों को नहीं मार रहे थे। उन्हें पाकिस्तानी सेना का डटकर सामना करना पड़ा। इसलिए मुक्तिवाहिनी के बारे में जो भी कहा गया है, वह सच नहीं है।

इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि प्रधान मंत्री जी के इस्लामाबाद जाने के पहले हमें बहुत सावधान रहना होगा। हम उनके अगले कदम पर नजर रखेंगे और तब दौरे के समय को अत्यंत सावधानी से तैयार किया जाएगा। अब आगरा और इस्लामाबाद के बीच हमारे पास कुछ समय होगा।

सभापति महोदय, हमारा हृदय कश्मीर के लोगों के लिए व्यथित है। इस शिखर वार्ता में हमें निश्चित रूप से एक समाधान तो नहीं किन्तु युक्ति निकलने की उम्मीद थी जिससे कश्मीर को लाभ पहुँचता। लेकिन अब ऐसा लगता है कि कश्मीर के लोगों को अब भी पीड़ा झेलनी पड़ेगी। इसलिए आगरा और इस्लामाबाद के बीच हम क्या कर सकते हैं? मैं समझता हूँ कि हम भारतीय पक्ष की ओर से जम्मू और कश्मीर पर अंदरुनी बातचीत जारी रख सकते हैं। हम जम्मू कश्मीर के सभी गुटों, जम्मू और कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों को बुलाकार इन दलों के बीच अमल में लाने योग्य राजनीतिक धरातल तैयार करने के लिए कुछ सूत्र निकालने का प्रयास कर सकते हैं। हमें प्रयास करना चाहिए चाहे हमें सफलता मिले या नहीं। साथ ही यदि संभव हो तो नई दिल्ली को भी कश्मीरी जनता के लिए उन तबकों के लिए जो अलग-थलग हैं और जो यह समझते हैं कि उन्हें हमारी ओर से न्याय नहीं मिल रहा है, के प्रजातांत्रिक अधिकारों और प्रतिनिधित्व के कुछ स्वीकार्य रूप उन्हें प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। हम आगरा और इस्लामाबाद के बीच इन दो चीजों को कर सकते हैं।

महोदय, मैं सभा का ज्यादा समय नहीं लूंगी। हर किसी को भूख लग रही है और थकान हो रही है। निष्कर्षत: मैं कहना चाहती हूं कि हम जानते हैं कि ताज महल की तरह शांति का निर्माण भी एक दिन में नहीं हो सकता। लेकिन महोदय, भारत पर यह दोषारोपण किसी को नहीं करने देना चाहिए कि इस उपमहाद्वीप में शांति कायम करने के लिए हमने भरपूर प्रयास नहीं किया।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार: माननीय सदस्यों के लिए सैन्ट्रल हॉल की लॉबी में भोजन की व्यवस्था की गई है और बाकी स्टॉफ के लिए 73 नवंबर में भोजन की व्यवस्था है। यह सूचना माननीय सदस्यों के लिए 70 नंबर पर बताई गई थी, अब सूचनार्थ मैं बताना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों के लिए भोजन की व्यवस्था सैन्ट्रल हॉल में है।

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर: सभापति जी, मैं मंडे बोलूंगा। ...*(व्यवधान)*

श्री अली मोहम्मद नायक: सभापति जी, मुझे बोलने की इजाजत दे दें।

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पण्डा (मिदनापुर): माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे आगरा शिखर वार्ता पर हो रहे वाद-विवाद में भाग लेने की अनुमति दी है। हमारे अधिकांश सम्मानित माननीय सदस्य सभा से बाहर जा चुके हैं।

सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि मुझे याद है कि शिखर वार्ता से पहले यह घोषणा की गई थी कि जब तक सीमापार से जारी आतंकवाद को रोका नहीं जाता, तब तक पाकिस्तान से कोई वार्ता नहीं की जा सकती। कुछ हलकों में यह भी घोषणा की गई थी कि वर्तमान पाकिस्तानी शासक वैध नहीं है और जब तक पाकिस्तान में लोकतंत्र पुनर्स्थापित नहीं किया जाता तब तक वार्ता आयोजित नहीं की जा सकती। मैं नहीं जानता कि इस सोच या

विचार में बदलाव आने के क्या कारण हैं। इस सभा में हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने वक्तव्य दिया और मैं समझ नहीं पाता कि उनके द्वारा मन बदले जाने के क्या कारण हैं। परन्तु मेरा विचार यह है कि उनकी पुरानी सोच जैसी भी हो, माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा की गई यह पहल स्वागत योग्य है। हमारे दल ने इस पहल का स्वागत किया है।

वार्ता के तीन दौर आयोजित किये जा चुके हैं, पर इसके क्या परिणाम निकले? कुछ मित्रों, इस सभा के कुछ माननीय सदस्यों द्वारा यह कहा गया है कि शिखर वार्ता असफल रही, पूरी तरह से असफल रही थी। मेरा मत यह है कि यह पूरी तरह असफल नहीं थी परन्तु कुछ मामलों में एक असफल थी। सर्वप्रथम, यह असफल इसलिए रही कि इसमें कोई ठोस प्रस्ताव नहीं था और इसका कोई ठोस परिप्रेक्ष्य नहीं था; दूसरे, हमने इस महत्वपूर्ण शिखरवार्त्ता के लिए कोई कार्यसूची भी तैयार नहीं की थी। तीसरे, हमारे पास शिखर वार्ता अथवा घोषणा में प्रस्ताव करने के लिए भिन्न विकल्प नहीं थे। चौथे, हमारी सरकार मंत्रिपरिषद के साथ समन्वय बनाए रखने में असफल है। हम शिखर वार्ता के पूर्व की जाने वाली समुचित तैयारियों में असफल रहे। हम जनसंचार माध्यमों के मामले में भी असफल रहे। हमें ये बातें स्वीकार करनी चाहिए।

प्रधानमंत्री महोदय के वक्तव्य में यह अपेक्षित था कि इसमें किसी प्रकार का अंतर्दशन होगा। कोई भी शिखर वार्ता अथवा कोई पहल सफल या असफल हो सकती है। यह कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि हमें इससे सीख लेनी चाहिए और हमें अपना आकलन करना चाहिए।

प्रधानमंत्री के वक्तव्य में ये सारी बातें मौजूद नहीं थीं। इसलिए मेरा मत है कि उनका वक्तव्य अनावश्यक है। इसमें कोई गहराई नहीं है। यह तो मात्र एक बनावटी और रक्षात्मक वक्तव्य है। परन्तु हम क्या कर सकते हैं?

मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि आपसी मेल-जोल और बातचीत की प्रक्रिया को रोका जाए। इसका कोई विकल्प नहीं है। बातचीत और मेलजोल की प्रक्रिया अवश्य जारी रहनी चाहिए। यह केवल हमारे देश की शांतिप्रिय जनता की अपेक्षा नहीं है बल्कि जनता का भी यही राय है। शिखर वार्ता के दौरान, लोगों की अपेक्षाएं काफी ज्यादा थी। उल्लासोन्माद तैयार करने की अनुमति दी गई थी। मैं भी यही कहूँगा कि माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री के द्वारा दिए गए वक्तव्य ने उम्मीदों को बढ़ावा दिया। इस शिखर वार्ता से हम क्या सीख लें? शिखर वार्ता का क्या प्रभाव रहा?

इसमें तीन पहलू अन्तर्निहित हैं। लोगों को इससे काफी अपेक्षाएं थीं। दो महान देशों की न केवल शांतिप्रिय जनता ने बल्कि सभी दक्षेस देशों ने शिखरवार्ता का स्वागत किया। इस प्रकार, यही जनता का विचार था और यही उनकी उम्मीदें थीं।

पाकिस्तान ने अपना असहयोगी और ठंडा रवैया प्रदर्शित किया है। इसने कश्मीर को एकमात्र मुद्दा का रूप दिया। इसने सीमापार से आतंकवाद को बढ़ावा दिया। यही नहीं, इसने इस घटना की तुलना फिलिस्तीन के स्वतंत्रता संघर्ष से की, जिसे स्वीकारा नहीं जा सकता है।

तीसरे, हमारी सरकार तैयार नहीं थी।

इस प्रकार, यहीं वे तीन पहलू हैं। हमें इसे स्वीकार करना चाहिए और इससे सीख लेनी चाहिए। इसके बावजूद हमें प्रक्रिया को नहीं रोकना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री को पाकिस्तान जाना चाहिए। मेरे विचार से वे भी इसी दिशा में सोच रहे हैं, परन्तु मैं यह कहूंगा कि उन्हें वहाँ पर्याप्त तैयारी के साथ जाना चाहिए और शांति प्रक्रिया को जारी रखना चाहिए। जहाँ तक मेरे दल का संबंध है, हम अपने मातृभूमि के हित के लिए और दोनों देशों की शांतिप्रिय जनता के लिए सभी प्रकार का सहयोग देने को तैयार हैं। इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। मुझे आशा है कि सरकार इन्हीं बातों को लेकर आगे बढ़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

***श्री आदि शंकर** (कुड्डालोर): माननीय सभापति महोदय, मैं आगरा शिखर सम्मेलन के दौरान हुई बातचीत कर हमारे माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य के बारे में इस चर्चा में मुझे द्रविड़ मुनेत्र कषगम की ओर से भाग लेने का अवसर देने के लिए अध्यक्षपीठ को धन्यवाद देता हूं। मैं डा. के. करुणानिधि की अध्यक्षता में हुई द्रविड़ मुनेत्र कषगम की आम सभा की बैठक में 29 जुलाई, 2001 को सर्वसम्मति से पारित संकल्प का यहां उल्लेख करना चाहता हूं। हमने अपना आभार व्यक्त किया था। हम प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत और पाकिस्तान के बीच लम्बे समय से लम्बित बहुत से मामलों के स्थायी समाधान के लिए पाकिस्तान के साथ अच्छे पड़ौसी के संबंध बनाये रखने के लिए शांति प्रक्रिया शुरू करने के प्रयासों की प्रशंसा करते हैं। मैं डी.एम.के. के आम सभा के संकल्प में से कुछ पक्तियां पढ़ता हूं।

> ''सीमा-पार से आतंकवाद को समाप्त करने के लिए और भारत तथा पाकिस्तान के बीच विभिन्न जटिल मुद्दों का हल निकालने हेतु हमारे प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने आगरा शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान के प्रधान मंत्री जनरल मुशर्रफ के साथ बात की थी। यद्यपि, शिखर सम्मेलन किसी निष्कर्ष के बिना समाप्त हुआ परन्तु हम केन्द्र सरकार द्वारा

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण।

[श्री आदि शंकर]

की गई इस घोषणा का स्वागत करते हैं कि लम्बे समय से लम्बित विभिन्न मुद्दों का समाधान निकालने के लिए बातचीत जारी रहेगी। डी.एम.के. की आम सभा माननीय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की इस संबंध में शांति की पहल करने तथा उचित निर्णय लेने के लिए प्रशंसा करती है।"

यहां तक कि जिन्होंने यह कहा है कि आगरा शिखर सम्मेलन से कोई फलदायी परिणाम प्राप्त नहीं होंगे, उन्हें भी यह सच्चाई स्वीकार करनी पड़ेगी कि बातचीत अपने आप में एक अचरज है। भारत और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे की ओर अपनी पीठ करके अपने रवैये में थोड़ा परिवर्तन करते हुये खुले दिमाग से बातचीत की मेज पर आए। प्रारम्भ में हमने कुछ ज्यादा प्राप्त किया और इस शांति प्रक्रिया को शुरू करने हेतु अपने स्वीकृत दृष्टिकोण से नीचे आए। न तो पकिस्तान और न ही विश्व के अन्य राष्ट्र भारत के दृष्टिकोण में आएं परिवर्तन को समझने में विफल रहे।

पाकिस्तान द्वारा उग्रवादियों को प्रशिक्षण और हथियारों की आपूर्ति किया जाना और गुप्तचर एजेंसियों द्वारा बेजादखल जारी है। भारत इस बात पर जोर देने में अडिग था कि जब तक पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को दी जा रही सहायता बंद नहीं की जाती, उसके साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती। यद्यपि इस बात से कई लोगों को आश्चर्य हुआ कि अपनी आपत्तियों को दरकिनार कर भारत ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया, उनके साथ इस उम्मीद में बातचीत की गई कि बातचीत जारी रखकर ही पाकिस्तान के रवैये में परिवर्तन आ सकता है। इस रुख में यह आश्चर्यजनक परिवर्तन है। मैं कहना चाहूंगा कि आश्चर्य घटित हुआ।

हम पाकिस्तान से तुरंत यह आश्वासन मिलने की उम्मीद नहीं कर सकते कि वे कश्मीर में उग्रवादियों को बढावा नहीं देंगे और घाटी में आतंकवादियों को किसी तरह की सहायता मुहैया नहीं करायेंगे। रातभर में हृदय परिवर्तन से इस तरह के आश्वासन की उम्मीद आश्चर्यजनक बात होती। हम एक दिन में काफी परिवर्तन की उम्मीद नहीं कर सकते।

आगरा शिखर वार्ता जो क्षितिज के ध्रुवतारे जैसी लग रही थी, का अन्त पुच्छलतारे के रूप में हुआ कुछ लोगों को ऐसा ही लगा और इससे उनकी अज्ञानता जाहिर हुई। शांति के लिए शिखरवार्ता करने में कुछ भी गलत नहीं है लेकिन पाकिस्तान के रवैये में अचानक परिवर्तन की उम्मीद करना ठीक नहीं है। कमी ज्यादा उम्मीद में है न कि बातचीत करने में। यदि हम पाकिस्तान के वर्तमान हालात को देखें तो पाएंगे कि भारत विरोधी नीति वहाँ की केन्द्रीय नीति है। वहाँ राजनीतिज्ञ और नौकरशाह इसी बारे में बात करते हैं। यह पाकिस्तानी सेना के लिए सुरक्षा का काम करता है। हम एक दिन में पाकिस्तान के हृदय परिवर्तन की उम्मीद नहीं कर सकते। अगर हम एक दिन में परिवर्तन की उम्मीद करते हैं तो यह बुद्धिमत्ता की बात नहीं होगी।

जनरल मुशर्रफ ने कई बार कहा है कि कश्मीर विवाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन अब पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच समाधान हेतु बातचीत के अनेक मुद्दों में कश्मीर समस्या को भी एक मुद्दे के रूप में उल्लेख करने में अनिच्छा जताई है।

यहाँ तक कि जनरल मुशर्रफ भारत आते उससे पहले कश्मीर के उग्रवादियों को पाकिस्तान द्वारा सहायता और प्रोत्साहन दिया जाता रहा। कई वर्षों से सीमापार से आतंकवादियों को सहायता और समर्थन दिया जाता रहा है। भारत लगातार दुनिया को बताता रहा है कि आतंकवादियों को हथियारों की आपूर्ति के पीछे पाकिस्तान का हाथ है।

जिन मुद्दों से हम पचास से अधिक वर्षों से परेशान रहे हैं, उनके बारे में एक दिन के अन्दर समाधान निकलने की आशा नहीं की जा सकती। यह बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है।

देश के लोगों के सामने यह स्पष्ट करता हमारा कर्तव्य है कि हम सफल रहे हैं और हमने आशंका या डर के कारण पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं की है। हम आतंकवाद और उग्रवादियों द्वारा फैलाई जा रही हिंसा से नहीं डरते। हम उग्रवाद को समाप्त करने और अतिवाद के खात्मे में अक्षम नहीं है। हममें गतिशीलता और क्षमता है। इन गुणों का हममें अभाव नहीं है। साहस, वीरता और बुद्धिमत्ता के अभाव के चलते हमने शांति प्रक्रिया शुरू नहीं की है। देशवासी जानते हैं कि हमारा राष्ट्र मजबूत है और हमें यह बात दोहराते रहना चाहिए।

दोनों देशों के नेताओं ने अपने-अपने देश के लोगों की भलाई का दृढ़संकल्प व्यक्त किया है। उनका उद्देश्य अपने देश के लोगों के जीवन स्तर और सुविधाओं को सुधारने का है। दोनों नेता अपने-अपने देश को संपन्न बनाना चाहते हैं वे जीवन के हर क्षेत्र में समग्र विकास चाहते हैं। इसी कारण दोनों देशों के नेताओं ने अपने-अपने मतभेद भुलाकर वार्ता मेज पर बातचीत करने का फैसला किया। यह आठवें आश्चर्य जैसा था।

आगरा शिखर वार्ता से कश्मीर के अलावा अन्य लंबित मुद्दों की पहचान करने में सफलता मिली और उन पर बातचीत का अवसर मिला। कई मुद्दे सामने आये। इस वार्ता से पाकिस्तानी जेलों में 30 से भी अधिक वर्षों से सड़ रहे 54 युद्धबंदियों के मामले को पुनः उठाने का अवसर मिला। हमारे प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को पाकिस्तान के राष्ट्रपति के सामने उठाया। 1993 में मुंबई बम विस्फोट के दोषियों को पाकिस्तान में निर्द्वन्द्व रहने का मुद्दा भी उठा। 1999 में हमारे अपहृत विमान को कंधार ले जाने वाले आतंकवादियों के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया। दोनों देशों की जल सीमा में फंस गये मछुआरों की दुर्दशा पर भी बातचीत हुई।

आगरा शिखर सम्मेलन के आयोजन के परिणामस्वरूप इन सभी फायदों के लिए हमें इस पहल का अवश्य स्वागत करना चाहिए।

हमने साफ शब्दों में कहा है कि सीमा पार से किए जाने वाले अपराधों को किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन देने से शांति स्थापना के लिए चल रही प्रत्येक प्रकार की बातचीत में अड़चनें आएँगी। हमने इस तथ्य को जोर-शोर से उछाला है कि भारत में आंतरिक अशांति को फैलाना। दोनों ही देशों के हित में नहीं होगा।

सैन्य चालबाजी से सत्ता हथियाने वाले जनरल मुशर्रफ ने अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर लिया। उन्होंने स्वयं पाकिस्तान के राष्ट्रपति का ताज पहन लिया है। पाकिस्तान में लोकतंत्र को फिर से जीवित करने के लिए इसे एलायंस पार्टियों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। जनरल मुशर्रफ की सैन्य शासक से पाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में स्वप्रोन्नति को दुनिया के कई देशों ने निंदा की है। जब उन्हें भारत से निमंत्रण मिला, तो उन्होंने समझा कि पाकिस्तान के असली शासक के रूप में उनकी पहचान हो गई है और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में अपने आपको राष्ट्राध्यक्ष घोषित कर लिया।

निश्चय ही, हमें आगरा शिखर सम्मेलन के महत्व का विश्लेषण करना होगा और उसकी गहराई को समझना होगा।

अगर यह मानें कि शिखर सम्मेलन की समाप्ति पर दोनों ओर से संयुक्त रूप से घोषणा की जानी थी तो फिर हमें अपने आप से यह प्रश्न करना चाहिए क्या वह घोषणा दोनों देशों के लिए निश्चित रूप से बाध्यकारी हो सकती थी। यह एक सवाल है कि क्या इसे संवैधानिक वैधता, कानून सम्मत स्वीकृति और दोनों राष्ट्रों की संप्रभुत्व संपन्न सत्ता की मान्यता मिल सकती थी।

हमें उस सवाल पर विचार करना होगा कि क्या अपनी सैन्य शक्ति से सत्ता हथियाने के बाद तानाशाही अंदाज में स्वयं को राष्ट्रपति घोषित करने वाले एक तानाशाह द्वारा हस्ताक्षर किए गए किसी समझौते को भविष्य में लोकतांत्रिक रूप से चुनी जाने वाली पाकिस्तान की सरकार पर मान्यता देने की बाध्यता होगी। हमें पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्रियों श्री नवाज शरीफ और सुश्री बेनजीर भुट्टो द्वारा की गई टिप्पणियों पर भी विचार करना होगा जिनमें उन्होंने कहा था कि जनरल मुशर्रफ को अन्य देशों के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर करने का नैतिक अधिकार नहीं है और पाकिस्तान की भावी सरकार इसकी वैधता को मान्यता देने के लिए बाध्य नहीं होगी।

मैं यहाँ बिलकुल वही चीज देख रहा हूँ जो आज तमिलनाडु में हो रही है। आपराधिक मामले में तीन साल की कैद की सजा पा चुकी एक अभियुक्त जो चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहराए जाने पर पश्चाताप करने के बजाय सारे लोकतांत्रिक मानदंडों को ताक पर रखकर आनन-फानन में मुख्य मंत्री बन गई है। चुनाव के लिए वह अयोग्य व्यक्ति सुश्री जयललिता है। माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने यह तर्कसंगत सवाल किया है कि क्या ऐसे व्यक्ति की अगुवाई में बनी सरकार द्वारा लिया गया कोई प्रशासनिक निर्णय अच्छा हो सकेगा और क्या इसकी कोई वैधता होगी। ठीक उसी प्रकार हम पकिस्तान में देख रहे हैं कि यहाँ का शासक लोकतांत्रिक ढंग से नहीं चुना गया है। यह एक तर्कसंगत सवाल है कि क्या ऐसे नेताओं की ओर से लिए गए निर्णय या दिए गए आदेश या की गई घोषणाएँ भविष्य में वैध होंगी-और क्या ये सभी बाध्यकारी होंगे।

महात्मा गांधी जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का निर्माण उनकी लाश पर ही संभव होगा, अंततोगत्वा वास्तविकता के सामने नतमस्तक हो गए और पाकिस्तान को और अधिक धन आवंटित किए जाने पर जोर देने लगे। घृणा के आवेश में एक उग्रवादी ने उनकी हत्या कर दी। वर्षों बाद हमने देखा कि किसी पाकिस्तानी नेता ने जाकर महात्मा गाँधी की समाधि पर श्रद्धांजलि दी। सैन्य शक्ति से सत्ता हथियाने वाले जनरल मुशर्रफ ने राजघाट पर आगन्तुक पुस्तिका में अपना नाम दर्ज कराया और उन्होंने लिखा कि महात्मा गांधी एक ऐसे महान पुरुष थे जिन्होंने सत्य और अहिंसा के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। निश्चय ही, यह एक आश्चर्यजनक और विस्मयकारी घटना है। मैं इसे दुनिया का आठवाँ आश्चर्य कहना चाहूंगा।

दोनों देशों के लोगों के जीवन में आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना होगा। हालाँकि भारत की ओर से की गई पहल पर कतिपय प्रशंसनीय उपाय किये जाने वाले हैं। दोनों देशों के बहुसंख्य लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के मद्देनजर मजबूत आर्थिक एवं व्यापारिक संबंध बनाने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार के वाणिज्य मंत्रालय जैसे आर्थिक मामलों के मंत्रालय कारगर कदम उठा रहे हैं। मैं भारत की आर्थिक ताकत को अपने प्रयास से मजबूती प्रदान करने में महारथ रखने वाले दूरदर्शी वाणिज्य मंत्री माननीय श्री मुरासोली मारन को बधाई देना चाहता हूँ। भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के बीच बेहतर व्यापारिक संबंध बनाने के लिए उन्होंने शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या पर ही 50 मदों पर से शुल्क हटा लिया था। यह एक प्रशंसनीय प्रयास है।

इसका प्रावधान आर्थिक, वाणिज्य और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विशेषज्ञों को लगाने और भारत तथा पाकिस्तान दोनों के बीच बेहतर आर्थिक सहयोग के बारे में बातचीत करने के लिए गयी है, आगरा शिखरवार्ता ने यह प्रक्रिया आरम्भ कर दी है।

[श्री आदिशंकर]

जहां तक प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी का संबंध है तो जब वह मोरारजी देसाई की सरकार में मंत्री थे तभी से वह भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना में पूरा विश्वास रखते रहे हैं।

विदेश मंत्री के रूप में उन्होंने लोगों के आपसी संबंधों की उस नींव की मजबूती हेतु जो दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधार सकती है के लिए वीजा संबंधी प्रतिबंधों में छूट दी थी।

यह बात सही हो सकती है कि ऐसी शिखर वार्ता में कोई समझौता नहीं हो सका जहां दोनों ही देशों के शासन प्रमुखों ने आपस में बात की थी। लेकिन यह मानना ही होगा कि वार्ताएं अनिर्णायक रही हैं। इसमें अभी भी आशा बनी हुई है क्योंकि यह स्वीकार किया गया है कि वार्ता जारी रहेगी। अब, जम्मू और कश्मीर, रक्षा मामलों और नियंत्रण रेखा तथा आतंकवाद से संबंधित मामलों पर राजनीतिक स्तर पर वार्ता करना सम्भव हो गया है। इससे सियाचीन ग्लेशियर, उल्लर बांध, सर क्रीक स्टेट पर अधिकारिक स्तर की वार्ताएं करने का अवसर सामने आया है। इन अधिकारिक स्तर की वार्ताओं में आर्थिक संबंधों, व्यापार संबंधों, नशीली दवाइयों की तस्करी के संकट को समाप्त करने पर भी चर्चा की जा सकेगी।

अपनी बात समाप्त करते हुए, मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा कि कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है। यह हम सब का कर्तव्य है कि हम इसे अक्षुण्ण रखे।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): सभापति महोदय, 14, 15 और 16 जुलाई को पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल मुशर्रफ आगरा आये थे और उनसे चर्चा हुई थी। मुझे नहीं लगता कि श्री वाजपेयी जी ने तीन साल में जितने असफल काम किये, यह सबसे ज्यादा सफल काम किया होगा। यह सही है कि चर्चा की गई लेकिन पाकिस्तान के जनरल मुशर्रफ शाइन होकर चले गये जो यहां कश्मीर मामले के अलावा किसी और मुद्दे पर वार्ता करने के लिए तैयार ही नहीं थे। मेरा सरकार से पूछना है कि जब वे दूसरे किसी विषय पर बातचीत करने के लिए तैयार ही नहीं थे तो उन्हें यहां बुलाया क्यों गया?

रात्रि 9.29 बजे

(**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

उनके यहां आने पर सिक्यूरिटी पर डेढ़ करोड़ रुपया खर्च किया गया। हां, इससे सब लोगों का टाइम जरूर पास हो गया। हालांकि बातचीत से कुछ नहीं निकला लेकिन फिर भी बुलाने का अच्छा काम किया गया। जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी जी एक सीधे-सादे आदमी हैं, जो चाहते थे कि दूसरे विषयों पर चर्चा होती मगर दूसरी ओर जनरल मुशर्रफ एक मिलिट्रीमैन हैं, बहुत उस्ताद आदमी हैं जो यहां यह सोचकर आये कि कश्मीर मामले के अलावा किसी और मुद्दे पर चर्चा नहीं करनी।

श्री अली मोहम्मद नायक: एक तानाशाह को भी बुलाया जाता है?

श्री रामदास आठवले: जरूर बुलाना चाहिए, भारत को चलाना चाहिये। यहां बुलाने से काम नहीं चलने वाला है लेकिन पाकिस्तान के साथ दोस्ती करने के बारे में कोई विरोध नहीं है।

अगर पाकिस्तान हमारे साथ दोस्ती नहीं करना चाहता तो हम किसलिए दोस्ती करें। पाकिस्तान को भी दोस्ती के बारे में सोचने की आवश्यकता है। केवल हम पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ आगे करें और मुशर्रफ दो कदम पीछे जायें। यदि इसी तरह से काम चलता रहेगा तो दोस्ती होने वाली नहीं है। मुशर्रफ जी सही कह रहे थे कि सवाल केवल जम्मू-कश्मीर का है, जम्मू-कश्मीर के इश्यू पर ही चर्चा होनी चाहिए। इसलिए हमारे देश में जम्मू-कश्मीर पर एजेन्डा तैयार रखने की आवश्यकता है और वह आपके पास है। जम्मू-कश्मीर का एक-तिहाई भाग पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान के पास कश्मीर का जो हिस्सा है, वह हमें सौंप दे, जम्मू-कश्मीर से पाकिस्तान का क्या संबंध है।

सभापति महोदय, 26 अक्टूबर, 1953 को वहां के सब लोगों ने तय किया था कि हमें भारत में रहना है और आर्टीकल 370 के माध्यम से उन्हें ऑटोनोमी दे दी गई। उसी तरह से जम्मू-कश्मीर के लोग यह चाहते हैं कि हम भारत में रहेंगे और भारत हमारा है। उसके बावजूद भी पाकिस्तान वाले एक्सट्रीमिस्ट लोगों को वहां ले जाते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, फिर उन्हें वापिस भेजते हैं, वे हमारे लोगों पर हमला करते हैं, हम चुपचाप बैठे रहते हैं और वे हमारे लोगों को मार रहे हैं। मेरा वाजपेयी जी और श्री जसवंत सिंह जी से यही निवेदन है कि अगर पाकिस्तान सीधे रास्ते से नहीं सुनता है तो पाकिस्तान के साथ युद्ध करने की आवश्यकता है। आप पाकिस्तान के साथ युद्ध करो और पाकिस्तान का एक-तिहाई हिस्सा अपने कब्जे में ले लो तभी वह कश्मीर का एक-तिहाई हिस्सा छोड़ेगा, नहीं तो वह उस हिस्से को छोड़ने वाला नहीं है और हम भी पाकिस्तान को छोड़ने वाले नहीं है। यह काम हमें करने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, अभी वाजपेयी साहब पाकिस्तान जा रहे हैं, उनके वहां जाने से हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन स्वयं जाने

से पहले वह श्री जसवंत सिंह जी को वहां भेजें। वह वहां बातचीत का एजेन्डा लेकर जाएं और मुशर्रफ साहब से बात करें। यदि उस एजेन्डा पर मुशर्रफ साहब बात करने के लिए तैयार हों तो वाजपेयी साहब को वहां भेजना चाहिए, नहीं तो बेकार में पैसा खर्च करने में कोई फायदा नहीं है। बेकार में पैसा खर्च करने की आवश्यकता भी नहीं है। हमारे देश की इकोनोमी खराब होती जा रही है और हमारी बदनामी भी हो रही है। आपके पैसा पैसा भी नहीं है। आप अच्छा-अच्छा करना चाहते हैं, मगर आपके हाथ में पैसा नहीं है, इसलिए अच्छा होने वाला नहीं है। जब तक आपके हाथ में सत्ता है, तब तक और कहीं से हमारे पास पैसा आने वाला नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर अटल जी पाकिस्तान जाना चाहते हैं, तो उससे पहले ऐसा करना जरूरी है। हम अटल जी का बहुत आदर करते हैं, हमें एक अच्छा प्रधान मंत्री मिला है, लेकिन बाकी के लोग अच्छे नहीं हैं, इसलिए सब गड़बड़ होती जा रही हैं।

इसलिए मेरा निवेदन है प्रमोद महाजन जी आप यहां संसदीय कार्य मंत्री हैं और इस सभा के एक प्रमुख व्यक्ति भी है, मेरा कहना है कि मुशर्रफ जी से जम्मू-कश्मीर के बारे में बात होनी चाहिए। मेरा मत यह है कि जम्मू-कश्मीर का एक इंच भी भाग पाकिस्तान को नहीं मिलना चाहिए। अगर उस बारे में पाकिस्तान के साथ हमेशा के लिए दोस्ती करना चाहते हैं तो मुशर्रफ जी से बात करें। उन्हें यहां बुलाने की आवश्यकता इसलिए नहीं थी क्योंकि वह एक मिलिट्रीमैन है। उनका दिमाग थोड़ा ठीक नहीं रहता है। वह कोई इलैक्टिड राष्ट्रपति नहीं है और जब तक पाकिस्तान में चुनाव नहीं होता है। तब तक उनके साथ बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप लोग एक अच्छा करते रहे हैं, आप पाकिस्तान जाने से पहले सभी पार्टियों के साथ बात करें, लेकिन जब आप अपोजीशन पार्टीज को बुलाते हैं तो हमें नहीं बुलाते हैं, चूंकि हमारी पार्टी एक मैम्बर की पार्टी है। मैंने उस दिन भी बोला था, मुझे एक मैम्बर बोल रहे थे कि आपकी पार्टी एक मैम्बर की पार्टी है। मैंने उनसे कहा कि 1982 में तुम्हारी दो मैम्बर की पार्टी थी और 18-19 साल में तुम्हारे 182 मैम्बर्स बन गये हैं। इसी तरह से हमारी रिपब्लिकन पार्टी के भी दस साल में सौ मैम्बर बन सकते हैं, हम भी सरकार बना सकते हैं। अगर हम सरकार बनायेंगे तो अपने प्रधान मंत्री को पाकिस्तान भेजेंगे, तब तक आपको यह चान्स मिला हुआ है। इस बारे में भी आप लोगों को विचार करने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, जम्मू कश्मीर के लोगों से हमारा निवेदन है कि आप तो हमारे साथी हैं, आपको हम गले से लगाने वाले लोग हैं, आपको भारत के साथ ही रहना है। यह एक बहुत बड़ी बात है कि जम्मू-कश्मीर के लोग भारत के साथ रहना चाहते हैं। जम्मू-कश्मीर के सब लोग कहते हैं कि भारत हमारा देश है। अगर उसके बावजूद भी पाकिस्तान उग्रवादियों को भारत में भेजता है तो भारत को भी उसी तरह का काम करना चाहिए।

अपने लोगों को भी उधर भेजने की आवश्यकता है और वे जिस तरह से हमारे लोगों को इधर मार रहे हैं उसी तरह से उधर भी लोगों को मारना चाहिए। इस बारे में थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। अगर दोनों देशों में दोस्ती होती है तो होनी चाहिए मगर जम्मू-कश्मीर के विषय पर पाकिस्तान अगर यह चाहता है कि वह उनके कब्जे में जाए तो उस पर हमारी दोस्ती नहीं होगी, इस बारे में आप सोचें।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हमें बोलने का मौका मिला है मगर पाकिस्तान जाने का मौका इनको मिलने वाला है, वहां जाकर अच्छी बातचीत आप करें। मुशर्रफ साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए आए और एक विषय जम्मू कश्मीर पर ही बोलते रहे, आप भी ऐसा ही करें कि पाकिस्तान जाएं और उनकी बात पर चर्चा न करते हुए अपनी चर्चा करें और वापस आ जाएं और फिर हमें बताएं कि हमने ऐसा-ऐसा किया है। यह काम भी आपको करना चाहिए। इस इश्यू पर आगरा समिट फेल हुई है। आपने अच्छे इरादे से समिट बुलाई थी मगर उन्होंने आपकी बात नहीं मानी। आप दूसरी शिखर वार्ता बुलाने का प्रयास न करें क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। अभी तो एमपी की सुरक्षा पर भी पैसा खर्च नहीं हो पा रहा है। हमारी सदस्या फूलन देवी की हत्या हुई और दूसरे एमपीज का क्या होगा इसका कुछ पता नहीं है। हम एमपीज को भी सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। अगर फूलन देवी के साथ दो कमांडो होते तो पिस्तौल वाले गोली नहीं चला सकते थे। इसलिए सभी एमपीज को दो-दो कमांडों दे दो और अगर आपके पास ज्यादा पुलिस वाले नहीं हैं तो फौरन नई भर्ती करो और सब लोगों की सुरक्षा पर विचार करो।

अंत में, मैं सरकार से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो इस्लामाबाद में वार्ता होगी वह सफल होनी चाहिए और उसके लिए एजेन्डा पर विचार करने की आवश्यकता है। जय हिन्द, जय भारत।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं कोई लंबा व्याख्यान नहीं दूंगा। आपके माध्यम से मुझे कहना है कि जो बहस हो रही है यह चूंकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है और इस महत्वपूर्ण विषय पर आगरा की वार्ता को बिल्कुल विफलता के दृष्टिकोण से देखना न्यायोचित नहीं होगा। मैं इसलिए इस बात का जिक्र करना चाहता हूं कि इसके दो पहलू हैं। विफलता और सफलता दोनों पहलुओं पर इसको देखना चाहिए। दोनों दृष्टिकोणों से देखने की जरूरत है। विफलता किस कारण से हुई, इसमें कई

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

सवाल उठे। मीडिया मैनेजमेंट नहीं हुआ तो पहले से तैयारी भी पूरी नहीं थी। पहली बार मैं समझता हूं कि 9 जुलाई को बैठक बुलाई गई थी सभी पक्ष के लोगों की और इससे पहले एनडीए से बात की गई थी और जो कुछ करना था वह युद्ध विराम के समय करने की जरूरत थी। जब आमंत्रण दे दिया गया तो इसके बाद सिर्फ शिखर वार्ता का एजेन्डा तय करना था, स्ट्रक्चर्ड एजेन्डा को, सुविचारित एजेन्डा तय करने की बात थी।

अध्यक्ष महोदय, इसमें कुछ किया जा सकता था, इस एरिया में कुछ संभावनाएं थीं, लेकिन जहां तक विफलता का सवाल है उसका कारण यह है कि मुशर्रफ साहब, कश्मीर को केन्द्र बिन्दु मानकर वार्ता करना चाहते थे। मुशर्रफ साहब ने केवल हुर्रियत से बात करना पसन्द किया। यहां की जो चुनी हुई सरकार है, जम्मू-कश्मीर की जो चुनी हुई सरकार है, जो वहां की नैशनल कांफ्रेंस पार्टी है, जो वहां के चीफ मिनिस्टर श्री फारुख अब्दुल्ला हैं, तथा जो वहां के चुने हुए सांसद हैं, उनसे बात करना उन्होंने पसंद नहीं किया। आखिर लोकतंत्र में चुने हुए लोगों को मान्यता न देकर, उनसे बात न कर, उन्होंने हुर्रियत से वार्ता करना जरूरी समझा, जबकि भारत का हुर्रियत के साथ वार्ता करने में ऐतराज था, क्यों ऐसा हुआ? यही विफलता का कारण है। असफलता का एक कारण यह भी है कि मुशर्रफ साहब ने हठधर्मिता का आचरण अपनाने का काम किया। जिस बात को उन्हें खुलकर कहना चाहिए था, उसको भी उन्होंने नहीं कहा। यही असफलता का कारण है।

अध्यक्ष महोदय, असफलता का दूसरा कारण यह भी है कि उन्होंने जितने भी डिप्लोमैटिक नार्म हैं, उनको धता बताने का काम किया। पांच-पांच मिनट के बाद पाकिस्तान के मीडिया को प्रगति का समाचार रिलीज किया जाता था। यह ठीक है कि हम मीडिया मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं कर सके जितना कि हमें करना चाहिए था और हम अपनी बात मीडिया को नहीं बता पाए, लेकिन हमारा देश जो डिप्लोमैटिक नार्म हैं उनका पालन कर रहा था। चाहे विदेश मंत्री हों या प्रधान मंत्री जी हों, जो राजनयिक सिद्धांत हैं, उनका अक्षरशः पालन कर रहे थे। इसका मतलब यह नहीं है कि हम सिविलाइज्ड हैं, तो कोई देश हमारे सिविलाइजेशन के तरीके के व्यवहार को हमारी कमजोरी समझे। सभ्यता हमारी कमजोरी नहीं है। यह हमारी सभ्यता का प्रतीक है। हम सभ्य तरीके से वार्ता चलाना चाहते हैं, पूरे डिप्लोमैटिक नार्म का अनुपालन करना चाहते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम कमजोर हैं, या सभ्यता को कोई देश हमारी कमजोरी समझे। यदि कोई देश ऐसा समझता है, तो यह उसकी भूल है। मैंने इसीलिए इस बात का जिक्र किया है।

अध्यक्ष महोदय, शिमला समझौते और लाहौर समझौते को वे आधार नहीं मानते, इसलिए विफलता हुई। इसी प्रकार विफलता के कई अनेक कारण हैं। सीमा पार से हमारे देश में आतंकवाद चलाना, क्रास बार्डर टैररिज्म चलाना, जिसको वे मुद्दा नहीं मानते, बल्कि वे कहते हैं कि यह तो वहां के लोगों की आजादी की लड़ाई है। इसलिए इसमें विफलता मिली।

अध्यक्ष महोदय, जब लाहौर डिक्लेरेशन हुआ, प्रधान मंत्री जी ने उस समय एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाया था और हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच वार्ता करने के माहौल का निर्माण किया था, लेकिन वह वातावरण कारगिल युद्ध होने के बाद डायल्यूट हो गया, संपूर्ण रूप से ध्वस्त हो गया। जो वातावरण पड़ौसी देश के नाते वार्ता करने का निर्मित हुआ, वह समाप्त हो गया। हिंसा का एक ही विकल्प है कि शांतिपूर्ण ढंग से वार्ता की जाए। उनको देखते हुए भारत के पास एक ही विकल्प है कि वार्ता की जाए और समस्या का समाधान किया जाए। उसको रेस्टोर करने का काम हमारे प्रधान मंत्री जी ने किया।

अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा, आगरा वार्ता को सफलता और विफलता दोनों दृष्टिकोणों से देखना चाहिए। सफलता इस मायने में है कि प्रधान मंत्री जी और माननीय विदेश मंत्री जी ने कारगिल के बाद वार्ता का जो वातावरण ध्वस्त हो गया था, उसको रेस्टोर किया। हमारे देश ने कहा है कि हमारे दरवाजे वार्ता के लिए खुले हुए हैं, वार्ता जारी है और वार्ता जारी रहेगी। इस बिन्दु से आगरा वार्ता को सफल माना जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि अमरनाथ यात्रियों पर आतंकवादियों ने बम फेंक कर उनकी जान ली, यह कायराना प्रयास है, लेकिन इस मामले पर जब मोहन रावले जी बोल रहे थे, तो मैं देख रहा था, वे बहुत भावुक होकर बोल रहे थे और उन्होंने अपने भाषण में कहा कि यह हिन्दुओं पर अटैक हो रहा है। मैं मोहन रावले जी से बड़े विनम्र शब्दों में निवेदन करूंगा कि वे इस मामले को हिन्दू और मुसलमान के नजरिये से न देखें। यह देशी और परदेशी का मामला है। परदेशी आतंकवादियों ने हिन्दुस्तान के अमरनाथ श्रद्धालुओं पर बम फेंक कर कायरता का परिचय दिया है। इसलिए इस मामले को हिन्दू-मुसलमान के नजरिये से नहीं देखना चाहिए। मेरा यही निवेदन है। यह मामला बहुत सेंसिटिव मामला है। यह बहुत संवेदनशील विषय है, यह हिन्दु और मुसलमान का मामला नहीं है बल्कि देशी और परदेशी आतंकवाद का मामला है जिसके अंदर परदेशी आतंकवादियों ने देश के धार्मिक यात्रियों पर बम फेंक कर आक्रमण किया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारे में यह भी देखें कि और किन-किन लोगों की हत्याएं की गई हैं।

इसी सदन के सदस्य अब्दुल रशीद शाहीन साहब जो हमारे सदन के सदस्य हैं और नैशनल कांफ्रेंस के सदस्य हैं उनके भाई की 11 जुलाई को गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह हादसा तब हुआ जब मुशर्रफ साहब यहां 14-15 जुलाई को आने वाले थे। कसूर सिर्फ इतना था कि वे देशभक्त थे और कश्मीर को इस देश का अभिन्न अंग मानते थे। हमारे इसी सदन में 22 फरवरी, 1994 को यह प्रस्ताव पास हुआ कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और उसको हमसे कोई नहीं छीन सकता। यही बात उन्होंने कही और परदेशी आतंकवादियों ने उनकी जान ले ली क्योंकि उनकी इस देश के प्रति इंटीग्रटी थी, उन्होंने इस देश के प्रति स्वाभिमान व्यक्त किया, उनका आचरण एक देशभक्त की तरह था, लेकिन उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। श्री शाहीन साहब, बहुत बहादुर, बहुत समझबूझ वाले सदस्य हैं, लेकिन उनकी देशभक्ति के कारण उनके भाई की हत्या कर दी गई।

उनके भाई को जाना पड़ा। हिन्दू और मुसलमान दोनों राष्ट्रवाद की कीमत चुका रहे हैं। जब पाकिस्तान से हमारी लड़ाई हुई थी तो टैंक तोड़ने वाला अब्दुल हमीद कौन था। इस बात की कभी बू नहीं आने देनी चाहिए। हिन्दुस्तान की सरहद में जो भी लोग हैं वे राष्ट्रीय हैं। हमें कभी ऐसी रेखा नहीं खींचनी चाहिए, इससे गलत मैसेज जाता है क्योंकि यह राष्ट्रीय मामला है। ...*(व्यवधान)*

श्री अली मोहम्मद नायक: अमरनाथ बम कांड में छ: यात्री मरे और उनके साथ चार मुसलमान पोर्टर्स और एक पुलिस वाला भी मरा। अब हिन्दू-मुसलमान का सवाल कहां है? पांच मुसलमान मरे, छ: हिन्दू मरे, वे मुसलमान, जो यात्रा को इसलिए जारी रखना चाहते हैं क्योंकि उनकी रोजी-रोटी का मसला उसके साथ बावस्ता है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: मैंने आपकी ही बात कही थी। उनके भाई नसीर अहमद की हत्या हुई। उससे पहले यात्रा में हत्याएं हुई। इसलिए मैंने कहा कि इसे उस नजरिये से देखने की जरूरत नहीं है। मेरी बात में आपकी बात की ही सहमति थी।

मैं आगरा शिखर वार्ता को लेकर सरकार को घेरने और बचाने की प्रवृत्ति के पक्ष में नहीं हूं क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मामला है। कश्मीर की समस्या बहुत संगीन और संवेदनशील है। मुलायम सिंह जी अभी नहीं हैं, उन्होंने इसे शुरू किया था। मैं श्री सिंधिया जी, श्री चन्द्र शेखर जी और डा. विजय कुमार मल्होत्रा जी को सुन रहा था। हमें कुछ अतीत की ओर भी झांकना चाहिए। आजादी के संग्राम के समय महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया, (अंग्रेजों भारत छोड़ो) का नारा दिया था। उस समय अंग्रेजों के पास जो थिंक टैंक था, उसमें उनका नारा था-पहले स्पिलट इंडिया तब क्विट इंडिया। इसलिए इस बंटवारे के पीछे हमें पाकिस्तान की बुनियाद को भली-भांति समझना चाहिए। पाकिस्तान स्पिलट के सिद्धांत पर बना है। इसीलिए महात्मा गांधी ने जब क्विट इंडिया कहा जो अंग्रेजों के लिए थिंक टैंक था, उन्होंने हिन्दुस्तान को स्पिलट इंडिया तब क्विट इंडिया कहा और यही हुआ। इसलिए इन तथ्यों में जाने के बाद कोई संदेह नहीं है।

मुलायम सिंह जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं। उन्होंने हिन्द-पाक महासंघ की बात बहुत जोर से कही। आज हिन्द-पाक महासंघ की जरूरत है। हम भी कुछ दिन पहले इस विचार से पूर्णतया सहमत थे लेकिन आज की तारीख में, क्योंकि डा. राम मनोहर लोहिया की एक कल्पना थी, वे बहुत बड़े दार्शनिक थे, इस देश की आजादी में 1942 की मूवमैंट में भी उनका बहुत योगदान रहा। उस समय की परिस्थिति को देखते हुए भाई-भाई का बंटवारा हुआ था, उस समय उन्होंने पाक और हिन्द महासंघ की बात कही थी। आज परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं। आज के परिवेश में उसे इटोपिया कहा जा सकता है, वह व्यवहारिक नहीं है, जो स्थिति आज है। श्री संगमा जी ने उसका जिक्र किया। मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, 22 फरवरी, 1994 को इस सर्वोच्च सदन में जो प्रस्ताव रखा गया था, मैं उसकी अंतिम बात यहां उद्धृत करूंगा। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग रहेगा ...*(व्यवधान)* इसके अलावा और कई सारी बातें हैं लेकिन यह बात भी आई थी, सदन के जरिए यह प्रस्ताव था कि-''पाकिस्तान को भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के उस हिस्से को खाली कर ही देना चाहिए जिस पर उसने बलपूर्वक कब्जा किया है और यह तय करता है कि भारत के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के किसी भी प्रयास का माकूल जवाब दिया जाएगा। जब यह सर्वोच्च सदन सर्वसम्मति से इस आशय का प्रस्ताव पारित कर चुका है तो क्या इससे भिन्न राय रखना, भिन्न वक्तव्य देना सदन की अवमानना नहीं है?

अध्यक्ष महोदय, विदेश मंत्री यहां मौजूद हैं और मैं प्रधान मंत्री जी से चाहूंगा कि वे इस सदन को यह जरूर बताएं कि 22 फरवरी, 1994 को सदन में जो प्रस्ताव आया था, हमने उसकी भावनाओं को कहां तक हासिल किया है तथा आगे हमारी क्या रणनीति है। प्रधान मंत्री जी जब इस्लामाबाद जाएंगे तो उससे पहले इस पर गंभीरता से विचार कर लें।

मैं एक अंतिम बात कहना चाहता हूं।

हमारी वार्ता की सफलता और विफलता के पीछे भी कुछ बात है, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का सूक्ष्म अध्ययन हमको करना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका का नजरिया चीन के प्रति और चीन

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

का दृष्टकोण अमेरिका के प्रति, दुनिया की ये जो महाशक्तियां हैं, उनकी मंशा को बिना समझे सचमुच वार्ता का कोई हल निकलने वाला है या नहीं, यह प्रश्नचिन्ह है, यह अंडर ब्रेकिट है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि यह प्रश्न खड़ा है, इस पर बहुत गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है। इसलिए मेरा सुझाव है कि देश के कूटनीतिज्ञों और विशेषज्ञों को इस पर सोचना चाहिए, मणिशंकर अय्यर जी ठीक कह रहे थे कि जब आपने पाकिस्तान का आमंत्रण स्वीकार कर लिया है तो कोई हर्जा नहीं है। हमने आमंत्रण दिया, उन्होंने स्वीकार किया तो हमें भी आमंत्रण स्वीकार कर लिया है तो कोई हर्जा नहीं है। हमने आमंत्रण दिया, उन्होंने स्वीकार किया तो हमें भी आमंत्रण स्वीकार करना चाहिए और वार्ता जरूर करनी चाहिए। वार्ता से हमें कभी भागना नहीं चाहिए। लेकिन हम यह जरूर कहेंगे कि कोई स्ट्रक्चर्ड एजेण्डे, सुविचारित एजेण्डे के साथ ही वार्ता हो। भविष्य में वार्ता करने से पूर्व सावधानी बरतने की जरूरत है, अधिक सावधानी इसलिए बरतने की जरूरत है कि आगरा की तरह इस बार भी बिना सुविचारित एजेण्डे के हमको वार्ता करने से कोई फलाफल निकलने वाला नहीं है, इसीलिए मैं सरकार से यही अनुरोध करूंगा कि निश्चित रूप से एक कमेटी भी बनानी पड़े, दोनों सदनों से भी राय या सभी पक्षों से भी राय लेनी हो, कूटनीतिज्ञों की या दलों के लोगों की राय लेनी हो तो अभी पूरा समय है। हमें पूरी तैयारी के साथ, पूरे एजेण्डे के साथ, स्ट्रक्चर्ड एजेण्डे के साथ, सुविचारित एजेण्डे के साथ ही कोई वार्ता करनी चाहिए। हमें वार्ता से घबराने की जरूरत नहीं है। आपने वार्ता का दरवाजा खोलकर रखा, यह निश्चित रूप से सफलता है, एचीवमेंट है। हमारे देश के सामने और कोई रास्ता, कोई विकल्प भी नहीं है। वार्ता में हमें कितनी सफलता मिलती है, यह सवाल नहीं है। सवाल यह है कि हमने वार्ता को रैस्टोर कर दिया है, जो वार्ता कारगिल के बाद बिल्कुल डाइल्यूट हो चुकी थी, उसमें यह निश्चित रूप से एक सफलता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 9.52 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार 2 अगस्त, 2001/11 श्रावण, 1923 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी.एल.एस.–48.17.8/2001 (एन०)
280

© 2001 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।